(1)

राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] दसवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का बाइसवां दिवस [संख्या : 13

बुधवार,

16 मार्च, 1994

विधान सभा की बैठक 11.00 बजे ,विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन।)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आज तो बड़े खुश हैं, प्रसन्न मुद्रा में हैं।

श्री अध्यक्ष : मुझे दुःखी कोई नजर नहीं आ रहा है यहां, सब खुश नजर आ रहे हैं। आप खुश हैं तब सब खुश हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): हम उधर बैठेंगे और वे इधर बैठेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप तो पहले ही इधर बैठे थे, बैठ सकते हैं। प्रश्न, श्री फूलचन्द।

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर एवं लसाड़िया की सम्पर्क सड़कें

346. **श्री फूलचन्द** (सलूम्बर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

सलूम्बर एवं लसाड़िया विधान सभा क्षेत्रों की किन-किन पंचायत समितियों के कौन-कौन से पंचायत मुख्यालय सम्पर्क सड़क से जोड़े गये हैं तथा कितनी पंचायतें शेष हैं ? शेष पंचायतों के मुख्यालय कब तक सम्पर्क सड़क से जोड़ने का सरकार विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित-किशोर चतुर्वेदी) : सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में कुल 51 पंचायत मुख्यालय हैं जिनमें से 30 पंचायत मुख्यालय पंचायत समिति सलूम्बर के अन्तर्गत हैं, इनमें से 23 पंचायत मुख्यालय डामर सड़क से, दो पंचायत मुख्यालय मेटल सड़क से व 4 पंचायत मुख्यालय ग्रेवल रोड से जुड़े हुए हैं व एक पंचायत मुख्यालय किसी भी सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है। 21 पंचायत मुख्यालय गिर्वा पंचायत समिति के अन्तर्गत हैं उनमें से 11 डामर से, 4 ग्रेवल से व 6 किसी भी सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं। लसाड़िया विधान सभा क्षेत्र में कुल 67 पंचायत मुख्यालय हैं उनमें से 49 पंचायत मुख्यालय धरियावद पंचायत समिति के अन्तर्गत हैं उनमें से 21 पंचायत मुख्यालय डामर से, दो मेटल रोड से व 12 ग्रेवल सड़क से तथा 14 किसी भी सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं। सलूम्बर पंचायत समिति के अन्तर्गत 18 पंचायत मुख्यालय में से 9 डामर सड़क से 4 ग्रेवल सड़क

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

से व पांच किसी भी सड़क से जुड़े नहीं हैं। उपरोक्त बिना जुड़े 26 पंचायत मुख्यालयों में से वे पंचायत मुख्यालय जिनकी आबादी एक हजार (1971) से ज्यादा हैं तथा डामर सड़क से जुड़े नहीं हैं, को आठवीं पंचवर्षीय योजना में डामर सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है।

श्री फूलचन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, सलूम्बर क्षेत्र में भीमला जामरी नदी पर पुल न बनने से आठ पंचायतें और 99 गांव सम्पर्क सड़क से नहीं जुड़े हैं। इससे पंचायत समिति सलूम्बर, तहसील, एस.डी.ओ. हैडक्वार्टर सलूम्बर के सारे लोग अभी तक उदयपुर होकर आते हैं और 100 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। एस.डी.ओ. हैडक्वार्टर, पंचायत समिति हैडक्वार्टर, तहसील हैडक्वार्टर और उच्चीकृत अस्पताल भी सलूम्बर पड़ता है, इन्हें कब तक निश्चित रूप से जोड़ने का प्रावधान है, यह भी बताया जाए।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह बात सच है कि तीन पंचायत मुख्यालय गींगला व वियर्रा डामर से जुड़े हुए हैं और उथरगा वर्तमान में उपलब्ध स्वीकृति के अनुसार डामर से जुड़ जाएंगे इस वर्ष। वर्षा ऋतु में नदी में पानी आ जाने से दो–ढाई महीने आवागमन का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है इस कारण इस बारे में कठिनाई है। किन्तु इस नदी पर पुल निर्माण की लागत 75 लाख रुपया है और जो हमने अपनी प्रायोरिटीज तय की है उनमें वर्तमान में इस पंचवर्षीय योजना में जोड़ना अभी प्रस्तावित नहीं है, फाइनेंस के कारण सम्भव ही नहीं है। किन्तु मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, शायद माननीय सदस्य को पता होगा कि कुछ समय पहले खरदा नदी पर इसी प्रकार की स्थिति थी, जो इसके निकट ही है उसको पुल से जोड़ा है। अभी इंवेस्टमेंट वहां किया है, उस इन्वेस्टमेंट के कारण एक करोड़ से अधिक रुपया उसमें लगा है, इसलिए इस दृष्टि से आवश्यकता होते हुए भी प्रायोरिटी में नहीं आ रहा है इसलिए अभी कुछ कहना सम्भव नहीं है।

श्री फूलचन्द : जनजाति क्षेत्र है, आठ पंचायत मुख्यालय इससे वंचित रहते हैं, मंत्री महोदय ने भी माना है और इनको 110 किलोमीटर दूरी तय करके वापस अपने एस.डी.ओ. हैड क्वार्टर, उच्चीकृत प्राथमिक चिकित्सालय और तहसील हैड क्वार्टर पर आना पड़ता है। 47 साल हो गये, इसका उत्तरदायी कौन था? और आज भी प्रावधान में नहीं लेने का क्या कारण है जबकि इतना आवश्यक है कि यह सड़क बनने से 99 तो गांव जुड़ते हैं और तीन तहसीलें जुड़ती हैं—सराड़ा लसाड़िया और सलूम्बर।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य जिस प्रकार का वर्णन कर रहे है वैसी स्थिति तो नहीं है।

श्री फूलचन्द : आपने स्वयं माना है कि तीन महीने बारिश आने से बन्द हो जाता है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इसीलिए तीन पंचायत मुख्यालयों पर वह स्थिति पैदा होती है। बाकी जिस क्षेत्र की आप चर्चा कर रहे हैं वहां जगत से जुड़कर पहुंचना सम्भव हो जाता है। फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि इस पर राज्य सरकार गम्भीरता से विचार करेगी और जैसे ही धन उपलब्ध होने की कुछ स्थिति बनेगी इसको करने के लिए हम तत्पर रहेंगे।

श्री फूलचन्द : धन उपलब्ध होने, संसाधन उपलब्ध होने की बात तो हर बार बतायी जाती है। आपकी कोई तो निश्चित तारीख हो, कोई तो निश्चित समय हो कि इस तारीख को हम पुल को बनाने का प्रावधान निश्चित रूप से रखते हैं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : अगर वहां रपट बना दी जाए तो इसका सोल्यूशन हो सकता है। इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें क्योंकि यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ऐसा आपसे निवेदन है।

श्री फूलचन्द : रपट से तो सम्भव नहीं है, इतना-इतना पानी हो जाता है, तीन-तीन, चार-चार महीने तक रास्ता बन्द हो जाता है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जिस रपट की चर्चा कर रहे हैं वह सब-काज वे बनाने के लिए ही 75 लाख रुपये चाहिए। अगर हायर ब्रिज बनायेंगे तो ढाई करोड़ से ऊपर बात पड़ेगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर 1971 की एक हजार की आबादी को जोड़ने की जो व्यवस्था बनायी है, इस पंचवर्षीय योजना में, उसके लिए भी 356 करोड़ रुपये चाहिए। 356 करोड़ रुपया तीन साल में पूरा एडजस्ट होने के बाद इस योजना में सारे गांव जुड़ेंगे। उसमें कहां से पैसा आएगा? फिर भी प्रयास किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री चुन्नीलाल गरासिया।

प्रश्न संख्या 347

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

स्थगित प्रश्न

(4 मार्च, 1994)

वाहन प्रदूषण नियन्त्रण

198 **श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डोली) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदूषण नियन्त्रण करने हेतु सभी प्रकार के वाहनों में प्रदूषण नियन्त्रण यंत्र लगवाने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(2) क्या प्रदूषण नियन्त्रण के लिए वाहनों के बाबत कानूनी प्रावधानों में परिवर्तन करना प्रस्तावित है ?

पर्यावरण मंत्री (श्री रघुवीर सिंह कौशल) : (1) वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाने की राज्य सरकार की कोई योजना नहीं है। वाहनों के द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रदूषण नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत यातायात विभाग द्वारा प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को स्मोक मीटर एवं गैस एनलाइजर उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं।

(2) जी नहीं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण एक बहुत बड़ी समस्या है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : प्रदूषण समस्या है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पर्यावरण नहीं, प्रदूषण। आपने मुझे ठीक किया, धन्यवाद आपको।

श्री अध्यक्ष : पर्यावरण में प्रदूषण समस्या है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : रोकथाम के लिए राज्य सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है । पर्यावरण विभाग नाम का एक विभाग यहां पर कार्यरत है ।

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल क्या है सवाल पूछिये ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सवाल यह है कि प्रदूषण नियन्त्रण हेतु सभी प्रकार के वाहनों में प्रदूषण नियन्त्रण यंत्र लगवाने हेतु क्या कदम उठा रही है सरकार ? वाहनों की जिस तेजी से संख्या बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक का जो हाल आज बड़ी सिटीज में देखा जाता है उसके बाद भी यह विभाग कोई कदम न उठाये, यह एक चिन्ता का विषय है । पहले तो हमें यह देखना होगा कि जो मेजर सिटीज हैं राजस्थान की चारों-पांचों, वहां पर क्या राज्य सरकार ने नाइज पाल्यूशन का डेसीबल निकलवाया है कि कितना नाइज पाल्यूशन है ? इसके साथ-साथ प्रदूषण का भार कितना टन प्रतिदिन है ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : प्रदूषण नियन्त्रण यंत्र का प्रचलन अभी देश में नहीं हुआ है इसलिए राज्य सरकार की तरफ से इस ओर कोई प्रयास नहीं है । ध्वनि नियन्त्रण के लिए सर्वे . . .

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने एक का जवाब दे दिया, अब एक का मैं दे दूं तो बात साफ हो जाएगी । क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय भूतल मंत्री ने आज से तीन महीने पहले एक यंत्र की बिक्री का उद्घाटन दिल्ली में किया था और वह यंत्र वाहन में लगाने के लिए बनाया गया था और उससे जितनी कार्बन मोनो आक्साइड एक गाड़ी के द्वारा छोड़ी जाती है उससे आधी कार्बन मोनो आक्साइड छोड़ी जाती है ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय सदस्य, वह अभी परीक्षण स्टेज पर ही है ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : परीक्षण नहीं, मैंने बिक्री कहा है । यह बताने की कृपा करें कि वह परीक्षण का समारोह कौनसी तारीख को आयोजित किया गया था ? क्या राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि वहां पर गया था ?

श्री अध्यक्ष : जो बात आपको कोटा में करनी चाहिए यहां क्यों कर रहे हैं । आप मेरे से बात करिये ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : वह अभी प्रचलित नहीं हुआ है । (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह सरकार की जानकारी में अगर आ गया . . .

श्री अध्यक्ष: आप सवाल से सम्बन्धित बात करिये ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जवाब में मंत्री महोदय ने कहा है कि परीक्षण के स्तर पर है । यह जानकारी दे दें कि कब राजस्थान सरकार की जानकारी में आया है कि यह परीक्षण स्तर पर है ?

श्री अध्यक्ष : हां, बिराजिये । पूछ रहे हैं कि कब ध्यान में आया कि परीक्षण स्तर पर है ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : जब इसका उद्घाटन हुआ था इसके बाद देश में एक केटेलेटिक कन्वेटर विकसित किया गया है जो अभी तक लोकप्रिय स्वीकार नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, पूछ रहे हैं आप ?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि इस समय सबसे अधिक प्रदूषण वाहनों के द्वारा जयपुर शहर में फैलाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि प्राइवेट और पब्लिक वाहनों के फिटनेस के वक्त आपके विभाग का कोई रोल आप प्ले करना पसन्द करेंगे ? जो प्रदूषण आज के मोबिल और दूसरे के द्वारा फैलाया जा रहा है इसका सबसे बड़ा कारण गाड़ियों की फिटनेस के समय हो रही धांधली है। यह सही है, मान्यवर, कि यातायात विभाग का फिटनेस से ताल्लुक है लेकिन प्रदूषण रोकथाम का माननीय मंत्री महोदय के विभाग से है। मैं चाहूंगा कि इसमें क्या आप तालमेल बैठाकर कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि जयपुर को प्रदूषण रहित बनाने की कोशिश हो सके ?

श्री अध्यक्ष : श्री घासीरामजी।

श्री घासीराम यादव (मुण्डावर) : महोदय, मैं आपके मार्फत मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी क्यों, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं न।

श्री घासीराम यादव : मुख्य मंत्रीजी से ही..

श्री अध्यक्ष : तो आप बैठिये फिर। मुख्य मंत्रीजी की जब बारी आएगी तब पूछना।

श्री घासीराम यादव : तब यह बता देंगे। क्या यह आप भी मानते हैं और आपके मुख्य मंत्रीजी भी मानते हैं कि इस मंत्री मंडल में प्रदूषण है और उसकी दुर्गन्ध हम को भी आती है ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : कभी-कभी तो अक्ल की बात कर लिया करो।

मुख्य-मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मुझसे उत्तर पूछा है तो मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले, जिसके निशान इनके कपड़ों पर 24 घन्टे मिलते हैं, श्री घासीरामजी है। (व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, पाल्यूशन कण्ट्रोल बोर्ड जन चेतना के माध्यम से प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा कंट्रोल के सारे अधिकार तो यातायात विभाग को है हम यातायात विभाग से सामंजस्य बैठाकर कैम्प लगाते हैं, उन कैम्पों में टैम्पो वाहन चालक बड़ी रूचि ले रहे हैं क्योंकि उनको जब जानकारी दी जाती है तो उनका पैट्रोल डीजल भी कम लगता है और प्रदूषण भी कम होता है, ऐसे पांच कैम्प जयपुर में लगाये गये हैं और जन चेतना ही इसका एक मात्र साधन है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जन चेतना तो ठीक है लेकिन जन चेतना क्या करेगी। लोग इतने स्वार्थी है, गाड़ियों को ठीक प्रकार से रखते नहीं है, रख-रखाव ठीक नहीं हो रहा है और प्रदूषण शहर में इतना फैल रहा है....

श्री अध्यक्ष : यह पर्यावरण वाले स्वार्थ कैसे हटायेंगे लोगों का ?

श्री रामनारायण चौधरी : पर्यावरण वालों को ही नियंत्रण करना पड़ेगा। जन चेतना से काम नहीं चलेगा। आप, मंत्री महोदय, यातयात विभाग से सम्पर्क बैठाकर इसमें मजबूत कार्यवाही करें ताकि जयपुर शहर में.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भंडारी का नाम बोल रहा हूं, आप बैठिये ।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, यह जो टेम्पों और स्कूटर चलते हैं इसमें स्कूटर में भी कैरोसिन की मिलावट करके कैरोसिन से स्कूटर चलाते हैं और टेम्पों में डीजल में भी कैरोसिन मिलाते हैं। इधर तो कैरोसिन की कमी होती है और जो स्कूटर कैरोसिन से चलते हैं, जोरदार आवाज का भी प्रदूषण करते हैं और धुंए का भी प्रदूषण करते है। स्कूटरों में कैरोसिन की मिलावट न हो और डीजल के अन्दर कैरोसिन की मिलावट नही हो, इसके लिए मंत्री महोदय कुछ कदम उठा रहे हैं क्या ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मिलावट का जवाब तो सप्लाई विभाग देगा ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री नरपत सिंह, श्री प्रताप सिंह सिंघवी ।

श्रीमती तारा भण्डारी : यह सप्लाई का नहीं है, स्कूटर में कैरोसिन भरकर चलाते हैं तो. . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये ।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, स्कूटर के अन्दर कैरोसिन भरा जाकर चलाये जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष : यह पर्यावरण विभाग क्या करेगा ।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात समझ लें, भले ही उत्तर नहीं आये। मेरी बात इतनी है कि जैसे पैट्रोल से स्कूटर चलाना चाहिये, स्कूटर चलाने वाले कैरोसिन पूरा भरकर उसके मुंह पर थोड़ा-सा पैट्रोल डालकर उस स्कूटर को स्टार्ट करते हैं और पूरे दिन कैरोसिन से स्कूटर चलाते हैं। यह मिलावट नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री नरपत सिंह राजवी ।

चुनाव प्रक्रिया के दौरान निषेधात्मक धाराओं के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण

348. **श्री नरपत सिंह राजवी** (चित्तौड़गढ़), श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) एवं **श्री मोतीलाल** (रूपवास) : क्या गृहमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पिछले लोक सभा चुनाव वर्ष 1991 में निषेधात्मक धाराओं के अधीन कितने लोगों के विरूद्ध चुनाव प्रक्रिया के दौरान कार्यवाही की गयी ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) गत विधान सभा चुनाव वर्ष 1993 के दौरान चुनाव प्रक्रिया की अवधि में (अधिसूचना जारी होने से मतगणना होने तक) निषेधात्मक धाराओं के अधीन कितने व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) भाग संख्या "क" एवं भाग संख्या "ख" में वर्णित प्रकरणों में कितने प्रकरण न्यायालय में लम्बित हैं एवं कितने प्रकरण न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत होने पर ड्राप किये जा चुके हैं ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

गृह मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) :

(1) लोक सभा चुनाव 1991 में कुल 8841 व्यक्तियों के विरूद्ध निरोधात्मक धाराओं के अधीन कार्यवाही की गयी है । जिलेवार सूची (परिशिष्ट "क") संलग्न है ।

(श्री कैलाश मेघवाल)

(2) विधान सभा चुनाव वर्ष 1993 के दौरान कुल 18774 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है। सूची (परिशिष्ट "ख") संलग्न है।

(3) लोक सभा चुनाव वर्ष 1991 के दौरान की गयी निरोधात्मक कार्यवाही के 701 व्यक्तियों के विरूद्ध प्रकरण न्यायालयों में विचाराधीन हैं एवं 3857 व्यक्तियों को न्यायालयों द्वारा कार्यवाही ड्राप कर छोड़ा गया है। इसी तरह विधान सभा चुनाव 1993 के दौरान किये गये इस्तगासों में 6195 व्यक्तियों के विरूद्ध प्रकरण न्यायालयों के विचाराधीन है और 1635 व्यक्तियों को न्यायालयों द्वारा कार्यवाही ड्राप कर छोड़ा गया है। जिलेवार सूचना (परिशिष्ट "क" एवं "ख") संलग्न कर प्रस्तुत कर दी गयी है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट–देखें।)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि विधान सभा चुनावों में प्रशासन द्वारा कितने मुकदमें दर्ज करवाये गये ? व अन्य लोगों द्वारा कितने मुकदमें दर्ज करवाये ? क्या सरकार ये दर्ज सभी मुकदमें वापस लेने का इरादा रखती है ?

श्री नरपत सिंह राजवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो सप्लीमेंट्री मैं इस पर पूछना चाहूंगा। पहला तो यह कि बीकानेर में पुलिस अधीक्षक को क्या यह सूचना थी कि हरियाणा और पंजाब के लोग बूथ केप्चरिंग कर सकेंगे ? अगर उनको सूचना थी तो उन्होंने क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सारी कार्यवाहियां निश्चित रूप से धारा 107 से 116 सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत होती हैं और इनमें पुलिस चालान पेश करती हैं। 1991 के सब निपट चुके हैं और यह प्रश्न आने के बाद एक स्थिति जो सामने आयी है वह यह है कि धारा 116 के अन्तर्गत जो कार्यवाही होती है वह इन्क्वायरी छह महीने के अन्दर-अन्दर पूरी हो जानी चाहिये, छह महीने में पूरी नहीं होने पर अपने आप वह ड्राप होती है अन्यथा ट्रायल में जो मजिस्ट्रेट इन्क्वायरी करते हैं उनको विशेष कारण बताकर इस अवधि को आगे बढ़ाने का अधिकार है। 1991 से अभी तक यह किस तरह आगे बढ़ रहे हैं यह जानकारी मैं करूंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी यह हो।

चित्तौड़गढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सवाल पूछा है उसका सीधा जवाब अभी देने की स्थिति में इसलिए नहीं हूं कि किस–किस एस.पी. को किस–किस तरह की गुप्त सूचना चुनाव के दौरान थी, इस बारे में मैंने इस सवाल की तैयारी में जानकारी प्राप्त नहीं की। यह सवाल उन्होंने पूछा है, मैं नियमों के अनुसार जानकारी प्राप्त करके उनको सूचित कर दूंगा।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह पूछ रहे हैं, पहले प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, पुलिस अधीक्षक को सूचना थी, पुलिस अधीक्षक ने आगे कार्यवाही करने के लिए आदेश भी दिये 9 तारीख को और उसके पश्चात् 11 तारीख को कुछ अरेस्ट भी हुए

(श्री नरपतसिंह राजवी)

जाप्ता कार्यवाही जो फरमा रहे हैं। लेकिन वह किस समय हुई ? 4 बजे, 5 बजे, साढ़े 6 बजे ? ट्रक्स पकड़ गये 5 बजे के बाद, तो वह प्रिवेन्टिव हुई या पोस्ट इलेक्टोरल फालआउट है ? यह अगर राजनीति से प्रेरित है तो अधिकारियों के विरुद्ध कोई जांच करने की व्यवस्था की है क्या ?

श्री कैलाश मेघवाल : जो जानकारी चित्तौड़गढ़ से आने वाले माननीय विधायक दे रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि सवाल इस तरह का था उसमें इस तरह की विस्तृत जानकारी मैंने प्राप्त करने की आवश्यकता समझी नहीं। अब वह इलेक्ट्रोरल केस रजिस्टर्ड हुए हैं या प्रिवेन्टिव एक्शन्स के अन्तर्गत हुए हैं, क्योंकि प्रिवेन्टिव एक्शन्स जो लिये हैं वह तो जानकारी आ गयी है, अगर इलेक्ट्रोरल आफेन्सेज कुछ है दूसरे, उसमें कुछ किया है तो वह जानकारी भी मैं हासिल कर लूंगा और मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि जो भी जानकारी वह दे रहे हैं उस जानकारी के आधार पर ठीक तरह से कार्यवाही करके जहां जिसका जिस तरह का उत्तरदायित्व निर्धारण होगा उसके खिलाफ उस तरह की कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीलाल।

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, इसमें +++ बूथ कैप्चरिंग की है। उसके बावजूद यह इतनी साधारण बात मानी जा रही है It is not that it is not known.

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने लिखित में रिटनिंग आफिसर को दिया था कि मलिक वगैरह इस तरह की बदमाशियां कर रहे हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी: अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि +++ वहां आए थे बूथ कैप्चरिंग करने के लिए, उसमें से एक डी.वाई.एस.पी. की डैथ भी हो गयी जब कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य पर फायर किया गया था। यह कोई साधारण घटना नहीं है। उसके बाद वहां पर जाप्ता कार्यवाही नहीं की गयी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर मध्य रात्रि को हमला किया गया। उसके बाद एस.पी. स्वयं उनका पीछा करके विश्नोई धर्मशाला तक गये हैं। कितने आदमियों को गिरफ्तार किया गया कोई पता नहीं है। गिरफ्तार किये हैं प्रिवेन्टिव एक्शन में, उस एक्ट को प्रिवेन्ट करने के लिए। इलेक्शन के बाद अगर पकड़े हैं तो फिर प्रक्रिया प्रिवेन्टिव कहां हुई ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह का सवाल है और जिस तरह से लेखबद्ध किया है उसमें निरोधात्मक कार्यवाही के बारे में ही पूछा गया है। यह मैंने प्रारम्भ में ही जैसा निवेदन किया. अगर कोई सब्स्टेंशियल आफेंसेज इलेक्शन लॉ के अन्तर्गत या किसी और दांडिक प्रक्रिया के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हुए हैं तो मैं जानकारी कर लूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कतई लाइट वे में नहीं ले रहा हूं, मैं निश्चित रूप से ··(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सवाल प्रक्रियाओं का है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय ने जो यह कहा है कि प्रश्न केवल निषेधात्मक के लिए पूछा है. यह नहीं है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्षः नहीं, नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : निषेधात्मक के लिए नहीं है, पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान का पूछा है। मंत्री महोदय साफ लिखा है, "पिछले लोक सभा चुनाव एवं गत विधान सभा चुनाव की प्रक्रिया की अवधि में" जो धारा (क) और (ख) है वह इस प्रकार का नहीं है कि केवल निरोधात्मक है, पूरी प्रक्रिया के लिए पूछा गया है। इसलिए आप इसको स्थगित करवा लें आपके पास जवाब नहीं है तो।

श्री नरपतसिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, स्थगित करवा दें। सूचना लेकर के दें तो कोई आपत्ति नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ रहा हूं, "पिछले लोक सभा चुनाव वर्ष 1991 में निषेधात्मक धाराओं के अधीन कितने लोगों के विरुद्ध चुनाव प्रक्रिया के दौरान कार्यवाही की गयी ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।" (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : माननीय मंत्री महोदय... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीलाल। उनका नाम है आप बैठिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अधिसूचना जारी होने से मतगणना तक लिखा है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री मोतीलाल (रूपवास) : अध्यक्ष महोदय, पिछले लोक सभा चुनाव वर्ष 1991 में निषेधात्मक धाराओं के अधीन कितने लोगों के विरुद्ध चुनाव प्रक्रिया के दौरान कार्यवाही की गयी ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

दूसरा गत विधान सभा चुनाव वर्ष 1993 के दौरान चुनाव प्रक्रिया की अवधि में अधिसूचना जारी होने से... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह सप्लीमेण्ट्री पूछ रहे हैं (व्यवधान)...

श्री मोतीलाल : मेरे क्षेत्र में से जो निकाले गये हैं उनके प्रति क्या कार्यवाही की जा रही है ? यह बताने की कृपा करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पढ़ लीजिये आगे।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने इसको बार-बार पढ़ा है। मैं आने के पहले पढ़ लेता हूं। चौमूं से आने वाले माननीय विधायक, आप स्वयं इसको पढ़िये कि गत विधान सभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रक्रिया की अवधि में अधि-सूचना जारी होने से मतगणना होने तक.. (व्यवधान)...ठीक है लेकिन आगे क्या लिखा है-निषेधात्मक धाराओं के अधीन। अब निषेधात्मक धारा, मैं तो 107 और 151 लेता हूं। मेरी समझ इतनी ही है, कानून की कि निषेधात्मक धारा सी.आर.पी.सी. की 107 से 116 है। इससे ज्यादा अगर आपकी समझ है तो आप समझ दे दें।.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा। माननीय सदस्य श्री रामस्वरूप मीणा का नाम पुकार रहा हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले लोक सभा चुनाव में मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र टोडाभीम में कितने बूथ कैप्चरिंग के केस दर्ज हुए ? माननीय मंत्री महोदय बतायें कि उन पर क्या कार्यवाही हो रही है ? कार्यवाही नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है और अब कब तक कार्यवाही हो जाएगी ?

श्री अध्यक्ष : यह सवाल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। आप पूछिये, श्री परसादीलाल जी।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : जिलेवार सूची पूछी है श्रीमन्। मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र टोडाभीम में कितने बूथ कैप्चरिंग के केस दर्ज हुए हैं उनके बारे में सवाल पूछा है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री परसादीलाल मीणा : जब मुख्य मंत्रीजी के पास गृह विभाग था, विधान सभा चुनाव के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए हैं; चाहे वह किसी भी धारा के अन्तर्गत हों, उनके लिए आई.जी. लेवल के अधिकारी को नियुक्त किया है, उनकी रिपोर्ट मांगी है। क्या उन मुकदमों के चालान दर्ज कर दिये गये हैं और उनमें जो नामजद मुलजिम हैं क्या उनकी गिरफ्तारी अब तक हुई हैं ? मैं, अध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा कि एक भी मुलजिम की हमारे दौसा जिले में अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है।....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक बात सुनिये। यह सवाल... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, चाहे आगजनी के हों या दूसरी बात के हों..।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, ऐसा नहीं है। इस प्रश्न का यह अर्थ नहीं है। इसमें साफ तौर से पूछा है कि निषेधात्मक कार्यवाही प्रक्रिया के अन्तर्गत..

श्री परसादीलाल मीणा : चुनाव की प्रक्रिया के दौरान किये गये ना ?

श्री अध्यक्ष : हां, हां तो केवल निषेधात्मक। प्रिवेन्टिव एक्शन, नथिंग एल्स। कोई अपराध की बात नहीं पूछी गयी है ? प्रिवेन्टिव एक्शन क्या लिये गये।

श्री परसादीलाल मीणा : सरकार ने आई.जी. लेवल के अधिकारी नियुक्त किये हैं, यह गृह मंत्री महोदय की जानकारी में होगा।

श्री अध्यक्ष : अधिकारी नियुक्त किये हैं, वह सही है।

श्री परसादीलाल मीणा : आई. जी. लेवल के अधिकारी उन मुकदमों की जांच के लिए नियुक्त किये हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : वह प्रिवेन्टिव एक्शन की बात कर रहे हैं और आप मुकदमों की बात कर रहे हैं, यह इससे सम्बन्धित नहीं है। श्री टीकमचन्द कान्त।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बता सकते हैं कि+++रेवदर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर बूथ कैप्चरिंग के लिए पहुंची थी ? उस पर क्या एक्शन हुआ है ?

श्री कैलाश मेघवाल : यह अलग से प्रश्न है, यह जानकारी प्राप्त करके माननीय सदस्य को दे दूंगा।

श्री परसादीलाल मीणा : उन्होंने बूथ कैप्चरिंग किया है।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल का जवाब आने दीजिये।

+++अभिव्यक्ति अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री परसादीलाल मीणा : जिनको 107 और 117 में पाबन्द किया था, उन्होंने बूथ कैप्चरिंग किया है, फिर पाबन्द करने से फायदा क्या हुआ ? जिन लोगों को 107 और 117 में माननीय मंत्री जी ने पाबन्द किया था उन्होंने बूथ कैप्चरिंग की है ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये ।

श्री नरपत सिंह राजवी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन अभी भी जनरल है जिसका जवाब नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष : आप, टीकमचन्दजी पूछ रहे थे ना ? इसका जवाब दीजिये फिर आप ।

श्री कैलाश मेघवाल : एक स्पेसिफिक केस के लिए पूछा है सिवाना से आने वाले माननीय विधायक ने कि रेवदर में कोई+++और उन्होंने वहां बूथ कैप्चरिंग किया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, वह इसके अन्तर्गत नहीं है । बूथ कैप्चरिंग का कोई मुकदमा दर्ज हुआ होगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सवाल से सम्बन्धित नहीं होते हुए भी मैं उस बारे में माननीय सदस्य को जानकारी करा दूंगा और उसमें जो भी कानूनी कार्यवाही हो सकेगी... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : राजस्थान के भूतपूर्व मंत्रियों ने बूथ कैप्चरिंग की है और उनकी फाइलें यह दबाकर बैठे हुए हैं और उनके चालान नहीं हो रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री अर्जुनदास मदान । ..(व्यवधान), श्री अर्जुनदास मदान ।.. (व्यवधान).. बैठिये, बैठिये आप । प्लीज ।.. (व्यवधान).. नहीं आप बैठिये । आर्डर प्लीज, बैठिये । (व्यवधान)

श्री रामनारायण (नैनवां) :- अध्यक्ष महोदय, बहुत सीरियस मामला है ।..

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायणजी, मैं आपका नाम ले रहा हूं । आप बैठिये, (व्यवधान) विराजिये You understand what I mean ? मैं आपका नाम लेने की बात कह रहा हूं, समझते हैं आप इस बात को । आप इस बात को समझ रहे हैं कि मैं आपका नाम ले रहा हूं । प्लीज सिट डाउन । बैठिये आप । श्री मदान साहब, आप पूछिये ।

एक माननीय सदस्य : जवाब तो इनका नहीं आया है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आर्डर प्लीज । हां, बोलिये आप ।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर): प्रश्न संख्या 348 में व्यवस्था दीजिये कोई ।

श्री अध्यक्ष : हां बोलिये ।

प्रदेश में खोले गये आयुर्वेदिक, यूनानी व होमियोपैथिक चिकित्सालय

349. **श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा)**: क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत पांच वर्षों में प्रदेश में कितने आयुर्वेदिक, यूनानी और होमियोपैथिक चिकित्सालय खोले गये ? वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार वर्ष 1994-95 में नये चिकित्सालय (तीनों ही प्रकार के) खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितने-कितने ?

+++अभिव्यक्ति अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री अर्जुनदास मदान)

(3) विभाग में वैद्य, कम्पाउण्डर्स, नर्स और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं और उन्हें कब तक भर दिया जायेगा ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री अचला राम):

(1) गत पांच वर्षों में (वर्ष 1988–89 से 1992–93 तक) राज्य में नवीन स्वीकृत किये गये विभागीय औषधालयों का वर्षवार ब्योरा सदन की मेज पर रख दिया गया है। (व्यवधान)

(2) जी हां। वर्ष 1994–95 में 5 नवीन औषधालय केवल जनजाति क्षेत्र में खोलना प्रस्तावित है। चिकित्सा पद्धति का निर्धारण अभी नहीं किया गया है।

(3) आयुर्वेद चिकित्सकों, नर्स/कम्पाउडर्स तथा परिचारकों की नवीन नियुक्ति हेतु उपलब्ध स्पष्ट रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार हैं:–

नाम पद	रिक्त पदों की संख्या
1. आयुर्वेद चिकित्सक	110
2. नर्स/कम्पाउण्डर्स	97
3. परिचारक	215

आयुर्वेदिक चिकित्सक के पदों पर नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रसारित कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं।

नर्स/कम्पाउण्डर्स के रिक्त पदों पर आगामी त्रैमास में नियुक्ति करने की कार्यवाही की जा रही है।

परिचारकों के रिक्त पद शीघ्र भरने हेतु सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारियों को सम्भागीय आयुक्त से अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए निर्देश दिये जा चुके हैं।

(ब्यौरे के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें।)

श्री अर्जुनदास मदान : अध्यक्ष महोदय, खण्ड-एक में तो मुझे कुछ नहीं निवेदन करना, खण्ड-दो में जैसा मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, क्या मुझे यह बता पायेंगे कि जो पद्धतिवार नियुक्ति होगी, कितने दिनों में आप उसका अन्तिम निर्णय ले पायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री अचला राम : जिस स्थान की जिस तरीके की मांग आती है, सिर्फ 5 औषधालय है उसमें से कोई ऐसा स्थान हो तो उस पर होमियोपैथी खोलना या यूनानी खोलना है तो उसकी मांग के अनुसार, गुणावगुण के आधार पर निश्चित कर दिया जाएगा लेकिन अभी तक यह आधार तय नहीं हैं।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं वही तो निवेदन कर रहा हूं कि कब तक इसका निर्धारण कर लेंगे आप ? यही तो मेरा सवाल था।

श्री अचला राम : यह स्वीकृति जो है, इसको खोलने से पूर्व आधार तय कर दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री अर्जुनदास मदान : मेरा निवेदन यह है कि यूनानी खुलेगा या होमियोपैथिक खुलेगा या एलोपैथिक खुलेगा ?

श्री अचला राम : मांग होने पर उसके आधार पर जल्दी ही उस पर विचार करके यह तय कर दिया जाएगा, जिसकी सूचना हम आपको दे सकते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : मांग क्या होगी ? सैंकड़ों पद खाली है, 100 से ऊपर कम्पाउण्डर्स, 200 से ऊपर ....

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, मुख्य प्रश्नकर्त्ता पूछ रहे हैं सैकण्ड सप्लीमेन्ट्री।

श्री रामनारायण चौधरी : वे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : वे तो कहे कि जवाब नहीं दे रहे हैं। आप देखिये, केवल मंत्रीजी

(13)

(श्री अध्यक्ष)

को ही मत सुनाइये। मुझे भी सुनना है तो आप जोर से बोलिये, मैं आपकी बात सुन नहीं पा रहा हूं।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं जोर से बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, ज़ोर से बोलिये थोड़ा।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, नीतिगत निर्धारण की बात आपने कही, नीतिगत निर्धारण में यह तो नियम होगा कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में आप उसका निर्धारण कर लेंगे?

श्री अचला राम : अभी तक यह तय नहीं है कि दो महीने बाद खोलेंगे या एक महीने के बाद खोलेंगे। यह तो मैं कह रहा हूं कि खोलने से पूर्व उसको तय कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री अर्जुन दास मदान : अध्यक्ष महोदय, एक मेरा निवेदन और है। तीसरे खंड में मैंने आपसे पूछा था कि कितने स्थान रिक्त हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : ये रिक्त स्थान कितने समय में भर दिये जायेंगे, अध्यक्ष महोदय? यह राजस्थान का सवाल है। यह मंत्री महोदय और माननीय सदस्य.....

श्री हीरालाल इन्दौरा : बहुत से औषधालय ऐसे हैं..

श्री अध्यक्ष : ये पद नहीं है। यह पदों का सवाल नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय मंत्री जी और माननीय सदस्य..

श्री अध्यक्ष : यह पदों का प्रश्न नहीं है। यह पदों का नहीं है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : वैद्य जाते नहीं हैं, 3-3 महीने वैद्य घरों में बैठे रहते हैं.. (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह पूरे राजस्थान का मामला है, यह पूरे सदन का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अर्जुन दास मदान : अध्यक्ष महोदय, खण्ड तीन का आपका जो जवाब आया है, मैं यह निवेदन कर दूं आपसे कि डायरेक्टर से लेकर चपरासी तक के पद रिक्त हैं आज की तारीख में डायरेक्टर का पद, डिप्टी डायरेक्टर का पद जिला आयुर्वेद अधिकारियों के पद, चिकित्सकों के पद, कम्पाउण्डर्स के पद, नर्सों के पद, चपरासी के पद और ऐसा कोई पद नहीं है आयुर्वेद विभाग में, कि रिक्त नहीं हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप इनको बोलने नहीं देंगे? यह क्या बात हुई? वह प्रश्न कर रहे हैं और आप बीच-बीच में बोल रहे हैं। यह क्या तरीका है आपका? (व्यवधान)

श्री अर्जुनदास मदान : अध्यक्ष महोदय मेरा यह निवेदन था कि आयुर्वेद विभाग में.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे पता है सब आखिरी दिन का।

श्री अर्जुनदास मदान : चाहे आप असेण्डिग आर्डर में लें, चाहे आप डिसेण्डिग आर्डर में लें, कोई भी ऐसा स्थान आपको नहीं मिलेगा, डायरेक्टर का पद रिक्त है, डिप्टी डायरेक्टर का पद रिक्त है, जिला आयुर्वेद अधिकारियों का है, चिकित्सकों

(श्री अर्जुनदास मदान)

का है, नर्सों का है, चपरासी का है, मैं आप से कहता हूं चाहे आप डिसेण्डिग ले लें, चाहे आप असेण्डिग ले लें, मान्यवर, कोई भी ऐसा पद नहीं है आयुर्वेद विभाग में, जो रिक्त नहीं पड़ा हो तो यह सारे स्थान कब तक भरने की योजना बताते हैं, मंत्री महोदय, यह मेरा निवेदन है।

श्री अचला राम : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने केवल वैद्य, कम्पाउण्डर्स, नर्स और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से संबंधित ही यह जानकारी मांगी है, इस सम्बन्ध में मैंने जानकारी दे दी है। इन्होंने और रिक्त पदों की जानकारी चाही है तो मैं इनको अलग से जानकारी दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : यह सदन की प्रोपर्टी है। (व्यवधान)

श्री अचला राम : यह अलग से प्रश्न करें।

श्री हीरालाल इन्दौरा : सदन की प्रापर्टी है, सदन में आनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अचला राम : यह अलग से प्रश्न किया है, इसलिए अलग से दे दूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : तमाम औषधालय खाली पड़े हैं, वैद्य वहां नहीं, कम्पाउण्डर्स वहां नहीं, परिचायक वहां नहीं (व्यवधान) यह व्यक्तिगत थोड़ा ही है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मान्यवर, यह पूरे राजस्थान का मुद्दा है और इसे सदन में बताया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : प्रश्न संख्या 350, मैं आपसे कहूंगी पहले, आप जागरूक रहकर प्रश्न को सुनिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। आप बैठिये, बैठिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, औषधालयों में वैद्य जा नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आप मंत्री रह चुके हैं. I think you know better than me the rules and procedure of this House. Now I have called next question. I have called next question. आप बैठिये, प्लीज सिट डाउन। प्लीज राधेश्याम जी, बैठियें। मैं निवेदन कर रहा हूं, बिराजिये आप। हां, बोलिये मंत्रीजी।

प्रदेश में एक अंक वाली लाटरियों पर प्रतिबंध

350. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या अल्प बचत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को प्रतिदिन नतीजों व अंतिम अंक पर पुरस्कार घोषित करने वाली लाटरियों पर प्रतिबन्ध लगाने के उपाय करने का सुझाव दिया है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकार की लाटरियों पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक प्रतिबन्ध लगा दिया जाएगा ?

(3) क्या यह सही नहीं है कि अंतिम अंक पर पुरस्कार घोषित करने वाली लाटरियों पर सट्टा लगाया और खाया जाता है ?

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(4) यदि हां, तो क्या यह गैरकानूनी नहीं है ? यदि है, तो क्या सरकार उक्त प्रकार की लाटरियों पर प्रतिबन्ध लगाने की शीघ्र घोषणा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी बोलिये ।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : यह कोई बात नहीं है, यह तो बहुत गलत बात है । (व्यवधान) आप हर बात को (व्यवधान) हरेक का नाम पुकारेंगे आप । किसीको बोलने नहीं देंगे आप । (व्यवधान)

राज्य मंत्री, अल्प बचत (श्री जसवन्त सिंह विश्नोई) : (1) जी हां ।

(2) जी नहीं । परन्तु राज्य सरकार वर्तमान लाटरी योजनाओं की संरचना में परिवर्तन बाबत विचार कर रही है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : थोड़ा जोर से बोलिये, जोर से । (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, शोरगुल में मंत्री महोदय का उत्तर बिलकुल सुनने में नहीं आया । दुबारा से बुलवाइये ।

श्री अध्यक्ष : फिर से बोलिये । आप शांति से सुनिये ।

श्री जसवन्त सिंह विश्नोई : (1) जी हां ।

(2) जी नहीं । परन्तु राज्य सरकार वर्तमान लाटरी योजनाओं की संरचना में परिवर्तन बाबत विचार कर रही है ।

(3) इस बारे में कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है । प्रमाण के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता है कि लाटरी ड्रा में खुलने वाले अन्तिम अंक पर निजी तौर पर सट्टा लगाया जाता है अथवा नहीं ।

(4) सट्टा लगाया जाना गैरकानूनी है, जबकि राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही लाटरी गैरकानूनी नहीं है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, खण्ड एक में 'जी हां' कहा है । केन्द्र सरकार ने आपको दिशा-निर्देश दिये हैं और आपके पास पहुंच गये हैं तो मैं पूछना चाहूंगी कि क्या आप सम्पूर्णत: लाटरी बन्द करना चाहेंगे ? आपने दो रुपये की लाटरी बन्द की है, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं लेकिन सब तरह की लाटरी और सट्टे को बन्द करने के लिये कब विचार करेंगे ? आपने खण्ड दो में जो कहा है मैं पूछना चाहूंगी कि आपने क्या कोई ऐसी समिति बनायी है, क्या कोई समिति बनाने का विचार रखते हैं ? यदि रखते है तो किस प्रकार से विचार करेंगे ? आप लाटरी बन्द करेंगे अथवा नहीं करेंगे ? मैं मंत्री महोदय से खण्ड तीन के माध्यम से पूछना चाहूंगी, आपको यह अवगत है कि लोग एक अंक वाला सट्टा लगाते हैं और खाते हैं तो क्या आप इस प्रकार की प्रक्रिया जो असामाजिक तरह से, गैरकानूनी रूप से चल रही है, को बन्द करने का विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार का जो पत्र आया है उसमें सुझाव थे, उसमें कोई बन्द करने के निर्देश नहीं थे । फिर भी राज्य सरकार ने दो रुपये की लाटरी बन्द करके इससे जो आमदनी थी वह बंद

(श्री जसवन्त सिंह विश्नोई)

की है। आज के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में दो रुपये की लाटरी बिक रही है। वहां पर भी इस तरह का पत्र भेजा गया था। फिर राजस्थान सरकार ने सबसे पहले दो रुपये की लाटरी बंद की है। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार को अवगत है कि इन लाटरीज के कारण से अब तक कितने घर बरबाद हो चुके हैं, कितने लोग आत्महत्या कर चुके हैं, अपराध कितने बढ़ रहे हैं, शोषण की स्थिति कितनी बढ़ चुकी है? राज्य सरकार इस सम्बन्ध में इन लाटरीज को जारी रखने का विचार रखती है, मैं समझती हूं कि नहीं रखना चाहिए। मुख्य मंत्रीजी यहां बैठे हैं, उत्तर दें कि वे इन सब प्रकार की लाटरीज को कब तक बंद कर देंगे?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, इस बात की तो कोई जानकारी नहीं है कि कितने आदमियों ने लाटरियों के कारण से आत्महत्या की है (व्यवधान) आपको आत्महत्या की रिपोर्ट आती होगी, मुझे तो जानकारी नहीं है कि कितने आदमियों ने आत्महत्या की है, कितने आदमी बरबाद हुए हैं। इसके तो आंकड़ें नहीं है, माननीय सदस्य के पास आंकड़ें होंगे और आपके पास आंकड़ें हैं तो आप मुझे बता देना, उस आधार पर विचार कर लिया जायेगा।

प्रश्न यह आता है कि लाटरियां बन्द करना यह एक स्टेट का काम नहीं रहा। आज मैं यहां राजस्थान में लाटरी बन्द करूंगा तो दूसरे राज्यों में जहां-जहां लाटरियां हैं वे यहां पर बिकती रहेंगी। प्रश्न यह आएगा कि राजस्थान का पैसा दूसरे राज्यों में जाएगा। यह तो आल इण्डिया लेवल पर इस बात का फैसला होगा कि इन लाटरियों को बन्द किया जाए तभी इसके ऊपर निर्णय हो सकता है जिससे यह लाटरी बिकने की प्रथा रुके। आज एक राज्य में कर दें, आज हमने दो-दो रुपये की लाटरी बन्द की है लेकिन अन्य राज्यों में दो रुपये वाली लाटरी चल रही है वो बिकेगी और उसके कारण से जो नुकसान होगा वह नुकसान भोगने के उपरांत भी हमने फैसला किया कि इसको हम बन्द करेंगे। इसलिए इस पर आल इण्डिया लेवल पर जब तक विचार नहीं होगा, मैं इतना ही कह सकता हूं सदन के माननीय सदस्यों की भावना के अनुसार इस लाटरी प्रथा के सम्बन्ध में मैं भारत सरकार को अपनी ओर से निश्चित रूप से पत्र लिखूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री दयाराम परमार।

श्रीमती कमला (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहती हूं।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : अब इस पर डिबेट तो नहीं हो सकती।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, यह महिला और बच्चों का मामला है।

श्री अध्यक्ष : आपको भाषण देने की क्या जरूरत है। आप भाषण बाद में दो।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, दो रुपये की जो लाटरी मुख्य मन्त्रीजी ने बन्द की है ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री दयाराम परमार। (व्यवधान) आर्डर प्लीज, श्री दयाराम परमार। माननीय मंत्रीजी। जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्रीजी। (व्यवधान) बोलिये। ये तो बोलेंगे मानेंगे नहीं। आर्डर प्लीज। बोलिये मंत्रीजी। मंत्री महोदय बोलिये। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, यह भारत सरकार को लिखने का सवाल नहीं है। वह तो आप लिखते रहिये लेकिन दो रुपये की जो लाटरी आपने बंद की है वह सरकार को घाटा दिलाती थी इसलिए बन्द की है और दूसरी जो लाटरी हैं उनके अन्दर आपने संख्या बढ़ा दी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनका अंकित मत करिये।

श्रीमती कमला : ××××

श्रीमती तारा भण्डारी : ×××

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

श्रीमती कमला : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री हीरालाल इन्दौरा : ×××

श्री अध्यक्ष : श्री दयाराम परमार। प्रश्न संख्या 351.

शल्य चिकित्सा व आयुर्वेद शिविरों पर व्यय

351. **श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा):** क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जनजाति उप योजना के अन्तर्गत शल्य चिकित्सा शिविर एवं आयुर्वेद शिविर लगाये जाते हैं ? यदि हां, तो वर्ष 1992–93 और 1993–94 में कुल कितनी धनराशि का प्रावधान रखा गया था और कितनी खर्च हुई ?

(2) क्या यह भी सही है कि जनजाति क्षेत्र में जितने भी अस्पताल या आयुर्वेदिक औषधालय हैं वहां पर मरीजों को देने के लिए कोई दवाई नहीं होती ? यदि हां, तो उसके लिए सरकार क्या विचार कर रही है ?

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री नन्द लाल मीणा) : (1) जी हां। यह सही है कि जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा प्रदत्त राशि से सम्बन्धित विभागों द्वारा शल्य चिकित्सा शिविर एवं आयुर्वेद शिविर आयोजित किये हैं। वर्ष 92–93 व 93–94 में विभाग द्वारा इस हेतु दी गयी राशि व सम्बन्धित विभागों द्वारा खर्च की गयी राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

वर्ष		आवंटन (लाखों में)	शिविरों की संख्या	व्यय
1.	चिकित्सा 1992–93	3.20	8	1,71,833
2.	आयुर्वेद 1992–93	2.40	6	2,40,000
1.	चिकित्सा 1993–94	4.80	12	2,00,000
2.	आयुर्वेद 1993–94	2.40	6	2,40,000

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किये गये।

(श्री नन्द लाल मीणा)

(2) इन विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार यह सही नहीं है कि जनजाति क्षेत्र में जितने भी अस्पताल या आयुर्वेदिक औषधालय हैं वहां पर मरीजों को देने के लिए दवाई नहीं होती है। सम्बन्धित विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार इन औषधालयों में निर्धारित आबंटन अनुसार दवाई उपलब्ध होती है।

श्री दयाराम परमार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं। आपने गत दो वर्षों में जो कैम्प्स लगाये उन कैम्प्स में 12.80 लाख रुपया आपको खर्च करना था उसमें से 8.50 लाख रुपये के लगभग आपने खर्च किया। मैं यह जानना चाहता हूं इन कैम्प्स में कितने मरीजों का आपने इलाज किया ?

श्री नन्द लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय वर्ष 1992–93 में उदयपुर जिले में दो कैम्प किये जिन पर 80 हजार रुपये का खर्चा हुआ और 1824 मरीज इससे लाभान्वित हुए। इसी तरह से 1992–93 में मोबाइल सर्जीकल कैम्प किया। उदयपुर जिले में दो कैम्प आयोजित किये गये इनमें 359 मरीजों को लाभान्वित किया गया। 1992–93 में उदयपुर में 1.20 लाख का आबंटन हुआ और 286 मरीजों को लाभान्वित किया गया।

श्री दयाराम परमार : अध्यक्ष महोदय, ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत जो इस तरह के कैम्प लगाये जाते हैं उसमें रुपया तो बहुत खर्च होता है लेकिन मरीजों का इलाज नहीं के बराबर होता है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि ट्राइबल एरिया के जो होस्पिटल्स हैं, चाहे वे एलोपैथिक हों या आयुर्वेदिक हों, उस पैसे को क्यों नहीं आप वहां दवाई खरीदने के लिए या दवाई वहां होस्पिटलों में रखने के लिए खर्च करने का प्रावधान करते?

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, भौगोलिक रूप से ट्राइबल सब प्लान एरिया दूर-दराज में रहने वाले आदिवासियों का इलाका है। यहां पर आयुर्वेद के चिकित्सालय और स्वास्थ्य केन्द्र या पी.एच.सी. हैं वे नॉर्म्स के आधार पर खोले जाते हैं। वहां पर ये चिकित्सा के शिविर बड़े ही उपयोगी साबित होते है। जहां तक माननीय सदस्य का कहना है कि जो भी राशि आबंटित की जा रही है उसके अनुपात में रोगियों को लाभान्वित नहीं किया जा रहा है, यह बात कुछ हद तक तो सही है। इसके लिए हम विस्तार से प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करेंगे और इसके साथ-साथ हम यह चाहते हैं कि अधिक से अधिक शिविर लगें। इसमें माननीय सदस्य जो चाहते हैं हमको सहयोग दें ताकि उन लोगों को उनके घर पर चिकित्सा की व्यवस्था पहुंचायी जा सके।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल इन्दौरा।

श्री दयाराम परमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल और है।

श्री अध्यक्ष : आपके दो सवाल हो गये। और लोग नहीं पूछ पाएंगे।

श्री दयाराम परमार : मेरा एक प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष : बाकी को मना कर दोजिये, आप ही पूछ लीजिये सबकी तरफ से, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष जी, ट्राइबल एरिया में आयुर्वेदिक

(श्री दयाराम परमार)

औषधालयों के लिए दो हजार रुपया सालाना दवाइयों के लिए देते हैं। दो हजार रुपये में वे कितने मरीजों को दवाई दे पाते है ? वहां साल भर औषधालय में डॉक्टर, कम्पाउण्डर बैठे रहते हैं। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं, आप कैम्पों में दो-दो लाख, चार-चार लाख रुपया खर्च करते हो तो क्यों नहीं आप आयुर्वेदिक औषधालयों में दवाइयां देते ताकि अधिक से अधिक मरीजों को फायदा हो सके ? यह मेरा निवेदन है।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आदिवासी समाज में कुछ ऐसी परम्पराएं हैं कि देवी देवताओं को आधार मानकर वहां पर चिकित्सा की जाती है। (व्यवधान) उसके निवारण के लिए जनजाति विकास विभाग आने वाले बजट में प्रावधान करेगा ताकि उनको जागरूक किया जाए ताकि वे अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचे।

अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद विभाग के जो राज्य स्तर पर नॉर्म्स हैं उसके आधार पर जो इन्डोर पेशेन्ट होता है उसको प्रति मरीज 3 रुपये दिया जाता है और आउटडोर पेशेन्ट को एक रुपया दिया जाता है। उसके आधार पर जनजाति विकास विभाग को पैसा आबंटित किया जा रहा है और खर्च हो रहा है। परन्तु जहां माननीय सदस्य का सवाल है कि मरीजों का उपचार नहीं होता, उसके पीछे यही कारण है कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है और इतने दूर-दराज में आयुर्वेद औषधालय हैं जिनकी दूरियां इन गांवों के काफी फासले में हैं, इस वजह से वहां पर पहुंच नहीं पाते हैं। अब व्यवस्था यह की जा रही है कि और भी यहां पर औषधालय खोले जाएं ताकि उनको लाभ पहुंचाया जा सके।

श्री हीरालाल इन्दोरा : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष 12 लाख का प्रोविजन रखा गया था और 8 लाख रुपया शल्य चिकित्सा पर खर्च किया गया। 4 लाख बाकी बच गया, इसका क्या कारण है ? क्या आपके कैम्प्स की परफारमेंस अच्छी नहीं थो या दूसरे कारण थे।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद शिविर और शल्य चिकित्सा शिविर लगाने के लिए 40 हजार रुपया प्रति शिविर के लिए आवंटित है। हो क्या रहा है कि उस इलाके में स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, और भी परोपकार की भावना से कार्य करने वाले लोग वहां पर हैं, उस इलाके में भोजन की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था अपने निजी खर्च से करते हैं। इस वजह से इस पैसे का आवंटन हुआ है और आज ही मैंने निर्देश दिया है कि जो पैसा बचा है 31 मार्च के पहले डूंगरपुर जिले में, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही और चित्तौड़ गढ़ जिले में कैम्प लगा करके उस पैसे का उपयोग किया जाए।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री आर. पी. शर्मा।

भरतपुर शहर में विद्युत आपूर्ति

352. **श्री आर. पी. शर्मा** (भरतपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि भरतपुर शहर में विद्युत की अव्यवस्था के कारण प्राय: अन्धेरा रहता है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या का स्थायी समाधान कब कर दिया दिया जाएगा ?

20

ऊर्जा मंत्री (श्री रघुबीर सिंह कौशल): जी नहीं, भरतपुर शहर में तकनीकी व्यवधान को छोड़कर विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है। शहर में सार्वजनिक प्रकाश हेतु विद्युत व्यवस्था स्थानीय नगर परिषद द्वारा संचालित की जाती है। आयुक्त, नगर परिषद, भरतपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार नगर परिषद द्वारा अपने क्षेत्र में जहां-जहां विद्युत स्तम्भ लगे हुए हैं उन पर बल्ब, ट्यूब लाइट, सोडियम आदि समय-समय पर खराब होने पर बदले जाते हैं। नगर परिषद ने अधिक सुधार लाइट व्यवस्था में लाने हेतु हाल ही में 60 सोडियम बल्ब क्रय किये हैं जिन्हें शहर के मुख्य-मुख्य स्थानों पर लगवाया जा रहा है।

श्री आर. पी. शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा। भरतपुर में रोड लाइट्स और स्ट्रीट लाइट के कुल मिलाकर चार हजार खम्भे हैं उनमें से आज सिर्फ डेढ़ हजार खम्भों पर ही बल्ब या लाइट जल रही है। जैसा मैंने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा था कि अव्यवस्था के कारण क्या भरतपुर में अन्धेरा रहता है, मंत्रीजी ने कहा—'जी नहीं।' अगर तकनीकी कारण नहीं होने से अन्धेरा रहता है तो मंत्रीजी बतायें और यदि तकनीकी कारण हैं तो कब तक लाइट व्यवस्था ठीक हो जाएगी? और अगर तकनीकी कारण नहीं हैं तो क्या स्वायत्त शासन मंत्रीजी, जो यहां विराजमान हैं, इस व्यवस्था को करवाने में सक्षम रहेंगे? क्योंकि......

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न किसको पूछ रहे हैं आप?

श्री आर. पी. शर्मा: प्रश्न यह है ऊर्जा मंत्री का।

श्री अध्यक्ष: दोनों को पूछ रहे हैं?

श्री आर. पी. शर्मा: यस।

श्री अध्यक्ष: तो बैठिये। आपका प्रश्न डिसअलाउड। यह कायदे में नहीं है। प्रक्रिया में दो मंत्रियों से एक साथ सवाल नहीं हो सकता।

श्री आर. पी. शर्मा: ऊर्जा मंत्री यह कहते हैं, एक मिनट, श्रीमन्...

श्री हीरालाल इन्दौरा: यह तो स्वायत्त शासन मंत्री जी से पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप अपने प्रश्न तक सीमित रहिये।

श्री आर. पी. शर्मा: ऊर्जा मंत्रीजी का जवाब है...

श्री अध्यक्ष: मुझे यह बताइये कि आपके यहां जो डेढ़ हजार खम्भों पर लाइटें लगी हुई हैं वह तो जल रही हैं?

श्री आर. पी. शर्मा: डेढ़ हजार जल रही हैं, ढाई हजार खराब हैं, उसका कारण यह है कि...

श्री अध्यक्ष: ढाई हजार लाइटें लगी हुई हैं। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिये। ढाई हजार लाइटें लगी हुई हैं और जल नहीं रही हैं, यह है सवाल?

श्री आर. पी. शर्मा: हां जी।

श्री अध्यक्ष: हां बैठिये। बताइये अब आप। यह कह रहे हैं कि डेढ़ हजार लाइटें लगी हुई हैं वह जल रही हैं और ढाई हजार जल नहीं रही हैं।

श्री अरुण सिंह (डीग): यह क्या जवाब देंगे, नगर परिषद् का सवाल है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : ऐसा है, जो बल्ब खराब हो जाते हैं या बल्ब नहीं जलते हैं, यह तो नगर परिषद् का है। लेकिन माननीय सदस्य ने एक बार यह चर्चा की थी, मैं स्वयं भरतपुर गया था, चीफ इंजीनियर, एडीशनल चीफ इंजीनियर एस.ई. एक्स.ई.एन और ए.ई.एन. से मैंने इस संबंध में बातचीत की है और यह भी देखा कि वहीं तकनीकी व्यवधान तो इसमें नहीं है। मैंने यह पाया कि नगर परिषद् के पास स्टाफ कम है, देखरेख कम है, कभी-कभी वह लाइनों की देखरेख में जम्फर खुला छोड़ देते हैं उससे अंधेरा हो जाता है और मैंने सारा निकाल कर देखा कि 132 के वी. कितने घंटे बंद रही दो महीनों में, 33 के. वी. कितने घंटे बंद रही, तो वह नगण्य-सा है। वहां के जिलाधीश ने भी एक आदेश दे रखा है, जब नलों में पानी आवे उस समय लोग टिल्लू पम्प लगा लेते हैं जिससे टेल पर पानी नहीं जाता उस समय बिजली बंद करने के लिए वहां के जिला कलक्टर ने लिखकर भेजा हुआ है। इसके अलावा मैंने इसकी अच्छी तरह जानकारी ली है और दिन में दो बार भरतपुर के लिए मैं चीफ इंजीनियर से पूछता हूं कि वहां पर व्यवस्था ठीक है या नहीं। यदि इसके उपरांत भी माननीय सदस्य कोई बात बतायेंगे तो मैं उसकी जानकारी लूंगा और विभाग के स्तर पर उसे सुधारने का प्रयत्न करूंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री कुबेर सिंह।

श्री हीरालाल इन्दौरा : यह प्रश्न तो स्वायत्त शासन मंत्री का है।

श्री अध्यक्ष : माननीय यातायात मंत्री जी।

श्री राधेश्याम : यह प्रश्न 352 जो है।

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट है, दो सवाल और हो जाएं। यह भरतपुर का था, हो गया।

उदयपुर-अहमदाबाद बस सेवा

353. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान राज्य परिवहन निगम की बस उदयपुर से अहमदाबाद वाया सोम विजय नगर, हिम्मत नगर पूर्व में संचालित थी? यदि हां, तो कब से तथा इसको अब बन्द कर दिये जाने का क्या कारण है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बस का एक्सप्रेस का किराया वसूल किया जाता था? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त एक्सप्रेस किराया वसूल करने के कारण निगम को औसतन आय नहीं हो पाती थी?

(3) क्या निगम उक्त मार्ग पर पुनः बस को साधारण किराये के आधार पर संचालित करने का विचार रखता है? यदि हां, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि गुजरात पथ परिवहन निगम की बस सोम से आगे तक चल रही है? यदि हां, तो राज्य निगम द्वारा उक्त मार्ग पर बस संचालित करने में क्या कठिनाई है?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री रोहिताश्व):

(1) जी हां। इस मार्ग पर दिनांक 16.2.91 से माह जुलाई, 91 तक बस सेवा का संचालन किया गया था। इस बस सेवा को पर्याप्त यात्री भार उपलब्ध न हो पाने के कारण बंद कर दिया गया है।

(2) जी हां। निगम द्वारा लम्बी दूरी के अन्तरराज्यीय मार्गों पर अधिकांशत

(श्री रोहिताश्व)

द्रुतगामी वाहनें ही संचालित की जाती है और लम्बी दूरी के मार्गों पर यात्री भी द्रुतगामी वाहन से ही यात्रा करना पसंद करते हैं। अतः द्रुतगामी दर से किराया वसूल करने के कारण आय कम नहीं आती थी तथापि इस मार्ग पर पर्याप्त मात्रा में सीधा यात्री भार उपलब्ध नहीं था।

(3) जी नहीं। इस मार्ग पर अपेक्षित मात्रा में सीधा यात्री भार उपलब्ध न होने के कारण निगम वाहन का संचालन अनार्थिक रहता है।

(4) जी हां। गुजरात राज्य परिवहन निगम की बस सोम से आगे गुजरात राज्य की सीमा में स्थित ग्राम खोखरा तक चल रही हैं जो गुजरात राज्य का राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं और राष्ट्रीयकृत मार्ग पर बस संचालन करना गुजरात राज्य परिवहन निगम का दायित्व है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम को इस मार्ग पर वाहन संचालन में कोई आपत्ति नहीं है किन्तु अपेक्षित मात्रा में सीधा यात्री भार उपलब्ध न होने के कारण बस सेवा का संचालन नहीं किया जा रहा है।

श्री कुबेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सीधा-सा बता दिया कि यात्री भार न होने से गाड़ी बंद कर दी। मैंने स्वयं उस गाड़ी में अहमदाबाद तक दो-तीन बार यात्रा की है। उस गाड़ी की हालत यह थी कि ऊपर-नीचे तक भरी हुई जाती थी। अब मेरे को कहना तो नहीं चाहिए लेकिन, मंत्री जी, इसका मेन कारण है और मैं डिपो मैनेजर से भी कई बार मिला हूं और बात भी की कि वहां गुजरात में घुसते ही आपके कण्डक्टर लोग टिकट नहीं देते थे इसलिए आपके यहां इन्कम बैठती नहीं थी। उस गाड़ी के लिए मैंने सचेत भी कर दिया था विजय नगर के अन्दर, एक समाज की मीटिंग थी, मैं वहां गया था और वहां के लोगों ने भी मेरे से कहा कि एम.एल.ए. साहब, आपको गाड़ी अच्छी चली है, हमको इतनी सुविधा दे रही है, लेकिन हमको शक है कि गाड़ी बन्द हो जाएगी। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों। तो कहा कि हम इस गाड़ी में चढ़ते हैं, हम टिकट मांगते है तो कण्डक्टर कहता है कि बैठो तो बैठो, नहीं तो जावो, हमारी राजस्थान रोडवेज में कोई टिकट नहीं मिलती है। यह हालत थी। डिपार्टमेंट को मेरे आगाह करने के बाद भी वह हो रहा है और दूसरी बात यह कही बाद में, कि हमारे पास गाड़ी की उपलब्धता नहीं है इसलिए हम अभी चालू नहीं कर पाये और जब बसे हो जायेगी तो हम करेंगे। एक सबसे बड़ी बात यह बताऊं कि वहां पर बार्डर पर एक बड़ा गांव है मेरा और व्यापारी वर्ग हैं, सारा माल अहमदाबाद से खरीदते हैं, वे डेली आते जाते हैं, फिर आप यह निवेदन कर रहे हैं, कि यात्रीभार नहीं है। तो मैं यही चाह रहा हूं कि आप हमारे यहां के लोगों के आवागमन के आधार पर तथा इस बस को पुनः चालू करने के लिए विचार रखते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : परीक्षण करके देख लीजिये।

श्री रोहिताश्व : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि वहां उदयपुर से अहमदाबाद के दो मार्ग हैं। उदयपुर से अहमदाबाद के लिए सीधा मार्ग वाया केशरियाजी, खोरवाड़ा, रतनपुर, हिम्मत नगर होते हुए 267 किलोमीटर का है। जबकि झाड़ोल, फलासिया, सोम, खोखरा, विजयनगर, ईदर और हिम्मत

(श्री रोहिताश्व)

नगर होते हुए मार्ग की कुल दूरी 291 किलोमीटर है। अध्यक्ष महोदय, जो लम्बी दूरी का यात्री है वह शार्ट रास्ते से जाना पसंद करता है। जिस मार्ग का यह वर्णन कर रहे हैं, यह वाया होने के कारण दो-ढाई घंटे यात्री को इसमें सीधे की बजाय लम्बा रास्ता तय करना पड़ता है इसलिए इसमें यात्रीभार कम मिलता है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम : अध्यक्ष महोदय, ने आदेश दे दिया, फिर क्यों कर रहे हैं। है क्या इसमें अध्यक्ष महोदय ने जब कह दिया।

श्री रोहिताश्व : पूर्व में भी, अध्यक्ष महोदय, इस पर जो बस चलाई थी उसका 52 प्रतिशत यात्री भार था जबकि राजस्थान रोडवेज को 70 प्रतिशत यात्री भार से कम पोसाता नहीं है। फिर भी माननीय सदस्य अगर कह रहे हैं तो हम निश्चित तौर पर माननीय सदस्य की भावनाओं की कद्र करते हुए जनहित में पुन: एक बार दुबारा चलाने की .

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष जी, यह जिस तरह का मामला है, गंगानगर से दिल्ली डीलक्स चलती थी...

श्री अध्यक्ष : अब आप गंगानगर से दिल्ली कहां ले आये। यह सवाल है नहीं। यह पूरा राजस्थान पूछेगा।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मैं करूंगा आपकी इजाजत हो तो।

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये।

श्री घासीराम यादव : कर लू ?

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये न।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा गांव ऐसे बस रूट पर पड़ता है रेवाड़ी से बहरोड़ और रेवाड़ी से कोटपूतली, इसमें जो बसें चलती थीं सरकारी वह इसलिए बन्द हो गई कि इनके आगे-आगे अनअथोराइज्ड बसें चलती थीं और मैं उस चार्ज को फिर दोहराता हूं, माननीय सुजानसिंह जी बैठे हैं, एक तो आपकी जानकारी में यह लाना चाहता हूं, सुनिये शांति से, सुजानसिंहजी भी खुद बस आपरेटर हैं, इनका भाई भी है और यह भी हैं, इनकी दोनों की गाड़ी अनअथोराइज्ड चलती हैं।

श्री अध्यक्ष : सुजानसिंह जी आपके यहां चला देंगे बस। विराजिये। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें।)

(12.00)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

उदयपुर ग्रामीण, वल्लभनगर व मावली क्षेत्र में राशन वितरण प्रणाली

347. **श्री चुन्नीलाल गरासिया** (उदयपुर ग्रामीण): क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या उचित मूल्य की दुकानों को केरोसिन एवं चीनी का आबंटन प्रत्येक दुकान के अन्तर्गत आने वाले राशन कार्ड की संख्या के आधार पर किया जाता है ? यदि हां, तो प्रत्येक राशन कार्ड पर कितनी-कितनी मात्रा में चीनी एवं केरोसिन का आबंटन किया जाता है ?

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

(2) क्या यह सही है कि उक्त निर्धारित मानदण्ड के आधार पर वितरक को केरोसिन एवं चीनी का आबंटन नहीं किया जाता ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इसके समाधान के लिए कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) विगत एक वर्ष में निर्वाचन क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण एवं वल्लभनगर और मावली में किस–किस वितरक को कितनी-कितनी मात्रा में उक्त वस्तुएं आवंटित की गई ? क्या यह वितरण उस वितरक के अन्तर्गत आने,वाले राशन कार्ड के अनुसार था ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1 एवं 2) उचित मूल्य की दुकानों को चीनी और केरोसिन का आबंटन क्षेत्र की मांग एवं उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। एक राशन कार्ड पर अधिकतम 10 लीटर प्रतिमाह केरोसिन देने के तथा प्रति यूनिट 425 ग्राम चीनी वितरण के निर्देश हैं ।

(3) योजना बनाने का कोई लाभ नहीं है. क्योंकि चीनी एवं केरोसिन का आबंटन केन्द्र सरकार से प्राप्त होता है और राज्य को उसी पर निर्भर रहना पड़ता है ।

(4) विगत एक वर्ष में निर्वाचन क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण, वल्लभनगर और मावली में जिस–जिस वितरक को जितनी जितनी मात्रा में केरोसिन एवं लेवी चीनी आबंटित की गई उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । केरोसिन का आबंटन राशन कार्ड पर उपलब्धता के आधार पर और लेवी चीनी का आबंटन 425 ग्राम प्रति यूनिट के आधार पर किया जाता है. किन्तु उठाव मांग के आधार पर होता है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर के महाविद्यालय

463. श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर शहर में उच्च शिक्षा के कितने राजकीय कालेज हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) यदि जयपुर शहर में कोई राजकीय कालेज वर्तमान में नहीं है तो क्या राज्य सरकार शहर के विस्तार व आबादी को देखते हुए सांगानेर, आमेर, विद्याधर नगर क्षेत्र में राजकीय कालेज, छात्र/छात्राओं के लिए खोलने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में उच्च शिक्षा के लिए कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है।

(2) जी नहीं । किसी भी स्थान पर महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव पर निर्धारित मानदण्डों एवं स्थान विशेष की आवश्यकता एवं बजट प्रावधान के आधार पर निर्णय लिया जाता है। वर्ष 1994-95 के बजट में नये महाविद्यालय खोलने हेतु कोई प्रावधान नहीं है ।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

यह उल्लेखनीय है कि जयपुर शहर में अनुदान प्राप्त एंव गैर सहायता प्राप्त कुल 21 महाविद्यालय हैं तथा राजस्थान विश्व-विद्यालय में उच्च शिक्षा की पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध है ।

राजस्थान विश्वविद्यालय कर्मियों हेतु पेन्शन योजना

464. **श्री जगन्नाथ** (मनोहर थाना) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू कर दी गई है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के सेवा निवृत अधिकारियों व कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समतुल्य मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है ? यदि हां, तो सरकार राजस्थान विश्वविद्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा कब तक प्रदान करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां । नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । राजस्थान विश्वविद्यालय के सेवा निवृत अधिकारियों व कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है । राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(नियमों की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

माण्डलगढ़ व बिजोलिया (भीलवाड़ा) में महाविद्यालय

465. **श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी** (माण्डलगढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के माण्डलगढ़ व बिजोलियां में महाविद्यालय खोलने के लिये पूर्व में कोई योजना अथवा सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई थी ? क्या यह भी सही है कि इन दोनों ग्रामों में से किसी ग्राम के वासियों ने भवन निर्माण कराकर 20 लाख रुपये बैंक में विद्यालय खोलने के लिए जमा कराये थे ? यदि हां, तो अब माण्डलगढ़ क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने का सरकार कब तक विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां, केवल माण्डलगढ़ के बारे में महाविद्यालय खोलने की संभावना का पता लगाया था ।

माण्डलगढ़ में 117 बीघा जमीन उपलब्ध बताई गई है तथा 5 लाख का जन सहयोग से राशि देने का आश्वासन है । जहां तक इन दोनों ग्रामों में महाविद्यालय खोलने का प्रश्न है विस्तृत प्रस्ताव आने तथा 3 वर्ष का खर्चा जन सहयोग से मिलने पर सरकार महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव पर औचित्य के एवं मानदण्डों के आधार पर विचार कर सकती है ।

जिला बारां की ग्राम पंचायतों को सड़कों से जोड़ना

466. **श्री प्रतापसिंह सिंघवी** (छबड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले में कितनी ग्राम पंचायतों को अब तक सड़कों से जोड़ा गया ?

(2) छबड़ा-छीपाबड़ोद में अब तक कितनी ग्राम पंचायतों को सड़कों से जोड़ दिया गया हैं ? इस वित्तीय वर्ष में छबड़ा व छींपाबड़ोद की कितनी व कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों को सड़कों से जोडे जाने का सरकार का विचार है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है ?

उत्तर

(1) बारां जिले में कुल 103 ग्राम पंचायतों को अब तक सड़कों से जोड़ा जा चुका है।

(2) छबड़ा-छींपाबड़ोद में अब तक 23 ग्राम पंचायतों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। इस वित्तीय वर्ष में छबड़ा व छींपाबड़ोद की फूलबड़ोद, राई व देवरी-जोद ग्राम पंचायतों को सड़क से जोड़े जाने का विचार है।

(3) जिन गांवों की आबादी 1971 की जनगणना के अनुसार 1000 से ज्यादा है उन को सड़क से जोड़ना आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है।

फतेहनगर से मेणार वाया ईण्टाली सड़क मार्ग

467. **श्री शान्तिलाल चपलोत** (मावली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि फतहनगर से मेणार वाया ईण्टाली-रूण्डेड़ा (जिला उदयपुर) सड़क मार्ग इण्टाली गांव में से होकर गुजरती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम ईन्टाली घना आबादी क्षेत्र एवं विद्यालय क्षेत्र है ? यदि हां, तो क्या सरकार आबादी एवं विद्यालय क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सड़क मार्ग को पूर्व प्रस्तावानुसार ईण्टाली गांव के बाहर से चायला खेड़ा चौराहा तक बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। ग्राम ईण्टाली घना आबादी क्षेत्र व विद्यालय क्षेत्र है। परन्तु योजना की प्राथमिकताओं में नहीं आने से ईण्टाली गांव के बाहर से बामला खेड़ा चौराहा तक उक्त सड़क मार्ग के बनाने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं हैं।

बेणेश्वर (बांसवाड़ा) में सड़क एवं पुलिया का निर्माण

468. **श्री जितेन्द्र नीनामा**(घाटोल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि बांसवाड़ा में बेणेश्वर आदिवासियों का धार्मिक स्थान है ? क्या वहां आने जाने के लिए पक्की सड़क व पुलिया बनाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। बांसवाड़ा जिले में बेणेश्वर आदिवासियों का धार्मिक स्थान है। योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं में नहीं आने से वर्तमान में बांसवाड़ा जिले की ओर से सड़क या पुलिया बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रोधई से करनपुर एव करनपुर से बाजेर (सवाई माधोपुर) सड़क निर्माण हेतु अवाप्त भूमि

469. **श्री रंगजी (सपोटरा) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सपोटरा जिला सवाई माधोपुर के सड़क निर्माण रोधई से करनपुर एवं करनपुर से बाजेर तक सड़क निर्माण हेतु कितने किसानों की कृषि भूमि अवाप्त की गई, कितने किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है और कितने किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिये जाने के कारण क्या हैं ? क्या सरकार इन्हें मुआवजा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

उत्तर

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सपोटरा (सवाई माधोपुर) के सड़क निर्माण रोधई से करणपुर, 128 खातेदारों की भूमि अवाप्त की गयी जिनमें से भुगतान की स्थिति निम्न प्रकार है :–

कुल काश्तकार	128
100 प्रतिशत भुगतान कर दिया	69
80 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया	38
भुगतान नहीं किया गया।	21

जिन काश्तकारों को भुगतान नहीं किया गया उनमें 14 ऐसे काश्तकार हैं जिनको खातेदारी अधिकार मिलने पर, 6 काश्तकार मृतक हैं जिनके उत्तराधिकारियों द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र मिलने पर भुगतान सम्भव होगा। एक काश्तकार की न्यायालय में रिट है। जिन 38 काश्तकारों को 80 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है उन्हें शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान जून, 94 तक कर दिया जायेगा। करणपुर से बालेर, इस सड़क के लिए कुल 195 खातेदारी की भूमि अवाप्त की गई स्थिति निम्न प्रकार है :–

100 प्रतिशत भुगतान कर दिया	60
80 प्रतिशत भुगतान कर दिया	101
भुगतान नहीं किया	34

जिन 34 काश्तकारों को भुगतान नहीं किया गया उनमें 13 के मर जाने के फलस्वरूप उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र के कारण, 9 काश्तकारों के मामले में विवाद के कारण एवं 9 के अपने गृह निवास के बाहर रहने के कारण अपने क्लेम प्रस्तुत न करने से भुगतान नहीं किया जा सका शेष 3 गैर खातेदार हैं जिन्हें भुगतान नहीं किया जाना है बाकी 101 काश्तकारों को शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान जून, 94 तक कर दिया जायेगा।

ग्राम बांझाकुड़ी से बलाड़ा (पाली) सड़क निर्माण

470. **श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण):** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र जैतारण (पाली) के ग्राम बांझाकुड़ी से बलाड़ा लौटोति से निम्बोल जो कि पंचायत मुख्यालय है और जिसकी आबादी 1971 की

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

जनगणना के अनुसार 1000 के ऊपर है, को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

जी हां। पाली जिले के विधान सभा क्षेत्र जैतारण में ग्राम बांझाकुड़ी से बलाड़ा (2503) तथा लौटोती से निम्बोल (2050) को आठवीं पंचवर्षीय योजना में डामर सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है।

सांगोद से कैथून सड़क निर्माण

471. **श्री भरतसिंह** (खानपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सांगोद से कैथून वाया कुन्दनपुर-मंडिता-भांडाहेड़ा मार्ग का कार्य निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो कब तक यह कार्य पूर्ण हो जायेगा ?

(2) इस कार्य पर कितनी राशि खर्च हो चुकी है तथा कुल कितनी लागत आयेगी ?

(3) क्या इस मार्ग पर आने वाली काली सिंध नदी की पुलिया को भी ठीक करवाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आयेगी ?

उत्तर

(1) केवल राजपुरा से चार चौमा तक डामर की सड़क एवं चार चौमा से बालाजी की थाक तक ग्रेवल सड़क बनाने का कार्य ही निर्माणाधीन था, जो अब पूरा हो चुका है।

(2) इस कार्य पर राजपुरा से चार चौमा तक 53.43 लाख तथा चार चौमा से बालाजी की थाक तक 4.50 लाख रुपये जनवरी, 94 तक व्यय हो चुके हैं। इस प्रकार जनवरी, 94 तक 57.93 लाख रुपये व्यय हुए हैं तथा अन्य देनदारियों सहित कुल लागत 61.00 लाख आयेगी।

(3) विद्यमान पुलिया का प्रत्येक वर्षा काल के बाद सामान्य संधारण किया जाता है अतः ठीक करवाने के पृथक प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है।

परबतसर (नागौर) के थानों में पंजीबद्ध मुकदमें

472. **श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) परबतसर जिला नागौर में पिछले तीन वर्षों में कितने मुकदमें किन-किन अपराधों में दर्ज हुए हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से कितने मामलों में चालान पेश किए जा चुके हैं तथा कितने मामलों की फाइलें बन्द की जा चुकी हैं ? फाइल बन्द किए जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) शेष मामलों की जांच में हो रहे विलम्ब के कारण क्या हैं ?

उत्तर

(1) थाना परबतसर जिला नागौर में पिछले तीन वर्षों में भा.दं.सं. तथा विभिन्न अधिनियमों के अपराधों के तहत निम्न अभियोग क्रमशः वर्ष 1991 में कुल 127 मुकदमें, वर्ष 1992 में कुल 180 मुकदमें, वर्ष 1993 में कुल 160 मुकदमें, दर्ज हुए हैं। वांछित विवरण (परिशिष्ट "क") संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(2) पिछले तीन वर्षों के दर्ज अपराधों में पेश किये गये चालानों तथा फाइलें बन्द किए जाने सम्बन्धी वांछित सूचना (परिशिष्ट "क") संलग्न है।

(3) वर्ष 1991 में कोई अभियोग शेष नहीं रहा। वर्ष 1992 व 1993 के शेष अभियोगों के पेंडिंग/कारण बाबत वांछित सूचना (परिशिष्ट 'ख') संलग्न ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

परबतसर के थानों में चोरियों के पंजीबद्ध प्रकरण

473. **श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) परबतसर सब डिवीजन के पुलिस थानों में वर्ष 1993 व 94 में कितनी चोरियों के मुकदमें किस-किस थाने मे कब कब दर्ज हुए हैं ? कितना-कितना धन चोरी हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें। इन चोरियों में कितनी चोरियां पकड़ी गई ?

(2) परबतसर थाने के वर्तमान थानेदार के कार्यकाल में कितनी चोरियां हुई ? कितने मुकदमें दर्ज हुए? कितनी चोरियां पकड़ी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) परबतसर सब डिवीजन के पुलिस थाना (1) मकराना, (2) परबतसर, (3) गच्छीपुरा, (4) पीलवा, (5) कुचामनसिटी, (6) नावां सिटी, (7) चितावा व (8) मारोठ में वर्ष 1993-94 में दर्ज हुए चोरियों के मुकदमों, चोरी गये धन तथा पकड़ी गई चोरियों की वांछित सूचना परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) परबतसर थाने के वर्तमान थानाधिकारी 21 जुलाई, 1993 से पदस्थापित हैं। इनके कार्यकाल में चोरियों की घटित घटनाओं पर दर्ज हुए मुकदमों की व पकड़ी गई चोरियों की वांछित सूचना परिशिष्ट 'ख" पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

जिला बारां के पुलिस थानों में पंजीबद्ध प्रकरण

474. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले के किस-किस थाने में 1 जनवरी, 1990 से अब तक कितने मुकदमें लूट, हत्या व डकैती के दर्ज हुए ? इनमें से कितने प्रकरणों में माल व मुलजिम पकड़ लिए गए व कितने मुकदमें लम्बित हैं जिनमें माल व मुलजिम पकड़ा जाना शेष है ?

(2) माल व मुलजिम नहीं पकड़े जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) बारां जिले में जनवरी, 1990 से 28 फरवरी, 94 तक डकैती के 15, लूट के 186, हत्या के 137 प्रकरण दर्ज हुये, इनमें से डकैती के 9, लूट के 83, और हत्या के 129 प्रकरणों में माल मुलजिम पकड़ लिये गये हैं। डकैती का

(गृह मंत्री)

कोई प्रकरण लम्बित नहीं है। लूट के 4 प्रकरण तथा हत्या के 5 प्रकरण लम्बित हैं जिनमें माल मुलजिम पकड़ा जाना शेष है। थानेवार सूचना परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) माल व मुलजिमान को पकड़े जाने के काफी प्रयत्न किये गये, मगर कोई सुराग न लगने के कारण पकड़े नहीं जा सके।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

पुलिस हिरासत में यातनाएँ

475. श्री विष्णु मोदी(पुष्कर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1990 से अब तक की अवधि में पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों को यातनाएं देने के कौन-कौन से मामले सरकार के ध्यान में कब-कब आये हैं और उन मामलों में सम्बन्धित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(2) उपरोक्त अवधि में ही पुलिस कस्टेडी में पुलिस द्वारा यातनाएं दिये जाने के कारण किन-किन व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा अन्य कारणों से किन-किन व्यक्तियों की मृत्यु हुई?

(3) उपरोक्त मामलों में किस-किस मामले में पुलिस ने तफ्तीश के पश्चात् न्यायालय में चालान पेश किए?

उत्तर

(1) वर्ष 1990 से अब तक की अवधि में पुलिस हिरासत में लिये गये लोगों को यातना देने के सम्बन्ध में 44 प्रकरणों में पुलिस कर्मियों के विरूद्ध यातनाएं देने के आरोप राज्य सरकार के ध्यान में लाये गये उक्त प्रकरणों में 25 मामलों में अभियोग पंजीबद्ध किये गये एवं 19 मामलों में विभागीय कार्यवाही की गई। पंजीबद्ध अभियोगों में 14 मामले झूठे पाये गये, एक मामले की जांच साक्ष्य के अभाव में समाप्त की गई, 5 प्रकरणों में दोषी पुलिसकर्मियों के विरूद्ध संबंधित न्यायालयों में चालान प्रस्तुत किये गये एवं 5 प्रकरण अनुसंधानाधीन हैं जिनका परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) उपरोक्त अवधि में पुलिस हिरासत में कुल 27 व्यक्तियों की मृत्यु हुई जिसमें 12 व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में पुलिसकर्मियों द्वारा यातनाएं दिये जाने के आरोप लगाये गये शेष 15 व्यक्तियों की मृत्यु के कारण संलग्न परिशिष्ट "ख" में अंकित है।

जिन 12 व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में पुलिस कर्मियों द्वारा यातनाएं देने का आरोप राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया था उन प्रकरणों में अभियोग पंजीबद्ध किये गये। पांच अभियोग सत्य पाये जाने पर संबंधित पुलिस कर्मियों के विरूद्ध चालान सक्षम न्यायालयों में प्रस्तुत किये गये जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(3) उपरोक्त मामलों में से 7 प्रकरणों में पुलिस ने तफ्तीश के पश्चात् सक्षम न्यायालयों में चालान प्रस्तुत किये हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट "ग" में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

बीकानेर में अनुसूचित जाति/जनजाति महिलाओं पर अत्याचार के प्रकरण

476. श्री नन्दलाल व्यास (बीकानेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री नन्दलाल व्यास)

(1) पिछले वर्ष बीकानेर शहर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला अत्याचार से सम्बन्धित निम्न प्रकार की सूचना संख्यात्मक विवरण के साथ कारण सहित सदन की मेज पर रखें :—

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार से सम्बन्धित कितनी प्रथम सूचना दर्ज हुई और प्रथम सूचना दर्ज के आधार पर कितने अभियोग न्यायालय में दायर हुए ?

2. भारतीय दण्ड संहिता की धारा क्रमशः 498ए, 376, 366, 306, 304बी, 354 के तहत कितने अभियोग प्रस्तुत हुए ?

(2) बिन्दु संख्या (1) व (2) से सम्बन्धित न्यायालय में दायर अभियोगों में सजा का क्या प्रतिशत रहा ?

(3) यदि सजा का प्रतिशत कम है तो इसके क्या कारण रहे? शेष रहे प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) वर्ष 1993 में बीकानेर शहर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला अत्याचार से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रकार है :—

(अ) पिछले वर्ष (1993) में बीकानेर शहर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार से सम्बन्धित 27 प्रथम सूचनाएं दर्ज हुई। दर्ज अभियोगों में से 10 अभियोगों में चालान व 16 में अन्तिम प्रतिवेदन (अदम वकुआ) प्रस्तुत किये गये व 1 अभियोग अन्वीक्षाधीन पुलिस है।

(ब) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए में 49 व 304बी और 498 ए में 4 व अन्य धाराओं में शून्य, कुल 53 अभियोग पंजीबद्ध किये गये।

(2) बिन्दु संख्या 1 व 2 से संबंधित समस्त 37 अभियोग अभी विचाराधीन न्यायालय हैं, जिनमें से किसी का भी फैसला नहीं हुआ है। अतः सजा का प्रतिशत ज्ञात नहीं हो सकता है।

(3) समस्त प्रकरण अभी न्यायालय में लम्बित हैं। निर्णय अपेक्षित है।

उप अधीक्षक कार्यालय, महुआ का भवन

477. **श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी):** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि महुआ जिला दौसा में पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय का नव सृजन किया गया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रसारित वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने कार्यालय के भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव मंगवाये हैं ? यदि हां, तो साइड प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार कानून की बिगड़ती हुई स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए महुआ में पुलिस उप अधीक्षक का पदस्थापन करने का विचार रखती है ? यदि, हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

32

(गृहमंत्री)

(3) जिला दौसा के महुआ क्षेत्र में नया पुलिस सर्किल स्थापित करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

जयपुर-अजमेर सड़क मार्ग पर घटित दुर्घटनाएं

478. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं):** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक दुर्घटनाएं जयपुर-अजमेर राज मार्ग पर घटित होती है? यदि हां, तो पिछले दो सालों में इस मार्ग पर कितनी दुर्घटनाएं हुई, कितने लोग मारे गये तथा कितने लोग घायल हुए ? सरकार इस मार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

(2) राज्य में पिछले दो सालों में सड़क दुर्घटनाओं में कितनी मौतें हुई एवं कितने घायल हुए ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जयपुर अजमेर मार्ग पर सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राज मार्ग पर वर्ष 1992 में 486 एवं वर्ष 1993 में 621 सड़क दुर्घटनाएं घटित हुई जिसमें 353 व्यक्तियों की मृत्यु हुई एवं 1161 व्यक्ति घायल हुए। सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण एवं उनको रोकथाम हेतु हाईवे मोबाइल चैकिंग पार्टियों द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन कर वाहन चलाने वाले चालकों को चैकिंग करवाई जाती है। वांछित स्थानों पर स्पीड ब्रेकर निर्मित करवाये हैं।

(2) राज्य में पिछले दो वर्ष, 1992 में 11227 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें से 3977 व्यक्ति दुर्घटनाओं में मारे गये एवं 13595 व्यक्ति घायल हुए व वर्ष 1993 में 12437 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें 3911 व्यक्ति दुर्घटनाओं में मारे गये एवं 15653 व्यक्ति घायल हुए हैं। सूची जिलेवार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें।)

पुलिस द्वारा गोली चलाने सम्बन्धी प्रकरण

479. **श्री रामेश्वर लाल भाटी** (सुजानगढ़) एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में पिछले एक वर्ष में कितनी बार पुलिस ने गोली चलाई तथा उससे लोगों की मृत्यु हुई तथा कितने घायल हुए? घटनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में पिछले एक साल में कितनी हत्याएं, डाकाजनी, चोरी, बलवे आदि हुए ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) किस-किस अपराध में एक वर्ष में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई और इसके क्या कारण रहे ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में 1 जनवरी, 1993 से 31 दिसम्बर, 93 तक 11 बार पुलिस ने गोली चलाई, जिनमें 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई एवं 9 व्यक्ति घायल हुए। घटनावार विवरण परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) 1 जनवरी, 1993 से 31 दिसम्बर, 93 तक घटित हत्या, डकैती, चोरी, बलवा में पंजीबद्ध अभियोगों की सूचना परिशिष्ट "ब" संलग्न है।

(3) 1 जनवरी, 1993 से 31 दिसम्बर, 1993 में 1 जनवरी, 1992 से 31 दिसम्बर 1992 की तुलना में हत्या में 4.64, डकैती में 13.46, चोरी में 8.83 एवं बलवे में 4.10 प्रतिशत की कमी हुई है, जो पुलिस विभाग द्वारा जागरूकता से किये गये प्रयासों का सूचक है। जिलेवार सूचना परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर व पंचायत समिति गिरवा के गांवों का विद्युतिकरण

480. **श्री फूलचन्द (सलूम्बर)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सलूम्बर व गिरवा पंचायत समिति के कितने गांवों का विद्युतिकरण अभी नहीं हुआ है? क्या सरकार इन गांवों को विद्युतिकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) जनजाति क्षेत्रों में विद्युत लाइन बिछाने, डी. पी. लगाने व विद्युत संबंध देने के संबंध में क्या कोई प्रक्रिया (बोर्ड की) निर्धारित है?

(3) क्या सलूम्बर में 132 के. वी. की योजना स्वीकृत है? यदि हां, तो कार्य प्रारंभ कब तक किया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर एवं पंचायत समिति गिरवा जिला उदयपुर में क्रमश: 200 एवं 159 ग्राम हैं जिनमें से अब तक क्रमश: 150 व 127 ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है। अत: पंचायत समिति सलूम्बर में 50 ग्राम एवं पंचायत समिति गिरवा में 32 ग्राम विद्युतिकरण हेतु शेष हैं। इन शेष बचे हुये ग्रामों का विद्युतिकरण योजना मद में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आवंटित वित्त एवं घोषित वार्षिक लक्ष्यानुसार आगामी वर्षों में किया जाना संभव होगा।

(2) जनजाति क्षेत्रों में विद्युत लाइनें बिछाने, डी पी. लगाने व विद्युत संबंध देने हेतु अलग से कोई प्रक्रिया नहीं है। सामान्य ग्रामों के विद्युतिकरण करने हेतु जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वही प्रक्रिया सभी श्रेणी में लागू होती है। जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत ग्रामों को विद्युतिकरण करने हेतु पृथक से लक्ष्य दिया जाता है।

(3) सलूम्बर 132 के. वी., जी. एस. एस. का निर्माण कार्य आठवीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत है। वर्ष 1994-95 में 100 लाख रुपये इस योजना पर व्यय करने का लक्ष्य है। 17 बीघा 5 बिस्वा भूमि का आवंटन जिलाधीश, द्वारा किया जा रहा है। सब स्टेशन का कार्य वित्तीय वर्ष 1994-95 में प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता, सोजत सिटी कार्यालय में लम्बित प्रकरण

481. **श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

(1) अधिशासी अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, सोजत सिटी (पाली) के कार्यालय में पावर (लोड) बढ़ाने की कितनी पत्रावलियां विचाराधीन हैं ? विधान सभा क्षेत्रवार एवं नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) किन-किन उपभोक्ताओं के कितने कितने पैसे विद्युत मण्डल में जमा हैं ? नाम वार एवं राशिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इन उपभोक्ताओं के पावर बढ़ाने में कितने-कितने किलोवाट के कितने-कितने ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इन बकाया पावर बढ़ाने की पत्रावलियों का निपटारा कर उपभोक्ताओं की मांग पूरी करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पावर लोड बढ़ाने की वर्तमान में कुल 31 पत्रावलियां प्राप्त हुई हैं जिनकी राशि जमा हैं जो कि विचाराधीन है। उपखण्डवार, ग्रामवार विचाराधीन पत्रावलियों की सूची संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शायी गई है।

(2) वांछित सूची प्रपत्र "अ" में दर्शायी गई है।

(3) लोड बढ़ाने हेतु ट्रांसफार्मरों की निम्न प्रकार आवश्यकता है :–

क्र.स.	उपखण्ड का नाम	63 के.वी.ए.	40 के.वी.ए.	25 के.वी.ए.	कुल
1	प. व स. जैतारण	9	5	5	19
2.	प. व स. सोजत रोड	1	–	1	2
3.	ग्रा वि. नि. पिपलिया	1	–	–	1
		11	5	6	22

(4) जी हां। उक्त ट्रान्सफार्मरों को उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। उपलब्ध होते ही उक्त पत्रावलियों का निपटारा किया जा सकेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–5 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में कृषि कनेक्शन

482. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में गत 5 वर्षों से कितने आवेदकों द्वारा कृषि कार्य के लिए विद्युत कनेक्शन हेतु डिमाण्ड राशि कब-कब जमा कराई गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त को कब तक कनेक्शन दे दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1993-94 से पूर्व किसी भी कृषि आवेदक के मांग पत्र जमा नहीं है लेकिन वर्तमान में वर्ष 1993–94 में 9 आवेदकों के मांग पत्र की राशि जमा है। मांग पत्र जमा हुए आवेदकों की सूची निम्नानुसार है:–

(ऊर्जा मंत्री)

क्रम सं.	आवेदक का नाम	ग्राम	डिमाण्ड नोटिस जमा की तारीख
1.	श्री मांगीलाल/रघुनाथ माली	अनधोरा	29-10-93
2.	श्री सोन्या/काल्या बैरवा	रामपुरिया	21- 2-94
3.	श्री रामकरण/भंवरलाल माली	अनधोरा	7- 3-94
4.	श्री मजीद खां/रुस्तम खां	अभयपुरा	21- 2-94
5.	श्री सुरज्या/अरवक्स मीणा	लक्ष्मीपुरा	17- 2-94
6	श्री रामनारायण/लोकीलाल	इन्द्रगढ़	23- 2-94
7.	श्रीमती कमलाबाई/मूलचन्द	इन्द्रगढ़	16- 2-94
8	श्री विक्रमसिंह/बलवन्तसिंह	कचरावदा	मार्च, 94
9.	श्री परसराम मीणा/रघुनाथ	जयथलखेड़ी	29- 4-93

(जिला बारां)

(2) उक्त लम्बित आवेदनों में से 6 आवेदकों के एल फार्म प्राप्त होने पर कृषि कनेक्शन जारी किये जायेंगे। शेष 3 आवेदकों को लाइन का कार्य पूर्ण कर कनेक्शन दिये जाने की प्रक्रिया जारी है।

जोधपुर एवं नागौर में कृषि कनेक्शन

483. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जोधपुर व नागौर में गत पांच वर्षों में कितने आवेदन-पत्र कृषि कनेक्शन हेतु प्राप्त हुए हैं? इनमें से कितने कनेक्शन किस-किस योजना के अन्तर्गत जारी किए गए तथा कितने शेष है? इस वर्ष कितने कनेक्शन दिये जायेंगे? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मण्डल ने क्षमता से अधिक कनेक्शन दिये हैं? यदि हां, तो विद्युत उत्पादन बढ़ाने के संबंध में अब तक क्या प्रयास हुए हैं एवं उसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में (1988-89 से 1992-93 तक) निम्नानुसार वर्षवार लम्बित आवेदन पत्रों में से 1,31,948 कृषि कनेक्शन ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों में दिये गये हैं :-

लम्बित आवेदन पत्र		वर्ष में जारी किये गये कृषि कनेक्शन की संख्या	
1.4.88	171622	88-89	19171
1.4.89	192507	89-90	29378
1.4.90	217125	90-91	33285
1.4.91	202251	91-92	25100
1.4.92	212483	92-93	25014
			131948

1.4.1993 को लगभग 2,25,300 आवेदन पत्र कृषि हेतु लम्बित थे। वर्ष 1993-94 में 25,000 कृषि कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।

(ऊर्जा मंत्री)

जिला जोधपुर एवं जिला नागौर में वर्ष 1993-94 में क्रमश: 1156 व 1859 कृषि कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित था, जिनके सापेक्ष जिला जोधपुर में क्रमश: 627 व 1342 कृषि कनेक्शन माह फरवरी, 1994 तक दिये जा चुके हैं। नागौर एवं जिला जोधपुर में पंचायत समितिवार लक्ष्य का विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) जी नहीं। मण्डल ने क्षमता से अधिक कनेक्शन नहीं दिये हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें।)

नागौर वृत में कृषि विद्युत कनेक्शन

484. **श्री हबीबुर रहमान** (मूण्डावा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

दिनांक 1-4-1993 से अब तक नागौर वृत्त में कितने कृषि कनेक्शन किस-किस ग्राम में शिफ्ट किये गये? उपरोक्त शिफ्ट किये गये कनेक्शन से किस उपभोक्ता से कितनी राशि वसूल की गई तथा विद्युत मण्डल द्वारा क्या-क्या सामान कितने रुपयों का लगाया गया? विवरण नाम मय गांव के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नागौर वृत्त में दिनांक 1-4-1993 से अब तक कुल 476 कृषि कनेक्शन शिफ्ट किये गये हैं। उपभोक्ताओं से वास्तविक लगाये सामान की लागत सहित नियमों के अन्तर्गत चार्ज की गई राशि का ग्रामवार विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

प्रदेश के ग्रामों एवं ढाणियों में विद्युत कनेक्शन के मानदण्ड

485. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में विद्युतीकृत ग्रामों की ढाणियों में विद्युत कनेक्शन देने के लिए सरकार की क्या नीति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन ग्रामों की ढाणियों और मजरे अलग ग्राम घोषित हो गये उनको विद्युतीकृत करने की सरकार की क्या नीति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर एवं कोटड़ी पंचायत समिति के जहाजपुर विधान सभा के भाग में स्थित किन-किन ग्रामों एवं मजरे ढाणियों का विद्युतिकरण हो गया है और कितने ग्राम मजरे तथा ढाणियों का विद्युतिकरण होना शेष है? इन ग्रामों, ढाणियों एवं मजरों का विद्युतिकरण कब तक पूर्ण हो जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जहाजपुर पंचायत समिति एवं कोटड़ी पंचायत समिति के ग्राम, ढाणी एवं मजरों का विद्युतिकरण करना शेष रहा है? यदि हां, तो क्या वर्ष 1994-95 में इन पंचायत समितियों के ग्राम, ढाणियों एवं मजरों को विद्युतीकृत करने हेतु घोषित किये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या निर्वाचन क्षेत्र जहाजपुर के कोटड़ी क्षेत्र के भाग में 33 के.वी. स्टेशन वर्क लोड एवं वोल्टेज की समस्या को देखते हुए कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक इसे लागू किया जायेगा। यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान में विद्युतीकृत ग्रामों की ढाणियों में विद्युत कनेक्शनों की मांग आने पर उसे विद्युतिकृत ग्राम का ही हिस्सा मानते हुए विद्युत कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है।

(2) अगर मूल ग्राम विद्युतिकृत है तथा उसकी ढाणियां और मजरे नये गांव घोषित किये जाते हैं तो ऐसे नये ग्रामों में विद्युत कनेक्शन की मांग आने पर उसे विद्युतीकृत मानते हुए विद्युत लाइनों का विस्तार कर कनेक्शन जारी करने का प्रावधान है।

(3) भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर एवं कोटड़ी पंचायत समिति के जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के भाग में स्थित जनगणना पुस्तिका 1981 के अनुसार क्रमशः 181 एवं 127 ग्राम हैं जिनमें से माह मार्च 1993 के अन्त तक क्रमशः 176 एवं 127 ग्राम विद्युतिकृत घोषित किये जा चुके हैं। पंचायत समिति जहाजपुर के शेष रहे 5 ग्रामों को वर्ष 1993–94 के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में सम्मिलित कर इन्हें भी अब तक विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है।

इन सभी विद्युतीकृत ग्रामों की ढाणियों एवं मजरों में विद्युत कनेक्शनों की मांग आने पर इनमें विद्युत लाइनों का विस्तार कर कनेक्शन जारी किये जा सकेंगे। गांव के मजरे व ढाणियों का अलग से जनगणना पुस्तिका 1981 में कोई उल्लेख नहीं होगा, इसलिए इनके बारे में सूचना का अलग से संकलन नहीं किया जाता।

(4) विद्युतीकृत सभी ग्रामों की ढाणियों एवं मजरों में विद्युत मांग आने पर इसमें विद्युत लाइनों का विस्तार कर कनेक्शन दिये जा सकेंगे।

(5) जी हां, जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के कोटड़ी पंचायत समिति में विद्युत भार एवं वोल्टेज समस्या को ध्यान में रखते हुए देवरिया(कोटड़ी)पर 33/11 के.वी. की नई उप चौकी बनाने एवं पारोली स्थित 33/11 के.वी. उपचौकी की क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव क्षेत्र से प्राप्त हुये हैं जिनकी तकनीकी स्वीकृति हेतु जांच जारी है तथा साध्य पाये जाने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर आगामी वर्षों के, उप–विस्तारण कार्यक्रम में सम्मिलित कर, इसे क्रियान्वित किया जा सकेगा। अतः फिलहाल सही समयावधि बता पाना संभव नहीं है।

सहायक अभियन्ता कार्यालय, लालसोट द्वारा कृषि कनेक्शन

486. श्री परसादी लाल मीणा(लालसोट) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लालसोट के सहायक अभियन्ता कार्यालय (विद्युत) में कितने आवेदन–कर्त्ताओं द्वारा तुरन्त प्राथमिकता योजना में कृषि (विद्युत) कनेक्शन लेने के लिये मांग पत्र की राशि जमा करवाई गयी थी ?

(2) क्या मांग पत्र की राशि जमा कराने एवं एल फार्म लगाने के बाद इन आवेदकों को कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि 30 सितम्बर, 1993 तक उक्त योजना के कनेक्शन करने के बोर्ड द्वारा निर्देश देने के बाद भी कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री परसादी लाल मीणा)

(4) जिन 'तुरन्त प्राथमिकता योजना' के आवेदकों को एल फार्म लगाने के बाद अब तक कृषि कनेक्शन नहीं दिये गये है, की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) लालसोट में सहायक अभियन्ता कार्यालय में 416 आवेदनकर्त्ताओं द्वारा तुरन्त प्राथमिकता योजना में कृषि विद्युत कनेक्शन लेने के लिये मांग पत्र की राशि जमा करवायी गई थी।

(2) मांग पत्र की राशि जमा कराने एवं एल फार्म लगाने के बाद 396 कनेक्शन दिये जा चुके हैं। शेष को कनेक्शन देने की प्रक्रिया जारी है।

(3) जी हां। आवेदकों द्वारा सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात कनेक्शन दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। सहायक अभियन्ता, लालसोट के कार्यालय में तुरन्त प्राथमिकता योजना में 416 आवेदकों के मांग पत्र की राशि जमा करवाई गई थी। इनमें से 396 आवेदकों को कनेक्शन दिये जा चुके हैं, 15 आवेदकों द्वारा एल फार्म प्रस्तुत नहीं करने के कारण कनेक्शन नहीं दिये जा सके। शेष 5 आवेदकों के एल फार्म प्राप्त हुए हैं उनको कनेक्शन दिये जाने की प्रक्रिया जारी है।

(4) तुरन्त प्राथमिकता योजना के निम्न आवेदकों को एल फार्म लगाने के बाद कनेक्शन दिया जाना शेष है :-

1. श्री जयनारायण मीना
2. गोरधन फेलीमीना
3. निहारा मीना
4. मेवा कल्याण मीना
5. अमर चन्द मीना

खराब विद्युत ट्रांसफार्मर्स का नवीनीकरण

487. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य मन्त्री महोदय ने 6 जनवरी, 1994 को सदन में यह घोषणा की थी कि विद्युत मण्डल के जितने भी ट्रांसफार्मर्स खराब पड़े हुए हैं उन्हें 10 दिन में बदल दिया जायेगा ?

(2) यदि हां, तो इस घोषणा की क्रियान्विति में विद्युत मण्डल द्वारा कितने खराब ट्रांसफार्मर्स को बदला गया है और ऐसे खराब ट्रांसफार्मर्स कहां-कहां बदले गए?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त घोषणा की अनुपालना में 855 खराब ट्रांसफार्मर्स 17-1-1994 तक बदल दिये गये गये। बदले गये ट्रांसफार्मर्स का वृतवार विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें।)

तहसील माण्डल (भीलवाड़ा) में कृषि कनेक्शन

488. **श्री कालूलाल गूजर** (माण्डल): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) दिनांक 31 अक्टूबर, 1993 तक माण्डल जिला भीलवाड़ा में कृषि प्रयोजनार्थ कुओं पर बिजली लगाने के कुल कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रार्थना-पत्रों में से कितने प्रार्थना-पत्र ऐसे हैं जिनमें एक पोल या

(श्री कालूलाल गूजर)

बिना पोल के कनेक्शन हो सकते हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1993-94 में भीलवाड़ा जिले में बोर्ड ने कुल कितने कृषि कनेक्शन सिंगल पोल या निल पोल के लिये जारी किये हैं ? तहसीलवाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या माण्डल तहसील में अन्य तहसीलों के अनुपात में कनेक्शन बहुत कम हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसमें किसी अधिकारी/कर्मचारी की लापरवाही रही है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) माण्डल तहसील में दिनांक 31-10-1993 तक कुल 748 प्रार्थना-पत्र कृषि कनेक्शन हेतु विचाराधीन थे। लम्बित आवेदन पत्रों की सूची प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) माण्डल पंचायत समिति में 31-3-1993 तक एक पोल एवं सर्विस लाइन के 45 आवेदन पत्र कृषि कनेक्शन हेतु लम्बित थे उनमें से 22 आवेदकों को मांग पत्र जारी कर दिये गये हैं। वर्ष 1993-94 के दौरान प्राप्त हुए आवेदनों में से और कितने आवेदन पत्र इस श्रेणी में आयेंगे का आंकलन चालू वित्तीय वर्ष के अन्त में ही किया जाना संभव होगा। मांग पत्र जारी आवेदकों की सूची प्रपत्र "ब" में संलग्न है।

(3) भीलवाड़ा जिले में वर्ष 1993-94 में एक पोल/निल पोल के 324 कृषि कनेक्शनों का लक्ष्य आवंटन किया गया है। पंचायत समितिवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	लक्ष्य आवंटन
1.	आसीन्द	34
2.	माण्डल	19
3.	रायपुर	17
4.	सहाड़ा	29
5.	सुवाणा	31
6.	बनेड़ा	13
7.	हुरड़ा	16
8.	जहाजपुर	29
9.	कोटड़ी	22
10.	माण्डलगढ़	79
11.	शाहपुरा	24
	कुल योग:	324

(4) कृषि कनेक्शनों का प्रत्येक वर्ष के अंत में लम्बित आवेदन पत्रों के अनुपात में पंचायत समितिवार लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इसमें कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

तहसील कोटड़ा एवं गोगुन्दा (उदयपुर) के गांवों का विद्युतिकरण

489. **श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा):** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या उदयपुर जिले की कोटड़ा एवं गोगुन्दा तहसीलों के सभी गांव विद्युत आपूर्ति से जुड़ गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री महावीर भगोरा)

(2) क्या राज्य सरकार इन गांवों को विद्युत आपूर्ति से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले की गोगुन्दा तहसील के 5 ग्रामों को छोड़कर सभी ग्राम विद्युत आपूर्ति से जुड़े हुए हैं 5 ग्रामों में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने एवं ग्रामों तक सड़क सम्पर्क नहीं होने के कारण विद्युत लाइन नहीं खींची जा सकी। कोटड़ा तहसील के 175 ग्राम विद्युतीकृत घोषित हैं उनमें से 45 ग्रामों में कनेक्शन दिये हुए हैं। 130 ग्रामों में कनेक्शन नहीं है तथा न ही इनमें कोई आवेदन लम्बित है।

(2) गोगुन्दा व कोटड़ा तहसीलों के विद्युतिकृत घोषित ग्रामों में विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार विद्युत आपूर्ति की कार्यवाही की जायेगी।

कोटड़ा क्षेत्र के विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत 25 ग्रामों का विद्युतिकरण गोगरूद पर 33/11 के. वी. सब स्टेशन बनने पर ही संभव है। वन क्षेत्र से लाइन निकालने की अनुमति प्राप्त होने पर 33 के वी. लाइन गोगुन्दा से गोगरुद तक खींची जाकर गोगरूद पर सब स्टेशन का निर्माण किया जावेगा। इसके बाद ही इन 25 ग्रामों का विद्युतिकरण वार्षिक ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम में प्रस्तावित लक्ष्यों के अनुरूप किया जा सकेगा। शेष रहे 104 अस्वीकृत ग्रामों को क्षेत्र में चल रही ग्रामीण विद्युतिकरण योजना का कार्यकाल समाप्त होने के साथ-साथ सभी अविद्युतिकृत ग्रामों की नयी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना बनाई जाकर योजना मद में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं लक्ष्यानुसार आगामी वर्षों में इनका विद्युतिकरण करा पाना सम्भव हो सकेगा।

ग्राम ओडीट (नागौर) में कृषि विद्युत लोड हेतु आवेदन-पत्र

490. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं):** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम ओडीट तहसील लाडनूं जिला नागौर में कृषि कुओं पर लगे कनेक्शनो का लोड बढ़ाने के प्रार्थना-पत्र उप-खण्ड कार्यालय, लाडनूं में प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो किस-किस के द्वारा कब-कब कितने-कितने लोड बढ़ाने के प्रार्थना-पत्र दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रार्थना-पत्रों में से किसी को लोड बढ़ाने की अनुमति विभाग द्वारा दी गई है ? यदि हां, तो किस व्यक्ति को कब और उनका प्रार्थना-पत्र कब का था तथा वरीयता क्रम में उनका स्थान कौनसा था ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण वरीयता क्रम के आधार पर किया जाता है ? यदि हां, तो उपरोक्त मामलों में जो कि एक ही गांव के हैं, इनकी पालना कहां तक हुई और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त मामलों में अनियमितताएं हुई हैं ? यदि हां, तो किस स्तर पर तथा अनियमितताएं करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं की गई तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सहायक अभियन्ता कार्यालय लाडनूं के अन्तर्गत ओडीट ग्राम

(ऊर्जा मंत्री)

में 9 कृषि आवेदन पत्र भार वृद्धि हेतु प्राप्त हुए हैं। वांछित सूची प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) जी हां। प्रपत्र "अ" में वांछित विवरण उपलब्ध है।

(3) जी हां। नियमों के अन्तर्गत वरीयता क्रम में ही कार्य सम्पादित किया गया है।

(4) जी नहीं। कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आई। अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

टोडाभीम जैसनी प्लान्टेशन

491. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सवाई माधोपुर के लिए वर्ष 1993 में कुल कितनी धनराशि वन विभाग को दी गई तथा उसको किस प्रकार खर्च किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि टोडाभीम जैसनी प्लान्टेशन के पौधों को वन विभाग द्वारा नष्ट किया गया? यदि हां, तो क्यों? क्या इसकी कोई जांच की गई? यदि हां, तो क्या?

(3) क्या यह सही है कि इस प्लान्टेशन में मजदूरी करने वाले मजदूरों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया? यदि हां, तो अब कब तक भुगतान करने का सरकार विचार रखती है?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर के लिए वर्ष 1993 (वित्तीय वर्ष 1992-93 एवं 1993-94) में वन विभाग को कुल आबंटित एवं व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जैसनी प्लान्टेशन के पौधों को नष्ट करने के सम्बन्ध में सामाजिक वानिकी सवाई माधोपुर वन मण्डल में एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच करवाई जा रही है।

(3) जी हां। इस वृक्षारोपण की जांच विचाराधीन है। मजदूरी करने वालों को वृक्षारोपण की जांच का निर्णय होने पर भुगतान कर दिया जायेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें।)

प्रदेश के अभ्यारण्य

492. **श्री रामेश्वर लाल भाटी** (सुजानगढ़) एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कुल कितने अभ्यारण्य हैं तथा उनमें किस-किस प्रकार के जानवर पाये जाते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य में कई वन्य जीवों की प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है? यदि हां, तो क्यों? विगत 5 वर्षों में उक्त अभ्यारण्यों में कौन-कौन से कितने-कितने वन्य जीव कम हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वन्य जातियों को बचाने का प्रयास करेगी? यदि हां, तो किस प्रकार?

उत्तर

(1) राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान एवं 23 अभ्यारण्य हैं। इनमें पाये जाने वाले प्रमुख वन्य जीवों का विवरण परिशिष्ट'अ' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) राज्य में पाये जाने वाले किसी वन्य प्राणी प्रजाति के लुप्त होने का खतरा उत्पन्न नहीं हुआ है। गत पांच वर्षों में राज्य के अभ्यारण्यों में वन्य जीवों की संख्या का विवरण परिशिष्ट "ब" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) राज्य में वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु 2 राष्ट्रीय उद्यान, 23 अभ्यारण्य तथा 33 शिकार निषिद्ध क्षेत्र घोषित हैं जिनमें वन्य प्राणी सुरक्षा हेतु 1011 वनकर्मी पदस्थापित है। सुरक्षा हेतु 9 उड़नदस्ते गश्त करने हेतु लगे हुए हैं। विशिष्ट स्थानों पर वायरलैस सैट्स, चैक पोस्ट, बैरियर इत्यादि स्थापित कर वन्य जीवों व हैबीटाट की सुरक्षा की जाती है. वन्य प्राणी क्षेत्रों में जल स्रोतों का विकास इको डवलपमेंट कार्य कराने के साथ-साथ स्थानीय लोगों का जन सहयोग भी सुरक्षा हेतु लिया जा रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें।)

बूंदी की वन सीमा

493. श्री रामनारायण (नैनवां): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या तहसील बून्दी में वन विभाग की सीमाएं निश्चित की गई हैं ? यदि हां तो भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र डाबी के ग्रामों सम्बन्धी विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र के ग्रामों में स्थित कौन-कौन से खसरा नम्बरान वन विभाग में हैं ? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त ग्रामों के किसी भाग पर खनिज विभाग द्वारा लीज दी जाने की जानकारी विभाग को है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र डाबी के ग्रामों के अन्तर्गत वन क्षेत्र का विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" के अनुसार रख दिया गया है।

(2) विवरण परिशिष्ट "क" में दर्शा दिया गया है।

(3) जी हां। विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट "ख" के अनुसार रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

कोटपूतली क्षेत्र का पर्यावरण

494. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटपूतली कस्बे के चारों ओर सीमेंट फैक्ट्रियां बनी हुई हैं ? यदि हां, तो क्या इसके लिए पर्यावरण विभाग से स्वीकृति ली गई थी ? यदि नहीं, तो क्या पर्यावरण विभाग ने इसकी जांच की है ? यदि नहीं तो क्यों व इसमें कौन दोषी हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ?

(2) कस्बे के चारों ओर फैक्ट्रियां लगने से किसान, मवेशी व ग्रामीण लोगों

(श्री रामचन्द्र रावत)

की परेशानी को देखते हुए क्या सरकार क्षेत्र विशेष में इन उद्योगों को स्थापित कराने का विचार रखती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों व हां, तो कहां ? आबादी क्षेत्र में स्थापित किये जाने की स्वीकृति किस आधार पर दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, । वृहद एवं मध्यम श्रेणी के सीमेंट उद्योगों को स्थापित करने से पहले पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरणीय साइट क्लियरेन्स जारी की जाती है। लघु सीमेंट उद्योगों को राज, प्रदूषण नियंत्रण मंडल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही स्थापित किया जा सकता है। कोटपूतली शहर के चारों तरफ पांच मध्यम श्रेणी के और सात लघु श्रेणी के सीमेंट उद्योग कार्यरत हैं। उपरोक्त पांच मध्यम श्रेणी के सीमेंट उद्योगों में से दो को पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरणीय साइट क्लियरेन्स जारी किया जा चुका हैं और दो की साइट क्लियरेन्स जारी की जा रही है और एक वर्तमान में बन्द है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 20 प्रकार के प्रदूषण फैलाने वाले वृहद व मध्यम श्रेणी के उद्योगों को भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस नोट नं. 17 व वर्ष 1985 में जारी गाइड लाइन के अनुसार पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरणीय साइट क्लियरेन्स किया जाता है। पर्यावरण विभाग द्वारा साइट क्लियरेन्स जारी करने के बाद राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा वायु अधिनियम/जल अधिनियम के अन्तर्गत उद्योगों के चालू होने से पूर्व सम्मति जारी की जाती है।

लघु श्रेणी के सात सीमेंट उद्योग मंडल का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर कोटपूतली क्षेत्र में उत्पादनरत हैं, जिनमें से दो उद्योगों को मंडल की सम्मति भी प्रदान की गई है। चार उद्योगों के सम्मति प्रकरण मंडल के विचाराधीन हैं। इन चारों उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। एक उद्योग ने अभी तक मंडल को सम्मति हेतु अभी तक आवेदन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त तेरह लघु सीमेंट उद्योगों को (कोटपूतली क्षेत्र में) मंडल के अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये हैं एवं इन सभी उद्योगों को निर्देश दिये गये हैं कि उत्पादन प्रारम्भ करने के एक माह पूर्व मंडल की वायु अधिनियमान्तर्गत सम्मति हेतु आवेदन करेंगे।

राज्य मंडल के कोटपूतली क्षेत्र में उत्पादनरत किन्तु अधिनियम के उल्लघंनकर्ता मध्यम श्रेणी के तीन सीमेंट उद्योगों एवं लघु श्रेणी के पांच सीमेंट उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी किये हैं। मध्यम श्रेणी के एक सीमेंट उद्योग (जो वर्तमान में बन्द है) के विरुद्ध वायु अधिनियमान्तर्गत कानूनी कार्यवाही न्यायालय में लम्बित है। इस प्रकार दोषी सीमेंट उद्योग जिन्होंने राज्य मंडल की सम्पति नहीं ली हैं, के विरुद्ध नियमानुसार वायु अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

(2) कोटपूतली कस्बे को केन्द्र मानकर उद्योग 10 से 12 किलोमीटर रेडियस (त्रिज्या) में स्थापित है। इन उद्योगों को अन्यत्र स्थापित करने का वर्तमान में राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है क्योंकि अभी इन उद्योगों से प्रदूषण संबंधित कोई बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं

(पर्यावरण मंत्री)

हुई है। स्थापना की स्वीकृति आवश्यक जांच पड़ताल के बाद जारी की जाती है।

डूंगरपुर-जयपुर बस मार्ग

495. **श्री शान्तिलाल चपलोत(मावली):** क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि डूंगरपुर-जयपुर बस वाया उदयपुर, मावली, फतेहनगर (जिला उदयपुर) होकर गुजरती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बस को वाया उदयपुर भटेवर-नवानिया-रुण्डेडा-ईण्टाली फतेहनगर होकर चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। इस सेवा को वाया भटेवर नवानिया-वल्लभनगर- रुण्डेडा- इण्टाली-आकोला-फतेहनगर-भोपालसागर-कपासन-चित्तौडगढ़ होकर चलाये जाने से पर्याप्त यात्रीभार मिलने की संभावना नहीं है।

पूर्व में निगम द्वारा इस वाया होकर उदयपुर से फतेहनगर के बीच बस सेवाओं का संचालन किया गया था, लेकिन इस मार्ग पर पर्याप्त यात्री उपलब्धता न होने के कारण इन बस सेवाओं को 40%से अधिक यात्रीभार नहीं मिला। इस वाया होकर मार्ग की लम्बाई भी करीब 16 कि.मी. अधिक होती है जिससे सीधे यात्रीभार की उपलब्धता में भी कमी आने की संभावना है।

जयपुर-कानोड़ (उदयपुर) बस संचालन

496. **श्री गुलाबसिंह शक्तावत(वल्लभ नगर):** क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दो तीन वर्ष पूर्व निगम द्वारा जयपुर से कानोड़ वाया भीलवाड़ा, कपासन, आकोला, भीण्डर एक बस संचालित की गई थी जिसे अब बन्द कर दिया गया है ? यदि हां तो क्यों ?

(2) क्या निगम उक्त बस को पुनः जयपुर से कानोड़ वाया भीलवाड़ा, आकोला ईण्टाली, रूण्डेडा, मेणार, भीण्डर, कानोड़ तक होकर संचालित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1989 में करीब 7 माह तक इस वाहन सेवा का संचालन किया गया था लेकिन उक्त अवधि में इस सेवा को केवल मात्र 52 प्रतिशत औसत यात्री भार ही उपलब्ध हुआ तथा औसत आय प्रति कि. मी. 3.95 रु. प्राप्त हुई। अत: संचालन लागत से भी कम आय आने के कारण इस सेवा का संचालन बन्द करना पड़ा।

(2) जी नहीं। वस्तुतः कानोड़ से जयपुर के लिये पर्याप्त मात्रा में सीधा यात्री भार उपलब्ध नहीं होता है तथा मार्ग के मध्य के स्थानों से भी जयपुर के लिये सीधा यात्री भार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण इस सेवा का संचालन अनार्थिक रहता है।

सलूम्बर उपखण्ड के मार्गों का राष्ट्रीयकरण

497. **श्री फूलचन्द (सलूम्बर):** क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री फूलचन्द)

(1) सलूम्बर उप-खण्ड आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में कौन-कौन से मार्ग राष्ट्रीकृत हैं ? परिवहन निगम की बसें किस-किस मार्ग पर चलाई जा रही हैं ?

(2) क्या सरकार परिवहन निगम की बसें जनजाति क्षेत्रों में चलाई जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किन-किन मार्गों पर कितनी बसें ? नहीं तो जनजाति क्षेत्र की उपेक्षा क्यों ?

(3) क्या सरकार सलूम्बर उप-खण्ड पर आगार खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) सलूम्बर उप-खण्ड क्षेत्र में उदयपुर से बांसवाड़ा वाया पलोदड़ा-जयसमन्द-सलूम्बर-आसपुर-पालोदा-गनोड़ा मार्ग राष्ट्रीयकृत हैं । इस मार्ग पर निगम द्वारा वर्तमान में दैनिक 64 परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं ।

(2) सलूम्बर उप-खण्ड जनजाति क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम द्वारा उपलब्ध यात्रीभार के अनुरूप पर्याप्त बस सेवाएं संचालित की जा रही हैं, शेष जो मार्ग वर्तमान में राष्ट्रीयकृत नहीं हैं, उन पर निजी वाहन संचालित हैं, जिनकी प्रतिस्पर्धा में निगम द्वारा वाहनें चलाये जाने का वर्तमान में कोई विचार नहीं है ।

(3) जी नहीं । सलूम्बर उप-खण्ड होते हुए विभिन्न मार्गों पर संचालित बस सेवाओं का संचालन मुख्य रूप से बांसवाड़ा एवं उदयपुर आगारों द्वारा किया जा रहा है, जो सलूम्बर से क्रमशः 92 एवं 71 कि.मी. दूरी पर स्थित है । सलूम्बर में वर्तमान में 2 वाहनें रात्रि विश्राम करती हैं और 2 वाहनें ही वहां से प्रारम्भ होती हैं, अतः केवल 2 वाहनों की संचालन व्यवस्था के लिए सलूम्बर में पृथक से आगार खोलने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता ।

निगम बसों में विकलांगों को रियायतें

498. **श्री राजेन्द्र चौधरी (विलाड़ा) :** क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विकलांगों को राजस्थान परिवहन निगम की बसों में रियायती टिकट जारी किये जाते हैं ? यदि हां, तो इन्हें कितनी रियायत दी जाती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सेवारत कर्मचारियों को विकलांग होने पर भी उन्हें यात्रा किराये में रियायत दी जाती है यदि हां, तो तत्संबंधी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि सेवारत कर्मचारियों को विकलांग होने पर भी जिला नियोजन कार्यालय (विकलांग) से प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । विकलांगों को निगम की बसों में किराये में 75 प्रतिशत रियायत दी जाती है

(2) जी हां । किन्तु ऐसे सेवारत विकलांग कर्मचारी आयकरदाता नहीं होने चाहिये । तत्सम्बन्धी नियमों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(यातायात राज्य मंत्री)

(3) जी नहीं। सेवारत कर्मचारियों को विकलांगता का प्रमाण-पत्र विकलांगता की किस्म के विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी से लेना आवश्यक है तथा आयकरदाता न होने बाबत प्रमाण पत्र संस्थान के प्रधान अधिकारी से प्राप्त करना आवश्यक है।

(नियमों की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

गांधी चौक आमेर, बस स्टेण्ड का स्थानान्तरण

499. **श्री शंकरलाल अहारी** (चौरासी): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गांधी चौक आमेर में बाजार/कार्यालय/विद्यालयों/पर्यटकों इत्यादि के कारण काफी भीड़ व यातायात अनियन्त्रित होने के पश्चात् भी सिटी बस स्टेण्ड को वहां से नहीं हटाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सिटी बस स्टेण्ड को पहले धोली प्याऊ (चुंगी नाका) के पीछे कुण्डा स्थानान्तरित कर दिया गया था ? यदि हां, तो इसे वापस बाजार में लाने के क्या कारण रहे ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ प्रभावशाली दुकानदारों के दबाव के कारण स्टेण्ड गांधी चौक से नहीं हटाया जा रहा है ?

(4) क्या यह सही है कि आम नागरिकों के इसे यहां से हटाने के कई प्रार्थना पत्र भी राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां तो अब तक उक्त सिटी बस स्टेण्ड को (जनहित में) चुंगी नाका के पीछे/नटाटा रोड या कालानेरी के पास स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, वर्तमान में देहली की ओर जाने वाली सभी वाहनें बाईपास होकर जाती/आती हैं। अतः अब काफी भीड़ व अनियंत्रित यातायात होने का प्रश्न ही नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां, एक प्रार्थना-पत्र स्वायत्त शासन विभाग में प्राप्त हुआ है जिसके सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

परिवहन निगम का वार्षिक आय-व्ययक

500. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राजस्थान पथ-परिवहन निगम को वर्ष 1991-92, 1992-93 एवं 1993-94 में कुल कितना लाभ अथवा हानि हुई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान पथ परिवहन निगम को वित्तीय वर्ष 1991-92, 1992-93 एवं 1993-94 (माह दिसम्बर, 1993 तक) में निम्नानुसार लाभ हुआ है :—

वर्ष	लाभ	
1991-92	1208.59 लाख	शुद्ध
1992-93	588.52 लाख	लाभ
1993-94	1908.63 लाख	
	(प्रोविजन से)	

(माह दिसम्बर, 1993 तक)

जिला जयपुर की माडा योजना

501. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर जिले में 1980 से अब तक किन-किन पंचायत समितियों में माडा योजना के अन्तर्गत किस किस्म के कितने कार्य करवाए गए और उन पर कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) उक्त कार्यों में से अभी भी कितने अपूर्ण हैं ? क्या सरकार इन्हें पूर्ण करवाए जाने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में 1977 से अब तक इस योजना में किन-किन ग्रामों में क्या-क्या कार्य करवाए गए और इन पर कितनी राशि व्यय हुई ? वर्षवार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अब तक अपूर्ण रहे कार्यों को पूर्ण करवाने की मंशा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले में वर्ष 1980 से अब तक माडा योजनान्तर्गत 5 पंचायत समितियों में कुल 318 कार्य स्वीकृत किए गये जिन पर व्यय कुल राशि का पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) उक्त कार्यों में से 28 कार्य अपूर्ण है जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" पर है। इन कार्यों को इसी वर्ष पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के कार्यों का ग्राम व वर्षवार विवरण परिशिष्ट "स" के अनुसार है।

(4) पंचायत समिति बस्सी के दो कार्य जो अपूर्ण हैं उनमें से एक सड़क कार्य भर पी. डब्ल्यू. डी. जिला खण्ड प्रथम से डामर उपलब्ध न होने के कारण पूर्ण नहीं करवाया जा सका। सड़क कार्य डामर उपलब्ध होने पर पूर्ण करवाया जा सकेगा। कूप चक माधोगढ़ विवादग्रस्त है, जो विवाद निपटने पर ही पूर्ण करवाया जा सकेगा। विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पंचायत समिति, चाकसू के 5 कार्य अपूर्ण हैं, जिन्हें भी पूर्ण करवाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के वाहन

502. श्री फूलचन्द (सलूम्बर): क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं उससे सम्बद्ध उपक्रमों में कितने वाहन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन वाहनों का उपयोग किस-किस अधिकारी द्वारा किस-किस प्रयोजन के लिये किया जा रहा है ? क्या वाहनों के उपयोग में सरकारी मानदण्डों की पालना की जा रही है ?

उत्तर

(1) आयुक्त कार्यालय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं इससे सम्बन्धित उपक्रमों में कुल 74 वाहन हैं। सूची परिशिष्ट "1" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अ–आयुक्त कार्यालय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में वाहनों का उपयोग निम्नानुसार अधिकारियों द्वारा सरकारी मापदण्डों के अनुसार किया जा रहा है:-

क्रमांक	वाहन संख्या	अधिकारी का नाम
1.	आर.एन.वाई. 8888 (कार)	आयुक्त महोदय
2.	आर.आर.जे. 9474 (कार)	अतिरिक्त आयुक्त (टी.एस.पी.)
3.	आर.पी.जे. 6278 (जीप)	जनजाति उपयोजना क्षेत्र में चल रही योजनाओं के निरीक्षण हेतु अन्य अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार वाहन आबंटित किये जाते हैं।
4.	आर.आर.जे. 4747 (जीप)	
5.	आर.एन.वाई. 1403 (जिप्सी)	
6.	आर.आर जे. 1919 (मेटाडोर)	सेरीकल्चर परियोजना को फील्ड कार्य हेतु आबंटित कर रखी है।
7	आर.एस.जे. 1166 (कार)	अतिरिक्त आयुक्त (माडा)
8.	आर.एन.वाई. 5566 (जिप्सी)	माडा में कार्यरत अन्य अधिकारियों द्वारा कार्य में ली जाती हैं।
9.	आर.एस.जे. 2622 (एफसी)	निदेशक, टी.आर.आई. (अनुपयोगी वाहन)
10.	आर.आर.जे. 7296 (जीप)	निदेशक, डी.आर.आई.
11.	आर.पी.जे. 3538 (जीप)	परियोजना अधिकारी, सेरीकल्चर परियोजना, उदयपुर
12.	आर.एस.जे. 1560 (जीप)	,, ,,
13.	आर.एस.जे. 8777 (ट्रक)	,, ,,
14.	आर.एन.वाई 8695 (जीप)	परियोजना अधिकारी (जनजाति) उदयपुर
15.	आर.जे.जे. 3343 (जीप)	,, ,, डूंगरपुर
16.	आर.जे.बी. 7070 (जीप)	,, ,, बांसवाड़ा
17.	आर.एस.एच. 4565 (जीप)	उप परियोजना अधिकारी (जनजाति) प्रतापगढ़
18.	आर.जे. 24-सी-0055 (जीप)	,, ,, आबूरोड़

ब–स्वास्थ्य परियोजना, उदयपुर में उपलब्ध वाहनों का विवरण :-

क्रमांक	कार्यालय का नाम	वाहन सं.
1.	मुख्यालय	5
2.	परियोजना कार्यालय, उदयपुर प्रथम	8
3.	परियोजना कार्यालय, उदयपुर द्वितीय	5
4.	परियोजना कार्यालय, बांसवाड़ा	3
5.	परियोजना कार्यालय, डूंगरपुर	5
6.	मुख्यालय	2
7.	अनुपयोगी वाहन	3
	योग :	31

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(स) राज. संघ, उदयपुर के वाहनों का उपयोग निम्नानुसार कार्यालयों में किया जा रहा है :–

1. आर.जे. 27 सी 0121	कार	प्रधान कार्यालय, उदयपुर
2. आर.एन.वाई 7711	कार	,,
3. आर.एन.वाई 9676	जिप्सी	,,
4. आर.एन वाई 5439	जिप्सी	,,
5. आर.जे. 27-449	जीप	,,
6. आर.एस.जे. 7600	जीप	,,
7. आर.एस.जे. 8851	जीप	,,
8. आर.जे. 27–2183	जीप	क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर
9. आर.जे.जे. 1318	टाटा ट्रक	,,
10. आर.एस.वाई. 2883	,,	,,
11. आर.एस.वाई. 9464	,,	सह. क्षेत्रीय कार्यालय, आबू रोड़
12. आर.जे. 27–420	जीप	क्षेत्रीय कार्यालय, प्रतापगढ़
13. आर.आर.आर. 6143	ट्रक	,,
14. आर.आर.जे. 7099	ट्रक (चल उपभोक्ता)	,,
15. आर.जे. 27–2184	जीप	क्षेत्रीय कार्यालय, बांरा
16. आर.आर.जे. 5718	जीप	,,
17. आर.एन.वाई. 579	जीप	क्षेत्रीय कार्यालय, बांसवाड़ा
18. आर.एस.वाई. 2891	लीलेण्ड ट्रक	,,
19. आर.एन.वाई. 390	चल उपभोक्ता	,,
20. आर.एस.वाई. 8650	टाटा ट्रक	क्षेत्रीय कार्यालय, डूंगरपुर
21. आर.एन.वाई. 581	जीप	,,
22. आर.आर.जे. 7174	चल उपभोक्ता	,,
23. आर.जे. 27–7164	बुलेट मोटर साइकल	मत्स्य आखेट केन्द्र, जयसमन्द
24. आर.जे. 27–4446	राजदूत मोटर साइकल	मत्स्य केन्द्र, चण्डा डोकर

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

पंचायत समिति जवाजा की उचित मूल्य की दुकानें

503. **श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) :** क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर जिले की जवाजा पंचायत समिति में सस्ते राशन की दुकान पर राशन किस दर से बेचा जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि राजसमन्द जिले की भीम पंचायत समिति में सस्ते राशन की दुकानों या उपरोक्त जवाजा पंचायत समिति से महंगी दरों पर राशन बेचा जाता है ? यदि हां, तो किस दर पर तथा क्यों ?

(3) क्या सरकार इस प्रकार पास के गांवों में अलग-अलग दरों पर राशन बेचने को उचित मानती है ? यदि नहीं, तो इस व्यवस्था को ठीक करने के लिये सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले की जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र में सस्ते राशन की दुकानों पर राशन निम्नांकित दर से उपभोक्ताओं को बेचा जाता है :-

क्र.सं	नाम वस्तु	दर प्रति किलो रु.पै.
1.	गेहूं	3.85
2.	चावल (कॉमन)	5.25
3.	चावल (फाइन)	6.10
4.	चावल (सुपर फाइन)	6.40
5.	लेवी चीनी	9.05

(2) जी हां। राजसमन्द जिले की भीम पंचायत समिति क्षेत्र में सस्ते राशन की दुकानों पर राशन निम्नांकित दर से उपभोक्ताओं को बेचा जाता है :-

क्र.सं.	नाम वस्तु	दर प्रति किलो रु.पै.
1.	गेहूं	4.45
2.	चावल (कामन)	5.90
3.	चावल (फाइन)	6.70
4.	चावल (सुपर फाइन)	7.00
5.	लेवी चीनी	9.05

राज्य में नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आर.पी.डी.एस.) के अन्तर्गत चयनित क्षेत्रों में खाद्यान्न अनुदानित दर पर वितरण कराया जाता है। जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र चयनित क्षेत्र है, जब कि पंचायत समिति भीम चयनित क्षेत्र नहीं है।

(3) जी हां। चूंकि आर.पी.डी.एस. ब्लाक्स का चयन भारत सरकार द्वारा किया गया है। वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है।

वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में दर्ज प्रकरण

504. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर):** क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला रसद अधिकारी, जोधपुर द्वारा वर्ष 1990 से जनवरी, 1994 तक के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1953 की धारा 3/7 के अन्तर्गत कितना-कितना डीजल, केरोसिन

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

एवं मोबिल आयल जब्त किया गया एवं किस–किस को सुपुर्द किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जिला कलक्टर, जोधपुर के आदेश दिनांक 2-5-1991 द्वारा जब्तशुदा डीजल, कैरोसिन एवं मोबिल आयल का राज्य सरकार के आदेश के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी किये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त जब्तशुदा डीजल, कैरोसिन मोबिल आयल को जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा रिलीज कर दिया गया ? यदि हां, तो किस बिल पर और इसके लिए कौन–कौन अधिकारी जिम्मेदार है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) जोधपुर जिले में कितने पैट्रोल पम्प एवं डीजल पम्प एक ही परिवार के नाम से कार्यरत हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्ष 1990 से जनवरी, 1994 तक निम्नांकित डीजल, कैरोसिन एवं मोबिल आयल जिला रसद अधिकारी, जोधपुर द्वारा जब्त कर सुपुर्दगी में दिया गया:—

1.	डीजल	–16,921.76 लीटर
2.	कैरोसिन	–1,33,527 लीटर
3.	मोबिल आयल	–2,255 लीटर

जब्त माल जिनको सुपुर्द किया गया है, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जिला कलक्टर, जोधपुर के आदेश दिनांक 2.5.91 के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18.5.91 को स्थगन आदेश पारित किया गया था । इसके फलस्वरूप जब्त माल के निस्तारण की कार्यवाही जिला कलक्टर, जोधपुर के द्वारा रोक दी गई । जिला कलक्टर द्वारा उक्त स्थगन आदेश के विरुद्ध रिव्यू आवेदन प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19.9.91 को अपना स्थगन आदेश समाप्त करते हुए प्रार्थी की अपीलें निरस्त कर जिला कलक्टर के आदेश को बहाल रखा गया ।

(3) जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा पारित आदेश द्वारा जब्तशुदा 4100 लीटर डीजल एवं 46570 लीटर कैरोसिन जब्त योग्य न मानकर रिलीज किया गया और 821.76 लीटर डीजल, 76740 लीटर कैरोसिन एवं 442 लीटर मोबिल आयल जब्त सरकार किया गया। शेष 12,000 लीटर डीजल, 10217 लीटर कैरोसिन एवं 1813 लीटर मोबिल आयल के सम्बन्ध में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6(क) में कार्यवाही विचाराधीन है। अतः किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) जोधपुर में नौ पैट्रोल एवं डीजल पम्प ऐसे कार्यरत हैं, जिनके पार्टनर्स एक से अधिक फर्मों में हैं । इनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें ।)

उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन का मानदण्ड

505. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में उचित मूल्य की राशन

(श्री गोपीराम जाट)

की दुकानें आबंटित करने की क्या प्रक्रिया है एव इस हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि यह दुकानें किराने की दुकान चलाने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर ही दी जा रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि झोटवाड़ा में श्री सत्यनारायण अग्रवाल जो उचित मूल्य की राशन की दुकान चलाते हैं, इनकी किराना की दुकान भी है एवं ज्यादा सामान (उचित मूल्य का) किराने की दुकान में बेचा जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि झोटवाड़ा क्षेत्र में 358 नं. की दुकान का आवंटन श्री भैंरूलाल अग्रवाल के नाम से किया गया है ? जबकि दुकान श्री सत्यनारायण अग्रवाल चलाते है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में उचित मूल्य की राशन की दुकानें आबंटित करने की प्रक्रिया एवं इस हेतु निर्धारित मानदण्ड सम्बन्धी आदेशों की प्रतियां संलग्न हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। लेकिन उचित मूल्य की सामग्री किराने की दुकान से नहीं बेची जाती है।

(4) जी हां। जयपुर शहर की दुकान न. 358 का अधिकृत विक्रेता श्री भैंरूलाल पुत्र श्री भूरामल अग्रवाल है और अधिकृत विक्रेता द्वारा ही राशन सामग्री उठाई जाकर उपभोक्ताओं में वितरण की जाती है। श्री सत्यनारायण अग्रवाल द्वारा यह दुकान नहीं चलाई जा रही है।

(आदेश की प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट–13 देखें।)

आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण हेतु अनुज्ञा-पत्र

506. **श्री रतन लाल ताम्बी** (जहाजपुर): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग ने फर्म केकडावल इण्डिया को बरकत नगर, जयपुर में आयुर्वेदिक दवाइयां व टॉनिक बनाने का अनुज्ञा पत्र जारी किया है। यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह अनुज्ञापत्र इस प्रकार के निर्माण की सभी व्यवस्थाएं पूर्ण होने पर दिया गया है ? यदि हां, तो निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) जहां के लिए अनुज्ञा पत्र दिया गया है वह स्थान क्या आवासीय योजना में है या वाणिज्य योजना में ?

(4) क्या अनुज्ञापत्र प्राप्ति के बाद फर्म मालिक द्वारा औषधि निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इस हेतु जयपुर नगर निगम की अनुमति है ?

(5) क्या विभाग ने नगर निगम की अनुमति (फर्म के पंजीकरण की) प्रति प्राप्त की है ? यदि हां, तो प्रतियां सदन की मेज पर रखें और यदि नहीं प्राप्त की, तो क्यों ?

(6) क्या इस फर्म का निर्माण अनुज्ञा पत्र निरस्त करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

(श्री रतनलाल ताम्बी)

यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) फर्म केकडावल इण्डिया को कोई अनुज्ञापत्र जारी नहीं किया गया है, वरन् मैसर्स मेकडावल इण्डिया, 54, शान्ति निकेतन कालोनी, बरकतनगर, जयपुर को आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण हेतु अनुज्ञा पत्र दिनांक 10-10-1991 को जारी किया गया है ।

(2) जी हां, निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 2.8.91 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(3) अनुज्ञा पत्र 54, शान्ति निकेतन कालोनी, बरकतनगर, जयपुर के लिये जारी किया गया है । उद्योग विभाग ने भी इस फर्म को इसी पते पर फैक्ट्री लगाने का प्रमाण पत्र दिनांक 17.5.90 को जारी किया है । संस्था का निर्माण स्थल आवासीय क्षेत्र में है ।

(4) अनुज्ञा पत्र स्वीकृति के बाद दिनांक 23.5.93 तक औषध निर्माण कार्य किया गया है। इसके बाद दिनांक 25.2.94 तक फर्म द्वारा कोई औषध निर्माण कार्य नहीं किया गया है ।

(5) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 व नियम 1945 के प्रावधानों के तहत आयुर्वेद औषध निर्माण कार्य के लिये, निर्माता संस्था को नगर परिषद की अनुमति अथवा पंजीकरण प्राप्त करने का प्रावधान नहीं है ।

(6) जी हां। संस्था के विरुद्ध उनके पडोसी श्री भवानी शंकर टांक ने शिकायत की है । शिकायत प्राप्ति के बाद औषध निरीक्षक (आयुर्वेद), जयपुर द्वारा इस संस्था का निरीक्षण दिनांक 15.5.93, 24.9.93 एवं दिनांक 25.2.94 को किया गया है । निरीक्षण प्रतिवेदन में उक्त संस्था के विरुद्ध ऐसा कोई बिन्दु अंकित नहीं किया गया है, जिसके कारण अनुज्ञा पत्र निरस्त करना औचित्यपूर्ण हो ।

(प्रतिवेदन की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

चांपानेरी आयुर्वेद औषधालय में पदस्थापित वैद्य

507. **श्री शम्भूदयाल बड़गूजर** (केकड़ी): क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चांपानेरी औषधालय (अजमेर) में कार्यरत वैद्य यहां कब से कार्यरत हैं ?

(2) क्या उक्त वैद्य के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के कारण उनका स्थानांतरण किया गया है ? यदि हां तो उक्त वैद्य आज तक वहां क्यों कार्यरत हैं ?

उत्तर

(1) राजकीय आयुर्वेद औषधालय, चांपानेरी (अजमेर) में आयुर्वेद चिकित्सक के पद पर श्री राजेन्द्र प्रसाद दिनांक 30-9-84 से कार्यरत हैं।

(2) जी नहीं । आयुर्वेद चिकित्सक श्री राजेन्द्र प्रसाद न्यायालय स्टे के कारण चांपानेरी औषधालय में ही कार्यरत हैं ।

(54)

आयुर्वेदिक औषधि निर्माण केन्द्र, जयपुर का भवन

508. **श्री अर्जुनदास मदान** (लाडपुरा) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जयपुर स्थित आयुर्वेदिक औषधि वितरण केन्द्र का भवन काम में लेने की स्थिति में है ?

(2) यदि यह भवन उपयुक्त नहीं है तो सरकार इस कार्यालय को कब तक अन्यत्र हस्तान्तरित करने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार इस कार्यालय को समीप ही स्थित उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग के कार्यालय भवन में हस्तान्तरित करने का विचार रखती है, जो उपयुक्त भी है और उसमें पर्याप्त स्थान भी उपलब्ध है ?

उत्तर

(1) आयुर्वेद औषध वितरण केन्द्र, जयपुर का भवन पूर्णतः काम में लेने की अवस्था में नहीं है।

(2) अन्य व्यवस्था होने तक औषध वितरण केन्द्र को उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, जयपुर के कार्यालय परिसर में हस्तान्तरित करने के निर्देश दिये हुए हैं।

(3) जी हां।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है--

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (औसियां): अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष: मैं पहले व्यवस्था दे दूं, फिर पाइण्ट ऑफ आर्डर होगा। वैसे तो शून्यकाल में पाइण्ट ऑफ आर्डर होता नहीं है, मगर सुन लूंगा, मैं आपकी बात सुन लूंगा। आप बैठिये। मैं खड़ा हूं तब तक बैठिये, कम से कम इतनी मर्यादा तो रखिये।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य विधानसभा की ओर से भरतपुर जिले के गांव स्योंगा में दिनांक 8 जनवरी, 1994 की रात्रि को विक्रमसिंह नामक व्यक्ति की हत्या के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से चम्बल सिंचाई परियोजना की ऐबरा माइनर से हुए भूमि कटाव के कारण आवागमन में हो रही असुविधा के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(3) श्री अमराराम (धोद), सदस्य, विधानसभा की ओर से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत वर्कचार्ज श्रमिकों को विभिन्न सेवा लाभ राज्य कर्मचारियों की भांति दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

ऐसे मामले राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से निम्न आशय की जानकारी प्राप्त हुई है :–

(4) श्री किशन मोटवानी, सदस्य विधान सभा की ओर से अजमेर एवं राज्य के अन्य नगरों में मुर्गियों पर गंभीर नाम की बीमारी का प्रकोप होने से मुर्गी व्यवसाय के चौपट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि विभाग के आंकड़ों के अनुसार कुल मुर्गियों की मृत्यु 23500 रही है। बीमारी के आने के पश्चात इस बीमारी से काफी बड़ी संख्या में मुर्गियों की मृत्यु अवश्यम्भावी है और यह दर आंकड़ों के अनुसार 20 प्रतिशत के लगभग होती है। विभाग ने इस बीमारी से कुक्कुट पालकों के पक्षियों को बचाने की पूर्ण कोशिश की है। किसी भी स्तर पर कार्य में शिथिलता नहीं होने दी गयी है। जहां तक प्रयास का प्रश्न है, वे पूर्ण किये गये और यही कारण है कि आज इस बीमारी को काबू कर लिया गया है एवं अब पक्षियों की मृत्यु दर लगभग शून्य हो गयी है। बीमारी के आने से कुछेक मुर्गी पालकों को नुकसान हुआ है। उसको नकारा नहीं जा सकता है, परन्तु जीवित पशु–पक्षियों के व्यापार में ऐसी घटनाएं अवश्यम्भावी हैं।

(5) श्री हरिसिंह (महुआ), सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर के थाना नयापुरा के थानेदार द्वारा बीकानेर शहर की रामपुरा कालोनी निवासी एक महिला व उसकी पुत्रियों को नाजायज कार्य के लिए बाध्य कर मकान से बेदखल करने की कथित वारदात से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि श्रीमती नानूड़ी करीब 65 वर्षीय वृद्धा है, जिसकी दोनों लड़कियां शादी-शुदा हैं। श्रीमती नानूड़ी झगड़ालू एवं झूठी शिकायत करने की आदी है, जिसकी आम शोहरत अच्छी नहीं है। श्रीमती नानूड़ी द्वारा माननीय राज्यपाल के सलाहकार, पुलिस अधीक्षक, बीकानेर को समय–समय पर पूर्व में दिये गये विभिन्न परिवादों में थानाधिकारी द्वारा उसकी लड़कियों से अनैतिक सम्बन्ध स्थापित करने के आरोप एक बार भी नहीं लगाये गये हैं। जहां तक रामेश्वर बिश्नोई आदि द्वारा श्रीमती नानूड़ी के प्लाट पर कब्जा करने के आरोपों का सम्बन्ध है, अब तक की जांचों के अनुसार श्री रामेश्वर बिश्नोई आदि द्वारा अपने खरीदशुदा प्लाट पर कब्जा करना पाया गया है।

(6) श्री गोविन्द सिंह गुर्जर, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान में विश्व बैंक की मदद से संचालित सामाजिक वानिकी योजना को 28 फरवरी, 1994 से समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि किसी भी परियोजना के पूर्ण होने पर उस परियोजना की क्रियान्विति हेतु लगे हुए प्रशासनिक ढांचे में आनुपातिक कमी होना एक सहज व्यावहारिक एवं नीतिगत प्रक्रिया है।

इस परियोजना के पूर्ण होने के समय विभिन्न संवर्गों के 1145 स्वीकृत पदों में से 273 पद वर्ष 1993-94 में कम किये गये हैं तथा वर्ष 1994-95 में लगभग 432 पद कम करना प्रस्तावित है। कम किये पदों में अधिकारी, अधीनस्थ कर्मचारी

(श्री अध्यक्ष)

एवं मंत्रालयिक कर्मचारी सभी संवर्गों के पद सम्मिलित हैं। वर्ष 1993-94 में कम किये गये पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों को विभाग में चल रहे रिक्त पदों के विरुद्ध यथासम्भव समीपस्थ स्थलों पर समायोजित कर लिया गया है तथा वर्ष 1994-95 में समाप्त किये जाने वाले पदों के विरुद्ध कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध समायोजित करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री रामनारायण, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले की नैनवां तहसील में भूमिगत जल के स्तर में निरन्तर गिरावट होने तथा सरकारी कुओं के सूखने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री सुरेन्द्र गोयल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जैतारण मुख्यालय पर अतिरिक्त सैशन जज कोर्ट नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर एवं जयपुर जिले में खनिज विभाग के कई नाके बन्द किये जाने से करोड़ों रुपये की राजस्व हानि के सम्बन्ध में।

(4) श्री मोहनलाल मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नीम का थाना विधान सभा क्षेत्र के सांवलपुरा ग्राम में एक व्यक्ति द्वारा अजीतगढ़ थाने में 18-2-94 को रात्रि 9 00 बजे हुई वारदात की दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से कंवरसेन लिफ्ट नहर की आर.डी. 110(एल) से निकलने वाले खाले के विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती इन्दिरा मायाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर स्थित मानसरोवर कालोनी में अस्पताल स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से खेतड़ी तांबा परियोजना द्वारा आस-पास के क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री रिछपालसिंह मिर्धा, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले की लाडपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति द्वारा प्रदाय दुग्ध का भुगतान करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की कोटड़ी तहसील के ग्राम मंशा तथा हाजिवास की पेयजल समस्या के सम्बन्ध में।

(10) श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले की तहसील लाडनूं में ए.सी.एम. कोर्ट खुलवाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा की ओर से शिक्षा विभाग में

57

(अध्यक्ष)

शारीरिक शिक्षक ग्रेड-।। के आरक्षित पदों पर नियुक्ति नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती मीना अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों से जनता में व्याप्त भय एवं आक्रोश के सम्बन्ध में।

(13) श्री हीरालाल इन्दौरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से केसरीसिंहपुर मण्डी को उप तहसील का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री प्रतापसिंह सिंघवी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में कतिपय सड़कों का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी, आपका पाइण्ट आफ आर्डर।

व्यवस्था का प्रश्न

मुख्य मन्त्री के विरुद्ध नियम 119 के तहत प्राप्त निन्दा प्रस्ताव की ग्राह्यता

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (ओसियां): अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर रूल 294 के तहत मैं उठाना चाह रहा हूं और मैं चेयर का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हू शकधर जी पुस्तक के पेज 835 पर, जो मैं पढ़कर सुना देता हूं–"Any member can and should invite the Speaker's immediate attention to any instance of what he considers a breach of order or transgression of any law of the House, written or unwritten which the Chair has failed to perceive and he may also seek the guidance and assistance of the Chair in respect of any obscurities in procedure. A point of order should, therefore, relate to the interpretation or enforcement of the rules of procedure and conduct of business in the House or conventions or such articales of the Constitution as regulate the business of the House and must raise a question which is within the cognizance of the Speaker."

अब अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान पेज 837 पर ले जाना चाह रहा हूं:– "It has now become a practice that before a member is permitted to raise a point of order, he is required to quote the particular article of the Constitution, Rule, Direction or ruling"

श्री अध्यक्ष: कौनसा पेज बताया आपने आठ सौ ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी: 837, पहले वाला 835 था।

"...or practice which was being infringed or violated. Members who fail to quote the Rule, etc. ..."

अध्यक्ष महोदय, मैंने 294 आपके सामने कोट कर दिया है।

(58)

श्री अध्यक्ष : 837 में कौनसा पैरा पढ़ रहे हैं आप ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ चुका हूं एक, दो, तीन, चार और पांचवा पैरा।

श्री अध्यक्ष : "It has now become····"

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : यस, अब आपका ध्यान आकर्षण करना चाह रहा हूं मैं 838 पर-

"A member wishing to raise a point of order has the right to be heard before a decision can be given by the Speaker."

अब, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, दसवीं विधान सभा का मैं चुनकर आया हुआ ओसियां से सदस्य हूं। दो सैशन हो गये हैं। 6-1-1994 को और 9-3-1994 को, दोनों सैशन्स में मैंने आपके सैक्रेटरी साहब को नियम 119 का एक मोशन पेश किया उसके तहत जिनके खिलाफ मैंने आरोप लगाये, उनमें आपके मुख्य मंत्रीजी भी हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उनको मैंने रिटर्न में नोटिस भी दिया लेकिन मैं सोचता हूं, विडम्बना तो यह है, बड़ी+ ++बात है, अध्यक्ष महोदय, कि आज इस बात को तीन महीने होने जा रहे हैं न तो श्रीमान् ने उसका उत्तर दिया है, न चेयर ने व्यवस्था दी। मैं आशा करता हूं कि चेयर मुझे प्रोटक्शन देगी, मुझे मौका देगी....

क्योंकि जो कुछ भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उसके तहत जो बिंदु उठते हैं, मैं सोचता हूं कि राजस्थान के इतिहास में कभी एक ऐसा मुद्दा नहीं उठा है जिसमें मुख्य मन्त्री खुद...

श्री अध्यक्ष : आप तो अपनी बात कहिये, तथ्यों पर मत जाइये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूं, जब कभी मैं चेयर को या सैक्रेटरी के आगे पेश कर रहा हूं, मुझे मौका नहीं दिया जा रहा है बोलने का और पिछली बार तो यह हुआ था कि सैक्रेटेरियेट से और चेयर से मुझे यह भी कहने को मिला था कि भई, हम इसको एग्जामिन करवा रहे हैं। मैं यह अर्ज कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जो डाक्यूमेंट्स मैंने पेश किये या तो सरकार यह कह दे कि यह डाक्यूमेंट एगजिस्ट नहीं करते हैं या यह कह दे कि फर्जी हैं या यह कह दे कि उस आदमी ने कभी यह लिखा ही नहीं हो। अब एक सैक्रेटरी लेवल का अफसर, मैं, किसी को रेफर नहीं करूंगा...

श्री अध्यक्ष : आप डिस्कस करिये मेरे से। आपने 119 का नोटिस दिया है। मैंने कल आपको अपने चेम्बर में बुलाकर 119 की सब धाराओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया और मैंने कहा कि इसको आप लीगली एग्जामिन करिये। कल की बात है यह।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पहले आप मेरी सुन लें। पिछली बार जो सैशन हुआ था उसमें आपने मुझे फरमाया था, अब आपके और मेरे बीच में जो चर्चा हुई उसको मैं यहां नहीं पेश करना चाहता।

+ + + शब्द अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष :नहीं, नहीं चूंकि यह लीगल है, मैंने विधिवत आपको बुलाकर before giving my judgment or decision, आपका ध्यान आकर्षित किया है कि इसकी लीगल पोजीशन यह है, इस पर आप अपने विचार पढ़कर मुझे बताइये। यही तो कहा है मैंने और आज अभी तक तो आपने मुझे बताया नहीं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं अध्यक्ष महोदय, पढ़कर के बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : I am still open.

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : लेकिन भूमिका तो मुझे आपके सामने पेश करनी है।

श्री अध्यक्ष : वह बाद में, जब मैं डिसीजन दूं उस समय आप बोलियेगा। अभी तो डिसीजन करने के पहले मैंने आपको निवेदन किया है कि आप इस धारा को पढ़िये, पढ़कर मुझे समझाइये। जो डिफिकल्टी मेरे सामने आ रही थी, मैंने, आपके सामने रखी है। अब आप उसको देखकर मुझे बता दीजिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न आ ही नहीं सकता इस पर।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : घनश्याम जी, यह आपके समझ की बात नहीं है। (व्यवधान) आप क्यों उलझते हो इसमें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह मेरे समझ की है और आपको मैं भी समझा सकता हूं यदि आप बैठ जाएं तो।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पिछले सत्र में अपने चैम्बर में बुलवाया और आपने मुझे फरमाया कि मैं यह गवर्नमेंट से एग्जामिन करवा रहा हूं डाक्यूमेंट और मैंने बिल्कुल को-आपरेटिव मूड में होकर कहा कि आप गवर्नमेंट से एग्जामिन करवा लीजिये। जब मैं वापस आया, अध्यक्ष महोदय, तो मुझे कहा गया कि भई, आपका मोशन तो लैप्स हो गया, आपको वापस रेज करना पड़ेगा। उस समय, अध्यक्ष महोदय, जिन बिन्दुओं पर आपने मेरा ध्यानाकर्षण किया, न तो आपके सैक्रेटेरियेट ने, न चेयर ने चैम्बर में या यहां कहीं भी यह नहीं कहा कि भई, यह लीगल इश्यूज इन्वाल्वड हैं। आपने सिर्फ मुझे यह फरमाया था कि मैं यह डाक्यूमेंट एग्जामिन करवा रहा हूं और गवर्नमेंट से उत्तर मांग रहा हूं और यह भी मुझे कहने को मिला था कि matter is still alive. अब मैं आता हूं दूसरे सैशन में और एक रूल के तहत मुझे कहा जाता है कि भई, आपका जो मोशन है वह लैप्स हो गया। ठीक है, लैप्स हो गया। अध्यक्ष महोदय, मेरी अभी भी धारणा है कि मेरा मोशन लैप्स नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : मोशन मूव करने के बाद लैप्स नहीं होता है. Before giving permission, motion happens to be pending; in that case, it lapses. If the motion is allowed to be moved in the House, than it remains.

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : There might have been some misunderstanding between you and me. आपके और मेरे समझने में कुछ..

(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी-बाजार) : अब आप चैम्बर में बात कर लेना, यहां क्यों टाइम जाया कर रहे हो ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : कालीचरण जी, बात तो यहीं होगी, चैम्बर में नहीं होगी। आप देखिये, मैं प्रोसिजर से चल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : बोलिये, बोलिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप अगर मुझे फोर्स कर रहे हैं तो मैं मेरे साथियों के साथ यहां बैठने को भी तैयार हूं। (व्यवधान) आप मेहरबानी करके मत फोर्स करिये। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : आपने तय कर रखा है तो आप तो बैठेंगे ही, इसमें हम क्या करेंगे पर यह बात चैम्बर में ही हो सकती है, यहां क्यों टाइम जाया कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मामले को मिक्स मत करिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं मिक्स नहीं कर रहा हूं। मेरा हम्बल सबमिशन है।

श्री अध्यक्ष : आप ही के लिए कर रहा हूं। हम्बल सबमिशन किस पर करना है ? इश्यू यह है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप मेरी सुन लें।

श्री अध्यक्ष : Let me understand कि आप किस पर बोल रहे हैं ? आप पहले वाले पर बोल रहे हैं या इस पर बोल रहे हैं ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपने मुझे फरमाया कि एड्रेस मी, मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं यह पूछ रहा हूं कि आपने पहले वाला जो मोशन दिया था उस पर आप बोल रहे हैं ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मेरी अर्ज तो सुन लें, आपने फरमाया, "You will talk to me". I am talking to you. माननीय सदस्य बोल जाएं लेकिन मैं यह उम्मीद नहीं करता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि मुख्य मंत्री जी खुद बौखला कर मेरे को एड्रेस करें। वह अपनी सीमा में रहें, मैं उनको कभी इन्टरविन नहीं करता हूं और वह अपनी जगह पर रहें।

अब अध्यक्ष महोदय, जो मैंने 119 का उठाया....

श्री अध्यक्ष : पहले वाले पर आप चाहते हैं। एक-एक समाप्त करिये. It cannot last long. पहले वाले पर आप रूल 256 पढ़िये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैंने पढ़ लिया है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैं हाउस को पढ़कर सुनाता हूं ताकि हाउस को पता चले कि क्या है। सुनिये आप, "On the prorogation of the House, all pending notices, other than notices of intention to move for leave to introduce a Bill, shall lapse and fresh notices shall be given for the next session."

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : यह दे दिया मैंने 9-3-94 को।

श्री अध्यक्ष : अब दिया है तो पहले वाला तो डिस्पोज आफ हो गया।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : हो गया वह तो आपके चैम्बर में, मैंने आपको बताया।

श्री अध्यक्ष : Now don't refer to that. यह तो हो गया।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : किन कारणों से हुआ है, वह तो मैं नहीं कहता पर डिस्पोज आफ हो गया।

श्री अध्यक्ष : अब सुनिये नये के बारे में।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अब नये के बारे में मैं अर्ज कर दूं आपको।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, आपका पाइंट आफ आर्डर है ओन माई क्वेरीज। अब मैं वह क्वेरी करता हूं, आप उसका जवाब हाउस में दे दीजिये . . . (व्यवधान) आप उसका जवाब दीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली): आप उनको सुनें तो सही।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : Let him complete first.

श्री अध्यक्ष : धारीवाल साहब, आपको वकालत करने के लिए नहीं कहा मैंने, आप बैठिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वकालत करने का क्या सवाल है। यह हमारा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, आपका अधिकार नहीं है। जो मेम्बर बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल: उनको एक्स-प्लेन करने दीजिये।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : मैं अर्ज यह कर रहा हूं कि आप कम से कम उनको सुनिये तो सही।

श्री अध्यक्ष : मैं सुनकर ही बोल रहा हूं, 15 मिनट तो हो चुके हैं और उस बात में इनका लब्बे-लुआब यह निकला कि इन्होंने 119 में नोटिस दिया है जिसका डिसीजन मैंने नहीं दिया है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर मैंने उठाया है।

श्री अध्यक्ष : आप बोल चुके हैं, 15 मिनट बोल चुके हैं, You have spoken for fifteen minutes.

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आप बोलने तो दें।

श्री अध्यक्ष : कितनी देर ? There should be some time limit. आखिर टाइम लिमिट करिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप उस पर रूलिंग दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : इस पर रूलिंग दे दूं मैं?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : तो फिर बैठिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पहले मुझे बोलने तो दीजिये।

श्री अध्यक्ष : बोलिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैने 273 का हवाला दिया, "No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a membar against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply :

Provided that the Speaker may at any time prohibit any member from making any such allegation if he is of opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the House or that no public interest is served by making such allegation."

अब, अध्यक्ष महोदय, 119 कंडीशन्स ऑफ एडमिसेबिलिटी, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि उसके दो बिन्दु पर आपने मुझे टोका था और मैं उसको आपके अ्र अवगत करना चाहता हूं-

"Conditions of admissibility of motion. In order that a motion may be admissible, it shall satisfy the following conditions, namely:-

(i) it shall raise substantially one definite issue;

(ii) it shall not contain arguments, inferences, ironical expressions imputations or defamatory statements;

(iii) it shall not refer to the conduct or character of persons except in their public capacity;

एक तो यह बिन्दु था, अध्यक्ष महोदय।

(iv) it shall be restricted to a matter of recent occurrence;

यह दूसरा बिन्दु था।

(v) it shall not raise a question of privilege;

(vi) it shall not revive discussion of a matter which has been discussed in the same session;

(vii) it shall not anticipate discussion of a matter which is likely to be discussed in the same session;

(viii) it shall not relate to any matter which is under adjudication by a court of law having jurisdication in any part of India;

(ix) if it contains a statement, the member shall make himself responsible for the accuracy of the statement;

63.

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

(x) it shall not seek discussion on a paper or document laid on the Table of the House by a private member;

(xi) it shall not ordinarily relate to matters which are under consideration of a Parliamentary Committee;

(xii) it shall not ask for an expression of opinion or the solution of an abstract legal question or of a hypothetical proposition;"

यह 12 बिन्दु हैं, अध्यक्ष महोदय, 12 बिन्दुओं में मैंने एक का भी उल्लंघन नहीं किया। सबको ध्यान में रखते हुए मैंने यह प्रस्ताव रखा। अब सैकण्ड सैशन खतम होने आ रहा है। खतम हो, नहीं हो, वह चेयर जाने। लेकिन इसमें मैं एज ए सदस्य जाऊं कहां? आप मुझे अलाऊ करते नहीं हैं। पहले तो आपने फरमा दिया कि मैं गवर्नमेंट से एग्जामिन करवा रहा हूं जब मैंने कहा, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी मेरे नोटिस का रिप्लाई नहीं देंगे तो आपने फरमाया था कि वह देंगे क्यों नहीं? पिछले वाले नोटिस का मेरे पास रिप्लाई नहीं आया? 9 तारीख वाले का नहीं आया। मेरे पास मेरा जो प्रिविलेज है, मैं आप तक ही पहुंच सकता हूं। अब मुझे ऐसे घुमाया जाय। मैंने प्रोपराइटी मेन्टेन की है। इसके साथ पूरा को-आपरेशन और आपका आशीर्वाद था लेकिन अनफारचुनेटली, अध्यक्ष महोदय, भले ही आप सरकार को प्रोटेक्ट करना चाहें या नहीं करना चाहें लेकिन मेरे साथियों के पास और मेरे पास और कोई चारा नहीं है। या तो आप इस मोशन को अलाउ करें, अगर इसको एग्जामिन करवाने का ही वापस फरमायेंगे कि मैं एग्जामिन करवा रहा हूं तो, अध्यक्ष महोदय, मजबूरन हमें वहां बैठना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं, माननीय सदस्य ने पिछली बार भी एक मोशन दिया था, नोटिस दिया था, यह बात सही है। उस नोटिस की प्रति मुझे भी दी और मेरे सन-इन-ला श्री नरपतसिंह जी को भी दी। आज भी मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रूल्स में प्रावधान हो या नहीं हो इस मैटर को इस हाउस में डिसकस कर लिया जाय।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अवश्य, अभी ही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने अभी उठाया है। दो घन्टे बाद में, अध्यक्ष महोदय, मैं पेपर्स मंगवा लेता हूं, वह भी पेपर इकट्ठा करना चाहें, कर लें। एक बार इस मामले को थ्रेड बेयर इस हाउस में डिसकस कर लिया जाय। यह मामला हाउस में पहले भी डिसकस हो चुका है। डिटेल्स में इस मामले पर पूरी चर्चा हो चुकी है (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : भण्डारी साहब ने नया तथ्य जोड़ा है। माननीय मुख्य मंत्री जी, लेटर कभी पेश नहीं हुआ। यह जो पी. एन. भण्डारी का पत्र है, यह कभी पेश नहीं हुआ.. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : आप क्यों बोल रहे हैं, जब सदन के नेता बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। धारीवाल जी, बैठिये आप। उनकी बात सुन लीजिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : 25 हजार करोड़ रुपये की जमीन का घोटाला है।

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप मेरी बात तो सुनिये। मैं डिसकस करने को तैयार हूं। इसलिये निवेदन कर रहा हूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप उनकी बात पूरी सुन लीजिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने नये तथ्य दिये हैं। भण्डारी की रिपोर्ट इसके साथ लगाई है। रिपोर्ट 1977 की है। मेरा और नरपतसिंह जी का सम्बन्ध 1977 में नहीं हुआ। मैं जब चीफ मिनिस्ट्री से हटा 1980 में (व्यवधान) मेरी आप बात तो सुन लीजिये। 1977 से लेकर अगर मैने 1980 तक कार्यवाही नहीं की तो 1980 के बाद 1980 से लेकर 1989 तक कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हरिदेव जी जोशी के आदेश से हो इसकी जांच हुई है और उसी जांच पर पी.एन. भण्डारी की रिपोर्ट है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा। मैं तथ्यों को छिपाना नहीं चाहता। 1943 में जो जमीन उनके परिवार में थी उस जमीन को लेकर आज 1994 में मामला उठ रहा है। पिछली बार भी सदन में उठा, पूरा जवाब दिया। जो मामला उठाया, उनके पास कुछ था नहीं, हाउस में मामला डिस्पोज आफ हो गया। अब उसके साथ आज कारण क्या है, यह बोलने के बाद बताऊंगा कि किन कारणों को लेकर के यह मामला उठाया जा रहा है। मैं हाउस में रखूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी से निवेदन करना चाहता. . . .(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : There cannot be a point-of-order upon a point-of-order. अभी आपका पाइन्ट आफ आर्डर ही चल रहा है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय जब मेरा एक पाइन्ट आर्डर चल रहा है, then he cannot speak.

श्री अध्यक्ष : I can allow any body to speak on your point-of-order anybody can reply. देखिये, पाइन्ट आफ आर्डर पर I can hear all the members of the House. क्या बात कर रहे हैं आप। कोई नई परम्परा डाल रहे हो क्या आप? सीनियर लोग बैठे हुए हैं सारे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं तो चर्चा करने के लिए अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाह रहा हूं। मैं आपका समर्थन कर रहा हूं। इसमें आपको आपत्ति क्यों होनी चाहिए।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मेरे को आपत्ति नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपत्ति नहीं है तो फिर सुनिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप इसको घुमा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई घुमाना नहीं है। मैं जिस समय घुमाऊंगा उस समय भाटी साहब, आपको पता लग जाएगा कि आपने यह मामला क्यों उठाया है। उस समय भी मुझे बोलने की परमिशन मिलेगी। मैं कांग्रेस के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वह बैठने की बजाय मेरी बात को सुनें कि वह मामला क्यों उठाया है, क्यों मामला उठाने की नौबत आयी है। जो मामला हाउस में पिछली बार तय हो चुका है, सारे सदन ने सुन लिया उस मामले को क्यों उठा रहे हैं ? मैं कहना चाहूंगा कि आपने स्वार्थवश उस मामले को उठा रहे हैं' (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : नये तथ्य आये हैं। तीन पेज का पत्र है पी. एन. भण्डारी का, जो नये तथ्य बता रहा है। यह नये तथ्य आये हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पाइन्ट आफ आर्डर पर मैं भी कह रहा हूं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी: मेरा प्रिविलेज है।

श्री अध्यक्ष : आप तो प्रमुख वक्ता हैं। आप बैठिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्यामजी तिवाड़ी बोल रहे हैं। शान्ति से सुनिये..(व्यवधान) जब आपने शुरू किया है तो hear it patiently, from all sides. जब आपने शुरू किया है तो आप सुनिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : I am hearing it patiently.

श्री लक्ष्मणसिंह (भीम): आप क्यों डिबेट अलाउ कर रहे हैं इस विषय के ऊपर।

श्री अध्यक्ष : देखिये, आपने पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है। पाइन्ट आफ आर्डर पर हर मेम्बर को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। उनका पाइन्ट आफ आर्डर इन आर्डर है कि नहीं, anybody from this House can stand up and ask for my permission to speak on that.

श्री राधेश्याम : . . (व्यवधान) दो घंटे बाद डिबेट अलाउ कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : यह नियमों के अनुकूल है प्रतिकूल नहीं है। राधेश्यामजी, आप शायद नियम नहीं जानते : आप बैठिये, यह झगड़ा करने की बात नहीं है, नियमों की बात है। यह लीगल बात है। आप क्या बात कर रहे हैं।

श्री राधेश्याम : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुनिये।

श्री अध्यक्ष : पहले घनश्यामजी खड़े हुए हैं। आपको सुनूंगा। घनश्यामजी को सुनने के बाद सुनूंगा आपको। आप बैठिये, इनका लिखें नहीं। आप बोलिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहा हूं कि यह जो व्यवस्था का प्रश्न माननीय भाटी साहब ने उठाया है, मेरी आपत्ति है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

माननीय मुख्य मंत्री जी ने उदारतापूर्वक कुछ कह दिया कि सदन में चर्चा कर ली जाये। लेकिन मैं आपको पहले की जो रूलिंग्स हैं उनके हिसाब से निवेदन करना चाहता हूं कि जो विषय एक बार सदन में डिस्कस हो चुका है, तय हो चुका है... (व्यवधान) कृपया मेरी बात सुन लें। फिर आपको अपनी बात करने का अधिकार है। अगर यह व्यवस्था रही तो उचित नहीं है। आज इस गम्भीर मसले पर चर्चा हो रही है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार सदन में श्री सुरेन्द्र व्यास जी ने यह मामला उठाया। यहां पर पूरी चर्चा हो गयी। उसमें हर बात का जवाब दिया गया। उसके बाद पिछली बार माननीय भाटी साहब ने प्रश्न उठाया और आपने व्यवस्था दी, अध्यक्ष महोदय, कि इस सदन में इस पर चर्चा हो चुकी है। इसलिए मैं अलाउ नहीं करूंगा। यह दो बार बात हो गई। अध्यक्ष महोदय, मैं भाटी साहब से कहना चाहता हूं कि यह सदन किसी भी विषय पर चर्चा कर सकता है लेकिन व्यक्तिगत रंजिश के आधार पर और अपने स्वार्थों के आधार पर आरोप लगाने की परमिशन सदन में नहीं दी जा सकती। अध्यक्ष महोदय, अगर इस सदन को व्यक्तिगत चरित्र हनन करने का ग्राउण्ड बनाया गया, अगर अपने निजी कारणों से, अपने स्वयं की किन्हीं कार्यवाहियों के कारण से, कोई कानूनी कार्यवाही के कारण से यदि सदन में इस प्रकार के मुद्दे लाये गये तो यह सदन व्यक्तिगत चरित्र हनन का केन्द्र बनेगा जो सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं होगा। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा आपसे कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की उदारता के बावजूद कि वह इसको डिस्कस करना चाहते हैं, आप सदन की परम्पराओं के अनुसार इसका निर्धारण करें और उसी के अनुरूप इसका फैसला होना चाहिये। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक बात। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : यह सदन की परम्पराओं के अनुकूल है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह पूरा कर लें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं एक बात कह कर समाप्त कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह पूरा कर लें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : लीडर ऑफ दी हाउस ने प्रस्ताव रख दिया कि दो घण्टे बाद इस पर चर्चा कर ली जाये वह तैयार हैं उसके बाद में मामला खतम हुआ। किस बात पर बहस कर रहे हैं अब ये ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं नहीं चाहता चर्चा हो।

श्री रामनारायण चौधरी : मामला खतम हुआ, दो घण्टे बाद सुन लीजिये। अब नयी बात क्यों उठा रहे हैं आप ? माननीय सदस्य नयी बात किसलिए उठा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि यह प्रोग्राम पहले से तय किया गया है। यह तय किया गया है कि. . . .

श्री अध्यक्ष : एक बार सब बैठिये। मेरी सुन लीजिये आप, प्लीज. . (व्यवधान) आप बैठिये सुनिये प्लीज। आप सदन में अपने-अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन व्यवस्था देना मेरा अधिकार और कर्त्तव्य, that I reserve मैं डिसीजन दूंगा कि I should allow or not. भले ही मुख्य मंत्री जी स्वीकार कर लें या कोई स्वीकार कर लें। व्यवस्था का जहां तक प्रश्न है, लीगल वह मैं दूंगा और मैं व्यवस्था दूंगा वही होगी। इसलिए आप अपनी-अपनी बात कह सकते हैं और वह मैं आपको मौका दे रहा हूं कि आप अपनी बात कह सकें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं बात कह रहा था (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : वही नियमानुसार है, अध्यक्ष महोदय, लेकिन कुछ बातें, (व्यवधान) माननीय घनश्यामजी

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मुझे अपनी बात कम्पलीट करने दीजिये। माननीय सदस्य (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा वह सही है। इस सदन के नियमों के आप रक्षक हैं. . . (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप मुझे अपनी बात.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : और आप जो व्यवस्था देंगे वही नियम होगा और वही परम्परा बनेगी। लेकिन जिस बात को सदन के नेता ने स्वीकार कर लिया, इधर से प्रस्ताव आया आपके यहां वह विचाराधीन है . . (व्यवधान)

श्री राधेश्याम : अध्यक्ष महोदय, आपको बाईपास करके. . . (व्यवधान) अगर पर्सनल मामला है और स्वार्थ का मामला है तो हाउस में आना चाहिए किस के स्वार्थ। . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बैठिये। (व्यवधान) आपको मैं 119 पढ़ करके सुना देता हूं। आप पहले सुन लीजिये इसको। "Save in so far as is otherwise provided in the Constitution or in these rules, no discussion on a matter of general public interest shall take place except on a motion made with the consent of the Speaker."

It is very clear. इसमें हाउस की कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। इसमें स्पीकर की कंसेंट का सवाल है।

(68)

(श्री अध्यक्ष)

मैने अपनी कंसेंट देने से पहले श्री भाटी जी से दो पाइण्ट्स क्लेरीफाई करने के लिए कहा है। मैं फिर से आपको ध्यान दिलाता हूं इसमें जो कंडिशंस है उसमें दो कंडिशंस इम्पार्टेण्ट है। एक तो यह है कि "it shall not refer to the conduct or character of persons except in their public capacity."

इसमें जो मामला उठाया गया है श्री नरपतसिंहजी राजवी के खिलाफ उठाया गया है और जिस समय का यह मामला है उस समय he was not in any public capacity. वह एक प्राइवेट आदमी थे जिसके हिसाब से उठाया गया है।

दूसरा है कि "it shall be restricted to matter of recent occurrence."

Not a recent finding of a letter. Recent occurrence. The "occurrence" took place 40 or 50 years ago. और आज उसका सवाल उठाया जा रहा है कि एक पत्र मिला है जिसका हमको अब पता चला है। ऑकरेंस बहुत पहले हो चुकी है। इन दो पाइण्ट्स पर मैंने आप से कहा था कि मुझे यह बता दीजिये कि क्या यह रीसेण्ट ऑकरेंस है और क्या जो मामला आप उठा रहे हैं जिस व्यक्ति के खिलाफ, उसने पब्लिक कैपेसिटी में कोई काम किया है। इन दो का मैंने इनसे जवाब मांगा है और मैं ऐसा समझता हूं यदि आप नियम और प्रक्रिया को चलाना चाहें तो इन दो का जवाब श्रीमान भाटीजी मुझे दे दें ताकि मैं अपना डिसीजन दे सकूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लेट मी कम्प्लीट, सर।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : वह तो अभी दे दूंगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप चाहे अभी दे दें, चाहे मुझे चैम्बर में दे दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे इन दो पाइण्ट्स का जवाब मिल जाए, मैं आज डिसीजन दे दूंगा।

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है·· (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लेट मी कम्प्लीट। अध्यक्ष महोदय, मुझे अपना कथन पूरा करने दिया जाए।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जब मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है और वह कहते हैं कि दो घंटे में मैं जवाब देना चाहता हूं·· (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह अध्यक्ष का अधिकार है, अध्यक्ष का।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं मेरे कागज शामिल कर लूं·· (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह मुख्य मंत्री का अधिकार नहीं है, अध्यक्ष का अधिकार है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप इनको गलत बाक्स में क्यों डाल रहे हैं। (व्यवधान) सारे फैक्ट्स सामने है।

श्री अध्यक्ष : मैंने केवल भाटीजी से यह क्वेरीज की हैं। मैंने मुख्य मंत्रीजी से यह क्वेरीज··

श्री खेतसिंह राठौड़ : राजवी जी जवाब देना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब जवाब देना चाहते हैं तो दीजिये, खुलासा हो जाएगा · · (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुख्य मंत्रीजी कैसे जवाब दे देंगे। (व्यवधान) बिना व्यवस्था के जवाब दे देंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : बैठिये एक मिनट, प्लीज। जिस दिन सरकार की तरफ से या मुख्य मंत्रीजी की तरफ से मेरे पास इस नोटिस के जवाब में लिखित में आ जाएगा उस समय उस पर मैं विचार करूंगा। मेरे पास जब लिखित में आएगा, नहीं आएगा तो भी मुझे डिसीजन देना है चाहे आपने नोटिस 273 में दे दिये हैं। ठीक हैं। अब वह जवाब दें तो भी मुझे डिसीजन देना है। और वह जवाब नहीं दें तो भी मुझे डिसीजन देना है। वह जवाब नहीं दें तो मैं उनको कन्सीडर कर लूंगा। वह जवाब नहीं देंगे तो it will never be considered.. इसलिए केवल, भाटीजी, इन दो पाइन्ट्स पर आप अपने विचार बता दीजिये उसके बाद मैं अपना डिसीजन दूंगा। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुमति · ·

श्री अध्यक्ष : राधेश्याम जी, आप किस तरह खड़े हो रहे हैं ? मैं भाटीजी को बोल रहा हूं तो आप खड़े हो जाते हैं, मैं इनको बोलता हूं तो आप खड़े हो जाते हैं, तो थोड़ा आप इनको कम्प्लीट तो करने दीजिए अपनी बात।

श्री राधेश्याम : मैं अर्ज कर रहा हूं एक मिनट मेरी सुनो तो सही।

श्री अध्यक्ष : नहीं आपने यह क्या चौधराहट अपना रखी है ?

श्री राधेश्याम : एक मिनट तो सुनिये आप।

श्री अध्यक्ष : नहीं सुनता मैं। जब उनको मैंने पुकारा है जबरदस्ती आप खड़े होते हैं। आपको जो करना है करिये मगर अव्यवस्था तो मत करिये। हां, घनश्यामजी बोलिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना कथन पूरा कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप कम्प्लीट करिये जल्दी से।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि यह सारी जो बातचीत उठी है उसका दूसरा कारण है। वह कारण यह है कि आज जब यह तय हुआ कि सदन में इस प्रकार कार्य नीति तय की जाएगी किन्हीं कारणों के कारण से उस कार्य नीति के कारण से जब यह बात तय हो गई तो कुछ माननीय सदस्यों ने यह सोच कर कि किसी न किसी प्रकार सदन में किसी पाइण्ट पर धरना देकर इस पाइण्ट को फोकस किया जाए और व्यक्तिगत चरित्र हनन तक ले जाया जाय · ·

अनेक माननीय सदस्य : गलत है यह बात · · (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसके लिए यह मामला उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसका और कोई कारण नहीं है। इस प्रकार का मुद्दा उठाना और सदन को व्यक्तिगत चरित्र हनन का आधार बनाना और निजी कारणों के कारण से सदन का हस्तक्षेप करना, प्रांगण का यूज करना किसी भी प्रकार से नियमों के अनुसार नहीं हैं। और अध्यक्ष

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सदन की गरिमा की रक्षा करने के लिए आज तक जितनी व्यवस्थाएं हुई हैं, चाहे माननीय मुख्य मंत्रीजी बहस करना चाहे, चाहे नरपतसिंहजी बहस करना चाहे चाहे नरेन्द्र सिंहजी भाटी बहस करना चाहे, जिस प्रकार की हमारी परम्पराएं है, नियम है आप गरिमामय आसन पर है उस गरिमा को रखते हुए उसी प्रकार की आप व्यवस्था करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भाटीजी बोल रहे हैं। अब आप एक साथ बोलेंगे क्या? आप नहीं चाहते कि भाटीजी बोलें? भाटीजी बोलना चाहते हैं, मामला उनका है आपका नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक मिनट में बोल लू?

श्री अध्यक्ष : भाटीजी बोल रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह कह रहे है मैं बोलूं। (व्यवधान) ज्यादा बड़ा निवेदन नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अच्छा एक मिनट, यह कब तक चलायेंगे चर्चा, how long? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जब तक न्याय नहीं मिलेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कब तक चलायेंगे? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जब तक आपसे न्याय नहीं मिलेगा।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जायेंगे तब तक चलाएगें इस बात को।

श्री अध्यक्ष : जब तक निर्णय नहीं हो जाता है तब तक चलायेंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नहीं, जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते हमारी बात से तब तक चलायेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं इस सदन को 20 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 12.40 बजे 20 मिनट के लिए स्थगित हुई।)

(पुनः समवेत होने पर)

(13.00)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा अध्यक्ष पदासीन)

कार्य सलाहकार समिति का पंचम प्रतिवेदन

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के पंचम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :–

कार्य सलाहकार समिति की बैठक आज दिनांक 16 मार्च, 1994 को मध्यान्ह पूर्व 10.45 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म में हुई। समिति ने आज दिनांक 16 मार्च, 1994 को बजट पर सामान्य वाद-विवाद पर राज्य सरकार के उत्तर के पश्चात् चतुर्थ प्रतिवेदन का आंशिक रूप से अधिलंघन करते हुए अग्रेत्तर विचारार्थ लिये जाने वाले कार्यों का नियतन निम्न-प्रकार किया है :–

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 1994

(1) अनुपूरक अनुदान की मांगे वर्ष 1993-94 (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन, उन पर विचार एवं पारण।

(2) लेखानुदान (वोट-आन अकाउण्ट) वर्ष 1994-95 का उपस्थापन, उस पर विचार और पारण।

(3) उपरोक्त क्रम संख्या 1 व 2 से सम्बन्धित विनियोग विधेयकों का पुरः स्थापन, उन पर विचार और पारण।

(4) राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार एवं पारण।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के पंचम प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के पंचम प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

समिति गठन प्रस्ताव

प्रक्रिया के नियम 230 (1) 231 (1) 232 (1) एवं 233 (ख) (1) का निलम्बन कर वित्तीय समितियों के मनोनयन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 15 मार्च, 1994 को राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम के नियम 230 (1) 231 (1) सहपठित नियम 232 (1) 233 (1) (ख) द्वारा निर्दिष्ट नीति से समस्त सदस्यों में से क्रमशः जन लेखा समिति, प्राक्कलन समिति "क" व "ख" राजकीय उपक्रम समिति 1994-95 प्रत्येक के लिए 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अधिस्वीकृत किया गया था।

सर्व विदित स्पष्ट परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अधिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में मै यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 306 के अध्यधीन प्रक्रिया के नियम 230 (1), 231 (1) सपठित नियम 232 (1), 233 (ख) (1) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह उपरोक्त समितियों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासम्भव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उनका

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

प्रतिनिधित्व दिया जाए, जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है मनोनयन करें ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

श्री महावीर भगोरा ।

व्यवस्था का प्रश्न

मुख्य मंत्री के विरुद्ध नियम 119 के तहत प्राप्त निन्दा प्रस्ताव की ग्राह्यता

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के वर्तमान शासन और पूर्व में गये शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां): अध्यक्ष महोदय, यह नहीं चलेगा ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, आपने इनको पहले..

श्री महावीर भगोरा : निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के पश्चिमी जिलों में जो वनवासी जिले हैं उन वनवासी जिलों के डिप्लोमा होल्डर बेरोजगार इंजीनियर्स...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात...

श्री अध्यक्ष : वह बोल रहे हैं ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान ।

श्री महावीर भगोरा : दिनांक 25 से सदन के बाहर, विधान सभा के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं ।··· (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । व्यवस्था का प्रश्न वो सुनिये ।

श्री फूलचन्द (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय, आप ट्राइबल के बारे में बोल रहे हैं, और ट्राइबल के लिये वफादार हो और ट्राइबल का विकास करना चाहते हो और हमें बोलने नहीं दे रहे हो । इनको बोलने दीजिये ।

श्री महावीर भगोरा : अध्यक्ष महो-महोदय मेरी बात है मैं सरकार तक

श्री फूलचन्द: ट्राइबल के विकास के लिए हम बोलना चाह रहे हैं और आप बोलने नहीं दे रहे हो, हमें मौका नहीं दे रहे हो, आदिवासी सन् 1981 से आन्दोलन कर रहे हैं आज तक नौकरी नहीं दी आपने और बोलने नहीं दे रहे हो (व्यवधान) जब आप बोलते हैं तो हम भी सुनते हैं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, पहले आपकी व्यवस्था हो जानी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : शून्यकाल में जो बोलना चाहते हैं वह पहले समाप्त कर दें । उन्होंने लिख कर दिया है, उसमें आपके लोग भी हैं और वे अपनी-अपनी बात कहना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं, नहीं अध्यक्ष महोदय,·· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : फिर व्यवस्था क्या हुई ?

श्री खेतसिंह राठौड़: व्यवस्था पहले दे दीजिये। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द: अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों के गम्भीर मामले हैं और नहीं बोलने दे रहे हैं कांग्रेस वाले।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, आपके सामने

श्री अध्यक्ष: विराजें, बैठिये। अब आप बैठिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी: अध्यक्ष महोदय, उनका अभी (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। प्लीज आप बैठिये। आप एक मिनट बैठिये। मैंने हाउस एडजोर्न किया और मैंने माननीय भाटीजी सहित आपके नेता और मुख्य सचेतक से बात करके यह तय किया कि शून्यकाल का सारा काम आपका है (व्यवधान) आप पहले सुन लीजिये। मैंने जो तय किया है कह रहा हूं। मैंने जो तय किया है यह शून्यकाल का काम पूरा हो जाए, काल अटेन्शन आपके हो जाएं, स्पेशल मेन्शन हो जायें उसके बाद भाटीजी जो दो प्रश्न मैंने इनके सामने रखे हैं उस पर बोलेंगे, और भी कोई माननीय सदस्य उस पर बोलना चाहें, अपने विचार रखना चाहें तो वह अपने विचार रख सकेंगे और फिर यदि वह चाहे कि मै अपनी व्यवस्था आज ही दूं तो आज दे दूंगा और वह चाहें कि अपनी व्यवस्था बाद में दूं तो बाद में दे दूंगा। इसलिए मैंने हाउस एडजोर्न किया था और उसी हिसाब से मैं चल रहा हूं। अब आप यदि मेरे को सहयोग नहीं करेंगे तो मुझे तो अपना काम करना है। देखिये, आप यदि सहयोग नहीं करेंगे, I am bound...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी: यह क्या मतलब हुआ। मीटिंग में क्या तय हुआ?

श्री अध्यक्ष: मुझे इस सदन में जो बिजनेस आया है उसे चलाना है। (व्यवधान) भाटीजी बैठिये, मैं खड़ा हूं, श्रीमान भाटी जी, I am on my legs. तो यह मेरी ड्यूटी है कि इस हाउस का बिजनस मैं कराऊं। आपका सहयोग हो तो आपके सहयोग के साथ होना चाहिए और यदि दुर्भाग्य से आपने यह तय किया कि आप सहयोग नहीं करेंगे तो बिना सहयोग के भी होगा। बिजनस करवाना मेरी ड्यूटी है, I am bound by it और मुझे करवाना पड़ेगा। अब आप तय कर लीजिये क्या चाहते है। यदि आप शांति से...

श्री खेतसिंह राठौड़: हम तो आपका सहयोग कर रहे हैं लेकिन पहले आप उस पर रूलिंग दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष: मैं दे दूंगा। मैंने आप को बताया था, मैं आपको सुन कर दूंगा। देखिये, मैंने जब कह दिया है कि आप (व्यवधान) please, hear me.

श्री शांति कुमार धारीवाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पहले भाटीजी को सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष: Please, hear me.

श्री हरिसिंह (महुआ): आप भाटी जी को सुन लें।

श्री अध्यक्ष: हां, सुनूंगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उसके बाद आप अपना निर्णय दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : हां, मैं भाटी जी को सुनूंगा और कोई भी माननीय सदस्य उस पर बोलना चाहेंगे तो उनको भी सुनूंगा और सुनने के बाद अपना डिसीजन दूंगा। जब विधायी कार्य शुरू होगा उसके पहले पहले यह सब काम होंगे। मैं आपको कोई लम्बा नहीं कहना चाहता हूं ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : जो आप फरमा रहे हैं कि चीफ व्हिप और हमारी पार्टी के लीडर के बीच में और आपके समक्ष यह तय हो गया कि जीरो आवर की कार्यवाही चलने दी जाए, मेरी जानकारी ऐसी है कि इस तरह की कोई सहमति हमारी तरफ से नहीं हुई है । जो आप फरमा रहे हैं कि जीरो आवर चलाने दिया जाए और उसके बाद में बिजनस ले लिया जाए· · ·

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये । आपके नेताजी बोल रहे हैं। माननीय परसरामजी (व्यवधान) सुन लीजिये परसरामजी को ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, · · ·

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। परसराम जी, आप बोल रहे हैं ?. . . (व्यवधान) सवाल यह है. . .

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अब एक बात तो तय होने दीजिये कि क्या करना है। फिर जो आप तय करेंगे वही हो जाएगा। आपका नंबर तो आने ही वाला है। · · (व्यवधान) आपका नंबर तो आने ही वाला है मगर आप पहले एक बात तो तय करिये ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, देखिये, आप रूल्स आफ प्रोसिजर के तहत चलें, हमें यह आपसे उम्मीद है ।

श्री अध्यक्ष : आप रूल्स आफ प्रोसिजर तोड़ रहे हैं, मैं रूल्स आफ प्रोसिजर के मुताबिक चल रहा हूं। मैंने आपको कहा कि बिजनस· · · (व्यवधान) I have already allowed you to speak on this point और दूसरे सदस्यों को भी मैं कह चुका हूं कि इसके पहले कि विधायी कार्य हो, आपको और अन्य माननीय सदस्यों को पूरी तरह से सुनने के बाद आप चाहेंगे तो मैं अपनी व्यवस्था दूंगा और आप नहीं चाहेंगे तो व्यवस्था बाद में दूंगा। यह सारी बातें कह चुका हूं और यह रूल्स आफ प्रोसिजर के मुताबिक कह रहा हूं। आप इसको तोड़ करके बात कर रहे हो और फिर रूल्स आफ प्रोसिजर की दुहाई दे रहे हैं, आश्चर्य की बात है ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने आज तक. . .

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर के तहत कुछ बहस चल रही थी उसका फैसला हुए बिना ही दूसरे एजेण्डा आइटम क्या बीच में लिये जा सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप, बैठिये। अब आपके इसी का मैं तय कर देता हूं। आप बैठिये। सबसे पहली बात तो यह कि it is not at all a point of order मैं कह रहा हूं, यह केवल उनका कथन था। शून्यकाल में पाइंट आफ आर्डर प्रस्तुत करने की परम्परा, नियम कहीं नहीं है। लेकिन वह यह कहना चाहते थे, वह अपनी बात कहना चाहते थे, सुनिये, वह अपनी

(श्री अध्यक्ष)

बात कहना चाहते थे इसलिए मैंने उनको अलाउ किया जैसा कि शून्यकाल में हर माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहता है। किसी ने मोशन दिया है, किसी ने एडजोर्नमेंट मोशन दिया है। हर मेम्बर यह चाहता है कि वह अपनी बात कहे कि मैंने स्पेशल मोशन दिया था, उसका क्या हुआ ? मैंने मोशन दिया था उसका क्या हुआ ? यह क्वेरीज है कि जो शून्यकाल में होती है। They are not regarded as a point of order. आप मेहरबानी करके पाइंट आफ आर्डर पढ़िये ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : रेज पाइण्ट आफ आर्डर हुआ है। आपने अलाउ किया है।

श्रीमती कमला : आप यही फैसला दे दीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : तो आप कमला जी से बात नहीं करने देंगे। Let there be somebody who should discuss with me All of you stand for the discussion...कमला जी बात कर रही हैं, Let her speak.

श्रीमती कमला : मैं आपसे यही निवेदन कर रही हूं कि अगर आपने....

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपने तय कर लिया है कि व्यवस्था हाउस में नहीं हो। Well, it is all right. You go on and I will...

श्रीमती कमला : हाउस को अच्छी तरह से चलाना चाहिए। हम भी को-आपरेट करेंगे....

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, कहां कर रहे हैं को-आपरेट। मैं आपको कह रहा हूं कि आप बोलिये, तो पांच खड़े हो जाते है। यह क्या बात हुई ?

श्रीमती कमला : मैं आपसे यही निवेदन..

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब यह हुआ कि मैं माननीय नेताजी और मुख्य सचेतक जी से कहूंगा कि अपनी पार्टी पर नियंत्रण रखें। एक-एक आदमी बोले-I am here to hear of patiently all of you but not like this that all ten stand up and start hooting यह कोई परम्परा नहीं है, यह कोई हाउस की मर्यादा नहीं हैं। एक-एक बोलिये आप।

श्रीमती कमला : हां, ठीक है, एक-एक को बोलना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपसे यही निवेदन करती हूं कि आपने जब इसको पाइंट ऑफ आर्डर नहीं माना है तो आप यही फैसला दे दें कि आपने जो पाइण्ट आफ आर्डर के नाम से बात उठायी है, वह पाइंट आफ आर्डर नहीं मानता, मैं इसको रिजेक्ट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : चलिये, मैं यही फैसला देता हूं कि यह पाइण्ट ऑफ आर्डर नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने पाइण्ट ऑफ आर्डर माना है।

श्री अध्यक्ष : हां, मैंने दे दिया यह फैसला कि यह पाइण्ट ऑफ आर्डर नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं-नहीं, आपने पाइंट ऑफ आर्डर माना है।

श्री अध्यक्ष : No-No, this is not a point of order.

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने पाइंट ऑफ आर्डर माना है।

श्री अध्यक्ष : अब मैं कह रहा हूं, this is not a point of order... आप जबरस्ती मनवा रहे हैं मुझसे। मैंने कह दिया यह पाइंट ऑफ आर्डर नहीं है। I have rejected it as a point of order. चलिये। श्री जुबेर खान। श्री जुबेर खान... (व्यवधान) श्री जुबेर खान, कुछ बोलना है आपको? बोलिये-बोलिये। नहीं बोलना है?

श्री शांति कुमार धारीवाल : व्यवस्था हो तो बोलें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा। आपको बोलना है कुछ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आपने पाइंट ऑफ आर्डर रेज किया तो आपने परमिशन दी···

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा। आपको बोलना है?

श्री हीरालाल इन्दौरा : जब सारी चीजें एक हो गयी··· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, निर्णय से पहले कम से कम सदन की भावना तो जान लीजिये।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्या हुआ···(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप बोलने नहीं दे रहे हैं इनको···

श्री नाथूराम अहारी : हां, बोल रहा हूं···

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी··· (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था···

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी, बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं? चलिये··

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था आपसे···

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं आपकी अर्ज क्यों सुनूं अब? आपका पाइंट ऑफ आर्डर रिजेक्ट कर दिया है। This is not a point of order. I have rejected your point of order It is not point of order. (व्यवधान) कमला जी ने मुझे कहा, कमला जी की रिक्वेस्ट पर मैंने आपको डिसीजन दे दिया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जब पाइंट ऑफ आर्डर माननीय सदस्य ने रेज किया..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या कमला जी, जो इतनी सीनियर हैं उनकी प्रार्थना पर मैंने अपना डिसीजन दे दिया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, अध्यक्ष महोदय, जब पाइंट ऑफ आर्डर हो रहा है·· (व्यवधान)

श्री पूनम चन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, भाटी जी का जो कथन है यह चाहे पाइंट ऑफ आर्डर है या नहीं है आपने यह फरमाया है कि इसमें दो पाइंट्स इन्वाल्वड हैं और इनके ऊपर में इनको सुनूंगा, अन्य माननीय सदस्यों को सुनूंगा और उसके बाद में आप अपना विनिश्चय देंगे, ऐसा आपने फरमाया था। अब आप उससे बिलकुल एक तरह से··

श्री शांतिकुमार धारीवाल : विपरीत।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : हां, विपरीत ही आप यह फरमा दें कि मैं इसको नहीं मानता·· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप इन पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : तो यह सदन के लिए ·

श्री अध्यक्ष : Are you more intelligent than Mr. Vishnoi Then. why are you interfering ? Sit down, please.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इंटेलिजेंट का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : You, please, sit down. I say you sit down, I say you sit down, I say you sit down, Mr. Dhariwal, I name you.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह कोई बात नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : देखिये, मैं श्रीमान् धारीवाल साहब, आपका नाम लेकर पुकारता हूँ कि आप इंटरप्शन बन्द करें या बाहर चले जाइये हाउस के या चुपचाप बैठिये। हां बोलिये।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आप धैर्य से काम लीजिये। सदन के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह आपको भी नहीं बोलने दे रहे हैं, क्या धैर्य से काम लूं।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : कई दफा ऐसे क्षण आ जाते हैं जब माननीय सदस्य भी आवेश में आ जाते हैं लेकिन आसन को तो बहुत ही विशाल हृदय रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। हम छोटे मोटे हैं, कभी कुछ बात कह भी देते हैं तो आपको उसको बरदाश्त कर लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नहीं, लेकिन वह आपके बीच में बोल रहे है यह बुरा लगा है मुझे। और किसी के बीच में बोलते तो ठीक था..

श्री पूनम चन्द विश्नोई : इसलिए उस पर...

श्री अध्यक्ष : आप इतने धैर्य रखने वाले, इतना संजीदा और आपके बीच में भी वह बोल रहे हैं। आपसे भी ज्यादा समझदारी बता रहे हैं, इस पर आपत्ति हो रही है मुझे।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : आप पर ही बोल लेते हैं, मैं तो एक्स-स्पीकर हूं। अब मेरे बोलने से क्या है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने बहुत भोगा है।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, जो बात आ गई है तो उस पर आपका निर्णय इनको सुन करके बाद में हो जाए। दूसरों को भी आप सुनना चाहें तो उनको भी सुन लें यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये । ऐसा है, माननीय विश्नोई जी यही मैं कह रहा था। जो मैंने शुरू में कहा, मैं उस पर अभी टिका हूँ कि इन्होंने जो सवाल उठाया है उस सवाल के बारे में मैंने दो क्वेरीज की हैं । इसलिए केवल टाइमिंग का सवाल है । अभी शून्यकाल में आपके काल-अटेन्शन हैं, स्पेशल मोशन है और कुछ लोग शून्यकाल में अपनी बात कहना चाहते है. यह ओवर होने के बाद भाटीजी उन पाइण्ट्स पर, जो मैंने रेज किये है बोले, और भी कोई माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहें रखें, उसके बाद में मैं अपना निर्णय दूंगा, यह मैंने कहा है । मैंने उनको मना नहीं किया । मैं आज भी मान रहा हूं। सवाल यह है कि पहले लें कि बाद में लें । यह प्रश्न है, यह आप तय कर लीजिये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है । अब मैंने तो··· (व्यवधान) विश्नोई जी को बोलने दीजिये आप ।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : जैसे अभी कार्य सलाहकार समिति ने निर्णय लिया है कि आज ही वोट आन अकाउण्ट होकर के और दूसरे जो जरूरी कार्य हैं वह करके सत्रावसान हो जाएगा तो फिर माननीय सदस्यों को, एक-दो मान लो बोल भी लेंगे तो कौनसी संतुष्टि हो जाएगी ? इसलिए वह अब इतने महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं । जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं उनकी शिकायत वाजिब हो सकती है लेकिन फिर भी अब जब मैंने कहा ना सत्रावसान ही होने जा रहा है तो उसमें अब एक-दो माननीय सदस्य बोल लेंगे तो कौनसा भला हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट । मैं पाइन्ट आफ आर्डर के मामले में श्रीमान विश्नोई जी जब अध्यक्ष थे, उनकी व्यवस्था सुना देता हूं पढ़ करके ।

"श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि गत सत्र में लिये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जो कि अलवर महाराज कुमार की हत्याकाण्ड से संबंधित था, के संबंध में 25-30 सदस्यों के हस्ताक्षर पर चर्चा करने की मांग की है । पिछले सत्र में यह मामला डिसकस होने वाला था पर अचानक सदन के स्थगित होने से वह रह गया। इस पर कानसिंह आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उस पर चर्चा होनी चाहिए । यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए आज ही सदन में लिया जाना चाहिए इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा, इस व्यवस्था के प्रश्न का मैं रूल आउट करता हूं क्योंकि आज का जो बिजनेस है उसमें वह नहीं है और पाइन्ट आफ आर्डर जो आज का बिजनस हो उसी के तहत उठाया जा सकता है । इसलिए माननीय सदस्य के पाइंट आफ आर्डर को मैं रूल आउट करता हू ।

यह माननीय विश्नोइ जी की रूलिंग है।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, वह सन्दर्भ ही बिलकुल दूसरा है उसमें । उसमें सन्दर्भ अलग है बिलकुल । वह तो उस दिन के बिजनस के बारे में था । आपने अलाउ कर दिया था उनको ।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, यह बिजनेस में नहीं है । यह शून्यकाल में खड़े हुए थे जैसे उसमें हरीश जी खड़े हुए । वह हरीशजी भी शून्यकाल में खड़े हुए थे ।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : आपने अलाउ कर दिया था ।

श्री अध्यक्ष : खैर, छोड़िये । मैंने आपकी रूलिंग पढ़कर सुना दी ।

श्रीमती कमला : पहले इधर मुख्य मंत्री महोदय ने दो घण्टे बाद जवाब देने का, चर्चा करने का जो मान लिया··

श्री अध्यक्ष : उससे क्या हुआ ?

श्रीमती कमला : वह चर्चा सब...

श्री अध्यक्ष : मैंने नहीं माना ।

श्रीमती कमला : वह चर्चा सब चालू थी ?

श्री अध्यक्ष : आज आप जो चर्चा कर रहे हैं वह मैं सब मान थोड़े ही रहा हूं । मैं तो सुन रहा हूं, मान तो कुछ भी नहीं रहा ।

श्रीमती कमला : आज जो सवाल किये थे उनके जवाब...

श्री अध्यक्ष : आप जो कह रहे हैं वह सुन रहा हूं मैं कि सवाल यह है...

श्रीमती कमला : नहीं, आपने सवाल करें वह जवाब तो सुन लें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय, आप बताइये कि क्या अब इसको पहले लें कि बाद में लें ? यह आप बता दीजिये ।

श्रीमती कमला : पहले ले लें । चल ही रहा है ।

श्री अध्यक्ष : परसराम जी, आप बोलिये । परसराम जी बतायेंगे ।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी आपने परामर्श दिया और अभी मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपका ऐसा आब्जर्वेशन कि चीफ व्हिप और लीडर आफ दी अपोजिशन की उपस्थिति में यह सब तय हुआ है, आपका यह परामर्श था ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैंने यह नहीं कहा तय हुआ है। मैंने कहा है, आपकी उपस्थिति में मैंने यह कहा था मैंने यह माना है यह कहा है ।

श्री परसराम मदेरणा : वहां पर ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य मौजूद थे । अब यह आपके सोचने की बात है इस पाइन्ट ऑफ आर्डर के मुद्दे को आप डिसकस करने के लिए तैयार हैं । अब दो पाइण्ट्स के ऊपर, पब्लिक कैपेसिटी है कि नहीं है. रीसेन्ट आकरेंस है कि नहीं है । इन दो मुद्दों पर आप माननीय सदस्य जिन्होंने पाइण्ट ऑफ आर्डर रेज किया है, से क्लरीफिकेशन या फर्दर एल्यूसिडेशन चाहते है । लेकिन मै तो ऐसा सोच रहा था जब आपके चैम्बर में बैठा था कि जीरो आवर का जो बिजनस है उसके सम्बन्ध में आप कोई बात कह रहे हैं । अगर आप काल अटेंशन लेते हैं तो यह तो कार्यसूची । कार्यसूची में एक दफा एण्टर होने के बाद फिर दुबारा बैंक आर्डर हो जाना या फिर जीरो आवर हो जाना क्वेश्चन जीरो आवर में रेज किया गया है और जीरो आवर में जो रेज किया गया है वह क्वेश्चन 119 रूल्स ऑफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट ऑफ बिजनस के अन्तर्गत रेज किया गया है और जब उसके अन्तर्गत रेज किया गया है तो बिश्नोईजी का या भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय की जो भी रूलिंग है, जिसका आपने उल्लेख किया, मैं समझता हूं कि वह उस दिन के बिजनस से सम्बन्ध रखता है । यह बिजनेस में नहीं है, यह आपके पास में एक मोशन दिया हुआ है और उन्होंने यह रिक्वेस्ट की है कि इस मोशन को आप स्वीकार कीजिए। स्वीकार करने के पहले आप उस मोशन की मैरिट और डि-मेरिट में जाना चाहते हैं कि एडमिसेबल है कि नहीं है वह हो सकता है कि नहीं हो सकता है । और हो सकता है तो जो भी कण्डीशन उसके लिए है वह फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसके लिए आपके दिमाग में दो क्वेरीज हैं कि इन दो क्वेरीज पर खास तौर से आप

श्री परसराम मदेरणा)

यह बताइये कि वह मैटीरियल है, इस मोशन को एडमिट करना है या रिजेक्ट करना है। अब जब एक बार आपका बिजनस एण्टर हो जाएगा हाउस उसके बाद में फिर आपको

श्री अध्यक्ष : एक बार थोड़ा आपको करेक्ट करूं। विश्नोईजी की रूलिंग शून्यकाल में हुई है। उस समय कोई बिजनस नहीं था और चूंकि बिजनस लिस्ट में वह मोशन था नहीं, उन्होंने पुराना जो लेप्स हो गया था उस पर बहस करने के लिए इसी तरह से जैसे नरेन्द्रसिंहजी ने उठाया है, है, शून्यकाल में उठाया था पाइण्ट ऑफ आर्डर करके। और आपकी रूलिंग का मतलब यह है कि जब कोई बिजनस चल रहा है। तो पाइण्ट ऑफ आर्डर का मतलब तो यह है कि उस बिजनस के चलते समय इर्रेगुलरिटी हो रही हो, इल्लीगलिटी हो रही हो, परम्पराओं का हनन हो रहा हो that is the matter of point of order. कि साहब आप हाउस को आर्डर में लायें, यह है।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर आप माननीय पूनमचन्द विश्नोईजी की रूलिंग पर अपने को आधारित करना चाहते हैं तो आप शुरू में ही कर लेते किन्तु आप उसमें...

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैंने वह इसलिए कहा है कि कमलाजी ने, मैंने उस वक्त भी कहा था (व्यवधान) देखिये, मैंने कहा था कि वह पाइण्ट आफ आर्डर नहीं है। कमलाजी ने कहा कि जब पाइण्ट ऑफ आर्डर नहीं है आप कह दीजिये नहीं है। तो मैंने कह दिया नहीं है। This is not a point of order.

श्री किशन मोटवानी : दो बातों पर आपकी क्लियरिटी हो जाए तो you may consider on that.

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप देखिये, मैं बहुत क्लियर हूं। चूंकि वह अपने मोशन के बारे में कुछ बात कहना चाहते हैं और कल मैंने मेरे चेम्बर में उस मोशन के बारे में इनसे कुछ क्वेरीज की थीं कि भाई, यह लीगल क्वेरीज हैं इनके बारे में आप अपने विचार रखिये। 'यह पाइण्ट आफ आर्डर नहीं है। यह शुद्ध रूप से उस मोशन को एडमिट करना कि नहीं, इसको डिसाइड करने के पहले मेरा ज्ञानवर्द्धन हो, मेम्बर्स उसमें अपने कुछ विचार रखें ताकि मुझे डिसाइड करने में आराम हो, मुझे डिसाइड करने में सुविधा हो इसलिए मैंने यह अलाउ किया था। It was not at all a point of order न वह बिजनेस में है। अब सवाल यह है कि जब आप उसको लेकर के यह हाउस का सारा टाइम उसमें कंज्यूम करना चाहते है तब मैंने हाउस को एडजोर्न किया कि भाई, इसका आर्डर तय कर लीजिए। एक बार आपके यह काल अटेन्शन वगैरह सारे हो जाएं उसके बाद में मैं भी सुनना चाहता हूं I will hear you. आपको भी सुनूंगा, और भी कोई मैम्बर इस पर बोलेगा तो सुनूंगा। सवाल इतना ही है कि इसको अभी सुनकर समाप्त कर दें या बाद में लें। इसी के लिए मैंने माननीय नेताजी को पूछा था। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको मैंने... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने आपके नेताजी को पूछा है (व्यवधान) वह कहेंगे तो मान लूंगा मैं...

श्री राजेन्द्र पारीक : अब नेताजी तो बोलते ही रहेंगे. कभी कोई नेताजी बोलेंगे और कभी कोई नेताजी बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप नेता बन जाइये, आपकी सुन लूंगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं, अपने क्षेत्र का नेता तो मैं हूं। (व्यवधान) अपने क्षेत्र का नेता तो मैं हूं, अन-डाउटेडली हूं। इसमें कोई सन्देह ही नहीं है। अपने क्षेत्र का नेता नहीं होता तो मुझे यहां कौन बैठने देता।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी . . .

श्री अध्यक्ष: अभी पाइण्ट ऑफ आर्डर नहीं हो रहा है, अभी उस पर चर्चा नहीं हो रही है (व्यवधान) नहीं-नहीं उस पर चर्चा नहीं है अभी। (व्यवधान) माननीय परसरामजी, बताइये आप क्या अभी शुरू करें ? आप जैसा कहें कर दूंगा मैं तो . . .

श्री राजेन्द्र पारीक : उसके बाद चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने डायरेक्ट किया इन्होंने चार्ज किया है क्या वह कानून के तहत था ?

श्री अध्यक्ष : आप बताइये (व्यवधान) आप बैठिये। माननीय परसराम जी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय . . .

श्री अध्यक्ष : परसरामजी बोल रहे है उन्हें बोलने दीजिये . .

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं . . .

श्री अध्यक्ष : मैं परसरामजी को कह रहा हूं आप पहले मुझे तो कह लेने दीजिये (व्यवधान) आप बैठिये ना फिर।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नेता महोदय बोल नहीं रहे हैं, मैं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं उनको बोलने के लिए बुला रहा हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं उनकी पार्टी का सदस्य हूं। वह मेरे को बोलने की अनुमति दे रहे है।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, अनुमति . . .

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उनका इशारा मुझे मिल गया, मैं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप नहीं बोल रहे हैं ? परसरामजी, आप नहीं बोल रहे हैं ? बोल रहे हैं। बैठिये, बैठिये अब आप फिर बैठते नहीं हैं। हां, माननीय परसरामजी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैटर, पाइण्ट ऑफ आर्डर के साथ एक इम्पोर्टेण्ट मैटर है जिस पर हाउस में कुछ चर्चा हो चुकी है और जब यह इम्पोर्टेण्ट मैटर है और उसके सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने भी अपनी एक राय दी कि इस पर मैं डिस्कशन कराने को तैयार हूं, आपने कहा कि मैं रूलिंग दूंगा, रूलिंग देना मेरा अधिकार है, ऐसी सूरत में बीच में दूसरा बिजनस जब आ रहा है उसके बाद में उसको लिया जाएगा तो इस मैटर को पहले आप डिस्पोज ऑफ कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। अब बोलिये आप

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ऐसा है अध्यक्ष महोदय, सदन की जिज्ञासा बढ़ गयी है।

श्री अध्यक्ष : कोई बात नहीं।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : कि यह मामला क्या है ? उसको सुनना चाहेंगे। लता मंगेशकर कहीं बैठी हो और बीच में दूसरे का गाना शुरू करा दें तो वह गाना हो (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप केवल इन दो पाइण्ट्स तक रहिये ताकि और लोग भी बोल सकें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : अब कोई पाइण्ट ऑफ आर्डर नहीं है, बैठिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये पहले। दो पाइण्ट्स जो मैंने रेफर किये हैं उन्हीं पर बोलिये ताकि और लोगों को भी मौका मिल सके। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उन दो पाइण्ट्स के बारे में ही मेरा पाइण्ट है। (व्यवधान) नहीं, रेज नहीं कर सकते हैं।..

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, घनश्यामजी अब आप डिस्टर्ब मत कीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, आप हमारे पर भी कृपा रखिये।

श्री अध्यक्ष : हां, आपको बुलाऊंगा मैं। ..

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, यह बोलने के बाद मेरा मामला ही खत्म हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, अभी नहीं बोलने दिया जाएगा।

एक माननीय सदस्य : आपने कहा सबको सुनेंगे तो हम को भी सुनेंगे। ..

श्री अध्यक्ष : हां, सुनूंगा, आपको भी सुनूंगा। (व्यवधान) हां, बोलिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, इसके पूर्व जो डिस्कशन हुआ, अभी तक, अध्यक्ष महोदय, यह मुझे तीसरा एम.एल.ए. के रूप में, सदन में आने का मौका मिला है और मुझे ओसियां की जनता ने यहां भेजा है, 1980 से लेकर आज तक बगैर रूल्स ऑफ बिजनस फॉलो किये, मैंने कोई इश्यू नहीं उठाया। बड़े दुर्भाग्य की बात है, अध्यक्ष महोदय, कि आज न केवल चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने बल्कि मुख्य मन्त्रीजी ने खुद ने मेरे खिलाफ बगैर मुझे नोटिस दिये हुए आरोप लगाये हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य का तो कोई एतराज नहीं, चौमूं वाला मामला था।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मुझे यह उम्मीद नहीं थी। मुख्य मंत्रीजी, जो कि यहां 1952 से सदस्य होते आये हैं, येन केन प्रकारेन मुख्य मंत्रीजी पद सम्भालने के बाद मैं वहां के सदस्य भले ही इनसे दब जाएं, आप भले ही उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहे हों, उनको इज्जत दें, इज्जत बख्शें, जो आप करें वह आपका मतलब है लेकिन हम जो इधर बैठने वाले

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

हैं, हम दबने वाले नहीं हैं और अगर मुख्य मंत्रीजी, अध्यक्ष महोदय, खड़े होकर हमें कह दें कि नरेन्द्र सिंह भाटी ने किसी स्वार्थ के कारण यह मुद्दा उठाया है तो माफ करता, अध्यक्ष महोदय, यह कौनसा प्रोसिजर है, कौनसे नियम है ? उधर से तो आप उनको प्रोटेक्ट करते रहे, चेयर उनको कुछ कह नहीं उनका कहा हुआ जो वाक्य है वह वहां से हटायें नहीं और वह वैसे के वैसे प्रोसिडिंग्स में रह जाए और मुझे कहा जाए कि नरेन्द्र सिंह भाटी नियमों के तहत रहेगा। मेरे दो बार पाइण्ट ऑफ आर्डर पर जो आपने व्यवस्था दी, एक बार तो आपने मुझे बोलने दिया, पीछे आपने निर्णय दे दिया कि रिजेक्ट हो गया। पीछे नेता महोदय मेरे पक्ष में पधारे और माननीय सदस्य, पूर्व अध्यक्षजी विश्नोई साहब बोले तो अब मुझे अनुमति मिल गयी बोलने की। मैं आरोप लगाता हूं, सदस्यों, आप सुन लें, मैं आरोप लगाता हूं आपके मुख्य मंत्रीजी पर कि जितना घोटाला हुआ है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वहां पर डिस्कशन जो है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य दो पाइण्ट्स पर बोलें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : और मेरे में, माननीय सदस्यों, हिम्मत है। मेरे को कोई भय नहीं है। मैंने नोटिस... (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : भय किसको है ?

अनेक माननीय सदस्य : आपको है, आपको है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : 273 के तहत मैंने नोटिस देकर यह व्यवस्था स्पीकर महोदय से मांगी है और अभी भी मांग रहा हूं और मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि आप सिर्फ मेजोरिटी के बल पर मुझे यहां बोलने नहीं देंगे। (व्यवधान) यह

मोशन जनता ने तो दिया है। यह तो भला हो रोहिताश्व जी का और दूसरों का जो कि आपको ऊपर बैठा दिया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपने विषय पर बोलिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आखिर मैं भी इन्सान हूं। आप, अध्यक्ष महोदय, मेरी भी तो सोचिये।

श्री अध्यक्ष : आप की ही सोच रहा हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलूं और कभी तो कालीचरणजी बोल लें, अब इनको तो यह दुख हो रहा है कि चतुर्वेदी जी मुख्य मंत्री नहीं बनें। इसलिए शांति से आप इसको सुनिये। बहुत ही गम्भीर इश्यू है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मुझे दर्द इसलिए है, कालीचरण जी, कि मुख्य मंत्री जी के चुनाव हुए उसके पहले और उसके बाद में यहां पर बड़ा ढिंढोरा पीटा कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं और कभी नाग को सस्पेण्ड कर दिया, कभी कोई छोटे आफिसरों को सस्पेण्ड कर दिया, पिछले दो तीन महीने के अन्दर-अन्दर और जब मैं नोटिस देता हूं भ्रष्टाचार का उनके खुद के खिलाफ तो उनकी हिम्मत नहीं होती मुझे वापस जवाब देने की और यहां पर खड़े होकर फरमाते हैं कि दो घण्टे की बहस करवा लीजिये। क्या बहस करवा लें ?

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

नोटिस का जवाब क्यों नहीं देते ? और अगर आप सोचते हैं कि नरेन्द्र सिंह भाटी का व्यक्तिगत रूप से स्वार्थ है तो, माफ करना, आपके पास भी नियमों के तहत अथोरिटी है, आप बोलिये ना। हिम्मत होती नहीं है। इनकी ठेठ से ठेठ तक, अध्यक्ष महोदय+++ करने की आदत रही है। आज तक मैं इसलिए +++नहीं हुआ हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : +++शब्द को निकाला जाय, अध्यक्ष महोदय,...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी: मैं आपको सुनाता हूं+++क्या होता है ..

श्रीमती तारा भण्डारी : आप करते रहे हैं इसलिए आपको पता है। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या ने+++की परिभाषा मांगी है। मैं चैम्बर्स डिक्शनरी अंग्रेजी हिन्दी अनुवाद से..

श्री अध्यक्ष : माननीय परसराम जी, मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप अपने सदस्य को रोकें कि वह विषय पर बोलें। यह+++ का यहां कोई विषय नहीं है। These are not the subjects. मैंने जिस सब्जेक्ट पर बोलने के लिए कहा है उसी पर बोलें आप। श्रीमान् भाटीजी जो विषय है उसी पर बोलिये। अच्छा होगा कि आप उसी तक सीमित रहें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं उसी पर बोल रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : लोग क्या इन्टरप्ट कर रहे हैं और आप हरेक का जवाब देने बैठेंगे, ठीक नहीं है। It is not necessary यह जरूरी नहीं है किसी ने कुछ कह दिया और आप जवाब दें। It is not necessary आप अपनी बात कहें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : +++ का पूछ रहे हैं यह।

श्री अध्यक्ष : कोई भी पूछे जरूरी नहीं उसका जवाब देना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : +++ तो परिभाषित हो गया है। वह जो कुछ कर रहे हैं वह +++ ही है। इसमें डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक बार मुख्य मंत्री जी बोल लिये, एक बार यह बोल रहे हैं··

श्री अध्यक्ष : अब आप भाटीजी को अपने विषय पर बोलने दीजिये। आप अपने विषय तक ही सीमित रहिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह सदस्यों का बार-बार मुझे टोकना, और आप उनको तो रोकते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : सबकी आदत है, मैं किस किस को रोकूं। मेरी मानता कौन है ? आप जो मर्जी आये सो कर रहे हैं। "अध्यक्ष महोदय, आपका हुक्म सिर माथे है पानी यहीं पड़ेगा, यह है।" मानता कौन है ? "अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था तो मान्य है मगर आपने अन्याय किया है।" यह तो आपका भाषण है। अब क्या करूं, मैं ?

+++शब्द अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं कि मुझे इसमें··

श्री अध्यक्ष : आप अपने सब्जेक्ट पर बोलें, Please keep yourself limited to your subject. मैंने जो दो क्वेश्चन दिये हैं उसी पर बोलिये आप।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य हूं, सब्जेक्ट पर बोलूंगा लेकिन मुझे अगर आरोप लगा कर टोका जाये तो माफ करना...

श्री अध्यक्ष : आपने उसका जवाब दे दिया है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैंने जवाब अभी तक नहीं दिया है। मैं अभी दूंगा। आप क्या फरमा रहे हैं उनको तो आपने अभी तक वहां से हटाया नहीं है...

श्री अध्यक्ष : जब आप मौजूद हैं आपने उसका जवाब दे दिया है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैंने नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : आप दे चुके हैं। आप उसका अलग से मांगिये, पहले आप सब्जेक्ट पर बोलिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैंने नहीं दिया है। अध्यक्ष महोदय, यह तो चर्चा इस विषय पर होगी।..

श्री अध्यक्ष : देखिये, you are inviting unnecessary confrontation with the Chair, unnecessary confrontation you are inviting. I tell you, Sir, please do not tend to have confrontation with the chair. you go on speaking on your subject.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : I am speaking on my subject.

श्री अध्यक्ष : आपको मैंने स्पेसिफिक कहा है कि दो बातों पर बोलिये कि यह मामला :

'it shall not refer to the conduct or character of persons except in their public capacity 'and 'it shall be restricted to a matter of recnt occurrence, इन दो पर आप अपने विचार रखिये।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय, यह पाइन्ट आफ आर्डर पर बोल रहे हैं या किस पर बोल रहे है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि मैं 119 के तीसरे बिन्दु पर बोल रहा हूं और तीसरा बिन्दु सदस्यगण पढ़ लें। (व्यवधान) +++ की परिभाषा तो अभी सब आएगी इसके साथ ही.......

'(iii) it shall not refer to the conduct or character of persons except in their public capacity, जब, अध्यक्ष महोदय, सब्जेक्ट पर आज मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं लेकिन तीसरे बिन्दु के तहत मुझे यह कहना पड़ेगा कि जो चिट्ठी का हवाला मैं दे रहा हूं वह मार्च, 1977 में सरकार के पास कालोनाइजेशन कमिश्नर से आयी और वह एड्रेस की थी कालोनाइजेशन कमिश्नर ने सेकेटरी टु दी गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट को और इसलिए मैंने माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

साहब को भी इसका नोटिस दिया है। अब अध्यक्ष महोदय जून, 1977 में माननीय मुख्य मंत्रीं जी पहली बार जनता पार्टी के मुख्य मंत्री बनकर इस हाउस में पधारे और जो कि इनकी आदत हैं, और वह सही फरमा रहे हैं, जब आपके चैम्बर में इन्होंने फरमाया, अध्यक्ष महोदय, और यहां पर भी, इन्होंने फरमाया कि जब वह 'काज ऑफ एक्शन' उठा और 1977 में जब वह इश्यू लेटर के रूप में आया तब मैंने मेरे प्रस्ताव में भी कहा था और वह मैं पढ़कर भी सुनाता हूं, अध्यक्ष महोदय, उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी के माननीय सदस्य से कोई सम्बन्ध नहीं थे। मैं तो यहां तक कहता हूं, अध्यक्ष, महोदय, कि यह जमीन के घोटाले पर चर्चा के बाद में आप जब मुझे अलाउ करेंगे मैं बताऊंगा कि उस समय माननीय सदस्य की भी कोई गलती नहीं थी क्योंकि मुद्दा जो उठा और इस चिट्ठी में जो हवाला दिया गया है उस समय माननीय सदस्य जन्मे ही नहीं थे। मैं मानता हूं लेकिन आपका सौभाग्य और दुर्भाग्य यह है कि यह माननीय सदस्य जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं....

एक माननीय सदस्य : आप आसन को एड्रेस कीजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं आपको नहीं कर रहा हूं, हुकुम। मैं गुरजण्टसिंह जी की की तरफ देख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा हो आप मेरी तरफ ही देखिये। आप इधर उधर नहीं देखें तो अच्छा है वरना आप डिरेल हो जायेंगे क्योंकि आपकी जिधर नजर पड़ेगी उधर से ही आवाज आएगी और फिर आप बिगड़ जाएंगे। इसलिए मेरी तरफ ही देखिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे प्रस्ताव में, जो जिक्र किया माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यहां कहा उसकी ताइद करते हुए मैं कह रहा हूं, शायद इन्होंने मेरा प्रस्ताव पढ़ा नहीं है क्योंकि, अध्यक्ष महोदय, पता नहीं आपको पता होगा या नहीं, मेरे माननीय मुख्य मंत्रीजी से न केवल 1980 से बल्कि 1980 के पहले से सम्बन्ध रहे हैं और अच्छी तरह से परिचय रहा है। इनका क्रिटिसिज्म, कोई विरोध करने, भले ही वह इनकी पार्टी की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से हो, यह दुनिया भर का तो विरोध कर सकते हैं, दुनिया भर के आरोप लगा सकते हैं और मेरे दस साल के कार्यकाल में, अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है कि हमारे मुख्य मंत्री जी बिलकुल खाली कागज लिए हुए, "मैं आरोप लगाता हूं कि श्री हरिदेव जी जोशी भ्रष्ट हैं," "मैं आरोप लगाता हूं कि फलां भ्रष्ट है" और आरोप अभी वहीं के वहीं रहे हैं। जोशी जी जब मुख्य मंत्री थे तो मेरे ख्याल से जमीन घोटाले की बीसियों बार यहां चर्चा हुई है और+++ करके रखते हैं। यहां की आफिसर्स दीर्घा में काफी लोग बैठे हैं जिनको इन्होंने+++ करके रख रखा है। सन् 1976 का मुझे याद है जब गुलाबसिंह जी शक्तावत होम मिनिस्टर थे तो उन्हें याद होगा अलवर काण्ड में मुख्य मंत्री जी के जब.... (व्यवधान)...जब गुलाब सिंह जी साहब आप मिनिस्टर आफ स्टेट होम थे, आपको याद है, इस सदन में जहां मदेरणा साहब

+++शब्द अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

विराजे हैं, हमारे नेता, वहां से मुख्य मंत्री जी ने अपोजीशन लीडर के तहत क्या क्या, खेतसिंह साहब, आरोप नहीं लगाये कि वहां के कलक्टर को न केवल सस्पेण्ड करो, उसको फांसी लगाओ और आज वही कलक्टर साहब वहां पर फाइनेंस सैक्रेटरी बनकर बैठे हैं इन्हीं मुख्य मंत्री जी के कार्यकाल में क्योंकि वे फाइनेंस सेक्रेटरी साहब बोल नहीं सकते, उनके ऐसे-ऐसे इनके पास तथ्य हैं कि बस इसलिए, माननीय सदस्यों, मैं आप से अर्ज करना चाह रहा हूं, मुख्य मंत्री जी ने...

अनेक माननीय सदस्य : चेयर को।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मुख्यमंत्री जी, आपके हैं ये।

श्री अध्यक्ष : How long you will speak ? आप टाइम बता दीजिये मुझे। समय बताइये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इन दो बिन्दु पर मैं...

श्री अध्यक्ष : आप तो समय बताइये मुझे।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं दस घण्टे बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : Mr. Bhati, this is the height of your indiscipline in the House. I am very sorry...

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : I am also very sorry.

श्री अध्यक्ष : I am very sorry for this that such a senior member of such a long standing..

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : What I am supposed to do ? मैं बोल रहा हूं तो आपने 20 बार मुझे...

श्री अध्यक्ष : But you are going astray. मैं जिन पाइन्ट्स पर बोल रहा हूं उस पर तो बोल नहीं रहे है, आप मुख्यमंत्री जी कथा लेकर बैठ गये। आप अपना ज्ञान उनका क्या सम्बन्ध था और वे क्या बोलते थे, यह तो इससे सम्बन्धित नहीं है। आप इसी पाइण्ट पर बोलिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं इसलिए बोल रहा हूं कि He is the one who provoked me.

श्री अध्यक्ष : मुख्यमंत्रीजी कुछ बोल नहीं रहे है. He has not spoken a single word.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : एक विदाउट नोटिस ऐसी चुभती बात कही है...

श्री अध्यक्ष : अच्छा अब आप, प्लीज, अपने सब्जेक्ट पर बोलिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के तत्कालीन उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर, पी. एन. भण्डारी ने दिनांक 14.3.1977 को राजस्व सचिव, राजस्थान सरकार को एक अधिकृत पत्र लिखा, जिसकी प्रति इस प्रस्ताव के साथ संलग्न है। इस पत्र से यह स्पष्ट है कि प्रिंस अमर सिंह, जो छत्तरगढ़ के जागीरदार थे, ने राजस्थान भू-सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1962 के प्रभाव में आने के पश्चात् 1956 तक जागीर का रिकार्ड स्वयं के पास रखा एवं राजस्थान सरकार को सुपुर्द नहीं किया। दिनांक 14.3.1977 के इस पत्र से यह भी स्पष्ट है कि इस

(88)

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

अवधि में राजस्थान नहर के क्षेत्र में आने वाली भूमि जो राजस्थान सरकार द्वारा 1954 में कराये गये सर्वे के अनुसार पूर्णत बंजर थी, इस सम्बन्ध में जमकर अनेक फर्जी इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में बतौर टीनेन्ट दर्ज कर लिये गये थे। यहां यह उल्लेख करना वांछनीय होगा कि इस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के प्रयोजन से ही राजस्थान नहर की योजना (व्यवधान) मैं प्रस्ताव पढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : बात यह है, मुझे ऐसा लगता है कि you have decided something in your mind to-day तो आप इसको क्यों पढ़ रहे हैं ? give your arguments. आप किसी का उल्लेख करना हो तो इसमें से करिये। पूरा का पूरा पढ़ने से क्या मतलब हुआ ? what is the meaning of it ?

श्री घासीराम यादव : हाउस को क्या मालूम होगा कि क्या प्रस्ताव है ?

श्री अध्यक्ष : आप इसलिए मेहरबानी करके अपने आर्ग्यूमेंट वहीं तक सीमित रखिये और इसमें से कोई एब्सट्रेक्ट हो, कोई लाइन पढ़नी हो रेलेवेण्ट, वह पढ़िये।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय ये पढ़ेंगे नहीं तो बिना पढ़े हमको क्या मालूम होगा कि प्रस्ताव क्या है। सारे हाउस को पता होना चाहिए, क्या प्रस्ताव है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी :मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि इसमें कहीं भी निजी स्वार्थ का सवाल आ जाए तो मैं पढ़ना चाह रहा हूं; सदन को अवगत कराना चाह रहा हूं। अगर मुझ पर निजी स्वार्थ का आरोप नहीं लगाते तो मैं यह नहीं पढ़ता।

"उपरोक्त वर्णित फर्जी दस्तावेज के आधार पर यदि खातेदारी प्रदान नहीं की जाती तो निश्चत ही नहर निर्माण के उद्देश्य के अनुसार इस नहर निर्माण में लगे असंख्य गरीबों, अनुसूचित जाति–जन-जाति के लोगों को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को एवं गरीब कृषकों को इस जमीन का लाभ पाने का अधिकार प्राप्त होता। श्री पी. एन. भण्डारी द्वारा लिखे गये इस पत्र में आगे चलकर उदा–हरण स्वरूप श्री अमरसिंह राजवी एवं चित्तौड़गढ़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री नरपत सिंह राजवी व इनके परिजनों के सम्बन्ध में इनकी मोमेवाला गांव की भूमि के दावे के विषय में प्रकाश डाला गया है। इसी पत्र में इस प्रकरण में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में श्री नरपत सिंह राजवी एवं इनके भाई श्री सुरेन्द्र सिंह राजवी को इनके जन्म के पूर्व ही खातेदार दर्शाया गया है। इस पत्र के अन्त में तत्कालीन उपनिवेशन आयुक्त श्री भण्डारी ने राजस्व सचिव को जो बेशकीमती जमीन इन लोगों ने दबा रखी है उसका कब्जा लेने एवं इसके खिलाफ मुकदमा कायम करने के लिए लिखा है।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि···

अब, अध्यक्ष महोदय, आप यह सुन लीजिए, मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूं।

"यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि इस पत्र के पूर्व तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी द्वारा श्री मातादीन शर्मा, अतिरिक्त उपनिवेशन आयुक्त, श्री आर. के. गुप्ता एवं श्री बाबूराम, सहा–यक उपनिवेशन आयुक्त की एक समिति बनायी गयी थी, जिसने जांच करके श्री भण्डारी द्वारा वर्णित तथ्यों की पुष्टि की।

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

(13.45)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

तथा श्री अब्दुल गफूर व श्री अमर सिंह पटवारियों के बयान कलमबन्द किये थे जिसमें उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि राजवी, अमर सिंह एवं उनके पुत्रों के फर्जी रिकार्ड उन्होंने तैयार किये थे।"

श्री सभापति : माननीय सदस्य, दो बातों तक सीमित रहें आप।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सभापति महोदय, मैंने यहां तक कह दिया कि इस पत्र के लिखे जाते समय राजस्थान‥

श्री राधेश्याम : आप तो डिबेट में भाग ले रहे थे।

श्री सभापति : बिराजिये, माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : "इस पत्र के लिखे जाते समय राजस्थान परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था और केन्द्र में लोक सभा के चुनाव होकर जनता पार्टी की सरकार कायम हो चुकी थी एवं राजस्थान में कांग्रेस सरकार बरखास्तगी के कगार पर खड़ी थी। बाद में जून में वर्तमान माननीय मुख्य मंत्री जी, मुख्य मंत्री के रूप में इस प्रदेश में पदासीन हो गये एवं इस पत्र को उन्होंने बस्ता-ए-खामोशी में डाल दिया। ग्राम मोमेवाला में श्री नरपत सिंह राजवी व उनके परिजनों द्वारा 298 बीघा भूमि हड़प किये जाने सम्बन्धी चर्चा नवीं विधान सभा में इसी सदन"..

श्री सभापति : यह आप अपना प्रस्ताव पढ़ रहे हैं जबकि प्रस्ताव आपको पढ़ने के लिए अनुमति अध्यक्ष महोदय ने नहीं दी है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : रेफरेंस है। सभापति महोदय, क्यों लम्बा खींचना चाहते हैं ?

श्री सभापति : मैं लम्बा नहीं खींचना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय ने आपको यह प्रस्ताव पढ़ने की अनुमति नहीं दी है। माननीय सदस्य, बिना अनुमति के आप पढ़े जा रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : "ग्राम मोमेवाला में श्री नरपतसिंह राजवी व उनके परिजनों द्वारा 298 बीघा भूमि हड़प किये जाने सम्बन्धी चर्चा नवीं विधान सभा में इसी सदन में एवं समाचार पत्रों में यदा कदा प्रकाशित होती रही है। मैंने स्वयं इन सभी चर्चाओं की कार्यवाही पढ़ी है। आखिरी चर्चा इस सदन में 26.9.1992 को राजस्थान काश्तकारी (द्वितीय संशोधन), विधेयक के पारण के समय हुई थी, जिसमें हमारे नेता महोदय ने भी भाग लिया था। उस चर्चा में श्री पी.एन. भण्डारी के इस पत्र का कहीं उल्लेख नहीं है इसलिए पिछली चर्चा से एकदम अलग हटकर सिर्फ इस पत्र के आधार पर मैं यह तथ्य सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं समझता हूं इन परिस्थितियों में तत्काल इस प्रकरण की न्यायिक जांच होकर उचित कार्यवाही होनी चाहिए।"

न्यायिक जांच के लिए मैं इसलिए आग्रह कर रहा हूं, सभापति महोदय, 'चूंकि श्री नरपतसिंह राजवी इस सदन के सम्माननीय सदस्य एवं सत्ताधारी पार्टी के महामंत्री भी हैं एवं माननीय मुख्य मन्त्री श्री भैरोंसिंह शेखावत के दामाद भी हैं, अत: न्यायिक जांच के अलावा कोई भी जांच जनता में विश्वास जाग्रत नहीं कर सकती है। इन्हीं कारणों से इस

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

प्रकरण की न्यायिक जांच होना अत्यधिक लोक महत्व का प्रश्न हो जाता है। हालांकि संलग्न पत्र बहुत वर्षों पूर्व 14.3.1977 को लिखा गया था किंतु न तो इस पत्र पर कोई कार्यवाही आज तक हुई है, न ही किसी स्थान पर इसकी चर्चा हुई है एवं हाल में यह पत्र प्राप्त हो सका है और इस पत्र का प्राप्त होना ही निकट घटना हो जाती है।"

"अध्यक्ष महोदय ने जो दो बिन्दु कहे थे उसका उल्लेख हो रहा है'। सभापति महोदय, अगर आप गम्भीरता से सुनें तो आपको इस चर्चा में समझ में आएगा कि मैं किस दिशा में चल रहा हूं।

श्री सभापति : आसन हमेशा गम्भीर होता है, माननीय सदस्य। आसन पर मत कहिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी: "अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि "

श्री सभापति : प्रस्ताव को अनुमति नहीं है, माननीय सदस्य। प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी गयी है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां, नहीं है।

श्री घासीराम यादव : क्या यह सही है कि अखबार में आता है कि आपका और राजवी साहब का 3 और 6 का आंकड़ा है इसलिए आप लम्बी करवा रहे हो ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें आप।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इसलिए मैंने पाइंट आफ आर्डर के तहत यह बिन्दु उठाया था। मैंने कौल एण्ड शकधर के जो पैराज पढ़े हैं वह मैं आपको एक-एक पढ़ाकर वापस सुनाऊंगा क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने मुझे कम से कम और आपने भी 2-3 बार टोक दिया कि आप 119 के तहत ही बोलें और 119 के तहत ही मैं बोल रहा हूं और 119 के सब- बिन्दु (3) व (4) पर में चर्चा कर रहा हूं और उसके लिए मुझे कुछ यहां से पंक्तियां पढ़नी जरूरी थी। क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने कह दिया कि यह घटना 1977 की है और इसलिए मैंने इस चिट्ठी का उल्लेख देते हुए कहा कि चूंकि मेरे पास यह चिट्ठी अभी प्राप्त हुई है, इस चिट्ठी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, भले ही मेरी सरकार ने नहीं की हो, भले ही मुख्य मन्त्रीजी, आपके जो हैं, ने नहीं की जो ओरीजिनल डाकुमेंट्स हम कहां रखते हैं, कैसे रखते हैं उनकी कोपीज कहां रहती है, वह डाकुमेंट कहां रहा है। तो पिछले सत्र में मुझे अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि, भाटीजी, मैं इस पत्र की जांच करवा रहा हूं कि यह पत्र सही है या नहीं है। अगर सही है तो सरकार जवाब देगी और सरकार का अभी तक सभापति महोदय बड़े दुर्भाग्य की बात है, मेरा यह प्रस्ताव दूसरी बार उठा है, न तो जवाब आया और न यह जवाब देंगे। डिबेट करने के लिए इन्होंने फरमा दिया है कि दो घण्टे की डिबेट होगी यह कोई प्रोसीजर है ? डिबेट आप तभी इस विषय पर कर सकते हैं कि मेरा मोशन एक्सेप्ट होगा और मेरा मोशन एक्सेप्ट होकर मुझे बोलने की अनुमति मिलेगी। आप उसका डिनाइल करेंगे। जो व्यक्ति इन्वाल्व हैं वे करेंगे, राजस्व मंत्रीजी करेंगे उसके बाद में। अन्त में, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि अगर मुझे इन लोगों की बदनामी करनी थी तो उससे न आप रोक सकते हैं, न अध्यक्ष महोदय रोक सकते हैं। मैं जब

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

आपके कट मोशन आते हैं, सभापति महोदय, इस विषय पर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कटमोशन से या पुलिस, होम मिनिस्टरी के जब कटमोशन आते हैं उस समय इस चर्चा को उठा सकता था। मेरी इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। नरपतसिंहजी को, इनके बड़े भाई को मैं स्कूल के समय से जानता हूं। भैरोसिंहजी को मैं अनेकों वर्षों से जानता हूं। लेकिन, सभापति महोदय, यह विषय मैं इसलिए उठा रहा हूं, मुझे पता है इसका क्या मुझे भुगतना पड़ेगा, मुझे पता है क्या हो रहा है अभी लेकिन मैं अफसरों के ट्रांसफर से डरने वाला नहीं हूं। ये जो मनगढ़ंत आरोप लगा देते हैं कि व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण यह नरेन्द्र सिंह भाटी यहां बोल रहा है, माफ करना, मैं चैलेन्ज करता हूं, सभापति महोदय, ये और इनकी पार्टी के कोई भी सदस्य भले ही आपके उप नेता लोकसभा के, वे भी इनके साथ बैठकर के बना लें, देखें आरोप मेरे खिलाफ हिम्मत हो तो करें। मैं इतना थोथा आदमी नहीं हूं, सभापति महोदय.... (व्यवधान)..

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : बहनोई की लड़ाई यहां क्यों उठा रहे हो।..(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपको मंत्री नहीं बना रहे हैं वी. पी. सिंह जी, आप क्या वकालत कर रहे हो।.(व्यवधान)..

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सभापति महोदय, मैं यह नहीं चाहता था कि मैं इन पर, व्यक्तिगत आरोप लगाऊं और आसान नहीं है आरोप लगाना। सभापति महोदय, मुझे पता है कि इनसे दुश्मनी लेने से क्या होता है। लेकिन मैंने इसलिए यह मोशन उठाया कि आज आप और आपके मुख्य मंत्री जी और आपकी पार्टी वाले, आपका सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु है, सभापति महोदय, आपके चुनाव भाषण में, आपका यहां पर जो गवर्नर का भाषण हुआ है उसमें, आपके मेनीफेस्टो में सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु भारतीय जनता पार्टी का है कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। और मैं यह चाह रहा हूं, सभापति महोदय, जैसे हमारे माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि हमें यह बिन्दु उठाना है, मैं कहता हूं कि इनको जब तक भ्रष्टाचार के आरोपों के कटघरे में हम खड़ा नहीं करेंगे तब तक इनको पता नहीं पड़ेगा कि खुद के लगती है तब क्या होता है और इसलिए मैंने यह मोशन उठाया, सभापति महोदय, और इसलिए मैं उठाता जाऊंगा।

(13.56)

(श्री हरिशंकर भामड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे फरमाया कि भाटीजी 119 (व्यवधान) के तहत सब बिन्दु (3) और (4) पर बोलें। मैं उसी पर बोल रहा हूं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, 119 के तहत 'it shall not refer to the conduct or character of persons except in their public capacity;' एक तो मुख्य मंत्रीजी को, माननीय भंवरलालजी साहब, आप भले ही कितना बचाने की कोशिश करें, (व्यवधान) ये देखिये, आपकी समझ के बाहर की बात है। आप ऐसा करिये, भंवरलालजी साहब, पहले तो भ्रष्ट होइये फिर आपकी समझ में आएगी यह बात . (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपको किस रूप में समझाऊं कि पब्लिक कैपेसिटी में है या नहीं। मैंने आपको कल भी अर्ज किया था, अध्यक्ष महोदय, कि मेहरबानी करके इस इश्यू को आप इनआइसोलेशन न लें। मगर आप मेरा

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

पूरा प्रस्ताव पढ़ेंगे तो यह सब्जैक्ट मैटर, इनकी आफिशियल कैपेसिटी पब्लिक लाइफ में रहने के तहत जिस कैपेसिटी में श्रीमान् जी बिराजमान है वह 1977 से लेकर 1994 तक होती है और वह का वह रूल और वह का वह सब्जैक्ट लागू होता है। माननीय सदस्य जो चित्तौड़गढ़ से पधारे हैं, जब यह बिन्दु उठा था उस समय शायद वे स्कूल या कॉलेज में होंगे लेकिन सन् 1955 में जब यह उठा, 1956 में उठा था और 1953 की बात है, इनका जन्म भी नहीं हुआ था। मैं इनको बिलकुल उस समय से लिप्त नहीं मानता। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, अब क्या होता है कि खातेदारी राइट्स जो इश्यू होती है, आप फरमायेंगे मैं फेयर डाइजेस्ट कर रहा हूं लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, यहां पर उस इश्यू पर बड़ी भारी डिबेट हुई है। अब आप जो अमेण्डमेंट एक्ट लेकर पधारे उस समय आपने हवाला दिया अध्यक्ष महोदय, और उस पर प्रेसीडेंट की एसेंट हो भी गयी आपने हवाला दिया कि चूंकि जैसलमेर जिले में खतौनी नहीं होती थी, रेवेन्यू रिकार्डस नहीं थे इसलिए हम 15 ए ए ए को अमेण्ड करके और उन लोगों को वंचित नहीं रखना चाहते। कालोनाइजेशन रूल्स के तहत, यह कम्पल्सरी बिन्दु हैं, अध्यक्ष महोदय, कि अगर आप खातेदार नहीं हैं उस क्षेत्र के तो आपको कालोनाइजेशन एक्ट के तहत न तो कम्पेनसेशन मिलेगा न आपको खातेदारी राइट मिलेगी

(14·00)

और न उस कैनाल ऐरिया में आपको एक इंच जमीन मिलेगी। जमीन के बदले में तो आप वह अमेंडमेंट एक्ट लेकर पधारे यहां। अध्यक्ष महोदय, अमेंडमेंट एक्ट यहां से पास हो गया और उसी + + + से हुआ जिस + + + की भाषा से आज मुख्य मंत्री मेरे खिलाफ बोले। यहां पर ये माहौल बना हुआ है कि इनके सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। अब वह एक्ट पास हुआ, माननीय सदस्यों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक्ट के प्रिएम्बल में, कान्स्टीट्यूशन का भी प्रिएम्बल होता है, एक्ट के प्रिएम्बल में, अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट रूप से लिखा गया कि हम यह अमेंडमेंट इसलिए ला रहे हैं कि जैसलमेर के लोगों को हम वंचित नहीं रखना चाहते हैं कालोनाइजेशन एरिया के बेनीफिट से, पूनमचन्दजी साहब और उसके तहत सदन ने अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया, 15 एएए की खूब चर्चा हुई। हमारे नेता महोदय ने भी की और दूसरों ने भी की लेकिन मेजोरिटी के बल पर आपने, राजस्व मंत्रीजी ने उसको पास करवा दिया अब क्या होता है, अध्यक्ष महोदय, बड़ी तरकीब से और इसलिए मसला आता है.. (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : आपके राज में आन्दोलन हुए थे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपसे ऊपर के लेवल की बात है। आप बैठ जाइये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी: इसी सदन में, अध्यक्ष महोदय, बड़ी तरकीब से उस अमेंडमेंट एक्ट का रेगूलेटरी क्लाज एप्लाई कर दिया दूसरे जिलों में, गंगानगर में, बीकानेर में, जिसमें छतरगढ़ बीकानेर जिले में आता है, चूरू और दूसरे तीन जिलों में। अब उसका बैकग्राउण्ड क्या है, अध्यक्ष महोदय, आपको वह भी बताना चाहता हूं। बैकग्राउण्ड यह है कि जब राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू हुआ सन् 1955 में, उस समय हजारों जागीरदारों की जमीनें अवाप्त हुई और

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

उनको कम्पेनसेशन भी मिल गया, उन जागीरदारों की जागीर को जमीनों के रिकार्ड स रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मिलने चाहिए थे, मिल भी गये, कुछ लोगों ने नहीं दिये उनसे जबरदस्ती रूप में लिए गये, और उन रिकार्ड्स के तहत कालोनाइजेशन एरिया का डवलपमेंट हुआ, जो जमीन चार आने बीघा में कोई नहीं लेता था, वह जमीन 55 हजार, 1 लाख. 2 लाख और 10 लाख रुपये बीघा हो गयी। अब क्या होता है, अध्यक्ष महोदय उस अमेंडमेंट एक्ट के तहत न केवल यह 298 बीघा रेगूलराइज होती है, जो आप हवाला चैम्बर में दिलवा रहे थे कि भाई, भाटी, इस समय लोगल इश्यू इतनी बढ़ गयी हैं कि हाई कोर्ट में मसला है, रेवेन्यू बोर्ड में मसला है,सेशन कोर्ट में मसला है, स्पीकर और सदन क्या करेगा स्पीकर और सदन ने मिलकर ही एक ऐसी तलवार दे दी इन+++के हाथ में (व्यवधान) .

श्री घनश्याम तिवाड़ी : फिर आप क्या हुए ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं कह रहा हूं। वह सही कह रहा हूं। यह जो बनते हैं न, साहब, इन +++ के हाथ में ऐसी तलवार दी है अध्यक्ष महोदय, यह 298 बीघा जमीन हैं,जिसका आपने हवाला दिलवाया कि भाई इसमें तो क्या करोगे रेवेन्यू बोर्ड के मैम्बर ने जजमेंट दे दिया आपने एक स्वीपिंग अमेंडमेंट के तहत, अध्यक्ष महोदय, यह राइट दे दिया कि साहब, इसकी इन्वेस्टीगेशन होगा और स्पेशल आफिसर्स आपने एपाइंट कर दिये। मि. करणीसिंहजी को आप गंगानगर भेज दें या किसी और सिंह को कहीं भेज दें वह सब लोग इन जमीनों को इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत रेगूलराइज कर रहे है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री देवीसिंह साहब से माफी मांगना चाहता हूं कि ये इसमें लिप्त नहीं हैं लेकिन यह पहली बार हुआ है, कि एक मंत्री को, यहां पर अनेक बुजुर्ग सदस्य विराजमान हैं. पहली बार यह हुआ है अध्यक्ष महोदय, और इसमें साजिश है मेरा आरोप है यह कि एक ही मंत्री को आई.जी.एन.पी. और इरिगेशन एक साथ दिया गया है (व्यवधान) नहीं, +++को बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री,चिकित्सा) : यह तो काबलियत को पहचाना है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपका इतिहास नहीं दोहरायेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप उनको फिनिश करने दीजिये। आप बोलते रहेंगे तो वह भी बोलते रहेंगे। इनको एक घण्टा हो गया बोलते हुए। Let him finish.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इसलिए अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : कहीं आपने भुट्टो की वह बात तो याद नहीं कर ली है कि मैं हजार वर्ष तक हिन्दुस्तान से लड़ूंगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी :ऐसा है,अध्यक्ष महोदय, अगर एक क्लीब को लड़ाई लड़नी है इन +++ से तो, माफ करना, यही मंच है मेरे पास नहीं तो बाहर तो किन-किन को मैं समझाऊंगा कि साहब, आपके जो मुख्यमंत्री जी है, वह भ्रष्ट है, जितने

+++शब्द अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

स्वच्छ अपने आपको बताते हैं वैसे नहीं हैं। मेरे को आप प्रोटेक्शन देंगे तभी बोल पाऊंगा, नहीं तो कहां से बोलूंगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री): बोलिये, आपको पूरी छूट है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी: हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत: बोलिये, आप को छूट है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी: मैं तो खूब बोलूंगा, आपने वहां बैठने का मौका दिलवाया ना मुझे इसलिए मुख्य मन्त्री जी के खिलाफ तो बोलूंगा, आपके पर्सनली खिलाफ नहीं बोलूंगा। सुनने की थोड़ी क्षमता रखिये। वह मुंह सूजा कर आप बैठ जाते है ना, अध्यक्ष महोदय, आप मानेंगे नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: नहीं, मेरे बोलने के बाद आपका मुंह सूज नहीं जाय इसका इन्तजाम कर लेना।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी: मैं इनसे डरने वाला नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मैं भी आपकी गीदड़भभकियों से डरने वाला नहीं हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी: मेरे तो गीदड़ भभकी है या कैसी भी है, अध्यक्ष महोदय, मैंने जब पिछली बार प्रस्ताव उठाया उससे आज मुझे सौभाग्य मिला।

श्री अध्यक्ष: हाउस +++ में देना संवैधानिक नहीं है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी: वह इनको फरमाओ ना।

श्री अध्यक्ष: आप +++ शब्द का प्रयोग ही मत करिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी: अध्यक्ष महोदय, बड़ी गम्भीरता से इस सब्जेक्ट को लेना है। मैं खुद गम्भीरता से केवल निवेदन ही कर रहा हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि यह सदन इस इश्यू को इस तरह से आगे उठाये, आप हमें परमिशन दें, इस मोशन को उठाने की।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। फिर क्या रह गया ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी: नहीं नहीं। (व्यवधान) अब की बार तो आपने वह थाउजैण्ड ईयर्स वाला प्रवोक करके फरमा दिया। अध्यक्ष महोदय, वह प्रेरणा मैं आप से ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: तो मैं हजार वर्ष तक बैठा रहूंगा यहां ?

श्री घासीराम यादव: तुम जीओ हजारों साल, साल के दिन हों पचास हजार।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी: अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट आरोप है कि हजारों-करोड़ों रुपये का इसमें घोटाला हुआ है। यह मोशन बहुत ही महत्वपूर्ण मोशन है और जिस हिसाब से चेयर मुझे यह मोशन उठाने की अनुमति नहीं दे रही है (व्यवधान) वह तो मिलेगी नहीं। इसमें, अध्यक्ष महोदय, गम्भीरता की बात जो है, आपको और इस सदन को सुनना चाहिए, करोड़ों-खरबों रुपये की इस

+++ शब्द अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

जमीन को डवलप करने की एड विश्व बैंक से, विश्व की एजेंसीज से ले रहे हैं और उनको आपने कन्विन्स किया है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत हम गरीबों को सहायता दे रहे हैं. हम गरीबों के लिए यह कैनाल एरिया डवलप कर रहे हैं और आज की तारीख में भी जब मुख्य मंत्रीजी का भाषण हुआ, गवर्नर साहब से कहलवाया, आपका गवर्नर का एड्रेस प्लस जो बजट एड्रेस हुआ वहां से भी कहा गया कि हम इंटरनेशनल एजेंसीज के पास जाएंगे और इंदिरा गांधी कैनाल एरिया डवलपमेंट के लिये पैसा लायेंगे। एक इनोसेंट अमेंडमेंट के तहत, अध्यक्ष महोदय, उन गरीबों को तो आपने वंचित किया है लेकिन मेरा आरोप है इस सरकार पर, मेरा आरोप है इन++ पर और इन मुख्य मंत्री जी पर इन्होंने इस अमेंडमेंट के तहत उनको लाभान्वित किया है जो कि आलरेडी हैव्ज हैं,जो जागीरदार लोग हैं। केवल एक यही उदाहरण नहीं है सदस्यगण, ऐसे मेरे पास कम से कम 1500 उदाहरण हैं जहां पर जागीरों के, पूनमचन्दजी साहब, फर्जी पेपर्स बनाये हैं। वहां के पेपर्स बनाकर खातेदारी इस अमेंडमेंट के तहत अब मिल रही हैं और आपके और मेरे कान्स्टीट्यूएंट्स हैं वह चक्कर काटते रहेंगे। वह भले ही खाजूवाला में काटें, भले ही बज्जू में काटें, भले ही नाचना में काटें कि हमें भी 25 बीघा या एक मुरब्बा मिल जाए। वहां जमीन मिलेंगी नहीं क्योंकि यह सब इस अमेंडमेंट के तहत रेगूलराइज करवायेंगे। रेगूलराइजेशन, पूनमचन्दजी साहब, कैसे हो रहा है? मैं जाऊंगा जागीरदार के पास कि भाई, आपके जो फर्जी दस्तावेज हैं वो पेश करिए भले ही रेवेन्यू बोर्ड से आर्डर हो गया हो, भले ही किसी कोर्ट में आर्डर हो गया हो, इस अमेंडमेंट के तहत आपको एक नया राइट मिला है कि आप उसको रेगूलराइज करायें और वहां पर अगर कोई खातेदार बैठा भी होगा जिसको जमीन टेम्प्रेरी अलाटमेंट के तहत अलाट हुई है उसको वे हटाकर फेंक देंगे और वो लोग वहां पर काबिज होंगे जो कि उस अफसर को एक लाख, दो लाख, तीन लाख रुपये की ब्राइब्स देंगे। यह एक बड़ी जबरदस्त साजिश चल रही है। चूंकि मेरा आई. जी.एन.पी. से पूर्व में सम्बन्ध रहा है, मुझे किसी ने पूछा कि भई, मुख्य मंत्री जी ने तुम्हारे ऊपर कोई आरोप लगाया है, तुम्हारी कोई वहां पर जमीन-वमीन है क्या? अगर मेरी वहां पर एक इंच भी जमीन मिल जाय या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेरा निजी स्वार्थ आ जाए तो वहां पर मेरा इस्तीफा आज ही अध्यक्ष महोदय, मैं आपको लिखित में देने को तैयार हूं और दूंगा। और अगर ये प्रूव कर दें कि मेरा वहां निजी स्वार्थ है तब तो मेरा इस्तीफा आप मंजूर करलें नहीं तो इनका खुद का इस्तीफा मुख्य मंत्री पद से आप ले लें। बस, मेरा तो यही है क्योंकि यह कोई हंसी-मजाक की बात नहीं है। माननीय सदस्य, उस कुर्सी पर यह विराजमान हैं तो इनको गम्भीरता रखनी चाहिए। आपने वहां पर खड़े होकर एकदम कह दिया कि माननीय सदस्य अपने निजी स्वार्थ से उठा रहे हैं इसलिए आप दो घण्टे की बहस करवा लें। यह मेरा आपने आपके प्रति ऐसा एक्यूजेशन है कि डरा-धमका कर मुझे अपमानित करना चाहते हैं। भले ही कर लें, उनको प्रूव करने की हिम्मत होनी चाहिए।

++ शब्द अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया

(96)

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

करें तो बेहतर रहेगा। मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि न तो मेरे नोटिसेज का रिप्लाई आया, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय की अनुमति नहीं दी। आपने कहा कि इन दो बिन्दु के ऊपर आप मुझे पहले समझा दें। अब मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मगर ऐसी कोशिश किसी अदालत में मत करना आप वरना जजेज टालरेट नहीं कर पायेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जो आपने दो बिन्दु दिये हैं, उन पर मुझे आपका न केवल ध्यान आकर्षित करना है बल्कि आपको कन्विन्स करना है। आपने फरमाया, अध्यक्ष महोदय "उसमें व्यक्तियों की सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उनके आचरण या चरित्र का निदेश नहीं होगा, वह हाल ही में घटित घटना, विषय पर निबन्धित रहेगा।" न इसमें कोई प्रिविलेज का मोशन है, न मैं इसमें प्रिविलेज उठा रहा हूं, न कोई वैसा आरोप उठा रहा हूं जिसमें कोई तथ्य नहीं हो। इसलिए आपको इस पूरे विषय को उस सन्दर्भ में लेना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, ये बिन्दु 3-4 आप को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि यह घटना 1977 की है, 1956 की है। यह सरकार यह प्रूव कर दें कि या तो यह लेटर फर्जी है तो मैं मेरा मोशन वापस लेता हूं। या यह प्रूव कर दें कि वह रेवेन्यू सैक्रेटरी जिसको यह एड्रेस है, ऐसा रेवेन्यू सैक्रेटरी कोई था ही नहीं, यह प्रूव कर दें कि मिस्टर पी.एन.भण्डारी उस समय आयुक्त नहीं थे कालोनाइजेशन के, तो भी मैं मेरा मोशन विदड्रा करता हूं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह कहां तक चलेगी। आज पी.एन.भण्डारी को मेरे ख्याल से यहां 200 माननीय सदस्य आज विराजमान है, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, वह आज सैक्रेटरी लेवल के अफसर है, कहते है-टाप-आनेस्ट आदमी हैं। मैं मानता हूं कि होंगे। मेरा उनसे पर्सनल कभी काम करने का मौका नहीं मिला लेकिन मैं परिचित हूं उनसे। बोल्ड भी होंगे इसलिए दवे साहब को रखकर उनको आर.एस.ई.बी.से हटाया क्योंकि दवे साहब बहुत ही आनेस्ट आदमी होंगे, भण्डारी साहब नहीं होंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह अर्ज करना है कि आखिर मैं जाऊं कहां ? अगर इनमें हिम्मत हो तो जो आपको मैंने प्रस्ताव दिया है सचिव महोदय के माध्यम से, उसकी न्यायिक जांच करवा लें, हाई कोर्ट व सिटिंग जज से। कल वाले मसले पर, कैरोसिन वाले मसले पर आप जब करीब-करीब तैयार हो गये थे न्यायिक जांच कराने के लिए, तो यह तो मसला हजारों-करोड़ों रुपयों का है। लाखों बीघा जमीन है इसमें। इन्दौरा साहब, जिस वर्ग से आप लोग फरमा रहे थे कि साहब, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए हम बोल रहे हैं, हुजूर, जो अलाटमेंट की पालिसी है, अगर मेघवाल साहब आप अपनी निद्रा से निकलकर अलाटमेंट पालिसी पढ़ें तो सबसे पहले इसका बेनीफिशयरी शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। वहां पर 7 कैटेगरीज हैं और 7 वीं में लास्ट+++की बारी आती है, वह भी अगर इसमें मिल जाए और उन भूमिहीनों को आप वंचित रख

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

रहे हैं। ठीक है, आपने पास करा लिया और पास करा लिया तो क्या हुआ, यह तो आप ब्रूट मेजोरिटी से पास करा गये लेकिन जनता की भी एक आवाज होती है। जनता तक यह पहुंचाने के लिए ये पेचीदगी जो है मुझे माननीय सदस्यों से बात करने के लिए इस चिट्ठी का हिन्दी में अनुवाद करवाना पड़ा तो, अध्यक्ष महोदय, जनता तक यह विषय कहां तक पहुंचता। आज वहां के लोगों को, पश्चिमी राजस्थान के लोगों को, राजस्थान के काश्तकारों को यह पता ही नहीं है कि उनके जो रिकग्नाइज्ड राइट्स थे, जिसके लिए करोड़ों–अरबों रुपया फारेन एजेन्सीज ने दिया, वे राइट्स उनके हाथ से निकल गये। उनको वह जमीन अवेलेबल ही नहीं हुई। जब तक आप उन स्पेशल आफिसर्स को गवर्नमेंट के आर्डर के तहत नहीं हटायेंगे और वो रिव्यू की पावर्स जो कि अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपने दी है, माफ करना, उसकी भाषा अगर आप पढ़ें, अध्यक्ष महोदय, इतनी इनोसेंट है–जैसलमेर के गरीब काश्तकारों को, जैसलमेर के वंचित लोगों को जिनको खातेदारी राइट्स नहीं मिलते थे। वहां पर हमारे नेता महोदय अच्छी तरह अवगत हैं रेवेन्यू लॉ से, टोटली इन्वाल्व्ड हैं। यह जब 1955 में आया था और 1057 के बाद में अनेकों बार यह इश्यू उठा है, हमारे पूर्व वित्त मंत्रीजी खुद ने कालोनाइजेशन सम्भाल रखा है, वहां के लोगों के लिए जो आपकी पालिसी है, यह एक क्रिमिनल धोखा इंटरनेशनल एजेन्सीज से हुआ है। और मैं तो यहां तक कहता हूं जब तक वह रेक्टिफाई नहीं हो, इस सदन के माध्यम से कहता हूं कि उस प्रोजेक्ट को ऐड नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि यह ऐड गलत जाएगी। वह उन+++को और रिच करेगी जिनके पास आलरेडी इतना सामान है और पिछले तीन साल में जब से आपकी सरकार आयी है उस एरिया में जो घोटाले हो रहे हैं और···

श्री अध्यक्ष : अब इसका क्या संबंध है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सम्बन्ध यह है, अध्यक्ष महोदय, कि आप मुझे···

श्री अध्यक्ष : अब आप देखिये, इंडलजेन्स का नाजायज फायदा उठा रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं।

श्री अध्यक्ष : बिलकुल नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ऐसा लग रहा है you may not form any other impression on the press and people. How you are speaking ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : I am not...

श्री अध्यक्ष : Out of way. Again and again you are going out of way, taking time unnecessarily, consuming time of the House.

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : What else I am supposed to do ?

श्री अध्यक्ष : But you have no further arguments on the issue. Give those arguments. These are not arguments.

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : I have..

श्री अध्यक्ष : The Act was passed by the House when your party was present and no division was sought. It was passed by the whole House and you are challenging it here unnecessarily without any motion.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : You pick up an issue from my motion. You tell me...

श्री अध्यक्ष : You could have proposed an amendment on that Act. Instead of doing that you are just criticising it unnecessarily.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी ; Misfortunately, I was not a Member of this House.

श्री अध्यक्ष : But today you are here. Now you can move an amendment.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : I cann't.

श्री अध्यक्ष : You, everybody can move. Any amendment can be moved in any existing law. This is your right, Without doing that you are just unnecessarily taking time of the House.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : Till I....

श्री अध्यक्ष : Now please stop.

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आप देखिये...

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये। हो गया आपका।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप मेरे मे कितनी ज्यादती कर रहे है।

श्री अध्यक्ष : अब हो गया आपका, समाप्त करिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं क्या हो गया ?

श्री अध्यक्ष : अब क्या रह गया बाकी आपका ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी . बाकी मैं यह अर्ज कर रहा हूं, आप मुझे कहते हैं, भाटी मेरे प्रस्ताव में...

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय नेताजी से निवेदन करूंगा कि हाउस को+++ नहीं बनायें। यह बिलकुल सीमा के बाहर बात हो रही है। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है Jumping on one subject and other subject. Well, this is not the way. आप अपने आर्ग्यूमेंट को रेस्ट्रिक्ट रखिये, जिस हद तक आपको मैंने कहा। एक घण्टे 20 मिनट हो गये हैं सुनते सुनते। This is not the way Mr. Bhati देखिये, यह ट्राइल आफ पेशेंस अच्छी नहीं है आप सारे हाउस की ट्राइल आफ पेशेंस कर रहे है This is not good. Well I am here. मैं एक रात तक बैठा रहूंगा। You go on speaking for 10 hours and I will be here.

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

I will not move. I will not adjourn the House. You go on speaking but this is not the way. Just to ransom the whole House, it is not the right and privilege of any Member. No Member can ransom the House and you are doing this. This is against all traditions. laws and procedures.

श्री देवीसिंह भाटी (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री) : अब एनासिन की व्यवस्था करवा दो, अध्यक्ष महोदय, हमारे तो सिर दर्द हो रहा है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : I have no intentions of holding this house to ransom. अध्यक्ष महोदय, आप बोलने नहीं देंगे मुझे।

श्री अध्यक्ष : Well, this is my fate that I will be blamed after all. Inspite of giving all sorts of indulgence, ultimately you will blame me that I stopped you. You go on speaking. Go on speaking. Go on speaking for the whole might. I am here. But this not good. This tradition being set by you is not proper for the future generation and it will be regarded that House proceedings were misused.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी: It is a matter of great regret,

अगर आपने यह समझ लिया I am wasting your time and I am holding the House to ransom I can only say that I am sorry but I have to raise this issue. I have no other way to raise it. आप अगर अभी तक भी कन्विन्स नहीं हुए, इन दो बिन्दुओं पर मैंने आपको इनकी रेलेवेंस समझा दी है और अगर आप मुझे यह मोशन उठाने की अनुमति नहीं देते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, मैं या तो आपको चैम्बर में ही आकर आपको अर्ज कर सकता हूं, मैं मेरे लिए तो कर नहीं रहा हूं, या फिर मेरे साथियों के साथ एजीटेटेड रूप में किसी न किसी तरह यह इश्यू उठेगा। मैं इस प्रेस गैलरी से अपना सम्बन्ध नहीं रख रहा हूं। चूंकि मुझे प्रोवोक किया गया, चूंकि मुझे कहा गया कि इनका व्यक्तिगत स्वार्थ है इसलिए मुझे इस भूमिका में जाना आवश्यक था, माननीय सदस्यगण, नहीं तो मैं आपका समय नहीं लेता। अध्यक्ष महोदय, इतने नाराज हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी नाराज नहीं होने देता लेकिन यह बात बिलकुल ही नहीं चल सकती कि कोई भी माननीय सदस्य भले ही वह मुख्य मंत्री जी ही क्यों नहीं हो, मैं बोल रहा हूं और मेरे पर आरोप लगा दें बगैर नोटिस दिये हुए और यह कह दें कि व्यक्तिगत स्वार्थ से ये बोल रहे हैं और यह मुद्दा उठा रहे हैं।

श्री घासी राम यादव : This is a breach of privilege.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी: तो, अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं नियमों का उल्लंघन या तो मैं कर रहा हूं या वो श्रीमन कर रहे

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

है। अध्यक्ष महोदय, मैं कक्लूड जरूर करूंगा। मैं आपको कहूंगा, आप फरमा रहे है अमेंडमेंट करवा लो। मैं यह आप ही को एड्रेस करता हूं, मैं यह मोशन वापस ले लूंगा अगर आप यह व्यवस्था करवा दें कि वह जो अमेंडमेंट है, जो क्लोज है, जिसके तहत ये राइटस मिले है इस सरकार को, इस सरकार के आफिसर्स को कि वे हजारों-लाखों केसेज रिव्यू हो जाएं और लोगों को इल्लीगल वे में यह जमीन प्राप्त हो रही है उस जमीन को प्राप्त होने से यह चेयर और सदन रुकवा दे और जो एस.सी. एस. टीज व अन्य कैटेगराइजेशन हैं उन लोगों को यह लाखों बीघा जमीन करोड़ों की, अरबों खराबों की मिल जाए। तो मेरा यह मोशन क्योंकि इस हाउस में तो आप मुझे रेज करने नहीं देंगे, अब मेरे पास एक ही चारा रह गया, अगला सत्र जब आएगा तो आप कहेंगे कि वो तो लेप्स हो गया है इस वजह ये मोशन को वापस रेज करू। अगर मुझे आप यह एश्योरेंस सरकार से दिला दें कि उस अमेंडमेंट को ये अमेण्ड कर दें या उसमें एक ऐसा क्लोज डाल दें जैसा आपने फरमाया कि कर सकते हैं, तो मैं आपको ही रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप उस अमेंडमेंट को रद्द करवा दें। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से और माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी नहीं कभी भी भले ही दो घण्टे की बहस हो जाए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको प्रामिस करता हूं कि यह मोशन जो मैंने दिया है, न तो मेरी कोई इन दोनों से व्यक्तिगत दुश्मनी है, 298 बीघा भूमि राजवी साहब रखें या नहीं रखें, राजवी साहब के फादर मेरे लिए पूजनीय हैं और वे मेरे फादर के मित्र रहे हैं लेकिन... (व्यवधान)....

श्री रामप्रताप कासनियां : राजस्थान कैनाल के सारे काश्तकार बरबाद हो जाएंगे। माननीय मदेरणा साहब से पूछो इसके लिए कि हजारों की संख्या में मिलने के लिए इनके पास लोग डेपुटेशन के रूप में आये थे और 15 वर्ष तक इसके लिए आंदोलन चला है अकेले गंगानगर जिले में। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी: अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि उस अमेंडमेंट को आप रद्द करवा दें I will not raise this motion. I have nothing personal against them. लेकिन यह मैं आपको अर्ज करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है। प्रेस के पास तो मैं कभी भी जा सकता था परन्तु यह मोशन मैं रेज करूंगा; अनेक बार करुंगा, जब तक कि राजस्थान की पिछड़ी जाति, पिछड़े लोग जो एनटाइटल्ड हैं, अल्पसंख्यक, इस जमीन के एनटाइटल्ड नहीं हो जाएं तब तक मैं लड़ूंगा। अगर इस पर आप व्यवस्था दे दें तो मैं आभारी रहूंगा। अगर आप व्यवस्था नहीं देंगे तो मैं इस चेयर से भी लड़ूंगा और सदन में भी लड़ूंगा और बाहर भी लड़ूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : कौन बोल रहा है? पहले इधर से बोलने दीजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं बोल लूं।

श्री अध्यक्ष : पहले तिवाड़ी जी बोलेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह : माननीय तिवाड़ी जी बोल चुके हैं एक बार।

श्री अध्यक्ष : अब विधिवत बोल रहे हैं। जैसे आप विधिवत बोलेंगे वैसे ही विधिवत बोल रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख है कि आसन ने.....

श्री अध्यक्ष : आपसे एक निवेदन करूंगा कि इस सब्जेक्ट पर ही बोलिये। जिन विषयों पर वो बोले हैं उन पर ही बोलें। पर्सनल एक्सप्लेनेशन कॉल मत करिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं बिलकुल नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष : किसी तरह के आरोप..

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं बिलकुल नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष : किसी तरह के टोंट भी नहीं, व्यंग्य भी नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वो भी नहीं करूंगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पहले एक बार आप कर चुके हैं, वह तो वापस ले लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, आपने माननीय सदस्य भाटी साहब को दो पाइंटस पर अपनी बात रखने के लिए कहा था ताकि आप विनिश्चय कर सकें कि उसको लिया जाय या नहीं लिया जाय। उन्होंने उन दोनों पाइंट्स पर किसी प्रकार का प्रकाश नहीं डाला बल्कि उन्होंने अपना जो प्रस्ताव दिया था, जिसको अभी आप सुन ही रहे थे, उसको आपके द्वारा दी गयी छूट का पूरा लाभ उठाकर दुरुपयोग करते हुए सदन में पढ़ दिया। इसके अलावा उन्होंने दो पाइंट्स पर जो बात कहनी थी वह नहीं कही और बिना किसी बात के माननीय मुख्य मंत्रीजी को भ्रष्ट, +++ शब्दों का प्रयोग किया। अगर आप परमिशन दे देते और उसके बाद कहते तो मुख्य मंत्रीजी जवाब भी देते लेकिन आज इसका दुरुपयोग उन्होंने किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हर व्यक्ति के मन में कुछ तकलीफ होती है, कुछ भावनाएं हर्ट होती हैं और इस प्रकार कहने से मेरे मन की और मेरी भावनाएं निश्चित रूप से बहुत ज्यादा हर्ट हुई हैं और इसका एक कारण है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि इस सदन में यदि +++की परिभाषा देखी जाय और अगर कोई +++नहीं है तो भैरोंसिंहजी शेखावत सबसे कम व्यक्ति होंगे जो+++ की श्रेणी में बिलकुल नहीं आते। जिनका जीवन... (व्यवधान) ...आप बैठिये, मैं बोलूंगा। जिनका जीवन अगर किसी ने व्यक्तिगत रूप से देखा हो, बचपन में जिनके पिताजी का देहान्त हो गया हो और जिनकी विधवा मां ने उनको पाल-पोसकर बड़ा किया हो और आज तक जागीरदारों के खिलाफ लड़ते रहे हों। जागीरदारी उन्मूलन के समय एक व्यक्ति था भारतीय जनसंघ में, जनसंघ में 7 मैम्बर थे और भारतीय जनसंघ ने समर्थन किया था कि जागीरदारी प्रथा समाप्त की जाए। 6 विधायक राजपूत थे और सभी 6 जागीरदार थे। छह के छह जागीरदार छोड़कर चले गये थे। एक भैरोंसिंहजी शेखावत था जिसने खड़े होकर कहा था कि मैं जागीरदार उन्मूलन के पक्ष में हूं।

मैं इस सम्बन्ध में केवल तीन प्रसंग के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय शेखावत साहब के लिए अगर किसी को ध्यान है,

---

+++शब्द अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

भाटी साहब, सुन लें, पहला प्रसंग था जागीरदारी उन्मूलन का। दूसरा प्रसंग आया था जिस समय ये मुख्य मंत्री बने थे तो भैरोंसिंह शेखावत ही वे आदमी थे जिन्होंने सारे सीलिंग के मामले खोले थे और उसमें भाटी साहब और ऐसे कई +++आ गये थे जिनके मामले कोर्ट ने साफ कर दिये। तीसरी बात और निवेदन करना चाहता हूं, जयपुर का इतिहास साक्षी और गवाह है कि जिस समय दिवराला में सती काण्ड हुआ था तो सारा समाज एक साथ खड़ा हो गया था और प्रगतिशीलता के नाम पर माननीय भैरोंसिंह शेखावत ने कहा था कि मैं सती प्रथा के खिलाफ हूं और एक मात्र आदमी उस प्रथा के खिलाफ लड़ा था इस समाज में से इनको गद्दार कहा गया। ऐसे व्यक्ति पर इस प्रकार का आरोप लगाना एक तरह से आकाश पर थूकने के बराबर है लेकिन सदन में किया गया है। और अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाया गया है, आप सब लोग बोल रहे हैं, मैं भी बोलूंगा, भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाया गया है वह आरोप अगर कोई व्यक्ति कोई प्रमाण देकर लगाता तो मैं भी उसका समर्थन करता। भ्रष्ट कहने से भैरोंसिंह शेखावत भ्रष्ट नहीं हो सकते। भैरोंसिंह जी शेखावत जिन्दगी भर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे हैं। यह राजस्थान विधान सभा का इतिहास साक्षी है, समाचार-पत्र साक्षी हैं, आपातकाल में भी लड़े, बाहर भी लड़े, और मुझे तो कम से कम वह दिन याद है जिस समय इनका पैर टूटा और पच्चीस-पच्चीस, पचास पचास रूपये के लिए मोहताज थे। इतना बड़ा काम करने वाला आदमी जिस मकान में रहा, जिस गैराज में रहा, यह मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं इसलिए कह रहा हूं, पर शायद यह बात नरपत सिंह जी राजवी को हर्ट नहीं होगी, नहीं हो सकती, वह बाद में उनके सम्पर्क में आये लेकिन मैं बचपन से, जब पांच साल का था तब से जानता हूं। इस प्रकार के आरोप इस सदन में लगाने में इस बात से सहमत हो सकता था, भाटी साहब, कि आप इस जमीन की न्यायिक जांच की मांग करते, आप और कोई...

अनेक माननीय सदस्य : की है न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सुनिये। आप उसकी मांग करते इस माध्यम से करते, राजस्थान सरकार के माध्यम से करते, भारत सरकार के माध्यम से करते लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस मोशन का उद्देश्य जमीन की जांच कराना नहीं है, अध्यक्ष महोदय, माननीय भैरोंसिंह जी के प्रति इनकी जो व्यक्तिगत और पारिवारिक रंजिश है और सरकार कुछ कार्यवाहियां करने जा रही है...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पांइट आफ आर्डर है, अध्यक्ष महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसके कारण से सदन में यह प्रश्न उठाया गया है और सदन का दुरुपयोग किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं पहले इस बात का विरोध कर रहा था कि सदन में इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए लेकिन जब आज इस प्रकार का मुद्दा उठ गया है तो मैं दुबारा आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में इसकी अब चर्चा होनी चाहिए, निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए और सदन में भ्रष्टाचार पर भी चर्चा होनी चाहिए। मैं आपकी मांग का समर्थन कर रहा हूं, इस पर चर्चा होनी चाहिए सदन में अब,

+++शब्द अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

और चर्चा निश्चित रूप से होनी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अब यह बिना नोटिस के जब इतना बड़ा मामला उठाया जा रहा है तो चर्चा एक बिंदु पर केन्द्रित नहीं रहेगी। अब भ्रष्टाचार के जब मामले उठेंगे तो मेरे भी उठेंगे, नरेन्द्र सिंह जी भाटी के भी उठेंगे, धारीवाल साहब के भी उठेंगे, लक्ष्मण सिंहजी के भी उठेंगे और इस पर चर्चा हो जाए ··(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : चर्चा तय कर दीजिये, अध्यक्ष महोदय। कोई भी दिन नियत कर दीजिये चर्चा का जब सिर्फ भ्रष्टाचार पर ही यहां डिस्कशन हो और अनलिमिटेड तरीके से डिस्कशन हो। कर दीजिये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : और, अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार पर जब चर्चा होगी तो बोफोर्स पर भी होगी, प्रतिभूति घोटाले पर भी होगी, चारा कांड पर भी होगी, जो पार्टी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं, जिस पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार में हुआ है, जो पार्टी सिर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है वह सूरज को चिमनी दिखा रही है, इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि उन्होंने जो कुछ कहा है वह अपनी रंजिश के कारण से कहा है और सदन में इस विषय पर अब चर्चा होनी चाहिए। मैं अपनी पूर्व की धारणा बदल चुका हूं। अब इस मोशन पर सदन में निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए, मुझे यही आपसे निवेदन करना है।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री धनखड़। धनखड़ बोल रहे हैं। हमारे लीगल एडवाइजर बोल रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार): लीगल एडवाइजर आफ कांग्रेस पार्टी।

श्री अध्यक्ष : आज तो मुझे एडवाइस दे रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, तिवाड़ीजी ने भ्रष्टाचार पर भाषण दिया, बड़ा अच्छा लगा।

श्री अध्यक्ष : आप तो लीगल ही बोलिये, आप छोड़िये उस बात को।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय सदन के समक्ष जो मुद्दा है, अत्यन्त गम्भीर है। आपकी व्यवस्था से बाहर यह बात जानी जाएगी कि सदन का विजडम क्या है। नियम 119 के तहत जो यह मोशन है, जो भाटीजी पहले भी लाये थे, दुबारा भी नियमानुसार लाये हैं, आपने दो ही मुद्दों पर विचार व्यक्त करने का निर्देश दिया है। इसका एक सीधा इन्फरेन्स है कि आपने इस मोशन को इन दो मुद्दों के अलावा इन–आर्डर पाया है। अध्यक्ष महोदय, नियम 121 क्लाज–3 "It shall not refer to the conduct or character of persons expect in their public capacity."

अध्यक्षम होदय, आपको विवेचना करनी है कि शब्द रेफर का आप क्या अर्थ निकालेंगे? क्या इसको सीधा एक्यूजेशन से लिंक करेंगे या आरोप से लिंक करेंगे या इस वर्ड का विवेचन इस तरीके से करेंगे कि जो भी रेफरेंस भाटी जी के प्रस्ताव में है, क्या वह इस क्लाज–3 को हिट करता है? अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि मैंने भाटीजी के प्रस्ताव को दो बार पढ़ा है और आप देखेंगे कि पूरे प्रस्ताव में इन्होंने किसी भी व्यक्ति के कंडक्ट और करेक्टर को अदर देन आफि-

(श्री जगदीप धनखड़)

शियल कैपेसिटी टच नहीं किया है । मेरा आपसे अनुरोध है ऐसी परिस्थिति में नियमों के इन्टरप्रिटेशन का जो सिद्धान्त है, हरमोनियस कंस्ट्रक्शन की जो नीति है, नियम में जो स्पिरिट है, उसको आगे बढ़ाने की जो बात है वह आप पायेंगे नियम 119 के केप्शन में "Discussion on a matter of public interest" तो मेरा क्लाज-3 के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि इस क्लाज-3 का आप नैरो कन्स्ट्रक्शन न लें। पूरे प्रस्ताव को पढ़ने के पश्चात् किसी प्रकार का और कन्क्लूजन आप नहीं निकाल पायेंगे

दूसरी बात, क्लाज-4, "It shall be restricted to a matter of recent occurrence.".

अध्यक्ष महोदय, कल की बात है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कैरोसिन कांड पर भाषण देते समय एक वाक्य कहा था कि घटना की जानकारी होते ही मैंने प्रधान-मंत्रीजी से दूसरे दिन बात की । कोई नहीं कह सकता घटना कब की थी। घटना थी 18 फरवरी की । माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रधानमंत्रीजी से कब बात की ? जब इनको उस घटना की जानकारी हुई। यदि, अध्यक्ष महोदय, रीसेन्ट आकरेंस को आप ऐसी परिस्थिति में एक्जामिन करेंगे कि घटना कब हो गयी और पूरे विश्व को पता ही नहीं लगा, तो इस सदन के लिए कैरोसिन कांड की घटना रीसेन्ट कब हुई ? 9 मार्च को। सदस्यों को नहीं पता था, माननीय मुख्य मंत्रीजी को पता था, 9 मार्च को, 15 मार्च को हम सब के लिए रीसेन्ट आकरेंस था। मैं सदन का समय ज्यादा नहीं लेना चाहता, मैं इन शब्दों पर, अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि इन शब्दों की विवेचना किस प्रकार से की गयी है और उससे पहले मैं आपसे जरूर निवेदन करूंगा कि गांधीजी के उस सिद्धान्त को याद रखिये— Whenever in doubt on interpretation tilt towards the poor.

आपको व्यवस्था देनी है— आजकल जो माडर्न कंसेप्ट है ट्रांसपरेन्सी, ताकि राजस्थान की जनता के सामने यह मुद्दा नहीं उठे कि किसी चीज पर पर्दा डाला जा रहा है या नहीं डाला जा रहा है। यदि इस पूरी घटना को एक्यूजेशन और काउंटर एक्यूजेशन में ही डुबो दिया जायेगा तो फिर वह इन्टरप्रिटेशन वाली बात नहीं हो पायेगी ।

अध्यक्ष महोदय, शार्टर ऑफ आक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में जो इन शब्दों का विवेचन किया है उससे पहले मैं यह कहना चाहूंगा, आपने पूर्व में भी व्यवस्थाएं दी हैं, बड़े डिबेटेबल इश्यूज पर आपने व्यवस्थाएं दी हैं, लोकसभा के अध्यक्ष ने जो व्यवस्था दी है उससे हटकर आपने व्यवस्था दी हैं और आपकी व्यवस्था को सराहा गया है । It is one occasion now. Disassociating yourself with all considerations, जब आप अध्यक्ष बने थे, आपने कहा था इस आसन पर बैठने के बाद you find yourself in change. क्योंकि यहां पर स्पीकर की इन्स्टीट्यूशन का उस प्रकार से इवेल्यूएशन नहीं हो पाया। आपसे विनम्र अनुरोध है कि it is a challenge to this Assembly. It is a challenge to the institution of Speaker. It is a challenge to our commitment to transparancy in administration.

(श्री जगदीप धनखड़)

और इस प्रकार की बात को let us not create obstacles. जो बिना मतलब की है। मतलब पड़ने से पहले, माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक बातों में कहा है कि प्राइवेट लिटिगेशन में लिमिटेशन को लाइये। आपने अपील समय पर दायर की कि नहीं की But State cann't do this.

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी की इस बात को सराहूंगा कि उन्होंने कहा कि he is ready for a discussion. और जैसे ज्यादा सीरियस चार्जेज ट्रेड हुए हैं, बड़ा क्रूशियल इश्यू है, राजस्थान के कन्टेक्स्ट में, यह रेलेवेन्ट है। आवश्यकता इस बात की है माननीय अध्यक्ष महोदय, your's is a towering personality, please, rise to the occasion, decide this matter in the siprit.

श्री अध्यक्ष : How I ?

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी की तरफ देखता हूं, मुझे गड़बड़ हो जाती हैं क्योंकि when I quite serious, he takes that I am not very serious. इसलिए मैं लगातार अब आपकी तरफ देख कर जो इस डिक्शनरी के अन्दर तीन शब्दों का विवेचन किया गया है. . .

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं चला जाता हूं, आप सीरियस हों।

एक माननीय सदस्य : आप ऊपर देखा करो, पत्रकारों की तरफ।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं तो पत्रकारों की तरफ देखता ही हूं, आप तो देखकर हंसते भी हैं। अध्यक्ष महोदय, word 'Occurrence' which is very crucial. That which occurs or is met with. मैं मेट्-विद् पर इसलिए एक्सरसाइज कर रहा हूं कि यह डाकूमेंट इनएग्जिस्टेंस में होगा। इस सदन में जब चर्चा हुई, जिस डाकूमेंट की आपको जानकारी नहीं थी, उसको यह नहीं माना जा सकता कि to the extent this Assembly was concerned; that document had come into existence. चाहे उसको साजिशपूर्ण तरीके से छिपाया गया हो, कन्सील किया गया हो या ऐसा मान लें कि किसी वजह से वह असेम्बली के सामने आ नहीं पाया हो, आगे देखिये, जब आपने घनश्यामजी को सुन लिया, रेलेवेन्ट की बात में थारोली इर्रेलेवेन्ट रहे। You should appreciate that I am confining. दूसरा देखिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, I am in very sound company, in the company of very learned men and pure hearted men.

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा शब्द है, जिसकी विवेचना आपको करनी है वह है रीसेण्ट। रीसेण्ट को देखिये lately done or made that has lately happened or taken place, lately formed created; originated or begun.

आगे देखिये, belonging to a period of time comparatively near to the present. अब 'रीसेण्ट आकरेन्स' इस तरीके से मानिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, it is a changed reaction. घटना हुई, उस घटना की वजह से कुछ फल पके, जैसा भाटी जी ने कहा, अब वह फल पक गये, उनका

(श्री जगदीप धनखड़)

डिस्ट्रिब्यूशन हो रहा है there cann't be more recent occurrence in the present context than this.

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो तीसरा शब्द है, जिस पर आपको विवेचना करनी है, वह रेफर है। क्योंकि यदि आपने अर्थ लगा लिया refer to the conduct or character.

तो यदि इस प्रकार की very narrow interpretation will be taken, the very purpose of 119 will be defeated. casuality will be public interest.

रेफर का देखिये मान्यवर, refer, to trace, assign, attribute to a person or thing as the ultimate cause origin author or source.

मेरा मान्यवर, आपसे निवेदन है कि मुख्य मंत्रीजी ने भ्रष्टाचार के विरोध में, भ्रष्टाचार को जड़ मूल समाप्त करने का जो जेहाद छेड़ा था, उसमें आपकी व्यवस्था बाधक क्यों है? माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी आज विचार करना है, इन्होंने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए राजस्थान के नोन जूरिस्ट हाइली रेपूटेड सिटीजन, राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बेरी साहब की एक कमेटी बनायी, आज आप इनको इन्ट्रोस्पेक्शन का मौका दीजिये कि जिन मामलों को बेरी कमेटी ने फुल प्रूफ मामले माना। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने क्यों उनको क्लीन-चिट अपने पिछले राज में दे दी? तो मेरी करबद्ध आपसे प्रार्थना है, मैं बहुत कम इण्डलजेंस लेता हूं और मैंने प्रयास किया है कि I should turn out to be very discipline to the extent Chair is concerned.

मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, समय कम था, इस मुद्दे पर उस प्रकार का एकेडेमिक डिस्कशन नहीं हो पायेगा, पर go by your conscience, go by your morality and go by your ethics.

ऐसा कभी नहीं हो भविष्य में, क्योंकि आपका जबरदस्त कैरियर रहा है। राज्य सभा में आप 6 वर्ष रहे हैं, दूसरा सुअवसर आपको यहां पर मिला है। आप कभी-कभी हमारी तरफ कठोर रूख रखते हैं पर अन्दर से हम सब मानते हैं कि आप पिघल जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : जजेज को कब मौका मिलता है, +++ सुनने का, मुझे बहुत मिल रहा है।

श्री जगदीप धनखड़: I conclude. मैं एक शब्द का उपयोग कर रहा हूं, उस शब्द को आप अनपार्लियामेंटरी नहीं मानेंगे वरना on a note of warning and that warning is to all of us. क्योंकि कल जैसा मैंने कहा था, कैरोसिन कांड में चाहे हम कितनी चर्चा कर लें, ब्यूरोक्रेसी के साथ कुछ भी करें, हम लोगों को यहां उस कांड की जानकारी नहीं हुई that was a serious reflection on our democratic working.

+++ शब्द अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जगदीप धनखड़)

उसी तरीके से, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस ट्रांसपरेंसी के बीच में मत आइये, आप इस करप्शन के खिलाफ जेहाद के बीच में मत आइये, यह +++और इस लड़ाई को एक बार आप इग्नोर करते हुए साफ-सुथरी न्याय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के बीच में मत आइये।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : Thank you. लक्ष्मण सिंह जी बोल रहे हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने विचारणीय बिन्दु यह है कि माननीय भाटीजी ने जो माननीय मुख्य मंत्रीजी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं, क्या उन पर चर्चा की जाए अथवा नहीं की जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस केस की मेरिट्स के अन्दर नहीं जाना चाहूंगा। मैं सिर्फ नियम और परम्परा तक ही अपने आपको सीमित रखूंगा। आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि यह सदन नियम और परम्पराओं से ही चलता है। यहां पर पहले नियम की हम बात कर लें। रूल 119 और 273 इन दो नियमों के अन्तर्गत इस विषय के ऊपर चर्चा की जाने की मांग की जा रही है। मेरे विचार में, अध्यक्ष महोदय, जो नियम और परम्परा है with all due regards to you, आपके पास में यह अधिकार ही नहीं है कि आप इस विषय पर चर्चा करने से सदन को रोक सकें, with all due regards to you, क्योंकि हम भी नियम से बंधे हुए हैं, आप भी नियम से बंधे हुए हैं। अगर हम 119 का विश्लेषण करें और उसके बाद उसके सम्बन्धित 273 की विवेचना करें, तो यह बात अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। मैं सदन को और आपको कन्विन्स करने का प्रयास करूंगा। अध्यक्ष महोदय, रूल 119 says.

"Discussion on a matter of public interest save in so far as is otherwise provided in the constitution or in these rules, no discussion on a matter of general public interest shall take place except on a motion made with the consent of the Speaker."

अर्थात्, अध्यक्ष महोदय, दो कंडीशन्स में अध्यक्ष महोदय की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। एक कंडीशन तो अगर कांस्टीट्यूशन के अन्दर ऐसा कोई प्रावधान है, तो आपकी आवश्यकता के बिना भी इस मोशन को लिया जा सकता है और या इस पुस्तक के अन्दर जो नियम दिये गये हैं, इन नियमों में अगर कोई प्रावधान है, तो आपकी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। Save in so far is as otherwise provided in the constitution or in these rules. अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि....

श्री अध्यक्ष: One minute. Subject to correction. परमिशन पर्टिकूलर रूल में होता है। यदि किसी और रूल में और किसी मोशन का प्रोविजन है तो उसमें भी परमिशन लगी हुई है या नहीं लगी हुई है

+++शब्द अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

It depends on that यदि उसमें परमिशन नहीं है तो नहीं जरूरत है यदि उसमें परमिशन का क्लॉज लगा है तो वहां भी लगी हुई है।

श्री लक्ष्मण सिंह : I may be wrong. मैं 273 को भी इसके साथ बताऊंगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जो 119 के अन्दर कंडीशन 3 एण्ड 4 का सैटिस्फेक्शन चाहा था भाटी साहब से, उस 119 के 3 एण्ड 4 की कहीं आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन्हीं नियमों के अन्दर 273 के अन्दर स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि आप इसकी परमिशन दें क्योंकि इसके साथ साथ संलग्न है हमारे इस सदन की परम्पराएं।

अब मैं 273 की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, 273 says

Says Procedure regarding allegation against a person. No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply".

अर्थात इस 273 के अन्दर सिर्फ एक कंडीशन है। इसमें सिर्फ यही कंडीशन है, अध्यक्ष महोदय, कि मैम्बर कन्सर्न्ड या मिनिस्टर को उसका नोटिस दिया जाना आवश्यक है। दैट्स आल और नोटिस इस बारे में पूरी तरह से दिया जा चुका है। इस कारण से इन 273 के अन्दर ही यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि इस विषय पर चर्चा की हमें आज्ञा प्रदान की जाए।

साथ में, प्रोविजो की आप शायद बात उठाना चाहेंगे। इस प्रोविजो के अन्दर दिया हुआ है, अध्यक्ष महोदय, "Provided that the Speaker may at any time prohibit any Member from making any such allegation" 'At any time' denotes during the speech, during the process of making allegation. अभी आपने कहीं पर भी अपनी स्पीच प्रारम्भ नहीं की है, एलीगेशन्स लगाना प्रारम्भ नहीं किया है। अभी तो परमिशन मांगी जा रही है। उस समय अगर आपको ऐसा प्रतीत हो कि माननीय मुख्य मंत्री के अगेन्स्ट में नहीं वरन दो बातों को लेकर के अगर यहां कुछ गलत बात कहते हैं पहली चीज derogatory to the dignity of the House. अगर मेन डिस्कशन के वक्त में भाटीजी ऐसी चीज कोई कहते हैं जो कि डेरोगेटरी है टू दी डिग्निटी आफ दी हाऊस तब आप भाटीजी को रोक सकते हैं। और दूसरी कंडीशन है, 'not in public interest.' मेरे ख्याल से इस बात से तो आप भी सहमत होंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जी के ऊपर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जाते हैं तो इससे बढ़कर के राजस्थान के अन्दर पब्लिक इंट्रेस्ट की बात कोई भी नहीं हो सकती है। जहां तक नियमों का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, यह आपके क्षेत्राधिकार में नहीं है कि आप 273 के अन्तर्गत हमें इस पर चर्चा करने से रोके, पहली बात। अब मैं कुछ परम्पराओं पर जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : इसमें थोड़ा-सा अभी रेफर की जो इन्होंने परिभाषा बतायी, धनखड़ साहब ने, और यह कहा कि इसमें कहीं पर भी करप्शन की बात नहीं कही गयी है, नोटिस में कहीं पर भी करप्शन की बात नहीं कही है। आपने यह कहा था, आप उसको रेफर करेंगे। मतलब इसको रेफर करेंगे तो इसमें करप्शन की बात कहीं नहीं कही है और आप जो 273 बोल रहे हैं उसमें डायरेक्टली डिफेमेटरी है, इसको आप मान कर के चलते हैं कि यह डिफेमेटरी है इसलिए नोटिस देना जरूरी है। यह कन्ट्राडिक्शन···

श्री लक्ष्मण सिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय, during the time of discussion derogatory to the dignity of the House. हाउस की डिग्निटी के डेरोगेटरी हो तभी आप रोक सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, वह नहीं कह रहा। वह तो प्रोविजों में है। सिम्पली जब आप 119 में नोटिस देते हैं और उसमें एक तरफ आप इन्टरप्रिटेशन यह करते हैं कि इसमें कहीं पर भी करप्शन की तरफ कोई रेफरेंस नहीं किया गया है, यह एक पब्लिक इन्ट्रेस्ट का इश्यू उठाया गया है और दूसरी तरफ आप 273 का नोटिस देते हैं यह मानते हुए कि इसमें डिफेमेटरी एलीगेशन्स हैं। यह कह रहा हूं मैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है। अभी मैंने नियमों के बारे में निवेदन किया, अब मैं कुछ यहां पर जो परम्पराएं पड़ी हैं, अध्यक्षीय कुछ यहां जो डिसीजन्स हुए हैं, महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, 18 मार्च, 1969 को सदन में कुछ आरोप लगाने के बारे में जो अध्यक्ष का निर्णय था उसमें यह कहा गया था। अध्यक्ष महोदय को कोट करता हूं "ऐसे एलीगेशन्स के प्रश्न जिनकी सूचना दिया जाना नियमों के अनुसार आवश्यक है उनके लिए यह आवश्यक है कि उन एलीगेशन्स के सम्बन्ध में मंत्री को सूचना दी जाए ताकि वे उसका स्पष्टीकरण दे सकें।" अर्थात सिर्फ आप सूचना दे दीजिए जिससे कि मंत्री महोदय या मुख्य मंत्रीजी अपनी पूरी तैयारी करके आएं।

इसी प्रकार का एक इन्स्टांस हुआ था 26.3.1970 को उस वक्त पुलिस विभाग की मांग पर बोलते वक्त कुछ एलीगेशन्स लगाये गये थे और अध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय दिया था कि नियम 273 के अनुसार सदन में आरोप लगाने से पूर्व श्री अध्यक्ष एवं सम्बन्धित मंत्री को लिखित में पूर्व सूचना देना आवश्यक है। इस निर्णय से भी वह पूरी तरह सिद्ध होता है कि लिखित सूचना मात्र ही काफी होता है। इसी प्रकार इस सम्बन्ध में एक और निर्णय वहां पर हुआ था। उस वक्त उस मामले को माननीय भैरोंसिहजी शेखावत साहब ने स्वयं ने उठाया था 30-3-1970 को।

I quote, श्री भैरोंसिहजी शेखावत ने राजस्थान विनियोग संख्या-3 विधेयक, 1970 पर अपने विचार व्यक्त करते समय राजस्व मण्डल के एक सदस्य एवं एक विभागाध्यक्ष पर राजस्थान नहर क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों के नाम से झूठे फार्म भर कर भूमि आवंटन करने का आरोप लगाया तो श्री यशवंत सिंह नाहर ने प्रक्रिया के नियम 272 व 273 के अन्तर्गत औचित्य प्रश्न उठाया कि सदन में अनुपस्थित

(श्री लक्ष्मण सिंह)

व्यक्तियों पर आरोप लगाने के लिए श्री अध्यक्ष एवं सम्बन्धित मंत्री को लिखित में पूर्व सूचना दी जानी चाहिए।

आगे मैं पढ़ता हूं, अध्यक्ष महोदय, "श्री भैरोंसिंहजी ने इस सम्बन्ध में यह कहा कि उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्व में दिये गये निर्णय के अनुसार इस तरह के आरोप पूर्व सूचना के बगैर भी लगाये जा सकते हैं।"

अध्यक्ष महोदय, कहां तो माननीय मुख्य मंत्री जी जब उस वक्त इस तरफ बैठे थे, पूर्व सूचना के बिना किसी बात के एट रेन्डम खड़े होकर आरोप लगाया करते थे और यहां नियमानुसार पूरा समय दे कर के जब माननीय भाटी जी ने मुख्य मंत्री जी के ऊपर आरोप लगाये हैं तो, अध्यक्ष महोदय, यह तो पूर्णतः अन्याय होगा कि आप इस प्रकार के विषय के ऊपर हमें चर्चा करने की आज्ञा प्रदान नहीं करें। 30 मार्च, 1970 को अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया था लेकिन आरोप लगाते समय हमारे नियमों में कुछ प्रतिबन्ध लगे हुए हैं वाणी की स्वतन्त्रता पर। उस आधार पर जब माननीय सदस्य कोई बात कहें तो उसका पूर्व नोटिस मंत्री महोदय को होना चाहिए।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है, अध्यक्ष महोदय, this book is replete with instances. जब कि पूर्व में बिना नोटिस दिए यहां पर आरोप लगाए गये और ज्यादा से ज्यादा आरोप हमारे सम्माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा ही लगाये गये। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि जब मुख्य मंत्रीजी स्वयं आज इस बात के लिये तैयार हैं कि इस विषय पर चर्चा हो जाय तो वह विषय एक बजे डिस्पोज आफ हो जाना चाहिए था आपके द्वारा, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो फिर किस बात पर डिस्कशन हो रहा है।"

इसलिए मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि इस विषय पर गम्भीरता से चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि, अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ मुख्य मंत्री जी का प्रश्न नहीं है यह स्टेट की हाइएस्ट अथोरिटी के ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है। अगर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसका स्पष्टीकरण आना चाहिए। मैं तो मुख्य मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक बहादुर व्यक्ति की तरह खड़े होइये और कह दीजिये कि मैं इसकी न्यायिक जांच करवाने को तैयार हूं। अगर मुख्य-मंत्रीजी यह कहते हैं तो इससे इनका पद बढ़ेगा, इनकी गरिमा बढ़ेगी।

धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयेन्द्रपाल सिंह।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो इतना ही कहना है और यह भी आपत्ति नहीं है कोई आरोप लगाये, भ्रष्टाचार के आरोप लगाये उसका डिस्कशन हाउस में ना हो। परन्तु जो अपने सामने इस 119 के हवाले से यह उठाया गया है उसके अन्दर जो दो तीन मसले आए हैं और जो दो स्पेसिफिक प्रश्न पूछे गये भाटी साहब से, उसके बारे में उनका जो उत्तर है वह पर्याप्त नहीं है इसलिए यह मोशन ड्राप किया जाए। मैं दोनों बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। नम्बर-तीन, "it shall not refer to the conduct or character of persons except in their public capacity." एक तो यह। जब उनका जन्म नहीं हुआ था तो क्या वह कोई पब्लिक फिगर थे या नहीं, एक तो इस बात पर...

(111)

श्री अध्यक्ष : जन्म नहीं होने के पहले कोई कैपेसिटी होती है क्या ? जन्म नहीं हुआ तो कैपेसिटी भी नहीं थी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : जो दूसरी बात रखी गयी है "it shall be restricted to a matter of recent occurrence." वो की वो ही बात जो मैंने अभी दोहराई, 'रीसेन्ट आकरेंस' आप एक चिट्ठी का हवाला देकर कि वह चिट्ठी अब सामने आयी, यह नहीं हो सकता। इस मुद्दे को उठायें, कौन रोकता है पर आप दूसरे कोई भी रूल के अन्दर उठायें, यही कहना है।

(15.00)

श्री अध्यक्ष : श्री घासीराम जी।

श्री घासीराम यादव (मुण्डावर) : अध्यक्षजी, मैं भैरोंसिंह जी साहब की बहुत तारीफ करने वाले लोगों में से हूं।

श्री अध्यक्ष : अभी भी तारीफ करेंगे ?

श्री घासीराम यादव : अभी भी करूंगा भैरोंसिंह जी साहब को मैं सन् 1952 से जानता हूं। मैं भी सन् 1952 से चुनाव लड़ता रहा हूं और मेरा और चन्दनमल जी का तीसरा स्थान है सन् 1952 से चुनाव लड़ने वालों में पहले हरिदेव जी जोशी, दूसरे भैरोंसिंह जी, तीसरे मैं और चन्दनमलजी। मैं इनको 1952 से जानता हूं। इनमें बहुत खूबियां हैं मैंने पहले भी हाउस में एक बार कहा था कि 'अपना गांव अपना काम' के लिए आपने अच्छा काम किया है। आप भी बैठे थे, उस समय लोगों ने तालियां बजाई थीं। बोलने की शक्ति शायद हिन्दुस्तान के किसी नेता में इतनी नहीं होगी। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी सुना है यह मिसाल विसाल देते हैं लेकिन मुझे सबसे अच्छे भैरोंसिंह जी साहब लगते हैं। हिन्दुस्तान में भैरोंसिंह जी से ज्यादा अच्छा बोलने वाला कोई नहीं है कांग्रेस और अन्य सबको मिला कर जिसका जिक्र किया था नरेन्द्रसिंह भाटी ने और साथ में और ने भी किया था, मेरे दिल पर उनकी छाप पड़ी हुई है। एक बार तो सती का जिक्र चल रहा था और तलवारें घूमती थीं तब वहां जाकर उन्होंने कहा कि मैं भी वैसा ही करता जैसा दूसरी सरकार ने किया। बहुत हिम्मत के साथ उन्होंने कहा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कालवी साहब जब उनके साथ बोलते थे उस समय उन्होंने कहा था। एक इन्होंने अभी जिक्र किया अलवर कलक्टर का इनके दिमाग में यह बात बैठ गई कि अलवर कलक्टर निर्दोष है जैसा कि हजरतबल में निकालने की बात थी वैसी ही यह भी निकलवाना चाहते थे लेकिन पूर्व जो राजकुमार थे गोली खा कर मर गये। तो सारे ज्यूडिशियल कमीशन के बाद और रेवेन्यू बोर्ड चेयरमेन की रिपोर्ट के बाद उन्होंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

अब मैं दूसरे माननीय सदस्य जिन के बारे में बात आई है जमीन की राजवी साहब, उनकी मैं तारीफ करता हूं। उनका भाषण मैंने सुना। रेप्ट अटेंशन के साथ सब लोग सुन रहे थे और हम लोग भी तालियां बजा रहे थे। अकाल राहत के बारे में आधा ही सुना था। मैं 1952 से जानता हूं, पांच छह स्पीकर जो अच्छे हुए इस असेम्बली में, एक सुरेन्द्रनाथ मोदी बहुत अच्छा बोलते थे, एक सज्जनसिंह जी पाली जिले के बहुत अच्छा बोलते थे, हालांकि खेतसिंह जी खराब बोलते थे

(श्री घासीराम यादव)

और भैरोंसिंह जी और सुखाड़िया साहब अच्छा बोलते थे, उसी तरह का भाषण मुझे उनका लगा। पुरुषों में एक-दो और अच्छे लगे, स्त्रियों में तारा भण्डारी जी का बहुत अच्छा रहा। उनकी बातें सब सही है। मुझे ऐसा लगता था कि भैरोंसिंह जी साहब......

श्री अध्यक्ष : लोग यह नहीं समझ लें कि पार्ट आफ दी विदड्रावल सेरेमनी हो रहा है।

श्री घासीराम यादव : मैं एक बात कहना चाहता हूं अभी परम्परा की बात आ रही है, एक अमेरिका का स्टूडेण्ट इंग्लैण्ड गया, अमेरिका में तो रिटन कांस्टीट्यूशन है उस स्टूडेण्ट ने कान्स्टीट्यूशन की कापी मांगी तो बोले, यहां कान्स्टीट्यूशन है ही नहीं, यहां तो सब परम्पराओं से चल रहा है। तो इंग्लिश पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट्स की जननी कहलाती है, मदर आफ पार्लियामेंट्स है उसी की नकल है हमारे हिन्दुस्तान में। यूनिटरी गवर्नमेंट है। फेडरल भी ले रखी है हमने। इधर तो ले रखी है अमेरिका से लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट भी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसलिए यहां उन्हीं परम्पराओं को हमको मानना चाहिये। आपने पढ़ा होगा, आप तो बहुत विद्वान आदमी हैं, मैंने बाहर देखा नहीं है, लेकिन मैं पढ़ता बहुत हूं, पांच-सात साल पहले एक ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्टर के बारे में यह चर्चा आ गयी कि रशिया जो कम्यूनिस्ट कण्ट्री है उसकी कोई लड़की इससे मिली और उसने इस्तीफा दे दिया। तो इन परम्पराओं से प्रजातंत्र पनपता है। अगर मान लीजिये मालूम पड़ गया किसी तरीके से कि राजवी साहब की वजह से या कोई गलत काम उसके पिताजी ने कर लिया, कैसे हो गया तो उनको यह जमीन छोड़नी चाहिए। उनको जमीन छोड़नी चाहिए, इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है।

एक साहब, मैं कहना चाहता था..

श्री अध्यक्ष : एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ से ले लिया आपने।

श्री घासीराम यादव : मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी-अभी आपने थोड़े दिन पहले चिदम्बरम् साहब की मिसाल देखी होगी, स्केम में कोई जिक्र आ गया उनका ..(व्यवधान)..स्टाक एक्सचेन्ज में,

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी सो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : वह सो नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं (व्यवधान) जिनको सुनना चाहिए उनको सुन रहे हैं।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं दो ही मिनट में खतम कर रहा हूं। आपने अभी सुना होगा स्टाक एक्सचेंज में, एक क्या स्केम था उसका बड़ा झंझट हुआ और थोड़ा एस्पर्शन आ गया चिदम्बरम साहब पर तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाद में क्लियर होंगे जब उसको लिया जाएगा। इसलिए when a minister is under the cloud, he should resign. चीफ मिनिस्टर साहब को आज ही इस्तीफा देना चाहिये। आप क्लाउड में भी गये। इंग्लैंड में ऐसा होता है।

एक आपके सामने उन्होंने यह कहा कि इन्होंने अपनी स्वार्थगत भावना से अपने स्वार्थ के लिए बनाया है। यह तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। आप नोटिस दें उनको। एक

(श्री घासीराम यादव)

मेम्बर को बोलने से+++ देकर रोकना यह ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं तो क्या है? आपके सामने कहा है। आप इसका नोटिस ले लीजिये।

एक बात मैं कह कर खतम करता हूं कि आपको भी चुना है, हाउस ने चुना है, आप हाउस से बड़े नहीं हैं। हाउस आज अगर आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रख दे तो आप चेयर छोड़ कर चले जायेंगे। इसलिए आप हाउस का सम्मान कीजिये। सारा हाउस चाहता है, आप इस डिबेट को चलने दीजिये।

जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह जी। आपने तो बहुत पारितोषिक बांटे और सबसे वापस छीन लिये और मेरे से मेरी कुर्सी ही छीन ली।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्षजी, माननीय भाटी साहब ने एक नोटिस दिया और यहां नियमों का हवाला दिया गया, 119, 121, 273, डिक्शनरी भी आई। मैं, अध्यक्षजी, निवेदन करना चाहूंगा और आपकी उस बात से लेना चाहूंगा, आपने कहा कि पहले सदन के नेता मान जायें, स्वीकार करें फिर भी फैसला मेरे हाथ में है, मैं देऊं या नहीं देऊं। माननीय अध्यक्षजी, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, नियम 119 की दो लाइन मैं पढ़ना चाहूंगा उसके बाद अपनी बात कहूंगा—

"Save in so far as is otherwise provided in the Constitution or in these rules, no discussion on a matter of general public interest shall take place except on a motion made with the consent of the Speaker."

अध्यक्ष जी, आपकी कन्सेंट तो हर मामले में आवश्यक है लेकिन आप भी हाउस की कन्सेंट से बंधे हुए हैं। आप सुप्रीम हैं, चेयर सुप्रीम है लेकिन जहां पूरे सदन की भावनाएं हों और यह रूल्स बने हैं सदन में कार्यवाही ठीक ढंग से चले और उसके हिसाब से हम कार्यवाही करते रहें, मेरा सब्मिशन इतना ही है, रूल्स मैं अधिक नहीं पढ़ना चाहूंगा लेकिन जब 119 का हवाला आया और आपकी कन्सेंट की आवश्यकता है, हो सकता है आप दूसरे प्रोविजन से बंधे हुए हों लेकिन 1952 से यह सदन हुआ है तब से इस सदन में रूल्स का रिलक्सेशन होता आया है, आज भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, ऐसा अवसर है जिसमें आप अपनी व्यवस्था रूल्स से बंधे हुए ना होकर, रूल्स को रिलेक्स करते हुए दें क्योंकि इसमें बहुत इम्पोर्टेन्ट इश्यूज आ गये हैं। 119 का बहुत नोटिस सिम्पल था। उसके बाद में सदन में चर्चा हुई। सदन के नेता ने उठ कर कहा कि मैं चाहता हूं कि इस पर डिस्कशन हो जाए। अपोजीशन से मांग हो रही है कि डिस्कशन हो। इसलिए इन सब बातों को देखते हुए मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि 119 में जो आपको परमिशन की आवश्यकता है, आप दूसरे नियमों से बंधे हुए ना रह कर, कहीं भी नियम बाधक हो तो उसको रिलेक्स करके इसमें डिस्कशन अलाउ कर दीजिये। छोटी-सी बात है उसमें कोई खास दिक्कत आने वाली नहीं।

+++शब्द अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री कासनियां ।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी माननीय भाटी साहब ने माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा धारा 15 ए ए ए में संशोधन करके अपने दामाद को फायदा पहुंचाने की जो बात कही है इस पर मेरी घोर आपत्ति है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि यह जो आरोप है, मुख्य मंत्री जी पर नहीं लगाकर इन्दिरा गांधी नहर के जितने काश्तकार हैं उन सबके खिलाफ भाटी साहब ने लगाये हैं । मेरा इस सम्बन्ध में यह कहना है। प्रतिपक्ष के नेता माननीय मदेरणा साहब बैठे हैं, इस धारा 15 एएए के संबंध में गंगानगर जिले का किसान पिछले 15 वर्षों से लगातार आन्दोलन करता आ रहा था और मुख्य मंत्री जी जब सत्ता में आये पिछले कार्यकाल में तो उस समय गंगानगर के सारे विधायकों ने मिल कर मुख्य मंत्री जी पर यह प्रेशर डाला कि धारा 15 एएए में संशोधन करके किसानों को दो मुरब्बे जमीन मुफ्त दी जाए । माननीय मुख्य मंत्रीजी का इस सम्बन्ध में काफी अड़ियल रवैया रहा । फिर राजस्व मंत्रीजी गंगारामजी के यहां काफी विधायक मिलने गये और इनको साथ ले करके हम मुख्य मंत्रीजी के पास गये, गंगानगर जिले से काफी किसान आये तब जाकर धारा 15 ए में संशोधन हुआ है । माननीय मदेरणा साहब बैठे हैं, पता नहीं इनके सामने कितनी बार डेपूटेशन ले-लेकर हजारों की संख्या में बसें भर-भर के गंगानगर और बीकानेर जिले के काश्तकार यहां आये हैं । कांग्रेस सरकार के समय लगातार धारा 15 ए को लेकर के आन्दोलन होते रहे और आज माननीय भाटी साहब यह कह रहे हैं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने दामाद को फायदा पहुंचाने के लिए धारा 15 एएए में संशोधन किया है । मेरी इसमें घोर आपत्ति है, यह पूरे राजस्थान कैनाल के काश्तकारों के खिलाफ भाटी साहब चार्ज लगा रहे हैं । यह तो षड्यंत्र है । मुझे यह दिखाई दे रहा है कि प्रतिपक्ष के अन्दर आपस में लीडरशिप का झगड़ा लगता है । मुझे यह महसूस हो रहा है जैसे भाटी साहब अपने आप को नेता साबित करना चाहते हैं और माननीय मदेरणा साहब को नीचा दिखाना चाहते हैं (व्यवधान) माननीय मदेरणा साहब नहीं बोल रहे हैं इसका एक कारण यह है कि यह किसान की बात को समझते है । आपको पता नहीं 15 एएए से राजस्थान कैनाल के काश्तकारों को कितनी खतरनाक बीमारी लगी थी और अब कितना उनको छुटकारा मिला है इस बीमारी से । आपने तो उलटे ही उलटे कानून बनाये अपने शासन काल में और अब जब रियायत देने की बात आई तब आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाने लग गये । मुझे बड़ा दुःख हो रहा है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि धारा 15 ए में संशोधन नहीं किया जाए और किसानों को जो राहत पहुंचाई है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसके लिए मैं राजस्थान कैनाल के काश्तकारों की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा ।

आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं बहुत--बहुत आभारी हूं ।

श्री अध्यक्ष : पहले नाथूसिंह जी बोल रहे हैं । बोलिये ····(व्यवधान)·· गंगाराम जी बोल रहे हैं पहले।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यहां पर चर्चा आज इस के सम्बन्ध में आ गयी थी धारा 15 एएए में जो संशोधन 1992 में किया था उसके तहत....

श्री अध्यक्ष : अब आज तो सब को छूट हो गयी न। अब आपने छूट ली है तो मैं किसको रोक सकता हूं। अब यह तो आप लोगों के विचारने की बात है। देखिये, मुझे यह उपदेश जरूर दिया गया है.... (व्यवधान) सुनिये, मैं हाउस के ऊपर तो नहीं हूं इसमें तो कोई दो–राय नहीं है। मगर आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि मैं केवल हाउस के मोशन से बंधा हुआ हूं। यदि आप मुझको बाध्य करना चाहते हैं तो आपको मोशन लाना पड़ेगा और उस मोशन में हाउस जो पास कर देगा उससे मैं बाउण्ड हूं। आप क्या बोलते हैं उससे I am not bound. सेंस करना, नहीं करना है यह मेरे विवेक पर निर्भर करता है। मैं आपकी भावनाओं को सेंस करूं यह तो मेरे विवेक पर है लेकिन बाउण्ड मैं केवल मोशन से हूं। जिस विषय पर भी आप मोशन लाकर हाउस से पास करवा देंगे I am bound by it. I will defened it like anything. इसलिए आज लोगों ने जो सोचा है उसी हिसाब से बोल रहे हैं। बोलिये, अब जो सवाल उठा है तो जवाब भी सुनिये।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार 1992 में राजस्थान टिनेन्सी (सैकण्ड अमेंडमेंट), बिल जो पेश किया वह सदन में पास हुआ उसकी मंशा के अनुसार यह बात कतई नहीं है कि किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों को लाभ देने के लिए किया जाए। ......

(15.15)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सभापति, पदासीन) 15 एएए के पहले का जो प्रावधान है वह भी पढ़ कर आपके सामने अर्ज करूंगा और 15 जो हमने सैकण्ड अमेंडमेंट के जरिये जोड़ा है उनकी भावना के सम्बन्ध में अर्ज करूंगा। अध्यक्ष महोदय, 15 एएए से जो पहले प्रावधान है वह यह है–

Notwithstanding anything contained in Sec 15 A and a person who, at had the commencement of this Act was a holder of khudkast or an occupancy tenant or a n.orushider or a khatedar tenant or a tenant with transferable and heritable right and was recorded as such in annual register then current.

यह आगे आता है कि यह खातेदार बन जाता है। सभापति महोदय, 15.10 1955, जिस दिन कि यह टिनेन्सी एक्ट लागू हुआ था, इसमें लिखा हुआ है कि at the commencement of this act, जो आदमी टिनेन्ट, उस वक्त दर्ज था, रिकार्डेड था, वह तो खातेदार वैसे ही बन जाता था 15 एएए के तहत और यह जो फैसला अमर सिंहजी राजवी का राजस्व मण्डल ने किया है, यह हमारे अमेंडमेंट से बहुत पहले किया है और उन्हीं धाराओं के अन्तर्गत किया है। हमने अब अमेंडमेंट करके 15 एएए में 2 (A) जोड़ा है उसके प्रावधान कुछ और हैं उसके प्रावधान के अन्तर्गत उन लोगों को लाभ देना है जो कि 15.10.1955 को रिकार्डेड नहीं थे जैसा कि जैसलमेर के लोग रिकार्डेड नहीं थे और उनका सर्वे और सेटलमेंट बाद में

(श्री गंगाराम चौधरी)

हुआ था ! वह भाषा में पढ़ कर बताता हूं कि उनको कैसे लाभ मिल रहा है और इनको कैसे लाभ मिला ।

श्री सभापति : पढ़िये ।

श्री गंगाराम चौधरी : यह जो 2(A) हमने जोड़ा है इसके अन्दर यह है–

"Notwithstanding anything contained in Sec. 15 A any person who was a holder of khudkast of a tenant of a land otherwise tenant as a subtenant or a khudkast within the Indira Gandhi canal area, whether recorded as such at the commencement of this Act." आगे है–

"Or subsequently in the record of rights, prepared during the survey or Re-survey and record operations conducted under Sec. 106 and 107 of the Rajasthan Land Revenue Act."

इस का मतलब यह है कि अगर वह आदमी पहले रिकार्डेड नहीं था, कोई टिनेन्ट पहले रिकार्डेड नहीं था तो उसके बाद में पहला सर्वे जो सैक्शन 106 और 107 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत किया गया हो, सर्वे और रिकार्डेड आपरेशन्स हो गये हों उसके तहत रिकार्डेड हुआ हो तो भी वह खातेदार, टिनेन्ट माना जाएगा। जैसलमेर पूर्व रियासत जिसके अन्दर जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट और 45 गांव बीकानेर की कोलायत तहसील के भी हैं, इस क्षेत्र में सभापति महोदय, सैटलमेंट 15.10.1955 से पहले नहीं हो पाया था। सारे सैटलमेंट और सर्वे रिकार्ड बाद में हुए थे। स्टेट के टाइम में भी रिकार्ड नहीं था। स्टेट के टाइम में कोई टिनेन्सी कानून नहीं था। इसलिए उनको दिक्कत पड़ रही थी यह साबित करने के लिए 15 एएए के पहले प्रोविजन के तहत कि वह किस तरह से खातेदार टिनेन्ट माने जाएं। तब हमने यह प्रोविजन जोड़ा और उनको लाभ इस तरह से मिला। उसके बाद में जो सर्वे और रिकार्ड आपरेशंस हुए सैक्शन 106 एण्ड 107 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत, उसके तहत वह रिकार्डेड हो गये तो उनको भी यह राइट इस कानून के तहत मिल गया और केवल उनको लाभ मिला है। जो माननीय सदस्य ने बात बतायी है वह तो फैसला 15 एएए के पहले के प्रोविजन्स के तहत हुआ है और रेवेन्यू बोर्ड ने कर दिया, उस तरह से वह रिकार्डेड हो गये और अदालत के फैसले से रिकार्डेड हुए। आज यह प्रश्न जो उठा रहे हैं, यह मुझे तो सही लगता नहीं है। 15 एएए की भावना जो मैंने बतायी है उस भावना के अनुसार समझना चाहिए कि किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए नहीं बल्कि जैसलमेर जिला और इंदिरा गांधी कैनाल के सारे काश्तकारों को देने के लिए किया।

श्री सभापति : श्री नाथू सिंह जी।

श्री नाथू सिंह (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): माननीय सभापति जी, इस विषय पर जो उन्होंने नोटिस दिया है उस पर चर्चा हो या नहीं हो, यह एक अलग विषय है लेकिन जिस रूल के तहत इन्होंने नोटिस दिया

(श्री नाथू सिंह)

है 119 में, इसके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ने प्रात: काल ही दो बिन्दुओं पर सदन का ध्यान केन्द्रित किया था। और उन दोनों बिन्दुओं पर किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां इण्टरप्रिटेशन किया है। वह हाई कोर्ट में बहुत अच्छे वकील रहे हैं, केन्द्र में मन्त्री रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने वकालत शुरू की। उनका ध्यान मैं दो बातों की ओर दिलाना चाहूंगा। यह 121 का फोर्थ है जो रेस्ट्रिक्ट करता है। उन्होंने बहुत ही जोर देकर रीसेण्ट आकरेंस शब्द पर कहा था, it shall be restricted to a matter of recent occurrence. उन्होंने आकरेंस को यहां पर परिभाषित किया था। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि आकरेंस कब हो? जब सूचना मिले तो ही उसको रीसेण्ट आकरेंस माना जाय। मैं सदन का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यदि इसमें यह भावना होती, आकरेंस मीन्स वह घटना कब हुई इससे सम्बन्ध है, अगर इसमें इन्फार्मेशन होता तो इन्फार्मेशन आफ आकरेंस होता यहां। इन्फार्मेशन आफ आकरेंस नहीं है। यहां पर आकरेंस है। इसलिए यह घटना इस समय रीसेण्ट आकरेंस की नहीं है। इस पर सवेरे से, प्रातःकाल से सदन का इतना कीमती समय लिया है, यह कवर हो नहीं होता 119 में।

मैं दूसरी बात और कहना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, मुझे भी इस सदन में 10 साल तक पहले रहने का मौका मिला है। हमारे राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया में इस 119 का जो जब तक यूज होता है वह सेंसर मोशन के रूप में यूज होता है। सेंसर मोशन का मतलब सेंसर मोशन आ सकता है कैपेसिटी के ऊपर इसी के सैकण्ड में लिखा हुआ है, जो रेफर को इन्टरप्रेट कर रहे थे माननीय सदस्य, जो बहुत ही बड़े लायर रहे हुए हैं...

श्री सभापति : वे एल.एल.एम. नहीं है आपकी तरह।

श्री नाथू सिंह : मैं बता रहा हूं लेकिन उनका प्रेक्टिकल ज्ञान मेरे से बहुत ज्यादा है। इसमें सैकण्ड जो है, it shall not refer to the conduct or character of a person. किसको रेफर है? कन्डक्ट और करेक्टर किसका आगे क्वालीफाई किया है, आफ ए पर्सन तो जो नोटिस दिया गया है एज ए पर्सन दिया गया है। कोई आफिशियल कैपेसिटी में नहीं है। इसलिए इस मोशन को अगर आपने एक्सेप्ट किया इस रूल के अन्तर्गत तो यह माना जाएगा कि यह सेंसर मोशन है और सेंसर मोशन केवल कौंसिल आफ मिनिस्टर्स के खिलाफ में आ सकता है रूल्स में, He is not a member of the Council of Ministers. इसलिये आपको इन दो आधारों पर बहस कराने की आवश्यकता ही नहीं है, क्लियर है। इसको रिजेक्ट करना चाहिए और इस पर चर्चा की आगे अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगर इनको सदन में चर्चा करानी है इस विषय पर तो इसका किसी दूसरे रूल के तहत आप नोटिस दीजिये, उस पर चर्चा कराइये। लेकिन अगर आपने इस 119 में... (व्यवधान) आप मेहनत

(श्री नाथू सिंह)

करिये, हम लोग लाते थे यहां मामले माननीय सभापति महोदय, अगर आपने 119...

श्री सभापति : आप बोलने दीजिये। आपको ट्रेनिंग लेनी है पूछना है तो घर जाइये, यहां नहीं बतायेंगे।

श्री नाथू सिंह : माननीय सभापति महोदय, अगर आपने 119 में इसको एक्सेप्ट कर लिया और सदन में चर्चा की अनुमति दे दी तो यह इस रूल का मिसयूज होगा और यह अच्छी परम्परा नहीं होगी। आगे इसका बहुत बार मिसयूज होगा और यह जो आप रूलिंग देंगे यह रूलिंग भी आगे जाएगी। मुझे याद है, माननीय पूनमचन्दजी साहब उस समय स्पीकर थे और इन्होंने कई रूलिंग्स ऐसी दी। उसके बाद जब मैं पालियामेंट का सदस्य बना तो राजस्थान विधान सभा की रूलिंग जनरल आफ पालियामेंट में छपी और उनको कई जगह कोट किया गया। आज आप इस आसन से इस महत्वपूर्ण मामले पर रूलिंग देंगे, यह जरनल आफ पालियामेंट में छपेगी और वह रूलिंग यदि सब-स्टेण्डर्ड हुई तो मैं समझता हूं कि इस सदन के लिए भी गरिमामय नहीं होगा। जो भावना व्यक्त की गयी है, मैंने कौल और शकधर माननीय धनखड़ साहब आपकी जानकारी के लिए पढ़ा है। इसमें भी रीसेण्ट आकरेंस पर बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है। सदन का मैं कीमती समय बरबाद नहीं करना चाहता वरना इस मामले में और इन्टरप्रिटेशन दे सकता हूं इसलिए आप आउट-राइट इसको रिजेक्ट करिये और सदन का समय खराब होने से बचाइये।

धन्यवाद।

श्री सभापति : नरपत सिंहजी।

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, इस विषय पर सारा मामला मेरे से सम्बन्धित है और बार-बार इसको उठाने का प्रयास किया गया पहले भी उठाया गया। इस पूरे वक्तव्य में जो उन्होंने आरोप लगाया, भण्डारी जी के पत्र के सम्बन्ध में भी आरोप लगाया और उसको पढ़कर सुनाया। अनुमति मिले या न मिले लेकिन यह आरोप आन रिकार्ड आ चुके हैं इसलिए मुझे भी संक्षिप्त में आप अनुमति दें।

श्री सभापति : स्पष्टीकरण दे रहे हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी: हां, स्पष्टीकरण देना है।

श्री सभापति : दीजिये।

(15.26)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री नरपत सिंह राजवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न भण्डारी जी के लेटर को लेकर ही उठा है, ऐसी बात नहीं है। मेरे दो तीन मुद्दे हैं, सभी माननीय सदस्य इन पर गौर फरमायें। भण्डारीजी के पत्र पर एक बात काफी जोर से दो-तीन बार ओसियां से आये हुए माननीय सदस्य ने कही कि जन्म से पहले ही आ गये इसलिए इनका दोष नहीं है, इनका नाम रिकार्ड में दर्ज था और भण्डारी जी के पत्र में लिखा भी है, Obviously shri Surendra Singh and Narpat Singh have been shown as tenants in Khataunis of samvat 2007. मैं भण्डारी जी को और भण्डारी जी के पत्र के आधार पर ओसियां से आये हुए माननीय सदस्य

(श्री नरपत सिंह राजवी)

को चुनौती देता हूं, 2007 में मेरा नाम अगर वह सिद्ध कर दें तो मैं सदस्यता से इस्तीफा देता हूं वरना ओसियां से आए हुए माननीय सदस्य इस्तीफा दे दें। मेरे पास वर्तमान में सम्वत् 2007 की दरमियानी खतौनी की सर्टिफाइड कापी है, सदन के माननीय सदस्य देखना चाहें तो मैं दिखा दूंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : टेबिल पर रख दें।

श्री नरपत सिंह राजवी : सर्टिफाइड कॉपी की फोटोस्टेट कापी मैं प्रजें कर दूंगा। (व्यवधान) वह रखवा देंगे उसकी चिन्ता न करें।

दूसरा एक और मैटर था कि भूतपूर्व जागीरदार; पहली बात तो मैं कहूंगा कि वह जागीरदार नहीं एस्टेट होल्डर थे एस्टेट होल्डर ने, भण्डारी जी के पत्र में लिखा है कि महीनों तक बार-बार रिमाइण्डर दिये और रिकार्ड को जमा नहीं कराया। पत्र में जरूर लिखा है और ओसियां से आए हुए माननीय सदस्य ने उसको रिपीट भी दो तीन बार किया होगा। लेकिन इस बात पर कम से कम सोच लें कि 24 तारीख को वहां के एस.डी.ओ. (साउथ) मि. जी.पी. बिस्सा ने लैटर लिखा और 26.7.54 को वह जमा करा दिया गया उसके बाद कौन सी बात की देरी थी। आपकी ओसियां और जोधपुर रियासत का किसी भी जागीर की बता दें कि दो दिन के नोटिस में जमा करा दिया तो मैं आपको मान जाऊंगा। छतरगढ़ एस्टेट का रिकार्ड बीकानेर स्टेट के रिकार्ड से और किसी भी अन्य रियासत के समय में जो रिकार्ड संधारण होता था उसमें कहीं खामी नहीं है। It was updated and updated to the law.

एक और इसमें इश्यू आया कि रिकार्ड को टेम्परविद किया गया है। मैन इश्यू तो लैटर में है इसीलिए तो आप एजीटेट करना चाह रहे हैं, इसी इश्यू को उठाना चाह रहे हैं। टेम्परविद एक ऐसा एम्बीगुअस वर्ड यूज किया है, क्या टेम्परविद किया है यह नहीं बताया। वह मैं बताना चाहता हूं। क्योंकि ए.सी.सी. ने अपने फैसले में यह अंकित किया है कि गिरदावरी जब बीकानेर की होती थी तो उसके अन्दर खत खलीफा होता था। यहां पर माननीय सदस्य विराजमान हैं 199, चीफ सैक्रेटरी भी बिराजमान हैं, रेवेन्यू सैक्रेटरी भी बैठे होंगे इन सब को बुलाकर मैं पूछना चाहता हूं कि खत खलीफा क्या होता है, एक आदमी बता दे किसी को पता नहीं है, बता नहीं सकते। हकीकत यह है खत खलीफा रेवेन्यू रिकार्ड की गिरदावरी के कालम में खरीफ के लिए ईस्ट टू वेस्ट डाउन वर्ड्स जाएगी एक लाइन। वह खरीफ के लिए है। रबी के लिए क्रौस लगेगा। उस एन्ट्री को क्रौस एन्ट्री माना है। उसको काटा गया है राजवी अमरसिंह के नाम को। अगर राजवी अमरसिंह के नाम को काटा गया है तो बीकानेर रियासत के रिकार्ड में एक भी आदमी खातेदार नहीं है। यह खत खलीफा की वहां की प्रक्रिया थी उस टाइम में। अब आज के अधिकारी उस चीज को जाने नहीं, आज के माननीय सदस्य इस चीज को समझकर बात करने की कोशिश नहीं करें। यह अगर मेरे को पहले पूछ लिया होता, मैं खुद बताता इनको डाकूमेंट्स। बात किस बात की है?

(श्री नरपत सिंह राजवी)

अब, अध्यक्ष महोदय, एक चीज और अर्ज करना चाहूंगा। एक नाम लिया गया अमरसिंह पटवारी के साथ मिलीभगत करके टेम्परविद किया है। रेवेन्यू रिकार्ड को आज भी डेस्ट्राय नहीं किया है और अमर सिंह पटवारी ने खतौनी बनायी है लेकिन 2013 की बनाई है, 2007 की नहीं बनायी है। यह आप आज भी जाकर वेरीफाई कर सकते है। अगर उसने नहीं बनायी है तो टेम्परविद वह कर भी नहीं सकता था।

एक और बात इसके अन्दर आयी कि 2007 और 2009 की गिरदावरी में अंकित नहीं है। भाटी साहब, अगर इसको उचित समझें तो गिरदावरी में आपको दिखाता हूं, आप इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाएं, अभी हो जाएं। 2007 और 2009 दोनों की अभी दिखाता हूं।

इसका बैकग्राउण्ड क्या है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर भी मैं थोड़ा जाना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुन लीजिये।

श्री नरपत सिंह राजवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी कोई भी वक्ता बोला है, मैं वेटेरन जरूर नहीं हूं, माननीय भाटी साहब और मेरे से सारे सीनियर हैं, मानता हूं, लेकिन मैं कभी डिस्टर्ब नहीं करता, आब्स्ट्रक करने की नीयत से नहीं खड़ा होता हूं। अगर मेरे को बोलना है तो अगला जब बोल लेगा, जो भी माननीय सदस्य बोलें उसके बाद में चेयर की अनुमति से ही बोलता हूं। तो मैं यह निवेदन करूंगा क्योंकि यह मेरे ऊपर लेकर इश्यू को उठाया गया है, माननीय भैरोंसिहजी मेरे फादर-इन-लॉ जरूर हैं, यह मेरे को वैसे भी कोई सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है लेकिन वे मेहरबानी करें कि मुझे भी मेहरबानी नहीं चाहिए अगर इस मामले में या और किसी मामले में मेहरबानी करना चाहें, मै सदन के सामने कह रहा हूं मुझे किसी प्रकार की मेहरबानी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो मेरे हक हैं, जो राइट्स है वह फैक्ट्स है उनको मैं स्ट्रेटन-अब भी करना चाहता हूं। पिछली बार जब उठाया गया था यह मामला सरकार की तरफ से जो भी मंत्री बोलेंगे उन की लैंग्वेज भी लिमिटेड होगी लेकिन आज मैं जो बोल रहा हूं, जो स्पष्टीकरण दे रहा हूं वह नरपतसिंह विधान सभा के सदस्य के नाते दे रहा हूं, इस सदन के इतिहास में लिखा जाना चाहिए इस बात को। आरोप लगायें लेकिन आरोप में जो तथ्य लगाये गये हैं उन पर कम से कम पहले जांच लें कि वह सही हैं या नहीं हैं। मात्र इसलिए कि भैरोंसिह जी को डेमेज करना है या नरपतसिंह को डेमेज करना है, नरपतसिंह जिन्दगी में इस सदन का सदस्य रहेगा तब तक डेमेज नहीं होगा इन मामलों को लेकर एक विषय और मैं आपके सामने कहना चाहूंगा।

यह प्रकरण पूरा उठा क्यों? इस सदन में उठा इसके लिए नहीं कह रहा हूं। शुरू से यह वाकिया हुआ कैसे? कालोनाइजेशन डिपार्टमेंट में माननीय प्रतिपक्ष के नेता जानते हैं कितने ईमानदार अधिकारी आज तक लगाये जाते रहे हैं। उस विभाग में जितनी घपलेबाजी हुई है मेरे ख्याल से आज तक किसी विभाग में नहीं हुई। आज से बहुत साल पहले ओसियां से आए हुए माननीय नरेन्द्रसिंह भाटी के श्वसुर, मैं कथकली डिपार्टमेंट का नहीं कह रहा हूं माधोसिंह जी का कह रहा हूं, जो मेरे भाई भी लगते हैं, सन् 1968 के आसपास की बात होगी, रस्तौगी जी वहां पर कमिश्नर

(श्री नरपत सिंह राजवी)

थे और स्वयं बहादुरसिंह जी की गिरदावरी सम्वत् 2012 से लेकर 19 तक की, जिनकी प्रमाणित प्रतिलिपि आज भी बहादुरसिंहजी के पास है बदल दी गई। उन प्रमाणित प्रतिलिपियों को कमिश्नर साहब के सामने रखा जिस केस को फादर डील करते थे बिकोज हमारे रिलेशन में हैं, जब कहा कि इंडिविजुअल फोर्जरी करता है तो समझ में आती है, स्टेट फोर्जरी करती है यह हमारे समझ में नहीं आती है। And his words were; this is absurd. सामने जब सर्टिफाइड कापी रख दी, वो चुप हो गये। उस दिन के बाद आप ही के परिवार की मेहरबानी के कारण यह सारे अधिकारी पीछे लगे। वहीं तक सीमित नहीं रहा, कई और मामलों में भी कालोनाइजेशन डिपार्टमेंट ने रिकार्ड में फोर्जरी की है। जागीर कमिश्नर का एक फैसला है जो सत्तासर जागीर के सम्बन्ध में दिया गया है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें इण्डेक्स में तो एण्ट्रीज थोड़ी सी करेक्ट करने की कोशिश की। पेजेज फाड़ लिए रजिस्टर में से। इण्डेक्स में अगर है, उस समय का नायब तहसीलदार इब्राहीम खां स्वयं वहां पर गवाही देने गया, उसने कहा, साहब, मैं उस समय में इस जागीर का रिकार्ड भी देखता था। पर्सनल कैपेसिटी में उसने देखा और उसके अन्दर एण्ट्रीज को पकड़ा कि यह तो इण्डेक्स में लिखा हुआ है रजिस्टर के पेजेज फाड़े हुए है। कालोनाइजेशन डिपार्टमेंट यहीं पर बंद नहीं रहा। बीकानेर तहसील के 33 गांवों की 1920 और 25 के बीच में गिरदावरी जो हैं क्योंकि 106 और 107 की कार्यवाही वहां पर होती है, कालोनाइजेशन डिपार्टमेंट की एक्टीविटी सेटलमेंट एक्टीविटी है और उस एक्टीविटी में 33 गांवों के काश्तकारों को गिरदावरी में रकबा राज दर्ज कर दिया और रकबा राज दर्ज करने के बाद में टेम्प्रेरी अलॉटमेंट किया। टेम्प्रेरी अलॉटमेंट के बाद में उसको पुख्ता कर दिया। आज वहां पर झगड़ा खड़ा हुआ है, पुख्ता अलाटीज पहले नहीं रहे, इसलिए तीन साल चार साल से वो जानने लगे है कि हमारी जमीन है। उनको सनद दी जाने लगी। उसके बाद में जानने लगे हैं। सैटलमेंट डिपार्टमेंट का रिकार्ड और कालोनाइजेशन का रिकार्ड माननीय सदन के सदस्य मंगवाकर देख सकते हैं

हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हमने फेब्रिकेट किये है। अमरसिंह जी जो जागीरदार थे छत्तरगढ़ एस्टेट के, जिन्होंने दो लाख पिचहत्तर हजार बीघा जमीन भूदान में दी है, वह सिर्फ थोड़ा सा उनको कम्पेनसेशन एक्स्ट्रा मिल जाए, इसके लिए ऐसी बात करेंगे+++कहा गया। (व्यवधान) बिल्कुल, बीकानेर रियासत से सम्बन्ध मैं रखता हूं मुझे गर्व भी है इस बात का। जितने पब्लिक के बेनिफिट के काम हैं, बीकानेर टीनेंसी एक्ट वहां पर बना है जो कालोनाइजेशन एक्ट है, राजस्थान सरकार ने भी उसी को कापी किया है, नया आपने कुछ नहीं बनाया।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। 15 एएए में पहले रिकार्डेड खातेदार को बाई आपरेशन आफ ला आटोमेटिकली खातेदार दर्ज कर देना चाहिए। अब कोई नहीं करें तो क्या करें। एप्लीकेशन दे दो कि साहब, हम आलरेडी रिकार्ड में खातेदार है और आप अमल दरामद करें उस एप्लीकेशन को लेकर ए.सी.सी. हमारे को बेदखल करता है और कहता है रकबा

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित नहीं किया गया।

(श्री नरपतसिंह राजवी)

राज है। Since 1943, this land was never government land. आज तक मैं चैलेंज कर रहा हूं। आइन्दा भी आप और रिकार्ड देखकर कर लेना। यह सरकारी जमीन तो कभी थी ही नहीं। सरकारी जमीन नहीं थी तो फिर आराजी राज लिखने की आवश्यकता कहां है? और लिख दी तो उसको करेक्ट कराने के लिए एजीटेट करने के लिए विदिन दी गिविन रूल्स हमारे को भी सारे अधिकार थे। और उसका हमने यूज किया। ए.सी.सी. ने जब हमारे को ट्रेसपासर घोषित किया, रेवेन्यू बोर्ड ने हमारे पक्ष में फैसला कर दिया और यह कहा कि Chhattargarh A.C.C. has no jurisdiction to pass such an order एप्लीकेशन में कोई अगर छुट्टी की, सी. एल. की एप्लीकेशन दे और इसके ऊपर उसको नौकरी से बरखास्त कर दो उसको भी एजीटेट नहीं करें। एस.डी.ओ. से हमने क्या क्लेम किया? हमने सिर्फ यह किया कि रिकार्ड में हमारी पूर्व में जो स्थिति थी, उस स्थिति को कायम कर दें, खातेदारी अधिकार राजस्थान सरकार ने हमको नहीं दिया, न हमको राजस्थान सरकार से खातेदारी अधिकार चाहिए, खातेदारी अधिकार बीकानेर की तत्कालीन रियासत ने दिये हैं, जो हमारी स्वयं की थी और उन खातेदारी अधिकार का अमल दरामद कर लें, क्योंकि किसी ए.सी.सी. के एक आर्डर से बहुत चेन्जेज कर दिये। उस अमल दरामदगी में इतना बड़ा बवाल उठ रहा है। इस विषय पर गंभीरता से काफी आप लोगों ने सुना। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आरोप कम से कम लगाएं तो तथ्यों की जरूर जांच कर लें, सिर्फ अधिकारी के पत्रों से करने से कुछ नहीं होगा।

आप लोगों ने मेरा स्पष्टीकरण सुना, उसके बाद में और कुछ बात जब माननीय भाटी साहब कहेंगे तो मुझे अनुमति मिलेगी, मैं पुनः कहूंगा।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : अभी तो इस पर डिस्कशन की बात है। आप बोल रहे हैं?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : थोड़ा सा मुझे भी निवेदन करना है। थोड़ा-सा निवेदन कर दूं।

श्री अध्यक्ष : मुझे व्यवस्था भी देनी है। मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से काफी लोग बोल चुके हैं। ये बोल रहे हैं। फिर मैं व्यवस्था दे दूं अपनी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सर नयी बात सामने आयी है, उस बाबत कुछ निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : आप एक बार बैठिये। आप मेरी व्यवस्था के बाद सन्तुष्ट हो जायेंगे। बैठिये एक बार। माननीय मुख्य मंत्रीजी, बोलिये। आप बोलिये, क्या बोल रहे थे। नहीं, वो भाटी साहब बोल रहे थे। बोलिये (व्यवधान) ये सही मायने में लिख देंगे। (व्यवधान) आप भले ही इस्तीफा लिखो, मुझे मत देना। मुझे देंगे तो फिर उसका निर्णय हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : पहले इस्तीफा रखवायें...

एक माननीय सदस्य : जितने इनको बोलने दो....

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : ये अपनी जुबान के बहुत पक्के हैं और अपनी आन-बान के लिए मर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि स्पीकर साहब को इस्तीफा देंगे। और निश्चित रूप से ये देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हाथ धूज रहे हैं इनके। हाथ धूज रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)। आर्डर प्लीज। सुनिये अब आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली): अभी चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य राजवी साहब ने बताया, उन्होंने बहुत पहले...,

श्री अध्यक्ष : मेरा एक निवेदन सुन लीजिए। देखिये, थोड़ा-सा प्रक्रिया का यह ध्यान रखिये कि राजवी साहब जो बोले हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन एक्सप्लेन की है। (व्यवधान) प्लीज, पहले सुन लीजिये। आपके इस हाउस के रूल्स और परम्पराएं यह कहती हैं कि एक्सप्लेनशन के बाद फिर कुछ नहीं बोला जाएगा इस सम्बन्ध में। मतलब और आप इसके बारे में...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक्सप्लेनेशन की ही तो बात कर रहा हूं मैं। वही बात कर रहा हूं। दो बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जिनके बाबत आप जो पूछ रहे हैं उनकी जानकारी तो कम से कम हमें मिले।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं। आप इस विषय पर परमिशन देने के बारे में जो दो पाइण्ट्स हैं उन पर बोलना चाहें तो बोल लें। बाकी उन्होंने जो कुछ कहा है उस पर कुछ मत बोलिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उन पर बोल लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह जो मसला है, जिसको कि एक बहुत बड़े जमीन के घोटाले के रूप में पेश किया गया है अगर पूरी जमीन को आंका जाए कि इसमें कितने करोड़ रूपये की जमीन इन्वाल्वड है तो वो शायद 25 हजार करोड़ रूपये से भी ज्यादा की कीमत की बैठेगी। राजस्थान का जो एनुअल बजट है (व्यवधान) मैं उसी बात पर आ रहा हूं। आपके दो पाइण्ट्स हैं ना सर, आपने दो पाइण्ट्स पर बोलने के लिए फरमाया है मैं उससे कतई आगे पीछे नहीं होऊंगा बिल्कुल सीमित रहूंगा। राजस्थान का एनुअल प्लान जो है वो सिर्फ 2400 करोड़ रूपये के आसपास का है उससे दस गुना ज्यादा इस जमीन की कीमत है जो कि पूरा घोटाला बताया जाता है तो क्या यह लोक महत्व का नहीं है? इतनी बड़ी रकम जहां पर इन्वाल्वड हो और जहां पर इतनी बड़ी इरेगुलरिटी इन्वाल्वड हो, तो क्या इसको पब्लिक इम्पार्टेन्स की बात नहीं कहेंगे? हजारों बीघा जमीन (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, सुनिये उनको। आर्डर रखिये, सुनिये। आगे बढ़ने दीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हजारों भूमिहीन आदमी और अनुसूचित जाति और जनजाति के आदमी अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर यह देखते रहे हैं कि यहां पर इन्दिरा गांधी कैनाल में पानी आएगा और कब यह जमीन हम लोगों को अलाट होगी और हमारे घर भी आर्थिक स्थिति से कुछ मजबूत हो पायेंगे। तो क्या यह लोक महत्व का विषय नहीं है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : जमीन मांग लें, राजवी साहब दे देगें ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और तीसरी बात, जो मुख्य रूप से मैं कहना चाहता हूं

श्री कालीचरण सराफ : जमीन इनके पास है इनको तकलीफ क्यों हो रही है ? इनके पास नहीं है तो हम क्या करें ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये कालीचरण जी, बोलने दीजिये व्यवधान ।

एक माननीय सदस्य : 1969-70 में आन्दोलन करके भूमिहीनों ने जमीन ली थी ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह मामला कोई छोटे-मोटे आदमी का नहीं है। जिनको राजस्थान की जनता राजस्थान का शेर कहती आयी है वर्षों से और जो सन् 1952 से इस माननीय सदन में हमेशा से भ्रष्टाचार विरोधी होने का नाटक करते आये है .

श्री अध्यक्ष : मगर आपको यह पता है कि नहीं कि शेर को जमीन से कोई लेन-देन नहीं होता है। वह उसमें पैदा होने वाली कोई चीज नहीं खाता है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं जानता हूं, जमीन से सिर्फ दो ही आदमियों का मतलब होता है, एक तो जो भूमिधारी है उसका और एक जो जमीन का घोटाला करता है उसका । तो मेरा अर्ज करना यह है कि जो व्यक्ति इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहा हुआ हो और जिसने यहां पर भ्रष्टाचारियों को नंगा करने की हमेशा कोशिश की हो और वक्त-वक्त पर यह वायदा किया हो...

श्री कालीचरण सराफ (जौहरीबाजार) अभी भी करेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और अपने आचरण से यह सिद्ध करने की कोशिश की हो कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जायेगा, बक्शा नहीं जायेगा और किसी तरह से उनके साथ रियायत नहीं की जायेगी . . .

श्री कालीचरण सराफ : यही तकलीफ है आपको ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर आज यह मामला चाहे मैं आपके स्थान पर होता और मेरे पुत्र का भी होता तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी हालत में मैं उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। इस बात की 119 में . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आर्डर प्लीज ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : राजस्थान में इतने बड़े भूमि घोटाले कभी नहीं हुए । जब कभी चर्चाएं चली हैं तो 10 बीघा, 15 बीघा, 20 बीघा की चर्चा होगी ।

श्री अध्यक्ष: आप उसी पाईंट पर आइये, उन दो पाइंट्स पर आइये ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पब्लिक इम्पार्टेंस। यह 25 हजार करोड़ का मामला है ।

श्री अध्यक्ष : पब्लिक इम्पार्टेंस पर थोड़े हो रहा है। Public interest is not in question.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और एक ऐसी शख्सियत के ऊपर यह आरोप लगाया है जिसका चरित्र हमेशा से जनता ने यह माना कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहा है, लड़ता रहेगा और आइन्दा भी भ्रष्टाचारियों को बख्शेगा नहीं। उस आदमी से यह मांग की गयी है।

श्री अध्यक्ष : अब हो गया। आप उन पाइंट पर बोलिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं मैं पूरा कम्पलीट करूंगा। मैं कम्पलीट कर रहा हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : रिपीटिशन कर रहे हैं फालतू में...

श्री अध्यक्ष : एक मिनट। आर्डर प्लीज। सुनिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने रीसेन्ट ऑकरेंस की बात कही...

एक माननीय सदस्य : आपको बीच में टोकते है क्या?

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आर्डर।.... (व्यवधान) हां, रीसेन्ट आकरेंस पर बोलिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : रीसेन्ट आकरेंस की बात आपने कही। सतर्कता समिति की बैठक एक बार कोटा में हो रही थी कलक्टर के चैम्बर में। वहां यह मांग की गयी थी कि शहर में चोरियां बहुत हो रही है।.. (व्यवधान) सुनने की और समझने की शक्ति रखो कलक्टर के चैम्बर में सतकर्ता समिति की बैठक हो रही थी जिसको मैंने भी अटेण्ड किया था। शहर में चोरियां बहुत हो रही थी। उसके पहले मैंने वहां के जिला पुलिस अधीक्षक को यह लिख कर दिया कि कृपया इस बैठक में जो एक चोरी का मामला आया है अपने थानाधिकारियों को कम से कम यह कह दें कि रीसेण्टली जो चोरियां हुई हैं उनके बाबत आज तक क्या हुआ। उन्होंने पत्र लिख कर सब थानाधिकारियों को भिजवा दिया। जब थानाधिकारी वहां पर आये तो पुलिस अधीक्षक ने पूछा कि चोरियों के बाबत क्या हुआ। उन्होंने कहा कि रीसेन्टली यह-यह चोरियां हुई है और इस चोर को पकड़ लिया। इसको नहीं पकड़ा, इसको पकड़ लिया। जब पुलिस अधीक्षक को एक पुरानी चोरी की याद आई जो 10 साल पहले हुई थी और बड़ी फेमस चोरी थी जिसमें काफी लाखों रुपयों का माल इन्वालव था। तो उसके बाबत जब थानाधिकारी से पूछा तो थानाधिकारी ने यह जवाब दिया कि साहब, यह रीसेन्ट आकरेंस का प्रश्न नहीं है। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जहां इतने बड़े घोटाले हों, उनकी जानकारी में जब यह पत्र आ गया तो आकरेंस यहां से माना जाएगा काज आफ एक्शन यहां से स्टार्ट हुआ है। जो अभी राजवीजी ने बताया कि सन् 1956 में रिकार्ड पेश कर दिये गये, सन् 1956 में सारे रिकार्ड पेश कर दिये, अध्यक्ष महोदय, जागीर रिजम्प्शन एक्ट एन्फोर्स हुआ 1952 में, चार साल तक लगातर उस सारे रिकार्ड को अपने कब्जे में रखे रहे, इनके पिता खुद न्यायाधीश थे और यह अच्छी तरह से जानते थे कि जागीर रिजम्प्शन एक्ट लग चुका है सन् 1952 में, सारे रिकार्ड को चार साल तक अपने पास रखने का मतलब

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

गया था। दोनों पटवारी जिन्होंने इस रिकार्ड में हेराफेरी करी है, इन्क्वायरी में माना है....

श्री नरपत सिंह राजवी (चितौड़गढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जागीर रिजम्प्शन एक्ट 1-7-54 से ही लागू हुआ था, मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं आपको।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 1952 में लागू हो गया, एन्फोर्स 52 में हो गया, 1952 में जाकर रिजम्प्शन एक्ट लागू हो गया।

एक माननीय सदस्य : कन्फर्म करके बोलें, यह रिकार्ड की चीजें है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 1954 में जिसका आप जिक्र कर रहे है वह तो छत्तरगढ़ जागीर का रिजम्प्शन किया गया था उस वक्त रिजम्प्शन 1954 में किया गया था लेकिन जागीर रिजम्प्शन एक्ट 1952 में लागू हो गया था। और आपके परिवार वालों ने...(व्यवधान) सारा रेवेन्यू रिकार्ड राजस्थान की सरकार को चार साल बाद, पूरी कोशिश कर ली चार साल में, जितना जो कुछ हो सकता था उसमें लिखा पढ़ी कर ली और लिखा पढ़ी करने के बाद सन् 1956 में पेश किया दोनों पटवारियों ने जिनके ऊपर यह आरोप था कि इन्होंने टेम्परविद किया है और रिकार्ड में गड़बड़ियां की है, हेराफेरी की है। यह इन्क्वायरी में माना है हरिदेव जोशी ने जब यह इन्क्वायरी बैठाई उस इन्क्वायरी में तीन आफिसर्स बैठे जो तीनों कालोनाइजेशन से सम्बन्धित आफिसर थे। मातादीन शर्मा, अतिरिक्त उपनिवेशन आयुक्त, आर. के. गुप्ता और बालूराम, सहायक उपनिवेशन आयुक्त। इन तीनों ने जब इन्क्वायरी की, तो अब्दुल अजीज पटवारी और अमर सिंह नाम का पटवारी जो दूसरे अमरसिंह थे, यह स्वीकार किया था कि हां, हम से अमरसिंहजी राजवी ने मिलकर यह हेराफेरी करवायी। यह जो गलत फैक्ट्स यहां पर बताये गये, मैं उनके बाबत...

श्री अध्यक्ष : आप फिर फैक्ट्स पर जा रहे है। आप दो पाइंट पर बोलिये। फैक्टस पर देखिये या तो भाटीजी बोलेंगे या वह बोलेंगे, अभी आप इन्हीं दो पाइंट पर रेस्ट्रिक्ट रहिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, अगर ये भूमिधारी थे तो 1951 में अमरसिंह, न्यायाधीश ने तहसीलदार को यह दरखास्त लिख कर के क्यों दी कि मैं और (व्यवधान) मेरे चारों बेटे भूमिहीन हैं इसलिए अस्थायी तौर पर हमें जमीन दे दी जाय (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : उस पर शब्द है तो मैं आपको वह एप्लीकेशन भी दिखा सकता हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल यह एप्लीकेशन क्या, मेरे पास तो इन्क्वायरी रिपोर्ट है।

श्री नरपत सिंह राजवी : आप इन्क्वायरी रिपोर्ट की कह रहे हो, मैं एप्लीकेशन जो दी है वह दिखा सकता हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और उस इन्क्वायरी रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : धारीवालजी मैंने आपको दो पाइंट पर रेस्ट्रिक्ट रहने के लिए कहा

(श्री अध्यक्ष)

है। अभी मेरी व्यवस्था नहीं हुई और आप पहले रिजर्व कर रहे हैं मेरे अधिकारों को (व्यवधान) अब डिवेट कराना है कि नहीं कराना है यह व्यवस्था के बाद होगा। अभी क्यों कर रहे हैं आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यहां पर इर्रेलेवेंट भाषण हुए हैं उनको भी आपने स्वीकारा है।.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने कहा है कि मैं दो पाइंट पर बोलने के लिए खड़ा हूं। आपने जो कहा उसी के लिए कह रहा हूं।.. (व्यवधान) अच्छा, अब आप समाप्त करें, हो गया। बैठिये। विराजिये। हो गया आपका।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कण्टीन्युअस आफेंस है...

श्री अध्यक्ष : अब हो गया आपका। आखिर मुझे व्यवस्था भी देनी है। मुख्य मंत्रीजी बोल रहे हैं। सुनिये। अब आप सुनिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : व्यवस्था देनी है तो साहब, मुझे कम्प्लीट तो करने देंगे आप।

श्री अध्यक्ष : Please, wait for some time. अब आप बैठ ही नहीं करते। आखिर कोई चीज की सीमा तो होती है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर रियासत में खातेदारी अधिनियम...

श्री अध्यक्ष : आप इसमें मत जाइये। देखिये, मैंने...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : It is a fact. It is law.

श्री अध्यक्ष : यह मेरे डिसीजन करने में कोई मदद नहीं करेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर मैं यह नहीं बोलूंगा......

श्री अध्यक्ष : जिस बात के लिए मैं सुन रहा हूं, उस पर बोलिए आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका खुलासा नहीं करूंगा..

श्री अध्यक्ष : खुलासा की जरूरत नहीं है। फिर क्या रहेगा खुलासा, अभी खुलासा कर दोगे। मान लीजिये मैंने कह दिया डिबेट हो तो फिर क्या करोगे आप। इसलिए बैठिये अभी आप wait for it आप सारी बात पहले ही शुरु कर रहे हैं। हो गया, अब आप बैठिये। प्लीज सिट डाउन अब बैठ जाइये। माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है कि ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य के नोटिस पर निर्णय होने के बिना ही मूल विषय पर पूरी चर्चा हो गयी। इस चर्चा में अभी हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि 25 हजार करोड़ रुपये का घोटाला है। जमीन है 298 बीघा और 25 हजार करोड़ रुपये का घोटाला है मैं समझता हूं 25 में से 24 तो आप रख लेना और एक हजार करोड़ रुपया मुझे दे दीजिये, मैं इनसे कहूंगा कि जमीन छोड़ दें।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : आपकी मेहरबानी नहीं चाहते है वह। आप मेहरबानी मत कीजिये इन पर।

(128)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मेहरबानी नहीं चाहते है। मैं इनको (व्यवधान) वह बिल्कुल सही है। मैं इनको ...

श्री परसराम मदेरणा : He is a self-made legislator of this sovereign House.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : I agree with you.

श्री परसराम मदेरणा : And you have no right as father-in-law to impose any condition.

श्री भैरोंसिंह शेखावत: I am very proud of him that he doesn't depend on me. मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 298 बीघा जमीन 25 हजार करोड़ रुपये की हो जाए ..

श्री शांतिकुमार धारीवाल: तीस लाख बीघा जमीन....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, वह ठीक है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसी तरीके से, यह तो एक घोटाला है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप बैठ जाओ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ऐसे कई घोटाले हैं जिसमें 26 लाख बीघा जमीन इनवाल्वड है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल वही बात कह रहा हूं जो आपने हाउस में कही है। आपने हाउस में यह कहा है कि 25 हजार करोड़ रुपये की जमीन का घोटाला है। घोटाले वाली जमीन है 298 बीघा और 298 बीघा जमीन पर 25 हजार करोड़ रुपये की आमदनी हो या उसकी कीमत 25 हजार करोड़ रुपये हो तो आप बहुत हित करेंगे। जमीन तो हम पूरी सरेण्डर करा देंगे। वह मानें या नहीं मानें, मैं सरेण्डर करा देऊंगा। उस जमीन को, आप बेच दीजिये आपकी मरजी आये जैसे दान दे दीजिये। जैसे अभी आप हिमायत कर रहे थे हरिजनों को मिलनी चाहिये, गरीबों को मिलनी चाहिये, अल्पसंख्यकों को मिलनी चाहिये, सबको बांट दीजिये, जमीन आप ले लीजिये और 25 हजार करोड़ रुपये जमा करा दीजिये। 25 हजार करोड़... (व्यवधान) कोई मत बोलिये बीच में।

मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आरोप लगाने की भी एक सीमा होती है। खैर, आपने सीमा का कितना उल्लंघन किया है, मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता। अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को आप स्वीकार करें या नहीं करें, मैंने प्रारम्भ में ही निवेदन किया था कि इस पर चर्चा हो जानी चाहिये। मुझे पिछली विधान सभा का अनुभव है कि रोज यह मामला उठता था और मुझे बोलने का मौका नहीं मिलता था। नरपत सिंह जी उस समय सदन के सदस्य नहीं थे, तो सारा आरोप मेरे ऊपर आता था। और मैंने एक बार कहा, इस मामले को एक बार चर्चा में ले लीजिये। वह चर्चा में जिस दिन आया, उस दिन सारा मामला अपने आप स्पष्ट हो गया और सदन के माननीय सदस्यों ने भी यह स्वीकार कर लिया कि इस मामले में दम नहीं है। अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और भ्रष्टाचार का आरोप क्या है ? वह इन्हीं के नोटिस में लिखा हुआ है, उसको पढ़कर सुना रहा हूं । "इस पत्र के लिखे जाते समय राजस्थान परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था और केन्द्र में लोक सभा के चुनाव होकर जनता पार्टी की सरकार कायम हो चुकी थी एवं राजस्थान में कांग्रेस सरकार बरखास्तगी के कगार पर खड़ी थी। बाद में जून में वर्तमान मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री के रूप में इस प्रदेश में पदासीन हो गये एवं इस पत्र को उन्होंने बस्ता ए-खामोशी में डाल दिया।" "आरोप भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा यह है कि मैंने इस पत्र को बस्ता-ए खामोशी में डाल दिया। मुझे इस बात की खुशी है कि इन्होंने केवल इतना-सा ही लिखा है। उसमें यह भी लिख सकते थे कि भ्रष्टाचार करके इन्होंने इसमें डाल दिया। लेकिन साफ ईमानदारी से इन्होंने लिखा है, इसकी तो मैं तारीफ करूंगा कि बस्ता-ए खामोशी में डाल दिया। अब बस्ता-ए-खामोशी में डालने से अगर आप यह अर्थ निकालते हैं कि भ्रष्टाचार किया होगा। अब यह आपका अर्थ हो सकता है लेकिन जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि 1977 में मैं नरपत सिंह जी को जानता नहीं था, 78 में भी नहीं जानता था, 79 में भी नहीं जानता था, 80 में इन्हीं देवीसिंह जी भाटी की मार्फत मेरी इनसे जान पहचान हुई और फिर मैंने अपनी लड़की का विवाह इनसे कर दिया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह आपका एरर आफ जजमेंट था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एरर आफ जजमेंट तो मैं आपको आज तो नहीं कल बताऊंगा एरर आफ जजमेंट क्या होता है। आज नहीं बताऊंगा। आज इसलिए नहीं बताऊंगा कि मैं रूल्स से बंधा हुआ हूं और इस कारण से मैं नहीं बोलूंगा लेकिन आपको बता देऊंगा एरर आफ जजमेंट क्या होता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय मेरा कोई सम्पर्क नहीं। अब बस्ता-ए खामोशी में, इतनी बड़ी सरकार है, कितने कागज दबते हैं, कितने कागज चलते है और किस प्रकार से कागज निकलते हैं, यह कोई नयी चीज नहीं है, इधर बैठे हुए कई माननीय सदस्य जानते हैं। लेकिन बस्ता ए-खामोशी में रखने के पीछे परपज क्या हो सकता है? मोटिवेशन क्या हो सकता है ? मोटिवेशन यह नहीं हो सकता कि नरपत सिंहजी मेरे सम्बन्धी हो गये या इनके फादर से मेरी कोई बातचीत चल रही है इनके सम्बन्ध की। पहली बार नरपत सिंहजी को शादी के कोई तीन महीने पहले देवीसिंहजी भाटी मेरे पास लेकर आये थे, उस समय मैंने देखा। उसके पहले मैं इनको जानता नहीं था। अब जिस आदमी को मैं जानता नहीं, जिस मामले में मुझे जानकारी नहीं उस मामले में अगर कागज कोई बस्ता-ए-खामोशी में चले गये तो आप यह तो मानकर चलेंगे कि उसके पीछे कोई मोटिवेशन नहीं था, कोई इस प्रकार की दुर्भावना नहीं थी, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं था मैंने यह बात इसलिए कही है। अब आपका आरोप केवल इतना-सा है और उस आरोप के आधार पर कह रहे हैं राजस्थान का मुख्य मंत्री भ्रष्टाचारी है, भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार करता है, यह करता है, वह यह करता है। यह आपको शोभा दे सकता है लेकिन मैं इतना बता सकता हूं इस सदन में कि 52 से लेकर आज तक इस विधान सभा का सदस्य रहा हूं, अगर मेरा पोस्ट-मार्टम भी कराया जाये तो खून के एक-एक कतरे में एक पैसा भी भ्रष्टाचार का नहीं मिलेगा।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी कहा गया कि भंडारी ने बहुत कुछ लिख दिया। मैंने भण्डारी की रिपोर्ट पढ़ी है और पढ़ने के बाद में मैं सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहूंगा, इसमें लिखा है–

"A near look on this khatedari suggests that these have been tempered within the sense that the entries appearing against the names of these persons have been written in a hand much different from the one which prepared the original khatonis. These khatonis bear no relation to the basic revenue recoard, khasra, girdavari of the relevant time where these persons have not been shown as tenants in the Samvat year 2007-2009 corresponding to the calendar year April, 1951 to March, 1953.

आगे लिखा है, "However, subsequently the fictitious entries in the khasra girdavari have been made by Abdul Gafoor, Patwari, in collusion with Shri Amar Singh Patwari .. ."Not Amar Singh Rajvi. In collusion with Amar Singh, Patwari.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कौन कह रहा है अमर सिंह राजवी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह आप बोल रहे थे ना. . .(व्यवधान) आप सुन लीजिये, आप सुन लीजिये, जो भी आप इस रिपोर्ट को आधार बना करके किला बना रहे हैं।

"However, subsequently the fictitious entries in the khasra, girdavari have been made by Abdul Gafoor, Patwari, in collusion with Shri Amar Singh, Patwari and others to bring these revenue records in line with these khatonis mentioned above"

यह रिपोर्ट है 1977 की और जिस समय रिपोर्ट पेश की थी, मैं चीफ मिनिस्टर नहीं था। मैं जून में चीफ मिनिस्टर बना, जून में चीफ मिनिस्टर बना तो आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि इस रिपोर्ट को सी.बी.आई. के पास इन्क्वायरी के लिए भेजा है। सी.बी.आई. ने इसकी इन्क्वायरी की। क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्सअप करने के लिए भन्डारी जी ने सिफारिश की थी। फिक्टीशस एंट्रीज एक दूसरा मामला उठाया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि उस समय सी.बी.आई. की रिपोर्ट मेरे हाथ में नहीं, लेकिन मुझे जानकारी है, सी.बी. आई. की रिपोर्ट में उन्होंने क्रिमिनल लायबिलिटी बिल्कुल खतम कर दी कि कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं है बल्कि उस रिपोर्ट में क्रिमिनल लायबिलिटी खतम करने के साथ ही यह लिख दिया कि जो एण्ट्रीज हैं, जिनमें इंटरपोलेशंस हैं, इन एण्ट्रीज को करेक्ट कराया जाएं और रेवेन्यू एक्ट या रेवेन्यू लॉ जो भी है उनके अनुसार इसके अन्दर इनकी दुरुस्ती की जाए। अब वह दुरुस्ती करने का मामला कोर्ट्स में गया और जाते-जाते मामला वहीं के एस.डी.ओ. ने उसको करेक्ट किया। एस.डी.ओ. ने उस पर फैसला दिया और फैसले में इस सारे इंटरपोलेशंस के बारे में उन्होंने उल्लेख किया। उस उल्लेख करने के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बाद कम से कम भण्डारी की रिपोर्ट तो वहीं खतम हो गयी । क्रिमिनल लायबिलिटी होती और क्रिमिनल लायबिलिटी की सिफारिश सी.बी.आई. करती और उस पर मैं कोई एक्शन नहीं लेता तो यह समझ में आ सकता था । लेकिन क्रिमिनल लायबिलिटी खतम । उन्होंने जांच की । सदन को शायद जानकारी नहीं होगी कि यह फाइल में दबा नहीं रहा था, इस कागज की इन्क्वायरी हुई, सी.बी.आई. ने इन्क्वायरी की, इन्क्वायरी करने के बाद में क्रिमिनल लायबिलिटी खतम की और एण्ट्रीज में...

श्री परसराम मदेरणा : और भी मैटर थे । यह था, नहीं था, मुझे पता नहीं । मालपानी के और बांगड़ के और दूसरे कई लोगों के मामले थे । महाराजा हिम्मतसिंहजी थे । और यह सब मामले सी.बी.आई. में गये थे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह सब मालूम है । मैं इसलिए कह रहा हूं कि 'मैंने नोटिस नहीं दिया...

श्री परसराम मदेरणा : मुझे मालूम नहीं है यह है कि नहीं है, गया कि नहीं गया । लेकिन जो मामले दूसरे थे मुझे मालूम है क्योंकि मैंने...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, ठीक है बहुत मामले गये थे ।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने स्वयं ने उसमें आदेश पास किया है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको भी याद है मुझे भी याद है, (16.00)

बहुत मामले गए थे इन मामलों की सदन में काफी चर्चा हुई है लेकिन मैं अभी इस मामले पर बोलूंगा तो सीधा मेरे ऊपर चार्ज यह लगेगा कि आपने पूर्व सूचना नहीं दी । इसलिए मैं आगे के लिए इसको रिजर्व रखता हूं । और फिर यह कहेंगे कि वह ब्लैकमेल कर रहा है तो मैं आगे के लिए रिजर्व रखता हूं नियमों के कारण से, और यदि यहां कहने की आवश्यकता हो तो अगर भाटी साहब को एतराज नहीं हो तो मैं अभी बोल जाऊं ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : बोल जाओ । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे आपत्ति है, मुझे आपत्ति है ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मेरा सजेशन है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष : नहीं, मुझे आपत्ति है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैं बोल रहा हूं । आपकी अनुमति से मैं बोल रहा हूं । मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला जहां तक नरपतसिंहजी राजवी का प्रश्न आता है..

श्री परसराम मदेरणा : अनुमति आप इनसे तो ले ही नहीं रहे हैं ऊपर जो है । अध्यक्ष महोदय कहें, मैं अनुमति नहीं दूंगा.. (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं करूंगा तो अध्यक्ष की अनुमति से ।

श्री परसराम मदेरणा : तो आप रिक्वेस्ट करके पहले अनुमति लीजिये । भाटी जी से अनुमति ले ली आपने तो । (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, उन फाइण्डिंग्स को मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है उसमें यह है,

"Accordingly, however, there appear to be interpolations and disparities in the jagir record which need to be corrected, rectified under the revenue laws."

This report was sent on 16.12.1978.यह 16-12-78 को रिपोर्ट आयी है। और रिपोर्ट आने के बाद में यह मामला डिपार्टमेंट्स में चलता रहा कि इस मामले में किस प्रकार से करेक्शन या रेक्टीफिकेशन का प्रोसिजर अडाप्ट किया जाए। मैं उस समय यहां से हट गया। हटने के बाद फरवरी, 1980 में शायद हमारी सरकार चली गयी और फरवरी से लेकर 90 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। अब आप बस्ता-ए-खामोशी में डालने का या और किसी प्रकार के पक्षपात का आरोप लगाते हैं तो आप उस समय मंत्री थे, बाकी का मंत्रिमण्डल कांग्रेस का था, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता था उससे आप लोग बहुत नाराज थे। वह नाराजगी का लाभ क्यों नहीं उठाया? 1980 में या 81 में मेरी डॉटर की शादी हो गयी, नरपतसिंहजी मेरे सन इन लॉ हो गये और उस समय तो आपको चार्ज लगाने का बहुत बढ़िया अवसर आया था। सात दिन में इन्क्वायरी करवाते, सात वर्षों में इन्क्वायरी करवाते और इन्क्वायरी कराने के बाद इस मामले में किसी प्रकार का एक्शन लेते। लेकिन न तो आप जिस समय मंत्री थे, आपने एक्शन लिया, न आपने कोई एक्शन लेने की बात की या नहीं की, मुझे पता नहीं और न उस समय की सरकार ने किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की। आज आप इस मामले को उठा रहे हैं तो, मैं अध्यक्ष महोदय, अब आपकी अनुमति लेना चाहूंगा कि, जो मैंने एक शब्द यूज किया था, डेलीब्रेटली वह मैंने यूज किया था कि किसी स्वार्थ के कारण से यह मामला उठा रहे हैं, यदि मुझे आप अनुमति दें तो मैं स्वार्थ बता देऊं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मुझे उसमें रिप्लाई का मौका मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आज नहीं..... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मौका मिलेगा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं आज, नहीं आज मत इसको उठाइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मौका मिलेगा अध्यक्ष महोदय

श्री अध्यक्षः आज इसको मत उठाइये।

श्री अमराराम (धोद) : फिर क्या फायदा?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : है क्या?

श्री अध्यक्ष : आज मत उठाइये, आज मत उठाइये। (व्यवधान) मैं समझता हूं आपका जवाब पर्याप्त हो गया है, पर्याप्त हो गया है। टाइम भी बहुत हो गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं आपकी अनुमति से ही करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आज मत उठाइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन बार-बार जो कह रहे थे कि मेरे पर स्वार्थ का आरोप लगाया, मैं समझता हूं, अध्यक्ष

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

महोदय, सदन की कार्यवाही कल चले और इस मामले में किस स्वार्थ के आधार पर मैंने यह बात कही है वह सदन ने जैसे इनका दो घण्टे तक का+++का भाषण सुना है, मेरा 15 मिनट का भाषण सुन ले, आपको असलियत का पता (व्यवधान) लगाकर ही छोड़ूंगा मैं।

अध्यक्ष महोदय, आज किसी पर आरोप लगाना और आरोप इसलिए लगाना कि 1943-44 से कोई मामला चल रहा था, कोई आज के दिन जमीन छोड़ने को तैयार हैं, भाटी साहब ? आज अगर मैं कह देऊं कि कानूनन गलत है तो क्या वह दूसरी कोर्ट्स में नहीं जाएंगे। सरकार फैसला कर दे कि जमीन को जब्त कर ली जाए तो क्या जिस जमीन के ऊपर इनका कब्जा है वह मेरे कहने से छोड़ देंगे ? क्या मैं आपको कह दूं कि जोधपुर की सीवरेज की जमीन जो आपने कब्जा कर रखी है उसको छोड़ देओ तो, छोड़ देंगे क्या ? मैं आपको कह देऊं कि उस जमीन के ऊपर लाखों रुपये की सरकार की बकाया है उसको छोड़ दीजिये, आप नहीं छोड़ेंगे...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अब मैं बोलूंगा इनके चार्ज पर (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चार्ज नहीं लगा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। आप बैठिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, चार्ज नहीं लगा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, अध्यक्ष महोदय, चार्ज नहीं लगा रहा हूं और चार्ज . (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : चार्जेज आरोप हो गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो यह कह रहा हूं आपने कहा कि इस जमीन को मुझे कैंसिल कर देनी चाहिए। यही तो सवाल था, इस जमीन को जब्त करना चाहिए। इनकी जमीन को।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी: नहीं, नहीं, कब कहा ? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो फिर आप चाहते क्या हो ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : न्यायिक जांच।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : समझ गया मैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हिम्मत हो तो करवाइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सब समझ गया न्यायिक जांच।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हिम्मत हो तो करवाइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, हिम्मत हो तो मैं एक और कहता हूं आपको।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पधारो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पधारो कहां ? आ जाओ मैदान में आना हो तो।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अभी पधारो।

+++शब्द अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(134)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आ जाओ मैदान में।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हाँ, चलो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पधारने की बात कह रहे हो, किस बात की कह रहे हो (व्यवधान) आप गलत आरोप लगाते हो... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : डरा धमका रखा है 52 से (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : केवल इसलिए आरोप लगाया जा रहा है कि वह सीवरेज की जमीन राज्य सरकार अपने कब्जे में करना चाहती है और उसके प्रिएम्प्ट करने के लिए, चार्जेज इस सदन में लगाये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। एस.डी.ओ. का फैसला कलक्टर का फैसला, कमिश्नर का फैसला और उस जमीन को देना नहीं चाहते है। उसको प्रिएम्प्ट कैसे किया जाए, भैरोंसिंह को +++कैसे किया जाए, इस जमीन के मामले में ब्लैकमेल होने वाला नहीं हूं, और इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इस सदन के अन्दर जैसी उन्होंने परम्परा डाली है कि इस प्रकार के चार्जेज लगाये जाएं, मैं चाहूंगा कि मैम्बर्स को बोलने की छूट दी जाए और कल के बाद बजट भी चलेगा और यह मामले जो सारे उठे हैं उन मामलों के नोटिस भी आपके सामने पेश किये जाएंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, प्लीज। भाटीजी, आप पहले मुझे सुनिये, बैठिये। अब और जब आपको सन्तोष नहीं हो तो खड़े होइये। देखिये, जहां तक इस प्रश्न का सवाल है कि रूल 119 के अन्तर्गत इस मोशन को मूव करने की इजाजत दी जाए या नहीं दी जाए, इस सम्बन्ध में अनेक बातों के साथ-साथ कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत ही कानूनी··

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से एक बात मैं कहना भूल गया था वह अगर आप चाहें तो दो मिनट में खतम कर दूं।

श्री अध्यक्ष : बाद में कह दीजियेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अभी कह देऊं। मुझे भी तसल्ली रहेगी और हाउस को भी तसल्ली होगी। 15 एएए के मामले में यह कहा गया है कि केवल नरपतसिंह जी को फायदा पहुंचाने के लिए यह 15 एएए का अमेंडमेंट लाया गया। आपका आरोप था। इस आरोप के लिए मैं इतना ही कह सकता हूं, माननीय परसरामजी जानते हैं, पूनमचन्दजी भी जानते हैं, खेतसिंहजी भी जानते हैं, जैसलमेर जिले के, बीकानेर जिले के और गंगानगर जिले के काश्तकार आज से नहीं पिछले 15 वर्षों से लगातार आन्दोलन कर रहे थे, जिन लोगों को खातेदारी अधिकार नहीं मिले और जहां राजस्थान कैनाल से, सिंचाई होने वाली है उनका कहना था, हमने कौनसा पाप किया है, अगर जैसलमेर में सैटलमेंट नहीं हुआ स्टेट के टाइम में तो स्टेट की गलती हो सकती है, जिस जमीन को हम काश्त करते थे हमारी गलती नहीं हो सकती।

+++शब्द अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अगर सैटलमेंट का किसी प्रकार का रिकार्ड गलत बन गया, समरी सैटलमेंट से भी काम नहीं चला तो हमने तो गलती नहीं की। इसी प्रकार से गंगानगर और बीकानेर के काश्तकार कहते हैं। इस मामले पर आज नहीं और 1992 में नहीं उससे पहले भी कई बार मैं सदन का रिकार्ड बता सकता हूं कि मैंने इस सम्बन्ध में सदन में मांग की है, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने मांग की है, कांग्रेस के सदस्यों ने इसकी मांग की है और उसका प्रमाण इतना ही दे सकता हूं कि 1992 में जिस समय यह बिल पेश किया गया, माननीय परसरामजी मदेरणा ने इस डिबेट में पूरा भाग लिया और भाग लेने के बाद में यह कानून पास हुआ। वहां कोई बहुमत के आधार पर कानून पास नहीं हुआ, यह सर्वसम्मिति के आधार पर कानून पास हुआ। अब यदि आप आरोप लगाते हैं कि सारे कुलक्स को फायदा पहुंचाने के लिए हमने यह कर दिया, हमने राजस्थान को डुबो दिया तो यह आरोप आप डायरेक्टली तो मेरे ऊपर लगा रहे हैं और इन-डायरेक्टली उस समय की कांग्रेस पार्टी, जो विपक्ष में बैठी थी उस पर आरोप लगा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि काश्तकारों के हित में किया है और आपको जैसे गंगारामजी ने कहा, मैं फिर बताना चाहता हूं कि इस कानून के अंतर्गत नरपतसिंह जी को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला, न नरपतसिंहजी के लिए कानून बना है। यह उन गरीब काश्तकारों के लिए है जो वर्षों से उन टीलों में रेतीले क्षेत्रों में रह रहे थे, जो बारबार मांग कर रहे थे। उनमें लाभ मिलेगा हरिजनों को, उनमें लाभ मिलेगा अल्पसंख्यकों को भी उनमें लाभ मिलेगा अन्य जातियों को भी। तो आज जिनको लाभ पहुंचाने की बात करना चाहते हैं उस में अल्पसंख्यक हैं, उसमें हरिजन हैं, उसमें भील हैं, मेघवाल हैं, बाकी की भी जातियां हैं, जाट भी हैं, विश्नोई भी हैं, राजपूत भी हैं। यह सबको फायदा पहुंचाने की गरज से, जो बरसों से उनके साथ अन्याय हो रहा था उस अन्याय को रोकने के लिए कानून में संशोधन किया गया, अमरसिंहजी राजवी को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं किया गया। अमरसिंहजी का फैसला तो पहले हो हो चुका था जिसका इससे किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। अब आप चाहते हैं कि इस कानून में रद्दोबदल कराया जाए। कांग्रेस पार्टी के लोग प्रस्वाव रख दें यहां पर, मैं निश्चित रूप से विचार करूंगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी: अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।⋯(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुन लीजिये। कीप पेशन्स। सुन लीजिये पहले। Please hear me first आप पहले मुझे सुन लीजिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने डायरेक्टली मेरे ऊपर आरोप लगाये हैं। एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : Everything will be setteled आप सुन तो लीजिये। कुछ तो धैर्य रखिये आप।

व्यवस्था

मुख्य मंत्री के विरूद्ध नियम 119 के तहत प्राप्त निन्दा प्रस्ताव की ग्राह्यता

रूल 119 में जैसा मैंने निवेदन किया माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त

(श्री अध्यक्ष)

किये उनमें कुछ जो पाइण्ट्स मैंने रेज किये थे उसके बारे में भी बहुत ही गम्भीर विवेचन, हमारे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महोदय ने और हमारे एल.एल.एम पास मंत्री जी ने और कानून विदों ने किया और मैंने बड़े धैर्य के साथ यह सारे आपके जो भी आर्ग्यूमेण्ट्स थे, जो आपने तर्क दिये वह तर्क सुने।

सबसे पहले, इस सम्बन्ध में श्री धनखड़ साहब ने रेफर वर्ड और 'रीसेण्ट आकरेन्स' के बारे में जिस तरीके से अपील की उसकी ओर सबका ध्यान दिलाना चाहता हूं। शब्दों के अर्थ क्या हों इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं है। उसको कैसे भी ट्विस्ट किया जा सकता है। बाम्बे हाई कोर्ट ने शिवसेना के एक विधायक खिलाफ याचिका में हिन्दू धर्म की परिभाषा के बारे में जो कहा है मैं उसी को फालो कर रहा हूं। बाम्बे हाई कोर्ट ने हिन्दू धर्म की परिभाषा नहीं की और यह कहा कि इससे जो प्रचलित अर्थ सामान्य जनता समझती है हम वह अर्थ ले रहे हैं। यह परिभाषा की कि सामान्य जनता जिस रूप में इसको समझती है उस रूप में हम ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि किन्हीं शब्दों की परिभाषा का यदि सवाल उठता है तो जब तक। कोई चीज वैल डिफाइण्ड नहीं हो, अधिकृत रूप से तय नहीं हो जाए तब तक यह नियम सर्वमान्य है, और यह नियम सबसे हितकारी भी है इसलिए वर्ड 'रेफर' का और रीसेन्ट 'आकरेंन्स, या जो प्रचलित मतलब है, इवेण्ट्स का आपने खुद बताया, रीसेण्ट इवेण्ट हैवनिंग है, घटना से मतलब है, घटना घटने से है।

अब सवाल यह था कि घटना कब घटी तो जो नोटिस में डेठ दी गयी है, सन् 53 से लेकर सन 90 तक यह घटती रहीं। तो इतना लम्बा स्पेन है घटना का। इसलिए रीसेण्ट है या पुरानी है इस सम्बन्ध में कोई विवाद का सवाल नहीं है। रीसेण्ट का मतलब तो होता है 'Immediately' 'Nearest to the present' वर्तमान के एक दम नजदीक जो पास्ट है वह रीसेण्ट होता है, चूंकि इस घटना पर पहले इसी सदन में काफी बहस हो चुकी है, घटना पर बहस हो चुकी है मगर यह कागज उस वक्त नहीं था जो अब नया आया है, मगर इस कागज के आने का मतलब घटना नहीं है। यह घटना नहीं माना जा सकता कि कोई कागज हमारे ध्यान में रीसेण्टली आया। जैसा कि आप ने उदाहरण बताया कि कोर्ट में घटना घटी मगर हमको जानकारी हुई तब से हमने माना। योग्य वकील हैं, समझते है और शायद क्रिमिनल वकील हैं, जैसा मैंने सुना है। यदि कोई मर्डर हो जाए, लावारिस जिसका पता नहीं चले तो पुलिस उसी दिन उसको नोट करती है, उसी दिन एफ.आई.आर. दर्ज होती है, हो सकता है 20 वर्ष बाद जाकर उसका कोई मुलजिम गिरफ्तार हो, मगर घटना तो उसी दिन की मानी जायगी। 20 वर्ष बाद यदि उसका मुलजिम पकड़ा गया तो रीसेण्ट घटना हो गयी? मैं समझता हूं यह प्रचलित अर्थ नहीं है। प्रचलित अर्थ यह है कि घटना तो 20 साल पहले हुई थी, मुलजिम अब पकड़ा गया है। तो इसी तरह से जहां तक घटना घटने का प्रश्न है, रीसेण्ट घटना घटने का प्रश्न है इसमें तो यह बिलकुल नहीं आता है। यह मेरी मान्यता है।

जहां तक 'रेफर' का सवाल है, सीधी-सीधी बात है कि जो मामला आपके सामने

(श्री अध्यक्ष)

विचाराधीन है उसी को निर्देशित करने वाली चीज को रेफर कहते हैं। तो जिन जिन लोगों का नाम उसमें उल्लिखित किया गया, जो घटनाओं से संबंधित है स्वाभाविक है कि सारा संदर्भ सात निर्देश उन्हीं लोगों से संबंधित है जिन का नाम उसमें उल्लिखित किया गया है। इसलिए यह मानना कि रेफर का कोई और डिक्शनरी से अर्थ निकाल कर एबनार्मल अर्थ में लूं जो प्रचलित अर्थ से भिन्न हो, तो मैं समझता हूं कि जितनी हमारे यहां कानूनी प्रक्रिया है वह सब खतम हो जाएगी। दूसरी, ऐसी बहुत-सी हमारे यहां रूलिंग भी हुई हैं कि स्पीकर को यह अधिकार भी नहीं है कि इस तरह से लीगलिटी में जाकर कोर्टस की तरह से वह डिफाइन करें ताकि वह अधिकृत माना जाए। तो इसलिए मैं उन शब्दों को नयी भाषा/परिभाषा दूं, वकील कोर्ट के सामने अपनी परिभाषा दे सकते हैं, कोर्ट उसको स्वीकार कर सकती है लेकिन मैं तो कोई नयी परिभाषा नहीं दे सकता। तो जो सामान्य प्रचलित परिभाषा है इस परिभाषा के अन्तर्गत मेरी मह मान्यता है कि क्लाज 3 और 4 यह हिट करते हैं इस मोशन को इसलिए रूल 119 का जहां तक प्रश्न है, इसके अंतर्गत इस मोशन को प्रस्तुत करने का आदेश नहीं दिया जा सकता, मैं उसको ग्राह्य नहीं करता। इसमें एक दूसरा शब्द और आया है "डिस्कशन आफ मैटर आफ पब्लिक इंटरेस्ट" मैं समझता हूं कि बोलने वालों ने इस पर भी काफी बोला है और जिस तरह से आज हाउस इन्वाल्वड है और जिस तरह के आरोप प्रत्यारोपण या जिस तरह की बातें सामने आई है उससे मुझे लगता है कि हाउस की रुचि है कि इस प्रश्न को आप बड़े विस्तार के साथ कहीं न कहीं निर्णायक स्थिति में ले जाकर खड़ा कर दें ताकि जनता के सामने सारे ही तथ्य आ जाए। इसलिए मैं इस रूल 119 के अन्तर्गत तो इस मोशन को ग्राह्य करने की स्थिति में नहीं हूं लेकिन मैं इस पक्ष में हूं कि इसरूल को रिलेक्स करके इस पर डिबेट करायी जाए। इसके लिए मैं उचित समझता हूँ कि अभी मेरे चेम्बर में आकर कल या परसों का जब भी आप समय ठीक समझें इसके लिए समय तय कर लेंगे और इस पर विस्तार से डिबेट जो आप करना चाहें, करें उस समय हर माननीय सदस्य को मौका मिलेगा।

अब यहां पर यदि आपने आरोप प्रत्यारोप लगायें तो एक निवेदन आपको करना चाहता हूँ कि उसमें हम संयम बरतें। तथ्य कहीं ऐसे हों कि जो आरोप के रूप में रहेंगे लेकिन तथ्य-तथ्य है। तो उन तथ्यों पर बोलने से तो मैं रोक नहीं सकता। परन्तु जो सदस्य यहां मौजूद हैं उनको यह अधिकार है कि वह अपनी बात कहें, अपना स्पष्टीकरण दें। इसलिए जब डिबेट होगी तो मैं भाटी जी को भी जो कुछ आज कहा गया है और जो डिबेट के वक्त कहा जायेगा उस सब के बारे में स्पष्टीकरण करने का मौका दूंगा। चूंकि मैंने डिबेट अलाउ कर दी है इसलिए इस प्रकरण को अब मैं समाप्त करता हूँ और आप लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि please help me in running the house. और भाटी जी से खास तौर से निवेदन करूंगा कि अब इस प्रश्न पर एक शब्द न बोलें और जो उनको बोलना है और जो उनके ध्यान में अभी नहीं है उसकी भी तैयारी करके डिबेट के वक्त पर बोलें तो हाउस का भी समय बरबाद नहीं होगा, उचित होगा। मैं अब 295 लेता हूँ।

एक माननीय सदस्य : पढ़े हुए मान लिये जाएं।

श्री अध्यक्ष : आज तो आप 12 बजे तक बैठिए। मैं इस पक्ष में नहीं हूं। पूरा कीजिये आप आज। कल हमने पढ़े हुए मान लिये। रोज-रोज यह नहीं होगा। श्री रामनारायण जी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड...... (व्यवधान) इस विषय पर नहीं बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ दो विन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय राजवी साहब ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया ...

श्री कालीचरण सराफ: माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले यह इस्तीफा दें।

श्री अध्यक्ष : कृपया दो मिनट सुन लें... आर्डर प्लीज ... ।

श्री कालीचरण सराफ : पहले इन्होंने चुनौती दी है। इनसे पहले इस्तीफा दिलाइये उसके बाद बुलाइये.... ।

श्री अध्यक्ष: दो सैकण्ड सुन लीजिये। (व्यवधान) ..श्री रामनारायण जी बोले 295 .

श्री कालीचरण सराफ : अध्यक्ष महोदय पहले भाटी साहब से इस्तीफा लीजिये।

श्री अध्यक्ष : अच्छा कल ले लेना

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : दे दिया मैंने।

श्री अध्यक्ष : हां, ले लीजिये आप (व्यवधान) ऑर्डर प्लीज

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके पास पहुंच गया क्या ?

श्री अध्यक्ष : मेरे पास नहीं पहुंचा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर कहां दे दिया। वह कह रहे हैं इस्तीफा दे दिया और अध्यक्ष के पास इस्तीफा पहुंचा नहीं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : व्हिप साहब को दे दिया वह पहुंचा देंगे। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : अध्यक्ष जी को दीजिये इस्तीफा। यह नहीं चलेगा। पहले इस्तीफा इनसे लीजिये। अध्यक्ष जी के पास इस्तीफा आ जाए उसके बाद बोलने दीजिये. ऐसे नहीं बोलने देंगे। (व्यवधान) इतनी बढ़ बढ़कर बातें करते हैं। +++ करना चाहते है। पहले इस्तीफा दीजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह : +++

श्री हरिसिंह (महुआ) : पहले बहस होगी इस पर।

श्री कालीचरण सराफ: आप बोलने लायक ही नहीं हैं। सदन के चार घण्टे खराब कर दिये।

श्री अध्यक्ष : रामनारायण जी, बोलिये, आप शुरू करिये।

श्री लक्ष्मण सिंह : +++ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : लोग सुनना नहीं चाहते हैं आपको, मैं क्या करूं ? मैंने तो दिया, अब नहीं सुनना चाहते हैं। आप भी ऐसा करते है, जब आपकी बारी आती है आप करते हैं। (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री लक्ष्मण सिंह : +++इस्तीफा किस बात का ?

श्री कालीचरण सराफ : बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहे थे, अब क्या हुआ ? इस्तीफा क्यों नहीं देते हो? ··· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज हो गया । ···· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अपनी जबान के पक्के नहीं हैं । इस्तीफा दीजिये पहले ।

(व्यवधान)....

श्री टीकम चन्द कान्त : इस्तीफा नहीं देते हैं तो यह +++हैं वास्तव में ।

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी से बोल दीजिये जो बोलना है । आप बोलिये जल्दी से ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं यह अर्ज कर रहा हूं ··· (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : अध्यक्ष महोदय, चार घण्टे इन्होंने सदन के खराब किये हैं, सदन का दुरुपयोग किया है । किसी व्यक्ति पर आरोप लगाकर उनका चरित्र हनन करने का प्रयास किया है । जब उन्होंने चुनौती दी इस्तीफा देने की तो अब इस्तीफा देने में आनाकानी कर रहे हैं । पहले इस्तीफा दें उसके बाद ही बोलने देंगे ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बैठिये । प्लीज, बैठिये ··· (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, ···

श्री कालीचरण सराफ : इस्तीफा लीजिये इनसे । ··· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पहले इस्तीफा दें फिर बोलें । इस्तीफा पहले होगा ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय,+++

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । श्री रामनारायण, आप बोलिये । ··· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मुख्य मंत्री इस्तीफा दो ।

श्री टीकमचन्द कान्त : नरेन्द्र सिंह जी भाटी पहले इस्तीफा दे उसके बाद बोलें । नरेन्द्र सिंह जी भाटी बोलना चाहते हैं तो पहले इस्तीफा दे दें । ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस्तीफा तो नरपतसिंहजी को देना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । रामनारायण मीणा जी, बोलिये ।

श्री परसादी लाल मीणा : पहले नरेन्द्र सिंह जी भाटी बोलेंगे उसके बाद ही..

श्री जुबेर खान : पहले नरेन्द्र सिंह जी भाटी बोलेंगे उसके बाद ही हाउस चलेगा । .. (व्यवधान) ..आपके सदस्य आपको दबायेंगे, अब ये सदस्य तय करेंगे, कौन बोलेगा या नहीं बोलेगा ? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : अध्यक्ष महोदय, चार घण्टे सदन के खराब किये हैं इन्होंने । (व्यवधान)

++शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री काली चरण सराफ)

इनसे इस्तीफा लीजिये, इसके बाद ही...

एक माननीय सदस्य : यह+++ (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : चलाइये हाउस कैसे चलाते हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : +++कर रहे हैं। +++

श्री अध्यक्ष : बुलाओ उनको । बोलो आप, मैं कहां मना कर रहा हूं। (व्यवधान)

न आप बैठ रहे हैं न वे बैठ रहे हैं ।

श्री कालीचरण सराफ : भाटी जी ने चार अमूल्य घण्टे सदन के खराब किये हैं..

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपको भाटी साहब को सुनना पड़ेगा, पहले भाटी साहब को सुनना पड़ेगा । भाटी साहब नहीं बोलेंगे...

अनेक माननीय सदस्य : नरेन्द्र सिंह भाटी इस्तीफा दो ।

श्री लक्ष्मण सिंह : मुख्य मंत्री इस्तीफा दो, मुख्य मंत्री इस्तीफा दो ।

अनेक माननीय सदस्य : +++मुख्य मंत्री इस्तीफा दें ।

अनेक माननीय सदस्य : वी वाण्ट भाटी

श्री शैलेन्द्र जोशी : किसी की मोनो-पोली नहीं है ।(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++मुख्य मंत्री इस्तीफा दें । (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : नरेन्द्र सिंह जी भाटी को बोलने का मौका दिया जाए । इनको सुनना पड़ेगा । यह कोई मोनोपोली नहीं है ।...(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : पहले भाटी बोलेंगे। चलाओ कार्यवाही कैसे चलाते हो ?

अनेक माननीय सदस्य : नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ।

श्री राजेन्द्र पारीक : यदि यही परम्परा रही तो हम उनको भी नहीं बोलने देंगे ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : भाटी साहब को बोलने का मौका दिया जाए। भाटी साहब को सुनना पड़ेगा ।...(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : कोई तर्क के आधार पर बात करो, तथ्य रखो । (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : कोई खेल नहीं इस्तीफा लेना ।

श्री जगदीप धनखड़ : पाइण्ट ऑफ आर्डर ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, भाटी साहब को सुनना पड़ेगा तभी सदन चलेगा । नहीं तो नहीं ।

एक माननीय सदस्य : +++मुख्य मंत्री इस्तीफा दो। इस्तीफा दो फिर बात करो ।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर ।...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : पहले नरेन्द्र सिंह जी भाटी बोलेंगे । आप चुपचाप सुनिये ।

+++शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

एक माननीय सदस्य : माफी मांगें या इस्तीफा दें। या तो माफी मांगो या इस्तीफा दो। ... (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : 295 को कार्यवाही शुरू की जाए, अध्यक्ष महोदय।

एक माननीय सदस्य : पहले+++ मुख्य मंत्री इस्तीफा दो।... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : क्यों नहीं निकालते ? किस बात के लिए मना कर रहे हैं ? +++वरना क्यों नहीं निकाल रहे भाटी जी की जमीन ?

श्री अध्यक्ष : कोई नोट मत करो।.. (व्यवधान) एक मिनट, बैठिये। मुझे लगता है, अब आप सब लोगों की ट्रेनिंग की बहुत जरूरत हो गयी है और काफी लोग हंस लिये हैं... (व्यवधान)..और ज्यादा मत हंसाइये। मैं निवेदन करूंगा भाटी साहब से कि आप आग्रह मत करिये, आपको बोलने का कल मौका मिलेगा। आप बोलेंगे। यह जिद मत करिये, यह सही नहीं हैं।

श्री अमराराम (धोद) : आपने व्यवस्था दी है, भाटी जी बोलेंगे।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अच्छा हो, सामान्य मर्यादाओं का पालन करिये। जब मैं खड़ा हूं..

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री अध्यक्ष : ये तो नहीं समझते। सीकर से आने वाले माननीय सदस्य तो समझते नहीं है। इनकी समझ के बाहर है इसलिए इनको तो जो चाहे सो बोलने दीजिये। मैं खड़ा हूं और वे-बीच बीच में उछल गये, फिर खड़े हो गये। इन्होंने तो तय कर रखा है आसन की, कानून की, सबकी धज्जियां उड़ाने का।

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री अध्यक्ष : प्रजातन्त्र के अन्दर आप जो दृश्य उपस्थित कर रहे हैं, मैं समझता हूं, यह राजस्थान की विधान सभा की गरिमा के अनुकूल नहीं है। इसलिए मैं इस राजस्थान की विधान सभा की गरिमा के नाम पर आप से निवेदन करता हूं कि आप शान्ति से बैठिये, आगे कार्यवाही चलने दीजिये। कोई दुराग्रह मत करिये किसी प्रकार का। रामनारायण जी, बोलिये। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ×××

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री कालीचरण सराफ : ×××

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

(श्री राजेन्द्र पारीक, माननीय सदस्य द्वारा बहिर्गमन।

श्री कालीचरण सराफ : ×××

श्री टीकमचन्द कान्त : ×××

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा। आप शुरू करिये बोलना।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जुबेर खान : × × ×

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा, केवल रामनारायणजी मीणा का नोट हो।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायणजी पढ़िये आप। मैं दूसरा नाम पुकारता हूं फिर। नहीं पढ़ रहे हैं। श्री सुरेन्द्र गोयल। श्री सुरेन्द्र गोयल का अंकित हो।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख जैतारण मुख्यालय पर अतिरिक्त सैशन जज कोर्ट

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत जैतारण मुख्यालय पर अतिरिक्त सैशन जज कोर्ट नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हू।

अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र जैतारण एस.डी.एम. हैडक्वार्टर है। जिसमें रायपुर व जैतारण दो तहसील मुख्यालय हैं, चार थाने हैं एवं मुंसिफ कोर्ट व जैतारण में अपर सिविल जज कोर्ट भी कार्यरत है। मुकदमों की संख्या भी ज्यादा है। यहां से ग्रामवासियों को सोजत जाना पड़ता है। जिससे ग्रामीणों को बहुत आर्थिक व मानसिक परेशानी होती है। हाई कोर्ट ने भी जैतारण में मुकदमों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त सैशनजज कोर्ट स्थापित करने हेतु राज्य सरकार को सिफारिश की गयी है। परन्तु अभी तक अतिरिक्त सैशन जज कोर्ट की स्वीकृति जारी नहीं की गयी है जिससे ग्रामवासियों में रोष है। इसलिए निवेदन है कि जनहित में जैतारण मुख्यालय पर इस वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त सैशन जज कोर्ट की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर ग्राम वासियों को लाभान्वित करेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा, नहीं बोल रहे। श्री मोहनलाल मोदी।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

(अनुपस्थित)

श्री शिवनाथसिंह।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी बोलेंगे। आप बैठिये। शिवनाथ सिंहजी आपका लिखा हुआ है, वे लिख लेंगे। बोलिये आप।

खेतड़ी तांबा परियोजना से प्रदूषण

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत ताम्र परियोजना खेतड़ी द्वारा प्रदूषण फैला कर आसपास के क्षेत्र को प्रदूषित किये जाने के महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हू।

महोदय, खेतड़ी तांबा परियोजना राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। राष्ट्र का गौरव है लेकिन आसपास के क्षेत्र के

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किये गये।

(श्री शिवनाथ सिंह)

लिए श्राप के रूप में साबित हो रही है। चिमनी से निकलने वाला धुंआ नये बादल का रूप ले रहा है। सूर्योदय के समय आसमान की तरफ देखें तो धुएं की परत स्पष्ट नजर आती है। रात को सोकर सुबह उठने पर लोगों के मुंह से धुएं की संघनता से बिना किसी अपराध के काले हुए मिलते हैं। यदि कोई खुले में सो जाता है तो दो-तीन सौ ग्राम कोयले के कण चारपाई पर मिलते हैं। इस कारखाने से बेकार निकलने वाला पानी नाले के रूप में खुला बहने को छोड़ दिया जाता है जिससे आसपास के गांवों के पीने के पानी के कुएं प्रदूषित हो गये हैं। सिंचाई के कुओं का पानी खराब हो गया है जिससे फसलों को सिंचाई नहीं हो पाती और फसलें चौपट हो गई है।

इस परियोजना में प्रदूषण की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाया जा रहा है। जो नियम, कानून इस सम्बन्ध में बने हैं उनका कतई पालन इस परियोजना के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाये जाकर इस परियोजना द्वारा फैलाये जाने वाले प्रदूषण को रोका जावें।

श्री अध्यक्ष : हो गया चलिये, श्री रतन लाल ताम्बी।

(अनुपस्थित)

श्री हरजीराम बुरड़क।

(अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)। आप बोलिये, लिख लेंगे। इनके पास लिखा हुआ है उसी की नकल करेंगे। आप बोल लीजिये। श्रीमती मीना अग्रवाल, पढ़िये आप। बैठिये आप, आप क्यों खड़े हो गये। पढ़िये आप।

अलवर में महिलाओं पर अत्याचार

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, अलवर में रोजाना महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहें हैं। छोटी बच्ची जूली बलात्कार कांड अभी हुआ हैं। पिछले सालों में पूनम बलात्कार कांड व मन्जू बलात्कार कांड हुए। जिसके कारण छोटी बच्चियों की हत्या कर दी गयी। बड़ी–छोटी सभी उम्र की महिलाओं पर भी बलात्कार कांड बढ़ रहे हैं। दहेज के तथा दूसरे कारणों से भी महिलाओं को जलाने के, आत्महत्या जैसे कांड रोजाना होते रहते हैं। पारिवारिक झगड़ों के कारण भी महिलाओं पर अत्याचार जैसे घर से निकालने मारने–पीटने की घटनाएं आदि भी बहुत बढ़ रही हैं तथा महिलाओं के साथ अपहरण की घटनाएं बहुत बढ़ गई है।

अभी तक जूली कांड में अपराधी को पकड़ा नहीं गया है। जिससे जनता में भारी आक्रोश बढ़ रहा है। वेश्यावृत्ति में भी छोटी उम्र की लड़कियों को उठा कर इस पेशे में लगा दिया जाता हैं। छोटी उम्र में बलात्कार की शिकार लड़की को समाज में न तो कोई बहू बनाना चाहता है न ही लड़की की बहन बनाकर रखता है। पुरुष प्रधान देश में शराब का चलन बढ़ने से भी महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं। मेरी मांग है कि अलवर में छः औद्योगिक क्षेत्र बन गये हैं। बड़ी रेलवे लाइन भी आ रही है। इसलिए इन अपराधों को रोकने के लिए अलवर में पुलिस डी.आई.जी. का कार्यालय खोला जाए, साथ ही महिला पुलिस का कार्यालय खोला जाए। जिससे कि राजधानी क्षेत्र में अलवर सुरक्षित रह सके।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल इन्दोरा (अनुपस्थित), श्री प्रतापसिंह सिंघवी।

छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि छबड़ा विधान सभा क्षेत्र राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है, जो बहुत पिछड़ा है और सड़कों के हिसाब से सबसे पिछड़ा है। सन् 1977 तक यहां सड़क का नाम भी नहीं था। माननीय मुख्य मंत्री का क्षेत्र होने से सन् 1977 से सड़कों का श्रीगणेश हुआ। पर अभी भी बहुत सड़कें बाकी हैं।

क्षेत्र में 57 पंचायतें है जिनमें से 21 सड़कों से जुड़ी है, बाकी 36 मुख्यालय बाकी हैं। छबड़ा क्षेत्र शिवपुरी, गुना, कुंभ रान (मध्यप्रदेश) से सटा है। पर अभी भी जो सड़के बनी है उनमें यातायात 6 माह ही रहता है बरसात में बन्द हो जाता है।

(1) छबड़ा घटना बढ़ा रोड पर धूलोन की नदी व पार्वती गुना जाने से रोकती हैं।

(2) छबड़ा-कुम्भरान में हिंगलोट के पास रेत की नदी जुलाई से नवम्बर तक आवागमन बन्द कर देती है।

(3) छीपाबड़ोद से मालपुरा जहां रेलवे स्टेशन है, मवासा की नदी सहासी 3-3 दिन तक बरसात में कई बार रोक लेती है।

(4) छबड़ा-नाहरगढ़, फतेहगढ़ के लिए पार्वती रोक लेती है। बारां जिले का मार्ग भी यदाकदा बन्द हो जाता है।

अतः उक्त स्थानों पर पुल एवं रपटें बनाकर क्षेत्र का पिछड़ापन दूर किया जाए। छबड़ा क्षेत्र में छबड़ा उपखंड है पर उप जिला कलक्टर कार्यालय से जिले में जाने की एक-एक बसों को छोड़कर रोड अधूरे होने से बसें भी नहीं है। दूर-दूर के गांव जो बरसात में घिर जाते हैं बीमारी में, प्रसव में खटिया पर लादकर अस्पताल ले जाते हैं। सन् 1971 की आबादी 1000 में भी वहां निम्न ग्राम आते हैं पर अभी तक सड़कें प्रारम्भ नहीं हुई हैं।

(1) गेपला (2) कढैयालन (3) बां-चोड़ा (4) सेतकोलू तथा सन् 1981 की आबादी के हिसाब से भी निम्न ग्राम 1000 की आबादी से अधिक आते हैं। (1) गंग-वाना (2) पूतबड़ोदा (3) कठावदो पार (4) राई (5) भालपुरा (6) भीलवाड़ा नोवा व कडैया नोहर जो सब पंचायत मुख्यालय भी है तथा ग्रेवल रोड मिट्टी का काम सब पर अकाल राहत में हुआ है, अतः उक्त ग्रामों की सड़कें बनवायी जाकर गरीब जनता को यातायात का लाभ पहुंचावें। इस क्षेत्र में चार धार्मिक स्थल मुख्य हैं जहां लोग धार्मिक पर्वों पर स्नान व आराधना-पूजा करने जाते हैं।

(1) लछमन कोठरा पार जहां साल में मकर सक्रांति 14 जनवरी को बहुत बड़ा मेला लगता है तथा प्रत्येक शुक्रवार, अमावस पूर्णिमा को लोग पवित्र स्नान करने जाते हैं, जो जैपला से मात्र 3 कि. मी. है और ग्रेवल सड़क है।

(2) कांकोनी जो हाड़ोती क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर हैं। गणेशजी के दर्शन करते है जो मात्र छारधत से 3 कि.मी. है।

(3) मंडकी हनुमानजी का स्थान है जहां हर शनिवार सैकड़ों यात्री जाते हैं जो ग्रेवल रोड़ से जुड़ा हैं, डैम्बर रोड से 3 कि. मी. है।

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

(4) बांका खेड़ी हनुमानजी जो छीपा-बड़ौद सड़क से 2 कि.मी. है। अत: मेरा निवेदन है कि हमारा क्षेत्र जो सड़कों में बहुत पिछड़ा है, गरीब है, वहां पंचायत मुख्यालय के हिसाब से धार्मिक स्थल के हिसाब से एवं सन् 1971-81 की आबादी के आधार पर प्रथम वरीयता से सड़कें बनवाई जाए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन का समय कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की इच्छा है कि आज का सदन का समय कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृति)

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती कमला : XXX

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

शिवगंज नगर में कुकिंग गैस एजेन्सी

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, सिरोही जिले में शिवगंज नगर की जनसंख्या 25 हजार से ऊपर हो गयी है। शिवगंज नगर में कपड़ा, किराना दवाई, कटलेरी एवं होजरी की बड़ी मंडी है। शिवगंज नगर में ही बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी है। शिवगंज नगर व्यापार उद्योग का सेंटर होने के साथ-साथ तहसील मुख्यालय भी है। इस कारण से व्यापारिक लेन-देन तथा प्रशासनिक कार्यों की दृष्टि से पूरे तहसील के लोग तो शिवगंज में आना-जाना करते ही हैं साथ ही बड़ी व्यापारिक मण्डी होने के कारण जालोर, जोधपुर पाली एवं सिरोही आदि जिलों से लोग खरीदी करने के उद्देश्य से शिवगंज में प्रतिदिन हजारों की संख्या में आना-जाना करते हैं।

परन्तु इतने बड़े नगर में ईंधन की कोई व्यवस्था नहीं है। ईंधन हेतु शहर में न तो कोई लकड़ी कोयले की दुकान है और ना ही जनता को पर्याप्त केरोसिन ही मिलता है। ऐसी स्थिति में शिवगंज के नगरवासी अपने प्रतिदिन के कार्यों में ईंधन की कमी के कारण भारी समस्या का सामना करते हैं। साथ ही होटल, ढाबों वालों को भी ईंधन नहीं मिलने से परेशानी होती है तथा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वे केरोसिन ब्लेक में खरीदते रहते हैं जिससे जनता को हमेशा ही केरोसिन की कमी भुगतनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में शिवगंज नगर में कुकिंग गैस हेतु एजेंसी होना अति आवश्यक है।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार एवं विशेष तौर से खाद्य मंत्री से अनुरोध है कि वे शिवगंज नगर में गैस एजेंसी खुलवाने की व्यवस्था कर वहां की जनता को ईंधन के कष्ट से मुक्ति दिलायें। धन्यवाद।

XXX अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

146

स्पष्टीकरण

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी, सदस्य का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये पाइन्ट ऑफ आर्डर....(व्यवधान)....पाइन्ट ऑफ आर्डर सुन लो भइया..(व्यवधान)..

श्री कालीचरण सराफ : जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये सदन के मैम्बर नहीं रहे, सदन के मैम्बर नहीं हैं तो बोल कैसे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : पहले पाइन्ट आफ आर्डर सुन लें, बैठिये आप। बोलिये, पाइन्ट आफ आर्डर।.(व्यवधान) आप सुन तो लीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पहले 4 घण्टे का था, ये कितनी देर का होगा ?

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर बोलिये, कौनसे रूल के तहत है?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अण्डर रूल 276

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है..

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : और माननीय सदस्यों ने कहा कि मुझे इस्तीफा देना है। मैंने जो डिमाण्ड की है, अध्यक्ष महोदय, पूर्व में भी और मैं अब भी उसको रीटरेट करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं ? आप पाइन्ट आफ आर्डर पर बोलिये। 276 बोलिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस्तीफा दूंगा और मैं कह रहा हूं आपको कि जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मुझ पर आरोप लगाये कि कलक्टर ने जांच कर ली है, एस.डी.एम. ने जांच कर ली है सीवरेज फार्म...

श्री अध्यक्ष : आप एक्सप्लेनेटरी की बात कर रहे हैं ना ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नहीं, नहीं.

श्री अध्यक्ष : एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं ना। भाई, 276 में..(व्यवधान). आप चुप रहिये ना पहले। 276 में—you want to give your personal explanation ? आप बैठिये, मैं 276 ही शुरू कर रहा हूं... (व्यवधान)..

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आपका पाइन्ट आफ आर्डर देख लिया। प्लीज सिट डाउन।...

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, नहीं, मैं बोलूंगा..

व्यवस्था

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिए अध्यक्ष की पूर्वानुमति आवश्यक

श्री अध्यक्ष : आप व्यवस्था नहीं सुनेंगे। पाइंट आफ आर्डर रेज करने के बाद व्यवस्था तो सुनिये। 276 में, आप सुन लीजिये, आप व्यवस्था सुन लीजिये, पर्सनल एक्सप्लेनेशन का मतलब सुन लीजिये, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। 276 में आज से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले इसी सदन के माननीय सदस्य श्री चन्दनमलजी बैद ने मुझे एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर यह कहा कि आप मुझे समय बताइये कब परमिशन दे रहे हैं

(श्री अध्यक्ष)

बोलने को । मैंने उनको उनके पत्र पर एक्जेक्ट टाइम और परमिशन दी कि आप इस वक्त अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन दीजिये। तब तक के लिए उन्होंने बड़ी शान्ति रखी और जो टाइम मैंने उनको दिया था, एक्जेक्टली उसी टाइम पर उन्होंने अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन दिया। आप मेरी बात सुन लीजिये..(व्यवधान)....मैं आपको 276 नियम बता देता हूं, मैं 276 पढ़कर सुना रहा हूं-

"A member may, with the permission of the Speaker, make a personal explanation although there is no question before the House, but in this case no debatable matter may be brought forward and no debate shall arise."

श्रीमान् जी, अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि तत्काल देने का अधिकार है। वह नहीं है। विद दी परमिशन आफ दी स्पीकर, और वह भी स्पीकर परमिशन देने के पहले सोचेगा कि आप डिबेटेबल मेटर रेज कर रहे हैं या वैसे ही दे रहे हैं।(व्यवधान)

सुन लीजिये आप पहले। जब मैं आपको यह अलाउ कर चुका हूं कि इस मसले पर डिबेट कल होगी और आपको पूरा मौका पर्सनल एक्सप्लेनेशन का जो आज कहा गया है उसमें भी और जो कल भविष्य में कहा जाने वाला है सब में दूंगा आपको पूरा, जितना आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, वह दूंगा। इसलिए अब सदन के समय में कृपया सहयोग करें और सदन के समय को बरबाद नहीं करें। आपको मौका मिल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको मौका नहीं दे रहा हूं। पर्सनल एक्सप्लेशन का मौका दे रहा हूं। यह 276 में नहीं है कि तत्काल दिया जाए। यह विद दी परमिशन आफ दी स्पीकर है और स्पीकर को यह देखना पड़ेगा that whether in the name of explanation, he is raising a debatable point. And whether any debate may ensue. आज आपका जिस तरह का आचरण रहा है उससे मुझे लगता है कि आप डिबेटेबल इश्यू बोलेंगे पर्सनल एक्सप्लेनेशन में। इसलिए मैं आज तत्काल परमिशन नहीं दूंगा, कल आपको एक्सप्लेन करने का मौका दूंगा।(व्यवधान)

आपका पाइन्ट आफ आर्डर रद्द किया जाता है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं 294 के तहत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री नरपतसिंहजी। अब आप मुझे सहयोग करेंगे (व्यवधान) मैं फिर से पार्टी के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं, कृपया मेरे साथ सहयोग कर और भाटीजी को उनके इस रवैये से चैक करें ताकि हाउस चले और फिर मुझे अपने अधिकारों का प्रयोग करना पड़ा तो अच्छा नहीं होगा, हमारे इतिहास में भी और आप लोगों को भी बुरा लगेगा। अब आप मुझे बिलकुल वाल पर लगा रहे हैं, please don't push me to the wall. आपके पाइन्ट आफ आर्डर पर मैंने डिसीजन दे दिया। Now you have got no right to speak over my decision. I have rejected your point-of-order.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

एनीकट निर्माण पर प्रतिबन्ध से उत्पन्न स्थिति

श्री नरपत सिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बीसलपुर परियोजना के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग द्वारा किसी भी योजना के निर्माण से पूर्व उसका विस्तृत द्रवित अध्ययन (हाईड्रोलोजिकल स्टडी) किया जाता है। बांध स्थल पर पानी की आवक का गहनता से अध्ययन किया जाता है एवं पानी की उपलब्धता के अनुसार ही योजना बनायी जाती है तथा लाभ लागत अनुपात निकाला जाता है। योजना का कार्य तभी हाथ में लिया जाता है जबकि योजना तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त हो (व्यवधान)। . .

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : तो मैं तो जोर सूं बोल रह्यो हूं। खेतसिंह जी साहब कह रहे हैं मुझे कि जोर से बोलो, मैं, अध्यक्ष महोदय, यह कह रहा हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने जो आरोप लगाये हैं उनकी न्यायिक जांच करवायें और जो मैंने आरोप लगाये हैं उनकी न्यायिक जांच करवायें। . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देवीसिंह भाटी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अगर वह आरोप सारे सही होंगे तो मैं इस्तीफा देता हूं और मेरे आरोप सही होंगे तो वह इस्तीफा देवें। . . (व्यवधान) . . .

श्री देवीसिंह भाटी : पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि बांधों के जलग्रहण क्षेत्र में छोटे-छोटे बांध एवं एनीकट बना दिये गये जिससे बांध स्थल पर पानी की आवक पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा एवं योजनाओं में दर्शाये गये लाभ में काफी कमी होने लगी। राज्य में कई ऐसे बांध हैं जिनसे सिंचाई सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ पेयजल भी उपलब्ध करवाया जाता है। बांधों के जलग्रहण क्षेत्र में एनीकट बनाने से न केवल सिंचाई सुविधा में कमी आयी बल्कि पेयजल की भी भारी किल्लत होने लगी जिसका कि ज्वलंत उदाहरण रामगढ़ बांध है, जिससे जयपुर शहर को पानी उपलब्ध करवाया जाता है। अतः राज्य स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि बांधों के जलग्रहण क्षेत्र में एनीकटों का निर्माण नहीं किया जाए ताकि बांध स्थल पर पानी की आवक पर विपरीत प्रभाव न पड़े एवं योजना से होने वाले लाभ में कोई कमी न हो। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि सिंचाई विभाग मनमाने ढंग से बिना किसी राजकीय स्तर पर नीति निर्धारण के एनीकटों पर रोक लगा रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, यहां बीसलपुर परियोजना पर थोड़ी सी चर्चा पिछली बार भी हुई थी। मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उन्होंने बीसलपुर परियोजना के कैचमेंट एरिया में जितना पानी माना है वह 27,000 स्क्वायर किलोमीटर और एक्चुअली कैचमेंट एरिया है वह है 29,726 स्क्वायर किलोमीटर। तो 2000 स्क्वायर किलोमीटर का अन्तर तो

(श्री नरपत सिंह राजवी)

इसके कैचमेंट एरिया में ही रखा गया है। इस 2000 स्क्वायर किलोमीटर कैचमेंट एरिया में जो पानी बरसेगा उस पानी के उपयोग के बारे में आपने क्या सोचा है? जितने भी पुराने बांध हैं उनमें सिल्ट जमा हो रही है। राजस्थान में जो प्रक्रिया अभी तक मानी जा रही है उसमें 15 प्रतिशत माना है, बीसलपुर परियोजना में 10 प्रतिशत माना है। इसका आधार क्या है? यह मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं।

इसके अलावा बीसलपुर परियोजना का मुख्य उद्देश्य पीने का पानी है, यह बात बिलकुल समझ में आती है कि पीने का पानी अजमेर को आप उपलब्ध करवाये, पीने का पानी आप जयपुर में उपलब्ध करवायें, पीने का पानी टोंक में उपलब्ध करवायें, उसमें किसी को चिन्ता नहीं है, किसी को ऐतराज नहीं है। प्रश्न सिर्फ इतना है कि क्या चित्तौड़ की जनता भी उस पीने के पानी में से खुद के लिए 2 बूंद पानी आरक्षित कर सकती है? अगर बीसलपुर परियोजना की रिपोर्ट में कुछ कमियां हैं, अगर उसके कैचमेंट एरिया में टोटल पानी जितना इकट्ठा होता है उसके केलकुलेशन में मिस्टेक है तो माननीय मंत्रीजी को इसको रि-कंसीडर करना चाहिए। 2000 वर्ग किलोमीटर एरिया के अन्दर कम से कम 2000 एम.सी.एफ.टी. पानी इकट्ठा होता है। चित्तौड़गढ़ जिले में कम से कम आप 200 एम.सी.एफ.टी. ही दे दो। चित्तौड़गढ़ का पानी बहकर बीसलपुर में आकर इकट्ठा हो और आसपास के किसानों को फायदा पहुंचे, चौकिंग होगी किसकी, चित्तौड़गढ़ के आदिवासी क्षेत्र में जो विजयपुर घाटा क्षेत्र है, कनेरा घाटा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में से पानी वहां से इनिशियेट होता है, बिगिन होता है और वहां पर हम कोई बड़े बांध के लिए नहीं कह रहे हैं लेकिन पिक-अप बेयर इस टाइप का बन जाए जिससे वाटर कंजर्वेशन वहां पर हो जाए, वहां की आबादी वहीं पर पानी पी ले, उसका सब सोइल टेरेन इस प्रकार का है कि ट्यूबवेल भी आप वहां पर लगा दें, हवा थोड़ी सी वहां पर लगेगी और...

(16.50)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, पदासीन सभापति)

वे पत्थर क्रेक होकर अन्दर गिरने लगेंगे उसकी व्यवस्था तो कोई नहीं कर पायेगा। जब तक थोड़ा सा पानी चित्तौड़गढ़ जिले के लिए भी आरक्षित न कर दिया जाए और वह भी पीने के लिए इरिगेशन के लिए फेसिलिटी आप करायें तो बात समझ में आती है लेकिन इधर के किसानों के लिए अगर आप इरिगेशन फेसिलिटी बढ़ाना चाह रहे हैं तो मैं यह चाहूंगा कि आप चित्तौड़गढ़ जिले में पानी की जितनी उपयोगिता है, उनको आवश्यकता है पानी की, उसकी भी पूर्ति पहले की जाए। मैं ड्रिंकिंग वाटर अकेले के लिए ही कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, पीने का पानी तो चित्तौड़गढ़ जिले के लिए भी चाहिये। और नेशनल वाटर रिसोर्सेज की रिपोर्ट, पहले भी मैंने पढ़कर सुनायी थी, दुबारा पढ़कर सुना देता हूं। इसमें स्पष्ट है कि "catchment area as a whole basin or sub-basin", एज ए होल को डवलप किया जाएगा, इन ए पार्ट नहीं। यह टेल एण्ड में इसको

(श्री नरपत सिंह राजवी)

लेकर के डवलप कर लिया बीसलपुर परियोजना पर और चित्तौड़गढ़ में जहां से इनिशियेट हो रहा है। अगर मस्तिष्क खाली है तो पूंछ में भी पानी आने से कुछ नहीं होने वाला है, सभापति महोदय। गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज का एक पेपर है, नेशनल वाटर पॉलिसी, इसमें अंकित है।

"There are also complex problems of equity and social justice in regard to water distribution. The development and exploitation of country's ground water resources also give rise to questions of judicious and scientific resource management and conservation."

वाटर कन्जर्व नहीं हो रहा है Basin as a whole or catchment area as a whole को डवलप नहीं कर रहे हैं, एनीकट का निर्माण भी वहां नहीं हो सकता है तो यहां पर अतिरिक्त गांवों को छोड़कर कौनसा न्याय होगा, सौशल जस्टिस कौनसी डिलीवर करने वाली है यह सरकार? इसलिए अगर गलत निर्णय हैं तो, प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने पहले भी समर्थन दिया था, चोंक उन किसानों को भी नहीं करना है। थोड़ा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसमें केबिनेट सब कमेटी का गठन भी हो गया लेकिन मीटिंग एक बार भी नहीं हुई, 15 दिन के अन्दर रिपोर्ट देने वाले हैं। हाउस अभी चल रहा है, हाउस चलेगा तब तक रिपोर्ट आने वाली नहीं है तो बीसलपुर परियोजना का निर्णय कब हो एक सर्वे मैंने भी मेरे एक रिटायर्ड मित्र हैं उनसे करवाया था था। पहले 425 मिलियन क्यूबिक मीटर एलोकेशन था बीसलपुर परियोजना के लिए और इरिगेशन राइट बैंक 425 मिलियन क्यूबिक मीटर, मैं तो 400 एम.सी.एफ.टी. भी नहीं मांग रहा हूं। उस क्षेत्र में अगर फोरेस्ट कन्जर्व नहीं होगा, सोइल कंजर्वेशन अगर नहीं होगा तो बरसात भी नहीं होगी और बीसलपुर डेम का डेम ही रह जायेगा, बरसात का पानी भी नहीं आने वाला है। पिकअप वेयर्स बनेंगे तो कम से कम उनका फ्लो रेगूलेट हो जाएगा। फ्लो रेगूलेट होगा तो जितनी भी उसमें सिल्ट आ रही है, आज की तारीख में चित्तौड़गढ़ के आस-पास के क्षेत्र में कम से कम 5 फीट सिल्ट नदी के अन्दर जमा है। अगर यही रेट रही तो नदी का पेटा तो ऊपर हो जाएगा और साइड से पानी निकल जाएगा। इन सारे मैटर्स को, कम्प्लेक्सिटी को देखते हुए सरकार को इसको रिकंसीडर करना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए रि-कंसीडर करें लेकिन एडिशनल इरिगेशन फेसिलिटी वहां पर प्रोवाइड की जाए या वाटर कंजर्वेशन इस क्षेत्र में कर लिया जाए इरिगेशन फेसेलिटी सैकण्डरी हो, वाटर कंजर्वेशन से यहां के किसानों को पीने का पानी मिल जाए, आज स्थिति यह हो रही है कि वहां के गांव खाली होने की स्थिति में हैं। अगर महीने-डेढ़ महीने में पूरी व्यवस्था नहीं होती है तो गांवों का पलायन होगा। वाटर कंजर्वेशन तो एक नेसेसरी आसपेक्ट हो गया। वहां पर एक सीमेन्ट फैक्ट्री लग गयी है, 10-5 इन्होंने ट्यूब वैल भी लगा दिये। 250 फीट तक पानी नाम की चीज नहीं है। किसानों की

(श्री नरपत सिंह राजवी)

मोटर ऊपर लटकी हुई है, चलाओगे तो हवा निकलेगी, पानी आने का तो सवाल ही नहीं है। पटवारी से रिपोर्ट करवा दी उन्होंने आर.एस.ई.बी.वालों को जमा करा दिये कागजात, ऐसी स्थिति में वाटर कंजर्वेशन की जो आवश्यकता है, उस पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 15 दिन का समय खतम होने वाला है, केबिनेट सब कमेटी, जिसको माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गठित किया है, उसको शीघ्र बुलाकर उस पर तुरन्त कार्यवाही करने की व्यवस्था करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रमाकान्त शर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा : यह बीसलपुर का मामला है...

श्री सभापति : आपको भी अलाऊ करूंगा, पहले जिन माननीय सदस्यों ने·· (व्यवधान)

श्री रमाकान्त शर्मा : सभापति जी, माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने यह बताया कि एनीकट बनाने से जहां बांध हैं, उन बांधों से सिंचाई होती है, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और किन्हीं-किन्हीं जगहों में पेयजल का भी संकट आ जाता है। रामगढ़ के अन्दर पानी नहीं आया था, 2-1 साल पहले और जयपुर के अन्दर पेयजल का संकट आ गया था, तो उसके बाद सिंचाई विभाग ने इस प्रकार की बात सोची। मामला जब किसी शहर का आता है तो एकदम संकट सामने आया, लोग-बाग उसी समय उसका कोई न कोई सोल्युशन निकालने की कोशिश करते हैं परन्तु गांव में जब कोई संकट आता है तो किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगती ऐसे कितने ही गांव हैं पूर्वी राजस्थान के अन्दर जिनका जल स्तर पिछले 10 वर्षों के अन्दर 100 फीट से ज्यादा नीचे उतर गया। ऐसे कितने ही गांव हैं जिनकी मैं यहां पर चर्चा कर सकता हूं, जिस गांव के अन्दर 50 कुएं हैं, वे 60 के 50 कुएं बिल्कुल सूख गये, उनमें केवल मात्र मिट्टी है। उनमें बोरिंग करने पर और 100 फीट खोदने के बाद में पानी मिल रहा है और एक प्रकार से राशन से गांव के लोग पानी पीते हैं, परन्तु चिन्ता नहीं होती बिल्कुल भी। प्रश्न यह है कि कुछ जो शहर हैं, उन शहरों को 24 घंटे पानी देने के लिए बांध बनाकर उनको पेयजल योजना पर ज्यादा ध्यान दिया जाए या प्रश्न यह है कि सारे के सारे राजस्थान में जहां-जहां पानी जितना बरस रहा है, उसके भाग को उनके पीने के लिए सुरक्षित किया जाए। यह बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं एक उदाहरण देकर के, आज से 40 साल पहले मैंने अपनी आंखों से देखा था, सूरतगढ़ के पास कुओं में जो जल था 260 फीट गहरा था मैंने खुद नापा था उस समय और ज्योंहि इन्दिरा गांधी कैनाल बनकर या गंग कैनाल से पानी उधर आया, वहां पर पानी 20 फीट तक रह गया और शायद और भी ऊंचा हो गया पानी। तो जहां कहीं पानी पास में रुकता है, निश्चित ही कुओं के अन्दर पानी बढ़ जाता है। अब यदि गांवों के अन्दर एनीकट नहीं बनायेंगे और वहां पर गांव के सभी कुएं सूख जाएंगे और एक स्थिति यह आ जाएगी कि पेयजल भी उपलब्ध नहीं होगा और साथ ही सिंचाई के लिए भी गांवों में पानी उपलब्ध नहीं होगा और गांवों की जो सारी की सारी जमीन है वह रेगिस्तान में परिवर्तित

(श्री रमाकान्त शर्मा)

हो जाएगी। कुछ बांधों के अन्दर जो पानी बहकर रुक जाता है और वहां से ओवर-फ्लो होकर हमारे क्षेत्र से बाहर निकलता है, हमारे स्टेट से बाहर निकल जाता है, हमको उसके बारे में ज्यादा चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है, चिन्ता गांवों की करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय नेशनल वाटर कंज-र्वेशन पॉलिसी बहुत क्लियर है, इस बार जहां कहीं पर भी जितना भी पानी बरसे, उसी के तहत एक योजना है जल ग्रहण विकास योजना। जल ग्रहण विकास योजना के तहत भारत सरकार पैसा देती है राज-स्थान सरकार भी पैसा देती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जहां पर पानी बरसे उसे वहीं रोका जाए। पिछले 40 वर्षों से राजस्थान के अन्दर चल रही है किसी न किसी प्रकार की योजना, शुरू-शुरू में मेड़बन्दी के नाम से चली थी। खेत के चारों तरफ जो मेड़बन्दी की जाए खेत में जो पानी है, वह खेत में ही रह जाए और उसी का विस्तार जल ग्रहण क्षेत्र विकास योजना है, जहां पर भी पानी बर-सता है, वहां पर जितना सम्भव हो सके, उस पानी को वहां पर रोका जाए और रोककर वह नीचे जमीन के अन्दर रिचार्ज हो और जमीन के अन्दर, कुए के अन्दर पानी हो ...

श्री सभापति : आ गया आपका, माननीय सदस्य।

श्री रमाकान्त शर्मा : नहीं, मैं एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं कि बड़े-बड़े बांधों के अन्दर भी जो पानी जाता है, उसका आधा पानी भाप बनकर उड़कर जाता है, परन्तु मुझे सिचाई मंत्री जी बतायें कि बड़े बांधों के जल ग्रहण क्षेत्र से एनीकट रोके गये हैं, उससे कितना सा पर्सेन्टेज रुकता है, कोई विशेष पर्सेन्टेज नहीं रुकता है।

(17.00)

अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि सारा हिन्दुस्तान किसी एक बहुत बड़े कैचमेंट एरिया का भाग है। अल्टीमेटली सारा पानी समुद्र में जाता है या हमारी जो 7 नदियां हैं उनसे जाता है। यदि गंगा पर या यमुना पर बांध बन रहा है जिसके कारण से राजस्थान के अंदर बांध न बनाने दिया जाए या कोई एनीकट नहीं बनाने दिया जाए तो जनता के साथ बड़ा भारी अन्याय होगा। इसलिए एनीकट का जो प्रश्न है उससे मुख्य प्रश्न इस बात का है कि जहां भगवान पानी बरसाता रहा है उसका सबसे पहले उपयोग का अधिकार उन क्षेत्रों को है न कि दूसरे क्षेत्रों को।

श्री सभापति : श्रीमती तारा भण्डारी। प्रश्न पूछिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : प्रश्न ही पूछूंगी। परन्तु कभी तो बोलने का अवसर दीजिये, सभापति महोदय, हमारे सिरोही जिले में..

श्री सभापति : सिरोही जिले का मामला नहीं है।

श्रीमती तारा भण्डारी : मैं सिरोही पर ही बोलूंगी।

श्री सभापति : बिराजिये, सिरोही नहीं।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, सिरोही जिला पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ

(153)

(श्रीमती तारा भण्डारी)

है। कैचमेंट एरिया बहुत है परन्तु वहां का हजारों एम.सी.एफ.टी. पानी मैं आपको संख्या बता सकती हूं कि 9218 एम.सी. एफ.टी. पानी व्यर्थ बहकर चला जाता है। दूसरी तरफ स्थिति यह है कि सिरोही में पीने का पानी नहीं है। 119 गांव ऐसे हैं जिसमें एक्सेस फ्लोराइड होने से वहां के लोग दिन-प्रतिदिन विकलांग होते जा रहे हैं। सभापति महोदय, आपको हंसी आ रही है परन्तु मुझे रोना आता है, कुल 119 गांवों में जहां विकलांग होते जा रहे हैं वहां उन गांवों में लोग लड़की भी नहीं देते, लोग कुंवारे रहने लग गये, यह स्थिति है।

श्री शांतिलाल चपलोत : मुझे खेद है आपको कैसे दे दिया।

श्रीमती तारा भण्डारी : मैं सिरोही में रहती हूं, क्षमा करें मुझे। हम महिलाओं को कभी-कभी अवसर मिलता है। सभापति महोदय, 119 गांवों में फ्लोराइड की समस्या है जहां पानी देने की बहुत आवश्यकता है। दूसरी तरफ, मैं शिवगंज की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहती हूं। वहां दिन-प्रतिदिन कुंए सुखते जा रहे हैं·· (व्यवधान)·· जरा सी बात है। आप हमारी बात को सुन नहीं सकते।

श्री सभापति : आप मेरी बात सुन लें

श्रीमती तारा भण्डारी : उन कुओं को जब आगे खोदते हैं तो कोलेप्स हो जाते हैं और अधिकतर घटनाएं राजस्थान में कुओं के कोलेप्स होने की शिवगंज में हुई हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहती हूं कि मेरे जिले की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पानी जैसे ही बरसात के रूप में गिरता है बहकर चला जाता है। अब वहां छोटे-छोटे एनीकट और छोटे-छोटे बांधों की योजना बनायी जाए ताकि गांवों को पेयजल मिलेगा और कुओं का जल स्तर बढ़ेगा। हमारे जिले की छोटी-छोटी योजनाएं सिंचाई की बनी हुई हैं। या तो वे बांध फूटे थे और फूटे ही पड़े हैं। 1990 में कमेरी बांध फूटा था, उसकी जांच हुई। 4 साल से जांच चल रही है। जब पूछा कि जांच का क्या हुआ तो कहा, कोई दोषी नहीं। मुझे लगता है, सभापति महोदय, वह बांध ही दोषी था जो फूट गया अब उसके फीडर पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। जब बांध में पानी का कलेक्शन नहीं हो रहा तो फीडर पर यह लाखों रुपया सरकार क्यों खर्च कर रही है? इसलिए आज इस सदन के माध्यम से निवेदन है कि जो कमेरी बांध टूट गया था उसे वापस तैयार करायें। करोरी बांध बालूर को तैयार करायें, लून बांध को तैयार करायें, जावल बांध। इनके नाम तो बांध है लेकिन ये छोटे-छोटे एनीकट जैसे ही हैं। हमारे यहां के सिंचाई विभाग के अफसर बांधों के नाम से ज्यादा राजी होते हैं तो उन्होंने नाम भले ही बांधों का दिया है परन्तु ये छोटे-छोटे एनीकट हैं। कैलाश नगर एनीकट बांध को अगर बनाया जाएं जिसका वर्षों से काम चल रहा है तो वहां के चारों तरफ के कुएं चार्ज होंगे और फ्लोराइड की समस्या कम होगी। सबसे ज्यादा फ्लोराइड पानी शिवगंज में है। एक गांव का नाम और बताऊं, सगालियां गांव में अगर आप सर्वे करा लें वहां के 75 पर्सेन्ट लोग आपको कूबड़े और टेढ़े-मेढ़े मिलेंगे। ऐसी स्थिति कई गावों की है। सारे फोटोग्राफस मैं साथ लायी हूं आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। लोग चौपाये पशुओं की तरह चल रहे हैं। मेरा सदन के माध्यम से इतना ही निवेदन है कि हमारे यहां से जो 9-10 हजार एम.सी.

(श्रीमती तारा भण्डारी)

एफ.टी. पानी व्यर्थ में बहकर चला जाता है उसको जल संग्रहण योजना के अन्दर या सिंचाई विभाग के तहत या अकाल राहत के तहत या किसी भी जर्मनी, जापान या किसी और स्कीम के तहत आप लेना चाहते हैं, लें ताकि कुओं का जल स्तर बढ़ेगा और लोगों को पेयजल मिलेगा, सिंचाई की सुविधा मिलेगी, प्लांटेशन होगा और पहाड़ियां हरी–भरी होंगी तो भविष्य में अकाल पड़ने की संभावना नहीं होगी।

श्री सभापति : श्री राजपाल सिंह शेखावत (अनुपस्थित), श्री शांतिलाल खोईवाल (अनुपस्थित)। पहले जिन माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण दिया है उनका नाम पुकारूंगा, उसके बाद में आपका नाम लूंगा।

श्री शांतिलाल चपलोत : शांतिलाल जी बीसलपुर पर ही बोलना चाहते थे और मुझे भी बीसलपुर के बारे में कुछ कहना है।

श्री सभापति : मैं पुकारूंगा। पहले जिन सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है उनके नाम पुकारूंगा, उसके बाद आपको पुकारूंगा। बिराजिये।

श्री शांतिलाल चपलोत : शांतिलाल जो जिस एरिया के बारे में बोलना चाहते हैं वह आधी तहसील मेरी है और आधी तहसील उनकी है।

श्री सभापति : श्री ओमप्रकाश शर्मा। (अनुपस्थित) श्री भीमराज मीणा, (अनुपस्थित) श्रीमती मीना अग्रवाल। देखिये, यह विषय बीसलपुर का नहीं है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस राज्य में जो छोटे–छोटे एनीकट बनाने पर प्रतिबंध है उसके बारे में है। बीसलपुर का प्रस्ताव नहीं है। राज्य में नदी–नालियों पर एनीकट निर्माण पर लगाये जा रहे प्रतिबंध से उत्पन्न स्थिति की ओर सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे, उस पर है। श्री मांगीलाल मेघवाल।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। सिंचाई विभाग एनीकट्स बनाने के लिए पाबंद कर रहा है। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां बांध के कैचमेंट एरिया हैं और उसके अलावा जो क्षेत्र है अगर उसमें एनीकट नहीं बनाये जाएंगे तो कितना पानी फालतू बहकर जाता है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, निवेदन कर दूं आपको, संपूर्ण एनीकट्स पर प्रतिबंध की बात नहीं है।

श्री मांगीलाल मेघवाल : सिंचाई विभाग ने लगा दिया।

श्रीमती तारा भण्डारी : स्वीकृति नहीं है सिंचाई विभाग की, एनीकट बनाने की। हमारे सारे एनीकट्स कैंसिल हो गये।

श्री सभापति : चलिये-चलिये, मान लिया आपकी बात को बोलिये मांगीलाल जी।

श्री मांगीलाल मेघवाल : उस क्षेत्र में जहां फालतू 5-5, 10-10 किलोमीटर के नाले बहकर नदियों में जा रहे हैं और उस क्षेत्र में भारी कटाव हो रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में चंबल की नहरों का जो फालतू पानी बहता है वह 10 महीने

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

तक बहता रहता है जिससे भारी कटाव हो रहा है। वहां अगर एनीकट बनाकर पानी रोका जाएगा तो कटाव रुकेगा। उस क्षेत्र में जमीन बचेगी। 12 महीनों पानी बहता है, बरसात में भारी कटाव हो रहा है। यह जो प्रतिबंध लगाया है उसके लिए मेरी मांग है कि ऐसा प्रतिबन्ध हटाया जाए और एनीकट्स के जितने भी फायदे मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताये हैं, उनका उपयोग पानी के लिये, कुओं के जल स्तर के लिए, कटाव के लिए और भूमि की उर्वरा शक्ति बनाने के लिए हो। यही मेरी मांग है, सरकार इसको मंजूर करे।

श्री सभापति : श्री हरिसिंह सोढ़ा (अनुपस्थित), श्री अमरचन्द मिड्ढा (अनुपस्थित), श्री पूराराम चौधरी (अनुपस्थित), श्री प्रतापसिंह सिंघवी (अनुपस्थित), श्री कन्हैयालाल पाटीदार।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा): सभापति महोदय, मेरे पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में डार्क जोन लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर एनीकट्स पर रोक लगा दी गयी तो वहां के किसानों के साथ भारी अन्याय होगा। जैसा, सभापति महोदय, आपने बताया कि सारे एनीकट्स पर रोक नहीं है तो इस बाबत मंत्री महोदय स्पष्ट कर दें तो हमें संतोष होगा और यदि ऐसा है कि संपूर्ण राजस्थान में एनीकट्स पर रोक लगायी जा रही है तो मेरे पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के साथ विशेष रूप से अन्याय होगा। वहां कुओं में पानी नहीं, जमीन के नीचे पानी नहीं है। सरकार ने कुएं खोदने पर रोक लगायी हुई है। ऐसी अवस्था में एनीकट्स के ऊपर ही किसान जिन्दा रह सकते हैं। मेरे क्षेत्र में पानी की कोई परियोजना नहीं है। एक बांध परियोजना अभी-अभी स्वीकृत हुई है उसे पूर्ण होने में 10-12 साल लग जायेंगे। इस दरम्यान किसान केवल एनीकट्स पर निर्भर रह सकते हैं, तालाबों पर निर्भर रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में मेरे क्षेत्र में एनीकट्स पर रोक नहीं लगायी जाए। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री गुलाब सिंह जी।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : सभापति महोदय, मेरा 295 में नाम नहीं पुकारा गया। सबके नाम ही नहीं पुकारे गये।

श्री सभापति : बोले जा चुके हैं। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : हम यहीं बैठे थे। क्या समय गया ? मैं सभापति महोदय से पूछ रहा हूं। मेरा नाम ही नहीं पुकारा गया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, 295 के नाम पुकारे गये हैं।

श्री रिछपालसिंह मिर्धा : मेरा नाम नहीं पुकारा गया है, मैं यहीं बैठा था।

श्री सभापति : पुकारे गये हैं और अब ध्यानाकर्षण चल रहा है। 295 का रह गया तो आप माननीय अध्यक्ष से बात करके कल लगवा लें दुबारा।

श्री हरजीराम बुरड़क : जो रह गया उनको पढ़ा हुआ मान लिया जाए, यह तो व्यवस्था कर सकते हैं।

श्री सभापति : यह व्यवस्था मैं नहीं कर सकता क्योंकि उस समय सबकी व्यवस्था एक साथ होती तो मैं कहता। आप बिराजें। श्री गुलाब सिंह (अनुपस्थित), श्री चुन्नीलाल गरासिया (अनुपस्थित), श्री राकेश मेघवाल (अनुपस्थित), श्री प्रभुराम गरासिया। श्री अर्जुन लालजी जीनगर।

श्री रामस्वरूप मीणा : बिल्कुल तैयार है साहब, आप व्यवस्था दें।

श्री सभापति : आप बोलिये राम नारायणजी। उसकी व्यवस्था मैं करूंगा, आप बिराजो।

श्री रामनारायण (नैनवां) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्रीजी से कुछ जानकारी चाहूंगा और कुछ स्पष्टीकरण भी चाहूंगा।

श्री शिवनाथ सिंह : सभापति महोदय, हमारी भी पर्ची दी हुई है।

श्री रामनारायण : चूंकि यह जो मामला है वृहत सिंचाई योजनाओं का और लघु सिंचाई योजनाओं का, यह केवल राजस्थान का नहीं है। हमारे कितने ऐसे डेम्स बने हुए हैं जैसे गांधीसागर है, हम कहते आये हैं कि मध्य प्रदेश हमारे साथ ज्यादती बरत रहा है और वर्षों से इस मामले में डिस्प्यूट चल रहा है, चूंकि मामला यहां चित्तौड़गढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस ढंग से उठाया है, इस बीसलपुर का नाम लेकर उठाया है, हो सकता है वह बीसलपुर के मामले में ज्यादा इन्टरेस्टेड हों, लेकिन चित्तौड़गढ़ की जितनी उसमें उत्सुकता नहीं है उससे ज्यादा पूर्वी राजस्थान के लोगों को उत्सुकता है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ के मामले की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस मामले की बात कर रहा हूं कि जयपुर जैसी राजधानी उस मामले में उत्सुक है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बीसलपुर का मामला नहीं है। एक तो इस मामले में देखें कि किसी के प्रभाव में हाउस में कोई आये नहीं। चूंकि बीसलपुर परियोजना जो है उसको भारत सरकार ने जो योजना दी, उस योजना के स्वरूप को बिगाड़ा जा रहा है और सभापतिजी, बहुत अहम मसला है, अरबों रुपये की योजना है, उसमें से कुछ गांव काटे जा रहे है। इस मामले में चूंकि पहले भी हाउस में काफी डिस्कशन हो चुका है इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह कर इतना कहना चाहूंगा कि जयपुर जैसे शहर को पानी देने की बात बीसलपुर से सोची जाती है जब कि माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने, जो भी उस समय काम देख रहे थे, एक बात कही थी इस हाउस में, कि इशरदा बांध है वहां से जयपुर को पानी दिया जाएगा। माननीय मंत्रीजी · · ·

श्री सभापति : वह सब्जेक्ट नहीं है, माननीय रामनारायणजी।

श्री रामनारायण : हां, बिल्कुल। मैं ज्यादा लम्बा नहीं कर रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि माननीय मंत्रीजी को इस मामले में जानकारी पूरी है। गांव वाले लोग आये और माननीय मंत्रीजी ने आश्वासन दिया है, सभापति महोदय, इनके आश्वासन की क्रियान्विति मौके पर नहीं हो रही है। मैं एक बात इसलिए इस मामले में फिर निवेदन करना चाह रहा

(श्री रामनारायण)

हूं कि माही में जहां 60 फीट कटिंग पर नहरें खोदी गयी हैं, बीस फीट कटिंग पर आपके सारे काश्तकार जुत सकते हैं और हमारा सौभाग्य है कि आज सिंचाई मंत्रीजी किसान का हित चाहते हैं, गरीब तबके का हित चाहते हैं। जिस इलाके में हमेशा अकाल पड़ता है वह उनियारा का इलाका हो, वह बूंदी जिले का नैनवां हो या कोई भी इलाका हो, देवली का इलाका हो, उस इलाके में अकाल पड़ता है। माननीय सिंचाई मंत्रीजी, ईश्वर ने आपको मौका दिया है, अधिकारी लोग आपकी भावना की कद्र नहीं कर रहे हैं...

श्री सभापति : विराजें। श्री शांतिलाल चपलोत।

श्री रामनारायण : जनता की कद्र नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो सर्वे है उस सर्वे को आप करें, तब तक आप आदेश दें..

श्री सभापति : यह विषय सदन में आ चुका है माननीय सदस्य, आप बिराजिये। श्री शांतिलाल चपलोत।

श्री रामनारायण : मैं एक प्रश्न और करना चाहूंगा।

श्री शांतिलाल चपलोत(मावली): सभापति महोदय, मैं सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान..

श्री सभापति : आप बिराज जाएं। चपलोत साहब पूछिये।

श्री रामनारायण : सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं चूंकि यह..

श्री सभापति : आप विराज जाएं। मैने उनको पुकार लिया। यह विषय आ गया है सदन में।

श्री रामनारायण : आप मेरी बात तो सुनेंगे। कितना टाइम दिया है आपने, मैं आपसे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं..

श्री सभापति : आपको टाइम देना जरूरी नहीं था लेकिन मैंने दे दिया आपको।

श्री रामनारायण : मैं बैठ जाऊंगा; लेकिन मुझे एक प्रश्न करने का वक्त दें।

श्री सभापति : नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। श्री शांतिलाल चपलोत, बोलिये। अंकित नहीं करें इनका।

श्री रामनारायण : XXX

श्री शांतिलाल चपलोत : सभापति महोदय, उदयपुर व राजसमंद दोनों जिले सबसे ज्यादा अकाल से प्रभावित हैं..

श्री सभापति : आपका अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य। आप बिराज जाइये। आपको मैंने बिना ध्यानाकर्षण के परमीशन दी। आप सुनिये, यह विषय पहले सदन में आपका आ चुका है। जो विषय सदन में एक बार आप उठा चुके हैं उनको बार-बार किसी भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। आप बिराज जाएं। श्री शांतिलाल चपलोत बोलिये।

श्री रामनारायण : XXX

श्री सभापति : मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। माननीय शांतिलालजी चपलोत।

XXX अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री शांतिलाल चपलोत : सभापति महोदय, सारे राजस्थान में अकाल की स्थिति है और उदयपुर व राजसमंद जिले में इस वक्त अकाल बहुत भयंकर है। रेलमगरा तहसील में मात्र चार इंच बरसात हुई है। जो कभी सरसब्ज इलाका कहा जाता था, आज सूख गया है। ढाई–तीन सौ फीट तक पानी उपलब्ध नहीं है। सारे गांव में पीने के पानी की त्राहि–त्राहि मची हुई है। ऐसे में राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला कि माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट के और बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट के बीच में आने वाले कहीं पर भी कोई एनीकट निर्माण नहीं किये जाएंगे। सभापति महोदय, जैसे-जैसे एनीकट बनेंगे, पानी का रिसाव अन्दर होगा और जल स्तर बढ़ेगा, कुओं का भी जल स्तर बढ़ेगा, हमारे यहां सारे के सारे काम बंद कर दिये गये हैं। जो काम लाखों और करोड़ों रुपये लगा कर बनाये हुए हैं वह सब काम धराशाही हो जायेंगे, अबकी बरसात में, सरकार का पैसा भी व्यर्थ जाएगा और आज जो लोग अकाल की विभीषिका से जूझ रहे है वह कहेंगे कि इस अकाल में हमारे एनीकट, बन सकते थे, एनीकट ठीक हो सकते थे, उसकी दुरस्ती का कोई कार्यक्रम हाथ में नहीं लिया। मैं सिंचाई मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करें। बीसलपुर के नाम से जो तीन सौ किलोमीटर दूर है, हमारे यहां से साढ़े तीन सौ किलोमीटर दूर है बीसलपुर उस बीसलपुर के नाम पर आज कोई एनीकट न तो बनने दिया जा रहा है, न उसको दुरुस्त करने दिया जा रहा है और कोई टूट–फूट हो गई है तो उसकी मरम्मत का कोई साधन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से, अकाल राहत मंत्रीजी से, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से एनीकट पर रोक लगाई गई है उस पर पुन:विचार करें और अभी अकाल का समय है, तीन महीने में वह एनीकट बनकर पूरे हो जायेंगे और दो महीने बाद यदि आप आर्डर निकालेंगे, आधा पैसा खर्च होगा, आधा यों का यों रह जाएगा और समस्या ज्यों की त्यों रह जाएगी। इसी तरह से मैं सिंचाई मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि इस पर पूरी गम्भीरतापूर्वक विचार करें। मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : विराजिये। श्री शिवनाथसिंह जी।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, मैं भी हूं।

श्री सभापति : आपको पुकारा था, आप नहीं थे।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : सभापति महोदय, एनीकट की एक योजना चालू की गयी थी, काफी सोच समझ कर चालू की गयी थी, इसके फायदे भी थे, जहां पानी बह कर नदी-नालों में जाता था····

श्री किशन मोटवानी : सभापति महोदय, मैं भी हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : उसको रोक कर सब सोइल वाटर उठता था, जमीन का कटाव रुकता था। पता नहीं इस राज्य सरकार को क्या सूझा कि किन्हीं बांधों का नाम लेकर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा, जयपुर के बांध का आया, और दूसरे बांध का आया, उनके क्षेत्र में पड़ने वाले एनीकट को यदि बांधने की इजाजत देते हैं तो उनके भराव में दिक्कत आती है। यह बात सोचने लायक है, सोची जा सकती है। लेकिन ऐसे क्षेत्र जहां कोई बांध नहीं है, दूसरी कोई बात नहीं है, वहां भी सब एनीकट बंद कर दिये

(श्री शिवनाथसिंह)

गये तो ऐसी स्थिति आयेगी जिससे कि सब सोइल वाटर जो ऊपर आने वाला था, कुओं का जल स्तर बढ़ने वाला था, उनमें कमी आयेगी और जो काम किये गये हैं वह बेकार होंगे। इसलिए सभापति महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेकर माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आपने अपने मन में यह सोच लिया होगा या विचार कर लिया होगा कि एनीकट की छूट हम दूसरी जगह दे रहे हैं लेकिन न तो आपके आदेश पहुंचे हैं, अभी दो-तीन रोज पहले तक न तो आपके कोई आदेश पहुंचे हैं और न वहां जिला राहत कमेटियां हैं उनमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था हो पायी है क्योंकि अधिकारी कहते हैं कि हमको तो एनीकट बनाने पर पाबंदी है। इसलिए आप अपने मन में या आफिस में इस आदेश को न रखें और जिलों तक आदेश को पहुंचाये। जैसे अभी चपलोत साहब ने कहा, अकाल का समय है, अकाल के दो-तीन महीने में काम बंद हो जाएगा, इसलिए इस समय में हम इन एनीकट्स को बांध कर जनता के उपयोगी बना सकें, इस प्रकार की व्यवस्था करें। जैसे पहले भी मैंने निवेदन किया था, अकाल राहत मंत्रीजी ने कहा हमने आइडेंटिटी कार्ड की व्यवस्था बंद कर दी है और आज बीस रोज के बाद भी वह आदेश वहां नहीं पहुंचे हैं. इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपने यह तय कर लिया है कि बड़े बांधों के अलावा दूसरे क्षेत्र में पड़ने वाले एनीकट बांधे जाएंगें उन पर कोई रोक नहीं है तो कृपया इसके आदेश जिलों तक पहुंचायें।

श्री सभापति : श्री कन्हैया लालजी।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री सभापति : आपको बाद में दूंगा, कन्हैयालालजी को पुकारा है।

श्रीमती तारा भण्डारी : पाइंट आफ आर्डर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कौन से नियम में है?

श्री सभापति : व्यवस्था का प्रश्न आ गया है। हां, बोलिये।

श्री टीकमचन्द कांत : सभापति महोदय, मेरा नाम आयेगा क्या?

श्री सभापति : हां बोलिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय. अभी जो नियम 131 का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चल रहा है उसका विषय है-राज्य में लगायी गयी एनीकट निर्माण पर रोक के सम्बन्ध में।

श्री सभापति : हां, यहीं है।

श्रीमती तारा भण्डारी : तो इसका रिलेशन बीसलपुर के आधार पर बनाया गया है पर पूरे राज्य में रोक लगायी गयी है, सभापतिजी।

श्री सभापति : इसलिए तो आपको अनुमति दी।

श्रीमती तारा भण्डारी : मेरा पाइंट आफ आर्डर यही है कि जब मैं सिरोही पर बोल रही थी तो आपने रोक कर अन्याय किया है, इसकी व्यवस्था दें।

श्री सभापति : मैंने बाद में परमीशन दे दी।

श्री कन्हैयालाल मीणा(बस्सी): सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा जो एनीकट पर रोक लगायी गयी है, जयपुर जिले में करीब 193 एनीकट पिछले सालों में बनाये गये और उनमें से 85 एनीकट ऐसे हैं जिनमें पांच लाख से लेकर सोलह लाख रुपये तक प्रति एनीकट खर्चा आया है। उन एनीकट्स से विधान सभा क्षेत्र बस्सी में 33 एनीकट ऐसे हैं जिन एनीकट्स में से नौ एनीकट ज्यादा भराव पानी का आ जाने से टूट गये हैं और उनमें लगभग एक लाख रुपये वापस लगाकर के, प्रत्येक एनीकट पर, उन पर टूटे हुए पर, 10 लाख से लेकर के 16 लाख रुपये तक का खर्चा है और एक-एक दो-दो लाख रुपये में वह वापस ठीक हो सकते हैं, लेकिन जब विभाग से उसके बारे में पूछा गया तो विधान सभा प्रश्न के जवाब में भी उन्होंने यह लिखा है कि इसमें अन्य सिंचाई योजनाओं के पानी का भराव कम होता है, जबकि वहां आस-पास में 100 किलोमीटर के एरिये में ऐसी कोई लघु सिंचाई योजना नहीं है, जिसमें उन एनीकटों का पानी वहां जाता हो, इसलिए बस्सी विधान सभा क्षेत्र के जो एनीकट हैं, मैंने वैसे विभाग को लिख भी दिया है, सिंचाई मंत्री महोदय को भी लिख दिया है कि एनीकट जिन पर मात्र एक लाख या दो लाख रुपये लगे, अकाल के तहत स्वीकृत किये जाकर, केवल इनको पूरा किया जाए, तो ऐसा कोई एनीकट नहीं है, जिससे आगे की सिंचाई योजनाएं हैं, उनको इससे कोई खास प्रभाव पड़ता हो। 100 किलोमीटर के एरिये में, क्योंकि पूरा जयपुर जिला डार्क जोन से ग्रसित है और यह बस्सी विधानसभा क्षेत्र के जिन गांवों में यह एनीकट बने हुए हैं वहां आज पानी की कमी की वजह से वह डार्क जोन है और वहां पर कुओं में पानी नहीं है पेयजल की गम्भीर समस्या है।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री कन्हैयालाल मीणा : इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो रोक लगायी गयी है, वह रोक हटायी जाए और उनका सर्वे कराया जाए जो गलत जवाब विभाग की तरफ से मिला है, उसकी जांच करवा करके इन एनीकट्स के निर्माण कार्यों में जो एक लाख या दो लाख की स्वीकृति दी जाए वह दिलायी जाकर के पूरा कराया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री किशन मोटवानी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : माननीय सभापति जी, इस विषय पर चित्तौड़गढ़, बीसलपुर परियोजना तीन बार इस सदन में चर्चा उठ चुकी है और उठाने वाले भी वर्चस्व वाले विधायक हैं, जो चित्तौड़गढ़ से आते हैं. .

श्री सभापति : सभी सदस्यों का वर्चस्व है, माननीय सदस्य।

श्री किशन मोटवानी : इनका बहुत बड़ा वर्चस्व है। आज इस सदन में कहा गया न तो इनके वर्चस्व को माननीय मुख्य मंत्रीजी की आवश्यकता है, न मुख्य मंत्री जी को इनके सहारे की आवश्यकता है किन्तु मुझे भय है। मैं भय शब्द को इंग्लिश में एप्रिहैंशन की बात कहता हूं परिभाषित करता हूं, एप्रिहैंशन इसलिए कि कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं चल रहा। मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री, अजमेर से आने वाले सोनगराजी को, सतर्क रहे है, मैं आग्रह करूंगा मेघवालजी को कि आपने

(श्री किशन मोटवानी)

भी अजमेर का प्रतिनिधित्व किया है और अजमेर की पेयजल की स्थिति आपसे छिपी नहीं है और किन-किन परिस्थितियों में इस पेयजल परियोजना पर कार्यवाही शुरू हुई थी, आपसे छिपी नहीं। मैं उसके विगत में नहीं जाऊंगा और मैं आपको आगाह इस बात पर करता हूं कि कहीं कुछ षड्यंत्र चल रहा है। मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा, जो आपने स्टेटमेंट दिया है, वह दृढ़ स्टेटमेंट है और मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस स्टेटमेंट पर अडिग रहें। और आपको आने वाली कमेटी बैठने वाली है, उसमें आप अगर अन्य एनीकट्स के बारे में,जो किसी बड़े बांध से, बड़ी बड़ी परियोजना से जुड़े नहीं है खुलते हैं। एक प्रिंसिपल की बात है, एक सिद्धांत की बात है, उस सिद्धांत को आप उस तरह तय कर लें, हमें कोई एतराज नहीं है, किन्तु जहां पर आज आप बीसलपुर परियोजना पर 150 करोड़ खर्च कर चुके हैं, 25 करोड़ और खर्च होने हैं, पौने दो सौ करोड़ रुपये इस परियोजना पर बाई दी मंथ ऑफ जुलाई ऑफ दिस इयर, आपके चाहे फाइनेंस बजट में, चाहे गवर्नर के भाषण में अगला वर्ष लिखा है, किन्तु मैं उसको मानता हूं जुलाई, 94 इज दी लास्ट मंथ, जब तक बीसलपुर आयेगी, तब तक आपके पौने दो सौ करोड़ रुपये इस पर खर्च हो जाएंगे और व्यर्थ हो जाएंगे अगर इस तरह की आपने अनुमति दी कि चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में कोई एनीकट बन जाए। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं और उन दोनों मंत्रियों से भी मैं आग्रह कर चुका हूं कि वह सतर्क रहें- इस एप्रिहैंशन को जो अजमेर की जनता को हर बार, जब भी यहां यह बीसलपुर, विस ए विस चित्तौड़गढ़ उठता है, भय वहां पैदा हो जाता है, यह कृपा करें उस भय को दूर करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : नहीं, बिल्कुल भयभीत नहीं हों आप। श्री वी पी. सिंहजी। संक्षेप में एक-एक, दो-दो प्रश्न पूछें। जनरल बहस नहीं करें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : महोदय, प्रश्न कर रहा हूं, मैं आपके माध्यम से इरिगेशन मिनिस्टर से कि यह जो रोक लगायी है, यह क्या ब्लेंकेट रोक एनीकट पर लगा रखी है या नहीं? और अगर लगा रखी है तो आप विचार कर लें इस पर। पुनर्विचार कर लें पर एक चीज का और ध्यान रखें क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक तहसील से दूसरी तहसील का मामला होता है, एक तहसील के अन्दर एनीकट बन जाता है और उसका जो असर पड़ता है, वह दूसरी तहसील पर पड़ता है या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट पर, मैं उदाहरण के तौर पर यह कहना चाहता हूं, हमारे जो पूर्व मंत्री थे, हमारे साथी हैं, उन्होंने एक-दो एनीकट बना लिए और उसके कारण से हमारे एक ही बांध में पानी में रुकावट आ गयी है। इसलिए जब ऐसा मसला आये तो आप कोई ऐसी व्यवस्था करें कि कोई दूसरी तहसील का पानी रुक रहा हो तो उससे एन. ओ. सी. ले करके, फिर आप परमिशन दें या दूसरे डिस्ट्रिक्ट का पानी रुक रहा हो, वहां पर बांध हो, जैसे अभी बात कही हमारे माननीय सदस्य अजमेर से आने वालों ने तो उसके अन्दर एन. ओ. सी. लेने की व्यवस्था भी रखें और इससे उपयोगी तो हो सकता है, पर इसका ध्यान रखें कि आगे जो बड़ी स्कीम हो, जो बड़े डेम आगे हों, उसका पानी नहीं रुकना चाहिए यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल जी

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान एनीकट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह एनीकट बहुत बड़े तालाब या कोई बहुत बड़े बांध नहीं होते, जिनमें बहुत अधिक पानी भरता हो। यह छोटे-छोटे एनीकट होते हैं। ताल, तलाई एनीकट और इन्हीं की वजह से पानी का स्तर ऊंचा बना रहता है। आज हमारे चित्तौड़ जिले में और विशेष तौर से मेरे बेगूं क्षेत्र में, भैंसरोड़गढ़ और बेगूं, जहां आदिवासी रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, वहां पर पानी बहकर चले जाने से उनके यहां के हैंड पम्प सूख गये, कुंए सूख गये और कई जगह ट्यूबवैल लगाये हैं, वह भी सूख गये, तो अगर हमें, जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि यदि कोई साजिश रची जा रही है, यह साजिश नहीं है, जब कभी हम एनीकट की मांग करते हैं, तो हमें यह उत्तर दे दिया जाता है, यह तो बीसलपुर के भराव क्षेत्र में आ रहा है, चम्बल के भराव क्षेत्र में आ रहा है और यूं करके उसकी इजाजत नहीं दी जाती है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, वहां भी आदमी बसते हैं, उनको भी पीने के पानी की चिंता है, जैसे अजमेर और जयपुर वालों को कर रहे हैं, वैसे ही उनकी भी की जानी चाहिये और यह छोटे-छोटे बांध हैं इनकी इजाजत मिलनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री सभापति : विराजें। माननीय श्री बाबूलालजी।

श्री बाबूलाल (दूदू) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं जयपुर जिले की दूदू विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। मेरा क्षेत्र तो एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें किसानों को पानी की व्यवस्था कई वर्षों से बिल्कुल ही नहीं हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण तो यह रहा कि बरसात नहीं होने के कारण से कुओं का जल स्तर नीचे चला गया और केवल अब सहारा है तो तालाब और तलैया से ही है, तो मैं यह मांग करूंगा आपके माध्यम से और यह चाहूंगा कि मेरे दूदू क्षेत्र में जल्दी-जल्दी से एनीकट बनाने के लिए आदेश करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बद्री प्रसाद गुरूजी।

श्री बद्री प्रसाद गुरूजी (माण्डलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बीसलपुर कैचमैंट पर जो बांध बनाने के लिए दुबारा पुनर्विचार के लिए जो कमेटी बनायी है, तो पूरे केचमेंट एरिया में जो क्षेत्र आते हैं, उन सारे क्षेत्रों पर विचार किया जाना चाहिए।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री टीकमचन्द जी।

श्री बद्री प्रसाद गुरूजी : एक मिनट और। केवल एक बात। सभापति महोदय, सभी क्षेत्रों पर विचार किया जाना चाहिए। दूसरा यह कि सिंचाई विभाग के अधिकारी ए.ईएन., जे.ईएन. वगैरह योजना बनाकर भेजते हैं या तो एक्स. ईएन. उसको परियोजना को लौटाते है कि बीसलपुर की केचमेंट परियोजना में आती है या इसमें यह कमी है, आपका ए.ईएन. एक्स. ईएन., जे.ईएन. यह तो आपके टैक्नीकल हैंड है, वह टैक्नीकल हैंड जब योजना बनाकर भेजते हैं, तो जान-बूझकर उनको सहायक चीफ के यहां, चीफ के यहां से लौटा दी जाती है। बार-बार मेरी कई योजनाएं इस प्रकार एस. ई. के द्वारा, सहायक चीफ के द्वारा और चीफ इन्जीनियर के द्वारा लौटा दी गई है। यह

(163)

(श्री बद्री प्रसाद गुर्जी)

भेरुदेव की वगैरह, जो बीसलपुर कैचमेंट में आती है, वह भी लौटा दी गयी है। इस लिए ऐसा नहीं हो, हमारी योजना जयपुर में कोई नहीं है और इसके चक्कर में हमारी कोई योजना रह जाए, इसलिए आप राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय करें, आपके पास मंगा ले और जब विचार अस्वीकृत हो, तो जयपुर स्तर पर अस्वीकृति दी जाए और योजनाओं को इस प्रकार बीच में लौटाते हैं, इस पर आप रोक लगायें, यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : टीकमचन्दजी कान्त।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : सभापति महोदय, न मालूम कब तक हम यह प्रयोग करते रहेंगे। वर्षों हम एनीकट बनाते रहे, उसका एक लाभ तो यह मिला कि आस पास के कुएं चार्ज होते रहे, वहां पानी हो गया, खेती हरी भरी हो गई और आगे जहां पानी का बहाव जाता था वहां जाकर के पानी मिला नहीं तो कहीं बांध खाली रह गया तो कहीं कुएं सूख गये, तो यह प्रयोग जो बार-बार चल रहा है और अब एकदम से ही इन्होंने मना कर दिया कि सिंचाई विभाग कहीं भी एनीकट नहीं बनायेगा तो क्या उसने कोई ऐसा अध्ययन कर लिया है, क्या यह पानी जो बह कर के जाता है कहीं कोई ऐसे स्थान उन्होंने तय किये हैं कि जहां जल संग्रहण कर दिया जाए। तो पानी के भीतर का जो भूगर्भीय जल का भण्डार है वह चार्ज ज्यादा हो जायेगा या ज्यादा वृद्धि हो जायगी उसके अन्दर। किस प्रकार से इन्होंने यह निर्णय ले लिया।

सभापति महोदय, अब मैं आपको दो कारण बता दूं। पाली जिले के अन्दर जो पहले के बांध बने हुए हैं अगर उन बांधों की ऊंचाई बढ़ाई जाती है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सिंचाई विभाग पर बहस नहीं हो रही है। ध्यानाकर्षण है।

श्री टीकमचन्द कान्त : इसीलिए तो मैं जवाब मांग रहा हूं। अगर बांध की ऊंचाई बढ़ाई जाती है तो आगे बाड़मेर क्षेत्र के अन्दर जो कुएं नदियों के किनारे हैं वह सारे के सारे सूख जाएंगे। अब एक तरफ तो यह है कि वहां का पानी रुकना नहीं चाहिये दूसरी तरफ उसी क्षेत्र के अन्दर कुछ जगह पानी बेकार में जा रहा है जिससे कहीं कोई फायदा नहीं हो रहा है तो उस बेकार पानी पर एनीकट बनना चाहिये। यह अध्ययन हुआ या नहीं हुआ?

अब जो जल संग्रहण की योजना चल रही है उस योजना के अन्दर एक-एक फीट ऊंचाई की पाली बांध कर चलते हैं। वह कहते हैं कि पानी की वेलोसिटी को हम कम कर रहे हैं। पानी की वेलोसिटी जहां वह कम कर रहे हैं क्या जल संग्रहण वहां हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैं तो यह कह रहा हूं कि एकदम से एनीकट रोकने का निर्णय नहीं लेना चाहिये। सिंचाई मंत्री जी एक बार पुन: देखें कि जहां कहीं एनीकट बनना आवश्यक है और कहीं वास्तव में एनीकट बनना आवश्यक नहीं है।

अभी इजरायल की बात चल रही थी। सभापति महोदय, इजरायल के अन्दर पानी का संग्रहण जिस प्रकार हो रहा है उसके अध्ययन के लिए जा रहे थे...

श्री सभापति : समाप्त करें, यह भाषण नहीं है।

श्री टीकम चन्द कान्त : जब राजस्थान वहां अध्ययन के लिए जाएगा, नम्बर एक, सामान्यतया हमारे यहां से पानी वाष्पीकरण होकर के उड़ जाता है और 15 प्रतिशत पानी ही काम के अन्दर आता है। क्या सिंचाई विभाग इस प्रकार का निर्णय लेने के पहले कुछ विचार करेगा कि कुछ स्थानों पर एनीकट होने चाहिए और कुछ पर नहीं। इस प्रकार की कोई योजना या अध्ययन कर सकते है। यह एकदम से निर्णय ले लिया उसे रोकना चाहिए।

श्री सभापति : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे जिला सवाई माधोपुर जिले के अन्दर पिछली बार कई एनीकट स्वीकृत हुए थे लेकिन सरकार ने उन एनीकट्स को बन्द कर दिया है। बड़े दुःख की बात है एक तरफ तो डार्क जोन कर रखा है मेरे क्षेत्र को, अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है, अकाल वहां पर पड़ा हुआ है, तालाबों में बिल्कुल भी पानी नहीं है और मेरे यहां के चार एनीकट जिनको अधूरा छोड़ दिया है उनका कोई लाभ किसी प्रकार का नहीं मिल रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो अधूरे एनीकट हैं मेरे यहां के, उनको बनवाया जाए।

दूसरा, जो गम्भीरी नदी पर एनीकट बनने वाला है, जिसका सरकार ने सर्वे भी करवा लिया है उस एनीकट को बनाया जाय ताकि हमारे पांचना बांध के अन्दर जो पानी बच जाता है उस पानी को नदी में छोड़ दिया जाय और एनीकट के जरिये वह पानी रुक जाए जिससे गांवों में जल स्तर ऊपर आ जाए। जो हैण्डपम्प बिल्कुल बन्द हो गये हैं पानी के अभाव में, सबसे बड़ा लाभ हमारा कोई होगा तो हैण्डपम्पों को, गांवों में कुओं को होगा। उनमें जल स्तर ऊपर आ जाएगा और पीने के पानी की समस्या भी इसके जरिए हल हो सकती है। इसलिए मेरा तो आपके माध्यम से निवेदन है कि हमारे यहां के एनीकट्स को बनाया जाये इनको रुकवाया नहीं जाए। आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अर्जुनलाल जीनगर।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : सभापति महोदय, मेवाड़ रियासत के अन्दर ग्राम सूमी में एक बांध था वह सन् 1984 में स्वीकृत किया गया जबकि बीसलपुर बांध 1986 में स्वीकृत हुआ पर इसे कैचमेंट एरिया में लिया गया है ऐसा क्यों किया गया? जब 1984 से अब तक उस पर 23 लाख रुपये लग चुके हैं और अब उसे स्वीकृति नहीं मिल रही है। सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि वहां पर 125 बीघा जमीन जो किसानों की उस एरिया में आ चुकी है, न उन्हें मुआवजा दिया गया है, न ब ही उस बांध को पूरा करवाया जा रहा है। अब श्रीमान् से निवेदन है कि इस बांध को पूर्ण कराने की स्वीकृति देवें तथा इसके साथ-साथ जितने भी एनीकट सोमी एनीकट, मरमी एनीकट जो अधूरे पड़े हुए हैं इन्हें जल्दी से जल्दी स्वीकृत करवाकर बनाया जाए ताकि मेरे यहां पर जो भी पानी की समस्या है उसे पूरा किया जा सके। विडम्बना इस बात की है कि हम बनास नदी के किनारे पर रहते है और बनास नदी का एक बूंद पानी भी हमें उपलब्ध नहीं होता है। इससे तो अच्छा होता कि हम किसी जंगल में या पहाड़ों

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

पर बस जाते। अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमारी बनास नदी का पानी हमें दिया जाए। मेरी आपसे विशेष मांग है कि बनास नदी पर जितने भी बांध है, जो अधूरे पड़े हुए हैं उन्हें बनाने की स्वीकृति प्रदान करें।

श्री सभापति : श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : सभापति महोदय, एनीकट्स की जो आपने रोक लगाने वाली बात कही है, सवाई माधोपुर जिले के अन्दर दो नदियां हैं चम्बल और बनास, जो कि बारह महीने बहती हैं। इन नदियों के अन्दर सवाई माधोपुर जिले के छोटे छोटे नाले, नदियों का पानी आकर मिलता है तो क्या आपने उस नाले या नदियों में एनीकट बनाने के लिए इसमें रोक लगायी है। मेरा तो यही प्रश्न है।

श्री सभापति : श्रीमती कमला जी।

श्रीमती कमला (बैराठ) : सभापति महोदय, मुझे यह भरोसा नहीं हो रहा है कि सरकार ने कोई ऐसा प्रतिबन्ध लगा दिया है कि राज्य भर में कहीं पर भी कोई एनीकट नहीं बनाया जाएगा। अगर लगा दिया है तो इससे ज्यादा नासमझी की बात और गैर जिम्मेदारी की बात कोई नहीं हो सकती क्योंकि बिना किसी आधार के, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी सर्वे के, बिना कोई क्राइटेरिया तय किये हुए ब्लेंकेट बेन लगा दिया कि राज्य में कहीं भी कोई एनीकट नहीं बनेगा तो मैं समझती हूं ऐसा नहीं होगा। मुझे पता नहीं अभी मंत्री जी जवाब देंगे तब पता लगेगा, लेकिन यह भरोसा करने लायक बात नहीं है और अगर है तो मैं यह निवेदन करती हूं कि इसको आप हटाइये। किन जगहों पर किस मियाद तक कितनी डाट लगायी जाए, किस हद तक पूरा एनीकट बनाया जाए और किस हद तक इरिगेशन का डेम बनाया जाए, यह अलग अलग केटेग्रीज की चीजें छांट करके आइडेन्टिफाई करके फिर उसके मुताबिक आप इस कार्यवाही को करिये।

मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं, मैंने गवर्नर के भाषण के ऊपर भी बहुत डिटेल में बताया था कि मैंने अपने वक्त में बहुत मेहनत करके तीन चार महीने लगाकर के अधिकारियों से, पूरी तरह मेहनत करा कर एक ड्राफ्ट मास्टर प्लान आन वाटर रिसोर्सेज आफ राजस्थान वह तैयार कराया था। सब एम. एल. एज. को दिया भी था और उस को आप अपडेटिंग कराइए और उस वाटर रिसोर्सेज में कौनसा पानी किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है। कुछ पानी तो स्टेट से बाहर जा रहा है उसके ऊपर भी आप मत बनाने दीजिए। कुछ पानी ऐसा है दो तीन जगह पानी की जितनी मिकदार है उसके हिसाब से थोड़ा-थोड़ा अगर बांधेंगे तो पूरे एरिया के अन्दर ग्राउण्ड वाटर बहेगा, हरियाली होगी, नमी आयेगी। इसलिए उस हिसाब से उसको बांधने की जरूरत है। यह नहीं कि एक जगह बड़ा सा बांध बना दिया और बाकी सारा सूखा हो गया। छोटे-छोटे एनीकट बनाकर के पानी रिटेंशन का वाटर कंजरवेशन का ज्यादा से ज्यादा स्कीम्स की राजस्थान को जरूरत है। उसके बिना आज जो समस्या है पीने के पानी की और सिंचाई के पानी की वह मिटेगी नहीं। यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा ।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र फागी जयपुर जिले में ही आता है, वह डार्क जोन घोषित किया हुआ है जबकि वहां पर 70 प्रतिशत खारा पानी उपलब्ध है। सारी जनता खारा पानी पीती है, मीठा पानी उपलब्ध नहीं है। अगर दो-चार एनीकट, ऐसे एनीकट्स जहां से पानी वेस्ट जाता है, पानी का कोई उपयोग नहीं होता है वहां बनाने की इजाजत दे दी जाए तो थोड़ा पानी का लेवल भी ऊंचा आयेगा, मीठा पानी भी आयेगा, पानी का सदुपयोग भी हो जायेगा जिससे हमारे क्षेत्र की जनता को राहत मिलेगी।

दूसरा, बीसलपुर बांध से जयपुर पीने का पानी लाने की योजना बनायी जा रही है तो मैं चाहूंगा कि मेरा क्षेत्र बीच में ही पड़ता है, फागी में भी इस व्यवस्था को ध्यान में रखकर ऐसी योजना बनायी जाए कि वहां की जनता को पीने का पानी उपलब्ध हो सके।

तीसरा, छापरवाड़ा बांध जो दूदू में बना हुआ है उसमें फागी क्षेत्र को 27 प्रतिशत पानी मिलता है जो खाली जानवरों को पीने के लिए उपलब्ध कराया जाता है परन्तु तीन, चार साल से वह पानी भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। कृपया उसकी भी व्यवस्था करायें जिससे हमारे क्षेत्र के जानवरों और आदमियों, सभी को पीने का पानी उपलब्ध हो सके।

श्री सभापति : श्री पराक्रम सिंह।

श्री पराक्रम सिंह (बनेड़ा) : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि कम से कम वहां एनीकट बनाने की स्वीकृति प्रदान की जाए जहां वर्षा का पानी न तो किसी नदी में जाता है न ही किसी नाले में जाता है बल्कि जंगल के अन्दर बह जाता है इसी सन्दर्भ में मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक जगह है जहां कोई तालाब नहीं है और वहां एनीकट की आवश्यकता है।

श्री सभापति : उदयलालजी।

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) : माननीय सभापति महोदय, एनीकट पर रोक लगायी गयी उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि छोटी सादड़ी और निम्बाहेड़ा पंचायत समिति को डार्क जोन घोषित कर रखा है वहां अगर इस प्रकार के छोटे एनीकट और बांध नहीं बनाये जाएंगे तो चार्ज होने का कोई कारण नहीं रहेगा। इसलिये जो क्षेत्र डार्क जोन घोषित कर रखे हैं उनके अन्दर तुरन्त वापस एनीकट वगैरह खोल दिये जाएं। एनीकट वगैरह बनने से एक फायदा और होगा कि जो 1992 में अकस्मात जैसे बरसात हुई थी निम्बाहेड़ा में, एक दिन में 18 इंच बरसात हो गयी थी जिससे पूरा बांध लबालब भर गया और बाढ़ की स्थिति पैदा हो गयी। अगर इस प्रकार के एनीकट और छोटे बांध बनाये जाएंगे तो बीसलपुर योजना को जो खतरा है अकस्मात बरसात होने से जाए तो, वह खतरा भी नहीं रहेगा। इस प्रकार से ऐसे छोटे एनीकट और बांध बनाये जाने की स्वीकृति दी जाएगी। साथ ही सिंचाई विभाग ने लाखों रुपया छोटी सादड़ी पंचायत समिति में जो लिफ्ट इरिगेशन के लिये खर्च कर रखा है लेकिन वहां नदी का पानी सूख जाने

(श्री उदयलाल आंजना)

की वजह से केवल छोटे एनीकट और बांध बनाने से ही वह वापस लिफ्ट इरिगेशन चालू होगी जो आदिवासी क्षेत्र में पड़ती है। इसलिए छोटे एनीकट और उनकी स्वीकृति दी जाए। धन्यवाद।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय ··· (व्यवधान)

श्री सभापति : सिचाई मंत्री महोदय के बोलने के बाद पूछना। बिराजिये। बाद में पूछना।

श्री देवीसिंह भाटी (सिचाई मंत्री) : सभापति महोदय, आज सदन में काफी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने जिले के बारे में, क्षेत्र के बारे में एनीकट्स के बारे में काफी चिन्ता जाहिर की। एनीकट के बारे में कहीं कोई पाबन्दी हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ··· (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये रमाकान्तजी, बीच में नहीं। बिराजिये। मंत्री महोदय के बाद में आप पूछें।

श्री देवीसिंह भाटी : सिचाई विभाग एनीकट नहीं बनाता है क्योंकि उसमें पी. सी. रेश्यो देखा जाता है। जब तक बेनिफिट कास्ट रेश्यो सही नहीं हो तब तक उसमें वह अनुमति नहीं दी जाती और यह मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा कि एनीकट कोई सिचाई के काम में नहीं आते हैं। यह चिन्ता आपकी बिल्कुल वाजिब है। यदि एनीकट बनेंगे, पानी वहां रुकेगा तो कुओं का जल स्तर बढ़ेगा उससे आपकी पेयजल की समस्या का भी समाधान होगा और कुओं का जल स्तर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर वहां सिचाई का लाभ मिलेगा। अब अलग-अलग क्षेत्र से अलग लोगों ने चिन्ता जाहिर की है। चित्तौड़ से आने वाले सदस्य ने अपने क्षेत्र के बारे में चिन्ता जाहिर की। जैसे अभी आपने निर्देश दिये कि इस मुतल्लिक काफी सदन में चर्चा हो चुकी है। उसके लिए एक सब कमेटी भी गठित की गयी है। उसकी शीघ्र ही बैठक करके निर्णय ले लिया जाएगा।

श्री सभापति : मंत्री महोदय, इसमें इस बात का भी ध्यान रखें कि व्यास नदी जिस गुफा से निकल कर आती है वहां एनीकट बनने शुरू हो जाएंगे तो भाखड़ा नहीं भरेगा।

श्री देवीसिंह भाटी : आपकी चिन्ता अपनी जगह बिल्कुल सही है। यदि बीसलपुर बांध बन रहा है तो सबसे पहले हमने उसमें पेयजल को महत्व दिया है। उसके कारण से उसको हाथ में लिया गया था। अब उसके अन्दर पानी थोड़ा ज्यादा उपलब्ध है तो उसमें सिचाई भी की जा सकती है और चित्तौड़ क्षेत्र या उपरवाड़े क्षेत्र में अपनी जगह उनकी चिन्ता वाजिब है कि हमारे यहां तो पानी रोकने के ऊपर पाबन्दी लगा दी, न तो यहां कोई एनीकट बनेगा न कोई दूसरे बांध बनेंगे। जब हमारे सामने से पानी पास हो रहा है, हम तो देखते रह जाएंगे और दूसरे जिलों के लिए और शहरों के लिये पेयजल, या सिचाई की योजनाएं बनायी जा रही है वह बिल्कुल गलत है अपनी जगह उनकी मान्यता है इसके लिए ही मंत्रिमण्डल की तरफ से घोषणा की गयी थी कि सब कमेटी बना कर इसके ऊपर शीघ्र निर्णय ले लिया जाएगा। स्पेशल स्कीम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एनीकट बनाये जाते हैं, अभी जैसा माननीय शिवनाथसिंहजी फरमा रहे थे कि यहां से आपके आदेश हुए हैं पर रिलीफ डिपार्टमेंट

(श्री देवीसिंह भाटी)
से कोई ऐसा आदेश जिलों में पहुंचा नहीं है कि एनीकट का निर्माण किया जा सकता है। वह यहां बिराज नहीं रहे हैं। 24.2.94 को सहायता विभाग से पत्र निकला है, सभी जिलों के जिलाधीशों को यह भेजा गया है। उसमें सिर्फ यह लिखा गया कि आप एनीकट तो बना सकते हैं लेकिन उसके लिए एन.ओ.सी. आप सिंचाई विभाग से लेंगे कि कोई जल ग्रहण क्षेत्र में नहीं आ जाए, इसके लिए कोई पाबन्दी नहीं है। (व्यवधान) यह पत्र सब जगह पहुंच चुका है। ··(व्यवधान) वह तो अलग-अलग देखना पड़ेगा यदि जल ग्रहण क्षेत्र में कहीं आता है तो उसके लिये शायद मनाही की जा सकती है। जैसा रमाकान्तजी शर्मा फरमा रहे थे कि जहां भी शहर के अन्दर पेयजल की किल्लत की आवाज उठती है तो वहां तुरन्त पेयजल स्कीम के लिए बांध या दूसरी योजना बना कर उसको तुरन्त भेज दिया जाता है, सिंचाई योजना बना दी जाती है और गांव वाले जिनके सामने से पानी गुजर रहा है वह देखते रह जाते हैं क्योंकि उनकी 'से' नहीं है, 'वाईस' नहीं है। यह तो शहरी सोच में और गांव की सोच में निश्चित तौर पर फर्क है। तो मैं मेरी तरफ से उनको विश्वास दिलाता हूं कि हम बिल्कुल प्रयास करेंगे कि जहां से पानी गुजरता है वहां के लोगों को कम से कम पेयजल तो उपलब्ध हो। इसके लिए एनीकट पर कोई पाबन्दी नहीं है निश्चित तौर पर हम उसके लिए प्रयास करेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : चम्बल, बनास बहती है उसका कोई उपयोग नहीं है

श्री देवीसिंह भाटी : आपने जो यहां चिन्ता जाहिर की है, कोई पाबन्दी नहीं है एनीकट बनाने के लिए, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : जो नदियां बहती है, अफसोस तो इस बात का है कि दोनों नदियों का पानी बाहर चला जाता है।

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, इसमें काफी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने यहां बांध बनाने की बात कही। कोई अधूरा बांध, टूटे बांध, उसके लिए तो अलग डिमांड्स पर चर्चा होगी तब विस्तार पूर्वक बताऊंगा। यह मात्र एनीकट के बारे में है तो मैं यह बहुत स्पष्ट कर दूं कि एनीकट के ऊपर कोई रोक नहीं है। सिंचाई विभाग से एनीकट के लिए एन.ओ.सी. ली जाती है। उसमें जहां कहीं भी कैचमेंट का क्षेत्र बीच में आता है तो पाबन्दी है वरना कोई पाबन्दी नहीं है। अधूरे एनीकट्स हैं उनके लिए सहायता विभाग से सब जिलों को निर्देश पहुंच चुके हैं।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। श्री रामनारायण वर्मा ध्यान आकर्षित करेंगे।

चम्बल सिंचित क्षेत्र में पानी की अनुपलब्धि से काश्तकारों को नुकसान

श्री रामनारायण (नैनवां) : माननीय सभापति महोदय, मैं, प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा चम्बल सिंचित क्षेत्र में बाराबन्दी हेतु 2 करोड़ रुपये व्यय करने के उपरान्त भी किसानों को बाराबन्दी प्रोग्राम के तहत पानी उपलब्ध नहीं होने से हो रहे नुकसान की ओर सिंचित क्षेत्र विकास राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री शान्तिसिंह चौधरी (राज्य मंत्री, सिंचित क्षेत्रीय विकास) : सभापति महोदय, चम्बल सिंचाई परियोजना राजस्थान एवं मध्य.प्रदेश राज्य की सम्मिलित सिंचाई परियोजना है। इस सिंचाई परियोजना से राजस्थान राज्य की 1.29 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित की गयी थी। परियोजना प्रस्ताव में खरीफ में 21 प्रतिशत सिंचाई एवं रबी में 55 प्रतिशत सिंचाई करने का प्रावधान था। वर्ष 1960 में जब नहरों का निर्माण पूरा हुआ एवं सिंचाई सुविधा आरम्भ की गई तब परियोजना का लक्ष्य सिंचित क्षेत्र की 2.29 लाख हैक्टेयर भूमि में से 76 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई की जानी थी।

इस परियोजना पर शीघ्रातिशीघ्र सिंचाई का क्षेत्र बढ़ता गया एवं वर्ष 1977–78 तक 75 प्रतिशत सिंचाई एवं 1978–79 में 85 प्रतिशत सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी। इसके पश्चात् निरन्तर प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए एवं विभाग द्वारा प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 1992–93 में 110 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गयी जो कि इस परियोजना के कार्यकाल में सर्वाधिक है।

चम्बल सिंचित क्षेत्र में वर्ष 1974–75 में भूमि विकास कार्य कराये गये जिसमें कृषकों की भूमि पर बाराबन्दी लागू कर पानी पहुँचाने की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी। प्रतिवर्ष जैसे–जैसे भूमि विकास कार्य होते गये बाराबन्दी हेतु कार्यक्रम बनाकर कृषकों में समयानुसार पर्चियां बंटवा दी गयी। बाराबन्दी पर विभाग द्वारा कार्य किया जा चुका है किन्तु कृषकों द्वारा इसको समर्थन नहीं दिया जा रहा है एवं इसको अपनाया नहीं जा रहा है। इसका मूल कारण यह है कि कृषकों में अभी भी एक ही बार में पानी लेने की प्रवृत्ति है। समय-समय पर विभिन्न छोटे-छोटे क्षेत्रों में बाराबन्दी (ओसरा बन्दी) एवं नहरों के रोटेशन द्वारा पानी के दुरुपयोग को कम किया जा रहा है परिणाम यह है कि सिंचाई क्षमता बढ़ती जा रही है एवं अधिक से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है।

नहरी क्षेत्र में आज लगभग खरीफ में 50 प्रतिशत क्षेत्र में सोयाबीन की फसल की जा रही है जो कि न तो परियोजना की फसल पद्धति में प्रस्तावित थी और न ही पहले कभी इस क्षेत्र में होती थी। चावल की पैदावार निरन्तर कम होती जा रही है एवं खरीफ और रबी में पानी की व्यवस्था की जा रही है।

चूंकि नहरों का डिजाइन 76 प्रतिशत सिंचाई क्षमता के अनुसार किया गया था अब उसके विपरीत जब 110 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। जो पानी टेल क्षेत्र में 28 दिन के चक्र में पहुंचता था वह अब 40–45 दिन में पहुंचता है जो कि उपरोक्त बढ़ी हुई क्षमता के कारण ही है।

सीलिंग प्रकरण का सम्बन्ध जिस क्षेत्र में सिंचाई होती है उससे नहीं किया जा सकता तथा सीलिंग प्रकरण का पानी देर से पहुंचने में कोई सम्बन्ध नहीं है।

(17.50)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पीठासीन)

नहरों के रख-रखाव के लिए जो राशि उपलब्ध होती है उसमें से 70–80 प्रतिशत श्रमिकों के वेतन भत्ते आदि के

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

लिए काम में आती है क्योंकि नहरों के रख-रखाव, रेगुलेशन गेटों के रख-रखाव गेज रिकार्डिंग इत्यादि में न्यूनतम कर्मचारी कार्यरत हैं। क्योंकि यह नहरें मिट्टी की हैं एवं बिना लाइनिंग की हैं इसलिए इनकी प्रतिवर्ष मरम्मत की आवश्यकता होती है। मरम्मत की धनराशि सीमित होने के कारण हर वर्ष हर नहर पर मरम्मत सम्भव नहीं है। जैसा कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में लिखा गया कि 2 करोड़ की राशि खर्च की गयी है लेकिन यह राशि एक ही वर्ष में काम में नहीं लायी गयी है। यहां यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि वर्ष 1974 से बाराबन्दी लागू करने की व्यवस्था की गयी और इस हेतु स्टाफ पर भी कुछ धनराशि व्यय की जा रही है। वर्तमान में भी यह कार्यक्रम चालू है लेकिन बाराबंदी वास्तव में लागू करने में सफलता तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक कि कृषक बाराबंदी लागू करने में सहयोग नहीं करें। मुख्यतः शीर्ष पर स्थित काश्तकारों द्वारा बाराबंदी लागू करने में सहयोग नहीं किया जाता है क्योंकि बाराबंदी से बारी के अनुसार पानी दिया जाता है और बारी कभी दिन व कभी रात में आ सकती है। बाराबंदी लागू करने हेतु धनराशि की जो व्यवस्था की जा रही है वह पटवारी, मोबाइल मजिस्ट्रेट एवं सम्बन्धित स्टाफ के वेतन इत्यादि पर व्यय हो रही है जो कि पानी के वितरण में सहायता कर रहे है।

चम्बल सिंचित क्षेत्र में सरकारी मशीनरी का उपयोग ड्रेनों की एवं नहरों की सफाई में ही किया जाता है एवं भूमि विकास से सम्बन्धित कार्य मशीनों से भी कराये गये हैं जो कि मशीनों के जनहित में उपयोग की एक मिसाल है फिर भी मशीनों का उपयोग सीमित बजट एवं सीमित साधनों के अन्तर्गत किया जाता है। जो मशीनें उपलब्ध हैं उनसे इतने विशाल चम्बल क्षेत्र में सब कार्य प्रतिवर्ष कराना सम्भव नहीं है।

बाराबंदी हेतु कार्यक्रम बनाकर समय-समय पर कृषकों को प्रोत्साहित किया जाता रहा है। वर्तमान में भी छोटे-छोटे क्षेत्रों में बाराबंदी अपनायी जाने की प्रक्रिया लिये जाने की व्यवस्था की जा रही है और ऐसी आशा है कि कृषक बाराबंदी की उपयोगिता समझते हुए इस कार्यक्रम को लागू करने में सहायता प्रदान करेंगे, इसके लिये विभाग प्रयत्नशील है।

श्री सभापति : श्री रामनारायण नेनवां।

श्री रामनारायण (नैनवां) : माननीय सभापति महोदय, काफी लम्बी-चौड़ी बात ....

श्री सभापति : अभी संक्षिप्त में कृपया, आज कार्य सूची बहुत लम्बी है।

श्री रामनारायण : मेरे नम्बर पर आप पधार जाते हो और मुझे बड़ा दुःख होता है। (व्यवधान)

श्री सभापति : निवेदन कर रहा हूं .. (व्यवधान) ... क्षमा करें, क्षमा करें।

श्री रामनारायण : माननीय सभापति महोदय, यह सदन है, आप तो बड़े अच्छे आदमी हो। वैसे अच्छा है इस कुर्सी पर बैठे हो। (व्यवधान) थोड़ा हमारी तरफ सहनशीलता से काम लें।

(171)

श्री सभापति : कृपया, आपने तो उल्टा लम्बा कर दिया।

श्री रामनारायण : मैं खड़ा हुआ, आप कहो तो बैठ जाऊं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, सिंचित क्षेत्र विकास राज्य मंत्रीजी, आप तो किसान के बारे में सारी बात समझते हैं। टेल के किसान को पानी नहीं मिले और एक साल नहीं दस साल तक लगातार नहीं मिले तो क्या आप उससे जीने का हक छीन नहीं रहे हैं ?

दूसरा, कमाण्ड इलाका जो आपने रखा है, जिसमें सीलिंग की जमीन आपने ले ली 60 बीघा छोड़ दी, यह गंगानगर नहीं है जहां कुत्ते-बिल्ली के नाम पर जमीन, सिंचित क्षेत्र विकास राज्य मंत्रीजी, मैं यह कोटा डिवीजन की बात कर रहा हूं, हाड़ौती की बात कर रहा हूं और उस हाड़ौती की बात कर रहा हूं जहां आपकी पार्टी के तो नहीं जीत कर आते बाकी यह बी. जे. पी. जीत कर आती है जो शासन में बैठी है और मैं उनके हित की बात कर रहा हूं, इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो मैंने प्रस्ताव रखा है, इस सरकार के कान भी हैं, आंख भी हैं, देखती भी है और सोचती भी है लेकिन जवाब देते हैं सूख नहीं रही। माननीय सभापति महोदय, जून में, मई में भी जाकर के फसल सूखती है नहीं तो इतनी-सी रह जाती हैं उसमें दाना पैदा नहीं होता है। जब भी विधान सभा में हमने इस मामले को रखा, कोई भी माननीय सदस्य रखता है तो अधिकारी लोग जवाब दे देते हैं कि श्रीमान्, फसल सूखी नहीं है। गलत कह दिया। आप तो मुझको क्या एक बात बता सकते हो कि छाबड़ी माइनर की टेल पर टेल क्लस्टर है कि नहीं है, है तो कितनी चेन पर है ? बीचड़ी माइनर की टेल पर टेल क्लस्टर है कि नहीं है, और है तो कितनी चेन पर है ? बड़ा खेड़ा की आखरी जो वितरिका है उसकी टेल पर टेल क्लस्टर है कि नहीं है है तो कितनी चेन पर है ? क्या माखीदा में आपने चम्बल कमाण्ड एरिया में कभी पानी दिया है ? मैं इसलिए, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि बूंदी क्षेत्र के छपावदा माइनर की टेल में ही पानी नहीं जाता है, इसलिए नहीं जाता है कि वहां बारांबंदी नहीं है। रामपुरा में तो पानी टेल पर जाता ही नहीं है और नहरों की हालत यह है कि 300 चेन लम्बी नहर है 50 चेन से नीचे पानी नहीं है और जवाब आता है माननीय मंत्रीजी के पास से, हम कहते हैं तो यह कहते हैं कि नहर में पानी छोड़ रखा है, 10 दिन से टेल में पानी नहीं है। आपके गेज लीडर फर्जी गेज लेते हैं। गेज नहीं आता है, आपका कर्मचारी एक नहीं रहता है इसलिए बारांबंदी नहीं हो पाती है। मेरा निवेदन करना है कि आपने दो करोड़ रुपये इसमें खर्च कर दिये, पैसे की कोई बात नहीं है आप खर्च करने के अधिकारी हैं, राशि खर्च कर दी, राशि आपने बारांबंदी के लिए खर्च की थी। मेरा स्पष्ट कहना है कि एक बिस्वा में आपकी बारांबंदी नहीं है, राजस्थान की जनता तो कहती है कि आपको हम कोई टैक्स नहीं देंगे, आपकी मंत्री नहीं मानते, क्या आप इस बात को मान लोगे ? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं सिंचित क्षेत्र विकास मंत्रीजी, क्या आप मौके पर बारांबंदी लागू करेंगे ? आपका जो बजट है, दूसरा प्रस्ताव आ रहा है बजट आप 70 प्रतिशत कर्मचारियों में खर्च करना बताते हो, 30 प्रतिशत बताते हो, कोई पब्लिक

(श्री रामनारायण)

यूटिलिटी के वर्क नहीं हैं। हमने एक मामला रखा है, माननीय सभापति महोदय, दोलड़ा डिस्ट्रिब्यूटरी में टेण्डर्स हुए हैं सन् 1978 में। इसमें सड़क बनाने के लिए, इसमें दो कांस्टीट्यूएंसी के आदमी आते हैं बूंदी और नैनवां, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं उन टेण्डर्स का पता नहीं आपके डिपार्टमेंट को, पता नहीं कहां गायब हो गये। जवाब आता है, श्रीमान्, हमने कभी टेण्डर्स काल नहीं किये हैं, हमने कोई सड़क नहीं बनायी ऐसा आपका डिपार्टमेंट बन गया है। एक बात आयी थी, माननीय चन्दनमलजी ने यह कहा था कि विदेशियों का कर्जा इतना बढ़ गया, आप जो "सीडा" के माध्यम से काम कर रहे हो तीन साल बाद, चार साल बाद आपकी जो मिट्टी है और कनाडा की जो मिट्टी है इसमें बहुत अन्तर है। अधिकारी लोग पर्सेण्टेज खा रहे हैं, 25-25 पर्सेण्ट। आपका जो ओ. एफ. डी. का काम हुआ है, आज की तारीख में किसान लुट चुका है। एक खेत किसी का है वह दे दिया जमनालाल को और पन्नालाल का दे दिया मिश्रीलाल को, आज उनके केसेज चल रहे हैं। आपने ओ. एफ. डी. का जो काम किया है उससे ज्यादा फसल पहले भी होती थी। माननीय सिंचित क्षेत्र विकास राज्य मंत्रीजी, आज भी उतनी ही फसल होती है मसला इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का है इसलिए मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे बी. बी. सी. है आपकी, बूंदी ब्रांच कैनाल, उसमें आपके अधिकारी को पता है कि आठ फीट मिट्टी छूटी हुई है, आप बाराबंदी नहीं कर सकते तो ज्यादा पानी दे कर के टेल के एरिया को पानी दे सकते हैं। आपके जो मंत्रीजी हैं, भाटीजी, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि, श्रीमान् टेल में कैसे पानी दिया जाए। हम आपको बता रहे हैं बूंदी ब्रांच कैनाल का मोडर्नाइजेशन कीजिये आपकी बाराबंदी सफल हो जाएगी। आठ फीट मिट्टी आपकी उसमें बची हुई है आठ फीट मिट्टी आप निकाल दीजिये टेल में पानी जाएगा। आप डेम से, कोटा बैराज है उससे हर साल कितना पानी छोड़ते हो उस पानी को आप नहरों में डाल दीजिये लेकिन आप नहीं कर सकते। इसलिए मेरा निवेदन करना है कि जो नहरें आपने 1958-59 में बनाई थीं, सारी की सारी नहरें बिलकुल खराब हो गयी हैं। बी. बी. सी. तो हर साल टूटती है ऐसी स्थिति में आप इनको ठीक करने के लिए नहरों को ठीक कर के बाराबंदी में ध्यान देने के लिए जवाब तो आपके पास आयेगा। टेल में आज सुचारू रूप से पानी देने के लिए व्यवस्था करें इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं अणोतिया एक गांव में, सभापति महोदय, आज की तारीख में पहला पानी खेतों में जा रहा है। आप किसान हैं, हमें शर्म आती है इसलिए कि आज पानी दे पा रहे हैं, अधिकारी पानी दे पा रहे हैं, आपके मोबाइल मजिस्ट्रेट हैं, आप बाराबन्दी की बात कर रहे हैं। मोबाइल मजिस्ट्रेट आपने कैसे लगाये मोबाइल मजिस्ट्रेट हैं कि नहीं हैं और यदि मोबाइल मजिस्ट्रेट हैं तो वह ड्यूटी पर क्यों नहीं जाते और हैड के काश्तकार के खिलाफ एक के खिलाफ आप चालान पेश नहीं कर पाते, एक के खिलाफ आप कुछ नहीं करते और मोबाइल मजिस्ट्रेट इसलिए होता है कि ऑन स्पॉट वह उस पर डिसीजन दे। मोबाइल मजिस्ट्रेट ने इस साल कितने ऑन स्पॉट डिसीजन दिये हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो बाराबन्दी नहीं होने का कारण यह नहीं है, माननीय सिंचित क्षेत्र विकास राज्य मंत्रीजी, कृपया आप दूर कीजियेगा, वहां

(श्री रामनारायण)

के क्षेत्रों के विधायकों को कांफीडेंस में लीजियेगा और आप देखियेगा बाराबन्दी निश्चित तौर से होगी। इसलिए मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहता हूं कि बाराबन्दी करने का आपका विचार है कि नहीं ?

श्री सभापति : माननीय श्री मांगीलाल जी।

श्री रामनारायण : है तो आप कब से उसको लागू करेंगे ?

दूसरा मेरा निवेदन है कि मोडर्नाइजेशन के नाम से जो कैनाल्स हैं, वास्तव में बहुत खराब है उनको आप कब तक ठीक करने की बात करोगे ? जैसे बून्दी ब्रांच कैनाल का मैंने कहा।

(18.00)

तीसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कह रहा हूं कि आपकी सारी मशीनरी कोटा से है। चम्बल की मशीन आपने माही में भेज दी या जैसलमेर भेज दी ? जितनी मशीनें आपने वहां भेजी हैं क्या उन मशीनों को वापस मंगायेंगे या मशीनों के लिए नयी धनराशि आप देंगे ? इसलिए मैं निवेदन करूंगा आप कृपा करके, मेहरबानी करके बजट बढ़ाइये और बाराबन्दी कीजिये और टेल तक पानी दें। आपके आर्डर्स की जो कम्प्लाइंस अधिकारी लोग नहीं करते हैं उसके बारे में आप क्या करने जा रहे हो ? कोई स्टेंडिंग इन्स्ट्रक्शंस हैं और उसकी पालना नहीं हो तो आप क्या करने जा रहे हैं? यह टेल का मामला है, किसान का मामला है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है। कृपया ध्यान देकर ईमानदारी से, सरकार तो+++ करती है लेकिन आपके ऊपर विश्वास है। ईमानदारी से किसानों का ध्यान दीजिये और बाराबन्दी प्रथा को लागू कीजिये और किसानों को टाइमली पानी मिले इसी का आप थोड़ा सा हमें स्पष्टीकरण दीजिये।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मांगीलाल जी। (व्यवधान) आपको दूंगा पहले मांगीलाल जी को। आप बिराजिये। मैं आपको समय दूंगा।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवराय-पाटन) : माननीय सभापति महोदय, यह जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव····

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछिए, भूमिका नहीं।

श्री मांगीलाल मेघवाल : चम्बल सिंचित क्षेत्र में बाराबन्दी के नाम से जो दो करोड़ रुपये खर्च करने के बाद में आज की तारीख में भी टेल पर पानी नहीं पहुंचने वाली समस्या यथावत बनी हुई है। तो मैं प्रश्न के माध्यम से जानकारी चाहूंगा, जैसा कि मंत्री महोदय ने जवाब दिया पटवारी नियुक्त किये गये। सभापति महोदय, 70 पटवारी नियुक्त किये गये, पर्ची बांटी गयी, लाखों रुपये के कागज खर्च किये गये और नहरों की स्थिति यह कि 10 दिनतक पानी नहीं पहुंचे, माइनर्स पर पेड़ उगे हुए हैं, कई-कई ऐसी नहरें जिनमें रास्ते बैलगाड़ी पार चल रही है। क्या सरकार आज की तारीख में जो नहरों की स्थिति है, क्या इसके माध्यम से समयबद्ध तरीके से पानी पहुंचा रही है और नहरें··

श्री सभापति : आपका अगला भी ध्यानाकर्षण है इसलिए आप....

+++ शब्द अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री मांगीलाल मेघवाल : तो मैं इसमें कह रहा हूं कि इस तरह की नहरों में बारा-बंदी सम्भव है। जिन नहरों में पलेवा दे दिया जनवरी में और आज मार्च में पहला पानी नहीं हो रहा है ऐसी जहां नहरों की कंडोशन हो क्या वहां बाराबंदी सफल होगी? तो मेरी मांग हैं सरकार से बाराबंदी सफल करने के लिए एक तो अधिकारियों को पाबन्द किया जाए, अधिकारी रहते हैं कोटा में, 70 किलोमीटर दूर रहें, 10-10 दिन 20-20 दिन तक अधिकारी आयें नहीं, क्षेत्र के किसान मनमानी करें और अधिकारी सोये रहें। केवल कागजों में, बाराबन्दी के कागज बनाकर के योजनाएं बनायी जाएं इस कार्य में परिणत करने के लिए नहरों की कंडीशन को नही सुधारा जाएं और मोबाइल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति केवल मात्र कागजों में इनको अधिकार नहीं हैं तो वे पाबंद भी नहीं कर सकते। तो इन सारी व्यवस्थाओं को विधिवत लागू करके ही बारा-बंदी हो सकती है और बाराबन्दी ही सिंचाई सुविधा का उचित साधन है। हम इसके बहुत हिमायती हैं। हम किसानों में भी प्रचार करेंगे कि बाराबंदी को अपनायें परन्तु बाराबंदी अपनाने से पहले अधिकारियों को पाबन्द किया जाए, नहरों को ठीक किया जाए और जितने भी दो सब-डिवीजन हैं वहां एल.एम.सी. में एक है खटियाड़ी और एक लबान, वहां एक-एक करोड़ की कालोनीज बनी हुई हैं। वहां दुर्भाग्य से जे.ईएन. नहीं रहता है। तो क्या इस तरह की नहरों की व्यवस्था होगी और अधि-कारियों की अगर वहां व्यवस्था होगी तो हो जाएगा यह सारा। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से विशेष आग्रह करूंगा कि बाराबन्दी को लागू किया जाय और यह जो पैसे का दुरुपयोग किया गया है पुन: इसमें सुधारीकरण करके नहरों पर बाराबंदी सिस्टम को लागू किया जाए ताकि टेल के किसान चम्बल कमाण्ड एरिया में बायीं मुख्य नहर की कौन सी एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूटरी है जो टेल नहीं हैं, सारी डिस्ट्री-ब्यूटरी टेल हैं और आज वहां हजारों हैक्टेयर में फसल सूख रही है। तो यह व्यवस्था रहेगी तो निश्चित रूप से अव्यवस्था होगी। तो बाराबंदी को लागू करने के लिए...

श्री सभापति : आप अपने प्रस्ताव का भी ध्यानाकर्षण कर दीजिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल : हां, जितना भी लागू किया जाए, यह मेरी मांग है।

श्री सभापति : माननीय मांगीलालजी आपका जो प्रस्ताव था उसका भी ध्याना-कर्षण कर दीजिये, दोनों का एक साथ ही जवाब आ जाएगा, आपने भी तो प्रस्ताव दिया है, चम्बल सिंचित क्षेत्र के लिए आवंटित बजट कम होने से किसानों को हो रही परेशानियों की ओर सिंचित क्षेत्र विकास राज्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे, वह भी कर दीजिये।

चम्बल सिंचित क्षेत्र में कम बजट आवंटन से किसानों को परेशानी

श्री मांगीलाल मेघवाल : उसका भी मिला जुला जवाब दिया गया है। अब जो बजट इन्होंने 5 करोड़ रुपये का करीब बताया और 70 पर्सेन्ट जो प्रशासनिक खर्चों में दिया गया है कि राज्य के मजदूरों के कार्य का ओ.एफ.डी. का काम है इसमें ओ.एफ.डी. में आज 11 ए.ईएन. लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं 11 ए.ईएन.? केचमेंट के नाम से इस राजस्थान की विधान सभा में, आठवीं विधान सभा, नवीं विधान सभा और आज दसवीं विधान सभा में हम

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

लोग+++रहे हैं कि केचमेंट की धांधली को रोका जाय। केचमेंट में 11 ए.ईएन. रखे हुए हैं, खर्चा तो सब यह खा रहे हैं ग्रो.एफ.डी. हैं उसमें, कृषि विस्तार है उसमें, फसलों का मुग्रावजा है उसमें, वाराबंदी है और कह रहे हो साहब, रख–रखाव के लिए पैसा दे रहे हैं। एक सेठ का, अगर अपनी फैक्ट्री नुकसान में जाए, करोड़ों रुपया लगा हुआ है फैक्ट्री में, उसमें भी पैसा देते हैं। तो इसमें अरबों रुपया लगने वाली परियोजना आज अपने खतरनाक मोड़ पर है, मरनासन्न स्थिति में आ गयी हैं और अगर इसमें बजट नहीं दे तो मैं यह कह रहा हूं कि राजस्थान का वह क्षेत्र जो आज लाखों टन खाद्यान्न, दलहन तिलहन उत्पादन करके इस प्रदेश की, देश की और क्षेत्र की बहबूदी में अपना योगदान कर रहा है उसकी यह कहकर रेगुलर बजट दे रहे हों, चार करोड़ रुपये दे रहे हों, 70 पर्सेंट तो जा रहा है कर्मचारियों के, अधिकारियों के वेतन भत्तों में, उनके टी.ए. के भत्तों में और ये ऐसे ग्रो.एफ.डी. के नाम से किया जा रहा है जिसका विरोध किया जा रहा है और अब तो यह कह दिया पुराने कर्जे माफ नहीं किये गये। मुझे अभी–अभी जवाब दिया कोई भी कर्जा नहीं दे रहें हैं यह तो कोई बैंकों से निजी लिया गया। इससे ज्यादा और छिपाने वाली बात, टालने वाली बात क्या हो सकती है कि इस तरह से असत्य जवाब दिये जा रहे हैं तो जो मैं रख रखाव की बात कर रहा था माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का विशेष ध्यान आकर्षित करूंगा कि चम्बल कमाण्ड एरिया में जो करीब 70–80 गांव हैं, बांयीं मुख्य नहर जो बूंदी जिले की है वह जलमग्न हो रही है, नहरों में सिल्ट जमा हो रही है। अब इसमें बता दिया साहब इसका कारण तो बरसात है। बरसात में तो भगवान भी, हमारे बस की बात है क्या? 30 से 40 इंच बरसात होती है कभी कभी 10 इंच बरसात हो जाती है, यह तो होगी और बरसात हो रही है।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल : कच्ची नहरें डेमेज हो रही हैं इसी के लिए तो पैसा मांगा जा रहा है तो एक तरफ आज हजारों हैक्टेयर, मैंने पहले जब पानी नहीं पहुंचा यहां सदन में फोटो बताकर सदन पटल पर रखे थे। एक तरफ दो–तीन हजार हैक्टेयर ऐसा क्षेत्र हैं जो जलमग्न हैं वह पानी किसानों की खुशहाली का कारण बनना चाहिये, जो टेल पर जाकर उनकी फसल बचाये वह आज दूसरे किसानों की, हैडवर्क्स के किसानों की बरबादी का कारण बन रहा है और हैडवर्क्स के किसान बरबाद होते हुए रास्ते अवरुद्ध हो रहे हैं और टेल का किसान आज पानी के बगैर रो रहा है। तो सारी समस्याओं के समाधान के लिए, मैं इसके लिए तो राज्य सरकार को और मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने मशीनें तीन खरीदी हैं और मुख्य मंत्री महोदय अभी परसों परसें रोज वहां कहकर आये छह मशीनें खरीदी हैं। चम्बल कमाण्ड के हर सब-डिवीजन में, हर ए.ईएन. के पास पुख्ता एक मशीन रहनी चाहिए और उसका रख रखाव, आप आश्चर्य करेंगे 40-40 किलोमीटर दूर और 60–60 किलोमीटर दूर ए.ईएन. बैठा है और सारा संचालन मशीनों का हो रहा है कोटा में, लाग-बुक भरते हैं

+++शब्द अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

कोटा में, उसको पर्ची कोई वर्किंग आर्डर की देगा तो देगा कोटा में, तो ए.ईएन. क्या झांकेगा उसको ? केवल मात्र अधिकारियों के भागने से और हमको जनता की गाली सुनने से समाधान नहीं होगा। इसलिए मैं सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करूंगा कि चम्बल कमांड क्षेत्र में आज वह परियोजना बिलकुल खतरनाक मोड़ पर है। अगर उसको बचाना है तो पैसा देना पड़ेगा और पैसे से ही वह बच सकती है। एक तरफ बरबादी हो रही है एक तरफ सूख रहे हैं। आज मार्च के महीने में अगर पहला पानी पिये तो फसल कैसे होगी। वह चम्बल कमांड एरिया जो राजस्थान की बहबूदी में वहां गन्ना, राजस्थान की सबसे बड़ी शुगर मिल है उसकी व्यवस्था भी इसलिए डिसमिस होती जा रही है कि पानी नहीं मिल रहा है वहां पानी नहीं मिलने से गन्ना नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्षेत्र जो राजस्थान के विकास के लिए है उस क्षेत्र को बचाना राज्य सरकार के बस की बात है। हम तो यहां झांक रहे हैं कि सरकार हमको पैसा दें। अगर इस तरह से केवल मात्र अधिकारियों से जो रिपोर्ट आ रही है उन पर अमल किया गया तो कोई सुधार नहीं होगा। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं विनम्र शब्दों में और पुरजोर शब्दों में मांग करूंगा कि मंत्री महोदय, जैसा कि हमारी व्यक्तिगत बात भी हुई है। हमने इनसे निवेदन किया है इन्होंने कहा है, विधान सभा के बाद में अपना कार्यक्रम रखें अधिकारियों के साथ बैठकर के और सारी योजनाओं को, मैंने अभी मेरे विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं के लिए सारे अधिकारी साहबान को इकट्ठा करके उनके साथ किसानों के कैम्प लगवायें, उनकी समस्याओं का आंकलन किया गया है। करीब मेरे विधान सभा क्षेत्र के दो सौ किसानों ने, डेढ़ सौ गांवों के किसानों ने अपनी समस्याएं रखी हैं। उसकी योजना बन रही है, उसके एस्टीमेट्स बन रहे हैं और उन एस्टीमेट्स के अनुसार जितना पैसा चम्बल की नहरों में चाहिए, कितने किलोमीटर ड्रेनों की सफाई करनी है, कितनी नहरों की सफाई करनी हैं, कितनी नहरों की खुदाई करनी है, कितने पक्के फाल, पुलिया, साइफन वगैरह बनाने हैं, इसके लिए जितना पैसा चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा...

श्री सभापति : समाप्त कीजिये। माननीय श्री ओम प्रकाश जी।

श्री मांगीलाल मेघवाल : जो हमने योजनाएं बनायी हैं वह पैसा दिया जाए तभी जाकर चम्बल कमाण्ड की व्यवस्था होगी...

श्री सभापति : विराजिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल : और राजस्थान की इस प्रगति में सहायक होंगे अन्यथा हम खतरनाक मोड़ पर हैं। यह हमारे लिए और राजस्थान की सरकार के लिए और राजस्थान के लिए चिन्ता का विषय है। इस पर विशेष गौर किया जाए। यही मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता था। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री ओम प्रकाश

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी): सभापति महोदय, वैसे तो जवाहरसागर बांध जो बना, 1960 से सिंचाई नहरों के द्वारा की जा रही है। 1974 में इस परियोजना का कार्य प्रारम्भ किया गया था और कोटा,

(श्री ओम प्रकाश शर्मा)

बूंदी, बारां की कुल जनसंख्या का 20 प्रतिशत इस पानी से जमीन सिंचित हो रही है। चम्बल परियोजना का कार्य कई चरणों में चलने वाला था परन्तु इसको प्रथम चरण के बाद रोक दिया गया। और इसी कारण वार्षिक योजना के आधार पर उपलब्ध धनराशि ही खर्च की जाती है। उसके अतिरिक्त कोई इसको पैसा मिलता नहीं है। 1993-94 से जनवरी तक 60 किलोमीटर के विरूद्ध 80 किलोमीटर नहर पक्की करने का लक्ष्य था परन्तु यह नहरें कहां पक्की हुई हैं ?इसके बारे में इसमें कोई दर्शाया नहीं गया है। नहरी क्षमता बढ़ाने का भी विवरण दिया गया है। नहरों को पक्का करने का भी विवरण है परन्तु जहां आवश्यकता होती वहां पर नहीं की जाती है। मेरा निवेदन करना यह है कि बूंदी जिले में तालड़ा पंचायत समिति में सड़कों का कार्य हो रहा है इसके बारे में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि वहां पर सड़क बनेगी, जबकि 1978 में केशवरायपाटन से 23 डिस्ट्रीब्यूटरीज केशवरायपाटन वाया गोगुन्दा बाजड़ और बाजड़ से बड़ूंदा तक सड़क बनाई गई थी। आज उसकी स्थिति जर्जर हो गयी है वहां पर किसी भी प्रकार का व्हीकल नहीं जा सकता, मोटर साइकल लेकर कोई निकल नहीं सकता, ऐसी उस सड़क की स्थिति हो गई है। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि किसान अपना माल लेकर मंडी में कैसे जाए।

नहरों की जो दुर्दशा है उसके बारे में निवेदन करूंगा। जब नहरें सारी टूटी-फूटी हुई हैं..

श्री सभापति: कृपया प्रश्न पूछिये। विषय सूची बहुत लंबी है आज आपकी।

श्री ओम प्रकाश शर्मा: मैं इनसे निवेदन कर रहा हूं साहब, मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है और इसी पर निवेदन कर रहा हूं। बूंदी जिले की समस्याओं के बारे में निवेदन करूंगा, और केवल नहरी एरिया के बारे में निवेदन कर रहा हूं। मैं अपने विषय से अलग नहीं जा रहा हूं। बूंदी जिले में एक ही शुगर मिल है और उस शुगर मिल में गन्ना पर्याप्त मात्रा में जाए तो जाए कहां से ? जब रास्ते नहीं हैं, नहरों द्वारा ठीक समय पर पानी दिया जाता नहीं है। आज शुगर मिल दीवाले में जा रही है। 10 करोड़ का घाटा है, वहां पर मजदूर काम करते हैं लेकिन गन्ना वहां पर पर्याप्त मात्रा में नहीं है। गन्ने के लिए आपको उसका भी क्षेत्र निश्चित करना पड़ेगा। जब तक उसका क्षेत्र निश्चित नहीं होगा, तब तक शुगर मिल चल नहीं पाएगी और उसकी सीमा भी बांधनी पड़ेगी। तो, 20 किलोमीटर के एरिया में गन्ने के अलावा कोई और न हो या 20 किलोमीटर का एरिया, जहां गन्ना है, वह गन्ना केशोरायपाटन शुगर मिल में ही जाए तब जाकर के वहां पर गन्ना आयेगा। पूर्व में 1977 के अन्दर किसानों ने गन्ना लगा दिया था और गन्ना इतना लगाया कि गन्ने को जलाना पड़ा। राजस्थान की सरकार ने मई और जून तक मिल चलायी थी परन्तु उसके परिणाम स्वरूप जो उसने गन्ना जलाया आज किसान गन्ना लगानेम्र में समर्थ है और गन्ना नहीं लगाते हैं।

श्री सभापति: समाप्त कीजिये।

श्री ओम प्रकाश शर्मा: और जहां से मैं चुना गया हूं वहां 17

(श्री ओम प्रकाश शर्मा)

पंचायतें ऐसी हैं जहां पर नहरें हैं और एक भी डिस्ट्रीब्यूटरी, एक भी माइनर ऐसी नहीं है जहां पर ड्रेन साफ हो। लगभग 10 वर्ष से ड्रेनेज साफ नहीं की गयी हैं। नहरों के अन्दर पेड़-पौधे उगे हुए हैं। पानी ठीक समय पर मिलता नहीं है। जब तक नहर की सफाई नहीं होगी, नहर पक्की नहीं की जाएगी, नहरों द्वारा पानी नहीं मिलेगा खेतों में, इसलिए ड्रेनों को साफ किया जाए। नहरों से जो पानी निकलता है वह खेत के बाद ड्रेनों में पानी पड़े और पानी बाहर निकले तो खेत भी बचेंगे, फसल भी ठीक होगी, इनकी सफाई करना अत्यावश्यक है।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय कालीचरण सराफ।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : दो मिनट निवेदन करूंगा।

श्री सभापति : भाषण नहीं, आपको प्रश्न पूछना है।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : आज बूंदी जिले में...

श्री किशन मोटवानी : हाउस ठण्डा है, गर्मी हो रही है। हाउस ठण्डा चल रहा है और गर्मी हो रही है, यह व्यवस्था करवाइये।

श्री सभापति : कर रहा हूं।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : मैं निवेदन कर रहा हूं बूंदी जिले का बासमती चावल विदेशों में जा रहा है। इस पानी के अभाव में बासमती चावल नहीं होगा और इस देश को, भारतवर्ष को जो विदेशी मुद्रा मिल रही है, वह नहीं मिलेगी। इसलिए पानी की व्यवस्था क ठीकरायी जाए। वहां पर तिलहन है, गेहूं है, अन्य फसलें हो रही हैं, नहरों को साफ कराया जाए, पक्का कराया जाए, रास्ते ठीक किए जाएं, ड्रेनों की सफाई की जाए और भी इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पैसा दिया जाए।

एक अन्तिम मेरा निवेदन है केचमेंट के बारे में। पहले भी सरकार ने घोषणा की थी कि केचमेंट का कर्जा माफ करेंगे परन्तु आज तक वह केचमेंट का कर्जा माफ नहीं हुआ। इसके कारण से वहां के किसान जब अपनी जमीन बेचते है तो बैंक द्वारा नो-ड्यूज नहीं दिया जाता है। इसलिए किसानों का केचमेंट का कर्जा राज्य सरकार केन्द्र सरकार पर दबाव डालकर माफ कराये। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री कालीचरण सराफ। (अनुपस्थित), माननीय श्री अर्जुनलाल जीनगर। (अनुपस्थित), माननीय श्री मदान।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : सभापति जी, विषय मेरे विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित है और यह कोटा डैम एक ऐसे स्थान पर निर्मित है जहां पर दोनों, तीनों संगम स्थान मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं। चाहे कोई बूंदी की बात करे, चाहे कोटा की बात करे, मैं तो केवल मात्र इतना आपसे निवेदन करता हूं कि चाहे दायीं मुख्य नहर हो, चाहे बायीं मुख्य नहर हो, वह मेरे विधान सभा क्षेत्र से आगे बढ़ती है और मैं दोनों तरफ के पक्षों की बात आपसे निवेदन करूंगा। मैंने आज सुबह माननीय मंत्री महोदय को एक पत्र दिया था और मैंने उनसे निवेदन करके पूरी वस्तुस्थिति का तो उनको ज्ञान करा दिया है और चाहा है कि एक-दो दिन का कार्यक्रम वह उस क्षेत्र में बनायें, ताकि वस्तु स्थिति की

(श्री अर्जुनदास मदान)

जानकारी उनको प्राप्त हो। इतनी दूभर स्थिति है, सभापति जी, कि यदि आप उसको देखें तो लगेगा कि यह नहर चल रही है या कोई नाला सा चल रहा है। बिल्कुल जगह-जगह पर भराव हो गये हैं। छोटे-छोटे पेड़-पौधे उसमें उग गये हैं। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। रिसाव इतनी मात्रा में है कि लगता है कि नहर के समानान्तर एक-दूसरी नहर चल रही है और वो दूसरी नहर रिसाव के कारण से आस पास के खेतों में इतना पानी भर जाता है कि जहां पर किसान अपनी तीन फसलें साल में उगाता था, आज केवल मात्र एक फसल उगाता है। कम से कम भी हजारों बीघा जमीन आज ऐसी हो गयी है उस रिसाव के कारण से, तो क्या व्यवस्था ठीक नहीं है? पानी के ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है और कोई उसको, देखने वाला नहीं है। 70 प्रतिशत पैसा आप उस पर खर्च करते हैं लेकिन बाकी बचा 30 प्रतिशत पैसा भी वास्तविक स्थिति में उस खर्चे में आता है। जिसके नियोजन की जिम्मेदारी सरकार ने ली है तो भी उसको देखने वाला कोई नहीं है। किस की जेब में जाता है? मैं किसी पर दोषारोपण करने की स्थिति में यहां पर खड़ा नहीं हुआ हूं। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि आज कोटा की स्थिति, इन नहरों में बहने वाला पानी आज इतनी दूभर स्थिति में फैल चुका है कि टेल तक पानी पहुंचता नहीं है किसान अपने पानी के लिए त्राहि-त्राहि करता है। जो बिलकुल मुखे के ऊपर बैठा हुआ है, हैड के ऊपर बैठा हुआ है वो पानी तो ले लेता है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है और बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। जो वहां पर बैठा हुआ है अपने मनमाने तरीके से एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, मनमाने तरीके से पानी लेता रहता है और जब तक उसकी प्यास नहीं बुझती, वो अपने पानी को छोड़ता नहीं है और कोई देखने वाला नहीं है। तो, मेरे इसमें केवल मात्र तीन सुझाव हैं, सबसे पहला तो किसान की जो व्यवस्था है, उसको समाप्त किया जाए और वह जो रिसाव के नाले पहले बनाये गये थे ताकि पानी उसमें से होकर के नालों में जाए और खेती के अन्दर, खेती की जमीन में नहीं भरे।

श्री सभापति : ठीक है।

श्री अर्जुनदास मदान : उसकी पहले व्यवस्था होनी चाहिये। दूसरी व्यवस्था, मेरा उनसे कहना है कि जो कुछ, पैसा आप खर्च करते हो, कम से कम जो भी प्रतिनिधि वहां के हैं, बिना किसी भेदभाव के सब को आप बुला लें और उनको यह जानकारी रखें कि जितना पैसा भी खर्च हो रहा है तो बाकी उस स्थिति में...

श्री सभापति : माननीय श्री प्रतापसिंह सिंघवी। (अनुपस्थित) माननीय मंत्रीजी, उत्तर दें।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं माननीय मंत्रीजी को आपके माध्यम से केवल इतना निवेदन करूंगा जो मैंने पत्र दिया है, उसके ऊपर वह विचार करें और एक-दो दिन का व्यक्तिगत रूप से समय निकाल कर वस्तुस्थिति की जानकारी करें।

श्री सभापति : अब, बिराजिए। कृपया बिराजिए। माननीय मंत्रीजी।

180

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (राज्य मंत्री, सिंचित क्षेत्रीय विकास) : दोनों का साथ ही जवाब दे दें क्या, क्यों सभापति जी ? आपकी इजाजत अगर हो, तो वैसे तो दोनों पर बहस हो चुकी है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर दोनों का साथ ही जवाब दे दूं ।

श्री सभापति : दो मिनट में कुछ कहना चाहें तो कह लीजिये वरना हो चुकी चर्चा।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : सभापति महोदय, जो पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में हमारे कुछ सदस्यों द्वारा बाराबन्दी के मामले में ध्यान आकर्षित किया गया था, मैं तो इस बात से सहमत हूं कि यह बाराबन्दी का मामला जो आज से 34 साल पहले लागू हो जाना चाहिए था, वह आज तक वास्तव में चाहे हमने कागजों में पर्चियां बनायी हों और चाहे हमने पटवारी और मोबाइल मजिस्ट्रेट लगा दिये हों, मैं कुछ समय के लिए वहाँ गया भी था, वहां वास्तविकता यह है कि आज बाराबन्दी वास्तव में लागू नहीं है। मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं । जहां तक हमारे मोबाइल मजिस्ट्रेट का काम है वैसे तो कानूनी तौर पर करीबन 1200 केस दर्ज किये गये है, कुछ और भी काम चल रहा है लेकिन इस मामले में हर कर्मचारी और अफसरों पर तो लाइबिलिटी हम फिक्स करेंगे । आज इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है कि वहां एक परम्परागत लोगों के लिए एक ट्रस्ट बन गया है कि लोग वहां शुरू में जो मोगा आता है जिसको शीर्ष का मोगा कहें, हैड का मोगा कहें वहां पूरा पानी भरने के बाद में वह आगे पानी छोड़ते हैं । इस वजह से आखरी पानी जो हमारे हिसाब से हमारी योजना बनी, ढाई दिन में पहुंचना चाहिए था वह पैंतालीस दिन में भी नहीं पहुँच पाता । इसलिए टेल के काश्तकार बहुत बड़ी मात्रा में सफर कर रहे हैं।

मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं । परन्तु इस व्यवस्था को कैसे लागू किया जाए, मैं हमारे जनप्रतिनिधियों से विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं । यह कार्य कोई पुलिस या मजिस्ट्रेट से सम्भव नहीं है । हमें इस प्रकार की जन चेतना जागृत करनी पड़ेगी, सब का सहयोग लेना पड़ेगा जो इस पानी की जरूरत को समझते हों । वैसे तो राजस्थान कैनाल, भाखड़ा और गंग कैनाल में बाराबन्दी शुरू से ही लागू है क्योंकि वहां पर लोग यह समझते हैं कि पानी की क्या कीमत है लेकिन उस एरिया में क्यों प्रयास नहीं किये गये, क्यों जन चेतना जागृत नहीं की गयी । सभापति महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि हम तो सिंचाई क्षेत्र से बिलोंग करते हैं । आज वहां पर जो रिसाव की स्थिति पैदा हुई है उसका सबसे बड़ा कारण बाराबन्दी का लागू नहीं होना है । शुरू में जो पानी आता है, इतना बड़ा ठहराव उसमें पैदा होता है और लगातार आने की वजह से आज वहां पर पानी के रिसाव की स्थिति पैदा हुई है । इसलिए मेरा तो जनप्रतिनिधियों से यही निवेदन है, मैं असेम्बली के बाद 2-3 दिन का दौरा करूंगा । वहां इस प्रकार की परिस्थिति पैदा की जाए जिससे लोग इस पानी की आवश्यकता को समझें और बाराबन्दी को लागू कर सकें । और कोई समस्या बाराबन्दी के बारे में कुछ एसोसिएशन बनायें, कुछ लोगों को पार्टीसिपेट करें और जो विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही से सम्बन्धित है, मैं इस बात को मानता हूं कि जहां 2 लाख 23 हजार हैक्टेयर जमीन है

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

उसमें करीबन 95 हजार हैक्टेयर में पर्चियां बंट गयी बाकी पर्चियों का काम भी पूरा नहीं हुआ। तो मैं सारे साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगले तीन महीने के अन्दर जितना भी सिंचाई क्षेत्र है सब में पर्चियां बांट दी जाएगी और इस प्रकार की स्थिति पैदा की जाएगी जिससे कि हम आपके सहयोग से उसको 31 जून तक लागू कर सकें, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

जहां तक टेल पर पानी नहीं पहुंचने का मसला है। मैं भी यह मानता हूं, वहां मैं भी 2–3 घंटों के लिए गया था अचानक प्रोग्राम बना करके। वहां बड़ी अजीब स्थिति है। वहां जब आप मानर या खालों पर जाओ तो आपको यह महसूस नहीं होगा कि कोई माइनर है या कोई खाला है। मैंने अधिकारियों को उस समय भी निर्देश दिये कि जो हैड की माइनर्स हैं उसको हम साफ नहीं करेंगे, सही समतल नहीं बनायेंगे तब तक टेल पर पानी कैसे पहुंचेगा। इस बात को काश्तकार होने के नाते मैं अच्छी तरह से समझता हूं। मैंने अधिकारियों को निर्देश भी दिये हैं और आगे भी निर्देश देने जा रहा हूं कि जहां जो भी स्थिति हो, जहां तक हमारे मुख्यालय का प्रश्न है, वहां हमारे क्वार्टर्स बने हुए हैं वहां पर उनकी पर्सनल लाइबिलिटी होगी कि वह मुख्यावास पर हमेशा रहें और इस प्रकार की व्यवस्था भी देखें कि काश्तकार को सही पानी मिल रहा या नहीं मिल रहा है, इसमें बाराबन्दी लागू की जा रही है या नहीं की जा रही पानी के अन्दर कहीं दखल पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा। यह मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी जिम्मेदारी ठहराना चाहता हूं जिससे कि काश्तकार को टेल पर पानी पहुंचे।

नहरों की सफाई। नहरों की सफाई का जहां तक मसला था, हमने छह मशीनें इस साल खरीदी हैं और उन मशीनों के खरीदने के बाद हमारा यह प्रयास होगा कि एक बार चाहे हम विशेष बजट के लिए मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करेंगे, कोटा में एम.एल.एज. की बैठक करेंगे और हम अधिकारियों के साथ में पायलेट प्रोजेक्ट बनायेंगे कि किस प्रकार से इन नहरों को योजनाबद्ध तरीके से सफाई करके अगले साल खरीफ की फसल के समय हम कैसे टेल पर पानी पहुंचा सकें, काश्तकार को राहत दे सकें, इसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसको युद्ध स्तर पर हम करेंगे और हर हालत में अगले साल टेल पर पानी पहुंचेगा, बाराबन्दी को लागू किया जाएगा और इसके लिए मैं आप सबके सहयोग की अपेक्षा करता हूं और मुझे विश्वास है कि जनप्रतिनिधियों का, काश्तकारों का सहयोग मिलेगा। मैं वहां पर पानी देखने गया तो आदमी को रोना आता है कि पानी की किस प्रकार से बरबादी हो रही है, किस तरह से वहां जमीनों की बरबादी हो रही है। तो मैंने भावनात्मक तरीके से और हमारे सब कार्यकर्त्ताओं के, नेताओं के सहयोग से इस काम को समझ लिया है और निश्चित रूप से इस बात का पूरा प्रयास करेंगे कि सारे के सारे एम.एल. एज. की, मंत्रियों की बैठक बुला कर एक पायलेट प्रोजेक्ट के जरिये इस काम को हम पूरा करें। वैसे तो कैनेडियन करोड़ों रुपये की स्कीम आयी उससे तो जो हमारे पहले रिसाव की स्थिति थी उसको ठीक किया जा रहा है। यह भी मैंने देखा है कि पी.वी.सी. पाइपों के जरिये जो पानी तीन–चार फीट नीचा है

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

वह अलग ड्रेन में लेकर के दिया जा रहा है। बहुत अच्छा तकनीकी वैज्ञानिक तरीका है लेकिन उस रिसाव को हम ठीक करें और आगे से रिसाव पैदा न हो इस बात के लिए सरकार की, हमारे काश्तकारों की जिम्मेदारी है कि ऐसा वातावरण, ऐसी व्यवस्था हम पैदा कर सकें। यही मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं। आप लोगों के जो भी सुझाव आये व मौके पर जो भी सुझाव आयेंगे, हम निश्चित रूप से उनको शामिल करके जो धरती सोना उगलती है और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि वहां पर सही तरीके से पानी पूरा नहीं मिलने की वजह से फसलों का ट्रेण्ड भी चैन्ज हो गया। पहले चावल बहुत पैदा होता था लेकिन पानी की कमी की वजह से लोगों ने सोयाबीन की बिजाई शुरू की और इसी वजह से सरसों की बिजाई आज कम हैं। गेहूं का पैटर्न भी चैन्ज होता जा रहा है। तो इस सारी की सारी व्यवस्था को हमने समझा है और मैं यह चाहता हूं कि वहां पर जो क्रोप का ट्रेण्ड है वह डवलप हो, काश्तकारों को समय पर पानी मिले। यह सारी की सारी व्यवस्था मैं आपके सहयोग से पूरी करना चाहता हूं। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हुई। माननीय श्री देवीसिंह जी भाटी, सिंचाई मंत्री। सिंचाई विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

सूचना

अनुसूचित जनजाति के डिप्लोमा होल्डर्स का विधान सभा के बाहर अनशन

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : सभापति महोदय, बाहर डिप्लोमा होल्डर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और उनकी जिन्दगी का सवाल है। जगह सरकार के पास 32 खाली पड़ी हैं, एस. टी. की जगह खाली पड़ी है उसके बाद में भी उनको सरकार रोजगार नहीं दे रही है। तो जो आमरण अनशन पर बैठे हैं, सरकार इस बारे में चिन्ता करे और जितने भी डिप्लोमा होल्डर एस. टी. के लोग बैठे हुए हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनकी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, इस लिए आपके माध्यम से मैं जानकारी माननीय मंत्री महोदय को देना चाहता हूं।

श्री सभापति : बिराजिये। ज़ीरो आवर का प्रश्न है। अब आप कृपया बिराजें।

श्री रामस्वरूप : बाहर अनशन पर बैठे हैं। यह बहुत ही गंभीर मसला है। एस. टी के साथ अन्याय है। जगह खाली पड़ी है।

श्री सभापति : आपने सूचना दे दी। अब आप बिराजिये। आगे कार्यवाही चलने दीजिये।

श्री रामस्वरूप : डिप्लोमा होल्डर जो बाहर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, भूखे मर रहे हैं, (व्यवधान) आज 10 दिन हो गये उनको आमरण अनशन पर बैठे हुए..

श्री सभापति : यह कौन सा तरीका है।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : बाहर जाकर उनका अनशन तुड़वाया जाए..

श्री रामस्वरूप : बाहर बैठे हुए हैं एस. टी के लोग और उनकी परवाह नहीं की जा रही है सदन के अन्दर और यहां पर हंसी..

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये। माननीय मंत्रीजी, बोलिये।

श्री रामस्वरूप : हम उनके हितों का ध्यान रखें और जो आमरण अनशन पर बाहर बैठे हैं उनको राहत दिलायी जाए।

सदन पटल पर रखे गये पत्रादि
अधिसूचना

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं सिंचाई विभाग की अधिसूचना सं प.28(1)सिंचाई/87-II/ दिनांक 17 सितम्बर, 1993 जिसके द्वारा राजस्थान सिंचाई तथा जल निकास नियम, 1955 में जो संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा तीन याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

सूचना
अनुसूचित जनजाति के डिप्लोमा होल्डर्स का विधान सभा के बाहर अनशन

श्रीमती कमला (बैराठ) : सभापति महोदय, इस संबंध में संबंधित मंत्री महोदय से कुछ आश्वासन तो दिलवायें।

श्री सभापति : आपने सूचना दे दी, बात समाप्त हो गयी। अब आप विराजें।

एक माननीय सदस्य : आप सरकार को कहिये कि स्टेटमेंट दें।

श्री सभापति : आप विराजें। आपने अपना कार्य कर दिया। इनको याचिकाएं रखने दीजिये। माननीय शिवनाथसिंहजी।

श्रीमती कमला : सभापति महोदय, जो मुद्दा माननीय सदस्यगण उठा रहे हैं उस संबंध में मंत्री महोदय से...

श्री रामस्वरूप : बाहर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं।

श्री सभापति : आपको जो बताना था वह बता दिया। अब आप क्या चाहते हैं?

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से इस बाबत में दो शब्द आश्वासन के दिलवा दीजिये।

श्री सभापति : सदन को आप नियमों के अनुसार चलने दीजिये। सदन की प्रक्रिया के तहत जो कार्यवाही चल रही है— (व्यवधान) कृपया आप विराजें।

श्री रामस्वरूप : पहले इस पर विचार कीजिये उसके बाद आगे कार्यवाही बढ़ायी जाए। वह भूखे मर रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए 10 दिन से ज्यादा हो गये।

श्री सभापति : कृपया विराजें। आर्डर प्लीज।

श्री रामस्वरूप : हम तो बैठ जाएंगे पर उनका क्या होगा जो भूखे मर रहे हैं?

श्री सभापति : माननीय शिवनाथसिंह जी, बोलिये।

श्री रामस्वरूप : आप उन एस.टी. के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हो।

एक माननीय सदस्य : आप सरकार को कहिये कि स्टेटमेंट दें।

श्री रामस्वरूप : सरकार इस बारे में व्यवस्था दे। सरकार क्या कह रही है जो भूखे मर रहे हैं, जो अनशन पर बैठे हुए हैं।

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूप जी अब आप विराजें।

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, आश्वासन तो दिलाएं, उनका अनशन तो तुड़वाएं।

श्री सभापति : आपने अपनी बात बता दी, सरकार ने सुन ली। अब आगे प्रक्रिया के तहत...

श्रीमती कमला : सभापति महोदय, सरकार दो शब्द अगर इस बाबत में कुछ कह दें तो माननीय सदस्य...

श्री सभापति : सरकार ने सुन लिया। मैं सरकार को क्या बाध्य कर सकता हूं। माननीय कमला जी...

श्रीमती कमला: नहीं, आप उनको निवेदन कर सकते हैं, हम भी निवेदन कर रहे हैं।

श्री सभापति : अब आप बिराजें।

श्रीमती कमला : जगह खाली पड़ी है इसलिए दो शब्द अगर मंत्री महोदय...

श्री कुबेर सिंह : आश्वासन तो दिलाएं। उनका आमरण अनशन तुड़वाएं।

श्री सभापति : कृपया आप पढ़िये शिवनाथसिंह जी, वरना मैं आगे का नाम बोलता हूं।

श्री कुबेर सिंह : सभापति महोदय, एस.टी., एस.सी. का सवाल है। जितने डिप्लोमा होल्डर बाहर बैठे हैं (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बिराजें। आर्डर प्लीज़। माननीय रामस्वरूप जी, आप बिराजें।

श्री रामस्वरूप : आश्वासन तो दें। सरकार क्या कह रही है? (व्यवधान)

श्री सभापति : बात कह चुके अपनी ... (व्यवधान) सदन को सदन की तरह चलने दीजिये... (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं, मंत्री महोदय भी यहां मौजूद हैं, वह बाहर स्ट्राइक पर बैठे हैं, अन्दर स्ट्राइक पर बैठे हैं, अगर वे दो शब्द इस बारे में कह दें कि यह कार्यवाही हम कर रहे हैं तो उनको आश्वासन मिल जायेगा।

श्री सभापति : माननीय खेतसिंहजी, उन्होंने सुन लिया है। तत्काल क्या कर सकते हैं वह। जब भी आवश्यक होगा, अपना स्टेटमेंट दे देंगे। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह इश्यू कई दिन से चल रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : कोई आवश्यक तो नहीं है ना कि मैं उनसे कहूं। आप तो जानते हैं, आप उनसे कहिये कि चुप रहे। अब आप कन्ट्रोल कीजिये ना अपनी पार्टी पर (व्यवधान) माननीय शिवनाथसिंह जी।

श्री रामस्वरूप : आप कन्ट्रोल की बात कर रहे हो, उस लड़के की हालत खराब हो गयी है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बोलिये ना, शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह : सभापति महोदय, हाउस को तो आर्डर में होने दो (व्यवधान)

श्री सभापति : तो मैं क्या करूंगा। आप बोलिये ना। मैंने आपका नाम पुकारा है, आप अपनी याचिकाएं प्रस्तुत कीजिये, नोट हो जाएगी। जिससे आगे चलूं मैं। (व्यवधान)

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : सभापति महोदय, मैं,

(श्री शिवनाथ सिंह)

झुन्झुनू जिले के खोह ग्राम में बांध बनवाने

(1) झुन्झुनू जिले के खोह ग्राम में बांध बनवाने के सम्बन्ध में

झुन्झुनू जिले की खेतड़ी ताम्र परियोजना द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को रोकने

(2) झुन्झुनू जिले की खेतड़ी ताम्र परियोजना द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में एवं

सीकर से लुहारु तक बनी अधूरी सड़क को पूर्ण कराने

(3) सीकर से,लुहारू तक बनी अधूरी सड़क को पूर्ण कराये जाने बाबत याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर: स्थापन राजस्थान मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1994

श्री सभापति : माननीय श्री रोहिताश्व प्रभारी मंत्री, राजस्थान मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री रोहिताश्व (राज्य मंत्री, यातायात): सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से मैं राजस्थान मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

स्वीकृत विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री रोहिताश्व : सभापति महोदय, मैं राजस्थान मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुर:स्थापित करता हूं।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री सभापति : माननीय चन्दनमल जी बैद।

श्रीमती कमला (बैराठ): सभापति महोदय, आय-व्ययक बजट के ऊपर मुझे भी बोलना है इसलिए आपकी सूची में नहीं हो तो मेरा नाम भी दर्ज कर लें।

श्री सभापति : बोलिये आप। सूची में तो नहीं है। मैं तो आगे जा रहा था।

श्रीमती कमला : मुझे इजाजत देंगे?

श्री सभापति : बोलिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा): हमारा भी नाम है इसमें। (व्यवधान)

श्री सभापति : चले जाना। आप बोलिये श्रीमती कमला जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सभापति महोदय, हमारी पार्टी के विष्णु मोदी को भी आप थोड़ा-सा समय दे दें।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, राज्य का जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें करीब-करीब सभी मुद्दों पर बहुत विस्तार से, बड़े व्यापक पैमाने पर, सवा दो घण्टे तक निरन्तर खड़े रहकर माननीय मुख्य मंत्री जी ने विवरण दिया है। उसमें बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिनसे लगता है जैसे बहुत ठण्डी फुहार आयी। कई मुद्दे ऐसे हैं कि बिलकुल अकालग्रस्त है। कई मुद्दे ऐसे हैं जिनका उल्लेख बहुत सुन्दर है लेकिन ठोस व्यवस्थाएं बहुत कम हैं। इसी प्रकार से

(श्रीमती कमला)

काफी कुछ कन्सेशंस दिये गये हैं, कुछ कर्जे माफ किये गये हैं और कुछ बड़ी-बड़ी संख्याओं में स्कूलों, दवाखानों का भी उल्लेख इसमें है लेकिन फिर भी यह बजट अपने आपमें राजस्थान को बहुत तेजी के साथ आगे तरक्की की तरफ ले जाने वाला और व्यापक पैमाने पर हर वर्ग को हर क्षेत्र को तरक्की की राह पर ले जाने वाला प्रतीत नहीं होता। कई मुद्दे ऐसे हैं कि जिनमें बिल्कुल ही दो चार लाइन लिखकर छोड़ दिया गया। मैं कुछ मुददों पर अपना ध्यान कन्सन्ट्रेट करूंगी क्योंकि हमारी पार्टी के और भी सदस्य बोलने वाले हैं।

सबसे पहले मैं शिक्षा के ऊपर बात करना चाहूंगी। शिक्षा के बाबत बहुत विस्तार से और कई जगह पर कई प्रकार का उल्लेख है। जैसे प्राथमिक विद्यालय कितने खुलेंगे, उच्च प्राथमिक विद्यालय कितने खुलेंगे, माध्यमिक विद्यालय कितने खुलेंगे, सीनियर माध्यमिक विद्यालय का तो कोई उल्लेख ही नहीं है, कुछ महिला कालेजेज को क्रमोन्नत करने की बात है, बाकी किसी का भी नहीं है। इसलिए मेरा इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि आज जब राजस्थान में हम शिक्षा के क्षेत्र में इतने पिछड़े हुए हैं और महिला शिक्षा के मामले में तो हमारा जैसा हम सभी लोग कहते हैं कि नीचे से दूसरा नम्बर है, उस मामले में जितनी व्यवस्था इसके अन्दर की जानी चाहिए थी और जितनी आशाएं थीं उसके मुताबिक इसमें कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जो प्राइमरी स्कूल खोलने की घोषणा की गयी है वह राजस्थान की आवश्यकता के मुताबिक बिल्कुल अधूरी है। दूसरी तरफ जो अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं वह अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र 400 के करीब लिखे हैं अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र वही शिक्षा केन्द्र हैं जिनके बारे में हमारे सामने वाले मंत्रीगण यह कह रहे थे कि आपने जो शिक्षा केन्द्र खोले थे वह किसी काम के नहीं थे सिर्फ वहां दो घंटे शिक्षा अध्ययन होता था। आज जो अनौपचारिक शिक्षा का काम चल रहा है वह प्राइवेट संस्थाएं ही इन कार्यक्रमों को चला रही हैं, न पंचायत समिति चला रही हैं, न जिला परिषद् चला रही हैं। प्राइवेट संस्थाएं जयपुर शहर को जा-जाकर के रूरल एरिया के अन्दर चला रही हैं और वह किस तरह से चला रही हैं, मेरी समझ में बहुत से सदस्यगण इसको जानते होंगे। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जो दो हजार कुछ प्राइमरी स्कूलों की घोषणा की गयी है कुछ आबादी के ऊपर, चार हजार के करीब जो अनौपचारिक केन्द्र हैं उनको आधा करके उसके पेटे आप प्राइमरी विद्यालय जो रेगुलर विद्यालय होते हैं, इसमें शामिल करें और इनकी संख्या चार हजार के करीब कर दें। जो प्राइमरी रेगुलर विद्यालय खोले गये उनकी और इसी तरह से जो अपर प्राइमरी आप खोल रहे हैं उनकी भी संख्या बढ़ायें। सीनियर तो आपने सिर्फ 90 खोले हैं। अब 90 में कहां-कहां, किस-किस जगह आप देंगे...

श्री परसादीलाल मीणा : 138 जगह।

श्रीमती कमला : नहीं, वह दूसरा है। तो वह कम से कम इतने तो होने चाहिए कि आपके यहां पर दो सौ विधान सभा क्षेत्र हैं उनमें एक-एक तो कम से कम हर क्षेत्र को मिल सके। आपने इसमें 90 रखे हैं वह बहुत कम हैं और सीनियर हायर सैकण्डरी का नाम ही नहीं है जबकि इसकी बहुत जरूरत है। बच्चे सैकण्डरी करने के बाद में कहां पर पहुंचेंगे? अब वह 138 हैं।

(श्रीमती कमला)

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि महिलाओं और बच्चियों के लिए आपने संस्थान का भी उल्लेख किया है। आपने आयोग का भी उल्लेख किया है महिलाओं की दशा सुधारने के लिए। लेकिन इस पूरे बजट जो शिक्षा का है, के अन्दर महिलाओं के लिए क्या प्रतिशत प्राइमरी का होगा, क्या अपर प्राइमरी, सैकण्डरी और सीनियर हायर सैकण्डरी का होगा, यह कुछ भी नहीं लिखा। इसका परिणाम, माननीय मुख्य मंत्रीजी, यह होता है कि ज्यादातर बच्चों के ही स्कूल खुल जाते हैं और बच्चियों के स्कूल नाम मात्र के रह जाते हैं और फिर हमारी वह की वह समस्या रह जाती है कि हम बच्चियों को शिक्षा देने में असमर्थ रह जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें आप कुछ निश्चित प्रतिशत बालिकाओं की शिक्षा के लिए निर्धारित करें जिसमे कि बालिकाओं तक शिक्षा हम निश्चित रूप से पहुंचा सकें। कम से कम यह तय करें कि हर पंचायत हैड क्वार्टर के ऊपर एक मिडल स्कूल होगा, या दो के बीच में एक मिडल स्कूल होगा। इस तरह के प्रावधान के लिए पहले भी मैंने निवेदन किया था, हरेक पंचायत समिति मुख्यालय पर या इतनी पापूलेशन पर कम से कम एक सीनियर हायर सैकण्डरी हो। तो इसके अन्दर कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। महिला शिक्षा का जनरल तौर पर आपने बहुत सारा उल्लेख किया है लेकिन महिलाओं के लिए अलग से आपने कुछ भी नहीं किया है। आपने यह लिखा है कि जिला मुख्यालयों पर कालेजेज के साथ छात्रावास बनाये जाएंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि माध्यमिक विद्यालय और सीनियर माध्यमिक विद्यालय जहां पर भी हों, वहां बालिकाओं के छात्रावास आवश्यक रूप से बनाये जाने चाहिए क्योंकि बच्चियां दूर-दूर तक रोजाना आना जाना और किसी प्राइवेट मकान में रहकर पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकतीं और न कोई भेज सकता है अपनी बच्चियों को इस तरीके से। इसलिए मेरा निवेदन है, माननीय मुख्य मंत्रीजी, कि इनके साथ में आप एक-एक छात्रावास का जरूर प्रावधान करें और जब तक छात्रावास न बने तब तक किराये के मकान लेकर विभाग बच्चियों को छात्रावास प्रोवाइड करे।

इसके साथ मेरा यह भी निवेदन है और बहुत पुरजोर शब्दों में आप से निवेदन करना चाहती हूं कि कई मामलों में हमारा राजस्थान अग्रणी रहा है पंचायत राज और दूसरों में। महिलाओं के लिए भी जॉब रिजर्वेशन का इसमें प्रावधान करिये। अभी-अभी महाराष्ट्र ने 30% रिजर्वेशन जारी किया है। मैं नहीं कहती कि 30% करिये क्योंकि हमारा तो शिक्षा का प्रतिशत ही 20 प्रतिशत है लेकिन आप 15 प्रतिशत से भी अगर शुरू करेंगे तो राजस्थान का महिला वर्ग इस काम के लिए आपका बहुत आभार मानेगा। उनका हक बनता है। 50% नहीं तो जितना प्रतिशत एजुकेशन है उससे थोड़ा बहुत 2-5 प्रतिशत कम पर करिये लेकिन जॉब रिजर्वेशन के बिना पढ़ाई का इन्सेंटिव कम हो पायेगा। इसलिए इसको आप देखें।

एक मेरा सुझाव यह भी है; पहले हमारे समय में हम लोगों ने किया था कि प्राइमरी स्कूल के अन्दर प्राथमिकता लेडी टीचर्स को दी जानी चाहिए, जो लोकली अवेलेबल हों और अगर वह ट्रेण्ड नहीं हैं तो

(श्रीमती कमला)

एक साल का उनको मार्जिन दिया जाए, एक साल या दो साल के अन्दर-अन्दर वह ट्रेनिंग ले लेंगी। तो हम प्राथमिक एजुकेशन में इसको लागू कर सकते हैं।

एक मेरा निवेदन यह है कि पांचवीं कक्षा तक जो परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, उसने हमारे बेसिक आधार को, शिक्षा को, बच्चों की तैयारी को बिलकुल खतम कर दिया है। करना तो हम चाह रहे थे एक नवीन प्रयोग हम परीक्षाओं के नाम से बच्चों में आंतक पैदा न करें, उनका मानसिक खुलासा रहे लेकिन उसका परिणाम अलग हो रहा है कि न तो पढ़ाई कराते हैं मास्टर और न बच्चे परीक्षा में बैठते हैं, तो न यह पता लगता है कि वह पास हुआ कि फेल हुआ या कितना बढ़े इसलिए वापस इसकी व्यवस्था हमें शुरू करनी चाहिए।

इसके साथ, माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरी बात संस्कृत शिक्षा के बारे में कहना चाहती हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं कई बार आपसे मिली भी हूं, लिखकर भी दिया है, पिछली बार भी मैं बोली थी राज्यपालजी के भाषण पर लेकिन आपने इसमें संस्कृत शोध संस्थान के लिए जो भाषा लिखी है वह भाषा बिलकुल ही मेरी समझ में नहीं आयी, किसी नासमझ ने या उसके प्रयोजन को न समझने वाले व्यक्ति ने बनायी है। उसमें लिख दिया है कि संस्कृत संस्था बनेगी और वह संस्कृत शिक्षा को समायोजित करते हुए उसकी देख रेख करेगी। संस्कृत शोध संस्थान का यह कतई तात्पर्य नहीं है। इसलिए एक तो उसमें संस्कृत संस्था के बजाय संस्कृत शोध संस्थान करें, शोध शब्द उसके अन्दर जोड़ा जाना चाहिए, दूसरा शोध संस्थान का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई संस्था संस्कृत एजुकेशन को कोआर्डिनेट करे, रेगुलेट करे, मानीटर करे। उसका यह अर्थ नहीं है। संस्कृत का जो वाङ्मय है, चाहे वह वेद हैं. पुराण हैं, श्रुति हैं, स्मृति हैं, जो कुछ भी हैं, उस सारे वाङ्मय को ट्रांसलेट करना, उस ट्रांसलेशन के आधार पर सृष्टि की जो शक्तियां हैं, मनुष्य की जो शक्तियां हैं, उन्होंने किस-किस तरह से उनको अनुभूत किया है, उसके आधार पर उन शक्तियों का किस तरह से प्रयोग जीवन शैली में, समाज को चलाने में किया है और आज हम, आज का समाज और संसार उससे कैसे लाभ ले सकता है, तो उसके ट्रांसलेशन के बाद जो अर्थ आज की साइण्टिफिक भाषा में हो सकते हैं, उसके अर्थ वैज्ञानिकों के साथ बैठकर हम तैयार करें और उसके आधार पर हम अपनी जीवन शैली में सृष्टि का जो कुछ तत्व हमारे पास है उसका प्रयोग करें। वैज्ञानिक ढंग के उस संस्कृत संस्थान का यह तात्पर्य है। यह तात्पर्य नहीं है कि एक संस्था संस्कृत एजुकेशन को चलाने के लिए कायम कर दी जाए। इसलिए उसके सारे के सारे मजमून को बदला जाए और उसको इस तात्पर्य के साथ में उसके अन्दर दर्ज किया जाए।

दूसरा संस्कृत शिक्षा के लिए एस.टी.सी. सारे स्टेट में एक है। पिछले वक्त में हमने संस्कृत के तीन और एस.टी सी. खोले थे वह दो साल तक चले भी, उसके बाद में उसको बंद कर दिया गया। तमाम प्रायोरिटीज तमाम कंडीशन्स को फुलफिल करती है लेकिन इन संस्थाओं को आज तक भी वापस शुरू नहीं किया गया है। इस लिए उन एस. टी. सी. को वापस शुरू करना चाहिए और यह काम हमें

(श्रीमती कमला)

तत्परता से इसलिए करना चाहिए कि सारे स्टेट में एक मात्र एस.टी.सी. संस्कृत के कितने टीचर्स को ट्रेण्ड कर सकता है यह हमें सोचने की बात है। संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए कुछ भी शब्द नहीं कहा जबकि राजस्थान में जयपुर में यह होना हमारे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की और एक बहुत बड़े हक की बात है। उसके बारे में पुनर्विचार करेंगे, माननीय मुख्य मंत्रीजी, ऐसा मेरा निवेदन है।

कृषि के बारे में हमने खालों का कर्जा माफ किया हैं, हमने तकावी का कर्जा माफ किया है, बीजों पर भी कुछ टैक्स हटाये हैं, यह सब किया है लेकिन यह किसान को निरन्तर खुशहाली का आधार देने वाली चीजें नहीं हैं उसके गले में फांसी लगी हुई थी कर्जे की, वह आपने निकालकर उसको राहत दी है। वह वैसे भी नहीं देता पैसा। चाहे कितना ही ले लेता, चाहे कांग्रेस का राज आ जाता और चाहे बी.जे.पी. का रहता लेकिन आपने उसका मानसिक तनाव कम कर दिया। उसके आगे का जमाना जिस तरह से आ रहा है, गैट के प्रस्तावों के मुताबिक डंकल, के प्रस्तावों के मुताबिक जो काश्तकारों को और खेती को तैयार करना चाहिए था उसमें इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए मेरा निवेदनहै कि मात्र तकावी और खालों का कर्जा माफ करने से कृषि का और कृषकों का कोई भविष्य नहीं बनने वाला है। पैदावार जो है उसको बढ़िया से बढ़िया श्रेष्ठ ढंग की बनाने के लिए और वह अपनी उपज को यूं ही फैंककर न आ जाए, उसको कोल्ड स्टोरेज में रखें और उसको जब जरूरत हो और जब अच्छा लगे उस वक्त उसको बेचे, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। उसकी एक्सपोर्ट की व्यवस्था की जाय। आज अगर हम यह नहीं कर सकते हैं तो आने वाले समय में खेती का कोई स्थान नहीं रहेगा और कृषकों को कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। इसके लिए एक शब्द भी कहीं हमने इस बजट में नहीं लिखा है। इसलिए इन्सेंटिव भी दिये जाने चाहिए। जो लोग कोल्ड स्टोरेज और कूलिंग प्लाण्ट का नेटवर्क बनायें उनको इन्सेंटिव दिए जाएं, जो एक्सपोर्ट के लिए काम करें उनको इन्सेंटिव दिये जाएं और जितने भी फल, सब्जी, फूल हमारे हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट की व्यवस्था करने के लिए इन्सेंटिव की इसके अन्दर व्यवस्था की जानी चाहिए थी।

इसके अलावा मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि आने वाले समय में विद्युतीकरण का जो मामला है, जो आप करते आए हैं कि हम 25 हजार देंगे और 750 गांवों को कर देंगे, हम यह चाहते हैं कि यह पता होना चाहिए कि कौनसे साल तक की एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। आज 12-12 वर्षों की एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं और उनको यह नहीं मालूम कि इनको कब कनेक्शन मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। इसलिए मैं एक तो माननीय विद्युत मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगी आप एक साल निर्धारित कम से कम कर दें कि इस साल तक की जो एप्लीकेशंस हैं उनका हम निस्तारण कर देंगे। और आपने और मुख्य मंत्रीजी ने जो अलग अलग बयान दिये हैं अगर आप वाला बयान सही है तो मुझे बहुत खुशी है कि सर्विस लाइन के नीचे भी हम कनेक्शन दे देंगे और वन पोल वाले भी कनेक्शन दे देंगे तो हम यह जानते हैं कि इससे आपके बोर्ड को फायदा होगा और किसान को भी राहत मिलेगी। जितनी आज बिजली चोरी की जा रही है वह इसलिए हो रही है कि वह

(श्रीमती कमला)

उस लाइन के साथ जा रही है और किसान पैदा करने के लिए उसमें से बिजली लेता है। तो अगर आप उनको रेगुलराइज करते हैं, कनेक्शन दे देते हैं तो बिजली बोर्ड को आमदनी होगी। किसान की खेती जो आज वह चोरी से कर रहा है वह सही ढंग से कर पायेगा। आपको यह भी सोचने की जरूरत है कि जब बड़े व्यापारी और बड़े-बड़े लोग बही खातों में अपनी आमदनी में और इनकम टैक्स में कितना कितना निजी स्वार्थ के लिए धन्धा करते हैं, किसान अपने खेत, में पैदा करके, अपने लिए भी देश के लिए भी अगर कोई गलत काम इस तरह से कर रहा है और मजबूरी है उसकी और जिस मजबूरी को आप टैकल कर सकते हैं और आपको भी फायदा हो सकता है तो इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए और इस बारे में कार्यवाही करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण और जल संग्रहण की अभी एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के तहत में चर्चा हो रही थी। मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन है कि जो भी बड़े आपके जलाशय हैं, जिनमें आप ड्रिंकिंग वाटर का इंतजाम कर रहे हैं उनके अप-स्ट्रीम के अन्दर जो आप कहीं एनीकट नहीं बनने देना चाहते तो आप उसको चाहे एनालाइज करा लीजिए, सर्वे करा लीजिए, अगर कहीं के अप-स्ट्रीम में भी पीने के पानी की दिक्कतें हैं, उनको किसी जगह छोटे बड़े डाट लगा कर के या एनीकट देकर के भी पानी का इंतजाम कर सकते हैं और आपके जो जलाशय हैं उनको भी रख सकते हैं बाकी सारे राज्य में एनीकट न बनाये जाएं इसके ऊपर पाबन्दी लगा दी जाती है तो मैं समझती हूं कि वह बहुत नासमझी का फैसला होगा। एनीकट बनाना अपने आप में बड़े बांधों से भी ज्यादा सही है और ज्यादा उपयोगी है। आज इतने नदी नाले बह रहे हैं सारे स्टेट के अन्दर/उनका पानी किसी का स्टेट से बाहर जा रहा है, किसी का यूं ही वेस्ट हो रहा है और किसी जगह वह बहकर के चला जाता है तो न ऊपर के गांव को फायदा हो रहा है, न नीचे के गांव को हो रहा है। आप छोटा-सा भी एनीकट बना देते हैं तो आप देखिये तीन साल के अन्दर अन्दर उस एरिया के चारों तरफ 20-20 कुओं का जल स्तर बढ़ जाता है, नमी आ जाती है और उसके अन्दर फायदा होता है। एनीकट बनाने का बांधों की मरम्मत करने का या और इस तरह के जल संग्रहण का जो व्यापक कार्यक्रम लेना चाहिए राजकीय जलदाय स्थिति को और सिंचाई की स्थिति को देखते हुए वह आपने इसके अन्दर कहीं पर भी व्यापक तौर पर इतनी गम्भीरता के साथ में नहीं लिया है। उसको आपको लेना चाहिए।

मैंने पहले आपसे निवेदन किया था कि ट्यूबवैल इरिगेशन के बारे में इसमें कहीं कोई प्रावधान नहीं है कि ट्यूबवैल इरिगेशन के लिए सरकार एक्ट लायेगी या ट्यूबवैल इरिगेशन को हाथ में लेगी जिससे कम खर्चे में और ज्यादा बड़े पैमाने पर इरिगेशन होने की सुविधा हमारे यहां मिल सकती है।

एक बहुत ही इम्पार्टेन्ट बात, मुख्य मंत्रीजी, यह है कि राज्य सरकार चाहे कुछ भी नहीं करे ड्रिलिंग मशीनों के जो चार्जेज हैं उसमें थोड़ा कन्सेशन करके अगर आप उपलब्ध करा दें तो किसान खुद अपना ड्रिलिंग करा लेंगे और खुद अपने कुओं में पानी कर लेंगे और इससे पेयजल की और सिंचाई की, दोनों की सुविधा हो जाएगी। ग्राउण्ड वाटर की जो ड्रिलिंग मशीनें हैं या

(श्रीमती कमला)

प्राइवेट पार्टीज की जो ड्रिलिंग मशीनें हैं वह इतनी कास्टली हैं कि कोई किसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता और सरकार भी उनको नहीं करा पा रही है। नतीजा यह है कि कुओं से पानी मिल सकता है लेकिन उसके बावजूद भी इन भयानक चार्जेज के कारण से किसान उसको नहीं करा पा रहे हैं। इसलिए ड्रिलिंग मशीनों का उपयोग कराने के लिए काश्तकारों को अगर कुछ कन्सेशन्स दिये जा सकते हैं तो किसानों के लिए आप बहुत बड़ा तोहफा दे पायेंगे और बहुत बड़े संकट से आप उनको उभार पायेंगे, यह मेरा आपसे निवेदन है।

इसके अलावा रोजगार के लिए पहले भी निवेदन किया था, मैं ज्यादा नहीं कहूंगी लेकिन मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि रोजगार उपलब्धि के लिए चाहे इसमें नहीं लिखा है लेकिन इसके लिए आप व्यवस्थित कार्यक्रम जरूर बनाइये वरना यह जितनी योजनाएं करोड़ों और अरबों रुपयों की पड़ी हैं उनका किसी को भी लाभ नहीं मिल रहा है। इसके बारे में मैं फिर से आपसे निवेदन करना चाहती हूं।

आयुर्वेद और चिकित्सा के सम्बन्ध में भी मैं कहना चाहती हूं। माननीय सभापति जी, आज डंकल प्रस्तावों और गैट के बारे में और बातें तो भ्रान्तियों की हैं कि हम बीज नहीं रख सकेंगे। कहीं पाबन्दी नहीं है खूब बीज रखो और खूब उनका वितरण करो। हम पौध तैयार नहीं कर सकेंगे। तो कहीं कोई पाबन्दी नहीं है, कुछ भी संकट नहीं है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चिन्ता है वह यह है कि दवाइयां मंहगी होंगी और बहुत सी दवाइयां उपलब्ध भी नहीं हों ऐसा भी हो सकता है। तो इतने बड़े संकट को देखते हुए जो आपने पहले गवर्नर महोदय के अभिभाषण में लिखा था कि डंकल के कुप्रभाव से लोगों को बचाने के लिए हम कार्यक्रम तैयार करेंगे, आपने न तो कृषि के अन्दर तैयार किया और ना ही दवाइयों के अन्दर तैयार किया। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक और यूनानी जो भी चिकित्सा पद्धतियां है उनको हमें ज्यादा से ज्यादा बड़े पैमाने पर पनपाने के लिए व्यापक खर्चा करना चाहिए, व्यापक व्यवस्था करनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि मैंने बहुत लड़ाई झगड़ा करके सन् 77 से पहले एक आयुर्वेद अनुसंधान मण्डल कायम कराया था। उसके लिए यहां असेम्बली में आते हैं उसके पहले गेट पर वह चलता था, वहां उसका दफ्तर था। उसके लिए मैंने अपील करके ओरीजिनल ग्रन्थ आयुर्वेद के वहां पर रखवाये थे और जब 77 में सरकार बदली तो वह सारे के सारे ग्रन्थ और आयुर्वेद अनुसंधान मण्डल खतम हो गया और आज तक वापस नहीं आया। हालांकि मेरी सम्पर्क की गवर्नमेंट भी आयी, उनको भी मैंने लिखा पर उन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। आज मेरा आपसे पुरजोर निवेदन है कि उस अनुसंधान मण्डल को रिवाइज कीजिये और हमारे आयुर्वेदिक ग्रन्थों के अन्दर जो अद्भुत जड़ी-बूटियों का उल्लेख है, चिकित्सा पद्धति का उल्लेख है, उपचार का भी उल्लेख है और दुनियां उसको ले जाकर वापस हमें लौटा रही है और हम उसका उपयोग कर रहे हैं और पेटेन्ट उनका बनेगा तो आज, हमें उसके ऊपर गौर करना चाहिए। मैंने उसके अनुसंधान के लिए जो आयुर्वेद संस्थान है उसमें लेबोरेटरी टेस्टिंग के जरिये से, लक्ष्मी-

(श्रीमती कमला)

नारायण पुरी का जो अस्पताल हैं उसमें क्लिनिकल टेस्टिंग के जरिये से यहां पर 30 एकड़ जमीन उसमें दी थी उस संस्थान को जिसमें हर्बल फार्म और फार्मेसी बनेगी तमाम स्टेट का क्लाइमेटिक जोन भी बनेगा और किसी जमीन में किस जगह पर क्या क्या हर्बल तैयार हो सकती है उसके आधार पर फार्मेसी बनेगी। तो इतने बड़े व्यापक पैमाने पर वह बनेगा...

श्री जोगेश्वर गर्ग : चर्चा ही हुई, हैंड ओवर कभी नहीं किया।

श्रीमती कमला : मैंने किया था। बाकायदा इस गेट के अन्दर घुसते ही उस अनुसंधान मण्डल का दो साल तक दफ्तर रहा और उसने काम किया है लेकिन उसको बन्द कर दिया और उसके बाद में मुझसे रिवाइव नहीं हो सका, हालांकि दोनों कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय भी मैंने बहुत चेष्टा की थी पर वह सारी की सारी व्यवस्थाएं जो ग्राम स्तर से लेकर ऊपर तक थीं औषधि निगम की स्थापना का, हर्बल फार्म का, फार्मेसी का, क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से जड़ी–बूटियां कहां–कहां किस किस एरिया में क्या क्या पैदा होती हैं उनको इकट्ठा करने का घरेलू नुस्खों का मैंने ग्रन्थ तैयार कराया था वह भी विभाग से न जाने कहां चला गया। तो मैंने उसके साथ बहुत मेहनत की थी और वह बहुत उपयोगी चीज रही थी लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आज वह वक्त आया है जब हमें उस पैमाने पर लागू करना चाहिए और उसके लिए हमें कारगर ढंग से व्यवस्था भी करनी चाहिए।

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

थोड़ी सी देर और। माननीय सभापति महोदय, पर्यटन कला और संस्कृति के लिए आपने इसमें जो उल्लेख किया है, आपने आगे की कुछ योजनाएं बताई हैं वह सफल हों बहुत अच्छा है। मैं आपके सामने एक निवेदन करना चाहती हूं कि "राजस्थान की सांस्कृतिक संपदा ग्रन्थ" इसकी तैयारी हमने शुरू की थी जिसमें राजस्थान के कदम कदम पर जितने भी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और हमारी सभ्यता से जुड़े हुए चाहे वह स्मारक हों, चाहे वह स्थान हों धार्मिक हों या ऐतिहासिक हों उन सब के बारे में एक प्रोफार्मा बनाकर सारे, स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स से उसकी रिपोर्ट मंगाकर मैं यह चाह रही थी कि आज जो मौजूदा हैं कल वह नहीं रहेंगे लेकिन उस वक्त के अन्दर उनका फोटो और विवरण दर्ज हो जाए तो राजस्थान सांस्कृतिक सम्पदा ग्रन्थ के नाम से आप राजस्थान की सारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सम्पदा को लिपिबद्ध कर दें जिससे कि आने वाले समय में आप इसको सुरक्षित रख पायें और इसको याद रख पायें। इसी तरह से एक राजस्थान सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण कमेटी जो टूटने और बिखरने वाले, खराब हो रहे हमारे अवशेष हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए बनाने का था। इसको आप रिवाइव करा सकें और इसके जरिए से राजस्थान की जो अमूल्य धरोहर है वह युगों युगों तक हमारी सुरक्षित रह सके उसके लिए मेरा आपसे निवेदन है।

एक निवेदन यह और है कि आजकल पेइंग गेस्ट भी आते रहते है, वैसे टूरिस्ट्स भी आ रहे हैं, हमारी सांस्कृतिक परम्परा विकृत नहीं हो इसका भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि उनका पहनावा, ओढ़ना रहन सहन अलग है। रहन सहन के अन्दर हमारे परिवारों के साथ वह रहेंगे और जिन एरियाज के अन्दर वह उठेंगे बैठेंगे उससे हमारी

(श्रीमती कमला)

संस्कृति में प्रदूषण और विकृति नहीं आए इस बारे में भी ध्यान रखना है। अगर कोई अशोभनीय पहनावा, ओढ़ना उनका है तो हम पाबन्द करें कि वह इस तरह का पहनावा, ओढ़ावा करके इस देश में नहीं आएं, इस जगह पर नहीं रहे। इस बात के बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है।

पेयजल के बारे में अभी कुछ समय पहले आपने कहा था कि हमने सुधार के लिए विभाग को आदेश दे दिये हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि अभी तक कुछ भी कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं हुआ है और गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में, कस्बों में त्राहि-त्राहि मची हुई है पीने के पानी की। इसलिए जल्दी से जल्दी खराब पड़े हुए जो स्रोत हैं उनको ठीक कराने का और पेयजल की जो अधूरी योजनाएं हैं उनको पूरा कराने का और ज्यादा से ज्यादा मोहल्लों में पाइप लाइन नहीं पहुंची है उनको पहुंचाने का काम तो आप तमाम करिये। नये नहीं करें, देर से करें, जब पैसा आये तब करें तो कोई बात नहीं है लेकिन जो इस तरह की स्थिति में पड़े हैं उनका भी अगर विभाग काम जल्दी से हाथ में ले तो गांवों के अन्दर जो आज समस्या बनी हुई है उसका हम तेजी से समाधान कर सकते है।

माननीय सभापति महोदय, परिवहन के बारे में तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सिर्फ एक लाइन लिख दी कि निगम को बहुत मुनाफा हुआ है। तो इतना-सा ही हुआ? और कुछ नहीं है परिवहन में? परिवहन में तीन मुद्दे, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं। एक तो यह है कि जो राजस्थान रोडवेज की बसें हैं वह जिस रूट पर प्लाई कर रही हैं वह पैसेंजर्स को उठा नहीं रही हैं और कहते हैं कि क्योंकि हमारे पैसेंजर्स कम हैं इसलिए दो बसें हमने बन्द कर दी हैं और वह दो बसें वहां से बन्द कर दी जाती हैं। मैं उदाहरण दे रही हूं। दूसरी तरफ जहां आपके बस अड्डे हैं वहां जीपें ही जीपें खड़ी रहती हैं। चाहे किसी भी कस्बे में चले जाइये। आपकी अगर यह मान्यता है कि हमें बसों के बजाय जीपों को मौका देना है तो आप वह दीजिये और उनको नहीं देना है तो वह व्यवस्था कीजिये। आज कोई कानून कायदा, कोई व्यवस्था, कोई रीति-नीति नहीं है। जितनी भी जीपें हैं वह आपकी बसों के साथ खड़ी हो जाती हैं, पैसेंजर्स को खींचती हैं और उनको ले जाती हैं। दंगा-फसाद भी कई बार हो जाता है। तो नीति निर्धारित कीजिये

(19.00)

कि आपको कितनी जगह पर इनको अलाउ करना है, कितनी जगह नहीं करना है, कितनी जगह नयी बसें लगानी हैं। जिन रूट्स पर आपने नेशनलाइजेशन कर रखा है उनको तो सैचुरेट कर दीजिये कम से कम, बाकी जगह आप निजी बसेज को अलाउ कर दीजिये। आप खुद भी सैचुरेट नहीं कर सकते हो और नयी बसेज को भी नहीं दे रहे हो तो जनता बहुत दुःख पा रही है।

दूसरा एक कारण और बताती हूं। आपने प्राइवेट तौर पर एक आदमी को चार बसेज का परमिट दिया है। वह मुनाफा कमाने के लिए सिर्फ दो बसें चला रहा है, उनको ओवरलोड करके चला रहा है। दो बसें नहीं चला रहा है। चार बस चलाने का जो खर्चा होता है, दो बसों में ही

(श्रीमती कमला)

निकाल रहा है और जनता दुःख पा रही है। तो ये कई मुद्दे हैं आपके परिवहन के भी जिनकी योजना बनाकर आपको इनके ऊपर कार्य करना चाहिए। ऐसे-ऐसे मुद्दों को आपन कह दें कि यह हो गया, इसको कर दिया।

हरिजन कष्ट मुक्ति-माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आपने संख्या बता दी कि इतने परिवारों को हम मुक्ति दिला देंगे। इतने वरसों के बाद ठीक है, आप कह देंगे, आपका भी राज आया था आपने क्यों नहीं किया। क्योंकि यह तो परम्परा पड़ी हुई है अपने हाउस में। लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि आज के बाद कोई भी परिवार इस स्थिति में नहीं रहे, ऐसी कुछ हमको व्यवस्था करनी चाहिए इतने परिवार तो इस साल में कर देंगे और इतने परिवार इस साल में कर देंगे। आज इतने साल हो गये अभी तक कुछ न कुछ परिवार बचे ही हुए हैं। इतनी भद्दी और इतनी कलंकित करने वाली प्रथा को हम एक साथ एक बार में खतम कर सकें, ऐसा कुछ सराहनीय प्रयास आप करें तो मैं समझती हूं, आपन एक बहुत बड़ा काम कर सकेंगे।

इसके अलावा दैनिक लाटरी का जो मामला है वह तो रोज ही किसी न किसी तरह से उठता रहता है। आपने यह कहा कि हमने दो रुपये की .. (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)... बस दो मिनट।

दो रुपये की लाटरी बंद कर दी। आपने इसलिए बन्द कर दी है, आपके विभाग में इसलिए बन्द करायी है इसको राजी होकर कि उसकी छपाई और बिक्री में घाटा पड़ रहा था विभाग को। उसको बन्द करके पांच रुपये और बारह या ग्यारह रुपये की जो लाटरीज है उनकी संख्या ज्यादा बढ़ा दी है। इसलिए आपने वह घाटा पूर्ति उसमें कर ली है और उसमें जनता को कोई राहत नहीं मिली है। आज मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं, आपने कह दिया कि मैं भारत सरकार को कहूंगा, क्या मध्य प्रदेश भारत सरकार को पूछने गया था लाटरी बन्द करने के लिए? या आंध्र प्रदेश शराब बन्द करने के लिए भारत सरकार को पूछने गया था? हमारी सामर्थ्य होनी चाहिए कि हम इस तरह के काम के बदले कुछ और सोर्सेज तैयार कर सकें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : मैंने शराब बन्द की थी आपने उसको वापस चालू किया, क्या भारत सरकार से अनुमति ली थी?

श्रीमती कमला : मैं इसीलिए कह रही हूं कि भारत सरकार को कहने से कोई मतलब नहीं है। आप क्यों भारत सरकार के कहने से बन्द करो और क्यों भारत सरकार के कहने से खोलो। आप तो अपने स्टेट के इण्टरेस्ट में उस काम को करो, यह मेरा आपसे निवेदन है। मैं सचमुच में आपसे निवेदन करना चाह रही हूं कि आज स्कूल के बच्चे-बच्चियां, गृहणियां, एम्पलाइज और तमाम लोग इसके अन्दर इतनी बुरी तरह से इन्वाल्ब्ड हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। इस बारे में आपको विचार करने की जरूरत है।

अन्त में मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि गांवों के अन्दर खेलों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। न तो खेल के मैदान हैं स्कूलों में, जरा-सी जगहों में स्कूल चल रहे हैं और न कोई ग्रामीण स्टेडियम है।

(श्रीमती कमला)

कई जगह देखते भी हैं तो भी न तो आपकी खेलकूद परिषद् कुछ इन्तजाम कर रही है और न कहीं और से उनका इन्तजाम हो पाता है। इसलिए जिन गांवों में स्टेडियम के लिए, बड़े खेल मैदानों के लिए जमीनें उपलब्ध हो सकें उन जगहों पर सरकार अच्छी तरह भरपूर ढंग से उनको पैसा देकर वहां स्टेडियम तैयार कराये तो हमारे गांवों के खिलाड़ी छोटी-सी जगह से तैयार होकर ज्यादा से ज्यादा तादाद में अन्तर-राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मुख्य मंत्री जी से उम्मीद करती हूं कि कुछ मुख्य मुद्दे जो इसमें आये हैं उनके ऊपर वे जरूर गौर करेंगे और उनको अपना जवाब देते समय शामिल करने की चेष्टा करेंगे.

धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री अर्जुनदास मदान।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : माननीय सभापति जी, वर्ष 1994-95 के बजट में जो कुछ प्रावधान रखे गये हैं वे सबसे पहले इस बात की ओर इंगित करते हैं कि यह बजट दिशा उन्मुख है, जिस दिशा की हमने घोषणा की है हमारे घोषणा-पत्र में या और किसी मंच के माध्यम से, हम उस ओर बढ़ रहे हैं। बजट तो नाना प्रकार के आते हैं और आते रहेंगे, केन्द्रीय बजट भी आया अभी 28 फरवरी को, लेकिन आज मैं कह सकता हूं और आप भी मनन करेंगे तो पायेंगे कि समाजवाद का नारा दिया हमने, कई बजट बनाये, राजाओं के प्रीवीपर्स भी बन्द किये, बैंकों का नेशनलाइजेशन भी किया हमने किन्तु आज भी यदि हम देखें तो क्या हमारी आत्मा यह मानती है कि समाजवाद का बजट बनाने के बाद भी हम क्या समाज-वाद इस देश में ला पाये। आज मैं यह कहता हूं कि एक आदमी, जो दूर तलहटी में बैठा हुआ है, यदि आप चौराहे पर खड़ा करें और एक फाइव स्टार होटल में ठहरने वाले हिन्दुस्तान के नागरिक को खड़ा कर दें तो एक बार मन में चुभन उठती है कि ये दोनों क्या एक ही देश के नागरिक हैं। जमीन और आसमान का अन्तर है दोनों के जीवन में। बजट तो बने, कई प्रकार की घोषणाएं की गयी, समाजवाद के नाम पर बजट बना कभी पूंजीवाद की उसके ऊपर छाया आ गयी, कभी आप उदारीकरण की संज्ञा ले आये लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी रीति-नीति बनाई हमने उसी घोषणा के अनुरूप ही अपना काम किया, हमारी नीयत में कोई अन्तर नहीं आया। जो हमने कहा वह हमने किया। इस बात का मैं निश्चिय रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को, जो राजस्थान के वित्त मंत्री भी है कि आज उन्होंने जो बजट दिया है वह एक ऐसा बजट है कि प्रदेश का कोई भी आदमी उससे अछूता नहीं है।

कहा जाता है कि संवेदनशील बजट है। मेरे विपक्ष के साथियों ने उसका मखौल भी बनाया। मैं सबसे पहले यह निवेदन करना चाहूंगा कि संवेदनशीलता आखिर है क्या। संवेदनशीलता मन और मष्तिष्क की एक ऐसी स्थिति है जब किसी व्यक्ति विशेष को देखकर या समाज को देखकर या प्रान्त को देखकर आपके मन में एक चुभन उठे, आप उस कार्यकलाप की एक रीति-नीति बनायें और उसके ऊपर चलना प्रारम्भ कर दें। महात्मा गांधी के मन में एक चुभन उठी। वे बेरिस्टर थे, अच्छा कपड़ा पहनते

(श्री अर्जुनदास मदान)

थे, अच्छी वकालत थी। किन्तु देश की व्यवस्था देखकर उनके मन में चुभन उठी और अपनी वर्दी छोड़कर नंगेपन में देश के लिए काम करने के लिए चल पड़े। संवेदनशीलता से मेरा तात्पर्य केवल मात्र इतना है कि जब व्यक्ति विशेष अपने मन और मस्तिष्क की स्थिति में अंगड़ाई लेकर, एक व्यवस्था बनाकर अपने मन में कोई काम करने की तमन्ना कर लेता है और उस दिशा में आगे बढ़ जाता है। उसी को मैं संवेदनशीलता मानता हूं। यदि संवेदनशीलता का विवरण लेना चाहें मेरे विपक्ष के साथी तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि समाज का कौनसा अंग है जिसको इस बजट ने अपने वटवृक्ष की छाया में स्थान नहीं दिया।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज देश में यह सातवीं पंचवर्षीय योजना है। छ: पंचवर्षीय योजनाओं में जितना भी पैसा लाये राजस्थान के पूर्व के मुख्य मंत्री, उन छ: पंचवर्षीय योजनाओं की सकल पूंजी को आप देख लें और आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री लाये उसको देख लें, वह सारा पैसा आठवीं पंचवर्षीय योजना के बजट से कम है। आखिर तेल तो तिलों में से निकलेगा, कोई लाड़ या घाणी में से नहीं निकलता। यदि पैसा होगा, उसका नियोजन आप करेंगे, समाज के प्रत्येक अंग को उसकी व्यवस्था जाएगी और आपको यह लगे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में इस स्थिति पर जा पाये कि अपनी जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराने में वह सक्षम हो सके, मैं यह मानता हूं कि वही बजट सर्वोपरि है। पिछला बजट आपके सामने है, वह 1704 करोड़ रुपये का था और अब नियोजन होगा 2450 करोड़ का।

बहुत बात की जाती है कि आज किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। मान्यवर, मैं मेरे विपक्ष के बंधुओं से यह पूछना चाहूंगा कि देश की आजादी के बाद आपने कम से कम भी 40 वर्षों तक इस प्रान्त में हुकूमत की है, चार प्रतिशत आप किसानों पर खर्च करते थे कुल मिलाकर उस नागरिक पर करते थे जो 70 प्रतिशत है और आज गांवों की तलहटी में निवास करता है और आपके बजट का कम से कम 50 प्रतिशत से ज्यादा आपको देता है। लेकिन उसके उपरान्त यदि आप देखें तो आपने उसके ऊपर नियोजन कितना किया है? केवल चार प्रतिशत। पिछले वर्ष हमने योजना बनाकर उस किसान के ऊपर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत की योजना बनायी और 20 प्रतिशत उसके ऊपर खर्च किया। अभी आपके सामने जवाहर रोजगार योजना है। सन् 1991–92 में राजस्थान सबसे पहले नम्बर पर था, आज खिसक कर नवें नम्बर पर आ गया। केवल मात्र डेढ़ वर्ष के अन्तराल में जितना पैसा खर्च करना था जवाहर रोजगार योजना में उससे ज्यादा हमारे प्रान्त में हमारे वित्त मंत्री महोदय ने किया।

मैं सिंचाई के ऊपर अब आपसे निवेदन कर दूं कि इस बार कम से कम भी नहीं तो कुल 657 करोड़ रुपया हम खर्च करेंगे। पिछली बार हमने यह 60 प्रतिशत आंका था कि हम किसानों के ऊपर खर्च करेंगे गांव की तलहटी में रहने वाले व्यक्ति के ऊपर खर्च करेंगे। उसके बावजूद 62 प्रतिशत हमने खर्चा किया।

(श्री अर्जुन दास मदान)

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने जीवन में आपने चिड़िया को घोंसला बनाते देखा होगा। एक चिड़िया जब घोंसला बनाती है, रोशनदान में अपना घोंसला बनाती है तो तिनके न जाने कहां-कहां से लाकर इकट्ठा करती है, तय करती है। यह फुदकती फिरे चहचहाती फिरे नीम के पेड़ पर या पीपल के पेड़ पर लेकिन जब अपने जीवन में निर्णय कर लेती है कि मुझे अपना घोंसला इस जगह बनाना है तो सारे तिनके बटोरकर उसी जगह एकत्रित करती है। जब उसका कोई एक तिनका गिर भी जाता है तो, सभापति जी, आपने उस चिड़िया को देखा होगा कि जब तक वह अपने नीचे गिरे हुए तिनकों को वापस उस घोंसले में नहीं समायोजित कर लेती तब तक किसी नये तिनके की तलाश में नहीं जाती। किन्तु आज हमने नाना प्रकार की बात तो की लेकिन आज तक हम निर्णय नहीं कर पाये इस देश में कि आखिर हमको जाना किस तरफ है। मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि हमने जो कुछ कहा वह करने का प्रयास कर रहे हैं और इस-लिए मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा, जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था, समाज का कोई भी अंग इस बजट से छूटा नहीं है। तुलसी दास जी ने मेरे ख्याल से अयोध्या काण्ड में 134 वें दोहे में कहा है कि-

'मुखिया मुख सो चाहिये,खान पान को एक,
पाले पोसे सकल अंग, साधन सकल एक।"

मान्यवर, शरीर का यह मुख है यह भक्षण करता है, खाता है सारी चीजें। लेकिन प्रत्येक शरीर का अंग-प्रत्यंग सही स्थिति में रहे, सबल रहे, सशक्त रहे और जीवन में प्रत्येक अंग इस शरीर के साथ बना रहे यह मुखिया का काम है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि मुखिया ने जो बजट दिया राजस्थान की धरती को, आज जैसा मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि संवेदनशीलता है तो कोई भी ऐसा पक्ष नहीं छोड़ा जिसको उसमें कवर नहीं किया गया जैसे मैंने आपको यह निवेदन किया कि पिछड़े वर्ग पर आज 634 करोड़ रुपये खर्च हो रहा है। आज आप उन होस्टल्स की दशा देख लीजियेगा जहां पर वह मजदूर, जनजाति या दलित वर्ग का एक छोटा सा बालक रहता है। केवल मात्र 150 या 175 रुपये थे मेरे ख्याल से, आज उसको 250 रुपये किया। 175 से 250 रुपये प्रति बालक पर खर्च किसने किया? क्या हमारी सरकार ने नहीं किया? आज उन होस्टल्स की हालत देखिये, उस पर ज्यादा प्रावधान करने की जो स्थिति आयी तो वह ज्यादा संवेदनशीलता के कारण। तो हमारा विचार ग्राह्य है। (व्यवधान)...खैर, मान्यवर, आप पढ़े हैं, आप जब बोलें, आपका नम्बर आएगा, बोल देना मैं मना नहीं करता। देखिये, मेरी बुराई करके आप अच्छे नहीं बन जाएंगे।

श्री सभापति : आप अपनी बात जारी रखिये, इधर नहीं।

श्री अर्जुनदास मदान : व्यक्तिगत उस पर क्यों जाएं... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री अर्जुनदास मदान: मैं आपसे कहता हूं, जैसा माननीय तारानगर से आने वाले हमारे पूजनीय, आदरणीय चन्दनमलजी बैद ने कहा था, उर्वरा के ऊपर बोले थे जब, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि पैसा तो आपने भी खर्च किया, आपने थर्मल में

(श्री अर्जुनदास मदान)

तो बाद में किया आपने भाखड़ा में किया, आपने रोपड़ में किया, आपने सिंगरोली में किया, पैसा तो खर्च किया किन्तु कोई भी योजना राजस्थान के पैसे की राजस्थान में बने इस पर कभी भी इससे पहले विचार नहीं आया। हमने पैसा तो लगाया लेकिन हमारी नकेल हमने दूसरे के हाथ में दे दी। आज जो कुछ भी पैसा खर्च हो रहा है उर्वरा के ऊपर, बिजली के ऊपर, आज सबसे पहले राजस्थान का पैसा राजस्थान में खर्च हो रहा है। जो आदमी आज हमको पानी नहीं देता, जो आदमी बिजली नहीं देता तो पैसा तो दे दिया लेकिन उसका लाभ जो हमको मिलना चाहिए था वह नहीं मिला।

इसी तरह से स्कूलों के बारे में आदरणीय रामनारायणजी चौधरी साहब बोल रहे थे कि स्कूल तो यह सरकार खोलने जा रही है लेकिन मास्टर ही नहीं आता। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मेरा तांगा नहीं चलेगा तो क्या मैं घोड़े को खतम कर दूंगा। मेरे को तो कम से कम यह सोचना पड़ेगा कि अगर मेरा घोड़ा नहीं चल रहा है तो मैं घोड़े को बदल दूं। आज एक अध्यापक के स्थान पर दो अध्यापक होंगे। आज एक अध्यापक छुट्टी पर चला जाता है यदि दो रहेंगे तो शिक्षा में प्रगति होगी, उन्नति होगी या अवनति होगी इस पर विचार किया जा सकता है। आज 119 प्रतिशत बालिकाओं की शिक्षा पर पैसा खर्च करने की बात कर रहे थे। पहले कभी किसी सरकार ने सोचा? मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि मैं आपको एक्जाम्पल, सभापतिजी, केवल मात्र इस कारण से दे रहा हूं कि आप यह मनन कर लें, चिन्तन कर लें, मन्थन कर लें कि कौनसा समाज का ऐसा अंग है जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या इस भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में चलने वाली सरकार ने समायोजित नहीं किया।

मैंने आपको कृषि के बारे भी निवेदन कर दिया, उर्वरा के बारे में भी निवेदन कर दिया और पिछड़ी जनजाति के बारे में भी निवेदन कर दिया। अब गांवों के बारे में आपसे निवेदन कर दूं कि आज 80 पर्सेण्ट गांव इलेक्ट्रिफाइड हैं। यह नहीं कहता कि कांग्रेस के राज में नहीं हुआ, निश्चित रूप से हुआ है लेकिन आज भी गांवों के बारे में जितनी चिन्ता भारतीय जनता पार्टी को है या बजट में है इतनी किसी और को नहीं रही। और मैं केवल मात्र आपको इतना निवेदन कर रहा हूं कि जैसे हमने यह कहा था कि 60 पर्सेण्ट पैसा खर्च करेंगे आज तक . . . (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री अर्जुनदास मदान: मैंने निवेदन किया था कि 60 प्रतिशत गांवों में खर्च करने की बात थी किन्तु 60 प्रतिशत के स्थान पर 62 प्रतिशत सरकार ने खर्च किया। आज अगर आप कल-कारखानों में काम करने वाले या उस मजदूर की तरफ देखें तो आज मैं यह भी निवेदन कर दूं कि 14 रुपये से 23 रुपये मिनिमम वेजेज को रिवाइज किया। ठीक है, वह पांच साल में एक बार होता जब समय आयेगा फिर रिवाइज हो जाएगा। लेकिन डेढ़ गुना मिनिमम वेजेज आज तक कभी भी इस प्रान्त के इतिहास में हुआ है तो मैं पूछना चाहता हूं कोई बता दें डेढ़ गुणा मिनिमम वेजेज में यदि वृद्धि की गई है। तो इस सरकार के पिछले बजट में की गयी है। और वर्कचार्ज के हजारों आदमी जो

(श्री अर्जुनदास मदान)

जीवन पर्यन्त काम करते थे, जिन +++ने अपने जूते घिसा दिये, आज उनको भी नियमित करने की, उनको बराबर सुविधाएं देने की किसके मन में आयी ? वर्तमान बजट में आयी और उसमें यह तय किया गया कि जितने भी वर्कचार्ज पर काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको वहां सारी सुविधाएं दी जाएगी, उनको क्रमानुसार नियमित किया जाएगा, और जब तक नियमित नहीं होते हैं तब तक उनको उतनी सुविधाएं दी जायेगी, उतना वेतन दिया जायेगा जितना कि परमानेंट स्टाफ को मिलता है।

इन बातों के बाद अब आपका चिकित्सा की ओर ध्यान ले जाना चाहूंगा। आपके सामने मैं आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं जो आपको दिखायेंगे कि पिछले वर्ष चिकित्सा के क्षेत्र में कितना कुछ हुआ जब माननीय ललितजी इसके मंत्री थे। चिकित्सालय ज्यादा तो नहीं 208 से 218 किये। स्वास्थ्य सेवाओं पर जो 202 करोड़ रुपये खर्च होता था उसके बजाय 312 करोड़ रुपये खर्च किये गये। दवाओं पर केवल मात्र 12.7 करोड़ रुपये जहां खर्च किया जाता था वहां 16.9 करोड़ रुपये खर्च किया जाता है। प्रति व्यक्ति चिकित्सा पर जहां 48 रुपये खर्च होता था वहां 71 रुपये हैं, उनकी भी वृद्धि की गयी है। डाइट पर जो प्रति व्यक्ति पिछली बार 5 रुपये खर्च किया जाता था उसको बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया और इसी तरह से शैयाओं के बारे में मैं निवेदन कर दूं कि शैयाएं जहां पर 28867 थी वहां 34054 हो गयी। तो शैयाओं के ऊपर, दवाइयों के ऊपर और बढ़ने वाले चिकित्सालयों पर भी काफी कुछ किया गया है। अभी अंधों की चिकित्सा, उनके उपचार के बारे में सरकार चिन्तित हैं, सजग है। सामुदायिक चिकित्सा पर निर्णय किया गया और कम से कम 50 बैड का होस्पिटल की एक नीति बनायी हमने और नीति बनायी वैसी नीयत भी रखी की जो काम कह रहे हैं उसको हम करें। कथनी और करनी में कहीं अन्तर नहीं रखा। सामुदायिक विकास के जितने भी आज अस्पताल हैं उनमें 50 बैड रहेंगे ही रहेंगे, वह नीति बनायी और आज 50 बैड सभी अस्पतालों में हैं।

(समय समाप्ति-सूचक घन्टी)

मान्यवर, मैं तो बहुत कम बोलता हूं। कभी-कभी बोलता हूं अगर आप मुझे मौका दे तो मैं बोल दूं। गुणगान की बात तो मत करें। मैं आपका भी गुणगान करता हूं ऐसी बात थोड़े ही है।

श्री सभापति : कैरीआन प्लीज। आगे बढ़िये।

श्री अर्जुनदास मदान : इसी तरह से, मान्यवर, परिवार नियोजन की बात है। परिवार नियोजन पर 90-91 में केवल 46.45 करोड़ रुपये खर्च किया गया और अब 94-95 में उसके ऊपर 102.24 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया। कहां 46 करोड़ रुपये और कहां 102 करोड़ रुपये। आज परिवार नियोजन की स्थिति, मान्यवर, इस देश में ऐसी है कि प्रत्येक एक मिनट में 45 बच्चे पैदा होते हैं। यदि मैं 10 मिनट भी बोल दूं तो समझ लेना 4500 बच्चों ने जन्म ले लिया इस देश की धरती पर।

श्री रामस्वरूप : आपने कितने कर दिये?

श्री अर्जुनदास मदान : आपसे कम हैं। मैं बिना बोले बता रहा हूं, आपसे कम हैं।

+++ शब्द अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रामस्वरूप : मेरे तो दो बच्चे हैं, आप बताओ आपके कितने है ?

श्री अर्जुनदास मदान : अब ऐसा है आपके दो नहीं हैं, मुझे पता है वह एक के ही हैं दूसरी पत्नी के भी बताओ, आप एक के ही बता रहे हो। (व्यवधान) ऐसा है, महोदय, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे पता है आपके दो नहीं हैं, यह आप मुझे सिर्फ भुलाने के लिए कह रहे हो और मुझे अफसोस है कि अपने असली को भी बताने में क्यों संकोच कर रहे हो।

श्री रामस्वरूप : मैं सदन में सच बोल रहा हूं, दो बच्चे हैं।

श्री अर्जुनदास मदान : हां, तो मेरे भी ये ही हैं, बस, अपन बराबर हैं। वैसे मैं लूंगा तो आपसे लूंगा, उनका नहीं लूंगा यह बता देता हूं। मैं आपसे परिवार नियोजन की बात कर रहा था। मान्यवर, आप कल्पना कर लीजियेगा कि परिवार नियोजन में अगर इसी रफ्तार से इस देश की आबादी बढ़ती गयी तो 2000 तक पहुंचते-पहुंचते यानि 6 वर्षों के बाद इस देश की आबादी 104 करोड़ हो जायेगी। आज योजना तो आप नाना प्रकार की बनाते हैं। सूरज की किरण तो आती है इस धरती पर किरण बिखेरने के लिए लेकिन, मान्यवर, यदि धुंध बीच में आ जाय तो आप मानेंगे कि वह किरण ऊपर ही ऊपर रह जायेगी और लगेगा कि प्रकाश हुआ या नहीं हुआ। कितनी योजनाएं आज प्रान्त में बनायीं, कितनी योजनाएं आज केन्द्र सरकार ने बनायीं किन्तु उनका लाभ हमको नहीं मिला क्योंकि बढ़ने वाली आबादी विकास की रफ्तार को बांध लेती है और धुंध बन कर के उस सूरज की किरण को ढाप लेती है। इसलिए आज हमको निश्चित रूप से बिना किसी भेदभाव के एक नीति निर्धारित करनी पड़ेगी इस देश की आबादी पर, इस प्रान्त की आबादी पर, कितना नियंत्रण रखा जाए। मान्यवर, मैं अहसास करता हूं कि सदन को इस बात की जानकारी होगी, निश्चित रूप से होगी कि सारे संसार में आबादी सबसे ज्यादा बढ़ती है तो बंगलादेश में बढ़ती है और दूसरे नम्बर पर आबादी बढ़ती है तो भारत की बढ़ती है और भारत में भी यदि पर्सेन्टेज में कहीं आबादी सबसे ज्यादा बढ़ती है तो मेरे प्यारे राजस्थान में बढ़ती है। मान्यवर, जैसे अभी कहा गया कि प्रति व्यक्ति आय घट रही है। मैं मानता हूं, बिलकुल स्वीकार करता हूं कि प्रति व्यक्ति आय नीचे जा रही है। लेकिन यह तो नहीं मानते कि सकल उत्पादन तो निश्चत रूप से बढ़ा है। आखिर मेरी आमदनी आज हजार की जगह दो हजार हो जाए, मैं अकेला हूं, कुंआरा हूं तब तक तो दो हजार नहीं खाऊंगा लेकिन जब दो हजार की जगह तीन हजार भी हो जाए और मेरे पत्नी और दो बच्चे हो जाय तो प्रति व्यक्ति तो मेरे परिवार की आय कम हो ही जाएगी। आबादी बढ़ती चली जा रही है, सकल उत्पादन भी बढ़ता चला जाएगा और आबादी पर यदि हमने नियंत्रण नहीं किया तो, मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आने वाला समय इस प्रान्त के लिए और इस देश के लिए बहुत कष्टदायक होगा। इसलिए सरकार ने यह चिन्ता करते हुए जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, 102 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का निर्णय लिया। इस बारे में मेरा और भी निवेदन है कि कासलीवाल कमेटी बनायी गयी थी, बेरी कमेटी बनायी गयी थी उसने नाना प्रकार के सुझाव भी दिये थे। खैर, अभी तो मैं सदन का समय इस पर नहीं लेना चाहता हूं

(श्री अर्जुनदास मदान)

लेकिन जब इसके ऊपर कोई विचार-विमर्श होगा, चिकित्सा के ऊपर कटमोशन रख कर मैं निश्चित रूप से ध्यान में लाऊंगा कि कासलीवाल कमेटी और बेरी कमेटी ने अपनी सिफारिशें की थी उनको सरकार लागू यदि नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है। निश्चित रूप से उनको लागू करना चाहिए।

इसके बाद, मान्यवर, अब मैं उद्योगों के बारे में आपका बहुत कम समय लेना चाहूंगा। आज हम उद्योगों की बातें तो बहुत करते हैं लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि यदि केन्द्रीय वित्त व्यवस्था की ओर आप देखें तो 19 प्रतिशत पैसा उद्योगों में जो महाराष्ट्र में लगा, 12 प्रतिशत पैसा गुजरात में लगा और 3 प्रतिशत पैसा केवल मात्र हमारे राजस्थान में लगा है। पिछली बार का आप देखियेगा औद्योगीकरण से सकल उत्पादन का सबसे ज्यादा 13 प्रतिशत उत्पादन हिन्दुस्तान में हुआ तो गुजरात में हुआ है। सैकण्ड नम्बर पर पौने 13 प्रतिशत हुआ तो महाराष्ट्र में हुआ और हमारे यहां केवल मात्र 1 प्रतिशत उद्योग धंधे लगे हैं। मैं केवल मात्र इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आज उद्योगों की स्थिति हमारे यहां बहुत ज्यादा खराब है और मुझे इस बात का निश्चित रूप से खेद है और मैं यह निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी जो वित्त मंत्री हैं, से कि कल कारखानों में काम करने वाले उस मजदूर की भी निश्चित रूप से चिन्ता करें। उसकी ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया है जितना ध्यान देना चाहिए। मेरे ख्याल से वहां चले गये हैं। श्रम मंत्रीजी, यदि वे बिराजे होते तो मैं उनसे निवेदन करता,। (व्यवधान)..... विराजे होंगे तो सुन रहे होंगे मेरी बात को। मैंने एक-दो प्रश्न भी रखे वे दुर्भाग्य है मेरा कि वह नहीं आ सके। आज जितने फैक्ट्रीज इंस्पेक्टर को कल-कारखानों का इंस्पेक्शन करने के लिए जाना चाहिए वह आज नहीं जाता। निश्चित रूप से नहीं जाता। चाहे चीफ इंस्पेक्टर को ले लें, चाहे डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर को ले लें, चाहे सीनियर फैक्ट्री इंस्पेक्टर को ले लें, चाहे साधारण फैक्ट्री इंस्पेक्टर को लें, कोई अपने काम के प्रति सजग ही नहीं है। आखिर वह जाएगा नहीं तो कैसे देखेगा कि कौन से कल-कारखाने में काम करने वाले आदमी 'ए' शिफ्ट में आया था, उसके बाद 'बी' शिफ्ट में भी कन्टीन्यू कर रहा है और कर रहा है सो क्या उसको डबल पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिनिमम वेजेज का उत्तरदायित्व उस फैक्ट्री इंस्पेक्टर के ऊपर है। आज कल कारखानों में फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत वेलफेयर आफिसर लगने चाहिए लेकिन आज है कोई इस श्रम विभाग में देखने वाला जो यह देखता है कि कल-कारखानों में आफिसर लगा रहे हैं? 500 मजदूर जिस कल कारखानों में काम करते हैं, मान्यवर, वहां एक वेलफेयर आफिसर होना चाहिए। किन्तु आज कितनी फैक्ट्रीज पड़ी हुई हैं जहां पर वेलफेयर आफिसर नहीं लगा रखे हैं और लगाये भी जाते हैं तो फैक्ट्री रूल्स में जो क्वालीफिकेशंस है, जो नार्म्स है, जो उसकी सैलरी है, जो उसको कंडीशन आफ सर्विसेज है, जो उसकी ड्यूटीज हैं वह सारी की सारी स्पेसिफाइड हैं लेकिन किसी को कोई चिन्ता ही नहीं है कि जाकर देखें कि वेलफेयर आफिसर है या नहीं है। मान्यवर, मैं केवल मात्र इतना सा निवेदन कर रहा था कि आज जो हम बजट पर सोचते जा रहे हैं कि हम 2 हजार करोड़ रुपये उद्योगों के विकास पर

(श्री अर्जुनदास मदान)

खर्च करेंगे, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा . . .

श्री सभापति : कनक्लूड कीजिये।

श्री अर्जुनदास मदान : मान्यवर, आप कह रहे हैं तो मैं इसी बात पर ही अपनी बात समाप्त कर देता हूं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हम क्या कर रहे हैं। कुछ जिलों को हम बना देते हैं कि वह अनडवलप्ड हैं, वहां हम सब्सिडी की मात्रा बढ़ा देते हैं। होता क्या है कि कोटा में लोग ज्यादा आकर्षित हैं कि हम कोटा में उद्योग लगायेंगे। और हम चाहते हैं कि वह जैसलमेर में लगे। यह तो मैं मानता हूं कि जो ऊंचा है वह ऊंचा ही रहेगा। आखिर मेरा सिर दिन भर ऊपर रहता है, खटिया पर जब सोने का नम्बर आता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि पांव और सिर बराबर की स्थिति में आते हैं लेकिन फिर भी आप मानेंगे कि मैं तकिया लेकर सोता हूं तो सिर वहां भी कहता है कि मैं 4 इंच या 6 इंच शरीर के दूसरे भाग से ऊपर ही रहूंगा। जो ऊंचा है वह तो ऊंचा ही रहेगा लेकिन मैं यह नहीं कहता, समानता की जो स्थिति आती है उसके ऊपर जो आदमी चिन्ता करता है कि मुझे यहां उद्योग लगाने दीजिये, मैं यह चाहूंगा कि निश्चित रूप से स्थान को चयनित करना चाहिए कि उद्योग का मालिक जहां भी उद्योग लगाना चाहे, चाहे वह बीकानेर में लगाना चाहे, जैसलमेर में लगाना चाहे, कोटा में लगाना चाहे उसको इस बात की पूरी सुविधा होनी चाहिए।

श्री टीकमचन्द कान्त : भारतीय जनता पार्टी में कहां ऊंच-नीच की बात होती है? आप ऊंच-नीच की बात कहां से ले आये?

श्री अर्जुनदास मदान : औद्योगीकरण के विकास की बात कर रहा हूं। उद्योगों को जिलों में लगाने के सम्बन्ध में ऊंच-नीच की बात कही है, कान्त साहब, आप गलत समझ गये, या तो आपका ध्यान नहीं था। मैं ऊंच-नीच की बात नहीं कह रहा। औद्योगीकरण के विकास की सीमा की बात कर रहा था। जैसा मैं निवेदन कर रहा था .. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : लड़ो मत।

श्री अर्जुनदास मदान : चिन्ता मत करो हम लड़ते नहीं है। आप संतरे हो हम खरबूजे हैं। यह बता देता हूं आपको। मेरी बात सुन लीजिए। मान्यवर मेरी सुन लीजिये, हम खरबूजे हैं आप संतरे हो हमारी फांकें भी अगर ऊपर से अलग अलग दिखेंगी ना जब तक चाकू से अलग अलग नहीं करेंगे हम अलग अलग नहीं होंगे और आप संतरे हो, थोड़ा सा छील दो तो एक एक फांक अलग-अलग पड़ी है। इसको छोड़ दीजिये, इसको हम समझते हैं हम क्या हैं और आप क्या हैं।

मैं आपसे दूसरा निवेदन यह कर रहा था, मान्यवर, कि सब्सिडी की मात्रा एक जैसी होनी चाहिए। अब जैसे सैल्स टैक्स इंसेंटिव स्कीम है। सैल्स टैक्स इंसेंटिव स्कीम में जितना पैसा मालिक लगाता है, उसको उतने तक जब वह खर्च करता है या बेचता है अपने माल को, उसका सर्टिफिकेट लेता है लेकिन आज उसको सर्टिफिकेट लेने में न जाने कितना समय लगता है। मैं उद्योग मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि जो सारी की सारी विसंगतियां हैं, जो एनामलीज आ गयी है इसकी कार्य प्रणाली

(श्री अर्जुनदास मदान)

में उसको समाप्त किया जाय। सब्सिडी के बारे में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सब्सिडी घोषित कर दी जाती है, जैसे कोटा में हमारे यहां उद्योग धंधे लगे तो यह कहा गया कि सब्सिडी 20 पर्सेन्ट दी जाएगी लेकिन आज उनको 20 पर्सेन्ट सब्सिडी नहीं दी जा रही है, कोई कारण होगा। लेकिन यह अगर कहीं है तो कम से कम वहां के संगठन को, वहां के आदमियों को बताना चाहिए समझाना चाहिए। वह निराशा लेकर आगे चलते हैं और जगह-जगह हमारी बातें करते हैं। सब्सिडी के बारे में जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, जो कुछ भी घोषित करें उसको हम दे दें और सिंगल विण्डो सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि उद्योग के विकास के लिए छोटे-मोटे उद्योग धंधे भी हम विकसित करें।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री अर्जुनदास मदान : अन्त में मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा हमने एक संवेदनशील बजट बनाया है, मेहनत किसान की, मजदूर की, उद्योग धंधों में काम करने वाले, कल-कारखानों में काम करने वाले लोगों की और जो अपाहिज हैं, आज समाज में तिरस्कृत, अपमानित और अपेक्षित जीवन जी रहे हैं उसके प्रति यदि कोई सजग है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी है और उसके साथ हमारा यह वर्तमान बजट है जिस पर मैं अपने धन्यवाद के प्रस्ताव के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस बजट का विरोध करता हूं।...(व्यवधान)...कुछ बातों का स्वागत भी करता हूं..(व्यवधान)..

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री विष्णु मोदी : क्योंकि सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहते हैं। इस सरकार ने कुछ ऐसी बातें करने का प्रयास किया है जो मजबूरी में करनी पड़ती हैं इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं।

सभापति महोदय, मैं आंकड़ों के अन्दर नहीं जाना चाहता, आदरणीय श्री चन्दन मलजी बैद ने और श्री घनश्यामजी ने बहुत तार्किक रूप से इस शब्दों के, आंकड़ों के जाल में घुसने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, इन्ट्रेस्ट हमारे ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। यह सब बातें गम्भीर बातें हैं। मैं मुख्य मंत्री जी, जो वित्त मंत्री भी हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि देर-सवेर इनको स्वर्गीय राजीव गांधी की याद आयी, स्वर्गीय संजय गांधी की याद आयी उनके बजट भाषण में जो उन्होंने जनसंख्या के ऊपर अपनी परेशानी और जो राजस्थान की स्थिति बतायी, चिन्ता दिखायी। स्वर्गीय राजीव गांधी ने जब इस देश में परिवार नियोजन का एक दौर चालू किया था उस वक्त कांग्रेस ने एक कार्यक्रम बनाया और कांग्रेस सत्ता से भी चली गयी। लेकिन सत्ता कांग्रेस के लिए कभी लालसा नहीं रही, देश और प्रदेश हमेशा उसका लक्ष्य रहा है। शिक्षा नीति की बात की। जब राजीव गांधी ने

(श्री विष्णु मोदी)

नयी शिक्षा नीति लागू की उस वक्त इसी सदन में चर्चा हुई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दो तरह की बातें करने की मास्टर है, जब सत्ता में होती है तो भाषा कुछ होती है और जब सत्ता में नहीं होती है तब भाषा दूसरी होती है, नीतिगत कोई उनके सामने बात है नहीं, बिन्दु नहीं उस वक्त जब शिक्षा नीति पर इसी सदन में चर्चा हो रही थी तो आज जो माननीय श्री नाथूसिंह जी हैं उन्होंने बड़े जोरदार शब्दों में यह आलोचना की कि एक नया झुनझुना है, जब भी राजीव गांधी बाहर जाते हैं कुछ न कुछ ले आते हैं और उससे हमें कुछ नहीं होता है। लेकिन खुशी है मुझे कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात को समझा कि शिक्षा हमारे लिए कितनी जरूरी है। शिक्षा के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने एलोकेशन बढ़ाया है। राजस्थान हिन्दुस्तान में उन राज्यों में से है जहां पर प्रति व्यक्ति ज्यादा खर्चा होता है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि क्वांटिटेटिव बात तो हम बहुत करने लग जाते हैं लेकिन क्वालिटेटिवली क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह भार खाली, माननीय सभापति महोदय, शिक्षा मंत्री वहन नहीं कर सकता है, मुख्य मंत्री नहीं कर सकता है। यह आपके डायरेक्टर और सेक्रेट्री शिक्षा के भार को या शिक्षा का जो हमारा स्वरुप बन गया है उसको नहीं सुधार पायेंगे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जिलेवाइज इस तरह की कमेटी बनायें जो इस बारे में भी ध्यान रखें कि हम क्या शिक्षा दे रहे हैं और क्या हम सही दिशा में जा पा रहे हैं।

सभापति महोदय, पावर के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं बहुत ज्यादा समय सदन का नहीं लेना चाहूंगा, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि राजस्थान में पावर की स्थिति बहुत खराब है। आपका कोई यूनिट सूरतगढ़ के अलावा आने वाला नहीं है और सूरतगढ़ में भी अभी आपने कुछ किया नहीं। मैं सिर्फ आलोचना नहीं करना चाहता, आपसे सूरतगढ़ और रामगढ़, ये जो छोटे प्लांट हैं उन पर काम हो रहा है लेकिन जब तक इसमें हम तीव्र गति से कोई बेसिक फैसले नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मैं कोई वकालत नहीं कर रहा कि आप प्राइवेट सैक्टर में ही पावर जनरेट करें लेकिन जो कुछ भी फैसला करना है, आप हाफ-हार्टेडली नहीं चलें। सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बड़े जोर-शोर से घोषणा की थी कि हम इस तरह की कमेटी बना देंगे और वह कमेटी सब निर्णय करेगी, केबिनेट तो सिर्फ उस पर मोहर लगायेगी। लेकिन तीन महीने हो गये उस पर कुछ नहीं हुआ। आज बिजली का प्लांट एक दिन में नहीं लगने वाला है, 6 वर्ष तो कम से कम जो स्टेशन पीरियड है। आप अभी कमेटी ही नहीं बना पाये, आप अभी फैसला ही नहीं कर पाये तो राजस्थान में वह दिन भी दूर नहीं है कि जयपुर भी अंधेरे में रहेगा। आप खुद भी अपने क्षेत्र से जाते होंगे, बिजली की कितनी समस्या है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 6 साल तो जेस्टेशन पीरियड में लगेंगे। लेकिन आप लाइन लासेज को कम करके इसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। आज राजस्थान में लाइन लासेज को अगर हम क्लासीफाई करें तो 45 प्रतिशत पावर तो इण्डस्ट्रीज को देते हैं, 55 प्रतिशत पावर हम डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर सैक्टर में दे रहे है, इण्ड-

(श्री विष्णु मोदी)

स्ट्री सेक्टर में जो बड़ी इण्डस्ट्रीज हैं उसमें 4–5 प्रतिशत लाइन लासेज है, जो दूसरी इण्डस्ट्रीज हैं उनमें 8 प्रतिशत लासेज है। टोटल ये 22 प्रतिशत लासेज की बात करते हैं लेकिन अगर 55 प्रतिशत वाले सैक्टर की बात करें तो उसमें 40 प्रतिशत लासेज है। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप देख लें एक बार कि डोमेस्टिक बिल है वह पिछले कितने सालों से एक ही चला आ रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। मैं इसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि आप 10 पैसा सरचार्ज लगा दें, तो आज जितनी आप बिजली दे रहे हैं उसमें आपको सवा करोड़ रुपये के करीब राजस्व प्राप्त होगा। उसको खाली आप लाइन लासेज को कम करने लगायेंगे तो आज जल्दी से जल्दी कनेक्शन भी दे पायेंगे। आज कम से कम ढाई लाख कुओं की एप्लीकेशन आपके पास पैंडिंग पड़ी हैं, आप पैसा ले लें और फिर वह की वह स्थिति बने तो आप स्पष्ट इस तरह की घोषणा करें, चाहे आप 10 पैसा लगाये, चाहे 15 पैसा लगाये, कि एग्रीकल्चर के ढाई लाख कनेक्शन इस दिन पूरा कर देंगे।

माननीय सभापति महोदय, बरसिंहसर की जो स्थिति है उसका तो कोई ठौर-ठिकाना नहीं, अभी तक कुछ हुआ नहीं। सूरतगढ़ के सैकण्ड स्टेज की स्थिति क्या है, कोई जानकारी नहीं। आर.ए.पी.पी. के लिए मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हम भारत सरकार से कोशिश करेंगे कि थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट हमें मिल जाए। मान्यवर, उसकी एक यूनिट तो बन्द ही रहती है और दूसरी यूनिट भी परमानेन्ट बन्द होने वाली है, यह उसकी स्थिति है। आखिर हम विद्युत के सम्बन्ध में कोई नीतिगत फैसला नहीं लेंगे और उसको जल्दी से जल्दी नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता कि हम कुछ कर पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 1986 में जब हरिदेवजी जोशी वित्त मंत्री थे तब इन्होंने कहा था, मैं उन्हें कोट करना चाहता हूं, "आज स्थिति यह है कि लगायी हुई पूंजी पर लाभांश तो दूर, परियोजनाओं के रख-रखाव का खर्च तक नहीं निकल पाता है। हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या विकास के पहले चरण के फलों का उपभोग करने वाले पिछड़े और प्रतिक्षारत वर्गों के प्रति कोई नैतिक कर्त्तव्य एवं दायित्व है या नहीं? क्या यह हमारा कर्त्तव्य नहीं है कि विकास में लगी पूंजी पर न्यायोचित लाभांश प्राप्त करके हम उसे पुनर्नियोजित करें और विकास के दायरे को बढ़ाकर जरूरतमंद तबके और प्रतीक्षा करने वाले तक पहुंचाये।"

माननीय सभापति महोदय, हम अगर यूं ही कतराते रहे तो मैं समझता हूं विकट स्थिति पैदा हो जाएगी। कि अगर आज एक जगह विकास हो गया, आपने खालों पर पैसा माफ किया, है मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन क्या कभी सरकार ने इस बात का अन्दाजा लगाया है, एक तरफ तो फसल नहर के पानी से पैदा हो रही है, किसान बिजली से अपनी फसल पैदा कर रहा है और दूसरी तरफ वह किसान है जो अपने डीजल इंजन से फसल पैदा कर रहा है और बैल से खेती करके अपनी फसल पैदा कर रहा है...

श्री भीमसेन चौधरी : इंदिरा गांधी नहर में खालों का पैसा माफ नहीं किया है। यह गलत सूचना है। वह तो लिफ्ट कैनाल में पहले से ही था।

श्री विष्णु मोदी : आज खालों का उसमें जो दिया है मैं उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन, सभापति महोदय, एक नीतिगत बात करना चाहता हूं कि एक फसल नहर के पानी से हो रही है, एक फसल बिजली से हो रही है, एक फसल डीजल इंजन से हो रही है और एक फसल बैल से हो रही है, क्या उनकी लागत में अन्तर नहीं है ? आज अगर 10 लाख लोगों को, 4 लाख लोगों को विद्युत कनेक्शन मिल गया तो जो और लोग हैं उनको क्या बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा ? हम एक बार जहां डवलपमेंट कर देंगे तो क्या दूसरी जगह डवलपमेंट नहीं करेंगे । आप दुनियां के किसी भी कोने में चले जाएं, आप तो खुद बहुत घूमे हुए हैं, न्यूयार्क शहर के अन्दर 50 जगह टैक्स देना पड़ता है 10 किलोमीटर जाने पर, तो 40–45 साल बाद में भी हम पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पाये, हम सड़क नहीं बना पाये, हम स्कूल नहीं खोल पाये, हम अस्पताल नहीं खोल पाये, हम बिजली नहीं दे पाये, जो बेसिक जरूरत हैं वह हम नहीं दे पाये तो क्या जिन लोगों को यह सुविधा नहीं है, उन्हें जरूरत नहीं है ? तो आज सवाल इस बात का है, जिनको जहां सुविधा मिल गयी है उनका भी दायित्व यह बनता है और इस सरकार का कर्तव्य बनता है कि उन पर टैक्स कम्पोज करें और उन पर वह पैसा खर्च करें जिनको जरूरत है ताकि उनको फायदा मिले ।

माननीय सभापति महोदय, मुझे दुःख हुआ इस बार, मैं तो पहली बार इस सदन में आया हूं, उद्योग के बारे में मैंने आदरणीय बैदजी से भी कहा, आदरणीय वित्त मंत्रीजी ने अपना बजट भाषण पढ़ा, पासिंग रिमार्क में उन्होंने इण्डस्ट्रियलाइजेशन की बात की । आदरणीय बैदजी ने प्रतिपक्ष की तरफ से शुरूआत की, इण्डस्ट्रियलाइजेशन के सब्जेक्ट को टच नहीं किया । आदरणीय घनश्याम जी तिवाड़ी ने उधर से शुरुआत की, इण्डस्ट्रियलाइजेशन को भूल गये । अगर इण्डस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तो क्या हम कोई योजना बना पायेंगे ? हम अगली शताब्दी में प्रवेश कर रहे है उसमें किस तरह के राजस्थान को हम ले जाना चाहते हैं ? मान्यवर, मैं कोट करना चाहता हूं, अभी 6 मार्च को माननीय शरद पंवार जब तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनकर गये, एक साल पूरा हुआ तो एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा, What is your blue print to take Maharashtra into the 21st Century ?

तो उन्होंने कहा, My blue print is ready and it is being executed vigorously. The emphasis is obviously on diversification of industry and agriculture. We are keen to exploit the tremendous hidden potential in these two sectors, for instance, take the sugar industry. Till now the industry was contened with production of sugar but now some are switching to power generation and production of alcohol. The factories are being looked at as composite units. There is new concept. More than 26 new sugar factories will start production in the next few years.

(207)

(श्री विष्णु मोदी)

Likewise, the cotton industry Around 30 new spinning mills will be ready in a couple of years. Cotton is fast replacing polyster. The development of horticulture is amazing. If you take a look at Bombay's fruit market, there are different kinds of fruits. Strawberry, pomegranates, custereds, to name a few It reflects the quiet transformtion that is taking place in rural Maharashtra. During the last few years, more than five lac hectare of new land has been brought under horticulture and can you ever imagine, armers in Nasik are growing strawberries. But it is a reality now and for s me, it has become their main source of income. Regarding industrialisation, we have a number of proposals for investment in Maharashtra from abroad to the tune of 30 billion dollars or rupees one lac crore.

माननीय सभापति महोदय, आज आवश्यकता इस बात की है, हम एग्रो बेस्ड कैसे बनायें। आज राजस्थान की जो स्थिति है, पानी का स्तर गिरता चला जा रहा है, बारिश कम होती है उसमें हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम हमारा क्रोपपैटर्न किस तरह चेंज कर सकते हैं। आज राजस्थान का फर्टिलाइजर कंजप्शन में 15वां स्थान है। हम नीचे हैं और नीचे चले जा रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस राजस्थान में इन परिस्थितियों में किस तरह से हमारा उत्पादन बढ़ाये जिससे खुशहाली आ जाए और किस तरह से इण्डस्ट्रियलाइजेशन करें। इण्डस्ट्रियलाइजेशन की बात करना तो, मैं समझता हूं, पहली महत्वपूर्ण आवश्यकता है और इस बात की कल्पना कीजिये कि राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है, आज तक हमें बहुत सारे रिसोर्सेज वहां लगाने पड़ते थे वह ब्रोड गेज से कनेक्ट हो जाएगा, एक बहुत बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। आज वहां पर क्रूड आॅयल है, वहां गैस है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, एक "नेचर" बुक निकलती है, अमरीका का पब्लिकेशन है, न्यूयार्क से निकलता है, वहां की रोचेस्टर यूनिवर्सिटी में जियालाजी के प्रोफेसर हैं डा. बोस, उनका आर्टिकल अभी छपा है। उन्होंने जो रामगढ़ और तनोट की गैस है उसका और जो पाकिस्तान में गैस का जो दुनिया का सबसे बड़ा भण्डार है उसका एक नक्शा दिया है और लिखा है कि Rajasthan is very rich in that. जो नागौर बेसिन के रूप में जाना जाता है उसके अंदर हैवी क्रूड आॅयल है और हैवी क्रूड आॅयल होने का फायदा मिलेगा। उसका तेल बनेगा। उसके ग्लोबल टेण्डर होचुके हैं। उस तेल की रिफाइनरी भी वहीं होगी। आज हमारे पास लाइम स्टोन है, लिग्नाइट है, साल्ट है, जिप्सम है, पानी है, जमीन है और वहां पर ब्रोडगेज आ गयी आज दुनिया के मानचित्र पर वह वेस्टर्न राजस्थान आ सकता है अगर हमारी इंटिग्रेटेड अप्रोच है तो हमारी इण्डस्ट्रिलाइजेशन की अप्रोच है तो। लेकिन हालत यह है कि हमारे यहां के पाल्यूशन कन्ट्रोल

(श्री विष्णु मोदी)

बोर्ड में जाते-जाते लोगों की जूतियां घिस जाती है। आर.एफ.सी. और रीको के सम्बन्ध में ये कुछ आंकड़े हैं, उनमें कुछ नहीं हो रहा है। कोई 8 या 9 यूनिट तो उसमें आयी है। कुल मिलाकर 800-900 करोड़ रुपये की बात करते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम किस तरह से ज्यादा से ज्यादा इण्डस्ट्रियलाइजेशन करें, किस तरह से हमारे एग्रीकल्चर बेस को ठीक करें।

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्रीजी ने जो पब्लिक सेक्टर के लिए कहा है कि हमारा पब्लिक सैक्टर प्रोफिट में आने लायक है, मैं समझता हूं जितना नियोजन हमारे

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पब्लिक सैक्टर में हुआ है उसका रिटर्न जिस रूप में हमें होना चाहिए वह नहीं हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप इस ब्यूरोक्रेटिक सैटअप को पब्लिक सेक्टर से नहीं हटायेंगे तो यह कभी प्रोफिट में नहीं आएगा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है और जरूरी नहीं है कि इनमें कामर्शियल टेलेंट भी हों। आप एक नीतिगत निर्णय ले लीजिए कि आपके जितने स्टेट सैक्टर हैं उनको आपने कहा हैं कि हम एम.ओ.यू. करेंगे। आप नयी-नयी थ्योरी तो लाते हैं क्योंकि जहां कहीं भी देखते हैं उसकी कोशिश करते हैं लेकिन हाफ हार्टेड अप्रोच से कभी कुछ नहीं हो सकता। आप नीतिगत निर्णय ले लीजिए कि जो भी पब्लिक सैक्टर के अण्डर टेकिंग्स हैं उनमें कामर्शियल बेस वाले टेक्निकल आदमी को अपाइंट करेंगे और उसके बाद में उसको अकाउण्टेबल बतायेंगे। समय कम है इसलिए मैं आपको इस पब्लिक सैक्टर के बारे में ज्यादा जब कटमोशन आयेगा तब बताऊंगा कि किस तरह की पब्लिक सैक्टर में स्थिति है। यहां वर्किंग कल्चर ही नहीं है। कुल मिलाकर इण्डस्ट्रियलाइजेशन हो या पब्लिक सेक्टर अंडर टेकिंग्स हों, इसकी हमारे यहां वर्किंग कल्चर नाम की चीज ही नहीं हैं और इसमें दोष सबका हैं, खाली ब्यूरोक्रेसी का दोष ही नहीं हैं।

पश्चिमी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ज्योति बसु इंग्लेंड के सारे इण्डस्ट्रियलिस्ट्स को इन्वाइट कर सकते हैं, महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर डेवोस जा सकता हैं अपनी पूरी टीम लेकर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, हमारे यहां इन्वेस्टमेंट लाना, इण्डस्ट्रीज की बात करना तो दूर, राजस्थान का दुर्भाग्य तो और होने वाला है, अभी एनवायरनमेंट वालों का जो नोटिफिकेशन हुआ है, पहले तो उन्होंने नोटिफिकेशन ही किया था, फाइनल नोटिफिकेशन अभी फरवरी में आया है, हमारे यहां राजस्थान में सीमेंट सबसे बड़ा उद्योग हैं, अब सीमेंट भी उस नोटिफिकेशन के जरिये आ गया है, जब तक भारत सरकार की अनुमति नहीं होगी तब तक सीमेंट का प्लांट नहीं होगा। किस तरह की अप्रोच हैं? अभी मुख्य मंत्रीजी बम्बई गये थे। यहां जब बजट भाषण हुआ तो इन्होंने एक बात कही कि गैस राष्ट्रीय सम्पदा है और अगर बम्बई हाई पर जो गैस जल रही हैं वह हमें मिल जाए तो हम राजस्थान की काया पलट कर देंगे। बम्बई जाकर कहते हैं कि राजस्थान का कच्चा माल अन्य राज्यों को नहीं भेजा जाए। आखिर आप क्या चाहते है? कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं। आप खुद अपनी लाइन और एक्शन पहले तय कर लीजिये।

(श्री विष्णु मोदी)

कच्चा माल आप नहीं जाने देंगे, आप गैस को राष्ट्रीय सम्पदा बताते हैं। कहीं आप कुछ कहते हैं तो कहीं कुछ कहते हैं।.... (व्यवधान)..गैस अगर राष्ट्रीय सम्पदा है तो खनिज सम्पदा भी राष्ट्रीय सम्पदा है। आप गैस की माँग करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह की बात करते हैं तो आपकी इस तरह की ड्यूअल पॉलिसी नहीं चलेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इण्डस्ट्रियलाइजेशन हो और एग्रीकल्चर में हमारा क्रोप पैटर्न चेंज हो।

इसके साथ-साथ कई सारे करों में रियायत माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दी है। वे रियायतें इसलिए देनी पड़ी है कि मोटर गाड़ियां बिकनी बंद हो

(19.45)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन।)

गयों, तेल मिलें हमारी बंद हो गयीं... (व्यवधान)..मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं, मैं कन्क्लूड ही कर रहा हूं। वे बंद हो गयीं इसलिए मजबूरी में करनी पड़ी हैं। लेकिन आप किसान को जितना फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो पुष्कर में गुलाब पैदा होता है और हमारे यहां बहुत कम फूलों की खेती होती है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक गुलाब यहां आ गया।

श्री विष्णु मोदी : जिन पर सैल्स टैक्स लगा हुआ है, अगर आप गुलाब पर सैल्स टैक्स माफ करेंगे तो किसानों को भी लाभ होगा और उससे आपको कोई बहुत बड़ा आमदनी का नुकसान भी नहीं होगा।

अंत में एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपने बड़ी मेजें थपथपायी थी कि खल पर टैक्स माफ कर दिया। इससे सिर्फ 10 यूनिटों को फायदा मिलेगा। सिर्फ 10 यूनिटों को फायदा देने के लिए खल पर टैक्स माफ किया जबकि जो छोटी इकाइयां हैं जिनमें लाखों लोग लगे हुए हैं, एक स्पेलर है दो स्पेलर है छोटी मिल हैं उन पर वही डेढ़ पर्सेन्ट है। बल्कि उनके बारे में यह और किया है कि सैल्स टैक्स 4 पर्सेन्ट से बढ़ाकर 6 पर्सेन्ट कर दिया जिससे वे टिकेंगी नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप स्पेसिफिक फायदा देना बंद करें और आप जो नीतिगत निर्णय लें उसका सबको फायदा मिले, वह करें।

धन्यवाद।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्षजी, आपने समय निर्धारित किया था और मैं ऐसा मानकर चल रहा था कि सब को बोलने के लिए मौका देंगे तो यह अन्याय हमारे साथ न हो और दोनों तरफ से ऐसा हो रहा है। (व्यवधान) बोलने में क्या दिक्कत है। अब भी बोल लेंगे, डिमाण्ड पर भी बोल लेगें। हमने बार-बार निवेदन किया है, हमने चेयर से भी निवेदन किया है कि जो हमको टाइम मिले वह मिलना ही चाहिए।

श्री अध्यक्ष : सबका ही बच गया है। सबके साथ है, अलग नहीं हैं। (व्यवधान) आप कल बोल लीजिये।

श्री अमरा राम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता, आसन के द्वारा जो समय अलॉट किया गया है.. ..

श्री अध्यक्ष : 5 मिनट है आपका।

श्री अमरा राम : पहले आपने 5 मिनट दिये हैं और वह भी आप बोलने के लिए नहीं दें।

श्री अध्यक्ष : आप 5 मिनट में समाप्त कर देंगे।

श्री अमरा राम : आप बोलने की इजाजत ही कहां दे रहे है।

श्री अध्यक्ष : अच्छा आप स्टार्ट करिये।

श्री अमरा राम : वैसे ही 5 मिनट में कोई खड़ा होकर बोल नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष : मैं क्या बताऊं, टाइम जो है, है।

श्री अमरा राम (धोद) : इस बजट में किसान और गांव की बात की जा रही है। बिजली जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो विकास के लिए आवश्यक है और जहां किसान की बात की जा रही है, जिस किसान ने सन् 1984 में एप्लीकेशन दी थी सरकार और बोर्ड के सामने, अब 1994 शुरु हो गया और बीत जायेगा लेकिन सरकार कनेक्शन देने की बात नहीं करती और बजट में 44 प्रतिशत पिछली साल से बढ़ा दिया, यह कह रहे हैं। 250 मेगावाट और ले आये लेकिन केवल 25 हजार को देने की बात है। वह संख्या नहीं बढ़ाई जाए और जहां लाइन लासेज की बात है, मैं समझता हूं कि 82 के बाद यह 94 है आज तक कनेक्शन बढ़े हैं, सब स्टेशन बढ़े हैं लेकिन कर्मचारी एक नहीं बढ़ाया गया जिसके कारण लाइन लासेज बढ़ता जा रहा है और आज भी सरकार और बोर्ड उसको घटाना नहीं चाहते।

जहां तक परिवहन निगम की बात है, मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि वह लाभ में है। लेकिन जहां अनुदान घटाने की बात है, मैं निवेदन करना चाहूंगा, राज्य की जनता का जो पैसा उसमें लगा है और जितने प्रतिशत निजी मार्ग है उनसे बहुत कम, बन थर्ड होने के बाद भी सड़क और यात्री कर जो राज्य कोष में राज्य पथ परिवहन निगम जमा कराता है उसका 60 प्रतिशत भी निजी वाहन नहीं कराते। इसलिए मैं समझता हूं कि इसका अनुदान कम न करें और राज्य की जनता को जो सुविधाएं राजस्थान पथ परिवहन निगम दे सकता है उसको नहीं रोका जाए।

जहां तक गरीब की बात है, हाउसिंग सोसायटी ने जो मकान बनाने के लिए आज से दस पन्द्रह साल पहले लोन दिया था, चार हजार रुपये का छप्पर बनाने का, मकान बनाने का जो लोन दिया था, उस पर पैनल इन्टरेस्ट पन्द्रह-पन्द्रह हजार रुपये लगा दिया गया। यह तो हो सकता है कि उनकी गलती रही हो, कमी रही हो या वह नहीं चुका पाये हों, वह मूल उनसे ले लिया जाए लेकिन चार हजार की चौदह हजार रुपये पेनल्टी, ब्याज जो सरकार को जमा करना चाहिए था वह न कराने से आज उनकी सम्पत्ति और मकान नीलाम होने की स्थिति में है। इसलिए वह माफ करें और मूल जो पैसा उन्होंने दिया है वह लिया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें मेजोरिटी में हरिजन ही हैं, नब्बे प्रतिशत हरिजन हैं।

जहां तक खेल विभाग की मांग के बारे में है, मैं यह अनुरोध करूंगा कि जो खेल काम्पलेक्स हैं, केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे और राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे काम्पलेक्स में बहुत बड़ा

(श्री अमरा राम)

भेद है। जो ग्रामीण प्रतियोगिताएं खेल-कूद की आज से पहले होती थीं, आज निश्चित रूप से बन्द हैं। आज कोई भी खेल-कूद प्रतियोगिता ग्रामीण स्तर पर नहीं हो रही। इसलिए उनको वापस चालू किया जाए।

जहां तक न्यूनतम मजदूरी की बात है, यह गरीब की बात करते हैं, मैं तो यह कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे मुख्य मंत्रीजी हैं दिल्ली के उनका अनुसरण किया जाए जिन्होंने पचास रुपये की हैं। हमारे यहां 22 रुपये हैं। जिस समय यह बढ़ाकर 22 रुपये की गयी थी, उसके बाद महंगाई का पांइट 450 तक बढ़ गया लेकिन हमारी न्यूनतम मजदूरी अभी तक नहीं बढ़ाई जा रही है। मैं तो यह अनुरोध करूंगा कि महंगाई के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी बढ़ायी जाय और उसको देखा जाए। जहां यह कहते हैं कि हम कहते हैं वैसा करते हैं, मुख्य मंत्रीजी का भाषण पढ़ने का मुझे मौका मिला था, जो राजस्थान का सबसे गरीब आदिवासी इलाका है और जो आदिवासी स्वायत्त जिला परिषद् बनानी चाहिए थी, मुख्य मंत्री जीने विपक्ष के नेता होते हुए राजस्थान के आदिवासी इलाकों में यह घोषणाएं की थीं कि जब भी सरकार आयेगी आदिवासियों के विकास के लिए जो भी पैसा आता है, उसके लिए आदिवासी स्वायत्त जिला परिषद् बनायी जाएगी। हिन्दुस्तान में ट्राइबल स्टेट हैं उनमें परीक्षण के तौर पर जो किया गया है, अपने विकास के आयाम वह किस तरह से अपने पैसे को यूज करें। मैं समझता हूं ट्राइबल बैल्ट जो राजस्थान का सबसे पिछड़ा हुआ और अविकसित इलाका है, उसमें अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु स्वायत जिला परिषद् का गठन करके उसको पैसा दिया जाता है तो और बढ़िया तरीके से उनका विकास हो सकता है।

जहां किसान के उत्पादन की बात है, लाभ की बात है, प्याज किसान ने एक रुपये किलो में बेचा था वही प्याज उपभोक्ता को बारह रुपये किलो तक मिला है। जहां-जहां राज्य में प्याज होता है, किसान का भी लाभ होगा और आम उपभोक्ता को भी उसका लाभ होगा यदि वहां कोल्ड स्टोरेज बनाकर इस बात के लिए व्यवस्था करें। जहां तक सेल्स टैक्स में छूट दी गयी है, ट्रैक्टर और अन्य बिजली के मोटर पम्पिंग सैट हैं, उन पर नहीं दी गयी है इसलिए उनको भी इसमें शामिल किया जाय।

आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बहुत ही प्रसन्नता है कि राज्य सरकार का सन् 1994-95 का जो बजट प्रस्तुत किया है उसकी जनता में बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया हुई।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़): वह माप दण्ड क्या है? आपने कैसे कह दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जनता में जाओ तो मापदण्ड का पता लगेगा।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : मियां मिट्ठू बन रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा कह रहा हूं कि जनता में पहली बार यह आभास हुआ है कि यह सरकार वास्तव में संवेदन-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

शील है। (व्यवधान) आप जब बोले तो हमने तो कान खोलकर सब सुना है इसलिए आप सुनते जाइये। इस अनुभव के कारण मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय सदस्य जिन्होंने इस सदन में इस चर्चा में भाग लिया है उनके भी मानस पर उसका असर हुआ है। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजस्थान विधान सभा के इतिहास में यह पहला बजट होगा कि विपक्ष के तेवर तीखे नहीं थे, बहुत ही नम्र थे।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) : वह तो आपका लिहाज कर रहे थे हम।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वरना बजट प्रस्तुत हो और उसमें विपक्ष के तेवर तीखे नहीं हो, यह असंभव बात है। लेकिन आपने मन से इस बजट को सराहा और वाणी से इसकी आलोचना की, मुझे इसमें कोई चिन्ता की बात नहीं, मैं आपके मन का समर्थक हूं, जो आपके मन में है और जिस मन से आपने इस बजट की सराहना की है। जिस समय बजट प्रस्तुत किया गया उस समय भी कई माननीय सदस्यों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, उस प्रतिक्रिया को भी मैं ध्यान में रखूं तो निश्चित रूप से इस बजट की सर्वत्र सराहना हुई है। इसका एक कारण है। अध्यक्ष महोदय, पहली बार इस बजट में इस बात की व्यवस्था की गयी कि कोई भी वर्ग ऐसा नहीं रहना चाहिए जिस वर्ग को इस बजट के माध्यम से किसी न किसी प्रकार की सुविधा न दी गयी हो। पहली बार एक बात का प्रयास किया गया कि विकास की दृष्टि से राजस्थान प्रगति पर जाए और अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान भी विकास के पथ पर बढ़े।

अभी पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि महाराष्ट्र में पूंजी का विनियोजन बहुत हो रहा है। यह बात सही है, मैं इन्कार नहीं करता कि महाराष्ट्र में पूंजी का विनियोजन आज ही नहीं हो रहा है, कई वर्षों से लगातार हो रहा है...

श्री विष्णु मोदी : अब तेजी आयी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसका कारण एक है। आज कोई भी एन.आर.आई या विदेशी नियोजक हिन्दुस्तान में आएगा तो सबसे पहले उसका प्रयास होगा कि बम्बई में मैं किसी न किसी प्रकार का विनियोजन करूं। उसका एक कारण है। कुछ तो वहां की नेचर, नेचर से मतलब समुद्र से घिरा हुआ है, जहाज की सुविधा, ट्रांसपोर्ट की सुविधा, बाकी की सब प्रकार की सुविधाएं बम्बई में उपलब्ध हैं।

श्री विष्णु मोदी : मैं, मुख्य मंत्री जी, इंटरप्ट नहीं करना चाहता, सिर्फ वर्किंग कल्चर नहीं है इस स्टेट में उसको आप समझें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है। मैं सब कहूंगा। देखिये आप, इंटरप्ट मत कीजिये। वर्किंग कल्चर की भी बात मैं कह दूंगा। और कल्चर की बात नहीं करूंगा, केवल वर्किंग कल्चर की बात करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि बम्बई में एक आकर्षण है, बम्बई में एक प्रकार की सुविधा है, बम्बई हिन्दुस्तान का मैट्रोपोलिटन सिटी है और बम्बई में व्यापार करने की सब प्रकार की सुविधाएं है और बम्बई एक प्रकार से इंटरनेशनल लेवल का मार्केट है इसलिए जब भी हिन्दुस्तान में कोई भी उद्योग पति विनियोजन करना चाहेगा, सबसे पहले

(213)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बम्बई जाएगा। मेरे पास सारे आंकड़े हैं, आपने कुछ आंकड़े बोल कर बता दिये। उसके बाद में इन्वेस्टमेन्ट होता है बैंगलोर में।

(20–00)

बम्बई में अगर किसी आदमी को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो वह जायेगा बैंगलोर। बैंगलोर में यदि इन्वेस्टमेंट करने की उसकी रूचि नहीं होगी तो सीधा जाएगा अहमदाबाद और अहमदाबाद में जब इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो फिर बाकी के राज्य, जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, आंध्र-प्रदेश है, उड़ीसा है, आसाम है, इन राज्यों में वह जाने की कोशिश करेगा। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आज जयपुर को कोई बम्बई नहीं बना सकता। जयपुर को आज कोई अहमदाबाद नहीं बना सकता। और इस सदन को अच्छी तरह से जानकारी होगी कि मैं लगातार इस बात के लिए कोशिश करता रहा हूं, कहता भी रहा हूं, जब तक राजस्थान में कोई बढ़िया मार्केटिंग सेण्टर डवलप नहीं होगा, उस समय तक यहां के मार्केट के कारण से सब प्रकार के उद्योग यहां आ जाएं, इस प्रकार कोई स्थिति नहीं बनेगी। अब यह कोई एक वर्ष के कारण से नहीं, दो वर्ष के कारण से नहीं, कोई बीस वर्ष के कारण से नहीं, हम जिस प्रकार की स्थिति में हैं, उस स्थिति में मार्केट डवलप नहीं हो रहा हैं और माननीय सदस्य को शायद याद होगा कि तीन-चार वर्षों से लगातार दिल्ली का उद्योग और व्यवसाय, दिल्ली से बाहर निकले इसलिये निकले कि वहां पापूलेशन का कंसन्ट्रेशन बहुत हो रहा है और उस कंसन्ट्रेशन से दिल्ली को बचाया जाय उसके लिए कई बार कांफ्रेंस हुई है, इस बात की कि दिल्ली से उद्योग और व्यवसाय बाहर निकाले जाएं और बाहर निकालने में एक स्थान हरियाणा का चुना गया, दूसरा स्थान यू.पी का चुना गया और तीसरी जगह राजस्थान को चुना गया। दिल्ली में जिस प्रकार की टैक्स की प्रथा है उस टैक्स की प्रथा से लोग दिल्ली में जाकर व्यापार करना चाहेंगे और दिल्ली से सामान खरीद कर बाकी राज्यों में ले जाना चाहेंगे इसलिए कई बार इस बात का प्रयत्न किया गया कि दिल्ली की टैक्स प्रणाली और दिल्ली का टैक्स स्तर अन्य राज्यों की तुलना में बराबर हो, ताकि उसके कारण से व्यापार और व्यवसाय दिल्ली के बाहर निकल सकें। यह सब जानते हैं। भारत सरकार ने इसको सिद्धान्ततः स्वीकार किया है कि किस प्रकार से दिल्ली का डीसैन्ट्रलाइजेशन, उद्योग, व्यवसाय और इसके कारणों से ऊपर किया जाय और बाकी के राज्य भी प्रयत्नशील हैं कि इस प्रकार से उद्योगों का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए।

आपने यह भी कहा कि मैंने बम्बई में यह भाषण दिया कि जो नेचुरल गैस है, वह 12 हजार करोड़ रुपये की गैस जल रही है, यदि गैस सारी की सारी राजस्थान को मिल जाए या राज्यों में उसका बंट-वारा हो जाए तो राज्यों में बिजली की समस्या का समाधान हो सकता है। अगर आप यहां यह कहते कि 12 हजार करोड़ रुपये की गैस जल रही है इस गैस को राजस्थान को दें, मध्य प्रदेश को दें, तो उचित होता। राजस्थान को आप यह समझें कि बी.जे.पी. की सरकार है, मत दें, लेकिन मध्य प्रदेश की पैरवी करते, हरियाणा की पैरवी करते, दिल्ली की पैरवी करते। वह तो पैरवी की नहीं और आप यह कहते हैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि मैंने वहां यह भाषण दे दिया कि राजस्थान का रा-मटीरियल मैं बाहर नहीं जाने देऊंगा। मै आज भी स्पष्ट करना चाहता हूं, मेरी आन्तरिक इच्छा है और आप लोगों की भी आन्तरिक इच्छा होगी कि राजस्थान का रा-मटीरियल, रा-मटीरियल के रूप में बाहर जाता है तो राजस्थान में ज्यादा उद्योग पनपेंगे नहीं। इसलिए मैंने उस समय कहा था कि मेरी यह कोशिश होगी और कोशिश कर रहा हूं कि राजस्थान का रा-मटीरियल फिनिश्ड गुड्स के रूप में ही राजस्थान से बाहर जाए उस समय मैं मानूंगा कि राजस्थान का पूरा औद्योगीकरण हो गया है। इस बात की तो मुझे खुशी है कि मै कहां जाता हूँ और क्या बोलता हूं, इसका आप अध्ययन करते हैं। मैं आपको यही कहना चाहूंगा. लगातार अध्ययन करते जाइये, उसका नतीजा अच्छा निकलेगा। आप गवर्नर एड्रेस के ऊपर जैसे बोले थे उससे आज बढ़िया बोले हो और आज बढ़िया इसलिए बोले हो कि आपने मेरा पीछा किया है कि क्या बोलता हैं, कहां जाता है, कहां क्या करता है। इसलिए इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, मुझे खुशी होगी, आप इसी प्रकार से मेरा अध्ययन करते करते प्रगति की ओर आगे बढ़ें।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर बिजली का प्रसंग भी आया और बम्बई का मुकाबला करने की बात कही। बम्बई में जिस प्रकार का एग्रीमेंट हुआ बिजली के उत्पादन के लिए, यहां से अगर यह सदन मंजूरी दें तो उन्हीं रेट्स के ऊपर एग्रीमेंट मैं भी कर सकता हूं। लेकिन प्रश्न यह आ रहा हैं कि उतनी महंगी बिजली मैं बेचूंगा किसको ? यह बहुत बड़ी समस्या हैं और इसलिए मैंने पहले निवेदन किया था कि बिजली के ऊपर एक दिन चर्चा होगी और चर्चा में हमारी समस्याएं क्या हैं, समाधान कैसे हो सकता हैं, हम सेल्फ-सफिशिएंट कैसे बन सकते हैं, जो बिजली की शोर्टेज है उसकी पूर्ति कैसे की जा सकती है इन सारे विषयों पर निश्चित रूप से विचार करेंगे, और मैं मानता हूं कि सदन में एक बार सारी स्थिति रखने के बाद सदन में जिस प्रकार का मानस बनता हैं उस आधार पर मैं चलने की कोशिश करूंगा। बिजली की कमी हैं, मैंने इसको कहीं अस्वीकार नहीं किया है। कमी हैं और कमी की पूर्ति करनी है। अब इस कमी की पूर्ति करने के लिए जो प्रोजेक्टस चालू होने वाले हैं मार्च में, कुछ उससे कमी पूरी होगी, कुछ हमने एन.टी.पी.सी. से बिजली ली हैं उससे कमी पूरी होगी और कुछ बिजली अगर यह हाउस एक एटमासफियर बनाये, आज मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में बिजली और पीने के पानी की जिस प्रकार की कमी हैं और सिंचाई के पानी का जिस प्रकार से दुरुपयोग होता है, आज हिन्दुस्तान में और कोई पालिसी लागू हो या नहीं हो या राजस्थान में किसी प्रकार की पालिसी लागू की जाए या नहीं की जाए वाटर और एनर्जी इन दोनों के कन्जर्वेशन के लिए जन मानस तैयार करना पड़ेगा और वह जन मानस तैयार होगा तो मैं इतना निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस कन्जर्वेशन की पालिसी से जितना हम खर्चा लगाकर मेगावाट बिजली का उत्पादन करना चाहते हैं, काफी मात्रा में हम मेगावाट की बचत कर सकते हैं, पीने के पानी की बचत कर सकते हैं और सिंचाई के पानी की बचत कर सकते हैं। आज जिस तरह से नहरों में पानी चलता है, मैं परसों

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के दिन झालावाड़ और इधर गया था हैलीकाप्टर से मैंने देखा है, नहर के बरावर ही एक दूसरी नहर चल रही है। उसका कारण है। पानी एक बार अपने खेत में लोगों ने मोगे से छोड़ दिया और छोड़ने के बाद वह पानी को रोकने की चिंता नही करते हैं, घर जाकर सो जाते हैं। वह पानी बहता-बहता वाटर लागिंग की भी समस्या खड़ी करता है, सीपेज की समस्या खड़ी करता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस सदन के माध्यम से मैं जनता से निवेदन करूं कि किसी भी चीज की यदि कमी होती हैं, अनाज की कमी होती हैं, तो हम अनाज का दुरुपयोग रोकते हैं, यदि कपड़े की कमी होती है. तो फटे हुए कपड़ों से भी हम काम लेते हैं। आज जब राजस्थान में बिजली और पानी की कमी है तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां भी वह जाएं, वह जनता में बिजली और पानी के कन्जर्वेशन के सम्बन्ध में लोगों को आगाह करते रहें, ताकि इस समस्या का समाधान हो सके।

पानी के मामले में कहा गया। अब पानी दो ही तरीके से आता है। या तो पानी आकाश से आता है या पानी पाताल से आता है। आकाश का पानी नहीं आए तो पाताल के पानी पर हमें निर्भर रहना पड़ता है। पाताल में ही यदि पानी की कमी आ जाए तो आप यह कहेंगे कि इस सरकार ने पाताल तोड़ कुएं भी बनाये और फिर भी पानी की कमी है। और मैं आज यह कह सकता हूं आपको कि नीचे के पानी का दोहन यदि आपने सीमित नहीं किया तो मैं रहूं या नहीं रहूं लेकिन राजस्थान में पीने के पानी का एक भयंकर संकट आ सकता है। वह पानी इम्पोर्ट नहीं होगा और वह पानी कोई पाइप लाइन से हम दूसरी जगह से ला नहीं पायेंगे। यह समस्या इस प्रकार से पैदा होगी इसलिए मेरी इच्छा है कि कन्जर्वेशन के मामले में हमें व्यवस्था करनी चाहिए, मानस बनाना चाहिए और वातावरण बनाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कमलाजी ने शिक्षा के सम्बन्ध में, मैं समझता हूं बहुत ही अच्छे सुझाव दिये। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन्होंने जिस प्रकार के सुझाव दिये हैं, मुझे खुशी होती कि मेरे पास इतने साधन होते और उन साधनों के अनुसार उनके सुझावों को मैं स्वीकार कर लेता। सुझाव अच्छे हैं। अब इन सुझावों को लागू कैसे किया जाए ? आप यह मानेंगे कि कोई चीज ऐसी नहीं है जो बिना साधनों के आपके सुझावों को मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूं। साधनों की कमी है। सुझाव बहुत अच्छे हैं, सदन के कई माननीय सदस्यों ने और भी कई प्रकार के रचनात्मक सुझाव दिये हैं। लेकिन सुझाव देने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि हमारे पास जितने साधन होंगे उन्हीं साधनों के अनुसार हम किसी भी क्षेत्र में काम करने की कार्यवाही करेंगे। मैं इतना कह सकता हूं, कमलाजी, यह राजस्थान का पहला बजट है जिस बजट को शिक्षा के नाम पर समर्पित किया है। इतनी बड़ी बजट की राशि में कभी बढ़ोतरी नहीं हुई। हमने बढ़ोतरी की है। मेरी भी इच्छा है और सदन की भी इच्छा होगी कि राजस्थान के माथे पर यह कलंक है, हमारे यहां 38 प्रतिशत साक्षरता है। यह साक्षरता का प्रतिशत 100 प्रतिशत हो, हर बालक और बालिका को पढ़ने की सुविधा हो और मैं ही नहीं, राजस्थान का नागरिक होने के नाते कोई भी व्यक्ति यह कह सकें

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि राजस्थान पूर्णत: साक्षर है, राजस्थान में हर बच्चे को पढ़ने की सुविधा है और बच्चों में इस प्रकार की आदत डवलप हुई है कि वह शिक्षा के लिए जाए। लेकिन 40-45 वर्षों के एफर्टस के बाद भी, धनखड़ साहब, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज हम शिक्षा देना चाहते हैं, हम स्कूलों में मास्टर भेजते है सब कुछ करते हैं लेकिन 45 वर्षों में आज तक हम इस देश की जनता में पढ़ाई के लिए अर्ज पैदा नहीं कर सके। आज मुझे भूख लगती है तो रोटी की अर्ज होती है, मुझे पानी पीना है, पानी की अर्ज पैदा होगी, मुझे सोना है तो सोने की मेरी इच्छा होगी लेकिन मैं ऐसा समझता हूं साक्षरता के प्रति और शिक्षा के प्रति अभी लोगों में किसी प्रकार से हम अर्ज पैदा नहीं कर पायें और अबकी बार जो बजट है इस बजट में मुख्य रूप से इस बात का ध्यान रखा गया है कि हम समाज के अन्दर एक अर्ज पैदा करें। दो हजार तक हमें सब लोगों को साक्षर बनाना है, दो हजार तक हमें शिक्षा की पूरी व्यवस्था करनी है। इस अर्ज पैदा करने के अतिरिक्त इस बजट में शिक्षा की सारी व्यवस्थाएं की गयी हैं जिन व्यवस्थाओं के आधार पर मैं कह सकता हूं कि एक वर्ष के बजट में सारी कमियां पूरी कर दी जाएं यह तो किसी प्रकार से सम्भव नहीं है। लेकिन आपने जो सुझाव दिये हैं निश्चित रूप से मैं उनका ध्यान रखूंगा और जहां मेरे पास साधन हुए आपके सुझावों को प्राथमिकता के आधार पर राजस्थान में लागू करने की चेष्ठा करूंगा। इसमें मेरा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, पहली बार धनखड़ साहब का भाषण बजट के ऊपर सुना। मैं ऐसा समझता हूं प्रशंसा करनी चाहिए कि उस भाषण में कंटेन्ट नहीं था। फाइनेंशियल मैटर्स में आप सब तरह की बातें कह सकते हैं लेकिन जब तक आज की परिस्थिति के अनुसार किसी प्रकार का कंटेन्ट नहीं हो, वह बजट का भाषण नहीं है। आपने मेरा नाम कई बार लिया, मुख्य मंत्रीजी को यह कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी जी से यह पूछना चाहता हूं। मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं कि हमारे जितने भी सीमित साधन हैं इन साधनों में इस बजट में जो कुछ मैंने किया है इसके अतिरिक्त मैं कर क्या सकता हूं। आज अगर मुझे आप यह बताते कि अमुक प्रकार का अपव्यय हो रहा है इसको रोका जाए, मैं उस पर विचार करता। आप मुझे यह बताते कि यह राजस्व के स्रोत हैं जिनका लीकेज हो रहा है, तो मैं लीकेज रोकने की कोशिश करता आप मुझे यह कहते कि बजट में या प्लान में जो प्राथमिकताएं तय की हैं वह प्राथमिकताएं बदली जाएं तो शायद मैं बदलने की कोशिश करता। केवल मात्र बजट की आलोचना करने से काम नहीं चलेगा। बजट पर बोलने के लिए दोनों दिशा आपको लेनी पड़ेगी। पहली दिशा बजट में कमियां क्या हैं और दूसरी दिशा यह लेनी पड़ेगी कि आपके पास बजट के लिए किस प्रकार के साधन और जुटाये जा सकते हैं। साधन जुटाने के मामले में सब चुप हैं और जो कुछ मैंने बजट में राशि रखी है उसके मामले में भी सब चुप हैं। लेकिन अपने अपने नये सुझाव लायें तो उन सुझावों के आधार पर बजट का विस्तार कितना हो सकता है इसका आपको खुद को अनुमान लगाना चाहिए। फिर भी मैं आपको धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहता हूं कि आप पहली बार बहुत ही अध्ययन करके बोले

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हैं। ठीक है, दूसरी बार फिर प्रयत्न करेंगे तो मैं समझता हूं.... (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): क्लास अटेन्ड कर लेंगे आपके यहां। He will attend your class.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्लास अटेन्ड करने की नहीं, लेकिन अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य को इतना निवेदन करना चाहता हूं..

श्री अध्यक्ष : पीछा करना पड़ेगा, साहब पीछा करिये, आप खुद समझ जाएंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनमें अडाप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। अच्छी चीज को यह फट पकड़ते हैं। अच्छी चीज को छोड़ते भी नहीं है। (व्यवधान) नहीं, यह मैं नहीं मानता अच्छी चीज को छोड़ते नहीं, अच्छी चीज को ग्रहण करने की आदत है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बजट के मामले में अगर आप अध्ययन करेंगे और सुझाव देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। यह बजट मेरा नहीं है, राजस्थान की जनता का है। यह राजस्थान की जनता के लिए बना है और उसके अंदर कोई रचनात्मक सुझाव आते हैं तो सत्ता पक्ष की ओर से उन सुझावों को सुझाव के रूप में नहीं लिया जाएगा, कोशिश यही की जाएगी कि इन सुझावों को हम किस प्रकार से लागू करें।

अध्यक्ष महोदय, यहां कमला जी ने यह कहा और पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि हमारे यहां जितनी भी पब्लिक अण्डरटेकिंग्स चल रही है उनमें वर्क कल्चर नहीं है। अब आप यह तो मानेंगे कि मेरे आने से एक तो वर्क कल्चर खराब नहीं हुआ है।

एक माननीय सदस्य : यह शुरू से ही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शुरू से ही है, यह आपके ज्ञान की बात है, मैं स्वीकार करता हूं। बात बिलकुल सही है कि वर्क कल्चर की बहुत बड़ी आवश्यकता है गवर्नमेंट में भी, पब्लिक सेक्टर में भी और विधान सभा में भी। वर्क कल्चर तो सब जगह होना चाहिए। आपने केवल गवर्नमेंट अण्डरटेकिंग्स के वर्क कल्चर की बात कर दी। मैं मानता हूं, इससे कमी है। मैं इसमें कोई जिद नहीं करना चाहता कि इसमें कमी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इनमें आप नई कल्चर डवलप कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि एम.ओ.यू. की जो बात हमने कही है वह इसलिए कही है कि राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में से या बाहर से आप तो स्वयं जानते हैं कि मैं कई दिनों से अटेम्प्ट कर रहा हूं कि कुछ टेक्नोक्रेट्स मुझे मिल जाएं और उनकी सहायता लेकर राजस्थान में जिस-जिस प्रकार का स्पेशलाइजेशन उनका है उसमें किसी न किसी रूप में मदद लेऊं। मैं तो यहां तक भी तैयार हूं कि वह किसी कारपोरेशन के चेयरमैन नहीं बनें, किसी बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में नहीं आएं लेकिन उनको कन्सल्ट करके राजस्थान के इन पब्लिक अण्डरटेकिंग्स में किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है हमने हमारे दरवाजे इसके लिए खोले हैं और मैं आज सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी विषय का कोई एक्सपर्ट आपको हिन्दुस्तान में मिल जाए जो हमें अपने पब्लिक अण्डरटेकिंग्स के इम्प्रूवमेंट में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सहयोग दे सके तो बिना किसी पार्टी के कंसीडरेशन के मैं उस आदमी की सर्विसेज राजस्थान में यूटिलाइज करने को तैयार हूं। कोई रिजर्वेशन नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : आप कहते ही हैं सिर्फ, करते नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बताओ क्या नहीं किया ?

श्री विष्णु मोदी : महीप सिंह जी जो थे‥

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब मैं बता देऊं आपको। इतने में से मैं समझ जाता हूं। आपकी बात का इशारा मैं समझ गया, अध्यक्ष महोदय, महीप सिंह जी को मैं ही तो लाया था, आपको यह भी याद है कि जब वह एन.एल.सी. के चेयर-मैनशिप से त्याग पत्र देकर हटे तो लिग्नाइट प्रोजेक्ट्स पर वह आदमी एक्सपर्ट है, उस एक्सपर्ट को मैं लाया और लाकर उनसे लिग्नाइट के सम्बन्ध में जितनी भी जानकारी हो सकती थी वह जानकारी एकत्रित करवायी और कुछ छोटी-छोटी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मैंने तैयार करायी जिनको विस्तार से आगे किसी प्रकार से भी एक योजना के रूप में लाया जा सके। अब आप यह जानते होंगे कि मैंने तो उनको हटाया नहीं। मैंने उनको नहीं हटाया। मैं जब तक मुख्य मंत्री था वह लिग्नाइट के काम में लगे हुए थे और मेरे जाते ही वह हट गये उसका दोष आप मेरे ऊपर लगायें..

श्री विष्णु मोदी : दुबारा बुलाया नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब यह दूसरी बात है। अब रहा सवाल बुलाने का कि उनको दुबारा क्यों नहीं बुलाया। यह सही है आपने मुझे चिट्ठी भी लिखी, मैं उनसे कई बार बात कर चुका हूं और बात करने के बाद में वह अपनी मजबूरियां बता रहे है। मजबूरियां बताने के बावजूद भी मैंने उनसे कहा है कि लिग्नाइट के सम्बन्ध में आप हमें एक-एक डिपोजिट के मामले में एक इस प्रकार की प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे दें जिसको हम वर्ल्ड के मार्केट के अन्दर बेच सकें। आज बरसिंहसर है, पलाना है, बीट-नोक है गुढ़ा है, कई जगह हमारे लिग्नाइट के डिपोजिट्स हैं। अब कितने डिपोजिट्स को हम पावर जनरेशन के काम में लें, कौन कौन से डिपोजिट को हम फ्यूअल बनाने के काम में लें, कौन-कौन से डिपोजिट्स ऐसे हैं जिसमें माइनिंग का काम एक तरफ हो जाए और पावर जनरेशन का काम एक तरफ हो जाए, लेकिन जो भी है इस प्रकार के स्पेशलाइज व्यक्ति हैं, एक बार किसी राज्य सरकार में उनको झटका लग जाए तो उनको यह विश्वास पैदा नहीं होता कि मुझे बुला तो रहे हैं, बुलाने के बाद मैं कितने दिन में रिपोर्ट दे पाऊंगा, कितने दिन में रिपोर्ट नहीं दे पाऊंगा, समय लगेगा फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा और कोई एक्सपर्ट है क्या आपके ध्यान में ?

श्री विष्णु मोदी : मैं आपको बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बता देंगे तो आप निःसंकोच रहिए। राजस्थान के डवलपमेंट के पाईंट आफ व्यू से कोई भी एक्सपर्ट कन्सल्टेशन के लिए, काम करने के लिए कोई मिलता है तो मुझे इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, कमला जी ने कहा कि इसमें केवल एक जिक्र कर दिया कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हमारा आर.एस आर.टी.सी. फायदे में चल रहा है। अब मैं आपको वर्क कल्चर की बात कहता हूं। इसमें मैं समझता हूं कि पुलिस के आई.जी. एक दो बार गये थे चेयरमेन बनकर और चेयरमैन बनने के बाद में पुलिस वालों का कामशियल लाइन में कोई कल्चर नहीं होता है लेकिन आदमी ईमानदार थे और ईमानदार थे तो धीरे-धीरे उन्होंने उसी प्रकार का वर्क कल्चर वहां बनाया, एक फाउण्डेशन पैदा की उसका नतीजा यह है कि आज हिन्दुस्तान में सारे ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन घाटे में चल रहे हैं, राजस्थान का ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन फायदे में चल रहा है।

श्री विष्णु मोदी: रोहिताश्वजी मंत्री हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: रोहिताश्व जी मंत्री है तो मैं समझता हूं पिछली बार 15, करोड़ का लाभ हुआ था और रोहिताश्वजी के मंत्री होने के बाद शायद 20-22 करोड़ का मुनाफा होगा। इसलिए आप उसकी चिन्ता छोड़ें। मैं केवल इसलिए कहना चाहता हूं, आज को-आपरेटिव सैक्टर में जितनी भी मिल्स चल रही हैं। मैं पहले मुख्य मंत्री बना था तब घाटे में थी, फिर मैंने एक ही विचार किया कि अपने पास कौन एक्सपर्ट आता है और कौन नहीं आता है, ब्यूरोक्रेसी में जिन लोगों का मैन्टल मेक-अप कामशियल लाइन में जाने का है या इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट में है उनको छांटा जाय और छांट करके उनको पूरी स्वतन्त्रता दी जाए, उसका परिणाम निकला कि को-आपरेटिव सैक्टर की कई मिल्स, अधिकांश मिल्स में कह सकता हूं, कि आज मुनाफे में चल रहीं है। जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी प्रकार कई और दूसरे कारपोरेशन्स हैं जो मुनाफे में चल रहे हैं। मैं यह नहीं मानता कि ब्यूरोक्रेसी में वकिंग कल्चर आ ही नहीं सकतो। यह कोई फुल स्टाप नहीं है। यह सही है, मैं मान सकता हूं कि जितना सारा टोटल ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है उसमें किन आदमियों का सलेक्शन किया जाए जो मेन्टली इस बात के लिये तैयार हों कि हम कौनसी कामशियल लाइन में जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। उनकी नियुक्तियां वहां की जायं उसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं हो।

आपने रीको और आर.एफ.सी. का जिक्र किया। (व्यवधान) एम.ओ.यू. का मतलब ही अकाउण्टेबिलिटी कायम करना है। एम.ओ.यू. का मतलब ही यह है कि उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि इस कारपोरेशन में जिस प्रकार की कण्डीशन्स हैं हम उसको इस प्रकार से इम्प्रूव करेंगे, घाटा कम करेंगे या प्रोफिट में लायेंगे। आपने आर.एफ.सी. और रीको का जिक्र किया। मैं समझता हूं यदि आप ईमानदारी से यह कहते कि 1991 में और 1991-92 में और 1992-93 में राजस्थान में इन्वेस्मेंट का ग्राफ किस तरह से आगे बढ़ा, यह मैं नहीं कहता कि मेरे एफर्ट्स हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि राजस्थान में वही ब्यूरोक्रेसी के लोग तीन-चार आदमियों ने बैठकर एक ग्रुप बनाया और ग्रुप बनाकर उस ग्रुप के माध्यम से राजस्थान का डवलपमेंट किया। लेकिन धीरे-धीरे वह ग्राफ नीचे आया। उसके रीजन्स वह ब्यूरोक्रेसी नहीं। वह ब्यूरोक्रेसी नहीं, मैं उसको नहीं मानता कि उसके कारण से ग्राफ नीचे आया है। कुछ फैक्टर्स थे। जो मोटिवेट करते थे। वह मोटिवेशन का

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

फैक्टर और मोटिवेशन का हाथ गायब हो गया उसका नतीजा आज आप जो बता रहे है कि आर.एफ.सी. में इतना लोन बकाया रह गया, रीको के अन्दर इतना लोन डिस्ट्रीब्यूट हुआ और इतना कम हुआ, इतना बच गया। उस कल्चर के पीछे, उसको क्रियेट करने के पीछे मोटिवेशन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वह मोटिवेशन मिला नहीं और उसका नतीजा हमारे सामने आ गया।

अध्यक्ष महोदय, यह मोटी-मोटी बातें मैंने आपके सामने रखी है जो इस बजट भाषण में आयी है। अध्यक्ष महोदय, यहां यह कहा गया कि बजट में 340 करोड़ रुपये का घाटा है। (व्यवधान) राजस्थान की देनदारियां बहुत हैं, राजस्थान बोरो-इंग्स बहुत कर रहा है। आंकड़ों के हिसाब से सही है। जो आंकड़े रखे, आंकड़े जिस प्रसंग में रखे हैं, मैं उस प्रसंग में नहीं जाता लेकिन आंकड़े सही है। 340 करोड़ रुपये के घाटे का बजट पहली बार पेश नहीं हुआ है। मैंने ही 340 करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश नहीं किया है। आपके पड़ीस में ही वित्त मंत्री जी बैठे हैं इन्होंने भी 340 करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश किया था। और बजट में किस समय 340 करोड़ रुपये के घाटे का पेश किया? आज तो साढ़े चौबीस सौ करोड़ रुपये की योजना है, साढ़े चौबीस सौ करोड़ रुपये की योजना में 340 करोड़ का घाटा। और जिस समय योजना 350 करोड़ रुपये की थी उस समय 340 रुपये का घाटा था। अब इससे आप अन्दाज लगा लें। मैं नहीं कहता कि घाटा कोई जानबूझ कर छोड़ा है। आखिर जो वित्त मंत्री रहता है उसके ऊपर कई प्रकार के संकट रहते है और उन संकटों का समाधान करने के लिये घाटा कई बार छोड़ना आवश्यक होता है। घाटा छोड़ा, अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, 340 करोड़ रुपये का मैंने घाटा छोड़ा, 2450 करोड़ रुपये की मेरे सामने योजना है, पहले वर्ष की योजना 14 सौ करोड़, दूसरे वर्ष की योजना 1706 करोड़ तीसरे वर्ष की योजना 2450 करोड़, अगर मैं इस योजना को छोटा कर लेता, 340 करोड़ का घाटा एक कलम में वाइप आउट कर देता, 2450 करोड़ की जगह में 21 सौ करोड़ रुपये की योजना बना लेता तो 350 करोड़ रुपये की सेविंग होती और 340 करोड़ का घाटा निकाल देऊं तो यह बजट 10 करोड़ का सरप्लस है। लेकिन घाटा रहा है। घाटा इसलिए रहा कि 2450 करोड़ रुपये की योजना अगर मैं मन्जूर नहीं करवाता तो 11 हजार 5 सौ करोड़ रुपये की योजना में यह तीन वर्ष जो हम खर्चा करते वह 50 प्रतिशत से बहुत नीचे रहता और अगले दो वर्षों में इस सारी योजना राशि का उपयोग कर राजस्थान को मैं प्रगति की ओर नहीं ले जा सकता। मैं इससे निराश नहीं हूं। 340करोड़ का घाटा कैसे पूरा होगा? आप लोगों को भी चिन्ता होगी, मुझे भी चिन्ता है। लेकिन मुझे मालूम है कि 340 करोड़ रुपये का घाटा पूरा करूंगा, अतिरिक्त साधन जुटाऊंगा, जमीनों के मामले में, लैण्डकन्वर्शन के मामले में, बिक्री के मामले में नये नियम बनाऊंगा, उसके कारण से मैं ज्यादा धन लाने की कोशिश करूंगा, मितव्ययता करूंगा और आज मैं आपको कहता हूं कि जिनको आप सफेद हाथी बताया करते हैं उन सफेद हाथियों को भी मैं यहां से हटाने की कोशिश करूंगा। आज कई सफेद हाथी बैठे हैं और सफेद हाथी बैठे हैं वास्तव में देखते-देखते मेरा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भी जी जलता है और आपका भी जी जलता है कि एक पैसे का रिटर्न नहीं और करोड़ों रूपया इसमें खर्च करना पड़ता है। उसका भी मैं आपको विश्वास देता हूं कि कुछ ही दिनों में इस मामले में मैं निश्चित रूप से फैसला करूंगा कि इन सफेद हाथियों को भी घर बैठाया जाए या इनको रवाना किया जाए और यहां से मध्य प्रदेश के जंगलों में भेजा जाए। किसी प्रकार की व्यवस्था करूंगा।

अध्यक्ष महोदय 2450 करोड़ रुपये की योजना है, यह कम उपलब्धि नहीं है। 44 प्रतिशत की वृद्धि सिवाय दिल्ली को छोड़ कर हिन्दुस्तान के किसी राज्य में नहीं हुई। प्लान के लिए मैं संसाधन नहीं जुटा पाऊंगा यह अगर क्रेडिबिलिटी नहीं होगी राजस्थान की या राजस्थान के मुख्य मंत्री की तो 2450 करोड़ रुपये की योजना कोई स्वीकार नहीं करता। आप सब लोगों को मालूम है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना केवल मात्र तीन हजार करोड़ रुपये की थी और आठवीं पंच-वर्षीय योजना 11 हजार 5 सौ करोड़ रूपये की है, 283 प्रतिशत की वृद्धि, आज तक कभी हुई नहीं। यह वृद्धि केवल इस संकल्प के साथ हुई कि राजस्थान का हम विकास करना चाहते हैं, पहली बार आपको बता सकता हूं कि शायद परकेपिटा प्लान आउट-ले, एक बार शायद (व्यवधान) मैं वर्ष बताऊंगा आपको। बहुत पहले, कोई 15 वर्ष पहले 1933 में या 1964 में, मैं कह नहीं सकता, एक बार आल इण्डिया एवरेज से परकेपिटा प्लान आउट ले ज्यादा बढ़ा था।

श्री चन्दनमल बैद : मैं बता देऊं। पहले प्लान में हमारा नेशनल प्लान का 3.29 था, दूसरे प्लान में 2.25 हुआ, तीसरे प्लान में 2.75, चौथे प्लान में 1.94, पांचवें में 2.15 छठे प्लान में 2.07, सातवां प्लान इस वास्ते कम हुआ क्योंकि उसमें तीन अकाल पड़ गये थे इस वास्ते 1.67 हुआ और आपका है 2.65.

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप तो बोरोइंग्स को बता गये। मैं कह रहा हूं पर-केपिटा प्लान आउट-ले। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं आपको बता रहा हूं कि सेवन्थ प्लान में 1,111 का आल इण्डिया एवरेज था और राजस्थान में पर-केपिटा आउट-ले था 772 और इस बार एट्थ फाइव ईयर प्लान में आल इण्डिया का एवरेज है 2176 और राजस्थान की जनता और विधान सभा को खुशी होगी कि पहली बार राजस्थान में परकेपिटा आउट-ले 2619 है, 450 रुपये ज्यादा है। इसलिये आप प्लान के बारे में या रिसोर्सेज के बारे में किसी प्रकार की चिन्ता करें तो उसमें मुझे लगता है कि हम उस गहराई में नहीं जाना चाहते। और गहराई में नहीं जाना चाहते तो कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती है, राजस्थान को तो इस बात की खुशी होनी चाहिये कि कि हम परकेपिटा प्लान आउट-ले आल इण्डिया एवरेज को क्रास कर पाये, 1966 के पहले हम कभी भी प्लान आउट-ले में आल इण्डिया एवरेज से आगे नहीं बढ़े। यह कई वर्षों के बाद पहला मौका मिला है या मौका मिला था 77, 78 और 79 में जब फाइव ईयर प्लान नहीं था और एनुअल प्लान बनते थे उस समय भी परकेपिटा प्लान आउट-ले आल इण्डिया एवरेज से ज्यादा हुआ या 10 वर्षों के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बाद में अब ज्यादा हुआ है इसकी आपको खुशी होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, यहां मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बजट पर बहस में माननीय चन्दनमलजी ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट पर बहुत बोरोइंग्स है, ज्यादा से ज्यादा बोरोइंग्स और यह कर्जा लेते जा रहे हैं । अब कर्ज का जो सवाल है, इस कर्ज के बारे में इतना ही कह सकता हूं कि कर्जा जो कुछ भी है, एक हजार साठ करोड़ रुपये की ब्याज के ऊपर हमारी देनदारी है । एक हजार साठ करोड़ । राजस्व प्राप्तियों का यह हिस्सा है केवल 16.5, जो हमारी रेवेन्यू इनकम है उस रेवेन्यू इनकम में एक हजार साठ करोड़ की ब्याज की देनदारियां होने के उपरांत भी प्रतिशत आता है 16.5, अब 16.5 प्रतिशत का दूसरे राज्यों से मुकाबला करके, मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता लेकिन केवल केन्द्र सरकार का आपको बता देना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की अगले वर्ष की देनदारियां उनकी राजस्व प्राप्ति के मुकाबले में 53.44 प्रतिशत है। अब राजस्थान ने कोई अन्याय नहीं किया । अब आप कहें देनदारियां कैसी हैं ? तो देनदारियों में ज्यादा रुपया हम ने भारत सरकार से लिया है । यहां फलौदी से जीत कर आने वाले माननीय सदस्य, वह हैं नहीं उन्होंने कहा कि डालर क्यों लेते हो? उन्होंने कहा कि पौंड क्यों लेते हो ? यह विदेशी डालर और पौंड राजस्थान में क्यों लाते हो ? मैं इनको यह बता देऊं कि अभी कोई मल्टी लेटरल एग्रीमेंट नहीं है, अभी जो भी एग्रीमेंट हुए हैं वह भारत सरकार के माध्यम से हुए हैं, जो भी पैसा आता है भारत सरकार के माध्यम से आता है, जो भी पैसा आता है अपनी करेंसी में आता हैं । इसलिए उनको चिंता उनको नहीं करनी चाहिए कि डालर आ गया, यह क्यों आ रहा है । यह पौंड आ गया, यह क्यों आ गया ? न डालर आ रहा है न पौंड आ रहा है, हिन्दुस्तान की करेंसी आ रही है और वह करेंसी भी भारत सरकार के माध्यम से आ रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टोटल बोरोइंग्स भी आप देखें, 1980 और 1985 में हमारा जो बजट था, राजस्व प्राप्तियां थी उसको 97 प्रतिशत हमने कर्जा लिया । 1985-90 में यह 100प्रतिशत चला गया। 1990-93 में यह 55 प्रतिशत हुआ और 1.4.94 को प्रतिशत घटता-घटता 15.7 प्रतिशत है । अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि बोरोइंग्स हमारी कैपेसिटी में है, जो इंट्रेस्ट का हम पेमेण्ट करना चाहते हैं वह हमारी कैपेसिटी में है और दोनों चीजें जब कैपेसिटी में हो और डोमेस्टिक रिसोर्सेज हम किसी प्रकार से पूल नहीं कर पाते तो यह सदन कह दे कि कोई कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर कर्जा लेंगे तो जैसे पावर प्रोजेक्ट्स की बात आ रही है कर्जा लेना पड़ेगा, और भी राजस्थान में किसी प्रकार का इन्फास्ट्रक्चर तैयार करना है तो कर्जा लेना पड़ेगा । कर्ज मे वह डरेगा जिसकी देनदारी के प्रति विश्वसनीयता नहीं हो, जो देना नहीं चाहता हो । हम लगातार दे रहे हैं और दे नहीं रहे हैं तो भारत सरकार बैठी है। आप लोगों को जानकारी होगी कि भारत सरकार ने लगभग 81 या 82 करोड़ हमारे प्लान असिस्टेंस के काट लिये और इसलिए काट लिये कि एन.टी.पी.सी. का रुपया इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में बाकी था । एक कार्मशियल यूनिट है राजस्थान का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक नेशनल पावर थर्मल कारपोरेशन, एन.टी.पी.सी. के नाम से जाना जाता है उसकी बकाया थी, आज तक

223

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हिन्दुस्तान में नहीं हुआ कि एक कॉमर्शियल यूनिट की बकाया को वसूल करने के लिए स्टेट को मिलने वाली प्लान असिस्टेंस में से कटौती कर ली जाए। प्लान असिस्टेंस में से वह कटौती कर ली और उसका नतीजा यह है कि आज राजस्थान में कई प्रकार की कमियां आ रही हैं। मैं इस चीज के लिए लड़ रहा हूं और मेरा विश्वास है कि सदन इस मामले में मेरे साथ होगा। मैंने कई राज्य के मुख्य मंत्रियों से बात की है कि इस प्रकार की प्लान असिस्टेंस एक कामर्शियल कन्सर्न की देनदारी के भुगतान के लिए नहीं काटी जाए। वह सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं।

मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि अब यहां पर यह आलोचना की गयी कि बाह्य सहायता आपने इस बजट में इन्क्लूड की है। बाहर से कर्जा ला रहे हैं, अगले वर्ष में 270 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है, मैं तो चाहता हूं ज्यादा लूं, ज्यादा से ज्यादा रुपया लूं। राजस्थान में इन्फास्ट्रक्चर डवलप करना है, जितना ज्यादा रुपया आएगा उतना ही इन्फास्ट्रक्चर डवलप होगा और जितना इन्फास्ट्रक्चर डवलप होगा उतने ही राजस्थान के ओन रिसोर्सेज बढ़ेंगे और उन रिसोर्सेज से और बाहर के रिसोर्सेज को मिला कर हम राजस्थान का इन्फास्ट्रक्चर तैयार कर पायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सन्दर्भ में केवल इतना ही कहना चाहूंगा।

यहां टैक्सेज के मामले में कई प्रकार की बातें हुई। यह टैक्स क्यों लगाया, यह टैक्स क्यों नहीं छोड़ा? मेरे पास भी सुबह कोई दिन ऐसा नहीं होता कि टैक्स कम कराने की मांग नहीं की जाए। यह टैक्स कम करने का केवल एक दृष्टिकोण था। आज न तो व्यक्ति विशेष से, न किसी व्यक्तियों के समूह से, न किसी उद्योग के समूह से मैं प्रभावित होने वाला हूं, न हुआ हूं। मैं प्रभावित एक ही बात से हुआ हूं कि राजस्थान में उद्योग पनपें, उद्योग पनपने में टैक्स स्ट्रक्चर कितना बाधक है इसको रिमूव करूं। राजस्थान का व्यवसाय मध्य प्रदेश चला जाए, राजस्थान का व्यवसाय उत्तर प्रदेश चला जाए, राजस्थान का व्यवसाय दिल्ली चला जाए या राजस्थान का व्यवसाय गुजरात चला जाए। मेरी इच्छा है कि राजस्थान का व्यवसाय बाहर नहीं जाए और इसमें यदि टैक्स का स्ट्रक्चर बाधक है तो उस बाधक को हटाया जाए, एक साथ नहीं हटे तो शनैः शनैः हटाया जाए और मैं फिर आपसे वायदा करता हूं कि टैक्स के मामले में लोगों ने जो कुछ सुझाव दिये हैं कि इस टैक्स स्ट्रक्चर में और परिवर्तन की आवश्यकता है जिसके कारण से राजस्थान का व्यापार व्यवसाय बढ़े और राजस्थान में कई प्रकार के उद्योग लगें, मैं इस पर अध्ययन कर रहा हूं और जिस समय भी मौका मिलेगा विधान सभा में उस प्रकार की व्यवस्था रखना चाहूंगा जिससे राजस्थान का उद्योग और व्यापार व व्यवसाय बढ़ सके। उसके पीछे और कोई दृष्टिकोण नहीं है दृष्टिकोण केवल इतना-सा है, आपने कह दिया 10 सोलवेण्ट प्लाण्ट्स को फायदा होगा। मैं समझता हूं, नहीं कहना चाहिए। आप खुद ही सोचो, जहां 45 सोलवेण्ट प्लाण्ट बंद होने की स्थिति में हैं, मैंने खल के ऊपर यदि कोई रियायत दी तो खल मुझे तो खानी नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : इन्हीं में दी है खाली।

(224)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ना सबको दी है. बाकी का तो टैक्स ही हटा दिया। बाकी तो सब टैक्स ही हटा दिया। इनको रियायत दी है उसके कारण से राजस्थान में सोलवेण्ट प्लाण्ट्स यदि चालू हो जाते हैं तो आपको दर्द तो नहीं होगा, बहुत खुशी होगी। मैं इसी दृष्टि से कहना चाहता हूं कि यूं आरोप लगाने से कुछ नहीं कि दस को फायदा पहुंचाया। मुझे पता ही नहीं है कि दस में हैं कौन। लेकिन यह रिपोर्ट मेरे पास है कि सोलवेन्ट प्लाण्टस सब धीरे-धीरे इस टैक्स स्ट्रक्चर के कारण से बंद हो रहे है, एम्प्लायमेण्ट पोटेंशल खतम हो रहा है, राजस्थान का व्यापार और व्यवसाय खतम हो रहा है तो इस दृष्टिकोण से मैं समझता हूं कोई अच्छा काम करें तो इस प्रकार का मोटिवेशन न हो तो ज्यादा उचित है, म इसलिये निवेदन कर रहा हूं। अब, अध्यक्ष महोदय,...... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम : ट्रैक्टर पर माफ करो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ट्रैक्टर का करूंगा। सोच-समझकर (व्यवधान) किसान की हालत तो देखो। मैंने किसान के कुओं का भी लगान माफ किया है, ऐसी बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री अमरा राम : ज्यादा से ज्यादा 40 रुपये है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता दूं (व्यवधान) देखिये, इसका मतलब यह बहुत अच्छी स्थिति हुई कि आप लोग मुझे बहुत उदार मानने लगे.

श्री राधेश्याम : कल चतुर्वेदीजी ने फरमाया इसमें...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठ जाओ, राधेश्यामजी, आपका मतलब क्या है इसमें। (व्यवधान) मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम आपकी यह आदत तो हुई कि भैरोंसिंह से जो मांगोगे वह मिल जाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वचन, वचन, वचन।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और इसलिए यह मांगने की भी जो आदत है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं और प्रशंसा इसलिए करता हूं कि आप मांग करेंगे मैं विचार करूंगा और आवश्यक हुआ तो किसी प्रकार की रियायत देऊंगा। यदि आप मांगों नहीं और मांगने की आदत नहीं हो तो बहुत समस्या हो जाए इसलिए भगवान की कृपा से आप मांगते रहो और मैं देता रहूंगा। (व्यवधान)

श्री आर.पी. शर्मा : माननीय मुख्य मंत्रीजी लाटरी के बारे में घोषणा करें, मैं तीन बार कह चुका आप से।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप तो करण के दूसरे रूप हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैं करण के रूप में हूं लेकिन +++। (व्यवधान) मैंने आपके लिए नहीं कहा, कोई यह नहीं समझे, मेरे यहां भी बैठे है। वह जिक्र मैं नहीं करना चाहता।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि आमतौर पर बजट के संबंध में रचनात्मक रुख माननीय सदस्यों का रहा और मैं हमेशा इज्जत करूंगा कि बजट के अलावा भी यदि कोई माननीय सदस्य इस प्रकार के सुझाव देंगे

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तो उन सुझावों के ऊपर निश्चित रूप से मैं विचार करूंगा। लेकिन मेरी एक समस्या मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटों में अधिकांश मेरा समय राजस्थान के डवलपमेंट या जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए नहीं, आर्गनाइज सैक्टर की बातें सुनने में, उनका समाधान करने में लगता है। अब मैं निवेदन कर रहा हूं कि किस प्रकार से लगायें। मुझे याद है माननीय भूतपूर्व वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं, सन् 1986 या 88, होगा शायद 1988 में राजस्थान की सरकार ने एक फैसला कर लिया कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते या अन्य सुविधाएं, भारत सरकार के वेतन भत्तों और सुविधाओं के अनुकूल मिलती रहेंगी। (व्यवधान) 89, 88 या 89 कोई भी होगा उस समय यह फैसला हो गया। उस फैसले के बाद में भारत सरकार यदि इंटरिम रिलीफ देती है तो हम देते है, डियरनेस अलाउन्स देती हैं तो डियरनेस अलाउन्स हम देते हैं, और भारत सरकार कोई सुविधाएं देती हैं तो वह सुविधाएं देते हैं, एट पार हम चलते आ रहे हैं। अब यदि इस सिस्टम को डिस्टर्ब करना चाहें और कहे कि यह नहीं, हमें तो भारत सरकार से ज्यादा तनख्वाह दो, भारत सरकार के बराबर जो वेतनमान हैं उन वेतनमानों को बढ़ाओ, भारत सरकार के वेतनमानों से कुछ इस प्रकार का परिवर्तन करो जिसके कारण से हमारे वेतनमान बढ़ जाए। अध्यक्ष महोदय, अभी भारत सरकार ने इंटरिम रिलीफ की घोषणा की। उसमें कोई नेगोसियेशन नहीं हुआ। राजस्थान की सरकार चाहे कि हम इंटरिम रिलीफ नहीं देंगे, इस प्रकार का स्टेण्ड हम नहीं ले सकते। हमें वह स्टेण्ड लेना पड़ेगा क्योंकि एक बार हम कमिटेड हैं। आज 72 करोड़ रुपये की लायबिलिटीज है इंटरिम रिलीफ देने की। मैंने कह दिया 72 करोड़ रुपये देऊंगा और आज मैं सदन में घोषणा करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो इंटरिम रिलीफ दिया और जिसकी कास्ट 72 करोड़ रुपये आती है, राजस्थान सरकार देगी। प्रश्न इतना-सा है कि उसमें से कुछ रुपया राजस्थान के इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोविडेण्ट फण्ड में जमा हो जाय कुछ रुपया कैश के रूप में एम्प्लाइज को मिल जाए। तो उस प्रोविडेंट फण्ड से राजस्थान के विकास की गति बढ़े, केवल इतना सा अर्ज कर रहा हूं और मैं समझता हूं सरकारी कर्मचारी इस व्यवस्था को समझते है। लेकिन मैं यह नहीं मानता हूं और न मैं इसके पक्ष में हूं न सदन इस बात के पक्ष में होगा, जो 1989 में सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पे-स्केल्स और राजस्थान के पे-स्केल्स की पेरिटी है उस पेरिटी को किसी प्रकार से डिस्टर्ब किया जाए। आज मोटी मांग चल रही है कि पे-स्केल जो 6 नम्बर की है, 6, 7, 8, इनको 9 में मर्ज करो। 9 में मर्ज करने का मतलब आज जो एल.डी.सी. की तनख्वाह है, वह तनख्वाह यू.डी.सी के बराबर हो जाय। एल.डी.सी. की तनख्वाह भारत सरकार के एल.डी.सी से ज्यादा हो जाए। ज्यादा हो जाय उसका परिणाम क्या निकलेगा? आज एल.डी.सी. और यू.डी.सी. के पे-स्ट्रक्चर में कोई अन्तर नहीं है। कल वह यू.डी.सी. कहेगा कि एल.डी.सी. और यू.डी.सी. के बीच में जितना डिस्टेंस मेन्टेन करना चाहिए उतना डिस्टेंस मेन्टेन नहीं हुआ, मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। फिर उनकी तनख्वाह बढ़ेगी तो फिर उनके ऊपर वाला कहेगा और ऊपर वाला करते-करते राजस्थान का पूरा बजट इस काम के अन्दर खर्च हो जाएगा। आज भी मैं मोटे रूप से यह कहना चाहता हूं कि जितनी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

राजस्थान में राजस्व आय है वह चाहे सैल्स टैक्स से हो, वह चाहे एक्साइज ड्यूटी से हो, वह चाहे माइन्स डिपार्टमेंट से हो; चाहे वह ट्रान्सपोर्ट से हो, जितनी भी राजस्व आय है उसके बराबर हमें सरकारी कर्मचारियों पर पैसा खर्च करना पड़ता है। अब इसको कहां तक ले जाए । (व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिए। कहां तक ले जाऊं? आखिर में राजस्थान में अकाल है लोग अकाल राहत के काम चाहते हैं। राजस्थान में बिजली की कमी है, लोग राजस्थान में बिजली के जनरेशन करने में पैसा लगाना चाहते है। राजस्थान में पीने के पानी की कमी है, लोग हैण्डपम्प और कुओं में बिजली लगाने की मांग करते हैं राजस्थान में सड़कों की कमी है, लोग सड़कों की कमी पूर्ति की जाए इस प्रकार की मांग करते हैं। स्कूल खोले जाएं, दवाखाने खोले जाएं। अब मेरे सामने यह समस्या है कि मैं जनता के कामों पर पैसा खर्च करूं या जिसके एक फ्रिज है उसके दो फ्रिज का इंतजाम करूं, जिसके घर के अन्दर एक कूलर लगा हुआ है वहां एयर-कन्डीशन लगाने की व्यवस्था करूं ? मैं ऐसा समझता हूं कि इस मामले में मैं सदन का सहयोग चाहता हूं।

इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूं और इसी आधार पर निवेदन करना चाहता हूं कि कोई सरकारी कर्मचारियों का विरोधी नहीं हूं। मैंने भी राजस्थान में इन सरकारी कर्मचारियों के हित में एक काम किया जो हिन्दुस्तान में नहीं हुआ। पहले छोटे-छोटे कर्मचारी जो बिलकुल गरीब थे, जिनका कोई सहारा नहीं था उनको प्रमोशन नहीं मिलता था। कहीं मेरिट के आधार पर उनको प्रमोशन नहीं मिलता था और खास तौर से शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो कर्मचारी है उनके तो प्रमोशन में सब प्रकार का अवरोध आता था। मैंने फैसला कर दिया कि 9 वर्ष की सर्विस हो जाएगी एक प्रमोशन मिल जाएगा, 18 वर्ष की सर्विस हो जाएगी दूसरा प्रमोशन मिलेगा, 27 वर्ष की सर्विस हो जाएगी तीसरा प्रमोशन मिलेगा और आज मैं कह सकता हूं कि पटवारी रिटायर होगा तो नायब तहसीलदार की तनख्वाह से होगा और पुलिस का सिपाही रिटायर होगा तो इन्सपेक्टर की तनख्वाह से रिटायर होगा। यह एक परमानेंट व्यवस्था की है। जब यह व्यवस्था की तो मुझे आश्वासन दिया गया कि अब हमारी कोई मांग नहीं आएगी, हम इस सम्बन्ध में कभी नहीं बोलेंगे। इस व्यवस्था के बावजूद भी अब मांग करते हैं कि हमें 72 करोड़ रुपये का तो इंटरिम रिलीफ दो, पे-स्केल्स की पेरिटी को तोड़ो और तोड़कर के राजस्थान में एक ऐसा वातावरण बना दो कि जो कुछ जनता के टैक्स के रूप में मैं पैसा लेऊं वह जनता के काम में खर्च नहीं हो और वह इन संग०नों के नाम से मैं वह रुपया देता रहूं। मैं भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं आज बच्चों की परीक्षाएं हैं, जब भी आन्दोलन होते हैं या तो चुनाव के वक्त होते हैं और चुनाव में लोग समझते हैं कि हमारी वीकनेस है लेकिन मैं एक बार बधाई देना चाहता हूं चन्दनमलजी ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया बरकत साहब के जमाने में, हड़ताल चली 45 दिन और 45 दिन की हड़ताल में ये बिल्कुल झुके नहीं और अन्त में जाकर फैसला वही हुआ जो सरकार चाहती थी। आज वही स्थिति मेरे सामने पैदा हो रही हैं मेरे सामने वैसी ही स्थिति पैदा है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

विद्यार्थियों की परीक्षाएं कराने की इनकी जिम्मेदारी नहीं है, होस्पिटल में बीमार पड़े हैं उनका उपचार कराने की इनको जिम्मेदारी नही है हैण्डपम्प चलाने की इनकी जिम्मेदारी नहीं है इनकी जिम्मेदारी केवल वेतन बढ़ाने की है। मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा लेकिन, अध्यक्ष महोदय, सरकारी कर्मचारी इसी वर्ग के हैं, मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि उनकी कोई भी वाजिब समस्या होगी उसका समाधान करने के लिए मैं 24 घंटे तैयार हूं लेकिन वह वजन इतना डालें, जिस वजन को राजस्थान की जनता सहन कर सके। आज असेंशियल सर्विसेज हैं उनके बन्द करने की योजना बनायी गयी कि पानी बन्द कर दो, बिजली बन्द कर दो, स्कूल बन्द कर दो, हास्पिटल बन्द कर दो या बाकी भी जितनी असेंशियल सर्विसेज हैं उनको बन्द कर दो। मैंने असेंशियल सर्विसेज मेंटीनेन्स आर्डर लागू किया है और सख्ती से लागू करूंगा। आज होस्पिटल में कोई डाक्टर, कम्पाउण्डर या हैण्डपम्प का या पी.एच.ई.डी. में काम करने वाले लोग अगर हड़ताल पर वह चले गये तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं. हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा और जो भी डिसिप्लीनरी एक्शन होते हैं, मैं डिसिप्लीनरी एक्शन लेऊंगा।

अध्यक्ष महोदय, किसी चीज की सीमा होती है। उस सीमा का कोई उल्लंघन करना चाहे और शोषण करना चाहे जनता का, वह शोषण मैं नहीं करने दूंगा। इस आधार पर, मैंने आज सुबह विचार किया था कि स्ट्राइक हो रही है आज के दिन, कल दोपहर से शुरू हो गयी, मेरा ऐसा विचार था कि सम्भव है कि विधान सभा की कार्यवाही चल नहीं सके लेकिन आज जो सारे हड़ताल के आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों से लगता है कि सारे कर्मचारियों का समर्थन इनको नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है उसके कारण से मैं सरकारी कर्मचारियों से अपील करना चाहता हूं, मैं कोई दुर्भावना से नहीं कह रहा हूं, बदले की भावना से नहीं कह रहा हूं, मैं राजस्थान की गरीब जनता और प्यासी जनता की शक्ल देखकर कह रहा हूं कि मुझे पहले इसकी रोटी का इंतजाम करना है, इसके पीने के पानी का इंतजाम करना है, इसकी चिकित्सा व गरीबों के कपड़ों का इंतजाम करना है, खेत में पानी पहुंचे इसका इंतजाम करना है और इस कारण से मुझे प्राथमिकता इसको देनी है, जिस समय मेरे पास सरप्लस मनी हो उस सरप्लस मनी में, या जहां से मैं प्राथमिकताओं को तोड़कर ला सकता हूं, उस प्रकार की स्थिति हो तो मुझे सरकारी कर्मचारियों को देने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होगा। मैंने पहले भी दिया है। ढाई वर्ष में कभी आन्दोलन नहीं हुआ। मैं पहले मुख्य मंत्री था, ढाई वर्ष में कोई आन्दोलन नहीं हुआ। उसके पहले ढाई वर्ष में कोई आन्दोलन नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि इनकी ग्रिवान्सेज यदि जेनुइन हैं तो आन्दोलन करने के बाद में स्वीकार की जाएं, इसकी आवश्यकता नहीं है आन्दोलन के पहले ही स्वीकार कर देओ।

अध्यक्ष महोदय, टीचर्स सब जगह हैं। एक फैसला हो गया उस फैसले में बाकी के कर्मचारियों की तो लीव एनकेशमेंट होती हैं, 15 दिन की छुट्टी और 15 दिन की छुट्टी वह अवेल नहीं करें तो लीव एनकेशमेंट होता है लेकिन अध्यापकों का लीव एनकेशमेंट नहीं होता।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

वहां 15 दिन की छुट्टी चले गये तो बेकार है। उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ इसलिए 15 दिनों में मैं 7 दिन की रियायत देता हूं कि इस लीव एनकेशमेंट के आधार पर 7 दिन का उनको लीव एनकेशमेंट मिल जाएगा। सारा वर्ग इससे सन्तुष्ट हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि कई सरकारी कर्मचारी हैं जिनको सरकार की वर्दी मिलती है। वर्दी पहनना आवश्यक है। वर्दी पहने तो साफ होनी चाहिए यह दूसरी आवश्यकता है। अब उस वर्दी की धुलाई उनके लिए घातक हो जाए तो मैं वर्दी का धुलाई भत्ता भी सरकारी कर्मचारी जिनको वर्दी मिलती है, उनको देऊंगा। अध्यक्ष महोदय, इस आधार पर मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जो सारा स्ट्रक्चर है, मैं सारे स्ट्रक्चर पर सदन का समय नहीं लेना चाहता। मैं इस सदन के माध्यम से जनता को तो यह अपील करना चाहता हूं कि कहीं ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि पानी बंद कर दें, जनता सतर्क हो जाए। कहीं ऐसी स्थिति बन जाए कि बिजली बन्द कर दें, तो सतर्क हो जाए। यह केवल पुलिस या सरकारी राज के भरोसे काम नहीं चलेगा। यह जनता के भरोसे काम चलेगा। जब जनता को उन्होंने चुनौती दी है, बीमार को उन्होंने चुनौती दी है, किसान को चुनौती दी है, भूखे को चुनौती दी है, विद्यार्थी को चुनौती दी है तो इस चुनौती को राजस्थान की जनता को स्वीकार करना चाहिए और उसके स्वीकार करने के साथ-साथ मैं फिर कर्मचारियों को कहना चाहता हूं कि वह ऐसा रास्ता न अपनाएं जिस रास्ते के अन्दर उनके सामने भी समस्या पैदा हो और राजस्थान की जनता के सामने भी समस्या पैदा हो।

मैं अन्त में, अध्यक्ष महोदय, इस सदन के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे क्रूशियल मैटर पर मेरी अपील को उन्होंने स्वीकार किया, राजस्थान की समस्या को उन्होंने पहचाना और समाधान करने में सरकार का सहयोग करने की बात कही। इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देकर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) (वर्ष 1993-94) का विवरण का उपस्थापन एवं पारण

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त। अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 1993-94 के द्वितीय संकलन का उपस्थापन और उसका पारण। मुख्य मंत्री जी अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1993-94 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : अनुपूरक अनुदान की मांगें एक साथ मतदान हेतु सदन में प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 1993-94 के द्वितीय संकलन की अनुसूची में दर्शायी गयी अनुपूरक अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 6,21,09,94,000/- (छह अरब इक्कीस करोड़ नौ लाख चौरानवें हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 1993-94 के द्वितीय संकलन की अनुसूची में दर्शायी गयी अनुदान की मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6, 21, 09, 94,000/- (छहअरब इक्कीस करोड़ नौ लाख चौरानवें हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) (वर्ष 1993-94) स्वीकार की गयी।

विधायी कार्य विधेयक का पुर: स्थापन राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1994

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1994 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1994 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1994 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ के लिए।

विधेयक पर विचार
राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1994

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया। पारण के लिए।

विधेयक का पारण
राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1994

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1994 को पारित करने के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक 1994 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1994 को पारित किया गया।

मुख्य मंत्रीजी लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव करेंगे।

लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव का उपस्थापन एवं पारण

श्री भैरोंसिंह शेखावतः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखानुदान वर्ष 1994-95 के विवरण में मांग संख्या 1 से 50 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों से अनधिक जिनका योग 20,31,17 64,000 रु. (बीस अरब इकतीस करोड़ सत्रह लाख चौसठ हजार) मात्र होगा, व्यय के लिए अनुदत्त कर दी जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव मुख्य मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-4) विधेयक, 1994

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या 4) विधेयक, 1994 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-4) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-4) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : लेखानुदान विचारार्थ।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या–4) विधेयक, 1994

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या 4) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया पारण का प्रस्ताव कीजिए।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-4) विधेयक, 1994

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या 4) विधेयक, 1994 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या–4) विधेयक, 1994 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-4) विधेयक, 1994 को पारित किया गया।

श्री नाथूसिह प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक 1994 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक 1994

श्री नाथूसिह (राज्य मंत्री पंचायती राज) : अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

(व्यवधान)

(231)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अभी आपने समय नहीं दिया। बोलने नहीं दिया, नहीं तो मैं बोलता। (व्यवधान) हां, मुझे पता है अध्यक्ष जी...

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष जी, आपने तो पूरा गला घोट दिया।

श्री अध्यक्ष : आपका गला खोलने के लिए जरा दबाते हैं ना कभी-कभी थोड़ा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप चलिए मैं चाय पिला लाऊं, आपका गला भी खोल देऊं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, खोलने के लिए भी कभी-कभी दबाना पड़ता है। यह करना पड़ता है। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : मुझे पता है कि मूड है कि नहीं है। आपने मुझे पांच मिनट का समय नहीं देने दिया, मुझे पता है कि मूड है कि नहीं है। इसलिए आधे घन्टे रोकना चाहता हूं आपको। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1994 एक सप्ताह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। अध्यक्ष महोदय मैं यह भी जानता हूं कि मेरे प्रस्ताव का फेट क्या होने वाला है। माननीय मंत्री महोदय ने संशोधन चाहा है और संशोधन के द्वारा वह ग्राम सेवकों का राज जो दो साल और नौ महीने तक चलता आ रहा है उसके छह महीने और बढ़ाना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, इस सरकार का मानस पंचायतों के प्रति कितना उदार है, यह हमें इस बात से स्पष्ट है। 13–7–91 से इन पंचायतों में यह प्रशासक लगाये गये उसके बाद में आज पौने तीन साल हो गये, यदि इनका चुनाव कराने का मन होता तो बहुत समय इनके पास था। कभी किसी बहाने और कभी किसी बहाने यह पंचायतों के चुनाव टाले जाते रहे हैं। अध्यक्ष जी आज जो स्थिति पंचायतों की है दयनीय है पंचायतों का प्रशासक ग्राम सेवकों को बनाया गया है, मनमर्जी से वह अपने काम कर रहे हैं और जो जनता का धन है एक-एक पैसा टैक्स के रूप में राजस्थान की जनता देती है उसका कितना अपव्यय हो रहा है इन ग्राम सेवकों के माध्यम से, मैं उसके एक-दो उदाहरण देना चाहूंगा।

(21.00)

अध्यक्षजी, कल ही मुझे अपने प्रश्न का जवाब मिला है उसमें यह अंकित है कि एक ग्राम सेवक को दो कमरे बनाने के लिए 1 लाख 855 रुपये दिये गये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवनाथ सिंह : एक कमरे के लिए 76 हजार 263 रुपये दिये गये। अध्यक्ष जी, सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कोई नियंत्रण नहीं है, कोई एस्टीमेंट नहीं है। ग्राम पंचायत का प्रशासक ग्राम सेवक है और वह अपनी मर्जी से धन निकालता है और उसको खर्च करता है। उस पर कोई पाबन्दी नहीं है। आज हमारे पंचायती एक्ट में व्यवस्था है कि गांव के लोगों की ग्रामवासियों की इजाजत ली जाय, उनके सामने प्रस्ताव पेश हो और क्या योजना बने, उस गांव में उस पंचायत क्षेत्र में क्या काम होने चाहिए उस बारे में ग्राम सभा में जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आज इन प्रशासकों के बनने के बाद एक भी ग्राम सभा की मीटिंग नहीं होती। किसी का नियंत्रण नहीं है। सरपंच थे चुने हुए, पंच थे वे इस सरकार को पसंद नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स के आधार पर चलने वाली सरकार, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पंचायती राज को पंचायती व्यवस्था को बिगाड़ कर कहां ले जाना चाहते हैं। आज

(232)

(श्री शिवनाथ सिंह)

इस प्रकार से धन का अपव्यय हो रहा है। यदि माननीय मंत्रीजी इस बात के लिए चाहते हैं कि छह महीने का समय बढ़ा दिया जाय और मैं इसको आवश्यक भी आज समझता हूं कि छह महीने का समय बढ़ा दिया जाय क्योंकि जो नया बिल हमारे सामने आ रहा है उसके पहले चुनाव नहीं हो सकते लेकिन सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे इन प्रशासकों पर, इन ग्राम सेवकों पर कोई नियंत्रण तो हो। आज कोई किसी का नियंत्रण नहीं है। मर्जी के हिसाब से रुपये खर्च करते है, गांव वालों को पूछते नहीं हैं। इसलिए इसके साथ–साथ मैं चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय, समय तो बढ़ावें, लेकिन कोई न कोई व्यवस्था चाहें अध्यापकों की हो, रिटायर्ड अध्यापक हो सकते हैं, पुराने सरपंच हो सकते हैं, एक ऐसी कमेटी बन जाए जो इन छह महीने के समय में उन पर नियंत्रण रखें और गांवों के काम गांव के हिसाब से चलें, गांव के लोगों की भलाई के लिए चले और धन का अपव्यय नहीं हो, अपनी मर्जी से प्रशासक ग्राम सेवक रुपये को बरबाद नहीं कर पायें। इस प्रकार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ में यह प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जनतंत्र की हत्यारी है। पंचायती राज को नष्ट कर दिया और आज जो अभी बिल पेश कर रहे हैं, अवधि बढ़ा रहे हैं छह महीने की यह फैट अकम्पली है। यह अवधि बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि 3–4 दिन बाकी हैं। लेकिन जो पंचायतें, पंचायत समिति और जिला परिषदें काम कर रही थी उन तमाम पंचायतों को भंग करके ग्राम सेवकों को प्रशासक बना दिया। ग्राम सेवक को प्रशासक बना करके सारे गांव का, पंचायत का राज उस नौकर को दे दिया। आज वे इतने स्वच्छन्द हो गये कि किसी की कुछ सुनते नहीं। पंचायतों को भंग करने के बाद अब चुनाव करायेंगे जिसकी कोई रूपरेखा नहीं। माननीय मंत्रीजी जो बिल पेश करने वाले थे पंचायतों के पुनर्गठन के बारे में, उसको भी आज पेश नहीं किया। इससे जाहिर होता है कि यह सरकार पंचायत राज को नहीं चाहती, पंचायतों के चुनाव भी नहीं कराना चाहती, आगे की क्या नीति यह भी नहीं बताना चाहती और अवधि बढ़ाना चाहती है। मैं आपके माध्यम से सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पंचायती राज की हत्या करने वाली सरकार का समर्थन नहीं किया जाए, लोकतंत्र को नष्ट करने वाली सरकार का समर्थन नहीं किया जाए। ग्राम सेवकों को नादिरशाही अधिकार दे दिये चाहे जो मनमानी करें। तो मेरा निवेदन है कि अवधि नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। कोई भी व्यवस्था, मान्यवर, आपके माध्यम से ऐसी होनी चाहिए, सदन की तरफ से आज ग्राम सेवक को आपने सब कुछ दे दिया। ग्राम पंचायतों के बारे में आपको कोई व्यवस्था सुझानी चाहिए थी। माननीय मंत्री महोदय, ग्राम सेवक भी हो सकते हैं, स्कूल का हैड मास्टर भी हो सकता है, अगर मिडल स्कूल है तो मिडल के हैड मास्टर को साथ में लगाइये, सैकण्डरी स्कूल है तो उस स्कूल के हैड मास्टर को साथ में लगाइये, हाई

(श्री शिवनाथ सिंह)

स्कूल और मिडल स्कूल दोनों ही नहीं हैं तो आप प्राइमरी स्कूल के हैड मास्टर को साथ में लगाइये, भूतपूर्व सरपंच को आप साथ में लगा सकते हैं, वहां सोशल वर्कर को, फ्रीडम फाइटर को लगा दिया जाए रिटा-यर्ड गजेटेड आफिसर मिलिटरी आफिसर है उसके साथ लगा दिया जाए। तो इस तरह से तीन की, पांच की कमेटी बना दीजिये। ग्राम सेवक को आपने सारे अधिकार दे दिये मैं माननीय मंत्री महोदय, आपको चुनौती देता हूं एक भी ग्राम सेवक का आप असेस-मेंट कर लीजिये, जब आपने उसको प्रशासक बनाया उस समय उसकी क्या हालत थी और आज उसकी क्या हालत है। एक को ले लीजिये, जो कमजोर से कमजोर है उसको ले लीजिये। अब आपने सारा भ्रष्टाचार कर दिया। आज वे जनता के धन को लूट रहे हैं। गांवों के अन्दर पंचायत की जो आन इनकम है उसको खा गये। 60-60 हजार में मान्यवर, एक-एक कमरा बनता है और 45 हजार में ठेका देते हैं, 15 हजार रुपये ऊपर के ऊपर सीधे ही खा जाते हैं। ऐसा तो पी. डब्ल्यू.डी. में नहीं होता। जिस लोकतंत्र की बुनियाद पंडित जवाहर लाल नेहरूजी ने नागौर में डाली थी आज उस पंचायती राज को यह सरकार खतम कर रही है। मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं कि इस बिल को पास नहीं किया जाए, इसको रिजेक्ट किया जाए और एक उदाहरण पेश किया जाए कि विधान सभा सर्वसम्मत संस्था है यह नहीं कि सरकार ने बिल पेश कर दिया और हम उसको हां कह दें, ना कह दें। आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख कर सोचिये, एक ग्राम सेवक सब कुछ कर रहा है, क्या आप चाहते हैं कि वह इस तरह से लूटता रहे ? आप नहीं चाहते कि एक कमेटी बना दी जाए ग्राम सेवक को रख कर, हैड मास्टर को रख कर, भूतपूर्व सरपंच को रख कर, किसी सोशल वर्कर को रख कर, किसी फ्रीडम फाइटर को रख कर ? लेकिन ग्राम सेवक जनता को मत दीजिये।

इन्हीं शब्दों के साथ में मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो अपना अमेंडमेंट दिया है उसके पीछे मूल भावना यही है कि आज कोई भी सदस्य अपने दिल पर हाथ रख कर यह देखें कि जब भी वे अपने विधान सभा क्षेत्र में जाते हैं तो कितनी तरह की ग्राम सेवक के रूप में शिकायतें हैं। माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से बहुत करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, कि इसका कोई हम इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं कि हम आपकी नीति का विरोध कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप संवेदनशील हैं और पहले पंचायतों में फाइनेंशियल असिसटेंस स्टेट थी और उसमें पैसा था नहीं और आज सारी जो सेन्ट्रल स्कीम्स हैं, जवाहर रोजगार योजना है, बाकी की सारी स्कीम्स हैं उनका सारा पैसा पंचा-यतों के माध्यम से खर्च हो रहा है और उसके अन्दर भारी अनियमितताएं हैं। स्थिति यह है कि आपके पास ग्राम सेवक भी एक पंचायत में एक हो, वह स्थिति भी नहीं है। एक ग्राम सेवक के पास में 2-2, 3-3, 4-4 पंचायतों का चार्ज है और वह वहां का प्रशासक है। तो उसमें भारी अनियमितता है।

(श्री विष्णु मोदी)

मैं आपके माध्यम से पुनः करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसमें भूतपूर्व सरपंच को रखें। आप राजनैतिक कारण समझते होंगे पर हम इसको राजनैतिक कारण नहीं बनाना चाहते लेकिन आप इस तरह की व्यवस्था करिये। आप रश मत करिये। आप इसको एक दिन बाद में कुछ सोच विचार कर करिये कि इसमें जो धांधली है, जो तानाशाही और जो अनियमितताएं हो रही हैं वह रुक सकें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती कमला (बैराठ): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाथोंहाथ ही अभी प्रस्तुत कर सकते हैं थोड़ा-सा समय लेकर, कोई बड़ी चीज नहीं है या कल करा सकते हैं। कमेटी होना बहुत जरूरी है।

श्री परसराम मदेरणा (नेता प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्षजी, अभी गुढ़ा से आने वाले सदस्य और मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि इस बिल के द्वारा प्रभारी मंत्रीजी, ग्राम सेवक जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं की छह महीने की अवधि और बढ़ाना चाहते हैं। पहले 2 साल 9 महीने रही अब 3 साल 3 महीने करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस दसवीं विधानसभा के चुनाव के बाद 31 दिसम्बर, 1993 को राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण में राज्य सरकार की तरफ से एक सोच, विचार और अभिमत आया था। पंचायती राज संस्थाओं में प्रशासकों के स्थान पर जन-प्रतिनिधि नियुक्त करने के बारे में राष्ट्रपति शासन में विचार-विमर्श हुआ था। सुन रहे हो, मंत्रीजी। परंतु विधान सभा के चुनावों की प्रक्रिया आरम्भ होने के कारण यह व्यवस्था नहीं हो सकी। यह सरकार इस सम्बन्ध में सदन का विचार जानना चाहेगी। इन संस्थाओं में जन प्रतिनिधियों की नियुक्ति यदि उपयुक्त हो तो इनका मनोनयन किस आधार पर किया जाए। आप पूछ कर आइये मुख्य मंत्रीजी को।

श्री चन्दन मल बैद : वही हैं मुख्य-मंत्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा : अभी यहां पर मुख्यमंत्रीजी का धुआंधार भाषण चल रहा था। कमिटमेंट, डिवोशन और...

श्री चन्दनमल बैद : संवेदनशीलता।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं संवेदनशीलता तो अब गायब हो गयी दिखती है कल से। लेकिन यह कमिटमेंट अगर इसका है और करनी कथनी एक है, आप इस प्रकार के सुझाव चाहते थे, मैंने उसमें सुझाव दिया था कि आपको एक कमेटी बनानी चाहिए और यही सुझाव अभी दोनों माननीय सदस्यों ने दिया है। या तो आप गवर्नर के अभिभाषण में सरकार के अभिमत का यहीं पर जो है..

श्री रामनारायण चौधरी : प्रदर्शन करना चाहिए था..

श्री परसराम मदेरणा : नहीं नहीं, आप को उल्लेख ही नहीं करना चाहिए था। और अगर उल्लेख करना चाहते हैं There is a Government worth the name in the State of Rajasthan. He should appoint a committee. अगर यह नहीं अपाइंट करती है, इसका मतलब यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को आप यहां पर पढ़वा देते हैं, उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं

(श्री परसराम मदेरणा)

रहेगी, उसकी कोई डिग्निटी नहीं रहेगी, उसकी कोई गरिमा नहीं रहेगी। सरकार के किसी भी सम्बन्ध में अभिमत है और नीति सम्बन्धी कोई निर्णय है उसका, अगर आप कमिटमेंट करके राज्यपाल के अभिभाषण में बात कहते हैं मैं समझता हूं कि उसका आनर किया जाना चाहिए, लेटर और स्पिरिट में किया जाना चाहिए और रिलीजियसली किया जाना चाहिए क्योंकि आपका कमिटमेंट है, क्योंकि यह गवर्नमेंट का पालिसी डाकुमेंट है। कंसोलिडेटेड बिल इनकन्फर्मिटी विथ अमेंडमेंट इन दी कांस्टीट्यूशन वाली बात जल्दी आने वाली थी उसमें कुछ समय लगने वाला है और जब समय लगने वाला है तो और भी ज्यादा इस बात की आवश्यकता है। क्योंकि जो प्रशासक नीचे के स्तर के हैं और जितनी भी आज आपकी एम्प्लायमेंट स्कीम्स हैं, चाहे वह जवाहर रोजगार योजना है, चाहे व एश्योर्ड एम्प्लायमेंट योजना जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी लागू की है वह हो और चाहे वह डी.पी.ए.पी. की है, चाहे वह डी.डी.पी. की है, यह सब एम्प्लायमेंट ओरियन्टेड स्कीम्स हैं, चाहे वह अनटाइड स्कीम है पंच की, यह सभी स्कीम्स जो चल रही है ... (व्यवधान) अकाल का तो इनमे कोई लेना देना नहीं है। यह एक्जीक्यूटिव एजेन्सी करती है। अगर यह कर रहे है तो अभी तक तो, माननीय मुख्य मंत्रीजी, 48 पंचायतें थीं अब आपने 76 पंचायतें ओसियां में बनायी हैं, कुछ बूढ़े ग्राम सेवक हैं जिनके पास में बुलट गाड़ियां नहीं है, सब मोटर साइकलों पर घूम रहे हैं और यह पहले तो ग्राम पंचायत में उल्टे सीधे कागज बनाते थे, तरकीब इनको पहले मालूम थी, अब पूरी की पूरी योजना में वह बीच में जो अटक रहा है, नहीं आ रहा है 80 पैसा, लेकिन इनके ऊपर एक कमेटी निश्चित तौर पर होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आप खुद यह सोचते थे कि इस तरह की कमेटी बने और जब यह आप बिल ला रहे हैं तो राज्य सरकार की तरफ से आप ...

श्रीमती कमला : आफिशियल कमेटी ...

श्री परसराम मदेरणा : नहीं नहीं, मुख्य मंत्री भी कह रहे है, आप मांग कीजिये। We are not beggars.

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्रीजी): मैं नहीं कह रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : मांग हम कुछ नहीं कर रहे हम जो रीजनेबल बात है वह आपको कह रहे हैं। अगर हमारा सुझाव ठीक है, उस पर आप गौर कीजिये। गौर करने की बात आपने कही है और जब आपने कही है तो यह आपका और कमिटमेंट है तो इस पर कमिटमेंट है, अमल कीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने और उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने ...

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : प्रतिपक्ष के नेता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रतिपक्ष के नेता और निर्दलीय सदस्य, उदयपुर से निर्वाचित विधायक, इस पंचायत राज व्यवस्था में एडमिनिस्ट्रेटर का क्या रोल रहा है, इसकी आलोचना की है। मैं ऐसा समझता हूं कि 18 तारीख को यह एडमिनिस्ट्रेटर की मियाद खतम हो रही है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यह मियाद बढ़ानी पड़ेगी इसमें तो कोई सन्देह नहीं है। लेकिन इसके काम का सुपरवीजन, कण्ट्रोल और गाइडेन्स किस प्रकार से दी जाए, उसके लिए प्रतिपक्ष के नेता ने जो सुझाव दिया है कि एक समिति बना दी जाए, मुझे उसमें आपत्ति नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : गाइडेन्स क्या ? ग्राम सेवक ही रखना चाहते है क्या?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बताऊंगा। बात तो सुन लो। नहीं, मेरी सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : तो वह चलने वाली नहीं है। (व्यवधान) गाइडेन्स क्या होगी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको यह कह रहा हूं कि मैं विपक्ष के नेता से और आपसे मिलकर इस व्यवस्था में किस प्रकार की कमेटी बने, जो कमेटी इस बात का नियंत्रण रख सके कि रुपये का दुरुपयोग नहीं हो और सदुपयोग हो, किसी तरह की बेईमानी और भ्रष्टाचार उसमें नहीं हो और कामों का चयन इस प्रकार से किया जाए, इस आधार पर प्रतिपक्ष के नेता और आप जो भी चाहे इनके साथ बैठकर... (व्यवधान)।

श्री हरजीराम बुरड़क : एक्ट में कर दो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर से मैं कर दूंगा। आप चाहे तो कल बैठ जाएं, मैं कल ही कर दूंगा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (बल्लभनगर): (व्यवधान) पटवारी उस एडवाइजरी कमेटी का मेम्बर था लेकिन उसकी एडवाइस आज दिन तक नहीं ली गयी। कोई भी बजट पंचायत समिति का आज दिन तक अप्रूव नहीं किया गया। ऐसी कमेटी जो आपके आर्डर से बनने वाली है उसका कोई लोकतांत्रिक स्वरूप नहीं बनेगा और ग्राम सेवक स्वच्छंदता पूर्वक कार्य करते रहेंगे और विकास के पैसे का दुरुपयोग होता रहेगा इसलिए कानून में प्रोविजन कीजियेगा।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेटर बने, बात सही है क्योंकि चुनाव अभी नहीं हो रहे हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर ग्राम सेवक ही बने, यह बात हमारे गले नहीं उतरती है। एडमिनिस्ट्रेटर बनाने के लिए दूसरी आपके पास एजेंसीज हैं, आप अपने हिसाब से किसी को बना दीजिये लेकिन ग्राम सेवक को ही बनाने के लिए आप एडामेंट हैं तो हमारे गले बात उतर नहीं रही है। आपकी मर्जी करो तो वह अलग बात है।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : जैसा आपने फरमाया कि इस एक्ट में नहीं करके प्रशासनिक आदेश से हम कमेटी बनायेंगे लेकिन एक्ट में जब ग्राम सेवक को पंचायत की पावर मिल जायेगी फिर आप एडमिस्ट्रेटिव आदेश से उस कमेटी को बनायेंगे उसकी लीगली मान्यता क्या रहेगी और वह कहां तक प्रभावी होगी ? इस बारे में आप विचार करके और करना चाहे तो आप इसी में दो लाइन जोड़ दीजिये। इसी में दो लाइन जोड़ दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुन लीजिये। मुझे इसमें भी आपत्ति नहीं है कि इस बिल में इस प्रकार का संशोधन कर दिया जाए।

श्री रामनारायण चौधरी : कर दो, साहब ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी बात तो सुन लो । लेकिन कहां ग्राम सेवक है और कहां ग्राम सेवक नहीं है, ग्राम सेवक के साथ कहां हैड मास्टर लग सकता है, कहां नहीं लग सकता, ग्राम सेवक के साथ पटवारी कहां है, ग्राम सेवक के साथ स्कूल का अध्यापक कहां है, यह कई एडमिनिस्ट्रेटिव प्राब्लम्स इसमें आएंगी इसलिए यदि यह प्रशासक भी रहता है प्रशासक के नाम से अब भी चलाऊ रहता है और एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर यह निकल जाता है कि यह प्रशासक जो भी काम करेगा, इस कमेटी के माध्यम से करेगा, फिर कोई प्रशासक उसकी अवहेलना करे, मेरी समझ में नहीं आता । अवहेलना करेगा तो निश्चित रूप से उसको सजा मिलेगी । यह . .

श्री रामनारायण चौधरी : आप प्रशासक आपकी मर्जी आए जिसको बना दो, इसमें आप संशोधन कर लो उस हिसाब से ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रामनारायण जी, मैं समझ गया । अब मेरी सुनिये ।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय मुख्य मंत्रीजी हमारी यह कतई मंशा नहीं है कि कोई आप हमारे कहने से प्रशासक बना देंगे । आप प्रशासक बनाने को पूरी शक्ति ले लीजिये । आप उसमें हैड मास्टर को बना दो, पटवारी को बना दो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यही तो कह रहा हूं ।

श्री रामनारायण चौधरी : और आदमी को बना दो उसमें । लेकिन आप इस ग्राम सेवक को हटा दीजिये । इन्होंने सारे पब्लिक फण्ड का सत्यानाश कर दिया है । इन्होंने जितनी बेईमानी की है, मैं आपको बताऊं दुनिया में जितनी भी बेईमान एजेंसीज है, सबको भुला दिया है इन पटवारियों ने और अगर मैं गलत कहता हूं तो माननीय सदस्य बैठे हैं, इनका सबका जनता से . (व्यवधान) आप एम.एल.एज. को बना दीजिये, हम उसको भी मान लेंगे ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमू) : अध्यक्ष महोदय, सदन में जो बात आयी है, इस बात से तो सभी माननीय सदस्य सहमत हैं कि जिस प्रकार से ग्राम सेवक अकेले रहेंगे और ग्राम सेवक को ही प्रशासक बनाया गया तो सारी समस्या पंचायतों में उत्पन्न हो रही है, इस बात से कोई मना नहीं कर सकता । अध्यक्ष महोदय, सरकार के पास यह पावर तो आनी ही चाहिए और सब पास करना ही चाहते हैं लेकिन इस एक्ट में यह पावर सरकार के पास रहे कि सरकार चाहे तो हैड मास्टर को बना दे, सरकार चाहे तो पटवारी को बना दें । क्योंकि एक आदमी के होने से जिस ग्राम पंचायत में वह है. . (व्यवधान) हां, एक को बनाये और इसके साथ एक एडवाइजरी कमेटी बने और एक बात इसके बाद सरकार प्रशासनिक आदेश से करे कि पंचायत समितियों में इस प्रकार के जो निर्णय हों उसमें विधायक की उपस्थिति और उसकी सहमति आवश्यक हो । ताकि पंचायत समिति के लेवल पर जो काम स्वीकृत हो और उस काम के बाद प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार सरकार के पास रहे लेकिन ब्लेंकेट यह नहीं हो कि ग्राम सेवक ही प्रशासक बनेगा ।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, आप बैठिये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सरकार चाहे तो हैड मास्टर बना दे, सरकार चाहे तो ग्राम सेवक को बना दे ।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, बैठ जाइये। वह जिस सेक्शन के लिए टाइम एक्सटेण्ड किया जा रहा है, सेक्शन 9 (ए) जो है उसमें कहीं भी ग्राम सेवक का नाम नहीं है और वह बिलकुल क्लेक है कि एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने का अधिकार सरकार को दे। वह जो एडमिनिस्ट्रेटर सरकार नियुक्त करेगी वह प्रशासनिक आदेश से करेगी। आज जो अमेंडमेंट आ रहा है केवल उसमें टाइम एक्सटेंशन का है, बाकी 9 (ए) जैसा है, वैसा ही है मुख्य मंत्रीजी ने जब यह कहा है कि प्रशासन कैसे हो, इस सम्बन्ध में आप लोग बैठकर के तय कर लें, तो एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर से जो भी आप लोग तय करेंगे उससे हो जायेगा। इसमें ग्राम सेवक का तो कहीं नाम नहीं है कि ग्राम सेवक ही होगा। (व्यवधान) यह तो आपके तय करने की बात है। (व्यवधान) यह तय करने को बात है। मुख्य मंत्रीजी ने यह प्रस्ताव किया है कि प्रतिपक्ष के नेता और जिन लोगों को आप उचित समझते हैं, साथ में बैठ करके प्रशासन कैसे हो, किस प्रकार की व्यवस्था की जाए, होगी तो एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर से यह तय करने के लिए उन्होंने आपको छूट दी है।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, उसमें यह... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इस कानून से उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : क्षेत्रीय विधायक को जरूर रखा जाए। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेण्ट के पास में जो नोटिफिकेशन के जो पावर्स (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज (व्यवधान) आप सुनिये, आर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : अभी जो प्रावधान है, प्रावधान यह है कि The State Government shall by notification in the official Gazette appoint an Administrator for such period as may be specified in the notification. गवर्नमेंट के पास में यह पावर्स थे। इस पावर्स को लेकर, इन्वोक करके गवर्नमेंट ने ग्राम सेवक को एडमिनिस्ट्रेटर अप्वाइण्ट किया है। गवर्नमेंट किसी दूसरे को भी कर सकती है। मुख्य मंत्री जी मेरा सुझाव यह है कि वहां "एडमिनिस्ट्रेटर" है, वह आप तीन आदमियों की कमेटी बना दीजिये। आपकी कोई भी सुपरवाइजरी या कन्ट्रोल बॉडी रखेंगे, आज ठीक कह रहे थे अभी माननीय सदस्य कि एक एडवाइजरी कमेटी बनायी, उस एडवाइजरी कमेटी में जहां का ग्राम सेवक और विकास अधिकारी दोनों मिल गये हैं वहां पर दूसरे लोग टापते ही रह गये, उन एडवाइजर्स को बुलाया ही नहीं उन्होंने, उनकी परवाह ही नहीं करते। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : 90 प्रतिशत का कोई काम नहीं है। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए आप ऐसा कीजिये कि तीन लोगों की कमेटी बना दीजिये और एक एडमिनिस्ट्रेटर रख दीजिये। मेक्सीमम थ्री हो। वहां एक कमेटी बन जाएगी। नहीं तो आप भले ही कोई भी एडवाइजरी कमेटी बना दो, सुपरवाइजरी कमेटी उनके ऊपर कन्ट्रोल और स्ट्रिक्ट सुपरवीजन रखेगी वह अच्छी तरह से जानने लग गये हैं, ग्राम सेवक हैं तो भी तबके का कर्मचारी लेकिन बहुत घाघ हो गया है, इतना हार्ड बोल्ट हो गया है उसको सब पता है उसको कानून की स्थिति भी मालूम है।

(श्री परसराम मदेरणा)

जो एडवाइजर्स है, वह मेरे सामने रो रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप इसकी शिकायत कर रहे हो, आप तो एडवाइजर हो, आप क्यों नहीं बैठते हैं। एक अध्यापक मिले कि साहब, हमको बुलाते ही नहीं है। कि क्यों नहीं बुलाता है, आप शिकायत करो विकास अधिकारी के पास। तो विकास अधिकारी और वह दोनों कोलिजन में है कि इनको इग्नोर करो, कुछ मतलब नहीं है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिर तो आप हो, इसमें वह एडवाइजरी कमेटी है इसकी एडवाइस ले लो आपको मानना जरूरी नहीं है। एडवाइजरी कमेटी ने जो प्रस्ताव रखे हैं उनके साथ ग्राम सेवक भी था, उसने अपना वीटो एक्सरसाइज किया है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर और उनको टारपीडो कर दिया और दूसरे प्रस्ताव दे दिये। इसलिए मैं कह रहा था वर्ड जो है सिंग्यूलर है उसकी जगह पिल्यूरल कर दीजिये, मैक्सीमम 3 कर दीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब इसमें ज्यादा बहस की गुंजाइश नहीं है।

श्री श्रवणकुमार : (झिलानी) अध्यक्ष महोदय, जब तक जन प्रतिनिधि इस कमेटी में नहीं होगा तब तक कोई टेरर नहीं होगा, भय नहीं होगा। जब तक जन प्रतिनिधि इस कमेटी में नहीं होगा तब तक भय नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : आप मुख्य मंत्रीजी को बोलने दीजिये अब आप, बात तो एक ही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने जो सुझाव दिया है कि एडमिनिस्ट्रेटर की जगह एडमिनिस्ट्रेटर्स होने चाहिए, सिद्धान्ततः इस सुझाव को स्वीकार करने में मुझे आपत्ति नहीं है। मैं पहले आपके सामने प्राब्लम रख चुका हूं कि 18 तारीख को इन एडमिनिस्ट्रेटर्स की मियाद खत्म हो रही है, अब तीन दिन में मैं एडमिनिस्ट्रेटर्स अपाइण्ट कर सकूंगा यह प्रशासनिक दृष्टि से सम्भव नहीं है। मुझे सिद्धान्ततः इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटर की जगह एडमिनिस्ट्रेटर्स अपाइण्ट कर दिये जाएं, इसमें अमेंडमेंट करके "एस" लगा दिया जाए, सिंग्यूलर का पिल्यूरल कर दिया जाए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप यह मानकर चलेंगे कि लगभग 9 हजार पंचायतों के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स में दूसरा किसको शामिल किया जाए, और तीसरा किसको शामिल किया जाए यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आएगी। इस प्रॉब्लम को मीट कैसे किया जाए (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अभी जो हैं

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल कल का दिन बीच में है।

श्री परसराम मदेरणा : नयी पंचायतों के ऊपर पहले वाले ही काम कर रहे हैं। The Panchayates will come into existence by the notification which your Government has issued. तो जब चुनाव हो जाएंगे चुनाव के बाद वह एक्जिस्टेंस में आएगी। इसलिए वह तो सात हजार पंचायतों के ही काम कर रहे है नयी पंचायतें अभी गठित नहीं हुई है, एक्जिस्टेंस में नहीं आयीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी बात को एग्री करता हूं सात हजार हो, चाहे पांच हजार हो... (व्यवधान)

श्रीमती कमला : कमेटी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बात तो सुन लीजिये । आप अगर मेरी जगह हों, 3 दिन में सारे राजस्थान में एडमिनिस्ट्रेटर्स अपाइण्ट कर सकते हैं क्या ? नहीं हो सकते । और इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर्स दूसरे कौन-कौन हों ग्राम सेवकों को हटाना, नहीं हटाना, ग्राम सेवकों की एवज में जिनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाना यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्राब्लम होगी । इस प्राब्लम का सोल्यूशन कोई बता दे तो मुझको सिंग्यूलर की प्लूरल करने में कोई आपत्ति नहीं होगी ।

श्री परसराम मदेरणा : एक सुझाव है मुख्य मंत्रीजी, Ex-sarpanch, Head Master of a school whether it is a Primary or the Middle School situated at the panchayat headquarter and the Gram Sevak.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक्स-सरपंच को इसमें शामिल करेंगे, उसके कारण से आपको और प्राब्लम खड़ी हो जाएगी, कई प्राब्लम खड़ी हो जाएगी, इसलिए इस सिस्टम को आप मत लाओ ।

श्री जुबेर खान : जन प्रतिनिधि को रख लें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे कोई आपत्ति नहीं है । आपत्ति केवल इतनी सी है कि तीन दिन में इस प्रकार की व्यवस्था करना प्रशासनिक दृष्टि से कठिन है ।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : आप इसमें आपके एम. एल. ए. ही (व्यवधान) कर दो चाहे आप ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मेरी सुनिये । देखिये, मैंने आपको बताया कि सिद्धान्ततः मैं इस पक्ष में हूं कि वहां पर एक आदमी के हाथ में सत्ता न रहकर दो-तीन आदमियों के हाथों में यह सत्ता जाए । लेकिन कानून की मजबूरी, इस प्रकार की आ गई है कि 18 तारीख के पहले-पहले एडमिनिस्ट्रेटर का कार्यकाल बढ़ाना है । आप यहां कह दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं आज आप को एश्योर कर सकता हूं कि अगर वी. एल. डब्ल्यू. की जगह कोई दूसरा आदमी लगाना हो उसको लगा देऊंगा । यह गवर्नमेंट के हाथ में है कि गवर्नमेंट अपाइण्ट करती है एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन मैं किसको लगाऊंगा, यह मेरे सामने जब तक सारी पंचायतों का नक्शा नहीं होगा कि कहां हैड मास्टर अवेलेबल है, वहां पर और कोई आदमी अवेलेबल है, कहां दूसरा आदमी अवेलेबल है उस आधार पर यह चलेगी । इसलिए मैं आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस तरह का कानून है, इस कानून को तो आप स्वीकार कर लीजिये ताकि 18 तारीख को यह समस्या खड़ी नहीं हो और आपको यह विश्वास देता हूं कि जो गवर्नमेंट पावर्स है एडमिनिस्ट्रेटर्स अपाइण्ट करने की, जो आप सुझाव देंगे उसी को मैं एडमिनिस्ट्रेटर लगा दूंगा ।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : एक सबमिशन करना चाहता हूं । अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह प्राब्लम है । हम भी मानते हैं प्राब्लम है इसलिए यहां पर अमेण्ड कर दीजिये एडमिनिस्ट्रेटर की जगह एडमिनिस्ट्रेटर्स हों । उसमें एक ग्राम सेवक आपका है, दो आदमी आपको अपाइंट करने हैं, पांच दिन में, दस दिन में कर दीजिये । यह जरूरी नहीं कि तीनों अपाइंटमेंट आप एक ही रोज करो । यह जरूरी नहीं हैं

(श्री शिवनाथ सिंह)

तीन एडमिनिस्ट्रेटर्स रख करके दो आप दस दिन में, पांच दिन में, कभी भी कर दीजिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नहीं हो सकता ।

श्री शिवनाथ सिंह : इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी । (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : अध्यक्ष महोदय, नहीं, इतना करना ही पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटर आबलिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स । (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह इतनी जल्दी चैन्ज नहीं हो सकता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसमें एक मिनिट ।

श्री चन्दनमल बैद : अभी एक जगह कर दीजिए इसके बाद और जगह एडमिनिस्ट्रेटर्स कर देना ।

श्री अध्यक्ष : देखिये, आप एक मिनट, सुनिये ।

आपने जो बताया, एडमिनिस्ट्रेटर की जगह एडमिनिस्ट्रेटर्स करने में जो डिफिकल्टी आएगी वह यह है, जो परफेक्टली लीगल होगी कि प्रजेन्ट एडमिनिस्ट्रेटर का कोई स्टेटस नहीं रहेगा तब तक कि एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं होंगे । तो तब तक आप एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं करेंगे जब तक कोई फंक्शनिंग नहीं होगी ।

श्री चन्दनमल बैद : एडमिनिस्ट्रेट आबलिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : यह ठीक है आबलिंग लगा दीजिये । "कामा" नहीं "आबलिंग" लगा दीजिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय मैं ऐसा समझता हूं 'एडमिनिस्ट्रेटर आबलिंग/एडमिनिस्ट्रेटर्स' में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन लीगली यह डिफेक्टिव है क्योंकि आप अमेंडमेंट करें और कल को कोई कोर्ट में जाकर चैलेन्ज कर दे और उसके बाद में सारी व्यवस्था पर स्टे हो जाए तो समस्या खड़ी हो जाएगी ।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने जो प्रपोजल दिया था उसमें आप लोगों को सलेक्ट नहीं करना है, नाम नहीं मालूम करने हैं सिर्फ डेजिग्नेशन से होते ही Committee comes into existence. एक नोटिफिकेशन से कमेटी बनेगी । ग्रामसेवक, एक्स-सरपंच . . .

श्री नाथूसिंह (राज्य मंत्री पंचायती राज) : दो दिन में कैसे होगा ?

श्री परसराम मदेरणा : ग्राम सेवक एक्स-सरपंच और हैड मास्टर आफ ए प्राइमरी और सैकण्डरी स्कूल सिचुएटेड एट दी पंचायत हैडक्वार्टर . . . (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष जी.. (व्यवधान) ..

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि आप इसकी अप्रूवल के बाद भी नये एडमिनिस्ट्रेटर को जहां ग्राम सेवक की सबने खिलाफत की है उसके बजाय आप किसी एक दूसरे को लगायेंगे तो एक आदमी को ही लगायें । आर्डर जारी करेंगे तो उसमें आप तीनों बातें लिख सकते हैं ग्राम सेवक, हैड मास्टर एण्ड पटवारी । डेजिग्नेशन से जारी करना है । नाम से तो जारी करना नहीं है । इसलिए उसके जारी होने में कोई दिक्कत नहीं होगी । मैंने एक उदाहरण दिया है । मैंने यह नहीं कहा है कि पटवारी को लगा दें । (व्यवधान) ..

श्री अध्यक्ष : आप एक-एक बोलें। चार-चार बोलेंगे तो मेरे तो कुछ पल्ले पड़ता नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इसको अभी डेफर कर दीजिये और कल ले लीजिये। मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस बिल को आज डेफर करके कल ले लीजिये। कल तक इसका फैसला हो जाएगा कल हम मिल रहे हैं कल सवेरे बात करके तय कर लेंगे। इसको डेफर कर दीजिये। अभी बात कर लेंगे। थोड़ा इसको डेफर कर दीजिये अभी।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यावहारिक समस्या से सहमत हूं। मुख्य मंत्री जी की जो यह व्यावहारिक समस्या है कि दो दिन में वास्तव में इस प्रकार एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त नहीं किया जा सकता, यह सही है जो आपने बताया। मेरा नम्र सुझाव है कि आप '3 एडमिनिस्ट्रेटर्स' जो भी सोच विचार करके बनाना चाहें बनायें। अभी जो हम 6 माह तक के लिए इसकी अवधि बढ़ा रहे हैं, इस अवधि को 15 दिन के लिए बढ़ाया जाए। और इसमें ऐसा प्रावधान कर दें कि 15 दिन के पश्चात उस एडमिनिस्ट्रेटर के स्थान पर एडमिनिस्ट्रेटर्स इसके प्रशासक होंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जब सहमत हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव प्राब्लम्स बता रहे हैं तो इसको आज ही पास कराने की जल्दी नहीं है। इसके ऊपर आप विचार कर लें, मंत्री जी विचार कर लें और कल कोई सुझाव लेकर आप बात कर लीजिए। हम इसका कोई विरोध थोड़े ही कर रहे हैं। आपके बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि यह ग्राम सेवक जो एडमिनिस्ट्रेटर लगे हुए हैं उनके खिलाफ भारी असन्तोष है। तो आप मेहरबानी करके रश्श नहीं करायें और कल इसका कोई हल आप अपने अधिकारियों से पूछकर निकालें और हम लोग भी अपना माइन्ड एप्लाई कर लें। इसमें ऐसी कोई प्राब्लम नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोल रहे है तब तक आप बात कर लीजिये।

श्री भंवरसिंह चौधरी (मेड़ता): माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम सेवकों की शिकायतें हैं और पटवारी इससे कोई कम नहीं है। आपने रागा का भाई पिरागा लगा दिया इससे काम नहीं चलने वाला है। मैं तो यही उचित मानता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय ने जो सुझाव दिया है, जो व्यवस्था दी है बिलकुल सही है। हम सोच विचार करके तीन आदमियों की नियुक्ति एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर से कर दें, यह व्यवस्था ठीक रहेगी। धन्यवाद।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, आप जो कह रहे है पटवारी को बढ़ा दें तो इसमें साझेदारी और उसकी बढ़ाओगे। इसमें यह है कि पटवारी ने पहले ही इंतकाल की सीमा तक परेशान कर रखा है गरीबों को। इसमें लगा दिया तो खतम कर देगा। इसमें जन-प्रतिनिधियों का इनवाल्वमेंट कर दीजिये।

श्रीमती कमला : मैंने तो उदाहरण के रूप में कहा था।

श्री श्रवण कुमार : जन प्रतिनिधि जो एम.एल.ए. है इनकी सीमाएं सीमित हैं और इनको एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जाए।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । मंत्री महोदय को सुन लीजिये (व्यवधान).. अब आपको बार-बार याद आता है। चलिये, बोल लीजिये ।

श्री श्रवण कुमार : एक मिनट । अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपको बताऊं । पटवारी, ग्राम सेवक वाली बात को हटाकर मैं यह कहूंगा कि इस समय सरपंच भी नहीं हैं इससे समस्या खड़ी हो जायेगी । जन-प्रतिनिधि आज के दिन अगर राजस्थान में हैं तो वह एम.एल.ए. हैं और इनका अपनी कांस्टीट्यूएंसी में इन्वाल्वमेंट कर दीजिये और सुचारू रूप से कार्य चालू कर दिया जाए । पहले वाले सरपंचों को लगायेंगे तो समस्या उल्टे उलझेगी, सुलझेगी नहीं ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ।

श्री नाथूसिंह (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : माननीय अध्यक्ष जी, इसमे डेफर करने के लिए समस्या यह है कि अभी यह राज्यपाल महोदय के पास जाएगा । परसों तक राज्यपाल महोदय के साइन होकर वापस आना है । इसलिए एक समस्या तो यह है । (व्यवधान) आप सुन लीजिये । एक समस्या तो यह है कि एक दिन में हम अपाईन्ट नहीं कर सकते । माननीय राज्यपाल महोदय के पास जाएगा । वहां से हस्ताक्षर होकर आएगा और परसों तक इसके ऊपर साइन होकर आना जरूरी है । दूसरे जहां एक्स-सरपंच के मामले में कर रहे हैं..

श्री रामनारायण चौधरी : इसको छोड़ दो । एम.एल.ए., ग्राम सेवक और हैड मास्टर रख दीजिये । (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप मंत्रीजी को तो पूरा करने दें, और भी बोलने वाले हैं । मंत्रीजी, आप बैठें । इन्दौराजी आप बोल रहे थे ।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर): अध्यक्ष महोदय, इसमें न पटवारी को बनाये, न ग्रामसेवक को बनाये और हैड मास्टर को ही प्रशासक बना दीजिये ।

श्री राजेन्द्र गहलोत (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, इसमें सामाजिक कार्यकर्त्ता को जोड़ा जाए ।

श्री अध्यक्ष : राजेन्द्रजी पारीक बोल रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विकास के कार्यों में हर बार यह देखा गया है, कि ग्राम सेवक जो है वह अपनी मर्जी से कार्य करता है और गांव के लोग कुछ अपनी मर्जी से काम करवाना चाहते हैं और आये दिन इस तरह की विसंगतियां पैदा होती है जिससे रोज गांवों में झगड़े होते हैं । विकास में पैसा भी खर्च हो जाता है और काम भी पूरा नहीं होता और मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है मेरे विधान सभा क्षेत्र की जहां जहां भी विकास के कार्यों के हैड मास्टर को पैसा दिलवाया गया है उस पैसे का सदुपयोग हुआ है और सही कार्य हुआ है । तो एक तो हैड मास्टर का रहना इसमें नितान्त आवश्यक है । हैड मास्टर के साथ में यदि हम दो व्यक्तियों को कलक्टर की सहमति से या तो उस गांव के लोग हों या दूसरे हों उनको शामिल करेंगे तो विकास के कार्य सुचारू रूप से होंगे और ग्राम सेवक जो गांव को पाइजन करता है उससे भी गांव को मुक्ति मिलेगी । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी। मैं एक एक करके सबको बुला रहा हूं। आप बैठिये। एक एक बुला रहा हूं। (व्यवधान) आर्डर प्लीज सुनिये। सुझाव सुनिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है, हैड मास्टर पहले भी कमेटी में रखे गये थे अनुभव यह आया कि न तो वे पंचायत की मीटिंग में आते हैं न किसी काम पर दस्तखत करते हैं।

श्री अध्यक्ष : वे स्कूल चलाएं कि आपकी मीटिंगों में आएं ?

श्रीमती तारा भण्डारी : मैं सुझाव ही दूंगी। गांवों में आज जितने भी अवैध कब्जों के झगड़े हैं वे पटवारी और सेक्रेट्री ने मिल कर करवाये। सारी गोचर और सारी रेवेन्यू के कब्जे पटवारी ने करवाये, इसलिए पटवारी को भी इसमें रखना ठीक नहीं। मेरा सुझाव यह है कि एक सेक्रेट्री एक प्रधानाध्यापक और एक समाज सेवक, चाहे तो महिला रख लीजिये क्योंकि वे ठीक से काम करेंगी। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप सुनें, मैं आपके फायदे की बात कह रही हूं। अगर इस कमेटी में आपने महिला सदस्यों को रखा तो आने वाले पंचायत चुनावों में आपको महिलाएं मिल जाएंगी। यह प्रेक्टिस है।

श्री अध्यक्ष : श्री सुन्दरलाल जी।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस बजट भाषण में तिवाड़ी जी ने एक बात कही थी कि बजट की गंगा बह रही है, विकास की गंगा बह रही है तो इन चार–पांच दिनों की छुट्टी में मैं भी गया, गांवों में तो अखबार में आया कि तिवाड़ी बोले कि विकास की गंगा बह रही है तो मैं खूब इलाके में घूमा, ग्राम सेवक के घर आया वहां तो पानी पड़ा मिला, और कहीं विकास की गंगा बही नहीं। मैंने खूब चक्कर काटे पूरे क्षेत्र में, ग्राम सेवक के घर के बाहर तो पानी रहता ही है। तो कितने भी ग्राम सेवक हैं वहां तो गंगा गयी वह और कहीं गंगा का जिक्र नहीं है।

दूसरी बात, अभी मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि सफेद हाथियों को फिट करेंगे। तो ये सफेद गाजड़ा गांव में सब खा गये, बकरी, कुत्ता सब खा गये। इनको नहीं करोगे ?

श्री अध्यक्ष : वह सफेद हाथी है, बकरी है ?

श्री सुन्दरलाल : आप अब बदल कर कह दो कि महिला को रख लो, हमको कोई दिक्कत नहीं, सरपंच को मत रखो। इनका आप और समय बढ़ा दो तो अमर बकरा ही छुड़वा दो न। नथ डाल कर बकरा छुड़वा दो कि खाओ और मौज करो। इसलिए आज इस बात को तो बदलो चाहे रात के दो बजे तक बैठना पड़े। इसको बदल कर दूसरा तय करके चलो। सारे इकसार आदमी हैं, चाहे इधर बैठो या उधर बैठो। सबको बेरा है कि ग्राम सेवक रुपये खाते हैं। नहीं तो धराओ उनके छोरों के हाथ। फिर आज यह रोला किस बात का है ? इनको बदल दो, बदलने में क्या दिक्कत आती है ? सुबह तक बदल दो। आप इस व्यवस्था को बदल दो, अध्यक्ष जी। ठीक काम करवाओगे, आज ही बदलाओगे तो मान लेंगे, नहीं तो तड़के कह देंगे कि अध्यक्षजी को नहीं जंच रहा यह काम।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल जी शर्मा। आर्डर प्लीज, सुनिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें यह जो संशोधन आया है यह संशोधन मूल एक्ट में नहीं है। यह संशोधन केवल इस बात का है कि समय कितना रखा जाए। यह कानूनी पक्ष भी देख लिया। जस्य कि यह संशोधन एडमिनिस्ट्रेटर के लिए नहीं है, यह केवल मियाद बढ़ाने का संशोधन है।

अनेक माननीय सदस्य : किसकी ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुन तो लीजिये पहले।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह एक कानूनी बिन्दु है, कानूनी पक्ष है। कोई एतराज नहीं है मुझे इसमें, आप एडमिनिस्ट्रेटर बनाएं, कमेटी बनायें। मैं तो खुद चाहता हूं, मैं इसमें पक्ष में हूं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं है। यह सेक्शन 9 (ए) के सब सेक्शन (2) का अमेण्डमेंट है।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां।

श्री अध्यक्ष : और सब सेक्शन (2) में केवल समय का ही है, एडमिनिस्ट्रेटर का नहीं है। (व्यवधान) आप जो बोल रहे हैं वह सब सेक्शन (2) के लिए बोल रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दोनों क्यों नहीं आ जाएं ? सारा सदन जब इस बात की मांग करता है कि ग्राम सेवकों के कारण समस्या है तो दोनों क्यों नहीं आ जाएं ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : वर्तमान में प्रशासक ग्राम सेवक लगा हुआ है, उसकी अवधि बढ़ा रहे हैं (व्यवधान)।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कि ग्राम सेवक लूटकर खा रहे हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ये कह दें कि नहीं बढ़ा रहे हैं, हम मान लेंगे। मंत्रीजी यह कह दें कि हम ग्राम सेवक को नहीं बढ़ा रहे हैं (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : मैं तो केवल यह एक्सप्लेन कर रहा हूं आप सुनिये। खड़े क्यों हैं आप बैठिये। मंत्रीजी ने जो कहा है वह सब सेक्शन (2) के सम्बन्ध में कहा है। यह बात सही है कि सब सेक्शन (2) सेक्शन 9 के बाकी से रिलेटेड है यह सही है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : रिलेटेड है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन आपने जो कहा है, कि जहां तक कानून में सब सेक्शन (2), का सवाल है उसमें एडमिनिस्ट्रेटर का नाम नहीं है। मगर चूंकि 9 (ए) वैसा का वैसा रहने वाला है, वह तो वैसा ही रहेगा, उसमें नाम है। लेकिन आपने सब सेक्शन (2) के लिए कहा है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत: इसलिए 9 (ए) वैसा का वैसा रहेगा तो वह ग्राम सेवक ही प्रशासक रहेगा, उसकी अवधि बढ़ायी जाएगी। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप एक–एक बोलिये। पहले गुलाब सिंह जी बोलें, उनको बोलने दें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मेरा निवेदन यह है, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने एक्सप्लेनेशन दिया कि हम तो केवल अवधि बढ़ा रहे हैं, कोई बोर्ड की अवधि खतम हो जाती है और अवधि बढ़ायेंगे तो वो के वो मैम्बर कण्टीन्यू करेंगे कि

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

नहीं करेंगे? मुझे समझाइये। किसी भी म्यूनिसिपैलिटी की अवधि खतम हो जाती है, उसकी अवधि बढ़ाते हैं तो वो का वो लागू होता है या नहीं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यही है अवधि बढ़ाने का मतलब। अवधि बढ़ाने का मतलब जो आज है वे ही रहेंगे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अवधि बढ़ाने का मतलब जो प्रशासक है उसकी अवधि बढ़ा रहे हो आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यही है मतलब, बिलकुल सही।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह मंजूर नहीं है। या तो मंत्री जी कह दें कि उस ग्राम सेवक की अवधि नहीं बढ़ायेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जो ग्राम सेवक है आज वही रहेगा छह महीने और।

श्री लक्ष्मण सिंह : मंत्री जी कह दें कि ग्राम सेवक की अवधि नहीं बढ़ेगी।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक-एक बोलिये। आप सब एक साथ बोलेंगे तो न आप सुन पायेंगे, न मैं। एक-एक बोलिये, अभी टाइम है। आपको कौन मना कर रहा है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आज ग्रामसेवक हैं, आप अवधि बढ़ा रहे हो तो छह महीने वही रहेंगे।

श्री अध्यक्ष : अमराराम जी को सुन लीजिए।

श्री अमराराम (धोद) : मेरा तो निवेदन यह है कि यह जो अवधि बढ़ायी जा रही है उसके अन्दर ग्राम सेवक जो भी पैसे उठाये..। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले ये बोल लें फिर आप बोल लेना (व्यवधान) कृपया आपस में बात नहीं करें।

श्री अमराराम : जो यह अवधि बढ़ाई जा रही है और कोई भी व्यवस्था नहीं हो सकती तो चुने हुए लोग एम.एल.ए. साहबान उनसे, क्षेत्रीय विधायक से ग्राम सेवक जो भी पैसा उठायेगा, जो भी कार्य करेगा उसकी स्वीकृति ले लेगा तो उससे परेशानी ... (व्यवधान) और कुछ नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : आप सुनते क्यों नहीं हैं? आप सुनिये। अब वे बोल रहे हैं, बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं उनको बोलने दीजिये। मैंने तो कहा था बारह बजे तक बैठिये, इसलिए मैं निश्चिन्त हूं। जिस वक्त आप कहोगे कि हमारा पेट भर गया तब तक आप करते रहिये।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : अध्यक्ष जी, पंचायतों के प्रशासक का कार्यकाल खतम होने जा रहा है...

विधेयक पर विचार का आस्थगन

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1994

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं यह निवेदन कर रहा था कि अभी डेफर कर दीजिये आज, कल इसको सवेरे ले लेंगे। कौन-कौन इसमें रखा जाय, कैसे रखा जाए और कानून..

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की मंशा है, कल रखे?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, कर दीजिये, डेफर कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : कल के लिए स्थगित किया जाता है।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 17 मार्च, 1994 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 21.47 बजे गुरुवार, 17 मार्च, 1994 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 348 की सूचियां)

लोकसभा चुनाव वर्ष 1991 में व्यक्तियों के विरुद्ध की गई निरोधात्मक कार्यवाही का विवरण :-

परिशिष्ट-"क"

नाम जिला	संख्या	पाबन्द	कार्यवाही ड्राप कर छोड़े गये	पेन्डिंग (व्यक्ति)
1	2	3	4	5
1. अजमेर	19	19	-	-
2. भीलवाड़ा	10	2	1	7
3. नागौर	80	-	-	80
4. जयपुर (शहर)	1000	592	48	360
5. जयपुर (ग्राम)	142	-	142	-
6. झुंझनू	84	-	79	5
7. सीकर	516	86	403	27
8. टोंक	758	32	726	-
9. दौसा	231	-	146	85
10. भरतपुर	2212	2212	-	-
11. अलवर	482	93	389	-
12. सवाईमाधोपुर	217	115	20	82
13. धौलपुर	313	284	29	-
14. बीकानेर	-	-	-	-
15. चूरू	9	-	9	-
16. गंगानगर	94	15	25	54
17. जोधपुर	551	188	363	-
18. जालौर	11	11	-	-
19. जैसलमेर	-	-	-	-
20. बाड़मेर	30	30	-	-
21. पाली	182	31	151	-
22. सिरोही	186	50	136	-
23. कोटा (शहर)	134	123	11	-
24. कोटा (ग्रा.)	237	123	114	-
25. बून्दी	43	17	25	1
26. झालावाड	637	-	637	-
27. बारां	351	101	250	-
28. उदयपुर	90	1	89	-
29. बांसवाड़ा	150	129	21	-
30. चित्तौड़गढ़	69	27	42	-
31. डुंगरपुर	-	-	-	-
32. राजसमन्द	3	2	1	-
कुल योग-	8841	4282	3857	701

विधान सभा वर्ष 1993 में (चुनाव) में व्यक्तियों के विरुद्ध की गई निरोधात्मक कार्यवाही का विवरण।

'परिशिष्ट' "ख"

क्रमांक जिला	संख्या	पाबन्द	कार्यवाही ड्राप कर छोड़ गये	पेन्डिंग (व्यक्ति)
1	2	3	5	6
1. अजमेर	635	291	179	165
2. भीलवाड़ा	76	37	–	39
3. नागौर	194	–	–	194
4. जयपुर (शहर)	2589	1639	–	950
5. जयपुर (ग्रा.)	874	–	–	874
6. झुंझुनूं	503	–	271	232
7. सीकर	613	150	96	367
8. टोंक	377	5	–	372
9. दौसा	410	181	49	180
10. भरतपुर	2178	2178	–	–
11. अलवर	1199	268	50	881
12. सवाईमाधोपुर	1377	1257	120	–
13. धौलपुर	1226	526	–	700
14. बीकानेर	395	90	–	305
15. चूरू	101	–	–	101
16. गंगानगर	1037	252	5	780
17. जोधपुर	1472	1107	129	236
18. जालौर	108	11	–	97
19. जैसलमेर	453	184	–	269
20. बाड़मेर	1	–	–	11
21. पाली	167	37	–	130
22. सिरोही	363	104	5	254
23. कोटा (शहर)	296	–	–	296
24. कोटा (ग्रा.)	149	133	16	–
25. बून्दी	28	5	23	–
26. झालावाड़	681	–	681	–
27. बारां	880	244	–	636
28. उदयपुर	103	45	2	56
29. बांसवाड़ा	54	49	5	–
30. चित्तौड़गढ़	91	27	–	64
31. डूंगरपुर	37	35	–	2
32. राजसमन्द	107	89	4	14
कुल योग	18774	8944	1635	8195

249

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 349 का ब्यौरा)

वर्ष 1988-89 से 1992-93 तक राज्य में नवीन स्वीकृत किये गये विभागीय औषधालयों/चिकित्सालयों की संख्या :--

वर्ष	चिकित्सा पद्धतिवार स्वीकृत/खोले गये औषधालय				योग
	आयुर्वेद	होम्योपैथिक	यूनानी	प्राकृतिक	
1988-89	191	7	2	--	200
1989-90	186	13	1	--	200
1990-91	20	5	--	--	25
1991-92	21	2	1	1	25
1992-93	7	--	--	--	7
योग	425	27	4	1	457

चालू वर्ष 1993-94 में कोई नवीन औषधालय खोलने का प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट-3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर)

गुढ़ा-नवलगढ़ मार्ग की मरम्मत

354. **श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा):** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गुढ़ा से नवलगढ़ जाने वाली सड़क जगह-जगह से टूटी हुई है तथा आवागमन में बहुत कठिनाई हो रही है ?

(2) क्या इस सड़क की मरम्मत की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्रियान्विति कब तक हो जायेगी ?

(3) क्या यह सही है कि निर्माण के बाद से आज तक इस सड़क की मरम्मत पर कोई धन राशि खर्च नहीं की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। इस सड़क के तीन कि मी. लम्बाई में मरम्मत (स्ट्रेंदनिंग व कारपेट) व 5 कि.मी. लम्बाई में कारपेट का कार्य क्रियान्वित करने की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है तथा यह कार्य सितम्बर, 94 तक पूरा हो जायेगा। शेष लम्बाई में संधारण का कार्य आवश्यकतानुसार वर्ष 94-95 में संधारण प्रोग्राम में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रयास किये जायेंगे।

(3) जी नहीं। सड़क बनने के उपरांत सड़क पर विभिन्न भागों में कारपेट का कार्य किया गया है।

जिला बाड़मेर में टाडा एक्ट के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण

355. **श्री परसराम मदेरणा (गुढ़ा-मालानी)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीमावर्ती जिला बाड़मेर में टाडा व पुलिस से मुकाबले के कितने केस वर्ष 1992-93 में दर्ज हुए ? उनमें से कितने मुलजिमों से हथियारों की बरामदगी हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सीमावर्ती जिला बाड़मेर में झूठे इल्जाम लगाकर अल्प संख्यकों के खिलाफ टाडा में कई मामले दर्ज किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के एक व्यक्ति ने अवैध हथियारों से पुलिस से मुकाबला किया तथा वह शख्स हिस्ट्रीसीटर है और उसके खिलाफ जिला पुलिस ने टाडा आर्म्स अधिनियम एवं 307 आई.पी.सी. इत्यादि में एफ.आर. देने के लिए सरकार ने पत्रावली तलब की है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सन् 1992-93 में जिला बाड़मेर में टाडा व पुलिस से मुकाबले के कुल 9 प्रकरण दर्ज हुये थे। जुर्म अभियोग सं. 21/92 धारा 5 टाडा एक्ट पुलिस थाना गढरा रोड में मुलजिम सुमार पुत्र जैसा मुसलमान शाकिन करेमी का पार जिला बाड़मेर से एक पिस्तौल पाक निर्मित व तीन जिन्दा कारतूस की बरामदगी हुई थी। सूची परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(गृह मंत्री)

(3) जी हां। श्री शोभसिंह पुत्र श्री भूमसिंह राजपूत निवासी ताईरावडी व हुक्मसिंह पुत्र श्री मंगलसिंह निवासी साडिया वाली ने अवैध हथियारों से 16.10.92 को पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी जिसका अभि. सं. 36/92 धारा 307,353 भा.द. सं. व 25-27 आर्म्स एक्ट व धारा 5 टाडा एक्ट पुलिस थाना गिराव में दर्ज हुआ था। श्री शोभसिंह थाना गिराव का हिस्ट्रीसीटर है। उक्त मुकदमे की तफ्तीश से धारा 5 टाडा एक्ट का अपराध प्रमाणित होना नहीं पाया गया। यह सही नहीं है कि उक्त अभियोग में अन्तिम प्रतिवेदन देने के लिये पत्रावली सरकार ने तलब की बल्कि अभि. में दिनांक 22-12-93 को उपरोक्त दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 307, 353 भा.द.सं. व 25,27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत चालान न्यायालय में पेश कर दिया है।

बाड़मेर जिला में वर्ष 1992–93 में पंजीबद्ध टाडा प्रकरणों की सूची :—

क्र.सं. 1	अभियोग सं. धारा, थाना व जिला 2	गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों का नाम व पता 3	बरामदगी 4	अभियोगों का निस्तारण 5	रिमार्क 6
1.	21/92 धारा 5 टाडा 6–6–92 एक्ट थाना गडरा रोड़, बाडमेर	1. सुमार पुत्र जैसा मूल. निवासी करीये का पार थाना गडरा रोड़, बाडमेर	आटोमेटिक पाक निर्मित पिस्तोल व मैगजीन में तीन जिन्दा कारतूस	चालान 7–1–93	
2.	36/92 ——— धारा 16-10-92 307, 353, भादंसं 25, 27 आर्म्स एक्ट थाना गिराब, जिला बाड़मेर	अदम गिरफ्तार 1. शोभसिंह 2. हुक्मसिंह	एक जिन्दा करतूस 7.62 बोर व एक जिन्दा कारतूस 8 एम. एम. घटना स्थल से बरामद	टाडा एक्ट का अपराध नहीं माना	श्रीमान एस. पी. साहब सी.आई. डी., सी. बी. राजस्थान के आदेशानुसार टाडा एक्ट की धारा हटाई जाना शेष धाराओं में अभियोग के निस्तारण के आदेश हुये।
3.	57/92 ——— धारा 21-11-92 3/6 आई. पी. पी. आर. एक्ट 9(4) टाडा एक्ट थाना बीजराड़, बाड़मेर।	1. काहिया पुत्र होतु मुस. निल निवासी सरूदे का तुला थाना बीजराड़, बाड़मेर		चालान 4–3–93	अन्तिम बहस में 26–2–94

1	2	3	4	5	6
4.	16/93 धारा 28-5-93 3/6 आई.पी.पी.आर. एक्ट व 9 (4) टाडा एक्ट पुलिस थाना गडरा रोड़	1. रहमता पुत्र साहवमा मुस. निवासी वाण्डासर थाना गडरा रोड़ जिला बाड़मेर 2. इलिहास पुत्र चनेश्वर मुस. निवासी वाण्डासर थाना गडरा रोड़ बाड़मेर		चालान 3-12-93	
5.	19/93 धारा 3/6 आई.पी.पी.आर. 9(4)टाडा एक्ट थाना बीजराड़, बाड़मेर	1. आचार पुत्र पांची मुसलमान निल निवासी भूणरिया थाना बीजराड़, बाड़मेर		चालान 3-12-93	
6.	7/93 धारा 3/6 आई.पी.पी.आर. एक्ट 9(4) टाडा एक्ट थाना गिराब,बाड़मेर		अन्वेषण से टाडा एक्ट घटित नहीं होने से जुर्म धारा 9 (4)टाडा एक्ट हटाया गया।		
7.	10/93 धारा 19-3-93 3/6 आई.पी.पी. आर. एक्ट 9 (4) टाडा एक्ट थाना गिराब, जिला बाड़मेर		अन्तर्गत टाडा रूल्स घटित नहीं होने से जुर्म धारा 9(4) टाडा रूल्स हटाया गया।		

253

1	2	3	4	5	6
8.	19/93 धारा 22-5-93 3/6 आई.पी.पी. आर. एक्ट 9(4) टाडा एक्ट थाना सेडवा, बाड़मेर ।	1. अमीन पुत्र आचार मुस. उम्र 25 साल निवासी हरयालिया थाना सेडवा, जिला बाड़मेर ।		चालान 30-11-93	
		2. सलीम पुत्र ताहिर मुस. उम्र 30 साल निवासी सरयालिया थाना सेडवा, बाड़मेर		”	
		3. तमर्णनमाह पुत्र उम्रशाह उम्र 22 साल निवासी पंवार थाना सेडवा, बाड़मेर ।		”	
		4. रहीम पुत्र मुब्ब मुसलमान निवासी हरियालिया थाना सेडवा, बाड़मेर ।		”	
		5. अली पुत्र ताहिर मुसलमान निवासी हरयालिया ।		299 सी.आर.पी.सी. में चालान 30-11-93	
		6. ईशन शाह पुत्र उम्रशाह मुसलमान निवासी अरार थाना सेड़वा बाड़मेर ।		”	
9.	55/93 धारा 18-7-93 3/6 आई.पी.पी.आर. एक्ट 9(4) टाडा एक्ट थाना सामसर, बाड़मेर ।	कमाल पुत्र आलम मुसलमान उम्र 36 साल निवासी बनेकी बस्ती, थाना रामसर, बाड़मेर ।		चालान 27-9-93	

हैल्पर्स को वाहन चालक के पद पर पदस्थापन

356. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य विद्युत मंडल में कुछ लाईसेंसधारी हैल्परों का वाहन चालक के पद पर नियुक्ति हेतु औपचारिक साक्षात्कार किया गया था ? यदि हां, तो ऐसे कितने सहायकों का साक्षात्कार किया गया व कितनों को वाहन चालक के नियमित पद पर पदस्थापित किया गया ? सूची निम्न प्रपत्र में सदन की मेज पर रखें।

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पिता का नाम	मण्डल में नियमित नियुक्ति दिनांक	दिनांक जब से वाहन चला रहा है।
1	2	3	4

(2) क्या उक्त सहायकों का चयन वरिष्ठता के आधार पर किया जाना था? यदि हां, तो कुछ वरिष्ठ सहायकों को नियुक्ति क्यों नहीं दी गई जबकि वे भी वर्षों से लगातार संतोषप्रद वाहन चला रहे हैं तथा उनके खिलाफ कोई शिकायत भी नहीं है ?

(3) क्या सरकार उक्त अनियमितता के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ? जो वरिष्ठ सहायक छोड़ दिये गये हैं उनको वाहन चालक के पद पर नियुक्ति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, लाईसेंसधारी हैल्परों का वाहन चालक के पद पर चयन हेतु औपचारिक साक्षात्कार किया गया था । करीब 475 सहायकों का साक्षात्कार किया गया था, जिनमें से 271 व्यक्तियों का चयन किया गया तथा करीब 244 का चालक के पद पर स्थिरिकरण किया गया। वांछित सूचना प्रपत्र "अ" में सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं, चयन के समय वरिष्ठता के अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं/मापदण्डों को भी ध्यान में रखा गया था।

(3) चयन में कोई अनियमितता नहीं बरती गई है । अतः किसी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता जो कर्मचारी वाहन चालक के पद पर चयनित नहीं हुए उनके री-प्रजेन्टेशन के आधार पर उनके मामलों में चयन समिति द्वारा पुनर्विचार कर निर्णय लिया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

दौसा व लालसोट में निगम डिपो की स्थापना

357. श्री हरीसिंह (महुआ): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार दौसा, जिले में राजस्थान पथ परिवहन निगम का डिपो खोलने का विचार रखती है ? यदि हां तो कहां व कब तक ?

(2) क्या सरकार दौसा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी के यातायात को ध्यान में रखते हुए लालसोट में जमीन मिलने पर डिपो खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

जयपुर स्पिनींग एण्ड वीविंग मिल्स के श्रमिकों की बकाया का भुगतान

358. **श्री अमराराम (धोद) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–**

(1) जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, जयपुर जो सन् 1982 से बन्द पड़ी है, क्या उन श्रमिकों/कर्मचारियों की ग्रेच्युटी व अन्य बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार मिल्स को चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

(1) जयपुर स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स, जयपुर दिनांक 2.12.83 से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार लिक्विडेशन में आई, तदुपरान्त शासकीय समापक के समक्ष कम्पनी के भूतपूर्व कर्मचारियों/श्रमिकों द्वारा बकाया भुगतान बाबत दावे प्रस्तुत किये गए जिसमें से जांच पश्चात् 1773 दावे समापक द्वारा स्वीकृत किये गये इसमें से 1252 कर्मचारियों की उनकी बकाया राशि जो 30.4.82 तक देय थी के 50% का भुगतान माननीय राजेस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार शासकीय समापक द्वारा कर दिया गया है तथा शेष कर्मचारियों का भुगतान करते हेतु मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें 521 कर्मचारियों का भुगतान 1.12.83 तक तथा 1252 कर्मचारियों का 1.5.82 से 1.12.83 तक का भुगतान करना शामिल है।

चूंकि संस्थान को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार लिक्वडेट किया जा चुका है। अतः शेष बकाया भुगतान निर्णय शासकीय समापक तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना है।

(2) जी, नहीं।

विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण

359. **श्री उगम राज मेहता (ब्यावर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–**

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में सरकार सड़कों का निर्माण करने जा रही है ? यदि हां, तो यह सड़कें किस-किस ग्राम को जोड़ते हुये बनाई जायेंगी तथा इनकी अनुमानित लागत क्या होगी ?

(2) इन सड़कों का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। गढ़ी थोरियानी व माकांतो की बेर को जोड़ना प्रस्तावित है जिनकी अनुमानित लागत क्रमशः 2.25 लाख व 12.00 लाख होगी।

(2) उक्त सड़कों को निर्माण कार्य आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में प्रस्तावित है।

नारकोटिक्स ड्रग्स प्रोहिबिशन सब्सटेन्स एक्ट के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण

360. **श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा), श्री हीरालाल इन्दौरा (केशरीसिंहपुर) :–क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–**

(श्री रामनारायण चौधरी)

(1) अजमेर जिले में वर्ष 1990 से 1993 तक धारा 18 नारकोटिक्स ड्रग्स प्रोहिबिशन सब्सटेन्स एक्ट के तहत अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के कितने केस पकड़े गये ? इनमें से अनुसूचित जाति के कितने मामले जांच प्रक्रिया के अन्तर्गत विचाराधीन हैं ? नाम एवं तथ्यों सहित, सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अजमेर जिले के ग्राम सावतसर, मदनगंज, किशनगढ़ के अनुसूचित जाति के रैगर समुदाय को 35 ग्राम अमल का झूंठा केस बनवाकर पुलिस ने भैंरूराम चौधरी पुत्र श्री रामचन्द्र चौधरी से पुरानी दुश्मनी से फंसाया गया है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में नानगराम पुत्र श्री घीसा राम रैगर तथा मदनगंज, किशनगढ़ के बाबत व्यापारी गणों रैगर युवा शक्ति संगठन, अखिल भारतीय रैगर पंचायत, डा. भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल सोसायटी के द्वारा एवं स्वयं के द्वारा निर्दोष साबित करने संबंधी उच्चाधिकारियों एवं पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र प्रेषित किये गये थे ? यदि हां, तो कब–कब तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या श्री भैंरूराम चौधरी मनदगंज, किशनगढ़ ने पुलिस थाने के बाहर होटल खोल रखी है ? पुलिस थाने से नानगराम रैगर की जूतों की दुकान कितनी दूर है ? इस संबंध में नानगराम रैगर ने कोई पत्र लिखकर भी दिया है ? यदि हां, तो क्या ?

(4) क्या श्री श्योजीराम चौधरी, हिस्ट्रीसीटर है ? यदि हां, तो अब तक इसके विरुद्ध में कितने पुलिस केस दायर हैं ? पुलिस थाना द्वारा कितने केस चालान किये गये ?

(5) क्या वर्तमान में पद स्थापित थाना प्रभारी मदनगंज किशनगढ़ तथा सहायक प्रभारी, एवं दोषी सिपाहियों का स्थानान्तरण करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में वर्ष 1990 से 1993 तक धारा 18 एन. डी. पी. एस. एक्ट के तहत अनुसूचित जाति व जन-जाति के व्यक्तियों के विरूद्ध 7 मुदकमें दर्ज हुए हैं, उन सभी अभियोगों का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। कोई मामला जांच प्रक्रिया के अन्तर्गत विचाराधीन नहीं है सूची संलग्न परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। यह सत्य नहीं है कि ग्राम सांवतसर, मदनगंज किशनगढ के अनुसूचित जाति के रैगर समुदाय को 35 ग्राम अमल का झूंठा केस बनवाकर पुलिस ने किसी लोभ लालच में या भैंरूराम पुत्र श्रीराम चन्द्र चौधरी से पुरानी दुश्मनी की मिलीभगत से फंसाया है। बल्कि वास्तविकता इस प्रकार है कि दिनांक 7.9.93 को श्री नानकराम पुत्र श्री घीसाराम निवासी मदनगंज के कब्जे से 35 ग्राम अफीम नाजायज मिलने पर मुकदमा नं. 201/93 धारा 8/18 एन.डी. पी. एस. एक्ट थाना मदनगंज दर्ज किया गया, पुलिस द्वारा दौरान अनुसंधान निष्पक्षता से कार्यवाही की गई है। इस संबंध में नानगराम द्वारा तथा मदनगंज किशनगढ के व्यापारी वर्ग, रैगर युवा शक्ति संगठन, अखिल भारतीय रैगर पंचायत, डा भीम-राव-अम्बेडकर मैमोरियल सोसायटी द्वारा प्रस्तुत परिवादों पर तफतीश का सत्यापन उच्चाधिकारियों द्वारा किया गया तो अनुसंधान सही पाया गया परन्तु परिवादों में

258

(गृह मंत्री)

वर्णित तथ्य अप्रमाणित पाये गये। अभियोग संख्या 201/93 का चालान दिनांक 31.1.94 को पेश कोर्ट किया गया, जो विचाराधीन न्यायालय है।

(3) जी हां। श्री भैंरूराम चौधरी ने थाना मदनगंज के दक्षिण दिशा में चार-पांच दुकानें छोड़ कर बर्तन किराये पर देने एवं दूध-दही की दुकान खोल रखी है। थाने से नानगराम रैगर की जूतों की दुकान दक्षिण दिशा में करीब 100 गज की दूरी पर है। नानगराम ने अभियोग संख्या 201/93 धारा 8/18 एन. डी. पी. एस एक्ट थाना मदनगंज में स्वयं की गिरफ्तारी के बाद दिनांक 27.12.93 को महानिदेशक, पुलिस राज, जयपुर को प्रेषित परिवाद में रेल्वे स्टेशन के पास चौराहे पर रवि शू स्टोर की दुकान का उल्लेख किया है तथा इसी परिवाद में भैंरूराम चौधरी की दुकान का भी उल्लेख किया है और भैंरूराम की दुकान से पुलिस थाना मदनगंज के पुलिस कर्मियों को दूध मावा फ्री देने तथा खुद को झूठा फंसाने का उल्लेख किया है। जिसमें पुलिस अधीक्षक, अजमेर द्वारा जांच करने पर नानगराम की जूते की दुकान थाने से 100 गज की दूरी पर दक्षिण दिशा में है व भैंरूराम चौधरी की दुकान दूध-दही की चार-पांच दुकानें थाने से छोड़कर दक्षिण दिशा में होना पाया गया। पुलिस कर्मियों पर लगाये गये आरोप अप्रमाणित पाये गये।

(4) जी हां, श्री भ्योजीराम पुत्र रामचन्द्र जाट निवासी सावतसर थाना मदनगंज का हिस्ट्रीशीटर है। इसके विरुद्ध अब तक 6 अभियोग दर्ज हुए हैं। जिनमें से 4 अभियोग में चालान पेश अदालत किये गये हैं, एक में एफ. आर. दी गई है व एक जैर तफतीश है।

(5) वर्तमान में पदस्थापित थाना प्रभारी एवं सहायक प्रभारी तथा सिपाहियों के विरुद्ध कोई आरोप लम्बित नहीं है। अभी किसी पुलिस कर्मी के स्थानान्तरण का मामला विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट "क"

अपराध, जिला अजमेर

स जब्त की गई की मात्रा	नतीजा तफतीश	नतीजा अदालत
4 ग्राम स्मैक	चार्जशीट नं. 10/91 दिनांक 31-1-91	बरी 4-12-92
27 कि.ग्रा. डोडा पोस्त अफीम	चार्ज शीट नं. 130/92/11-11-92	पेण्डिग कोर्ट
830 ग्राम भांग	चार्जशीट नं. 64/93 13-8-93	" "
25ग्राम डोडा पोस्त अफीम	चार्जशीट नं. 69/93 23-9-93	" "
35 ग्राम अफीम	चार्जशीट नं. 151/93 22-12-93	" "
कि. ग्राम. 200 म गांजा.	चार्जशीट नं. 170-93 9-10-93	" "
कि.ग्रा. गांजा	चार्जशीट नं. 171/93 9-10-93	" "

पंचायत समिति बाप (जोधपुर) के ग्रामों का विद्युतीकरण

361. श्री पूनमचंद विश्नोई (फलोदी): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पंचायत समिति बाप, जिला जोधपुर में कितने ग्राम ऐसे है जिनका आज तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभाग नव निर्मित राजस्व गांवों को अलग इकाई मानकर उनका विद्युतीकरण कर रहा है ? यदि हां, तो नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) पिछले दो वर्षों में इस पंचायत समिति के कौन कौन से गांवों का विद्युतीकरण किया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति बाप, जिला जोधपुर में जनगणना 1981 के अनुसार कुल 76 ग्राम है जिनमें से माह फरवरी, 1994 तक 70 ग्राम विद्युतिकृत घोषित किये जा चुके है, जो पंचायत समिति बाप के कुल ग्रामों का 92.10 प्रतिशत है। शेष अविद्युतिकृत 6 ग्रामों की सूची "अ" सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। यदि नव सृजित ग्राम पहले से ही विद्युतिकृत ग्राम का भाग है, तो नव सृजित ग्राम को विद्युतिकृत माना जा कर कनेक्शनों की मांग आने पर विद्युत लाइन खींच कर कनेक्शन जारी करने का प्रावधान है।

(3) पंचायत समिति बाप, जिला जोधपुर के पिछले दो वर्षों, वर्ष 1992-93 में 3 ग्रामों व वर्ष 1993-94 में 4 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इनके नाम भी उपरोक्त सूची "अ" में दर्शा दिये गये हैं।

२६१

पंचायत समिति बाप, जिला जोधपुर के अविद्युतिकृत ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	विवरण
1.	उदट	13–1–16	विद्युतीकरण हेतु वर्ष 93-94 में प्रस्तावित है।
2.	ढाढरवाला	13–1–50	
3.	अरंडिया	13–1–48	
4.	बालासर	13–1–56	[स्कीम जिसमें विद्युतीकरण हेतु
5.	मीढडिया	13–1–46	स्वीकृत है।] ओबी 91-92
6.	मायाकौर	13–1–47	(170812)।

पंचायत समिति बाप, जिला जोधपुर के पिछले दो वर्षों के दौरान विद्युतीकृत ग्रामों की सूची।

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	विद्युतिकृत की तिथि
1.	अजासर	13–1–100	जनवरी, 1993
2.	घटियाली	52	मार्च, 93
3.	चीमाणा	49	मार्च, 93
4.	खोरिया	53	1993–94
5.	लम्बासर	45	,,
6.	चाखू	43	,,
7.	लूना	44	,,

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 28 फरवरी, 1994)

फलासिया क्षेत्र (उदयपुर) की उचित मूल्य की दुकानें

78. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में उचित मूल्य की दुकानें कहां–कहां पर किस–किस के नाम से है? प्रत्येक दुकान पर विगत 5 वर्षों में क्या-क्या वस्तु कितनी-कितनी मात्रा में कब-कब दी गई? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभाग को विगत 5 वर्षों में किसी वितरक के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध कब-कब क्या-क्या शिकायतें किसके द्वारा प्राप्त हुई तथा प्रत्येक पर क्या–क्या कार्यवाही की गई। शिकायतों की प्रति एवं की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उचित मूल्य की दुकानें आवंटित करने के मानदण्ड क्या हैं? क्या उक्त निर्वाचन क्षेत्र में दुकानें आवंटित करने में मानदण्डों का ध्यान रखा गया है?

उत्तर

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में उचित मूल्य की दुकानें जहां-जहां जिस–जिस के नाम से है, की सूची संलग्न है। प्रश्न के इस भाग की शेष सूचना, लम्बी अवधि की होने से फिलहाल संकलित कर पाना संभव नहीं है। तथापि गत पांच वर्षों में निर्वाचन क्षेत्र फलासिया में उचित मूल्य की दुकानों को विभिन्न वस्तुऐं जो आंवटित की गई, उनकी मात्रा निम्न प्रकार है–

(मात्रा मै. टन/कि.ली.)

वर्ष	गेहूं	चावल	चीनी	कैरोसिन
1989–90	14550	1200	1323	732
1990–91	14578	1008	1375	606
1991–92	8113	583	915	702
1992–93	10230	372	1175	940
1993–94	5192	237	767	877

(2) जी हां, जिस जिसके विरुद्ध जो, जो शिकायतें जब–जब प्राप्त हुई तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण एवं प्राप्त शिकायतों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) उचित मूल्य की दुकानें आवंटित करने सम्बन्धी मानदण्ड आदेशों की प्रतियां संलग्न है। फलासिया निर्वाचन क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानें आवंटन करने में निर्धारित मानदण्डों का ध्यान रखा गया है।

बेगूं–जयपुर बस संचालन

362. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बेगूं से जयपुर के बीच सीधी बस सेवाएं कब-कब किस-किस श्रेणी की वर्तमान में संचालित की जा रही है?

(2) क्या सरकार इस मार्ग पर बस सेवाएं बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उत्तर

(1) बेगूं से जयपुर के बीच वर्तमान में एक सीधी बस सेवा संचालित की जा रही है, जो बेगूं से 21.45 बजे प्रस्थान लेकर 05.00 बजे जयपुर पहुंचती है तथा जयपुर से 20.30 बजे प्रस्थान लेकर 04.30 बजे बेगूं पहुंचती है। उक्त सेवा द्रुतगामी सेवा के रूप में संचालित है।

(2) जी नहीं। बेगूं से जयपुर वाया माण्डलगढ़, बिजोलिया, त्रिवेणी चौराया, महुवा, काछोला, जहाजपुर, देवली, टोंक, निवाई मार्ग का माण्डलगढ़ से देवली तक का भाग वर्तमान में राष्ट्रीयकृत नहीं है और इस भाग पर निजी वाहन संचालित हैं। अतः निजी वाहनों की प्रतिस्पर्धा में निगम वाहनों को पर्याप्त यात्री भार उपलब्ध न हो पाने के कारण अतिरिक्त बस सेवा का संचालन अनार्थिक रहने की सम्भावना है।

डिप्लोमा इंजीनियर्स के रिक्त पद

363 श्री दलीचन्द (दानपुर) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जन जाति उप योजना क्षेत्र, उदयपुर संभाग में वर्तमान में कितने डिप्लोमा इंजीनियरों के पद रिक्त है? सूची सदन को मेज पर रखें।

(2) उदयपुर संभाग के बेरोजगार डिप्लोमा इंजीनियर्स को क्या सरकार भविष्य में नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) संबंधित विभागों से प्राप्त सूचना अनुसार वर्तमान में कुल 32 पद डिप्लोमा इंजीनियरों के उपयोजना क्षेत्र (उदयपुर) सम्भाग में रिक्त है। सूची परिशिष्ट "1" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) खाली पदों को भरने की एक सामान्य प्रक्रिया है जो निरन्तर चलती रहती है। इसी प्रक्रिया के अनुसार पद भरे जाने की कार्यवाही की जावेगी।

सूची

क्रमांक	नाम विभाग	रिक्त पदों की संख्या
1	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।	3
2.	उप मुख्य अभियन्ता, राज्य विद्युत मण्डल, उदयपुर।	26
3.	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उदयपुर।	1
4.	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर।	2
	योग :-	32 पद

डेगाना (नागौर) के पंचायत मुख्यालयों पर सम्पर्क सड़कें

364. **श्री रिछपाल सिंह (डेगाना)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि हर पंचायत मुख्यालय के ग्राम को सड़क द्वारा जोड़ने की सरकार की नीति है ? यदि हां, तो डेगाना (नागौर) के कितने ऐसे पंचायत मुख्यालय के गांव हैं जिनको अभी तक सड़क द्वारा जोड़ा नहीं गया है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार निकट भविष्य में इन गांवों को सड़क द्वारा जोड़ने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) डेगाना (नागौर) तहसील में विभिन्न प्रकार की सड़कों की कुल लम्बाई कितनी है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) आगामी वित्तीय वर्ष में नागौर जिले में कितनी नगरों सड़कों के निर्माण प्रस्तावित है तथा इसमें से डेगाना तहसील के किन गांवों को सड़कों द्वारा जोड़ा जायेगा विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। डेगाना पंचायत समिति में कुल 56 पंचायत मुख्यालय है जिनमें से 29 डामर की सड़क से, 21 ग्रेवल सड़क से, 3 मेटल सड़क से जुड़े हुए है तथा 3 गांव किसी भी प्रकार की सड़क से जुड़े हुए नहीं है। इनका पूर्ण विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है। परिशिष्ट "अ"

(2) जी हां,। ग्राम डाबोली मीठी के लिए आश्वासित एवं जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत एवं ग्राम गोनरडा के लिए सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला कलेक्टर द्वारा जारी की गई स्वीकृतियों के अनुसरण में सड़क कार्य प्रगति पर है।

(3) डेगाना (नागौर) तहसील में विभिन्न प्रकार की सड़कों की कुल लम्बाई 402.5 कि मी. है जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

सड़क का प्रकार	डामर	मैटल	ग्रेवल	योग
राज्य मार्ग	102	–	–	102
मुख्य जिला सड़क	25	–	–	25
ग्रामीण सड़क	133.5	23	119	275.6
	260.5	23	119	402.5

(4) आगामी वित्तीय वर्ष में नागौर जिले में 8 सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है तथा इनमें डेगाना तहसील का मेवड़ा गांव को सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है।

265

तहसील डेगाना के पंचायत मुख्यालयों के सड़क से जुड़े होने/ नहीं जुड़े होने का विवरण

क्र.सं.	पंचायत मुख्यालय	जुड़े होने/नहीं होने का विवरण	
		सड़क से जुड़ा हुआ	नहीं जुड़ा हुआ
1	2	3	4
1.	लंगोड	डामर	-
2.	जगड़वास	डामर	-
3.	गोरयी चाचा	डामर	-
4.	डेगाना गांव	डामर	-
5.	तिलानेस	डामर	-
6.	कितलसर	डामर	-
7.	सिरासमा	ग्रेवल	-
8.	भंवरला	ग्रेवल	-
9.	सांजू	डामर	-
10.	चौसर्ला	डामर	-
11.	चुई	डामर	-
12.	जाखेड़ा	ग्रेवल	-
13.	डाबोली मीठी	—	कच्ची सड़क
14.	बरना	मेटल	-
15.	मांकी	डामर	-
16.	चान्दारुण	डामर	-
17.	जालसुखुर्द	ग्रेवल	-
18.	खेरवा	ग्रेवल	-
19.	गुन्सली	डामर	-
20.	खुडीकलां	डामर	-
21.	आंतरोली कलां	ग्रेवल	-
22.	जालसू नानक	ग्रेवल	-
23.	मोगास	ग्रेवल	-
24.	बुटाटी	डामर	-
25.	निम्बडी चांदावता	ग्रेवल	-
26.	राजोद	ग्रेवल	-
27.	बछवारी	ग्रेवल	-
28.	पूनास	ग्रेवल	-
29.	चालियास	—	कच्ची सड़क

1	2	3	4
30.	निम्बोला कलां	ग्रेवल	–
31.	पुन्दलोता	डामर	–
32.	पालियास	डामर	–
33.	इडवा	डामर	–
34.	हरसोद	डामर	–
35.	नीम्बडी कलां	डामर	–
36.	पालडी कलां	ग्रेवल	–
37.	मेवड़ा	मेटल	–
38.	तथवड़ा	मेटल	–
39.	थाटा	मेटल	–
40.	राजलोता	ग्रेवल	–
41.	मांडल जोधा	ग्रेवल	–
42.	बिखरनियां कलां	ग्रेवल	–
43.	गोनरड़ा	–	कच्ची सड़क
44.	सूदवाड़	ग्रेवल	–
45.	आलनियांवास	डामर	–
46.	कोट	डामर	–
47.	टेहला	डामर	–
48.	डोडियाना	डामर	–
49.	थांवला	डामर	–
50.	लाडपुरा	डामर	–
51.	ढाणीपुरा	डामर	–
52.	बाड़ीघाटी	डामर	–
53.	निम्बोलाबिस्वा	ग्रेवल	–
54.	मोडीकलां	डामर	–
55.	भैंरूदा	डामर	–
56.	सथाना कलां	कुछ भाग ग्रेवल	–
		व कुछ भाग मेटल	–

(267)

थाना तिजारा में मतदान के दौरान हरिजन मतदाताओं के साथ मारपीट प्रकरण

365. **श्री मदनमोहन** (खैरथल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि 11 नवम्बर, 1993 को थाना तिजारा, जिला अलवर के ग्राम नबीनगर में मतदान करते समय हरिजन मतदाताओं के साथ मारपीट की गई ? यदि हां, तो किस धारा के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि सवर्णों द्वारा हरिजनों को पीटे जाने तथा मतदान करने से रोकने पर मुकदमें में हरिजन अत्याचार उन्मूलन एक्ट की धारायें नहीं लगाई गई ? यदि हां तो, क्यों ? क्या सरकार सम्बन्धित जांच अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। इस संबंध में एफ. आई. आर. संख्या 213/93 दि. 11.11.93 को थाना तिजारा, जिला अलवर पर अन्तर्गत धारा 147, 149, 323, 341, 336 भा.द.सं. व 3(7) एस.सी./एस.टी. एक्ट में पंजीबद्ध किया गया है।

(2) जी नहीं। उक्त मुकदमें में 3(7) एस.सी./एस.टी. निवारण अधिनियम की धारा पंजीकरण के समय ही लगा दी गई थी। अत: इस संबंध में जांच अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य में वायु प्रदूषण से उत्पन्न बीमारियां

366. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या सरकार की जानकारी में है कि राज्य के बड़े शहरों जयपुर, अजमेर, अलवर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर आदि में वायु प्रदूषण से घातक बीमारियां फैल रही है ?

(2) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई ठोस कदम उठाये गये है यदि हां, तो क्या ?

(3) क्या यह भी सही है कि जयपुर शहर में वायु प्रदुषण से कार्बनडाइ आक्साइड व कार्बन मोनो आक्साइड व अन्य घातक गैसें वातावरण को प्रदुषित कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(2) अभी नहीं।

(3) "नीरी" नागपुर के जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा तीन विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में वातावरण में वायु की गुणवत्ता (एबियन्ट एयर क्वालिटी) की जांच कराई गई है उनके द्वारा प्रकाशित अधिकृत सूचना के अनुसार कार्बन डाई आक्साईड व कार्बन मोनो ऑक्साइड को छोड़कर अन्य गैसें हाईड्रोजन सल्फाइड, नाईट्रोजन के आक्साइड, सल्फर डाई आक्साईड अमोनिया की जांच हुई है और इन गैसों की सीमा निर्धारित मानकों के अन्दर पाई गई है। वातावरण में कार्बन डाइ ऑक्साईड व कार्बन मोनो आक्साइड की जांच के साधन न तो मंडल में उपलब्ध है और ना ही 'नीरी" जयपुर में उपलब्ध है।

उदयपुर-चित्तौड़गढ़ बस सेवा

367. श्री शांति लाल चपलोत (मावली): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार उदयपुर से जिंक स्मेल्टर, गुड़ली, खेमली, घासा, पलानाकलां, थामला से होकर नाथद्वारा, कांकरोली, भीलवाड़ा, तथा उदयपुर से डबोक, नाहरमगरा, सालेरा कलां, वल्लभनगर होकर, खेमपुर, चंगेड़ी, फतहनगर से धनेरियागढ़, दरीबा, रेलमगरा, पधमता, गिलूंड, कपासन होकर चित्तौड़गढ़ तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चलाने की योजना रखती है ?यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। उदयपुर से जिंक स्मेल्टर गुड़ली, खेमली-घासा,-पलाना कलां-थामला होकर नाथद्वारा-कांकरोली-भीलवाड़ा मार्ग का जिंक स्मेल्टर से थामला तक का भाग वर्तमान में राष्ट्रीयकृत नहीं हैं। उदयपुर से नाथद्वारा के लिये वाया गुड़ली खेमली घासा-पलाना-थामला होकर वर्तमान में निजी वाहनें संचालित हैं जिनकी प्रतिस्पर्धा में निगम वाहन का संचालन अनार्थिक रहने की आशंका है। इसी प्रकार उदयपुर से चित्तौड़गढ़ वाया डबोक-नाहर मगरा-सालेरा कलां-वल्लभ नगर होकर खेमपुर-चंगेड़ी-पचमला-गिलूण्ड-कपासन मार्ग का भी सालेरा कलां से गिलूण्ड तक का भाग वर्तमान में राष्ट्रीयकृत नहीं हैं। इस भाग पर भी वर्तमान में निजी वाहनें संचालित है जिनकी प्रतिस्पर्धा में निगम वाहन का संचालन अनार्थिक रहने की आशंका हैं।

माडा योजनान्तर्गत एनीकट निर्माण

368. श्री रामनारायण (नैनवां): क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि माडा योजना के अन्तर्गत एनीकट निर्माण करवाए जाते है? यदि हां, तो उक्त योजना में प्रस्तावित अर्जुनपुरा, फटुकड़ा एनीकट (बूंदी) का निर्माण कब तक करवा दिया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि नवीं विधान सभा के पाँचवें सत्र में सरकार द्वारा उक्त एनीकट निर्माण हेतु आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो आश्वासन पूर्ति की दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त एनीकट निर्माण के बाद भूमिगत जल सतह की बढ़ोतरी एवं भू-संरक्षण में मदद मिलेगी तथा संबंधित नाले में बहकर निकलने वाले पानी की मात्रा में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा।

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि माडा योजना के अन्तर्गत एनीकट निर्माण करवाये जाते हैं। अर्जुनपुरा, फटुकड़ा, एनीकट (बूंदी) का निर्माण कार्य करवाना अभी प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी नहीं। नवीं विधान सभा के पूर्व सत्र में प्रश्न संख्या 1 द्वारा श्री रामनारायण, विधायक के उत्तर में यह कहा गया था कि पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने तथा उपयुक्त पाये जाने पर अर्जुनपुरा-फटुकड़ा एनीकट का निर्माण कराया जाना सम्भव हो सकेगा। परन्तु बाद में इस प्रस्ताव को तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं पाये जाने के कारण दिनांक 29-9-92 को अस्वीकृत कर दिया गया था। आदेश की प्रति संलग्न है।

(3) एनीकट निर्मित ही नहीं है। इसलिए सम्बद्ध नहीं है।

आदेश की प्रति
राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर

क्रमांक : एफ.5 ( )एसीटीएडो/माडा/बजट/91-92 20712-13
दिनांक: 29.9.92

अतिरिक्त कलक्टर (विकास),
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
बूंदी (राज.)

विषय :- माडा योजनान्तर्गत अर्जुनपुरा फटुकड़ा एनीकट की स्वीकृति के क्रम में।

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक : प.7(7)माडा/एनीकट/90-91/284 दिनांक 14.9.92

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्ताव की तकनीकी दृष्टि से जांच की गई तो निम्न तथ्य उजागर होते हैं :-

(1) अब भी प्रस्ताव में चेक लिस्ट, एल सेक्शन, रेवेन्यू मेप एवं कार्य की तकनीकी स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी की फिजीबिलीटी रिपोर्ट (चेक लिस्ट के बिन्दु संख्या 14 के अनुसार) संलग्न नहीं है।

2) फ्लड लिफ्ट हेतु गणना में "सी" की वेल्यु 1400 ली गई है जो कि 2000 ली जाना अपेक्षित है।

(3) एनीकट के नीचे साहन सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है। क्या एनीकट इस योजना के केचमेंट में और सबमरजेन्स में आता है, स्पष्ट नहीं है।

(4) प्राप्त सूची अनुसार कुल 44111/3 बीघा भूमि सिंचित होनी है जबकि कार्य की लागत 8.09 लाख आंकी गई है अतः प्रति बीघा 18100/- व प्रति हेक्टर 1.12 लाख रु. लागत आती है जो काफी अधिक है।

उपरोक्त प्रकार से प्राप्त प्रस्ताव तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं होने से अस्वीकृत किया जाता है। प्राप्त प्रस्ताव पुनः संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

भवदीय,

ह.

अतिरिक्त आयुक्त (माडा),
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर।

क्रमांक: एफ. 5 एसी टीएडी/माडा/बजट/ 91-92 दिनांक:

प्रतिलिपी-विशिष्ठ निजी सहायक, राज्य मंत्री, जनजाति विकास विभाग को भेजकर लेख है कि इस सम्बन्ध में विधायक प्रश्न हुआ था, अतः स्थिति से माननीय मंत्री महोदय को अवगत करावें।

ह.

अतिरिक्त आयुक्त/माडा।

खानपुर बारां कोटा सड़क मार्ग की मरम्मत

369. श्री भरत सिंह (खानपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि खानपुर से जिला मुख्यालय झालावाड़ तथा परगना मुख्यालय अकलेरा का सड़क सम्पर्क वर्षा ऋतु में नदियों व नालों में पानी आ जाने के कारण बन्द हो जाता है।

(2) क्या यह भी सही है कि खानपुर से जिला बारां तथा जिला कोटा का सड़क मार्ग भी वर्षा ऋतु में नदियों व नालों में पानी आ जाने के कारण बन्द हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन नदी नालों पर पुलिया बनाने का विचार रखती है। यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। वर्तमान में इन नदी नालों पर वित्तीय संसाधनों के अभाव में पुलियाएं बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

खादी बोर्ड में अनियमित नियुक्ति जांच प्रकरण.

370. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) एवं श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान खादी बोर्ड, जयपुर में नियमित/बिना साक्षात्कार बिना विज्ञापन की नियुक्तियां करने की जांच राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त जांच में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

(2) भविष्य में उक्त प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसकी रोकथाम हेतु सरकार क्या प्रभावी कदम उठाने जा रही है।

उत्तर

(1) जी हां। जांच प्रगति पर है।

(2) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा की गई नियुक्तियों को उद्योग विभाग के पत्र दिनांक 24-2-94 से तत्काल प्रभाव से प्रसुप्तावस्था में (in abeyance) में रखे जाने बाबत निर्देश दिए है। साथ ही सचिव, खादी बोर्ड, को यह भी सुनिर्देशित किया गया है कि वे यह निश्चित करें कि खादी बोर्ड, जयपुर में कोई-भी नियुक्ति नियमानुसार निर्धारित चयन प्रक्रिया के विपरीत नहीं की जावें।

कामां क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

361. श्री तैयब हुसैन (कामां):— क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कामां विधान सभा क्षेत्र में 18 गांव ऐसे हैं जिनसे बिजली की लाइन गुजर रही है और उन गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(2) क्या सरकार ऐसी दोषपूर्ण विद्युतिकरण का निराकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र कामां में कुछ ग्राम ऐसे है जिनको राजस्व सीमा के पास से या सीमा के अन्दर से

(ऊर्जा मंत्री)

विद्युत लाइन गुजर रही है, परन्तु ये सभी ग्राम विद्युतीकृत घोषित नहीं हैं क्योंकि ऐसे सभी ग्रामों को विद्युतीकरण करने के लिये भी कम से कम 1/2 कि.मी. से 3 कि.मी. 11 के.वी. लाइन खींचने की आवश्यकता होती है, जो कि ग्राम के भौगोलिक ढांचे पर निर्भर करती है। राज्य में प्रतिवर्ष 750 ग्रामों को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रहता है, जिनका चयन पंचायत सामतिवार ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित करते समय राज्य की 237 पंचायत समितियों में पंचायत समिति के विद्युतीकरण स्तर के आधार पर किया जाता है। जिस पंचायत समिति का विद्युतीकरण स्तर कम होता है उसमें ज्यादा ग्राम तथा जिस पंचायत समिति का विद्युतीकरण स्तर अधिक होता है उसमें कम ग्रामों का विद्युतीकरण करने का चयन किया जाता है।

सीमित संशाधनों के कारण ऐसे सभी ग्रामों का विद्युतीकरण हेतु चयन करना संभव नहीं हो पाता।

(2) राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति से कुछ ग्राम जैसा कि प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में वर्णित हैं विद्युतीकरण के लिये चयनित किये जाते हैं। यह व्यवस्था सही है, क्योंकि इसके द्वारा विकास का लाभ राज्य के अधिक से अधिक क्षेत्र को मिलता है।

निगम द्वारा स्टाफ कार/जीपों का क्रय

372. **श्री गोविन्दसिंह गूर्जर** (नसीराबाद)

श्री महेन्द्र मीणा (सिकराय) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में गत तीन वर्षों में कितनी स्टाफ कारें/जीपें खरीदी गई व किस-किस स्तर के अधिकारी को आवंटित की गई ? क्या सरकार में इस स्तर के अधिकारी को वाहन उपभोग करने का अधिकार है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

निगम द्वारा गत तीन वर्षों यथा 1991–92, 1992–93 एवं 1993–94 (माह जनवरी, 94) तक की अवधि में 2 जिप्सी, 16 जीप, 3 कारें एवं 2 टाटा मोबाईल जीपों की खरीद की गई है। उक्त खरीद की गई वाहनों से में एक कार अध्यक्ष, एक कार प्रबन्ध निदेशक, एक कार महा–प्रबन्धक (बस बाडी निर्माण) तथा 16 वाहनें विभिन्न आगारों को एवं 4 वाहनें मुख्यालय पूल को आवंटित की गई है। खरीद की गई वाहनों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है (परिशिष्ट–"अ") निगम में विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों को उनके कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों के सुचारू रूप से निर्वहन किये जाने की दृष्टि से स्टाफ कारें आवंटित की गई है। राज्य सरकार में भी इस स्तर के अधिकारियों को वाहन उपभोग करने का अधिकार है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है (परिशिष्ट "ब")

वर्ष 1991 से 1993 तक (माह जनवरी, 94) खरीद की गई स्टाफ कार/जीप

क्र.सं.	वाहन संख्या	मेक	खरीद की दिनांक
1.	आर जे–14/सी–3600	अम्बेसडर	16–5–91
2.	आर जे–14/सी–4177	,,	6–8–91
3.	आर जे–14/ई–0197	टाटा मोबाइल	31–7–92
4.	आर जे–14/ई–0198	,,	31–7–92
5.	आर जे–14/सी–6414	मारुति वेन	26–8–92
6.	आर जे–14/सी–7458	महेन्द्रा जीप	28–1–93
7.	आर जे–14/सी–7640	,,	27–2–93
8.	आर जे–14/सी–7642	,,	27–2–93
9.	आर जे–14/सी–8302	,,	31–5–93
10.	आर जे–14/सी–8304	,,	,,
11.	आर जे–14/सी–8306	,,	,,
12.	आर जे–14/सी–8310	,,	,,
13.	आर जे–14/सी–8312	,,	,,
14.	आर जे–14/सी–8314	,,	,,
15.	आर जे–14/सी–0213	,, (अरमाड़ा)	,,
16.	आर जे–14/सी–9577	प्रिमियर एनई 118	29–10–93
17.	आर जे–14/सी–9677	मारुति जिप्सी	7–10–93
18.	टी आर/744	महेन्द्रा जीप	31–12–93
19.	टी आर/745	,,	,,
20.	टी आर/746	,,	,,
21.	टी आर/747	,,	,,
22.	टी आर/748	,,	,,
23.	टी आर/894	,,	17–1–94

परिशिष्ट–'ब''

LIST OF THE OFFICERS ENTITLED TO THE USE OF POOL VEHICLES

1. Union Ministers/State Ministers.
2. Lokayukta
3. Chief Secretary.
4. Advocate General.
5. Chairman/ Members Board of Revenue.
6. Commissioners/ Secretaries/Spl. Secretaries/Dy. Secretaries to Government.
7. Secretary to Chief Minister.
8. Secretary to Lokayukta.
9. Judges of High Court.
10. Collectors.
11. Judge Industrial Tribunal.
12. Commissioner, Departmental Enquiry,
13. Commissioner, Relief & Rehabilitation.
14. Inspector General of Registration & Stamps.
15. Director of Insurance.
16. Director of Economics & Statistics.
17. Director of Local Bodies.
18. Director, Social Welfare Department.
19. Director, Rajasthan Oriental Reserach Institute.
20. Director, Gazetteirs.
21. Director, Regional Transport Survey Unit.
22. Director/Dy. Director/Addl. Director, Public Grievances
23. Secretary State/Distt. Soldiers, Sailors & Airman Board.
24. Distt. Sessions Judges.
25. Registrar, Rajasthan High Court.
26. Registrar, Vigilance Rajasthan High Court,
27. Addl. Commissioner, Famine Relief.
28. Chairman, Board of Registration Ayurvedic & Unani System.
29. Dy. Collector, Jagir (For resumption of Jagirs only).
30. Chief Superintendent, Rajasthan State Motor Garages Jaipur,
31. Deputy Directors, Ayurved Department.
32. Deputy Directors, Evaluation Organisation.
33. Examiner Local Fund Audit,
34. Registrar, Board of Revenue.

35. Joint Director, Ayurved.
36. Head of Paratatava Mandir.
37. Colonisation Officers.
38. Distt. Agriculture Officers.
39. All Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
40. Addl. Collectors.
41. City Magistrates.
42. All. Sub-Divisional Officers.
43. Asstt. Director, Distt. Gazetteers.
44. Addl. District Agriculture Officers.
45. Distt. Supply Officers.
46. Asstt. Chief Electrical Officer, Jaipur.
47. Regional Deputy Director of Industries.
48. All Foreign Experts Deputed in Rajasthan Government Services.
49. Asstt. Commissioner Departmental Enquiries.
50. Revenue Appellate Authorities, Rajasthan.
51. Senior Accounts Officer, Board of Revenue, Ajmer.
52. Addl. Distt. Land Records Officers, Bharatpur/Alwar/Chittorgarh/Ajmer/Kota/Pali/ Sawaimadhopur.
53. Deputy Director of Industries, Bikaner/Kota.
54. Deputy Director Industries and Asstt. Director Industries Jaipur and Distt. Industries Officers, Working as Distt. Level Officers Industries Department has no regional officers).
55. Joint Registrar of Jaipur Bench of Rajasthan High Court.
56. Regional Officers of Depaprtment who do not have a departmental vehicle e.g. Superintendent, Archaeology and Museums.
57. Deputy Distt. Development Officers and Addl Distt. Development Officers, provided there is no departmental vehicle.
58 Distt. Supply Officers, provided they have no department vehicles.
59. Distt- Officers who do not have their Departmental vehicle will be eligible for use of pool vehicles.
60. Asstt. Collectors/ Magistrates/ Tehsildars/Naib Tehsildars for the Compaigns and similar other purpose with the specific permission of the Collector.
61. Addi./Deputy Director & of Tourism Department

बाल शोषण

373. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के सीमावर्ती ग्रामों में 8 से 15 वर्ष आयु के बच्चों से गलीचा बनाने का काम मजदूरी पर लिया जा रहा हैं ?

(2) यदि हां, तो जिले के ऐसे कितने ग्रामों में गलीचों का काम चलता है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गलीचों के काम में लगें बच्चे ज्यादातर टी.बी. व दमें की बीमारियों से पीड़ित हो गये है ?

(4) क्या सरकार इस बाल शोषण को रोकने का कोई ठोस विचार रखती है?

उत्तर

(1) 8 वर्ष से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को सीधे गलीचा बनाने हेतु मजदूरी पर नहीं लगाया जाता। यह लूम्स परिवार के मुखिया के नाम आवंटित किये हुए हैं जिन्हें गलीचा निर्माण का भुगतान पीस रेट पर 55/– से 75/–रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से किया जाता है। मुखिया के साथ उसके परिवार के अन्य सदस्य जिनमें 10 से 15 वर्ष के बच्चे भी शामिल हैं, गलीचा बनाने में सहयोग देते हैं।

(2) सूची संलग्न है।

(3) ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(4) बाल श्रमिकों का सीधे मजदूरी पर नियोजन नहीं किया जाता है, किन्तु ऐसी सूचना/शिकायत प्राप्त होने पर अथवा निरीक्षण के दौरान जानकारी मिलने पर बाल श्रमिक उन्मूलन नियमन, 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

बाड़मेर जिले के निम्न सीमावर्ती गांवों में गलीचा निर्माण का कार्य चलता है, की सूची :–

1. गड़रा रोड
2. बड़ासर
3. उत्तरवा
4. तामलोर
5. पमेला
6. जैसिन्दर
7. भूरे की बस्ती
8. सोना-चान्दा
9. अरवली
10. नौयार
11. सजनानी
12. सगोरालिया
13. रोहिडाला
14. पाबूश्री
15. सेदात का पार
16. सरगिल
17. रावतसर
18. चेतरोड़ी
19. भू की बेरी
20. कुडाली
21. राणासर
22. देताजी
23. मापुरी
24. चन्दणिया
25. धाकरली
26. देदूसर
27. नवातला
28. कलरो का तला
29. कण्टालिया
30. मेगनाला
31. खनियाली
32. सुन्दरा
33. हरसानी
34. सन्नो
35. मायाजलार

(श्रम राज्यमंत्री)

36. गराब
37. गुनिया
38. जैसार
39. मालमसर
40. धनाऊ
41 दुधावा
42. हाथी का तला
43. बूठ
44. बावड़ी
45. कालियो का तला
46. चौहटन

जिला जोधपुर में महाविद्यालयों की स्थापना

374. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार नए शिक्षा सत्र (1994–95) में नए महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो सरकार फलौदी, बिलाड़ा, पिपाड़ शहर, भादरा, मेड़ता शहर में महाविद्यालय खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार राज्य में चल रहे किन्हीं निजी महाविद्यालयों को अधिग्रहण करने का भी विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या यह निजी महाविद्यालय निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

राजकीय चिकित्सालय, हरयामाली में चिकित्सक की मृत्यु का प्रकरण

375. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम हरियामाली की राजकीय डिस्पेंसरी में कार्यरत डाक्टर राजेन्द्र कुमार पुरोहित को दिनांक 4–2–93 को मरा पाया गया ? यदि हां, तो क्या पुलिस स्टेशन बगड़ी में इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि आज तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया तथा ना ही कोई चालान पेश किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या डाक्टर की लाश या उसके कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं । यदि नहीं, तो क्या कोई व्यक्ति आत्मदाह इस प्रकार कर सकता है कि एक हड्डी भी नहीं बचे । इस सम्बन्ध में पुलिस किस निष्कर्ष पर पहुंची है ।

(4) क्या यह सही है कि इसी थाने के अन्तर्गत एक और ए.एन.एम. नर्स की लाश भी इसी तरह जली पाई गई ? यदि हां, तो कब व किसकी तथा पुलिस किस निर्णय पर पहुंची है ?

(5) क्या इन मर्डर में कोई तालमेल है ? यदि नहीं, तो क्या पुलिस दोनों मुकदमों को नये सिरे से जांच करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। दिनांक 6-2-93 को श्री समन्दरसिंह पुत्र श्री गोरधनसिंह की रिपोर्ट पर थाना बगड़ी पर मर्ग नं. 3/93 धारा 174, सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत पंजिबद्ध हुई। प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। अब तक की जांच से मामला मर्ग इत्फाकिया पाया गया है।

(3) जी हां। डाक्टर की लाश के जले हुए अवशेष मौके पर मिले हैं। मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्ट मार्टम करवाया जाकर अवशेषों को मेडिकल कालेज जोधपुर में राय मंगवाने हेतु भेजा जा चुका है। अभी तक परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अब तक की तफतीश से डा. राजेन्द्र द्वारा पारिवारिक परेशानियों के कारण स्वयं दारा ही जलकर आत्महत्या करना स्पष्ट हुआ है।

(4) जी हां। दिनांक 30-10-93 को ए.एन.एम. श्रीमती सीता देवी पी.एच.सी. रायरा कलां की लाश भी जली हुई पाई गई थी। पोस्टमार्टम के बाद लाश के अवशेषों को परीक्षण कराने हेतु सम्पूर्णानन्द मेडिकल कालेज जोधपुर भिजवाया गया। अभी तक परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जांच जारी है।

(5) जी नहीं। दोनों घटनाओं में जल कर मरने के अतिरिक्त कोई तालमेल अभी तक अन्वेषण से सामने नहीं आया है। इन घटनाओं का अन्वेषण गहनता से किया जा रहा है।

रिपोर्ट की प्रति

सेवामें,

श्रीमान् थानाधिकारी
पुलिस थाना बगड़ी
(पाली)

विषय :– श्री राजेन्द्र कुमार डाक्टर के रेवासी क्वाटर में उसकी लाश जली हुई पड़ी हैं, इत्तला देने बाबत।

निवेदन है कि मैं समन्दर सिंह पुत्र श्री गोरधन सिंह राजपुरोहित निवासी मेलावास (सोजतरोड) हाल कम्पाउण्डर (एम.एन.II) राज. चिकित्सालय, हरियामाली में तैनात हूं। हमारे इस सफा खाने में डाक्टर राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री राधाकिशन जाति राजपुरोहित निवासी पी.डब्लु.डी ऑफिस, बीकानेर के पास वाले इस सफा खाने में प्रभारी मेडिकल ग्राफिसर के पद पर तैनात थे, कल दि. 5–2–93 को ड्यूटी पर आये थे। शाम के समय अपने क्वाटर में थे यह बात मेरे को मान सिंह एम.पी.डब्लू. ने आज दिनांक 6–2–93 को 9 बजे सुबह में मेरी ड्यटी पर अस्पताल आया तो गांव के काफी लोग अस्पताल की बाउन्ड्री के अंदर व बाहर खड़े थे जिनमें रूप सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, रामचन्द्र जी मास्टर व दोलतराम थे, जिन्होंने बताया कि डाक्टर साहब निवास स्थान के अंदर हैं। अंदर से दरवाजा बन्द है अंदर से दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। तब मैं व उक्त सभी लोग डाक्टर साहब के रेवासी क्वाटर पर गये मुख्य गेट के दोनों दरवाजे अंदर से बन्द थे तब श्री रूप सिंह जी व दौलाराम व मैं क्वाटर के पीछे चौक की तरफ जो बाथरूम बना हुआ है उसकी दिवार पर चढ़ कर देखा तो डा. साहब के क्वाटर के चौक के दक्षिणी व पूर्वी कौने में लकड़ियां जहां पड़ी थी वो जलकर राख हो गई व इस जली हुई आग पर एक मलवा जो लाश जैसा लग रहा था पड़ा हुआ दिखाई दिया तब मैंने आपको टेलीफोन से सूचना दी आपके आने के बाद पीछे का दरवाजा जो अंदर से बन्द था दिवार पर से अंदर प्रवेश कर खोला तब मैं डाक्टर साहब के चौक में गया और अच्छी तरह से देखा कि डा. साहब की लाश जली हुई इसी कौने में पड़ी है जो देखने में मामूली लाश का मलबा दिखाई दे रहा है हाथ पांव सिर का पता नहीं चल रहा है जली हुई मामूली हड्डियां दिखाई दे रही हैं। हालात मौका से लगता है कि डा. राजेन्द्र कुमार ने आत्म हत्या की है डा. राजेन्द्र कुमार अपने मकान जो सरकारी क्वाटर है उसमें अकेले ही रहते थे इनकी पत्नी व बच्चे करीब डेढ़ वर्ष पहले इनको छोड़कर चले गये। डा. साहब भांग व शराब का नशा करते थे, इनकी पत्नी व बच्चों के जाने के बाद ये परेशान से रहते थे व भांग का नशा ज्यादा करते थे। डा. साहब कल सोजत सीटी गये थे घरेलू सामान लाये व डा. साहब के खाना श्री डूंगाराम सिरवी बनाता था जिसने बताया कि दस लीटर केरोसीन लेकर आये थे जहां लाश पड़ी जिसके पास एक प्लास्टिक के डिब्बे का ढक्कन भी पड़ा है।

रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही करावें। एस.डी.

समन्दर सिंह एम.एन.,
गवर्नमेंट हॉस्पिटल ए.एम.एल.,
पाली।

थाना बगड़ी दि. 6–2–93 वक्त 11.15 ए.एम. केम्प हरियामाली वह रिपोर्ट श्री समन्दरसिंह पुत्र श्री गोरधनसिंह जाति राजपुरोहित उम्र 24 साल पेशा कम्पाउन्डर निवासी मेला बास हाल कम्पाउन्डर राजकीय अस्पताल हरियावाली ने मुझे एस. एच. ओ. के घटना स्थल पर पेश की व तकरीरन दरियाफ्त पर बताया कि डॉ राजेन्द्र कुमार इस क्वाटर में अकेले ही रहते थे इनके क्वाटर के चौक में एक तरफ जो लाश जली हुई हैं व यह लाश राजेन्द्र कुमार की है। मजमून रिपोर्ट व तकरीरन दरियाफ्त से मामला मर्ग इतफाकिया का पाया जाता है अत: मन एस. एच. ओ. मामूर मर्ग जांच हुआ। असल रिपोर्ट वास्ते कायमी मर्ग हमराह एफ.सी. राजेन्द्र सिंह 10/6 के थाना हाजा पर भेजी जा रही है मर्ग दर्ज कर मर्ग नम्बर से अवगत करावें।

एस.डी.
मालम सिंह, एस.एच.ओ.
थाना बगड़ी केम्प हरियामाली
तारीख 6–2–93

थाना बगड़ी दि. 6–2–93 वक्त 12.30 पी.एम.

उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट श्री राजेन्द्र सिंह नि. 1016 ने पेश की मजमून इतला से मामला मर्ग इतफाकिया का घटित होना पाया जाता हैं। अत: मर्ग नं. 3/93, दिनांक 6–2–93 दर्ज कर जांच 174 जा. . में प्रारम्भ की गई। प्रतियां एफ.आई. आर. नियमानुसार जारी की गई तथा मौके पर रवाना हो रहा हूं।

एस.डी.
एस.एच.ओ. थाना बगडी
दि. 6–2–93

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्रामों का विद्युतीकरण

376. **श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला सवाई माधोपुर के विधान सभा टोडा भीम में वर्ष 1993-94 में कुल कितने ग्रामों को बिजली दी गई? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार कनेक्शन देने के लिए क्या नीति अपना रही है?

(3) इस क्षेत्र में कुल कितने ग्राम विद्युतीविहीन हैं और उनको कब तक बिजली दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार की किसानों को ट्रांसफारमर देने के बारे में क्या नीति है?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर के विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के सभी ग्रामों को वर्ष 93-94 से पूर्व ही विद्युतिकृत घोषित किया जा चुका है।

(2) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 93-94 में कृषि कनेक्शन देने हेतु दिये गये नीति निर्देश के अनुसरण मे विद्युत मंडल द्वारा जारी किये गये आदेशों की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जिला सवाई माधोपुर के विधान सभा क्षेत्र टोडा भीम में क्षतिग्रस्त लाइनों की वजह से कुल 20 ग्राम विद्युत विहीन है, जिनमें से 5 ग्रामों को 31 मार्च, 94 तक क्षतिग्रस्त लाइनों को ठीक करके विद्युत प्रदान करदी जावेगी तथा शेष 15 ग्रामों को वर्ष 94-95 में विद्युत प्रदान कर दी जावेगी विधान सभा क्षेत्र टोडा भीम के तहसील नादोती में 16 ग्राम नान पोटेंशल है जिनमें कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु एक भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। सूची 'ब' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) किसानों को नये कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु ट्रांसफार्मर का खर्चा मंडल द्वारा वहन किया जाता है एवं जले हुए ट्रांसफार्मरों को प्राथमिकतानुसार तुरन्त बदल दिया जाता है।

(281)

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

(वाणिज्यिक कार्यविधि निदेशालय)

क्रमांक : राराविमं/निवाका/सी-1/एफ 4 (93)/प्रे. 1287 जयपुर दि. 10-6-93

"आदेश"

विषय:-कृषि कनेक्शन देने सम्बन्धी वर्ष 1993-94 की नीति।

सचिव (ऊर्जा), राजस्थान सरकार ने अपने पत्र क्रमांक एफ 17 (4)/उर्जा/93 दिनांक 4-6-93 द्वारा वर्ष 1993-94 में प्रथम पेज में 20,000 कृषि कनेक्शन देने की राज्य सरकार की स्वीकृति निम्न लिखित मानदण्डों के आधार पर प्रेषित की है--

1. ऐसे आवेदकों को जिनको कृषि नीति 1992-93 के अन्तर्गत 31-3-93 तक डिमाण्ड नोट जारी कर दिये हों एवं उन्होंने निर्धारित अवधि में राशि तथा "एल" फार्म जमा करा दिये हैं, को वर्ष 1993-94 में कनेक्शन दिये जायेंगे।

2. ऐसे विद्युतिकृत गांव जिनमें कोई विद्युत कनेक्शन नहीं हैं, के लम्बित प्रार्थना पत्रों में से दो कनेक्शन दिये जायेंगे। इसके लिए इस वर्ष में 1500 कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है।

3. कुल 5,000 कनेक्शन अनुसूचित जाति (3450 कनेक्शन) एवं अनुसूचित जन-जाति (1550 कनेक्शन) के किसानों को दिये जायेंगे।

4. डी.आर.डी.ए. द्वारा चयनित सामुदायिक और सहकारिता के आधार पर लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिए लम्बित सभी आवेदनों पर कनेक्शन दिये जायेंगे।

5. पूर्व में प्रचलित 'तुरन्त प्राथमिकता योजना' के अन्तर्गत उन लम्बित आवेदनों में जिनमें समस्त औपचारिकतायें पूरी हैं, को कनेक्शन दिये जायेंगे।

6. जल धारा योजना के अन्तर्गत पंजिकृत समस्त आवेदनों पर कनेक्शन दिये जायेंगे।

7. 750 कनेक्शन भूतपूर्व सैनिकों एवं युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं को दिये जायेंगे, जिनके आवेदन पत्र 31-3-93 तक पंजिकृत हो चुके हों।

8. 250 कृषि कनेक्शन उन विकलांग आवेदकों को दिये जायेंगे जिनके आवेदन-पत्र 31-3-93 तक पंजिकृत हो चुके हैं।

9. शेष कनेक्शन सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत 31-3-93 को लम्बित आवेदनों के अनुपात में दिये जायेंगे।

10. योजनावार एवं पंचायतवार लक्ष्यों का विवरण मुख्य अभियन्ता (ग्रा. वि.) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर द्वारा किया जायेगा। ग्रामवार लक्ष्यों का वितरण

पंचायत समितिवार/स्कीम में सम्बोधित अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा किया जायेगा। सामान्य श्रेणी में कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर 'पहले आओ पहले पाओ'' की नीति के अनुसार सभी वांछनीय औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर दिये जायेंगे।

11. 11 के.वी/एल.टी लाइन की लागत 7,000 रु. प्रति पोल अनुमानित की गई है। इसमें एक पोल प्रति अश्व शक्ति (एच.पी.) के सम्बद्ध भार के हिसाब से दस पोल की सीमा तक 11 के वी /एल. टी. लाइन हेतु 6,500/-प्रति पोल की दर से सबसिडी (अनुदान) देय होगी। दस से अधिक पोल की पूरी कीमत आवेदकों से वसूल की जायेगी।

12. कृषि उपभोक्ताओं को मीटर द्वारा या फ्लैट रेट पर सप्लाई प्राप्त करने के विकल्प का अधिकार होगा।

13. प्रसारण एवं विवरण में हानि पर अंकुश लगाने की दृष्टि से कृषि श्रेणी में नये कनेक्शन देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि मण्डल का प्रसारण एवं वितरण तंत्र (सिस्टम) आवेदन की मांग को पूरा करने में सक्षम है।

14. अतः 1993-94 में प्रथम फेज में दिये जाने वाले कृषि कनेक्शनों का विवरण निम्न प्रकार से होगा:-

1. सामान्य श्रेणी	12,500	कनेक्शन
2. ऐसे विद्युतिकृत गांव जहां एक भी कनेक्शन नहीं हैं	1,500	,,
3. अनुसूचित जाति	3,450	,,
4. अनुसूचित जनजाति	1,650	,,
5. भूत पूर्व सैनिकों एवं युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं	750	,,
6. विकलांग	250	,,
योग	20,000	कनेक्शन

15. लिफ्ट सिंचाई योजना, पूर्व में प्रचलित तुरन्त प्राथमिकता योजना, स्वतन्त्रता सेनानी, एवं जलधारा योजना के अन्तर्गत प्राप्त ऋण (लोन) के आवेदन सामान्य श्रेणी के लक्ष्य में समाहित हैं लेकिन कनेक्शन देने में उनको प्राथमिकता दी जायेगी।

ये आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रभावी होंगे।

आज्ञा से

(एन.के. गोचा)

निदेशक (वाणिज्यिक कार्यविधि)

283

क्षतिग्रस्त लाइन (विद्युत विहिन) ग्रामों की सूची सूची 'ब'

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं.	विद्युतीकरण की तिथि
1.	जयसिंहपुरा	97	15.12.88
2.	घाटरा शेरपुर	86	30. 3.89
3.	पाटकटारा	96	15.12.88
4	कटारा अजीत	—	—
5.	बरेडी	91	15.12.88
6.	गाबंडी	125	30.11.88
7.	मोहनपुरा	--	31. 3.88
8.	उरदेन	119	31. 3.88
9.	सलेमपुर	93	15.12.88
10.	मोतलपुर	105	31. 3.89
11.	भादोली	109	31. 3.89
12.	कंवरपुरा	107	31. 3.89
13.	नन्दपुरा	108	31. 3.89
14.	शंकरपुरा	15	28. 2.88
15.	बालाबास	63	30. 3.89
16.	खिलचीपुर	121	31. 3.80
17.	बाड़ा खीलचीपुर	—	—
18.	चन्दवाड़	124	30.11.88
19.	महाराजसिंहपुरा	122	28. 3.89
20.	बिचपुरी	118	15.12.88

तहसील नादोती के 16 ग्राम की सूची जो नान पोटेंशियल है तथा जिनमें एक भी कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुये :–

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं.	विद्युतीकरण की तिथि
1.	बाडसिकन्दरपुर	7/4/28	31. 3.79
2.	बाडवादोती	27	,,
3.	बाडवरदाला	49	,,

1	2	3	4
4.	मोरची खालसा	75	31-3-79
5.	मोरची जागीर	73	,,
6.	बाडबागोर	73	,,
7.	सावंटा	84	,,
8.	होदाहेली	47	,,
9.	चककेमला	40	,,
10.	बाडजीरना	54	,,
11.	इब्राहिमपुर	31	31. 3.80
12.	ककला	34	25. 3.81
13.	हफीज का बाड़ा	42	,,
14.	भवरबाड़ा	61	31. 3.85
15.	धोलादांता	66	31. 1 86
16	बाडबदागांव	45	30 7.79

ट्यूब खरीद प्रकरण

377. श्री महेन्द्र मीणा (सिकराय):– क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या निगम में 45 लाख रुपयों की ट्यूब खरीदने के आदेश हुये थे और उन आदेशों को सात दिवस में ही निरस्त कर दिया गया था? यदि ऐसा किया गया तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी, यह इस अंश तक सही है कि क्रय मण्डल के निर्णय दिनांक 17.6.89 के अनुसार मैसर्स अग्रवाल रबर प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद को 10,100 नम्बर ट्यूब क्रय करने के आदेश दिनांक 4.7.89 को दिये गये जिसका मूल्य (कर इत्यादि अलग करते हुए) 26,26,000/-रुपये था। तदुपरान्त दिनांक 12.7.89 को क्रय मण्डल द्वारा ही उक्त आदेश निरस्त करने का निर्णय लिया, जिस प्रसंग में आदेश क्रमांक 2583 दिनांक 12.7.89 द्वारा उक्त आदेश निरस्त किये गये । यह आदेश 7 दिवस में ही क्यों निरस्त कर दिया गया इसका कोई कारण रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है । जिसकी मैं जांच करवा रहा हूं ।

285

परिशिष्ट—4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 478 की सूची)

राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की जिलेवार सूची :-

क्र.सं.	जिले का नाम	1992 दर्ज मुकदमे	1993 दर्ज मुकदमे	1992 मृतक	1992 घायल	1993 मृतक	1993 घायल
1–	अजमेर	784	859	260	953	263	1076
2–	भीलवाड़ा	180	191	167	326	170	351
3–	नागौर	229	237	85	446	84	308
4–	जयपुर शहर	1368	1594	241	1098	265	1199
5–	जयपुर ग्रामीण	1252	1317	463	1585	490	1502
6–	झुन्झुनू	226	231	64	207	72	210
7–	सीकर	336	329	98	401	67	455
8–	टोंक	331	318	73	337	76	426
9–	दौसा	260	250	148	256	83	275
10–	भरतपुर	108	121	118	117	124	61
11–	अलवर	405	475	252	329	206	627
12–	सवाईमाधोपुर	208	268	85	198	99	230
13–	धौलपुर	121	121	57	110	41	147
14–	बीकानेर	321	330	66	307	94	474
15–	चूरू	188	168	81	181	60	285
16–	गंगानगर	483	496	209	624	249	637
17–	जोधपुर	598	638	152	804	221	714
18–	जालौर	176	210	59	241	65	238
19–	जैसलमेर	86	82	21	127	12	197
20–	बाड़मेर	183	233	53	219	20	282
21–	पाली	421	533	167	519	177	758
22–	सिरोही	240	289	75	477	69	504
23–	कोटा शहर	610	682	78	597	75	745
24–	कोटा ग्रामीण	119	148	37	165	59	158
25–	बून्दी	137	150	82	219	97	239
26–	झालावाड़	154	165	53	321	36	351
27–	बारां	110	105	55	162	47	351
28–	उदयपुर	658	658	234	658	222	688
29–	बांसवाड़ा	154	165	53	321	36	351
30–	चित्तौड़गढ़	398	392	165	748	136	809
31–	डूंगरपुर	192	212	63	276	62	313
32–	राजसमन्द	181	470	63	266	134	692
योग :—		11227	12437	3877	13595	3911	15653

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 481 की सूची) प्रपत्र-अ

उपखण्डवार,-ग्रामवार विचाराधीन पत्रावलियों की सूची :—

क्र.सं.	नाम उपखण्ड	नाम प्रार्थी	गांव	राशि जमा कराई	ट्रांसफार्मर क्षमता अगर चाहिये
1.	जैतारण				
	1.	श्री घेवरराम/रतनाराम	लोटोती	11920/–	1x63 के.वी.
	2.	श्री दुर्गाराम/हुक्माराम	निम्बोल	13775/–	1x63 ,,
	3.	श्री ढगलाराम/करणाराम	,,	11880/–	
	4.	श्री जगाराम/हुम्माराम	,,	10990/–	
	5.	श्री रामाराम/शिवराम	पीपाडा	20095/–	1x63 ,,
	6.	श्री छगाराम/गंगाराम	लोटोती	5885/–	63 ,,
	7.	श्रीमति ब्रह्मकंवर	झूण्डा	34875/–	25 ,,
	8.	श्री जसगिरी/चेनगिरी	पीपाड	18393/–	63 ,,
	9.	श्री खीयाराम/नेताराम	बेडकला	21277/–	40 ,,
	10.	श्री लादूराम/सूराराम	ठाकरवास	1815/–	25 से 40 ,,
	11.	श्री अबाराम/दानाराम	,,	4880/–	
	12.	श्री निहालराम/शिवराम	फालका	6428/–	25 ,,
	13.	श्री उगराराम/लादूराम	खराडी	12450/–	25 ,,
	14.	श्री भागीरथ/गोकलाराम	जैतारण	11725/–	63 ,,
	15.	श्री हमीरखां/मीसूखां	रामावास कला	29559/–	25 ,,
	16.	श्री हरकाराम/जिमनाराम	फालका	24175/–	25 ,,
	17.	श्री पुरखाराम/जीयाराम	हुनावास खुर्द	17980/–	25 ,,
	18.	श्री पुखाराम/शंकरराम	निम्बोल	14830/–	63 ,,
	19.	श्री हरिशचन्द्र/घासीराम	लिवरीया	18490/–	25 से 63 ,,
	20.	श्री मांगूराम/आपूराम	,,	4880/–	
	21.	श्री नारायणसिंह/सुक्तासिंह	केकिंदडा	11884/–	25 ,,
	22.	श्री रघुनाथसिंह/गायडसिंह	निम्बोल	19805/–	63 ,,
	23.	श्री उर्जाराम/वस्तीराम	,,	13653/–	40 ,,
	24.	श्रीपेमाराम/भेराराम	,,	17733/–	
	25.	श्री लादूराम/सूरजमल	लोटोती	8980/–	40 ,,
	26.	श्री मगाराम/शिवराम	फालका	21154/–	40 ,,
2.	पवस सोजत रोड़–				
	1.	श्री तिलोकराम/रुपाराम	मेलावास	7960/–	1x63 ,,
	2.	श्रीमती अमरती/गुमानाराम	,,	11710/–	
	3.	श्री भीमसिंह/जसराजसिंह	,,	8495/–	1x25 ,,
	4.	श्री विक्रमसिंह	बडी	3319/–	
3.	ग्राविनि पिपलिया कलां–				
	1.	श्री सुवा/मुक्ना	मेसिया	1250/–	1x63 ,,

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 483 की सूची) प्रपत्र-अ

जिला जोधपुर एवं जिला नागौर में इस वर्ष (93-94) में दिये जाने हेतु निर्धारित कृषि कनेक्शनों के लक्ष्यों की पंचायत समिति वार सूची

जिला - जोधपुर

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	संख्या
1-	पं.स. बालेसर	66
2-	पं.स बाप	19
3-	पं.स. भोपालगढ़	297
4-	पं.स. बिलाड़ा	95
5-	पं.स. लूनी	8
6-	पं.स. मण्डोर	60
7-	पं.स. ओसियां	535
8-	पं.स फलोदी	30
9-	पं.स. शेरगढ़	46
	कुल योग :-	1156

जिला - नागौर

1-	पं.स. डेगाना	96
2-	पं.स. डीडवाना	148
3-	पं.स. जायल	101
4-	पं.स. कुचामन	344
5-	पं.स. लाडनूं	36
6-	पं.स. मकराना	81
7-	पं.स. मेड़ता	227
8-	पं.स. मूण्डवा	368
9-	पंस. नागौर	75
10-	पं.स. परबतसर	128
11-	पं.स. रियाबड़ी	255
	कुल योग :-	1859

(२८८)

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 487 का विवरण)

बदले गये ट्रान्सफारमर्स का वृत वार विवरण

वृत का नाम	संख्या
1. अजमेर	24
2. कोटा	29
3. झालावाड़	57
4. पाली	32
5. भरतपुर	40
6. सीकर	25
7. जोधपुर नगर	19
8. जोधपुर जिला	29
9. उदयपुर	–
10. भीलवाड़ा	158
11. सवाई माधोपुर	48
12. नागौर	118
13. जयपुर नगर	–
14. जयपुर जिला	93
15. बीकानेर	85
16. झुन्झुनू	22
17. अलवर	42
18. हनुमानगढ़	34
कुल योग:	855

परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 490 का विवरण)

प्रपत्र "अ"

ओडिट ग्राम में कृषि कूप कनेक्शनों में भारी वृद्धि के आवेदन पत्रों के निस्तावरण का विवरण

क्र.सं. वरीयता क्रम	आवेदक/उपभोक्ता का नाम ग्राम आडिष्ट के उपभोक्ता	खाता संख्या	स्वीकृत भार (विद्यमान)	आवेदित भार	आवेदन.	भारवृद्धि की स्वीकृति तिथि	विशेष विवरण
1.	श्री देवाराम/ हीराराम	88–1–42	10 एचपी	17.5 एचपी	31-12–87	–	आवेदन क्रम 2 से निस्तारण हो गया
2.	श्री देवाराम/ हीराराम	88–1–42	10 ,,	15 एचपी	19– 1–89	13–6–90	
3.	श्री जयकिशन/अरजाराम	88–1–111	10 ,,	17.5 ,,	20– 9–91	8–2–93	
4.	श्री सीयाराम/सूरजाराम	88–1–124	10 ,,	15 ,,	20–11–91	–	क्र.सं. 4 से 7 के आवेदकों की पत्रावलियां स्वीकृति हेतु खंडीय कार्यालय में नियमानुसार भेजी हुई है।
5.	श्री पीथाराम/मेहराराम	88–1–122	10 ,,	15 ,,	10– 7–92	–	
6.	श्री मांगीलाल/देवाराम	88–1–123	10 ,,	17.5 ,,	21–10–92	–	
7.	श्री मोहनराम/प्रतापराम	88–1–134	17 ,,	25 ,,	30–12–92	–	
8.	श्रीमती इन्द्र कंवर/पाबूसिंह	88–1–112	12.5,,	15 ,,	27– 1–94	–	क्र.सं. 8 व 9 की पत्रावलियां तकमीना बनाने हेतु कनिष्ठ अभियन्ता के अधीन है।
9.	श्री उदयसिंह/दौलतसिंह	88–1–36	10 ,,	14 ,,	28– 1–94	–	

परिशिष्ट–9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 491 का विवरण)

वर्ष	आवंटन	व्यय		
		प्रशासनिक व्यय	वन एवं वन्य जीव व संरक्षण पर व्यय	योग
1992–93	426.495	117.467	287.259	404.726
1993–94.	378.11	122.251	120.85	243.101 (जनवरी, 94 तक)

परिशिष्ट--10

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या 492 का विवरण)

राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों में पाये जाने वाले प्रमुख वन्य जीवों का विवरण

नाम राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य	पाये जाने वाले प्रमुख वन्य प्राणी
1. राष्ट्रीय उद्यान, सवाईमाधोपुर	- बाघ, बघेरा, रीछ जरख, चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सूअर, चिंकारा, गीदड़, सेही लोमड़ी इत्यादि।
2. राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर	- चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सूअर, काला हिरण, जरख, नेवला, बिज्जू आदि एवं पक्षी प्रजातियां।
3. सवाई मानसिंह अभयारण्य	- बघेरा, रीछ, जरख, चीतल, सांभर नीलगाय, जंगली सूअर, चिंकारा, गीदड, सेहो, लोमड़ी इत्यादि।
4. अभयारण्य सरिस्का	-- बाघ, बघेरा, चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सूअर चिंकारा, जरख, सेही, जंगली बिल्ली आदि।
5. अभयारण्य दरा, कोटा	- बघेरा, रींछ, चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सूअर, जरख, चिंकारा, मगरमच्छ, चौसिंगा, बिज्जू आदि।
6. अभयारण्य वन विहार, धोलपुर	- रींछ, चीतल, जंगली सूअर, लोमड़ो, सेही, नील गाय, बिज्जू आदि।
7. अभयारण्य जयसमन्द, (उदयपुर)	- बघेरा, चीतल, सांभर, चिंकारा, जरख, लोमड़ी, चौसिंगा, आदि।
8. अभयारण्य आबू पर्वत (सिरोही)	- बघेरा, रींछ, सांभर, नीलगाय, जरख, जंगली सूअर, सेही, नेवला, बिज्जू, आदि।
9. अभयारण्य कुम्भलगढ़ (उदयपुर)	-- बघेर, रींछ, सांभर, जरख, नीलगाय, सेही, चौसिंगा आदि।
10. तालछापर (चूरू)	- काला हिरण, लोमड़ी, गीदड़ आदि।
11. अभयारण्य सीतामाता (चित्तौड़गढ़)	- बघेरा, चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सूअर, चिंकारा, चौसिंगा आदि।

12.	राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य (कोटा)	- घड़ियाल, मगरमच्छ, चीतल, सांभर, नील गाय, चिकारा, जंगली सूअर आदि ।
13.	अभयारण्य नाहरगढ़ (जयपुर)	- बघेरा, जरख, नीलगाय, सेही, भेड़िया आदि
14.	अभयारण्य जमवारामगढ़ (जयपुर)	- बघेरा, चीतल, नील गाय, जंगली सूअर, जरख लोमड़ी, सेही आदि ।
15.	अभयारण्य जवाहर सागर (कोटा)	- बघेरा, रींछ, चीतल, नीलगाय, जरख, सेही, घड़ियाल, भेड़िया आदि ।
16.	अभयारण्य राष्ट्रीय मरू उद्यान जैसलमेर	- गोडावण, चिकारा, जंगली बिल्ली, लोमड़ी आदि ।
17.	अभयारण्य रामगढ़ विषधारी बून्दी	- बाघ, बघेरा, रींछ, चीतल, सांभर, जरख, लोमड़ी, बिज्जू आदि ।
18.	अभयारण्य भैंसरोड़गढ़ (चित्तौड़गढ़)	- बघेरा, चीतल, सांभर, जरख, लोमड़ी सेही, भेड़िया, चौसिंगा आदि ।
19.	अभयारण्य केलादेवी, करौली (सवाईमाधोपुर)	- बाघ, बघेरा, रींछ, चीतल, सांभर, नीलगाय, सेही, नेवला, भेड़िया, बिज्जू आदि ।
20.	अभयारण्य शेरगढ़ (बारां)	- बघेरा, चीतल, सांभर, चिकारा, भेड़िया, जरख, सेही, बिज्जू आदि ।
21.	टाटगढ़ रावली अभयारण्ण (अजमेर)	- बघेरा, रींछ, सांभर, नील गाय, जंगली सूअर जरख, लोमड़ी, सेही, भेड़िया, चौसिंगा आदि ।
22.	अभयारण्य फूलवाड़ी की नाल (उदयपुर)	- बघेरा, रींछ, जरख, सेही, चौसिंगा आदि ।
23.	अभयारण्य वन्ध बारेठा (भरतपुर)	- जरख, चीतल, नील गाय, काला हिरण, सेही, भेड़िया आदि ।
24.	अभयारण्य सज्जनगढ़ (उदयपुर)	- भेड़िया, बन्दर, चीतल, नीलगाय, जरख आदि ।
25.	अभयारण्य बस्सी (चित्तौड़गढ़)	- बघेरा, रींछ, चिकारा जरख, चौसिंगा भेड़िया, लोमड़ी आदि ।

परिशिष्ट (ब)

राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों में वन्य प्राणियों की संख्या

(वर्ष 1989 से 1993)

वन्य प्राणी का नाम	वर्ष				
	1989	1990	1991	1992	1993
बाघ	88	70×	88	25××	64
बघेरा	353	357	364	337	368
रीछ	339	364	398	293	432
चीतल	8615	5634	8651	4363	9117
सांभर	6606	2958	7687	5191	8078
नीलगाय	8264	2993	7499	7296	10694
जंगली सूअर	5285	3559	6097	7747	8717
चिंकारा	1927	2146	2020	2027	2437
जरख	754	707	978	939	1054
काला हिरण	963	1354	1532	1543	1438

× सरिस्का अभयारण्य में गणना नहीं होने के कारण संख्या सम्मिलित नहीं।

×× राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर मय केला देवी अभयारण्य की गणना मान्य नहीं होने से संख्या सम्मिलित नहीं की गई।

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 502 की सूची)

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर में उपलब्ध वाहनों का विवरण

	वाहन संख्या		विवरण
1-	आर.एन.वाई.-8888	कार	आयुक्त, टीएडी, उदयपुर
2-	आर.आर.जे.-9474	कार	-,,-
3-	आर.पी.जे.-6278	जीप	-,-
4-	आर.आर.जे.-4747	जीप	-,,-
5-	आर.एन.वाई.-1403	जिप्सी	-,,-
6-	आर.आर.जे.-1919	मेटाडोर	परि.अधि. सेरीकल्चर, उदयपुर
7-	आर.एस.जे.-1166	कार	अति.आयुक्त. (माडा)
8-	आर.एन.वाई.-5566	जिप्सी	-,,-
9-	आर.एस.जे.-8677	ट्रक	परि.अधि. सेरीकल्चर, उदयपुर
10-	आर.पी.जे.-3538	जीप	-,,-
11-	आर.एस.जे.-1560	जीप	-,,-
12-	आर.एस.जे.-2622	जीप एफ.सी.	निदेशक,टी.आर आई., उदयपुर
13-	आर.आर.जे.-7296	जीप	-,,-
14-	आर.एन.वाई.-8695	जीप	परि. अधिकारी उदयपुर
15-	आर.जे.जे.-3343	जीप	-,- डूंगरपुर
16-	आर.जे बी.-7070	जीप	-,,- बांसवाड़ा
17-	आर.एस.एच.-4565	जीप	उप.परियोजना अधिकारी, प्रतापगढ़
18-	आर.जे.-24सी-9055	जीप	-,,- आबूरोड

स्वच्छ परियोजना अधिकारी, कार्यालय उदयपुर में उपलब्ध वाहनों का विवरण

1-	मुख्यालय	5	वाहन
2-	परियोजना अधि.कार्या प्रथम	8	,,
3-	-,,- द्वितीय	5	,,
4-	-,,- बांसवाड़ा	3	,,
5-	-,,- डूंगरपुर	5	,,
6-	-,,- मुख्यालय	2	,,
7-	अनुपयोगी वाहन	3	
	योग	31	

राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि. उदयपुर में उपलब्ध वाहन

1-	आर.जे. 27-सी-0121	कार	प्रधान कार्यालय, उदयपुर
2-	आर.एन.वाई.-7711	कार	-,,-
3-	आर.एन.वाई.-9676	जिप्सी	-,,-
4-	आर एन.वाई-5439	-,,-	-,,-
5-	आर.जे. 27-449	जीप	-,,-
6-	आर.एस.जे.-8851	-,,-	-,,-
7-	आर.आर.जे -7600	-,,-	-,,-
8-	आर.जे 27-2183	-,,-	क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर
9-	आर.जे.जे.-1310	-,,- टाटा	-,,-
10-	आर.एस.वाई-2883	ट्रक	-,,-
11-	आर.एस वाई-9464	ट्रक	सहायक क्षेत्रीय कार्या., आबूरोड़
12-	आर.एस.जे.-329	टैंकर	प्रधान कार्यालय, उदयपुर
13-	आर जे.-27-420	जीप	क्षेत्रीय कार्यालय, प्रतापगढ़
14-	आर.आर.आर.-6143	ट्रक	-,,-
15-	आर.आर.जे.-7099	ट्रक	चल उपभोक्ता -,,-
16-	आर.जे 27-2184	जीप	क्षेत्रीय कार्यालय, बारां
17-	आर.आर.जे.-57.8	ट्रक	-,,-
18-	आर.एन.वाई.-579	जीप	क्षेत्रीय कार्यालय, बांसवाड़ा
19-	आर.एस.वाई. 2891	लीलेण्ड ट्रक	-,,-
20-	आर.एन वाई 390	चल. उपभोक्ता	-,,-
21-	आर.एस.वाई 8650	ट्रक	क्षेत्रीय कार्यालय, डूंगरपुर
22-	आर.एन.वाई 581	जीप	-,,-
23-	आर.आर.जे 7174	चल उपभो.	-,,-
24-	आर.जे 27-7164	मोटर.साईकल बुलट	मत्स्य आखेट केन्द्र, जयसमंद
25-	आर जे. 27-4446	राजदूत मो.साईकल	-,,- बण्डा डोकर

296

परिशिष्ट–12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 504 की सूचियां)

भाग एक की सूची :–

क्र.	नाम फर्म	दिनांक जब्ती	डीजल (लीटर में) मात्रा	केरोसीन (लीटर में) मात्रा	मोबिल आयल (लीटर में) मात्रा	नाम सुपुर्दगार
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री रमेशचन्द्र पारख, शिवम् केमिकल्स, बासनी	21/22– 4–91	–	69000	–	उप पुलिस अधीक्षक, नगर (पश्चिम) जोधपुर
2.	श्री रमेशचन्द्र पारख, भोलेनाथ कृषि फार्म, जोधपुर	21/22– 4–91	–	51640	142	उप अधीक्षक पुलिस, (ग्रामीण) जोधपुर
3.	श्री रमेशचन्द्र पारख, भोलेनाथ कृषि फार्म, जोधपुर	21/22– 4–91	4100	–	–	उप अधीक्षक पुलिस, (ग्रामीण) जोधपुर
4.	श्री लादूराम डाका, लोहावट	22– 3–91	–	570	–	श्री गौतम चन्द

297

1	2	3	4	5	6	7
5.	मैं. जयनारायण मोदी एण्ड सन्स, जोधपुर	22– 4–91	–	1880	–	ओमप्रकाश उचित मूल्य विक्रेता
6.	मैं. श्रीराम जनरल स्टोर, जोधपुर	28– 8–91	–	150	–	पुलिस थाना, महामन्दिर
7.	हाजी मुख्तार अली, जोधपुर	7– 9–91	–	–	1813	पुलिस थाना, प्रतापनगर
8.	उप.सह.भण्डार लि., 30/114, जोधपुर	13–11–91	–	84	–	जगदीशचन्द्र, उ.मू.वि., जोधपुर
9.	मैं. भवानी शंकर, उ.मू. विक्रेता, जोधपुर	9–12–91	–	80	–	व्य.उप.सह. भंडार लि. 34/173 जोधपुर
10.	उप. सह. भ. लि., 30/116, जोधपुर	20–12–91	–	130	–	श्री जगदीश चन्द्र उ.मू.वि., जोधपुर
11.	मैं. मरूधरा आटो मोबाईल्स, बावड़ी	24–12–91	821.76	–	–	श्री सम्पत राज, बावड़ी
12.	मै. ओमप्रकाश टांक, पीपाड़	19– 1–92	–	1100	–	पुलिस थाना, पीपाड़
13.	ग्रा. से. समिति, डोली	17– 3–92	–	220	–	श्री माधोसिंह, डोली
14.	मैं. पुखराज महेन्द्रकुमार, सोढी की ढाणी	25– 3–92	–	335	–	श्री जयनारायण माली
15.	श्री जेठाराम, टैंकर ड्राईवर	17– 6–93	12000	–	–	—
16.	मै. मोहम्मद शफी एण्ड सन्स, केरोसीन थोक विक्रेता, जोधपुर	5– 1–93	–	8338	–	पुलिस थाना प्रतापनगर

(298)

भाग (4) की सूची

क्र.सं.	लाईसेन्स संख्या	फर्म का नाम मय स्थान	पार्टनर के नाम
1.	2.	3.	4.
1–	रसद/88/91/10	मै. उमराव खां एण्ड सन्स, चौपासनी रोड़, जोधपुर	1. श्री इदु खां 2. ,, दीन मोहम्मद 3. ,, सरदार खां
2–	रसद/88/91/58	मै. दले खां एण्ड सन्स, चौपासनी रोड, जोधपुर	1. श्री सरदार खां 2. सलीम खां 3. यासीन खां 4. ,, फोरोज खां
3–	रसद/88/91/26	मै. पुरूषोतमदास जगदीशचन्द्र, काडू कलां, तहसील जोधपुर	1. श्री पुरूषोतम महेश्वरी 2. ,, ताराचन्द जैन 3. ,, मुल्तानमल जैन 4. ,, सम्पतराज जैन
4–	रसद/88/91/43	मै. पुरूषोतमदास जगदीशचन्द्र, चौपासनी रोड, जोधपुर	1. श्री पुरूषोतमदास महेश्वरी, 2. ,, ताराचन्द जैन 3. ,, मुल्तानमल जैन 4. ,, सम्पतराज जैन
5–	रसद/88/91/73	मै. मेहताब ब्रादर्स धना तहसील जोधपुर	1. श्री बरकत खां 2. ,, मेहताब खां
6–	रसद/88/91/74	मै. नसरानी पेट्रोल पाल, तहसील जोधपुर	1. श्री बरकत खां 2. ,, मेहताब खां
7–	रसद/88/91/75	मै. नसरानी पेट्रोल पम्प चौपासनी रोड, जोधपुर	1. श्री बरकत खां 2 ,, सदीक खां
8–	रसद/88/91/15	मै. नागर फीलिंग स्टेशन, बावड़ी, तह. भोपालगढ़	1. श्री मोतीलाल राठी 2. ,किशनलाल लोहिया 3. राजकुमार राठी 4. ,, सुभाष चन्द्र लोहिया 5. श्रीमती चन्द्रा देवी राठी
9–	रसद/88/91/16	मै. नागर फीलिंग स्टेशन, हाईकोर्ट रोड, जोधपुर	1. श्री मोतीलाल राठी ,, किशनलाल लोहिया 3. ,, चन्द्रा कला 4. ,, सुभाषचन्द्र लोहिया

299

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 505 के आदेश की प्रतियां)

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग

क्रमांक एफ. 74 (7) खा.वि./सा.वि.प्र./87 जयपुर दिनांक 23-10-92

ओर से,
खाद्य आयुक्त एवं सचिव,
राजस्थान-जयपुर।

वास्ते,
समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषय :-उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के बारे में।

महोदय,

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने तथा उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन करने हेतु आवंटन समितियों के गठन के बारे में विभाग द्वारा समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं। विभागीय पत्र संख्या एफ. 74 (7) खा.वि./सा.वि.प्र./87, दिनांक 28.4.87 के द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये थे। राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने की दृष्टि से उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया पर पुनः विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन हेतु जिला स्तर के साथ उपखण्ड स्तर पर भी आवंटन समितियों का गठन किया जावे।

उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में पूर्व दिये गये निर्देशों के स्थान पर निम्नांकित दिशा निर्देश प्रदान किये जाते हैं :-

आवंटन में प्राथमिकतायें :-

(अ) सहकारी समितियों जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी है तथा जिनके विरुद्ध कोई गंभीर शिकायत नहीं है।

(ब) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति।

(स) पिछड़े वर्ग (बैकवर्ड) क्लास के व्यक्ति।

(द) भूतपूर्व सैनिक अथवा उनकी विधवायें ।

(न) निजी व्यक्ति जो स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार निर्दिष्ट वस्तुओं का व्यापार नहीं करते हैं तथा जीवन यापन के लिए उचित मूल्य की दुकान पर निर्भर रहेंगे, ऐसी-महिलायें, जो उत्साही हो और उचित मूल्य की दुकान चलाने में समर्थ हो, को वरीयता दी जावे ।

उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में उक्त प्राथमिकता क्रम को अपनाते समय निम्न बातें स्पष्ट रूप से ध्यान में रखी जावे :-

(1) संख्या (ब) से (न) तक के प्राथमिकता क्रमों में शिक्षित बेरोजगार नवयुवक अथवा ऐसे विकलांग जो शारीरिक एवं अन्य सभी दृष्टियों से दुकान चलाने हेतु सक्षम हो, को प्राथमिकता दी जावेगी । विकलांगों के लिए प्राथमिकता क्रमों को मिलाकर आवंटन की जाने वाली दुकानों के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(2) उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में 7 प्रतिशत आरक्षण भूतपूर्व सैनिक के लिए होगा इनके उपलब्ध न होने की दशा में प्राथमिकता क्रम पूर्वानुसार होगा । यह शर्त केवल नई आवंटित की जाने वाली दुकानों के लिए लागू होगी ।

(3) उचित मूल्य की दुकानों को संचालित करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात उनके आश्रितों को यदि वे उचित मूल्य की दुकान संचालन करने के लिए आवेदन करें और उसके लिए पात्रता एवं योग्यता रखते हैं तो उन्हें उचित मूल्य की दुकान का आवंटन करने में निम्न प्रकार से प्राथमिकता अपनाते हुए दुकान आवंटित की जावे :-

(क) डीलर की विधवा पत्नि
(ख) बालिग पुत्र
(ग) विधवा पुत्री
(घ) अविवाहित पुत्री

मृतक डीलर की उचित मूल्य की दुकान जिस आश्रित को आवंटित की जावेगी, वे स्वयं दुकान चलायेंगे ।

(4) जनजाति बाहुल्य विकास खण्डों एवं जिलों में उचित मूल्य की दुकान संचालन में सर्वप्रथम प्राथमिकता अनुसूचित जनजाति की सहकारी समिति को दी जावेगी बशर्ते उसकी वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो । अनुसूचित जनजातियों की सहकारी समितियों से तात्पर्य ऐसी सहकारी समिति से होगा, जिसमें कम से कम 75 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जनजाति के हों । इसके बाद इसकी प्राथमिकता अनुसूचित जनजाति के भूतपूर्व सैनिकों को दी जावेगी और तीसरी प्राथमिकता अनुसूचित जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवकों को दी जावेगी ।

(5) सहकारी समितियों के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक सहकारी समितियों की राय भी ली जा सकेगी।

(6) सभी वर्गों के आवेदकों के लिए आवश्यक है कि वे स्वयं दुकान चलाने के लिए सक्षम हो एवं दुकान बेनामी प्राप्त न की जावे। यह भी आवश्यक होगा कि दुकानदार उसी क्षेत्र (यथा पंचायत ग्राम, वार्ड) का निवासी हो, जहां वह दुकान चलाना चाहता है और दुकान भी यथा-स्थिति उस वार्ड, ग्राम अथवा पंचायत में स्थित हो अर्थात किसी भी व्यक्ति को उस वार्ड, ग्राम अथवा पंचायत में दुकान आवंटित नहीं की जावेगी, जहां उसका स्थाई निवास स्थान नहीं है। स्थाई निवास की पुष्टि के लिए मतदाता सूची की सहायता ली जा सकती है।

(7) यदि एक प्राथमिकता में एक से अधिक व्यक्ति आते हैं, तो आवंटन समिति ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिकता देगी जो उसी क्षेत्र का निवासी हो एवं जिसकी वित्तीय स्थिति ठीक हो और पूर्व में अन्य निजी दुकान (छोटी) चलाने का अनुभव रखता हो।

आवंटन प्रक्रिया :-

(अ) आवंटन के पूर्व प्रार्थना-पत्र, अखबारों एवं अन्य प्रचार माध्यमों से आमंत्रित किये जाने चाहिये। दुकानों के आबंटन हेतु प्रार्थना-पत्र दुकानवार अलग-अलग प्राप्त किये जावें।

(ब) एक परिवार में एक से अधिक व्यक्ति को दुकान आवंटित नहीं की जावेगी।

(स) आबंटी का चाल-चलन अच्छा हो एवं आवश्यक वस्तुओं से सम्बन्धित कानूनों के अन्तर्गत कभी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया हो तथा उसकी पूर्व में आबंटित उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार-पत्र दोषी पाये जाने के कारण निरस्त नहीं किया गया हो।

(द) आवंटित की जाने वाली दुकानों की संख्या की यथासंभव 10 प्रतिशत प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी। प्राथमिकता क्रम से प्रतीक्षा सूची में से तात्कालिक आवश्यकता (किसी कार्यरत दुकान का निलम्बन, निरस्तीकरण अथवा अन्य अस्थाई व्यवस्था किया जाना) होने पर लिया जावेगा।

(च) किसी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान के निलम्बन, निरस्तीकरण की दशा में उस क्षेत्र की वितरण व्यवस्था के लिये तुरन्त प्रतीक्षा सूची में से नई दुकान आबंटित की जावेगी। किसी भी स्थिति में वितरण व्यवस्था निकटतम क्षेत्र की कार्यरत दुकान से चालू नहीं की जायेगी, बल्कि पृथक दुकान की ही व्यवस्था की जावेगी।

(छ) जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन हेतु एक आवंटन समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है:-

(क) जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी।	अध्यक्ष
(ख) सम्बन्धित क्षेत्रीय विधायक।	सदस्य
(ग) नगरपालिका/परिषद के अध्यक्ष अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
(घ) जिला रसद अधिकारी।	सदस्य सचिव

(ज) जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त शेष क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन हेतु निम्नानुसार आवंटन समिति का गठन किया जाता है:-

(क) उपखण्ड अधिकारी।	संयोजक
(ख) संबंधित क्षेत्रीय विधायक।	सदस्य
(ग) संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/प्रशासक। अथवा सम्बन्धित नगरपालिका के अध्यक्ष/ प्रशासक या उनका प्रतिनिधि।	सदस्य

अन्य:-(वर्तमान कार्यरत एवं भविष्य में आवंटित की जाने वाली सभी दुकानों के लिए)

(अ) आवंटन के पूर्व दुकान के स्थान और पास पड़ोस की स्वच्छता को महत्व दिया जावे। दुकान किसी अन्य दुकान का भाग न हो, ऐसी जगह अवस्थित हो, जिसका सहज रूप से पता चल सके और आसानी से पहुंचा जा सके। उपभोक्ताओं को खड़े रहने के लिए पर्याप्त स्वच्छ स्थान हो। दुकान के ऊपर स्पष्ट एवं सुपाठ्य रूप से इस बात का लेख हो कि यह उचित मूल्य की दुकान है।

(ब) जिस क्षेत्र के लिए दुकान स्थापित की जावे वह यथासम्भव केन्द्रीय स्थल पर हो।

(स) आटे की चक्की, परचून (ग्रोसरी) दुकान अथवा होटल, रेस्टोरेन्ट, ढाबे इसी प्रकार के अन्य संस्थानों आदि से दुकान स्थान सुरक्षित दूरी पर हो। चयन एवं अर्हता आदि के क्षेत्रीय सत्यापन (फील्ड वैरीफिकेशन) के लिए जिला कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रख कर सुविधाजनक प्रक्रिया निर्धारित करेंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया भविष्य में उचित मूल्य की दुकान का आवंटन उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जावे।

भवदीय,

ह.

आयुक्त एवं शासन सचिव,

खाद्य विभाग, राज., जयपुर

303

राजस्थान सरकार

(खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग)

क्रमांक एफ 97/8/खा. वि./सा. वि. प्र./92 जयपुर, दिनांक 30–4–93

समस्त,
जिला कलक्टर्स,
राजस्थान।

विषय :—उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में महिलाओं के लिए आरक्षण।

महोदय,

उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश विभागीय पत्र संख्या एफ 74(7)खा. वि./सा. वि. प्र./87, दिनांक 23–10–92 के द्वारा दिये गये हैं और उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में प्राथमिकतायें निर्धारित की गई हैं, इन प्राथमिकताओं में भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं तथा ऐसी महिलाओं जो उत्साही हो और उचित मूल्य दुकान चलाने में समर्थ हैं, भी सम्मिलित हैं। महिला एवं महिला संगठनों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भागीदारी बढ़ाने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में आवंटित की जाने वाली दुकानों में से कम से कम 50 प्रतिशत दुकानें महिलाओं अथवा उनके संगठनों को दी जावें और आवंटन के समय इनकी आर्थिक स्थिति आदि बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाये। यदि ऐसी महिलायें या महिला संगठन उपलब्ध नहीं हो तो इस श्रेणी की दुकानें अन्य को नियमानुसार आवंटित की जा सकती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया भविष्य में दुकान आवंटित करते समय उपरोक्त निर्देशों को मद्धेनजर रखा जावे तथा महिला/महिला संगठनों को आवंटित की गई दुकानों का विवरण मासिक नक्शों के साथ विभाग को भिजवायें।

भवदीय,
ह०
खाद्य सचिव,
राजस्थान, जयपुर